लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी-संस्करण

(पन्द्रहवां सत्र)

7th Lok Sabha



(खंड 51 में अंक 21 से 25 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय सूची

सप्तम माला, खण्ड 51, पन्द्रहवां सत्र, 1984/1906 (शक)

अंक 22, गुरुवार, 23 अगस्त, 1984/1 भाद्र, 1906 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	1—17
*तारांकित प्रश्न संख्या : 436 से 440	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	17—210
तारांकित प्रश्न संख्या : 441 से 456	
अतारांकित प्रश्न संख्या : 4344 से 4355, 4357 से 4576, 4576-क और 4576-ख	
दिनांक 2 अगस्त, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1603 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण	210—211
सभा पटल पर रखे गए पत्र	213—221
नियम समिति	221
बैठकों के कार्यवाही-सारांश	
लोक लेखा समिति	221—222
220वां तथा 224वां प्रतिवेदन	
याचिका समिति	222
(एक) 20वां प्रतिवेदन	
(दो) बैठकों के कार्यवाही-सारांश	

*किसी नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति	222
(एक) 16वां प्रतिवेदन	
(दो) बैठकों के कार्यवाही-सारांश	
लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति	223
12वां प्रतिवेदन	
नियम 338 का निलम्बन	223—226
संविधान (53वां संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	227—228
नियम 377 के अधीन मामले :	228—235
(एक) श्री सिथेटिक्स लि०, उज्जैन द्वारा बोनस का भुगतान न किए जाने तथा सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में हस्तक्षेप किए जाने और इसके कार्यकरण की जांच करवाये जाने की आवश्यकता	228
श्री सत्यनारायण जटिया	
(दो) दिल्ली-खजुराहो-औरंगाबाद-भोपाल-बम्बई विमान सेवा आरम्भ करने की आवश्कता	228
श्री प्रताप भानु शर्मा	
(तीन) देश में, विशेषकर अरावली पर्वत श्रृंखला में वनरोपण योजनाओं को बढ़ावा देने और ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों का विकास करने की आवश्यकता	229
प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत	
(चार) कल्लड़ सिंचाई परियोजना के कारण विस्थापित हुए परिवारों को तुरंत वैकल्पिक भूमि आबंटित करने की आवश्यकता	230
श्री के० कुन्हम्बु	
(पांच) उड़ीसा में भंज पुरान जनजाति को अनुसूचित जनजाति घोषित करने की आवश्यकता	230
श्री मनमोहन टुडु	

विषय	पृष्ठ
(छः) केन्द्रीय विद्यालयों की पद्धति पर भोपाल में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की आवश्यकता	231
डा० शंकर दयाल शर्मा	
(सात) इलाहाबाद के निकट गंगा तथा यमुना नदियों पर नए पुल बनाने की आवश्यकता	231
श्री बी० डी० सिंह	
(आठ) पीलीभीत (उत्तर प्रदेश) में दूरदर्शन रिले केन्द्र की स्थापना किए जाने की आवश्यकता	232
श्री हरीश कुमार गंगवार	
(नौ) स्वतन्त्रता सेनानियों को और अधिक सुविधाएं देने की आवश्यकता	232
श्री रामावतार शास्त्री	
(दस) बिहार में बाढ़ग्रस्त मधेपुरा तथा सहरसा जिलों में व्यापक राहत-कार्य आरम्भ करने की आवश्यकता	233
श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव	
(ग्यारह) खाड़ी के देशों में जाने वाले उत्प्रवासियों के लिए प्रतिभूति निपेक्ष राशि को कम करने की आवश्यकता	234
श्री ए० के० बालन	
(बारह) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के कतिपय अधिनियमों के लागू किए जाने के कारण झुग्गी-झोंपड़ियों तथा पटरियों पर रहने वाले व्यक्तियों में आतंक	234
श्री ए० के० राय	
संविधान (48वां संशोधन) विधेयक	235—295
विचार करने के लिए प्रस्ताव	235—257
श्री एडुआर्डो फैलीरो	235
श्रीमती मोहसिना किदवई	236

विषय	पृष्ठ
खण्ड 2 तथा 1	
संशोधित रूप में पारित करने के लिए प्रस्ताव	257—295
श्रीमती मोहसिना किदवई	275
श्री राम विलास पासवान	276
संविधान (50वां संशोधन) विधेयक	296—401
विचार करने के लिए प्रस्ताव	296—360
श्री पी० वी० नरसिंह राव	296
श्री अमल दत्त	296
श्री गिरधारी लाल डोगरा	300
श्रीमती प्रमिला दण्डवते	301
श्री भेराबदन के० गधावी	304
श्री जगपाल सिंह	306
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया	307
श्री सूरज भान	310
श्री के० मायातेवर	311
आचार्य भगवान देव	314
श्री इन्द्रजीत गुप्त	316
श्री बूटा सिंह	322
श्री के० पी० उन्नीकृष्णन	326
श्री चित्त बसु	331
श्री हरिकेश बहादुर	333
श्री जयपाल सिंह कश्यप	335
श्री चन्द्रजीत यादव	335

विषय	पृष्ठ
खण्ड 2 तथा 1	
संशोधित रूप में पारित करने के लिए प्रस्ताव	360—401
श्री पी० वी०नरसिंह राव	379
प्रो० अजित कुमार मेहता	3 9
श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती	380
श्री ए० के० राय	380
श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर	381
श्री राजीव गांधी	381
श्रीमती इन्दिरा गांधी	382
संविधान (51वां संशोधन) विधेयक	40?—490
विचार करने के लिए प्रस्ताव	40 —438
श्री पी० वी० नरसिंह राव	402
श्री अजय विश्वास	403
श्री गिरिधर गोमांगो	405
श्री राजेश कुमार सिंह	407
श्री राम विलास पासवान	408
श्री मूल चन्द डागा	409
श्री एन० गोजागिन	410
श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा	412
डा० वी० कुलनदईवेलु	413
श्री हरीश कुमार गंगवार	4 4
श्री दिलीप सिंह भूरिया	416
श्री नारायण चौबे	416

विषय	पृष्ठ
श्री राम प्यारे पनिका	418
श्री एन० ई० होरो	419
श्री पीयूष तिरकी	420
खण्ड 2 से 4 तथा 1	
संशोधित रूप में पारित करने के लिए प्रस्ताव	438—490
श्री पी० वी० नरसिंह राव	438
श्री बाजूबन रियान	438
संविधान (52वां संशोधन) विधेयक	490—560
विचार करने के लिए प्रस्ताव	490—525
श्री पी० वी० नरसिंह राव	490
श्री सोमनाथ चटर्जी	491
श्री राजेश कुमार सिंह	494
श्री रवीन्द्र वर्मा	495
श्री एन० के० शेजवलकर	501
श्री इन्द्रजीत गुप्त	503
श्री जी० एम० बनातवाला	507
खण्ड 2 तथा 1	
संशोधित रूप में पारित करने के लिए प्रस्ताव	526—560
श्री पी० वी० नरसिंह राव	526
श्री सुनील मैत्रा	544
नियम 338 का निलम्बन	560—561

विषय	पृष्ठ
संविधान (53वां संशोधन) विधेयक	561—627
विचार करने के लिए प्रस्ताव	561—577
श्री पी० वी० नरसिंह राव	561
खण्ड 2 से 3 तथा 1	
संशोधित रूप में पारित करने के लिए प्रस्ताव	578—627
श्री पी० वी० नरसिंह राव	611

लोक सभा

गुरुवार, 23 अगस्त, 1984/1 भाद्र, 1906 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रो० मधु दण्डवते : आज आपका जन्म दिन है। समूचे सदन को इस बारे में अधेरे में क्यों रखा गया ?

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : हम आपको बधाई देते हैं।

श्री सन्तोष मोहन देव : मेरी शुभकामना है कि विपक्ष की ओर से शून्य काल आपके लिए बहुत शान्तिमय हो।

प्रो० एन० जी० रंगा : सारा सदन आपको बधाई देता है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : बहुत-बहुत शुभ-कामनाएं।

अध्यक्ष महोदय : आप सबका प्यार और सौहार्द जो मुझे मिला है, उसके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सब प्रसन्न रहें। आपकी कृपा रही है, इतना बड़िया समय निकला है। बहुत धन्यवाद आपका।

प्रो० मधु दण्डवते : हम शून्य काल में आपका हार्दिक अभिवादन करेंगे।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद का सम्मेलन

*436. **श्री चिरन्जी लाल शर्मा** :+

श्री लक्ष्मण मलिक :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में हाल में हुई केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के तीन दिन के सम्मेलन में की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार ने इन सिफारिशों पर विचार किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) से (ग) 9-11 जुलाई, 1984 को नई दिल्ली में हुए केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषदों के तीन दिन के सम्मेलन की सिफारिशों का एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल टी-8685/84]

ये सिफारिशें सूचना तथा आवश्यक कार्यवाही के लिए सभी सम्बन्धित प्राधिकारियों को भेजी जा रही हैं ।

श्री चिरंजी लाल शर्मा : मेरे प्रश्न के निम्नलिखित भाग हैं :

(क) ऐसे कौन से राज्य हैं जिनका परिवार नियोजन के सम्बन्ध में कार्य निष्पादन राष्ट्रीय स्तर से बहुत नीचे है और क्या चिकित्सा सम्बन्धी उपाय आरम्भ करने की दृष्टि से निम्न स्तर के कार्य-निष्पादन के कारणों का पता लगाने के लिए सूक्ष्म विश्लेषण किया गया है ?

(ख) मैं जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र स्तर पर जनसंख्या सलाहकार परिषद के नमूने पर राज्यों ने राज्य स्तर पर जन-संख्या सलाहकार समितियों का गठन किया है ?

(ग) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि परिवार नियोजन के सम्बन्ध में किए जा रहे प्रचार में ग्रामीण क्षेत्रों, जहां कि इसकी वास्तव में आवश्यकता है, की तुलना में शहरी क्षेत्रों में अधिक बल दिया जा रहा है ?

(घ) क्या लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए चिकित्सीय एवं अर्द्ध-चिकित्सीय कार्मिकों को परिवार नियोजन तरीकों तथा तकनीकों में निरन्तर प्रशिक्षण तथा पुनः प्रशिक्षण दिया जा रहा है ?

(ङ) क्या हमारी महिलाओं द्वारा प्रयोग की जा रही खाने वाली गोली सुरक्षित तथा भरोसेमन्द गर्भनिरोधक उपाय है और यदि हां, तो इसका प्रयोग किस हद तक हो रहा है तथा खाने वाली गोली देने के लिए कितने केन्द्र हैं···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हमें देख के करना चाहिए था, काफी लम्बा क्वैश्चन ओरल में नहीं आ सकता है।

श्री चिरन्जी लाल शर्मा : सभा-पटल पर रखे गए प्रतिवेदन पर अनुपूरक प्रश्न तो उठेंगे ही।

अध्यक्ष महोदय : आपको तो एक की इजाजत है, मैंने दो दे दिए, फिर भी आप और पूछ रहे हैं ?

श्री चिरन्जी लाल शर्मा : यह मेरा अन्तिम प्रश्न है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि परिवार नियोजन के लिए अस्थाई कर्मचारी नियुक्त किए जा रहे हैं और क्या यह कदम सफल सिद्ध हो रहा है ?

कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी : जहां तक राज्यों के कार्य-निष्पादन का सम्बन्ध है, केन्द्रीय परिषद के सम्मेलन में जिन राज्यों ने अच्छा कार्य किया है, उन्हें हमने पुरस्कार दिए हैं। माननीय सदस्य ने पूछा है कि वे कौन से राज्य हैं जिन्होंने भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किए हैं। मैं समझती हूं कि अधिकांश सभी राज्य लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हैं तथा यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि परिवार नियोजन कार्यक्रम को कार्यान्वित किया जाए। जिन राज्यों को हमने पुरस्कार वितरित किए हैं, उनके नाम हैं : महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश, दादर तथा नगर हवेली— राज्यों के चार वर्ग हैं जिनमें संघ शासित राज्य भी आते हैं—तथा कुछ अन्य राज्य भी। जो राज्य निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं कर पाए है, वे है उत्तर प्रदेश, बिहार तथा एक या दो अन्य राज्य। लेकिन, मैं यह कहती हूं कि ये राज्य भी इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि लक्ष्य प्राप्त कर लिए जाएं। गुजरात ने भी अच्छा कार्य किया है। दुर्भाग्ययश, उन्हें पुरस्कार नहीं मिल सका। लेकिन, वे लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं।

माननीय सदस्य द्वारा पूछे गए कुछ प्रश्न विभिन्न तरीकों के कार्यान्वयन की प्रगति के सम्बन्ध में हैं, विशेषकर, उन्होंने खाने वाली गोलियों के बारे में पूछा है। मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहती हूं कि मैं उन व्यक्तियों के बारे में, जिन्होंने इन तरीकों को अपनाया है, जानकारी दूंगी, क्योंकि इस समय मेरे पास ये आंकड़े नहीं है।

जहां तक बुनियादी ढांचे का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य भली भांति जानते हैं कि परिवार कल्याण के जिन कार्यक्रमों को हम कार्यान्वित कर रहे हैं, वे राज्य सरकारों तथा स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से चलाए जा रहे हैं। इसलिए, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के पास जो भी बुनियादी ढांचा उपलब्ध है, स्वयंसेवी संगठनों की सहायता से वे लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं।

श्री चिरंजी लाल शर्मा : क्या माननीय मंत्री कृपया सातवीं योजना अवधि के दौरान देश में अन्धेपन, क्षयरोग तथा मलेरिया के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रमों के सम्बन्ध में ब्यौरा सदन को देंगी ? दूसरे, मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री हमें यह बताएं कि क्या वे देश में भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम आरम्भ कर रहे हैं या नहीं।

कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी : महोदय, माननीय सदस्य भली भांति जानते हैं कि जहां तक अंधापन सम्बन्धी कार्यक्रम का सम्बन्ध है, यह एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। यह हमारे बीस सूत्री कार्यक्रम में भी शामिल है। मलेरिया तथा अंधापन—क्षयरोग कार्यक्रम भी उनमें से एक है—20 सूत्रीय कार्यक्रम में शामिल हैं।

जहां तक सातवीं पंचवर्षीय योजना का सम्बन्ध है, देश की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए, स्वास्थ्य मंत्रालय इस समय योजना आयोग को प्रस्तुत करने के लिए योजना तैयार कर रहा है। हम अपने अनुभव को निश्चय ही ध्यान में रखेंगे। हम इन कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए गम्भी-

रता से योजना बना रहे हैं और जितनी भी सहायता की आवश्यकता होगी, हम योजना आयोग से मांगेंगे। इस समय मैं यह नहीं कह सकती कि हम उनसे कितनी राशि मांगेंगे।

श्री चिरंजी लाल शर्मा : महोदय, उन्होंने भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी का स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम आरम्भ करने सम्बन्धी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय परिषद की 1980 से हर वर्ष बैठकें हो रही हैं। परिषद की 10वीं बैठक में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के प्रत्येक क्षेत्र में 100 से अधिक सिफारिशें की गईं। यदि माननीय सदस्य किसी विशेष सिफारिश अथवा किसी विशेष विषय पर बोलना चाहते हैं तो सम्भवत: हमसे इसके लिये विशिष्ट प्रश्न पूछना होगा।

श्री लक्ष्मण मल्लिक : महोदय, हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य सेवकों को पूरा प्रशिक्षण नहीं दिया जाता और ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहे डाक्टर मूलत: गांव में रहने वाले नहीं है। मुझे केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के तीन दिवसीय सम्मेलन में की गई सिफारिशों के बारे में जानकर बहुत प्रसन्नता हुई। सिफारिशों में कहा गया है कि परिवार कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। इसे ध्यान में रखते हुए, मैं उनमे यह जानना चाहता हूं कि क्या परिवार नियोजन अपनाए जाने सम्बन्धी वास्तविक जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यवार निगरानी समिति या-कक्ष बनाया जायेगा। यदि नहीं तो क्या राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने के लिए कोई मार्गदर्शी सिद्धांत भेजने पर विचार किया इस देश में किया गया है इस देश में लोग परिवार नियोजन को अपनी इच्छा से अपनायें।

कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी : महोदय, राज्यों के स्वास्थ्य मन्त्री परिषद के भी सदस्य हैं। ये जो कुछ निर्णय लेते हैं हम इसे राज्य सरकारों को भेज देते हैं। जहां तक परिवार नियोजन कार्यक्रम का सम्बन्ध है, हमने इसे बड़ी गम्भीरता से लिया है और राज्य सरकारों को भी परामर्श दिया है कि वे राज्य स्तर पर जनसंख्या सलाहकार परिषदों का गठन करें। यह परिषद राज्य सरकारों को उनके मामलों के सम्बन्ध में परामर्श दे सकती हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : महोदय, माननीया उपमंत्री ने कहा है कि परिवार नियोजन में अच्छे कार्यनिष्पादन के लिए राज्यों को पुरस्कार दिए गए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि सरकारी तथा सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए, जिनकी संख्या इसमें बहुत कम है, कोई योजना बनाई गई हैं तथा क्या उनके लिए कोई पदोन्नति या पदावनति योजना भी बनाई गई है, जिनमें मन्त्री महोदय भी शामिल हैं? महोदय, आमतौर पर डाक्टर ग्रामीण चिकित्सा केन्द्रों में जाना नहीं चाहते। 30% से भी अधिक ग्रामीण चिकित्सा केन्द्रों में डाक्टर नहीं हैं। डाक्टर ग्रामीण लोगों की सेवा करने का राष्ट्र के प्रति अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या राज्यों के स्वास्थ्य मन्त्रियों के सम्मेलन में डाक्टरों को अनिवार्य रूप से ग्रामीण चिकित्सा केन्द्रों में भेजने के बारे में कोई निर्णय लिया गया है? यदि हां, तो क्या निर्णय लिए गए हैं और यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बी० शंकरानन्द : महोदय, यह कहना बिलकुल अनुचित होगा कि हमारे देश के डाक्टर राष्ट्रीय हित से प्रेरित नहीं हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में जाने के इच्छुक नहीं हैं। यदि ग्रामीण क्षेत्रों में उनके रहने की दशाओं में सुधार किया जाए तो वे वहां जाने के लिए तैयार हैं। दूसरे, माननीय सदस्य ने

पदोन्नति और पदावनति योजना के बारे में पूछा है। सम्भवतः उनका अभिप्राय प्रोत्साहन देने और प्रोत्साहन न देने सम्बन्धी योजना से है। महोदय, यह विषय केन्द्रीय परामर्शदात्री परिषद के समक्ष विचाराधीन है। परामर्शदात्री परिषद की सिफारिशों को सूत्रबद्ध किया जा रहा है। इस समय में केवल इतना कह सकता हूं कि सरकार की हतोत्साह करने वाली किसी योजना में रुचि नहीं है।

हिन्दी के कार्य के लिए संगठित सेवा का गठन

*437. **श्री हरिकेश बहादुर** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मन्त्रालय में हिन्दी के कार्य हेतु संगठित सेवा के गठन का निर्णय लिया गया है ;

(ख) क्या यह निर्णय कार्यान्वित किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) रेलों पर कार्यरत हिन्दी अधिकारियों के लिए एक पृथक सेवा का गठन सरकार के विचाराधीन है। इसके अतिरिक्त, रेल मन्त्रालय (रेलवे बोर्ड) में एक राजभाषा निदेशालय है प्रशासनिक सुविधा के लिए इस संगठन के वर्तमान ढांचे में किसी प्रकार का परिवर्तन करने का प्रस्ताव नहीं है।

रेलों के लिए प्रस्तावित नये वर्ग "क" की सेवा के गठन के लिए मंत्रिमण्डल का अनुमोदन अपेक्षित होगा। मन्त्रिमण्डल के अनुमोदन से पूर्व, इसके लिए, गृह और वित्त मन्त्रालयों का अनुमोदन भी लिया जाना अपेक्षित है।

रेल मन्त्रालय इस सम्बन्ध में कार्रवाई करेगा और सम्बद्ध मन्त्रालयों को प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा इस सेवा के गठन के लिए मन्त्रिमण्डल का अनुमोदन प्राप्त कर लिए जाने के बाद संघ लोक सेवा आयोग और विधि मन्त्रालय के परामर्श से इस सेवा से सम्बन्धित भर्ती नियम बनाये जायेंगे। भर्ती नियमों के भारत के राजपत्र में अधिसूचित कर दिये जाने के बाद इस सेवा का गठन कर दिया जायेगा।

श्री हरिकेश बहादुर : स्टेटमेंट तो मैंने देखा लेकिन उससे संतुष्ट होना सम्भव नहीं था। हिन्दी के बारे में जो स्थिति है उसे देख कर बहुत ही निराशा होती है। 1975 में प्रधान मन्त्री जी की अध्यक्षता में केन्द्रीय हिन्दी समिति की बैठक हुई थी और उसमें यह फैसला हुआ था कि हिन्दी के कार्य के लिए जो लोग भी नियुक्त किए जाएं उनकी पदोन्नति के लिए पर्याप्त अवसर होना चाहिए। इस सम्बन्ध में यह भी कहा गया था कि हिन्दी के लिए राजभाषा विभाग जो गृह मन्त्रालय के अधीन कार्य करता है उसका एक कामन कैडर बनाया जाय। लेकिन इस कार्य को किया नहीं गया। उस समय के

जो तत्कालीन रेल मन्त्री, श्री कमलापति त्रिपाठी थे, उन्होंने कहा था कि अपने मन्त्रालय के अधीन ही एक हिन्दी का संगठित संवर्ग बनाएंगे और दूसरे जो भी मन्त्री आए, उन्होंने लगभग इसी प्रकार का आश्वासन दिया। लेकिन सभी के आश्वासन के बावजूद भी आज हिन्दी का कोई संगठित संवर्ग रेल मन्त्रालय में नहीं बन सका है। इसलिए मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि वे कब तक रेल मन्त्रालय में संगठित संवर्ग बनायेंगे ? पिछले चार वर्षों से यही आश्वासन दिया गया और उस आश्वासन की पूर्ति आज तक नहीं की गई। इसलिए इस कार्य को आप कब तक सम्पन्न करेंगे ?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : हिन्दी सलाहकार समिति की जनवरी, 1984 को हुई पिछली बैठक में इस बात पर सहमति हुई थी कि यह मामला वर्ग 'क' सेवा के गठन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। इससे पहले कि हम वैसा करें, हमें कुछ औपचारिकताएं निभानी हैं। वर्ग क, श्रेणी-1 सेवा के गठन के लिए मंत्रिमण्डल का अनुमोदन प्राप्त किया जाना होता है। मंत्रिमण्डल के पास जाने से पूर्व, वित्त मन्त्रालय और गृह मन्त्रालय (कार्मिक विभाग) की सहमति लेनी होगी। पृथक सेवा का गठन किए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर मंत्रिमण्डल का अनुमोदन प्राप्त होने के बाद संघ लोक सेवा आयोग और विधि मन्त्रालय के परामर्श से भर्ती नियम बनाने होंगे। इन्हें गजट में अधिसूचित करना होगा। उसके बाद भर्ती नियमों के प्रावधानों के अनुसार सेवा में नियुक्ति की जानी होगी। जहां तक रेल मन्त्रालय का सम्बन्ध है, हम शीघ्र ही गृह मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय को यह प्रस्ताव भेजने जा रहे हैं। मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि हम बड़ी तीव्रता से यह काम करने का प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन हमें स्वयं कुछ निर्देश देने होंगे और इस पर हम विचार कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि अगले 10-14 दिन में हम रेल मन्त्रालय में यह मामला पूरा कर लेंगे। उसके बाद यह मामला वित्त मन्त्रालय और गृह मन्त्रालय (कार्मिक विभाग) को भेजा जायेगा। उनका अनुमोदन प्राप्त होते ही, इसे मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जायेगा। और मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित होने के बाद हमें ऐसे संघ लोक सेवा आयोग और विधि मन्त्रालय के पास भेजना होगा। इसमें कुछ समय लगेगा। अतः मैं माननीय सदस्य की चिंता से सहमत हूं। लेकिन चूंकि यह नया मामला है, इसमें कुछ समय लग रहा है और मुझे पिछली बातों की जानकारी नहीं है। लेकिन मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दे सकता हूं कि मैं यथाशीघ्र गंभीरतापूर्वक यह निर्णय कार्यान्वित कराना चाहता हूं।

श्री हरिकेश बहादुर : अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से मन्त्री जी ने हमें विश्वास दिलाया है, मैं उस पर भरोसा रखना चाहता हूं। लेकिन यह प्रक्रिया बहुत लम्बी है और लगता है कि बहुत समय लगेगा, तब तक सरकार का क्या होगा।

प्रो० मधु दण्डवते : उनके आश्वासन को हम अमल में लायेंगे।

श्री हरिकेश बहादुर : मन्त्री जी ने आश्वासन दिया है, अगर प्रो० दंडवते जी पुनः उस पद पर आ गए, तो पूरा कर देंगे। जितनी भी पोस्ट हिन्दी की दी गई हैं, वे एक्स-कैडर पोस्ट हैं। जिससे कि वहां पर लोगों को, जो हिन्दी विभाग में काम करते हैं, पदोन्नति का कोई अवसर नहीं रह गया है। वहां पर करीब 40 व्यक्ति क्लास-वन के हैं। 60 लोग ऐसे हैं जो दूसरी श्रेणी में काम करते हैं, 900 से अधिक लोग ऐसे हैं जो तीसरी श्रेणी में काम करते हैं। अभी कुछ दिन पहले रेल मन्त्रालय में पदोन्नतियां की गई हैं, अपग्रेडेशन किया गया है, लेकिन हिन्दी के किसी पद का अपग्रेडेशन नहीं हुआ है। लगभग 100 पद अपग्रेड किए गए हैं। यदि इनमें हिन्दी वालों को भी अपग्रेड कर दिया गया होता, तो जो स्टेगनेशन

हो गया है, उससे छुटकारा मिल सकता था, लेकिन अफसोस यह है कि यह कार्य नहीं किया गया। सबसे पहली बात तो मैं यह जानना चाहता हूं--

(क) क्या जिस तरह की पदोन्नति (अपग्रेडेशन) अन्य पदों के लिए किया गया है, उसी तरह अपग्रेडेशन हिन्दी के पदों के लिए भी करेंगे ? इसके बारे में आपका क्या विचार है ? क्या योजना है ? जिस तरह से अंग्रेजी के स्टेनो और टाइपिस्ट्स के लिए प्रमोशन के अवसर होते हैं, हिन्दी के जो स्टेनो और टाइपिट्स हैं उनके लिए पदोन्नति के अवसर नहीं हैं। यदि अपग्रेडेशन ही कर दिया जाय तो उनके लिए भी अवसर खुल जाएगा। इसलिए क्या आप हिन्दी के अधिकारियों के पदों के अपग्रेडेशन के बारे में सोच रहे हैं ?

(ख) आपने जो हिन्दी सलाहकार समिति बनाई हुई है उसके सदस्यों को पहले रेल के पास दिए जाते थे ताकि वे जगह-जगह पर जाकर जांच कर सकें कि हिन्दी का कार्य ठीक तरह से हो रहा है या नहीं। लेकिन अब वे पास नहीं दिए जा रहे हैं। क्या मन्त्री जी उनको भी रेल पास देने के लिए कोई योजना सोच रहे हैं ?

श्री ए० बी० एं० गनी खान चौधरी : मैं नहीं जानता, केवल भावी पीढ़ी ही जानती है कि इसे कौन कार्यान्वित करेगा। क्या इसे कांग्रेस पार्टी कार्यान्वित करने जा रही है या वर्तमान विपक्षी दल। जो भी हो, कोई तो इसे कार्यान्वित करेगा।

जहां तक हमारा सम्बन्ध है, हम इसे यथाशीघ्र कार्यान्वित करने का प्रयत्न करेंगे। इसमें एक महीना भी लग सकता है। वह हमारा दृष्टिकोण है।

जहां तक प्रगतिरोध की समस्या का सम्बन्ध है, यह समस्या हमारे विचाराधीन है और जहां तक मुझे जानकारी है, हाल ही में राजपत्रित सेवाओं में कोई सामान्य पदोन्नति नहीं हुई है। यदि अन्य सेवाओं में पदोन्नतियां की जाती हैं, तो मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि हिन्दी क्षेत्र में काम कर रहे लोगों पर भी यह लागू किया जायेगा। इसलिए, केवल उसी क्षेत्र में कोई विशेष प्रगतिरोध का प्रश्न ही नहीं है।

पास के सम्बन्ध में मुझे जानकारी नहीं है। यदि वे पास प्राप्त करने के अधिकारी हैं, तो मैं नहीं जानता, कि उनके मामले में यह क्यों नहीं होना चाहिए।

श्री रामावतार शास्त्री : अध्यक्ष जी, राज-भाषा अधिनियम के मुताबिक हिन्दी हमारे देश की राज-भाषा है, लेकिन दुख की बात यह है कि दूसरी जगहों की बात तो जाने दीजिए, रेलवे में जो इतना बड़ा विभाग है, इसके साथ सौतेले बेटे की तरह या सौतेली मां की तरह व्यवहार किया जा रहा है...

अध्यक्ष महोदय : सौतेला बेटा न कहो, सौतेली मां कहो।

श्री रामावतार शास्त्री : मैंने दोनों कह दिया है जो सही हो लोग उसको मान लें।

अध्यक्ष महोदय : एक दिन तो मैं समझ गया था, जब अपने भीतरघात शब्द कहा था।

श्री रामावतार शास्त्री : रेलवे में मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि जो सुविधायें दूसरे अधिकारियों या लोगों को दी जा रही हैं वे सुविधायें हिन्दी में काम करने वाले अधिकारियों को

या कर्मचारियों को नहीं दी जा रही हैं, उनके साथ भेदभाव बरता जा रहा है। मैं यह जानना चाहूंगा कि राजभाषा अधिनियम, 1963 को ठीक से कार्यान्वित किया जाय। इसके बारे में रेलवे मंत्रालय ने कोई कार्य नीति तैयार की है कि नहीं ? यदि तैयार की है तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

अध्यक्ष महोदय : जवाब आ नहीं गया ?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : मुझे किसी तरह के भेदभाव की जानकारी नहीं है। यदि कोई भेदभाव किया जाता है, तो मैं निश्चित रूप से उसे दूर करने का प्रयत्न करूंगा।

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष जी, मन्त्री जी ने जो जवाब दिया है इन्होंने एक लाइन में जो पहले के मन्त्री ने वायदा किया था उसके सम्बन्ध में यह कह कर टाल दिया कि पहले जो हुआ, वह हुआ लेकिन मैं यह वायदा करता हूं। मैं समझता हूं इसी तरह से जितने रेल मंत्री आये थे सभी ने वायदा किया था, मेरे पास तारीख है, और केदार पांडे जी हमारे बीच में नहीं हैं, माननीय कमलापति जी ने भी टाइम बांधा था कि 6 महीने के अन्दर हो जाएगा और यह 17-4-1981 की बैठक में कहा गया था कि 6 महीने में हो जाएगा। आज हम 1984 में हैं। फिर यह टाइम बांध रहे हैं। एक महीने के बाद क्या होगा, यह मन्त्री रहेंगे कि नहीं कोई नहीं जानता। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या आप बतला सकते हैं कि आफिशियल लैंगुएजेज ऐक्ट का पालन जो 1963 में बना था उसका पालन रेल विभाग में हो रहा है कि नहीं ? क्योंकि यह सबसे बड़ा मन्त्रालय है और इसमें एक से एक विद्वान लोग इस पोस्ट को होल्ड करते आये हैं। तो क्या मन्त्रालय में आफिशियल लैंगुएजेज ऐक्ट लागू हो रहा है कि नहीं ? यदि हां, तो आपके रेल मन्त्रालय में कुल कितने टाइपराइटर हैं, और हिन्दी के कितने हैं, एक चौथाई हैं कि नहीं ?

श्री ए० बी० गनी खान चौधरी : एक पृथक हिन्दी सेवा हो, इस प्रश्न पर कई बार चर्चा हो चुकी है। नवम्बर, 1981 में गृह मन्त्रालय और रेलवे बोर्ड की संयुक्त बैठक में गृह मन्त्रालय (राजभाषा विभाग) के सचिव ने रेल मन्त्रालय और क्षेत्रीय रेलों के लिए एक पृथक सेवा का गठन करने की आवश्यकता को मान लिया था। यह स्वीकार किया गया था कि एक सही ढांचा स्थापित हो जाने के बाद ही ऐसी सेवा का गठन करने हेतु गृह मन्त्रालय (कार्मिक विभाग) का अनुमोदन प्राप्त किया जा सकता है।

यह निर्णय पिछली बैठक में लिया गया था जिसमें प्रधान मन्त्री द्वारा भाग लिया गया था।

श्री रामविलास पासवान : उस बैठक में प्रधान मन्त्री ने किस वर्ष भाग लिया था।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : वह निर्णय राज भाषा अधिनियम को कार्यान्वित करने के बारे में है। प्रधान मन्त्री ने 1984 में बैठक में भाग लिया।

श्री रामविलास पासवान : वह 1983 था।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : 1983 अथवा 1984 में भाग लिया था। मुझे याद नहीं है। 1983 अथवा 1984 में भाग लिया था। फिर भी, हम राजभाषा अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने की कोशिश कर रहे हैं। एक कक्ष भी बनाया गया है।

यदि मैं पूर्ण विवरण को पढ़ने लगूं तो बहुत समय लग जायेगा। परन्तु मेरे पास टाइपिस्टों आदि के बारे में कोई जानकारी नहीं है। यदि माननीय सदस्य मेरे से यह जानना चाहते हैं कि कितने टाइपिस्ट हैं, कितने लिपिक हैं, आदि, तो मुझे एक अलग सूचना की आवश्यकता होगी और मैं उन्हें सूचना भेज दूंगा।

श्री रामविलास पासवान : सूचना सभा पटल पर भी रखी जा सकती है।

अध्यक्ष महोदय : यह आपको भेजी जा सकती है।

कागज और गत्तों का उत्पादन

*438. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कागज और गत्तों का उत्पादन करने वाले कार्यरत 198 एककों का 1983 में उत्पादन केवल 11.85 लाख टन था ; जबकि उनकी अधिस्थापित क्षमता 20.48 लाख टन थी ;

(ख) क्या इन एककों में क्षमता का उपयोग केवल 57.8 प्रतिशत रहा है ;

(ग) क्या अन्य 24 एककों में जिनकी अधिस्थापित क्षमता 1.17 लाख टन थी उक्त वर्ष में काम नहीं हुआ ;

(घ) क्या उक्त 222 एककों में से केवल दो एकक सरकारी क्षेत्र में सीधे केन्द्र सरकार के अधीन चल रहे हैं और बाकी एकक गैर-सरकारी क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र अथवा राज्य सरकारों के अधीन आते हैं ;

(ङ) यदि हां, तो क्या यह जानकारी इकोनामिक टाइम्स रिसर्च ब्यूरो द्वारा जून, 1984 में किए गए सर्वेक्षण से प्राप्त हुई हैं ; और

(च) यदि हां, तो सरकार का विचार इस बारे में क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का है ?

वाणिज्य और उद्योग तथा पूर्ति विभाग मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (च) एक विवरण सभापटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) वर्ष 1983 में 19.15 लाख मी० टन की अधिष्ठापित क्षमता की तुलना में 11.78 लाख मी० टन कागज और गत्ते का उत्पादन हुआ था, जो उद्योग के लिए समग्र रूप से लगभग 67 प्रतिशत क्षमता उपयोग को दर्शाता है।

(ग) वर्ष 1983 के कुछ महीनों में या पूरे वर्ष के दौरान लगभग 7 बड़े तथा 23 लघु कागज एकक नहीं चल रहे थे।

(घ) जी, हां।

(ङ) सितम्बर, 1983 में औद्योगिक विकास विभाग द्वारा स्थिति की समीक्षा की गई थी।

(च) कागज मिलों के कार्यनिष्पादन सुधारने के लिए अपेक्षित विशिष्ट उपायों का पता लगाने के लिए सरकार ने वित्तीय संस्थान/राज्य सरकारों के साथ विचार विमर्श करना शुरू कर दिया है। उद्योग को सहायता पहुंचाने के लिए विभिन्न आर्थिक राहत-सहायता प्रदान की गई है और उद्योग को अधिक क्षमता का उपयोग कर पाने की दिशा में समर्थ करने हेतु अवस्थापना सम्बन्धी सहायता में भी सुधार किया गया है।

श्री बी० वी० देसाई : मेरे प्रश्न के सम्बन्ध में सरकार द्वारा दिया गया उत्तर बिलकुल अपर्याप्त है। मेरे प्रश्न का महत्वपूर्ण भाग है : सरकार का विचार इस बारे में क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का है। वास्तव में, उन्होंने स्वीकार किया है कि कागज के उद्योग की हालत खस्ता है और उन्होंने राज्य सरकारों और वित्तीय संस्थाओं आदि के साथ बातचीत करनी आरम्भ कर दी है। वास्तव में हमारी औद्योगिक नीति के अनुसार कागज मिलों को अथवा किसी अन्य उद्योग को, छोटे, मझोले और बड़े पैमाने की मिलों के रूप में माना जा सकता है। अत: अधिकतर कागज की मिलें लघु मिलें हैं जिनकी क्षमता बहुत थोड़ी है। वास्तव में, कागज की मिल में भी तीन अवस्थाएं होती हैं अर्थात लुगदी बनाना, कागज बनाना और प्रयुक्त ईंधन को फिर से काम में लाना। जब तक ऐसी संयुक्त प्रकार की कागज की मिलें स्थापित नहीं होंगी, तब तक वे अपने पांव पर खड़ी नहीं हो सकतीं और जब तक वे अपने पांव पर खड़ी नहीं होंगी, तब तक सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता अथवा अनुदान की किसी भी राशि से लाभ नहीं होगा। उन्होंने जो बातचीत शुरू की है और उन्होंने जो उपाय आरम्भ किये हैं, उनको ध्यान में रखते हुए क्या राज्य सरकारें उन उपायों पर विचार कर रही हैं और क्या वे उद्योगों को—चाहे वे कृषि आधारित हों अथवा लकड़ी आधारित—अपना ही कच्चा माल उत्पादन करने के लिए अनुमति देकर पर्याप्त कच्चे माल की आपूर्ति का प्रबन्ध कर रहा है? यदि मिल के पास रसायनों का 'रिसाइकलिंग' संयंत्र हो जाये जिन्हें वे प्रयोग करते हैं, तो वे 70 प्रतिशत रसायनों का फिर से प्रयोग कर सकते हैं और इस तरह वे इकाई को अपने पांव पर खड़ा कर सकते हैं। क्या सरकार उन्हें अनुमति देने और 'रिसाइकलिंग' संयंत्र के लिए सहायता देने की दिशा में सोच रही है अथवा नहीं। यदि हां तो वह कौन से उपाय करने जा रही है?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : माननीय सदस्य को इस विषय के बारे में बहुत जानकारी है और उन्होंने ठीक ही कहा है कि इस क्षेत्र की अधिक समस्याएं इसलिए हैं क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में इकाइयां लघु क्षेत्र में हैं; कुल 220 इकाइयों में से 200 लघु क्षेत्र में हैं; और इस कम क्षमता के कारण ही बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं; और इन्हीं इकाइयों के पास 'रिसाइकलिंग' प्रक्रियाएं उपलब्ध नहीं हैं जिनके बारे में माननीय सदस्य ने कहा है और कच्चे माल की भी आवश्यकता है क्योंकि जंगल तेजी से समाप्त होते जा रहे हैं और हमें कृषि-आधारित कच्चे माल पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। सरकार इस बारे में पूरी तरह से सचेत है। जहां तक उन्हें वित्तीय सहायता देने के क्षेत्र में किए गए उपायों का सम्बन्ध है, उनमें से कुछ को बन्द कर दिया गया है और माननीय सदस्य के दिमाग में शायद यह बात हो। उन्हें फिर से सारी सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार उनसे लगातार सम्पर्क बनाए हुए है। छोटे पैमाने की इकाइयों के लिए और सुधार करने हेतु एक मुश्त उपाय करने के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक एक विशेष अध्ययन कर रहा है क्योंकि नई क्षमता के बजाय, इन इकाइयों को उनके पांव पर खड़ा करना बेहतर होगा। जहां तक कच्चे माल

का सम्बन्ध है, विभिन्न राज्यों द्वारा कागज उद्योग के लिए संयंत्र लगाने की कोशिश की जा रही है ; और दूसरे, श्रेणी-गत घास-फूस, खोई के क्षेत्र में कच्चे माल को बढ़ावा दिया जा रहा है और 'वुड चिप्स' और नुग्दी के क्षेत्र में कच्चे माल के आयात की सुविधा प्रदान की जा रही है। आप जानते हैं कि वैकल्पिक कच्चे माल का प्रयोग करने के लिए कई वित्तीय रियायतें दी जा रही हैं। और कागज की छोटी मिलों के लिए हाल ही में उत्पाद शुल्क कम कर दिया गया है ।

श्री बी० वी० देसाई : माननीय मन्त्री ने बताया है कि खोई एक ऐसी वस्तु है जिसे कागज की मिलों के लिए लुगदी बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। क्या वे भविष्य में चीनी कारखानों को इस संशोधन के साथ लाइसेन्स जारी करने की सोच रहे हैं कि खोई को कागज की मिलों के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए, चाहे उन्होंने वे कारखाने खुद लगाए हों अथवा कुछ अन्य कागज मिलों के सहयोग के साथ लगाये हों, जो पहले से ही विद्यमान हों ? वास्तव में, विशिष्ट रूप से कहने को, केवल दो इकाइयां हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र में हैं। वास्तव में, मैं नहीं जानता कि नागा पेपर मिल सार्वजनिक क्षेत्र में क्यों है ; और यह एक बहुत ही बड़ी इकाई है जिसकी 33,000 टन की क्षमता है ; और उन्होंने केवल 3,100 टन की क्षमता से काम किया है अर्थात क्षमता का प्रयोग केवल 9.4% है। यह मिल क्यों पीछे रह रही है, जबकि कच्चा माल पर्याप्त रूप से उपलब्ध है क्योंकि जंगल पर्याप्त हैं ? क्या भविष्य में ऐसे लघु कागज संयंत्रों को लाइसेन्स जारी करने की योजना बनाई गई है, जिनकी क्षमता 10,000 टन से कम है ? यदि नहीं, तो क्या वे लघु कागज संयंत्रों को लाइसेन्स जारी करने के लिए रोक लगाने पर विचार कर रहे हैं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : हम कारखानों को कागज बनाने के लिए खोई का प्रयोग करने के लिए बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन इसमें दो समस्याएं हैं। उन्हें खोई के स्थान पर कोयले का प्रयोग करना होगा। इस कार्य हेतु कोयले की निश्चित पूर्ति होती रहनी चाहिए क्योंकि इस समय उन्हें खोई की निश्चित पूर्ति उपलब्ध है। दूसरे, उन्हें बायलरों का ढांचा भी बदलना होगा ताकि उनमें कोयला डाला जा सके। उसके लिए हम सुविधाएं दे रहे हैं और इसे हम बढ़ावा भी देने वाले हैं। यही कारण है, हमने एक उपबन्ध बनाया है जिसके अधीन ऐसे कागज को, जिसमें खोई का भार 75 प्रतिशत से कम नहीं है, उस पर लगने वाले पूर्ण उत्पाद शुल्क से मुक्त कर दिया है। नागालैंड मिल के बारे में बायलर, उचित कोयला, कुशल जनशक्ति का उपलब्ध न होना आदि की समस्या है। कुशल जनशक्ति के लिए हमने ये प्रोत्साहन दिए हैं कि जो व्यक्ति नागालैंड पल्प पेपर कम्पनी में भर्ती होगा, उसे एक स्तर ऊंचा वेतनमान दिया जाएगा। कोयले के बारे में समस्या कोयले को उस क्षेत्र तक ले जाने की है। हम इसके लिए रिंग गैस फायरड बायलर को लगाने की सम्भावना पर विचार कर रहे हैं। हम निश्चय ही वर्तमान बायलर की मरम्मत करवाने और उसमें सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं। अतः, इस बारे में हम यह सब उपाय कर रहे हैं। जहां तक कम क्षमता वाली मिलों की बात है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने यह कहा है कि 30 टन की दैनिक क्षमता से कम की इकाइयां आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं और हम इससे कम क्षमता की इकाइयों को बढ़ावा नहीं देंगे।

आचार्य भगवान देव : अध्यक्ष जी, कागज की कमी का प्रभाव पाठ्य पुस्तकों, नोट बुक्स और दैनिक पत्रों पर पड़ता है। मैं जानना चाहता हूं कि कागज बनाने वाली जो मिलें हैं, वे कितनी संख्या में खराब हालत में हैं और उनके संचालन के लिए आपने क्या योजनाएं बनाई हैं। किस-किस मिल का आवेदन पत्र आपके पास आया है। इसकी जानकारी देने की कृपा करें।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : 1983 में लगभग 7 बड़ी इकाइयों और 22 से 23 छोटी इकाइयों

को बन्द कर दिया था। जहां तक कागज के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किए गए उपायों की बात है, अब आधारभूत सहयोग दिया जा रहा है। मालगाड़ी के डिब्बों की पूर्ति को 170 डिब्बों से 250 डिब्बे प्रतिदिन तक बढ़ा दिया गया है। कच्चे माल के बारे में मैंने पहले ही उल्लेख कर दिया है। लिखे जाने वाले और छपने वाले कागज पर 425 रुपये मूल उत्पाद शुल्क कम कर दिया गया है। और जहां तक 50 प्रतिशत अथवा अधिक गैर-पारम्परिक कच्चे माल को प्रयोग करने की बात है, इस सम्बन्ध में भी रियायतें दी गई हैं। उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न वित्तीय उपाय किये गये हैं।

श्री बाबूराम परांजपे : तेन्दु पत्ते से बीड़ी बनती है। आमतौर पर मध्य प्रदेश और अन्य प्रदेशों में तेन्दु पत्ता बहुत बड़ी मात्रा में होता है। क्या इस प्रकार का कोई शोध कार्य हो रहा है कि इस पत्ते से कागज बन सकता है? मैं, एक क्राफ्ट पेपर की छोटी मिल चलाता रहा था। मैंने तेन्दु पत्ते पर शोध का प्रयास किया था और उसमें यश भी मिला था। मैं चाहूंगा कि मन्त्री जी बताएं कि क्या इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई शोध कार्य चल रहा है? अगर नहीं चल रहा है तो क्या चलाया जा सकता है क्योंकि तेन्दु पत्ता कागज बनाने के लिए इस देश में बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध हो सकता है?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मान्यवर, बगास और पुवाल के शोध की जानकारी मुझे है। तेन्दु पत्ते के बारे में जानकारी नहीं है। यह पता नहीं था कि शोध कार्य करने वालों को बीड़ी पीने वालों का सामना करना पड़ सकता है।

श्री रामविलास पासवान : इतने बढ़िया कामर्स मिनिस्टर को यू० पी० क्यों भेजा जा रहा है?...(**व्यवधान**)

केरल में रेल लाइनों का विद्युतीकरण

*439. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे की देश में रेल लाइनों के विद्युतीकरण की कोई दीर्घावधि योजना है;

(ख) रेल लाइनों के विद्युतीकरण के लिए क्या मानदण्ड अपनाए जाते हैं;

(ग) क्या केरल में रेल लाइनों का विद्युतीकरण नहीं किया गया है;

(घ) क्या केरल सरकार ने रेलवे से कम से कम कुछ संभागों में विद्युतीकरण किए जाने का अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) किसी खण्ड का विद्युतीकरण आरम्भ करने का मुख्य मानदण्ड परिचालन सम्बन्धी आवश्यकताएं और विभिन्न खण्डों की सापेक्ष प्राथमिकताएं होता है।

(ग) और (घ) इस समय केरल में किसी रेलवे लाइन का विद्युतीकरण नहीं किया गया है, परन्तु इसके लिए कुछ मांगें की जाती रही हैं।

(ङ) धन की कठिन स्थिति और सापेक्ष प्राथमिकताओं के कारण, फिलहाल केरल में किसी लाइन के विद्युतीकरण का कार्यक्रम नहीं है ।

प्रो० पी० जे० कुरियन : महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि क्या रेलवे की देश में रेल लाइनों के विद्युतीकरण की कोई दीर्घावधि योजना है। इसका उत्तर स्पष्ट रूप से नहीं में दिया गया है। इस पर मुझे तो मुश्किल से ही विश्वास होता है, परन्तु चूंकि मैं जानता हूं कि मन्त्री महोदय एक ईमानदार व्यक्ति हैं तो मैं उन पर अविश्वास नहीं कर सकता हूं। तथापि मैं···चाहूंगा···(**व्यवधान**)

एक माननीय सदस्य : महोदय, वह तो प्रमाण पत्र प्रदान कर रहे हैं।

प्रो० पी० जे० कुरियन : मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि वह रेल लाइनों के विद्युतीकरण की दीर्घावधि योजना क्यों नहीं बनाते हैं? राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति ने यह सिफारिश की है कि प्रति वर्ष 350 कि० मी० रेल लाइन का चरणबद्ध रूप में विद्युतीकरण किया जाना चाहिए। ऊर्जा संरक्षण की मन्त्रि मण्डलीय समिति ने भी यह सिफारिश की है कि विद्युतीकरण का कार्य शीघ्रता से किया जाना चाहिए और प्रति वर्ष सहस्रों कि० मी० रेल लाइन का विद्युतीकरण किया जाना चाहिए। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मन्त्री महोदय को इसका पता नहीं है? यदि डीजल इंजनों की बजाय बिजली के इंजनों का प्रयोग किया जाए तो परिचालन लागत में 15 से 20 प्रतिशत तक की कमी की जा सकती है। इस सब पर विचार करते हुए, ऐसी बात क्यों है कि वह रेल लाइनों के विद्युतीकरण की दीर्घावधि योजना क्यों नहीं बना रहे हैं? राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति और ऊर्जा संरक्षण की मन्त्रि मण्डलीय समिति की सिफारिशों पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : अध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता है कि माननीय सदस्य को इस विषय में अच्छी जानकारी है। यह सच है कि राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति ने 1980 के अपने प्रतिवेदन में यह सिफारिश की है कि अगले दस वर्षों में चरणवद्ध रूप से प्रति वर्ष कम से कम 350 कि० मी० लम्बी रेल लाइन का विद्युतीकरण होना चाहिए। और फिर, ऊर्जा संरक्षण सम्बन्धी मन्त्रि मण्डलीय समिति ने भी यह सिफारिश की थी कि 1984-85 से आगे प्रति वर्ष 1000 कि० मी० रेल लाइन का विद्युतीकरण होना चाहिए। रेल मन्त्रालय ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है और सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रति वर्ष 1,000 कि० मी० की दर से विद्युतीकरण करने का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु आवश्यक आधारभूत ढांचा खड़ा कर लिया है तथापि एक बहुत बड़ा 'यदि' है और वह है, यदि धन उपलब्ध है। यदि वास्तव में ही इसे लागू करना है तो, ऊर्जा सम्बन्धी मन्त्रि मण्डलीय समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए धन दिया जाना चाहिए। योजना संसाधन सीमा से उन सेक्शनों को प्राथमिकता प्रदान करना आवश्यक हो जाता है जिन पर यातायात का भारी दबाव रहता है जिससे कि कार्यचालक कम डीजल तेल की खपत में होने वाले व्यय में अधिकतम बचत को विद्युतीकरण के किए लगाया जाए। पहले हमने दिल्ली कलकत्ता मार्ग को प्राथमिकता प्रदान की है। अब हम दिल्ली-बम्बई और उसके बाद दिल्ली-मद्रास पर विचार कर रहे हैं। जब ये पूरे हो जायेंगे तो फिर हम अन्य मार्गों पर कार्य आरम्भ कर देंगे ।

शुरू में लाइनों के विद्युतीकरण पर भारी निवेश करना होता है, परन्तु कोयले या डीजल कर्षण की तुलना में इसके परिचालन पर खर्च कम होता है। उन मार्गों पर विद्युतीय कर्षण पर निवेश तभी लाभकारी सिद्ध होता है। जबकि यातायात अधिक होता है। यह अनुमान लगाया गया है कि प्रति मार्ग

किलोमीटर पर कुल 220 लाख टन की ढुलाई वाला मार्ग ही इस प्रकार के निवेश के योग्य हैं। आज भारतीय रेलों का विद्युतीय कर्षण के अधीन कुल 6,250 कि० मी० मार्ग है जो कि हमारे इस समय के कुल मार्ग का दस प्रतिशत है 1984-85 में 160 करोड़ रुपये की निवेश लागत है 1,000 कि० मी० का विद्युतीकरण करने के लिए हमें प्रति वर्ष 250 करोड़ रुपए की आवश्यकता पड़ेगी। यदि इतना धन हमें दे दिया जाता है तो हम निश्चित रूप से ही इस गति से निर्माण कार्य करने को तैयार हैं।

श्री पी० जे० कुरियन: मेरे प्रश्न का स्पष्ट उत्तर देने के लिए, मैं मन्त्री महोदय को धन्यवाद देता हूं। मैं विद्युतीकरण हेतु रेलवे का चयन करने में, प्रदान की जाने वाली प्राथमिकताओं के बारे में जानना चाहता था, परन्तु इसे स्पष्ट नहीं किया गया है।

एक माननीय सदस्य : मालदा।

श्री पी० जे० कुरियन : उन्होंने बताया है कि मुख्य अड़चन धन का अभाव है। उन्होंने पर्याप्त संकेत भी दिए हैं कि एक बार जब हम लाइन का विद्युतीकरण कर देते हैं तो हम उससे उस डीजल की बचत करते हैं जिसका हम आयात करते हैं। अतः मैं एक सुझाव देता हूं—प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं—कि इस मन्त्रालय को कुछ धन पेट्रोलियम मन्त्रालय से भी दिया जा सकता है, जिससे हम डीजल के आयात से कुछ विदेशी मुद्रा बचा सकते हैं। जहां तक मेरे दूसरे पूरक प्रश्न की बात हैं, उन्होंने विद्युतीकरण के लिए कुछ प्राथमिकताएं सही बताई हैं। परन्तु क्या वह इन प्राथमिकताओं का पालन कर रहे हैं? उन्होंने बताया है कि 6000 कि० मी० मार्ग का विद्युतीकरण तो पहले ही किया जा चुका है। उनकी सूचनार्थ मैं बता रहा हूं—मुझे पूरा विश्वास है कि वह पहले से ही जानते हैं—कि केरल में एक भी कि० मी० का विद्युतीकरण नहीं हुआ है। उत्तर में, उन्होंने बताया है "कि अभी केरल में लाइनों के विद्युतीकरण का कोई कार्यक्रम नहीं है।" रेलवे अधिकारियों को पता है कि त्रिवेन्द्रम—एरनीकुलम रेल लाइन पर यात्रियों और माल की ढुलाई अधिक है। आप इसकी जांच कर सकते हैं। और फिर त्रिवेन्द्रम-एर्णाकुलम सेक्शन पर आय भी सबसे अधिक होती है। महोदय, केरल सरकार बिजली भी सस्ती दर पर देने को तैयार है, क्योंकि हम जल-विद्युत पैदा करते हैं ताप-विद्युत नहीं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ऐसा क्यों है कि अपने केरल में एक किलोमीटर रेल लाइन का भी विद्युतीकरण नहीं किया है? यदि आपकी वर्तमान प्राथमिकताएं ऐसी हैं कि उसमें केरल को नहीं लिया गया है तो मैं आपसे कहूंगा कि आप कृपया अपनी प्राथमिकताओं को फिर से इस प्रकार निश्चित कीजिए जिससे केरल को भी उसमें शामिल किया जा सके।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : अध्यक्ष महोदय, एक मानदण्ड होता है। जैसा कि मैं कह चुका हूं, वह मानदण्ड है, यातायात की अधिकता। इसे हम चरणबद्धरूप में चलायेंगे, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। मैं यह नहीं कहता हूं कि हम केरल में विद्युतीकरण नहीं करेंगे और मेरा उत्तर यह नहीं है। परन्तु जो भी प्राथमिकताएं इस समय हमारे पास हैं, जो हमने निश्चित की हैं और जहां पर हम कार्य कर रहे हैं, उन सभी का मैंने उल्लेख कर दिया है। दिल्ली से कलकत्ता मार्ग पर कार्य पूरा हो चुका है। अब हम दिल्ली से बम्बई और दिल्ली से मद्रास मार्गों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार यह पूरा हो जाए तो फिर हम अन्य मार्गों पर भी कार्य आरम्भ कर देंगे। कारण यह है कि धन की उपलब्धता के अनुसार कार्य करना पड़ता है।

जहां तक इस तर्क की बात है क्या पेट्रोलियम मन्त्रालय से धन इधर लगाया जा सकता है तो

यह देखना तो योजना और वित्त मंत्रालयों का काम है। मैं तो माननीय सदस्य को केवल इतना आश्वासन दे सकता हूं कि मैं उनके इन सुझावों का ध्यान रखूंगा कि बिजली का खर्चा बहुत ही कम आएगा। परन्तु निवेश का प्रश्न तो है ही। अतः, हमें इस पर भी ध्यान देना होगा।

श्रीमती सुशीला गोपालन : महोदय, मंत्री महोदय ने कहा है कि केरल में विद्युतीकरण कार्यक्रम को लागू न करने का मुख्य कारण है संसाधनों की। परन्तु यह बात विद्युतीकरण के कार्यक्रम के साथ ही नहीं है, परन्तु और भी चल रही योजना के मामले में भी केरल के साथ भेदभाव किया गया है। मन्त्री महोदय ने कहा है कि उसने महा-प्रबन्धकों को बुला भेजा है और उनसे अन्य केन्द्रों में चल रही योजनाओं को पूरा करने के लिए कहा है, परन्तु केरल के मामले में तो वह चल रही योजनाओं तक में भेदभाव बरत रहे हैं। वह उन्हें चला नहीं रहे हैं। अतः मेरे विचार से यह बात विद्युतीकरण तक ही सीमित नहीं है, परन्तु केरल के साथ तो चालू योजनाओं के मामले में भी भेदभाव बरता जा रहा है।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं इस आरोप का खण्डन करता हूं। मुख्य कठिनाई तो धनाभाव है। हाल ही में, मैं केरल गया था और वहां के मुख्य मन्त्री महोदय से बातचीत करके यह निवेदन किया था कि अपनी प्राथमिकता—योजनाएं भेजिए। महोदय, प्रत्येक राज्य अधिक भूमि लेने, अधिक कार्यशालाएं खुलवाने और अधिक विद्युतीकरण कराने को उत्सुक है। यह तो स्वाभाविक है, परन्तु धनाभाव के कारण मैंने उनसे कोई न कोई प्राथमिकता देने के लिए कहा है।

श्री एम० सत्यनारायण राव : जहां तक दक्षिण का सम्बन्ध है, पहले मैं कहना चाहूंगा कि मुझे संकीर्ण विचार का व्यक्ति न समझा जाए। परन्तु महोदय, जहां तक नई रेलवे लाइनों के निर्माण और लाइनों के विद्युतीकरण का भी सम्बन्ध है, दक्षिण के साथ पहले ही अन्याय किया जा चुका है। आप जानते हैं कि त्रिवेन्द्रम और दिल्ली के बीच दूरी बहुत है। परन्तु दूरी को और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आप दिल्ली और त्रिवेन्द्रम तथा अन्य स्थानों के बीच तेज गति से चलने वाली गाड़ियां चालू करने के इच्छुक हैं तो मैं कहूंगा कि इस मार्ग के विद्युतीकरण का कार्य पूरा नहीं हुआ है। मेरी जानकारी यह है कि केवल आगरा तक और विजयवाड़ा तथा मद्रास से ही रेल लाइन का विद्युतीकरण किया गया है और शेष भाग पर नहीं हुआ है। यदि ऐसी स्थिति है तो मन्त्री महोदय ने इस सभा में यह वायदा किया है वह दिल्ली और बम्बई से त्रिवेन्द्रम तक तीव्र गति वाली एक्सप्रेस गाड़ियां चालू करने जा रहे हैं आदि। यदि धन ही नहीं है तो यह कैसे सम्भव हो सकता है? आपने तो लाइनों को दोहरा करने का कार्य भी पूरा नहीं किया है। इसीलिए दक्षिण से उत्तर में पहुंचने में इतना विलम्ब होता है। क्या वह लाइनों का विद्युतीकरण और उनको दोहरा करने के काम को पूरा करवायेंगे।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैंने लक्ष्य स्पष्ट कर दिया है। मैंने यह अभी नहीं कहा कि यह पूरा कर दिया गया है। मैं निवेदन करता हूं कि मुझे गलत न समझा जाए। मैंने यह कहा है कि हमारा वर्तमान लक्ष्य दिल्ली से बम्बई और दिल्ली से मद्रास तक का है। यदि यह कार्य पूरा हो जाता है तो हम अन्य सेक्शनों के विद्युतीकरण पर भी विचार करेंगे और धनाभाव एक मुख्य अड़चन है। मैंने माननीय सदस्य को व्यक्तिगत रूप से धनाभाव की मुख्य अड़चन के बारे में बता दिया है। यदि हमारे पास आवश्यक आधारभूत ढांचा हो तो, एक विशिष्ट क्षेत्र का विद्युतीकरण करने में क्या आपत्ति हो सकती है? यह मेरी समझ से बाहर है। (**व्यवधान**) मैंने तो केवल यह कहा था कि यदि आप 1,000 कि० मी० लाइन का विद्युतीकरण करना चाहते हैं तो, हमें प्रति वर्ष 250 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। इतना पैसा हमारे पास है नहीं।

टर्बाइन सैटों का आयात

*440. **श्री नरसिंह मकवाना** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात और महाराष्ट्र की सरकारों की वर्ष 1980 में 200 मेगावाट के टर्बाइन सैटों के आयात की अनुमति दिए जाने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि० से हरिद्वार यूनिट में सप्लाई आर्डरों की संख्या में कमी होने के बावजूद भी विदेशों से टर्बाइन सैटों के आयात की अनुमति दी गयी है ; और

(ग) पिछले वर्ष के दौरान भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स को कम आर्डर मिलने के क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) गुजरात तथा महाराष्ट्र की सरकारों को 1980 में 200 मेगावाट टर्बाइन सैटों के आयात की कोई अनुमति नहीं दी गई थी ।

(ख) देश में बिजली जनित्रण उपकरणों की अधिकांश मांग को स्वदेशी उत्पादन द्वारा पूरा किया जाता है । उपकरणों का आयात केवल विशिष्ट आधार पर ही किया जाता है ।

(ग) पिछले वर्ष में बी० एच० ई० एल० की सैटों के लिए प्राप्त क्रयादेशों की संख्या में कोई कमी नहीं आई है ।

श्री नरसिंह मकवाना : मन्त्री जी ने कहा है कि विशिष्ट आधार पर ही आयात किया जाता है, मैं जानना चाहता हूं कि इस आधार पर कितनी राशि का आयात उन्होंने किया है ?

वाणिज्य और उद्योग तथा पूर्ति विभाग मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : आयात साधारणतया नहीं किया जाता है सिवाय इसके कि वह जैनरेटिंग सैट्स जो कि बी० एच० ई० एल० नहीं बना रहा है या वर्ल्ड बैंक की जो स्कीम्स हैं, उनके तहत या फिर भारत सरकार और अन्य सरकारों के बीच बाइलेट्रल सम्बन्धों और व्यापार के सम्बन्धों में जो फाइनेन्शियल एसिस्टैंस है, उसके तहत आयात होता है ।

आपको जानकर खुशी होगी कि जहां तक बी० एच० ई० एल० का अंश, पूरे देश के अन्दर जो लगाई गई कैपेसिटी है, वह पिछले 5 साल के आंकड़े ये हैं : जितना कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हुआ है :—

> 1980-81 का 82 प्रतिशत, 1981-82 का 92.4 प्रतिशत, 1982-83 का 93.1 प्रतिशत, 1983-84 का 90.8 प्रतिशत और 1984-85 का करीब 86 प्रतिशत की आशा है ।

इसलिए जहां तक आयात का सवाल है, जब तक नितान्त आवश्यक नहीं हो जाता है, नहीं किया जाता है ।

श्री नरसिंह मकवाना : मैं जानना चाहता हूं कि बी० एच० ई० एल० के पास पिछले वर्ष के कितने आर्डर थे और हाल में कितने आर्डर रहे और आर्डर के होते हुए भी इक्विपमैंट बन्द होने की क्या वजह है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : 1982-83 में 2567.5 मेगावाट के आर्डर थे, 1984-85 में 2050 मेगावाट के आर्डर हैं और 1985-86 में 2980 मेगावाट के आर्डर हैं। इस तरह से ये आर्डर यहां पर हैं और जैसी आवश्यकता होगी और करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

वैस्पा एक्स-ई स्कूटर

*441. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स लोहिया मशीन्स ए० ओ० कानपुर द्वारा वेस्पा एक्स-ई० स्कूटरों का निर्माण कब आरम्भ किया गया था;

(ख) प्रत्येक स्कूटर में आयातित तथा देश में निर्मित कलपुर्जों के मूल्य का अलग-अलग प्रतिशत क्या है;

(ग) इस कम्पनी को स्कूटरों के आवंटन के लिए बुकिंग के रूप में अब तक कुल कितनी अग्रिम राशि प्राप्त हुई; और

(घ) क्या कुछ धनराशि वापिस लौटा दी गई हैं और यदि हां; तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

वणिज्य, उद्योग तथा पूर्ति विभाग मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) मैं० लोहिया मशीन्स लिमिटेड ने स्कूटरों का उत्पादन 4 नवम्बर, 1983 से आरम्भ किया था।

(ख) स्वीकृत चरणबद्ध उत्पादन कार्यक्रम की शर्तों के अनुसार, आयातित अंश प्रथम वर्ष में 40 प्रतिशत होगा जो धीरे-धीरे कम होकर पांचवे वर्ष में 10 प्रतिशत रह जायेगा।

(ग) तथा (घ) कम्पनी ने बताया है कि इसको प्राप्त लगभग 115 करोड़ रुपए की जमा धन-राशि में से लगभग 4.5 करोड़ रुपए वापिस कर दिए गए हैं।

मेडिकल शिक्षा में सुधार करने और उसे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपयोगी बनाने सम्बन्धी कार्यवाही

*442. **श्री हरिहर सोरन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मेडिकल शिक्षा के स्तर में सुधार करने और उसे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपयोगी बनाने पर बहुत बल दिया है,

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए छठी योजना में कितनी वित्तीय व्यवस्था की गई है ;

(ग) उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न मेडिकल कालेजों को नए उपकरण प्राप्त करने के लिए कितनी सहायता दी गई है ;

(घ) केन्द्र द्वारा उड़ीसा में तीन मेडिकल कालेजों में विभिन्न रोगों के विशेषज्ञों की नियुक्ति के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को क्या मार्ग निर्देश दिए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री वी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख) 1770 लाख रुपए।

(ग) चिकित्सा शिक्षा अनुकूलन योजना के अंतर्गत सर्जिकल उपकरण खरीदने के लिए 106 मेडिकल कालेजों को 60,000 रुपए प्रति कालेज के हिसाब से सहायता दी गई है। इसके अतिरिक्त तीन कालेजों को, जो अविच्छिन्न चिकित्सा शिक्षा केन्द्रों के रूप में काम कर रहे हैं, अनावर्ती अनुदान के रूप में 2 लाख रुपए की रकम दी गई।

(घ) और (ङ) राज्यों के प्रबन्ध में चल रहे मेडिकल कालेजों विशेषज्ञों तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति से केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध नहीं है।

चेतक एक्सप्रेस में प्रथम श्रेणी के डिब्बे

*443. **श्री भीखा भाई** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चेतक एक्सप्रेस ही एक मात्र ऐसी गाड़ी है जो उदयपुर और दिल्ली के बीच के विभिन्न धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के स्टेशनों पर रुकती है ;

(ख) क्या चेतक एक्सप्रेस के साथ प्रथम श्रेणी का जो डिब्बा पहले जोड़ा जाता था, उसे अब जोड़ना बन्द कर दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार यात्रा सम्बन्धी सुविधाएं बढ़ाने के लिए, चेतक एक्सप्रेस में प्रथम श्रेणी के डिब्बे अथवा टू-टीयर (दो शायिकाओं) वाले वातानुकूलित डिब्बे लगाने का है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी नहीं। चेतक एक्सप्रेस के अलावा बहुत सी अन्य गाड़ियां भी इस मार्ग के धार्मिक तथा ऐतिहासिक महत्व के स्टशनों पर ठहरती हैं।

(ख) जी नहीं। पहले दर्जे की दो बोगियां निरन्तर चेतक एक्सप्रेस में चलायी जाती हैं। जनाता की मांग पर खण्डवा और दिल्ली के बीच चल रहे पहले दर्जे के एक स्लिप कोच के बदले में दूसरे दर्जे का एक शयन-यान लगा दिया गया है।

(ग) चूंकि पहले दर्ज़े के पर्याप्त यात्री डिब्बों की संख्या पहले से ही इस गाड़ी में मौजूद है और कोई वातानुकूलित 2 टियर सवारी डिब्बा नहीं है, इसलिए इस प्रकार के अतिरिक्त सवारी डिब्बों की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

देश के उत्तर और पूर्वी क्षेत्रों को जोड़ने के लिए ट्रंक रूट

*444. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने देश के उत्तर और पूर्वी क्षेत्रों को जोड़ने के लिए एक वैकल्पिक ट्रंक रूट बनाने का निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो यह उत्तरी ट्रंक रूट दिल्ली और कलकत्ता तथा कलकत्ता-दिल्ली और कलकत्ता अमृतसर/देहरादून और देहरादून/अमृतसर-कलकत्ता के बीच वर्तमान ग्रांड कोर्ड तथा मुख्य लाइन संपर्क लाइनों से किस प्रकार भिन्न होगा ; और

(ग) वित्तीय और प्रचालन की दृष्टि से इसके क्या लाभ हैं और वर्तमान लाइनों की तुलना में नए ट्रंक रूट पर गाड़ियों के चलने के समय में कितनी बचत होगी ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) देश के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों के बीच एक वैकल्पिक ट्रंक मार्ग का गठन करने के लिए कोई विशिष्ट विनिश्चय किया जाना अब जरूरी नहीं है।

पूर्वोत्तर रेलवे के समस्तीपुर-बाराबंकी खंड का मीटर लाइन से बड़ी लाइन में आमान-परिवर्तन किए जाने के साथ ही, उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों के बीच वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध हो गया है। बरौनी से कटिहार तक की मीटर लाइन का बड़ी लाइन का बड़ी लाइन में बदलाव होते ही इसमें और अधिक वृद्धि हो जायेगी और उसके बाद गोरखपुर, बरौनी, कटिहार, मालदा, कुमेदपुर के रास्ते लखनऊ से हावड़ा/गुवाहाटी के लिए एक थ्रू बड़ी लाइन मार्ग उपलब्ध हो जायेगी।

इसके अलावा, इस आमान-परिवर्तन मार्ग का पूरा-पूरा लाभ प्राप्त करने के लिए, इस क्षेत्र में अन्य विभिन्न आनुषंगिक कार्यों के लिए भी तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता की जांच पड़ताल के लिए रेलवे बोर्ड ने व्यापक सर्वेक्षण आरम्भ करने का विनिश्चय किया है।

(ग) ग्रांड कार्ड मार्ग अथवा मुख्य लाइन पर दुर्घटना या मुगलसराय में जमघट, बाढ़ से हुए विनाश आदि, जिनके कारण वर्तमान ग्रांड कार्ड या मुख्य लाइनें प्रभावित होती हैं, के मामले में पूर्वी क्षेत्रों से उत्तरी या पश्चिमी क्षेत्रों को गाड़ियों का मार्ग-परिवर्तन करने के लिए नया विकल्प लखनऊ से कटिहार तक की बड़ी लाइन और उसके बाद गुवाहाटी या हवड़ा के लिए बहुत ही सुविधाजनक रहेगा। बहरहाल, तुलनात्मक रूप से ग्रांड कार्ड और मुख्य लाइन मार्ग के विद्युतीकृत खंडों आदि सहित-बहुत अधिक विकसित होने के कारण समय की बचत के लिहाज से इसमें कोई महत्वपूर्ण वित्तीय बचत नहीं होगी। लेकिन, दक्षिणी किनारे के मार्गों पर जमघट होने में कुछ हद तक राहत मिलेगी और इस प्रकार परिचालन में सहायता मिलेगी।

प्रतिबंधित औषधि "फेनासिटिन" का विवरण

*445. **प्रो० मधु दण्डवते :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के औषधि नियंत्रक ने दिनांक 24 अप्रैल, 1982 को "फैनासिटिन" औषधि और इसका अन्य औषधियों में मिक्षण पर 31 मार्च, 1983 से रोक लगाने का एक आदेश जारी किया था और इस प्रकार "वेगानिन" गोलियों और इसी प्रकार के अन्य मिश्रणों को बंद कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि अवधि नियंत्रक के इस आदेश के बावजूद वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सर्विसेज हैल्थ सेन्टर के भंडार से इसके औषद्यालयों को 18 अप्रैल, 1984 को मरीजों में वितरण के लिए "वैगानिन" की गोलियां जारी की गई थी ;

(ग) यदि हां, तो औषधि नियंत्रक के आदेशों का उल्लंघन क्यों किया गया ;

(घ) क्या इस घटना की जांच कराई गई ; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख) जी हां, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सर्विस हैल्थ सेन्टर/यूनिवर्सिटी आव दिल्ली से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ल्ड यूनिवर्सिटी हैल्थ सेन्टर स्टोर से 18 अप्रैल, 1984 को फैनासिडिनयुक्त बेगानिन गोलियों का थोड़ा सा स्टाक इस औषधालय को दिया गया था। लेकिन, पहली अगस्त, 1984 को बेगानिन गोलियों का शेष स्टाक रद्द कर दिया गया था। इस समय इस स्वास्थ्य केन्द्र में बेगानिन गोलियों का कोई स्टाक नहीं है।

(ग) से (ङ) केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना से कुछ औषधियों तथा औषध योगों के निर्माण और बिक्री पर रोक लगा दी गई है। औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के उपबन्धों के अंतर्गत वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सर्विस हैल्थ सेंटर न तो औषध-निर्माता है और ना ही औषध विक्रेता है।

शोलापुर और पुणे के बीच नई मेल-एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाना

*446. **श्री भऊा साहिब थोरट :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को शोलापुर और पुणे के बीच नई मेल/एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाने के लिए कोई अभ्यावेदन मिला है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस रेल गाड़ी को चलाने का है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं। शोलापुर और पुणे के बीच पर्याप्त गाड़ी सेवाएं उपलब्ध हैं, इसलिए इन दो स्थानों के बीच एक अन्य एक्सप्रेस गाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विश्वविद्यालय परीक्षाओं में अनियमितताएं

*447. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में विभिन्न विश्वविद्यालयों और शिक्षा बोर्डों की परीक्षाओं में अनियमितताओं में प्रतिवर्ष वृद्धि होने के समाचार मिले हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार शिक्षाविदों से परामर्श करके अखिल भारतीय स्तर पर इन अनियमितताओं को रोकने तथा परीक्षा प्रक्रिया में सुधार करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों की राज्यमन्त्री (श्रीमती शीला कौल): (क) देश के विभिन्न भागों में विश्वविद्यालयों और स्कूल बोर्डों द्वारा संचालित परीक्षाओं के बारे में कदाचारों तथा अनियमितताओं के सम्बन्ध में समय-समय पर रिपोर्ट हुई हैं।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, शिक्षण एवं परीक्षा पद्धति में सुधार के लिए 1974 से कुछ विशिष्ट उपाय सुझाता रहा है। जनवरी, 1983 में आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों को यह सलाह दी थी कि प्रत्येक विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा सुधारों का कुछ न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वित किया जाना चाहिए। इसमें पाठ्यचर्या को इकाइयों में विभाजित करना, पाठ्यचर्या की प्रत्येक इकाई से प्रश्न पत्र तैयार करना, प्रश्नों के उत्तर देने में विकल्प कम करना, और परीक्षाओं के संचालन के लिए और अधिक प्रभावी प्रबन्ध करना शामिल है।

स्कूल स्तर पर, इस वर्ष के आरम्भ में शिक्षा मंत्रालय ने, प्रश्न पत्र तैयार करने, उनके मुद्रण तथा वितरण, परीक्षाओं के संचालन के लिए प्रबन्ध, उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन, परिणामों के संकलन आदि के सम्बन्ध में किए जाने वाले उपायों के बारे में सभी राज्य सरकारों को विस्तृत मार्गदर्शी रूप रेखाएं परिचालित की थी।

नई दिल्ली और हावड़ा के बीच एक जनता सुपर फास्ट गाड़ी चलाना

*448. **श्री गोलम याजदानी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नई दिल्ली से हावड़ा और हावड़ा से नई दिल्ली के बीच सप्ताह में तीन दिन, जब अप और डाउन राजधानी एक्सप्रैस नहीं चलती, एक जनता सुपर फास्ट (वातानुकूलित कार/3 टीयर) गाड़ी चलाने का है ;

(ख) यदि हां, तो किस तारीख से ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं, जबकि इस प्रकार की गाड़ी की भारी मांग है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) रेलें वातानुकूलित 3-टियर सवारी डिब्बों का निर्माण नहीं कर रही हैं। मौजूदा वित्तीय कठिनाई के कारण इस प्रकार की कोई गाड़ी चलाना व्यावहारिक नहीं है।

पिछड़े क्षेत्रों के उद्योगीकरण में अड़चनें

*449. **प्रो० अजित कुमार मेहता** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में पिछड़े क्षेत्रों के उद्योगीकरण में आने वाली अड़चनों के सम्बन्ध में कोई अनुमान लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) पिछड़े क्षेत्रों का तेजी से उद्योगीकरण करने हेतु इन कठिनाइयों को हल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य, उद्योग तथा पूर्ति विभाग मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) पिछड़े क्षेत्रों के विकास की प्रमुख अड़चनों, का कारण अवस्थापना, उद्यमियता को कमी, बाजार से दूरी, कच्चे माल, और कुशल श्रमिकों आदि की अनुपलब्धता होना रहा है।

पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने विभिन्न आर्थिक प्रोत्साहन, तकनीकी, सहायता और वित्तीय रियायतें प्रदान की हैं।

दुबई की एक फर्म के सहयोग से एक कम्पनी चालू करने हेतु महाराष्ट्र सरकार द्वारा अनुमति मांगना

*450. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने दुबई की एक फर्म के सहयोग से बम्बई वेस्ट आइलैंड फ्रीवेप्रोजेक्ट का निर्माण करने हेतु एक कम्पनी आरम्भ करने के लिए धन जुटाने हेतु केन्द्रीय सरकार से अनुमति मांगी है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री के० विजय भास्कर रेड्डी) : (क) और (ख) इस समय महाराष्ट्र सरकार ने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है, किन्तु उन्होंने दुबई ट्रांसपोर्ट कम्पनी प्राइवेट लि० की शेयर पूंजी के साथ बम्बई में एक संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए नवम्बर, 1981 में भारत सरकार से अनुमोदन मांगी। तथापि इस पर सहमति हुई और राज्य सरकार ने इस संयुक्त उद्यम के बारे में लिखा-पढ़ी नहीं की।

सीमेंट की आवश्यकता, उत्पादन और आयात

*451. **श्री सुधीर गिरि :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984 में देश में कुल कितनी मात्रा में सीमेंट की आवश्यकता है ;

(ख) देश में वर्ष 1984 के दौरान कुल कितनी मात्रा में सीमेंट का उत्पादन होने का अनुमान लगाया गया है ;

(ग) वर्ष 1984 में सीमेंट की संभावित आवश्यकता और उत्पादन के बीच यदि कोई अन्तर है तो वह कुल कितना है ;

(घ) क्या वर्ष 1984 में सीमेंट का आयात करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो किन-किन देशों से इसका आयात किया जाएगा ?

वाणिज्य, उद्योग तथा पूर्ति विभाग मंत्री (श्री विश्व नाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) जैसा कि छठी पंचवर्षीय योजना के प्रलेख में परिकल्पना की गई है सीमेंट की अनुमानित मांग 370 लाख मी०टन होगी और इसकी तुलना में देशी उत्पादन 1984-85 में 325 लाख मी. टन होने की संभावना है जिससे 45 लाख मी० टन की कमी रह जाएगी।

(घ) 1984-85 के दौरान सीमेंट आयात करने के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अध्यापकों की अध्येता वृत्ति मंजूर करने में विलम्ब

*452. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या **शिक्षा और संस्कृति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सम्बन्धित विश्वविद्यालयों द्वारा सिफारिश किए जाने के बावजूद भी अध्यापकों की अध्येता वृत्ति मंजूर करने में अत्यधिक विलम्ब करने सम्बन्धी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के मामलों में सरकार द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को क्या विशेष मार्ग निर्देश दिए गए हैं ;

(ग) वर्ष 1983-84 में उड़ीसा राज्य विशेष रूप से उत्कल विश्वविद्यालय के इस प्रकार के बकाया मामलों की संख्या कितनी थी ; और

(घ) तत्काल मंजूरी देने के लिए क्या विशिष्ट कार्यवाही की गई है और उसके क्या परिणाम निकले ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा छठी योजना के दौरान कालेजों को अध्यापक अधि छात्रवृत्तियां उन्हें विकास सहायता के एक भाग के रूप में संस्वीकृति की जाती हैं। जिन कालेजों को वि० अनु० आ० अधिनियम की धारा 2(च) के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है और जिन्हें सहायता प्राप्त करने के लिए, जहां आवश्यक हो, पात्र घोषित किया गया है, तथा जो विकास अनुदानों के लिए पात्रता की शर्तें भी पूरी करते हैं, उन्हें ये अधिछात्रवृत्तियां संस्वीकृत की जाती हैं। आयोग के अनुसार इन अधि-छात्रवृत्तियों को संस्वीकृत करने में अनावश्यक देरी के कोई मामला नहीं हुए हैं, बशर्ते कि उपरोक्त सभी अपेक्षाएं पूरी की गई हों।

(ग) आयोग के अनुसार, इस समय उड़ीसा का ऐसा कोई प्रस्ताव अनिर्णीत नहीं पड़ा है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

रक्त की बिक्री

*453. **श्री के० मालन्ना : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा देश में रक्त बैंकों के माध्यम से मानवीय रक्त की बिक्री की अनुमति दी गई है,

(ख) यदि हां, तो क्या बेचे गए रक्त की शुद्धता बनाए रखने के लिए कोई मार्ग निर्देश निर्धारित किए गए हैं और इस पर क्या नियंत्रण है ; और

(ग) क्या रक्त दाताओं को अदा की जाने वाली राशि और रोगियों से वसूल की जाने वाली रकम पर कोई प्रतिबन्ध है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) ब्लड बैंकों का संचालन औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम और नियमों द्वारा विनियमित किया जाता है। सभी ब्लड बैंकों को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली के फार्म 28 में एक लाइसेंस लेना होता है जिसके अन्तर्गत उन्हें भारतीय भेषज संहिता में यथानिर्धारित रक्त की जांच करनी होती है और उसकी क्वालिटी को बनाए रखना होता है।

(ग) जी, नहीं। सरकार ब्लड बैंकिंग क्षेत्र में तिजारत प्रोत्साहित करने के पक्ष में नहीं है।

कागज बनाने वाले नए एककों की स्थापना

*454. **श्री राम विलास पासवान :**

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन ने देश में टर्न की आधार पर कागज बनाने वाले नए कारखानों की स्थापना करने के लिए कोई योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो 1984-85 और 1985-86 के दौरान किस-किस स्थान पर ऐसी मिलें स्थापित की जायेंगी ;

(ग) खरीद के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है ; और

(घ) प्रत्येक मिल की उत्पादन क्षमता कितनी है ?

वाणिज्य, उद्योग तथा पूर्ति विभाग मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन ने अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा बिहार में कागज/अखबारी कागज की मिलें स्थापित करने हेतु योजनाएं तैयार कर ली हैं। किन्तु सातवीं योजना से पूर्व इन परियोजनाओं के आरम्भ होने की संभावना नहीं है।

(ग) परियोजनाओं के विषय में निवेश सम्बन्धी निर्णय अभी नहीं किया गया है।

(घ) परियोजनाओं के लिए परिकल्पित अधिष्ठापित क्षमता निम्नलिखित है :—

परियोजना का नाम	अधिष्ठापित क्षमता (मी० टन/वर्ष)
अरुणाचल प्रदेश	33,000
उत्तर प्रदेश	80,000
बिहार	80,000

पश्चिम एशियाई खाड़ी देशों के युद्ध-क्षेत्र में तैनात भारतीय प्रांतों को प्रभावशाली सुरक्षा प्रदान करना

*455. **श्रीमती संयोगिता राणे** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम एशियाई खाड़ी देशों में तैनात हमारे पोतों की सुरक्षा के लिए किए गए वर्तमान उपायों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या युद्ध क्षेत्र में हमारे पोतों के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करने और उन्हें प्रभावशाली सुरक्षा प्रदान करने के विशेष उपाय विचाराधीन हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री के० विजय भास्कर रेड्डी) : (क) ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे पश्चिम एशिया के खाड़ी क्षेत्र में लगे जहाजों की रक्षा की जा सके।

(ख) और (ग) जो भारतीय जहाज पश्चिम एशिया की खाड़ी जाते हैं, उनसे यह आशा की जाती है कि वे भारतीय पत्तनों से प्रस्थान करने से पहले जहाज की सुरक्षा के बारे में जानकारी प्राप्त

करने के लिए नौवहन अधिकारी के नौसेना नियंत्रण कक्ष से सम्पर्क करें। नौवहन महानिदेशक समय-समय पर भारतीय जहाजों को यह सलाह देते हुए नौचालन चेतावनी जारी करते हैं कि वे ईरान और इराक दोनों सनकारों द्वारा घोषित युद्ध क्षेत्र से दूर रहें। इनको जिस तटवर्ती राज्य के समुद्री क्षेत्र से जहाज गुजर रहे होते हैं, उनके द्वारा भेजी गई नौचालन चेतावनी के साथ पढ़ा जाना होता है।

केन्द्र सरकार/सरकारी उपक्रमों में विकलांग व्यक्तियों के लिए नौकरियों में आरक्षण

*456. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों और सरकारी उपक्रमों में विकलांग व्यक्तियों के लिए नौकरियों में आरक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कितना, और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार सरकारी कार्यालयों और सरकारी उपक्रमों में विकलांगों के लिए नौकरियों की विभिन्न श्रेणियों में उसी तरह रोजगार-आरक्षण करने का है जिस तरह कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुन्गन) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय सरकार के समूह "ग" और "घ" पदों में तथा केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों के समान पदों में 3 प्रतिशत का आरक्षण किया हुआ है, प्रत्येक नेत्रहीन, बधिर तथा विकलांग व्यक्तियों के लिए 1 प्रतिशत पद आरक्षित हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

स्टेशन अधीक्षक, झांसी डिवीजन के पद का दर्जा बढ़ाया जाना

4344. **श्री दिगम्बर सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य रेलवे के झांसी डिवीजन में वेतनमानों का पुनर्निर्धारण करने की दृष्टि से वर्ष 1983-84 और 1984 (30 जून 1984 तक) जिन स्टेशनों के स्टेशन अधीक्षकों का ग्रेड 700-900 रु० से बढ़ाकर 840-1040 रु० किया गया है उनका ब्यौरा क्या है ;

(ख) झांसी डिवीजन में बेहतर प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए यदि किसी स्टेशन पर एक स्टेशन अधीक्षक की सेवा अवधि निर्धारित की गई है तो वह कितना है ; और

(ग) क्या यह सच है कि एक स्टेशन पर 3-4 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत कुछ स्टेशन अधीक्षकों के पहले तो स्थानान्तरण आदेश जारी कर दिए गए थे परन्तु बाद में उनके एंवजी के द्वारा कार्यभार संभालने के लिए रिपोर्ट करने के बावजूद उनके स्थानान्तरण आदेश रद्द कर दिए गए और यदि हां, तो वास्तविक तथ्य क्या हैं और आदेश रद्द करने और अधिक आय वाले कुछ स्टेशनों पर उनकी तैनाती जारी रखने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

सरकारी अस्पतालों द्वारा इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटीकल्स लिमिटेड के बजाय गैर-सरकारी क्षेत्र से औषधियों और उपकरणों की खरीद

4345. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी और केन्द्र सरकार के अधीन अर्धसरकारी अस्पताल इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटीकल्स लिमिटेड द्वारा बनायी गयी औषधियों और शल्य चिकित्सा उपकरणों का प्रयोग करने के बजाय गैर-सरकारी क्षेत्र के कारखानों से उनकी खरीद कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटीकल्स लिमिटेड की औषधियां न खरीने के क्या कारण हैं और सरकार ने इस सम्बन्ध में उपचारात्मक कार्यवाही की है ; और

(ग) इस प्रकार के अस्पतालों द्वारा इस समय इण्डियन ड्रग्स फार्मास्युटीकल्स लिमिटेड से कितने प्रतिशत औषधियां खरीदी जाती हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) से (ग) आई०डी० पी० एल० और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की औषध और फार्मास्युटिकल कम्पनियों द्वारा निर्मित दवाओं और सर्जीकल यंत्रों को, जो लघु उद्योग क्षेत्र में न बने हों, केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों द्वारा तरजीह के आधार पर खरीदा जाता है।

आंध्र में ट्यूबवैलों की स्थापना

4346. **श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983 में दक्षिण-पूर्व रेलवे में आंध्र में कितने ट्यूबवैल स्थापित किए गए हैं और प्रत्येक ट्यूबवैल की दर क्या है और इनमें कुल कितनी राशि लगी है ; और

(ख) राज्य प्राधिकरण से दरों की पुष्टि कराने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) 1983 में भारी सूखे की स्थिति से निपटने के लिए 50 अदद हस्त-चालित और 3 अदद विद्युत-चालित ट्यूब वैल लगाए गए थे। रिंग ड्रिल्स हस्त चालित ट्यूबवैलों के लिए स्वीकार की गई निम्नतम दर 13634/-रुपये से लेकर 14795 रु० प्रत्येक ट्यूबवैल तक अलग-अलग थी और 3 अदद विद्युत चालित ट्यूब वैलों की दर 1,00,950 रु० प्रति ट्यूबवैल थी। 53 ट्यूब वैल खोदने में कुल 10,19,380 रु० व्यय किए गए थे। इन ट्यूब वैलों के खोदने के बारे में दी गयी निम्नतम दरों की तुलना, इसी प्रकार के कार्यों के लिए विगत में स्वीकृत की गई, दरों से की गई थी और इन्हें कम पाया गया था। ऐसे कार्यों के लिए खुली/सीमित निविदाओं की प्रक्रिया एक संस्थापित प्रथा के अनुसार है और इसलिए दरों का सत्यापन राज्य सरकारों से नहीं कराया गया।

पी० डब्लू० आई० हजारी बाग रोड (पूर्वी रेलवे) के अंतर्गत गैंगमैनों की मजूरी में कटौती

4347. **श्री ए० के० राय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहायक श्रम आयुक्त(सी)/हजारीबाग ने अपने दिनांक 4 जुलाई, 1983 के अर्धशासकीय पत्र संख्या 14(31)83 के माध्यम से पूर्वी रेलवे धनबाद के मंडलीय प्रबन्धक को यह लिखा है कि वह पी० डब्लू० आई० हजारी बाग रोड के अंतर्गत सरमातन्द में कार्यरत गैंग मैंनों की मजूरी से अवैध कटौती करने के लिए उत्तरदायी पाय गए संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध यदि उन्होंने एक सप्ताह के भीतर संबंधित गैंग मैंनों को काटी गई मजूरी की धनराशि नहीं लौटायी, तो कानूनी कार्यवाही करने के लिए मजबूर होंगे ;

(ख) क्या उपरोक्त सहायक श्रम आयुक्त (सी) ने इस बात का उल्लेख किया है कि ये गैंग मैन जमीन से तीन फुट ऊंचे तिरपाल के टेंटों में रह रहे हैं और उन्हें अत्यधिक असुविधाएं हो रही हैं इसलिए उन्होंने सशस्त्र सेनाओं द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कपड़े के टेंटों की व्यवस्था का सुझाव दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार अवैध ढ़ंग से की गयी कटौती की राशि का गैंगमैंनों को भुगतान करने और आवास के लिए समुचित टेंटों की व्यवस्था करने हेतु क्या कार्यवाही की गयी है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां । बहरहाल यह स्वीकार्य नहीं है कि ये तम्बू अनुपयुक्त हैं।

(ग) कुछ गैंगमैंनों को काटी गयी मजूरी का भुगतान कर दिया गया है और अन्य गैंगमैनों को भुगतान किया जा रहा है।

उन्हें सप्लाई किये गये तम्बुओं की किस्म अच्छी है और वे आवास के लिए उपयुक्त हैं तथा रेलवे पद्धति के अनुरूप हैं। सशस्त्र सेनाओं वाले मानक को अपनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

रेलवे क्वार्टरों में पंखों, दरवाजों, खिड़कियों और बिजली के तारों को बदलना

4348. **श्री ई० बालानन्दन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के सभी विभागों की आस्तियों को बदलने के लिए उनके टिकाऊपन की सामान्य अवधि निर्धारित होती है ;

(ख) यदि हां, तो रेलवे क्वाटरों में लगाये गये छत के पंखों, दरवाजों, खिड़कियों और बिजली के तारों के टिकाऊपन की सामान्य अवधि कितनी है ;

(ग) क्या सरकार का विचार रेलवे क्वाटरों के जिन छत के पंखों, दरवाजों, खिड़कियों और बिजली के तारों के टिकाऊपन की निर्धारित अवधि समाप्त हो चुकी है उनके बदलने का है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या रेलवे बोर्ड ने इन्हें बदलने के लिए कोई आदेश जारी किए हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी हां, विभिन्न श्रेणी की रेल परिसम्पत्तियों की सामान्य आयु निर्धारित की गयी है।

(ख) पंखों की कोडल आयु 20 वर्ष तथा इलेक्ट्रिक वायरिंग की कोडल आयु 10 वर्ष निर्धारित की गयी है। रेलवे क्वार्टरों में लगे दरवाजों तथा खिड़कियों की आयु निर्धारित नहीं की गयी है।

(ग) पुराने तथा बेकार पंखों, इलेक्ट्रिक वायरिंग, दरवाजों और खिड़कियों का बदलाव एक सतत प्रक्रिया है और ऐसा हालत के आधार पर चरणबद्ध ढंग से किया जाता है विशेषकर धन की वर्तमान तंगी के कारण।

(घ) रेलवे बोर्ड को आदेश जारी करने की कोई आवश्कता नहीं है क्योंकि विभिन्न स्तरों पर स्थानीय रेल कर्मचारी तथा अधिकारी रेलवे बोर्ड से पत्र-व्यवहार किये बिना अपने स्तर पर इनका बदलाव करने के संबंध में कार्रवाई करने के लिए पूर्णरूप से सक्षम और समर्थ हैं।

कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर की उत्पादन क्षमता

4349. **श्री मोहम्मद इस्माइल** : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृत्रिम अंग निर्माण निगम कानपुर की मई, जून और जुलाई, 1983 के दौरान उत्पादन क्षमता कितनी थी ;

(ख) क्या यह सच है कि अगस्त, 1983 से दिसम्बर, 1983 की अवधि के दौरान लाखों रुपए समयोपरि भत्ते के रूप में देने के बाद भी उत्पादन क्षमता नहीं बढ़ सकी ; और

(ग) उक्त निगम की वर्तमान उत्पादन क्षमता कितनी है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी०के० थुंगन) : (क) मई, जून और जुलाई, 1983 के दौरान हुआ उत्पादन नीचे दर्शाया गया है :—

	(रुपए लाख में)
मई, 1983	7.19
जून, 1983	8.79
जुलाई, 1983	10.13

(ख) अगस्त, 1983 से दिसम्बर, 1983 के दौरान हुआ उत्पादन और उत्पादन विभाग को उसी अवधि के दौरान दिया गया समयोपरि भत्ता नीचे दर्शाया गया है :—

मास	उत्पादन रुपए लाखों में	उत्पादन विभाग को दिया गया समयोपरि भत्ता
अगस्त, 1983	10.12	33,306.85 रुपए
सितम्बर, 1983	11.03	41,346.11 ,,
अक्तूबर, 1983	8.16	—
नवम्बर, 1983	7.51	—
दिसम्बर, 1983	6.90	—

सितम्बर, 1983 के पश्चात समयोपरि भत्ते का कोई भुगतान नहीं किया गया।

(ग) मई से जुलाई, 1984 के दौरान उत्पादन निम्न प्रकार था :—

मास	रुपए लाखों में
अप्रैल, 1984	2.13
मई, 1984	4.26
जून, 1984	2.40
जुलाई, 1984	3.02

सरकारी उपक्रमों में कम उत्पादन होगा

4350. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक विकास विभाग के अधीन उन 13 इकाइयों के विवरण क्या हैं, जिनमें केवल 76.77 प्रतिशत उत्पादन हो रहा है, जबकि वर्ष 1983-84 के लिए 85 प्रतिशत उत्पादन का लक्ष्य था ;

(ख) उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या मई, 1984 में यह घट कर 73.02 प्रतिशत रह गया था ; और

(घ) उत्पादन में कमी की इस प्रवृत्ति की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य, उद्योग तथा पूर्ति विभाग मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) और (ख) औद्योगिक विकास विभाग के अधीन सरकारी उत्पादनकारी उद्यमों की एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है। उत्पादनकारी 13 उद्यमों में से 12 उद्यमों द्वारा वर्ष 1983-84 के दौरान 50329.00 लाख रु०

मूल्य का संचित उत्पादन किया गया था जो 53954.03 लाख रु० के लक्ष्य का 93.28% था। शेष उपक्रम अर्थात् हिन्दुस्तान साल्ट्स लि० ने उत्पादन वर्ष 1983-84 अभी पूरा नहीं किया है क्योंकि इसका लेखा वर्ष अक्तूबर से सितम्बर तक होता है।

(ग) जी, हां। किन्तु चालू वर्ष 1984-85 के पहले दो महीनों में 6947.34 लाख रु० मूल्य का संचित उत्पादन हुआ था जो 9236.12 लाख रु० के लक्ष्य का 75.22 प्रतिशत है।

(घ) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य-निष्पादन की संवीक्षा नियमित अन्तरालों से सतत् रूप से की जाती है तथा जहां कहीं आवश्यक हो, इन उपक्रमों के कार्य-निष्पादन में सुधार करने के लिए उपक्रमों/सरकार द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है। सुधारात्मक कदम एक उपक्रम से दूसरे उपक्रम में अलग-अलग होते हैं तथा किसी विशेष समय में प्रचलित विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए इन पर निर्णय लिया जाता है।

इन उपायों में नियमित और योजनाबद्ध आधार पर पुराने संयंत्र और मशीनों का क्रमश: नवीकरण करना और उन्हें बदलना, बिजली की कमी पर काबू पाने के लिए डीजल जनित्रक सेटों की अधिष्ठापना करना तथा अधिक बिजली प्राप्त करने के लिए राज्य बिजली बोर्डों से अनुरोध करना, उत्पादन का नए क्षेत्रों में विविधीकरण करना कार्यशील पूंजी सम्बन्धी आवश्यकताओं को यथा सम्भव सीमा तक पूरा करने के लिए सरकार द्वारा निधियों की पर्याप्त व्यवस्था करना तथा उनकी कच्ची सामग्री सम्बन्धी निविष्टियों को पूरा करने में सहायता देना शामिल है।

विवरण

औद्योगिक विकास विभाग के अधीन सरकारी क्षेत्र के उत्पादनकारी उपक्रमों की सूची

1. एण्ड्रू युले एण्ड कं० लि०, कलकत्ता।
2. भारत आप्थाल्मिक ग्लास लि० दुर्गापुर।
3. सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि०, नई दिल्ली।
4. साइकिल कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि०, कलकत्ता।
5. हिन्दुस्तान केबल्स लि०, कलकत्ता।
6. हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लि०, कलकत्ता।
7. हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्यु० कं० लि०, ऊटकमंड।
8. इन्स्ट्रूमेंटेशन लि०, कोटा।
9. नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स लि०, कलकत्ता।
10. नेशनल न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर मिल्स लि०, नेपा नगर।

11. नेशनल बाइसिकल कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि०, बम्बई।

12. टैनरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि०, कानपुर।

13. हिन्दुस्तान साल्ट्स लि०, जयपुर।

फेरी के ठेकों का आबंटन

4351. **श्री बी० डी० सिंह** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, 1983 में मिर्जापुर रेलवे स्टेशन पर फेरी लगाने के अतिरिक्त ठेकों के लिए आवेदन मांगे गए थे ;

(ख) क्या यह सच है कि फेरी लगाने के यह ठेके केवल अनुसूचित जाति के लोगों के लिए विज्ञापित किए गए थे ;

(ग) क्या इस प्रकार के ठेके अनुसूचित जाति के बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए आरक्षित हैं ; और

(घ) क्या यह भी सच है कि फेरी लगाने के लिए उपर्युक्त ठेकों में से एक ठेका सामान्य श्रेणी के व्यक्ति को दिया गया है और दूसरा एक पेंशनभोगी को और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) आधी यूनिट के बराबर तक सभी खानपान/बेंडिंग ठेके केवल अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए ही आरक्षित हैं। इन कोठियों से कोई प्रत्युत्तर न मिलने पर यात्री जनता के हित की दृष्टि से आरक्षण के प्रश्न पर भी विचार किया जाता है।

(घ) जी हां। चाय-स्टाल एक अनुसूचित जाति के उम्मीदवार श्री जे० एन० बैठा को आबंटित किया गया है और चाय-ट्राली अल्प संख्यक जाति की एक उम्मीदवार श्रीमती जोगिन्दर कौर को, अनुकम्पा के आधार पर, आबंटित की गयी है।

खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग द्वारा प्रमाणित सहकारी समितियों के कर्मचारियों की कार्य करने की स्थिति

4352. **श्री रेणु पद दास** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूरे देश में खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग द्वारा प्रमाणित सहकारी समितियों में कार्य करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है ;

(ख) क्या सहकारी समितियों के कर्मचारियों और कार्यकर्ताओं को कार्य स्थिति और वर्तमान वेतन ढांचे को बेहतर बनाने के लिए खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग की कोई स्वीकृति मार्ग निर्देशन/संकल्प हैं ;

(ग) यदि हां, तो उन मार्ग निर्देशों अथवा संकल्पों की मुख्य बातें क्या हैं ;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ङ) क्या सरकार ने खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग द्वारा प्रमाणित सहकारी समितियों में कार्यकर्ताओं और कर्मचारियों के वर्तमान वेतन ढांचे और अन्य कार्य-स्थितियों की जांच करने, उनका सर्वेक्षण कराने और उन्हें बेहतर बनाने के लिए कोई कदम उठाया है ; और

(च) यदि हां, तो उक्त सर्वेक्षण के क्या निष्कर्ष हैं ?

वाणिज्य, उद्योग तथा पूर्ति विभाग मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) 31-3-1983 को संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत 1114 संस्थान तथा अपने-अपने राज्य सहकारी-समिति अधिनियमों के अन्तर्गत 30008 सहकारी-समितियां पंजीकृत हैं जो कि पूरे देश में खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रही हैं। इनका स्वतन्त्र कानूनी अस्तित्व है। व्यवहारतः सभी सहकारी-समितियों को राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्डों द्वारा सहायता दी जाती है। खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग को इन सहकारी-समितियों में नियमित आधार पर रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की संख्या की कोई जानकारी नहीं है।

(ख) से (घ) राज्य सरकारों और खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के सम्बद्ध अधिनियमों के अन्तर्गत स्थापित इन सहकारी-समितियों ने इस मामले में कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी नहीं किए हैं।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

संत रविदास और डा० अम्बेडकर के बारे में गुजराती में पुस्तक

4353. **श्री हीरा लाल आर० परमार** : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महान सन्त रविदास और संविधान के रचयिता डा० अम्बेडकर नामक पुस्तक गुजराती में लिखी गई है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या गुजराती में ऐसी कृति लिखे जाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (घ) सरकार ने "महान सन्त रविदास और संविधान के रचयिता डा० अम्बेडकर" नामक कोई पुस्तक अथवा इसका गुजराती में अनुवाद प्रकाशित नहीं किया है। तथापि, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास (भारत)

ने अपनी राष्ट्रीय आत्मकथा शृंखलाओं के अन्तर्गत श्री आचार्य पृथ्वी सिंह आजाद द्वारा लिखित "गुरु रविदास" शीर्षक से हिन्दी में एक पुस्तक प्रकाशित की है। इस पुस्तक के गुजराती अनुवाद का कार्य, श्री दयाशंकर जोशी को फरवरी, 1984 में दिया गया था तथा इसी वर्ष के अन्त तक इसके पूरा होने की आशा है।

न्यास ने डा० बी० आर० अम्बेडकर की आत्मकथा का भी कार्य शुरू किया है और यह कार्य श्री वाई० बी० चव्हाण को सौंपा गया है, जो पुस्तक को मराठी में लिखेंगे। लेखक से पुस्तक शीघ्र पूरा करने का अनुरोध किया गया है। क्षेत्रीय भाषाओं में इस आत्मकथा का अनुवाद मराठी में इस पुस्तक के प्रकाशित होने के बाद शुरू किया जाएगा।

विकलांग विद्यार्थियों को सहायता

4354. **श्री अनन्त रामुलु मल्लु :** क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विकलांग विद्यार्थियों को, छात्रवृत्तियों की सुविधायें प्रदान करने, फीस में छूट तथा परिवहन सुविधाएं अथवा केन्द्रीय विद्यालयों सहित अन्य स्कूलों द्वारा किराये पर ली गई बसों में उनकी रियायत/छूट देने के रूप में सहायता करने की कोई व्यवस्था की है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या विशेषकर विकलांग विद्यार्थियों को परिवहन सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों की राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) भारत सरकार ने, विकलांग छात्रों के लिए भारत सरकार की छात्रवृत्ति की योजना के अन्तर्गत कक्षा 1 और आगे उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान करके विकलांग छात्रों की सहायता करने की व्यवस्था की है। सहायता की सीमा संलग्न-विवरण एक में उल्लिखित है।

विकलांग बच्चों की समेकित शिक्षा की केन्द्र प्रायोजित संशोधित योजना, जिसमें विकलांग बच्चों को साधारण स्कूलों (विकलांग बच्चों के लिए खोले गए विशेष स्कूलों के अलावा) में सामान्य बच्चों के साथ रखने की परिकल्पना की गई है, के अन्तर्गत विकलांग बच्चों को कुछ रियायतें/भत्ते भी उपलब्ध हैं। इनका ब्यौरा विवरण-दो में दिया गया है।

विकलांग बच्चों के लिए स्कूल शुल्क में छूट अथवा स्कूल बसों में रियायत के लिए केन्द्र द्वारा कोई विशिष्ट आदेश जारी नहीं किए गए हैं। तथापि, यदि राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा इस प्रकार की रियायतें दी जाती हों तो केन्द्र को इसकी जानकारी नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

विवरण-एक

विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत सरकार की छात्रवृत्ति की योजना के अन्तर्गत विकलांग छात्रों को छात्रवृत्ति

पाठ्यक्रम का प्रकार	दिवा छात्रों के लिए प्रति माह दर	छात्रावासों में रहने वालों के लिए प्रति माह दर	केवल नेत्र-हीनों के लिए वाचक भत्ता प्रति माह
	(राशि रुपए में)		
1. कक्षा 1 ×, ×, प्री-विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम और आई०ए०/आई०एस० सी०/बी०ए०/बी०एस०सी० आदि पाठ्यक्रमों का प्रथम वर्ष	60	100	50
2. बी०ए०/बी०एस०सी०/बी०काम० इत्यादि (द्वितीय और तृतीय वर्ष पाठ्यक्रम)	90	130	75
3. बी०ई०/बी०टेक०/एम०बी०बी०एस०/ एल०एल०बी०/बी०एड/व्यावसायिक और इंजीनियरी अध्ययनों आदि में डिप्लोमा/संयंत्र प्रशिक्षण।	120	170	100
4. एम०एस०/एम०एस०सी०/एम०काम०/ एल०एल०एम०/एम०एड इत्यादि	120	170	100

टिप्पणी :

छात्रवृत्ति के अलावा शारीरिक रूप से विकलांग छात्र कक्षा और पाठ्यक्रम को ध्यान में रखे बिना कृत्रिम अंग/आर्थोटिक साधनों के रख-रखाव के लिए 25/-रु० प्रति माह की दर से और 50/-रु० प्रति माह की दर से परिवहन भत्ता भी प्राप्त करने के, पात्र होंगे बशर्ते कि नियम के खंड 5 की शर्तों को पूरा करते हों।

विवरण-दो

विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की योजना के अन्तर्गत विकलांग बच्चों के लिए सुविधायें/भत्ते

(1) पांच वर्ष की अवधि में खर्च करने के लिए 800/-रु० का उपस्कर भत्ता।

(2) पुस्तक और लेखन सामग्री भत्ता 400/-रु० प्रति बच्चा प्रति वर्ष।

(3) परिवहन भत्ता 50/-रु० प्रतिमाह ।

(4) नेत्रहीन बच्चों के लिए वाचक भत्ता 50/-रु० प्रति माह ।

(5) निचले भाग की विकलांग वाले अत्यधिक विकलांग बच्चों के लिए मार्गरक्षी भत्ता 75/-रु० प्रति माह ।

यदि योजना के अन्तर्गत दाखिल बच्चा स्कूल परिसर के अन्दर स्कूल के छात्रावास में रहता है तो उसे परिवहन खर्च नहीं दिया जाएगा। जिन बच्चों के माता-पिता की आय 750/-रु० प्रति माह से कम है उनके मामले में छात्रावास के खर्च को वहन करने के लिए केन्द्र निम्नलिखित व्यय वहन करेगा :—

(i) भोजन सम्बन्धी खर्च

(ii) आवास सम्बन्धी खर्च

कुछ बच्चों जैसे शारीरिक रूप से अत्यधिक विकलांग बच्चों को छात्रावास में एक सहायक अथवा आया की सहायता की आवश्यकता हो सकती है । छात्रावास के किसी पूर्णकालिक कर्मचारी को 50/रु० प्रतिमाह का विशेष वेतन देकर उसके अपने कार्यों के अलावा ऐसे 3 या इससे कम बच्चों के लिए उसकी सेवाएं लेकर इस प्रकार की सहायता सुलभ कराई जाएगी ।

योजना के अनुसार कार्यान्वयन एजेंसियों अर्थात् राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्रों इत्यादि को 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ।

कारों के मूल्य की पुनरीक्षा

4355. **श्री सतीश अग्रवाल** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की उपभोक्ता शिक्षा और अनुसंधान, अहमदाबाद से कारों के मूल्यों के बारे में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या कार निर्माताओं ने सरकार से मूल्यों की पुनरीक्षा के लिए कहा है और मुफ्त मरम्मत कूपन के लिए 2250 रु० कार मूल्य में शामिल करने को कहा है ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या कार निर्माताओं द्वारा मरम्मत प्रभारों के बारे में दिए गये आश्वासन को रिकार्ड में रखेगी और भविष्य में कारों के मूल्यों के निर्धारण के समय उसे ध्यान में रखेगी ?

वाणिज्य, उद्योग तथा पूर्ति विभाग मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) मूल्यों पर कानूनी नियन्त्रण नहीं है। फिर भी, निर्माताओं ने मरम्मत प्रभारों के बारे में एम० आर० टी० पी० कमीशन को आश्वासन दिया था और उनके लिए इस आश्वासन का सम्मान करना अपेक्षित है।

विभिन्न राज्यों की नई परियोजनाओं की स्वीकृति

4357. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों द्वारा मंत्रालय को नई परियोजनाओं के लिए कितनी और कौन-कौन सी योजनाएं स्वीकृति हेतु भेजी गई है तथा उनमें से प्रत्येक योजना किस-किस तारीख को भेजी गई है; और

(ख) प्रत्येक मामले में क्या प्रगति हुई है तथा चालू वर्ष में कौन-कौन सी योजनाओं को स्वीकृति मिल जाने की आशा है?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी ०ए० गनी खान चौधरी): (क) और (ख) रेल मन्त्रालय को समय-समय पर विभिन्न विभागों के भिन्न-भिन्न अधिकारियों, विभिन्न राज्यों के मंत्रियों और मुख्य मंत्रियों की ओर से बड़ी संख्या में पत्र प्राप्त होते रहते हैं जिनमें इस मन्त्रालय द्वारा एक या एक से अधिक रेल परियोजनाओं, विशेष रूप से नई लाइनों के निर्माण, आमान-परिवर्तन आदि के कार्य शुरू करने की, न कि स्वीकृति की सिफारिश की गई होती है। इन अनुरोधों की सामान्य व्यावहारिकता और नई परियोजनाओं को शुरू करने के लिए संसाधनों की उपलब्धता सहित, सभी पहलुओं पर विचार किया जाता है। ऐसी कई परियोजनाएं अनुदान की मांगों के द्वारा संसद के अनुमोदन से शुरू की जाती हैं। ऐसी चालू परियोजनाओं के विस्तृत ब्योरे 1984-85 के रेल बजट प्रलेखों की पिंक बुक में दिए गये हैं। कुछ स्वीकृत परियोजनाओं का सर्वेक्षण कार्य भी शुरू किया गया है जिनका ब्यौरा रेलवे बजट, 1984-85 की अनुदान मांगों में दिया गया है।

1984-85 के रेलवे बजट में निम्नलिखित परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है :—

1. तालचेर से सम्बलपुर तक नई बड़ी लाइन
2. गढ़ी मणिकपुर के रास्ते रीवां से सुल्तानपुर तक नई बड़ी लाइन
3. तामलुक से दिघा तक नई लाइन बिछाना
4. कलकत्ता में सर्कुलर रेलवे ईडन गार्डन के रास्ते दम दम से माजरहाट तक रेल लाइन।

मगध एक्सप्रेस से शाकाहारी भोजन

4358. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पटना और दिल्ली के बीच चलने वाली मगध एक्सप्रेस के कैटरिंग कोच में यात्रियों के लिए शाकाहारी भोजन नहीं पकाया जाता;

(ख) क्या यह भी सच है कि जब यह रेलगाड़ी पटना और दिल्ली के स्टेशनों से चलती है तो पटना और दिल्ली के यात्रियों के लिए शाकाहारी भोजन लिया जाता है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि रेलगाड़ी के साथ कैटरिंग कोच होने के बावजूद शाकाहारी भोजन करने वाले यात्रियों को शाकाहारी भोजन की व्यवस्था न होने के कारण बड़ी असुविधा होती है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस रेलगाड़ी में शाकाहारी भोजन पकाने की व्यवस्था करने का है ?

रेल मन्त्री (ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (घ) भोजन तैयार करने तथा परोसने में स्वच्छ हालत सुनिश्चित करने की दृष्टि से रेलवे खान-पान तथा यात्री सुविधा समिति (1967) ने सिफारिश की थी कि भोजन यानों में खाना पकाना बिल्कुल कम कर दिया जाना चाहिए और भोजन समय के दौरान गाड़ियों में यात्रियों के लिए परोसने हेतु स्थैतिक खान-पान यूनिटों से पहले से पका हुआ भोजन लिया जाना चाहिए । इस सिफारिश के आधार पर पेन्ट्री कार सेवाएं चालू की गई हैं जो आधार रसोईघरों/जलपान गृहों से खाना लेती हैं जिनकी स्थापना उपयुक्त स्थलों पर मानक थाली के भोजन (शाकाहारी तथा सामिष) की सप्लाई करने के लिए की गई है। यह प्रक्रिया भोजन यानों के भीतर तंग जगह में खाना पकाने की प्रणाली में एक सुधार है । तदनुसार, मगध एक्सप्रेस से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए भी आधार रसोईघरों से ही खाना लिया जा रहा है । पेन्ट्री कारों में खाना पकाने पर कड़ा प्रतिबन्ध है सिवाय इसके जब आधार रसोईघरों से लिये गये भोजन की मात्रा की तुलना में मांग अधिक पायी जाती है अथवा कतिपय व्यक्तियों द्वारा विशेष व्यंजनों की मांग की जाती है ।

सवारी डिब्बों का औसत क्षमता उपयोग

4359. **श्री सूरजभान** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस जोन-वार सवारी डिब्बों की संख्या कितनी है और इस समय प्रति डिब्बा प्रतिदिन वास्तव में औसत कितने घंटे चलता है ;

(ख) एक आधुनिक डिब्बे का डिजाइन प्रतिदिन कितने घंटे चलने के लिए तैयार किया जाता है ;

(ग) इनका वर्तमान औसत उपयोग क्या है ;

(घ) एक आधुनिक डिब्बे की औसत अनुमत गति क्या है ; और

(ङ) आधुनिक डिब्बे की वास्तविक औसत गति क्या है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) सवारी डिब्बों की रेलवे वार संख्या इस प्रकार है :—

रेलवे	बड़ी लाइन	मीटर लाइन	छोटी लाइन
मध्य	2196	—	311
पूर्व	2626	—	85
उत्तर	2980	875	141
पूर्वोत्तर	366	2450	—
पूर्वोत्तर सीमा	499	1348	53
दक्षिण	2017	1649	3
दक्षिण मध्य	1456	1096	—
दक्षिण पूर्व	1971	—	391
पश्चिम	1831	2270	279
जोड़	15942	9688	1263

सवारी डिब्बों का प्रतिदिन कितने घण्टे उपयोग किया गया, इसके आंकड़े नहीं रखे जाते। 1982-83 की अवधि में प्रति वाहन दिन वाहन किलोमीटर का विवरण रेलवे वार नीचे दिया गया है :—

रेलवे	बड़ी लाइन	मीटर लाइन	छोटी लाइन
मध्य	377	—	92
पूर्व	361	—	99
उत्तर	278	260	75
पूर्वोत्तर	171	169	—
पूर्वोत्तर सीमा	164	152	33
दक्षिण	383	228	—
दक्षिण मध्य	344	275	—
दक्षिण पूर्व	384	—	146
पश्चिम	330	150	116

(ख) इस सम्बन्ध में कोई सीमा नहीं है कि एक सवारी डिब्बे को एक दिन में लगातार कितने घण्टे तक चलाया जा सकता है सिवाय इसके कि रेल सम्पर्कों के अनुसार निर्धारित अन्तराल पर अनुसूचित परीक्षण, अनुरक्षण एवं सर्विसिंग का काम करना होता है।

(ग) सवारी डिब्बों का उपयोग समय सारणी पर निर्भर करता है जो यात्री आवश्यकताओं और मिलने वाले यातायात पर निर्भर करता है। उपयोग के आंकड़े (प्रतिदिन वाहन कि० मी० के हिसाब से भाग (क) के उत्तर में दिखाए गए हैं।

(घ) लम्बी दूरी की मेल और एक्सप्रेस गाड़ियों में आजकल लगाये जा रहे सवारी में डिब्बा कारखाना के बड़ी लाइन/मीटर लाइन के सवारी डिब्बों के डिजाइन की बड़ी लाइन की यात्री गाड़ियों पर गति 130 कि० मी० प्रति घंटा है, जबकि मीटर लाइन पर इसकी गति क्षमता 100 कि० मी० प्रति घंटा है परन्तु इसके लिए बोगियों, ब्रेक प्रणाली आदि में मामूली समायोजन करना अपेक्षित है जो गति के अनुरूप हो और परीक्षण तथा अनुरक्षण के मानकों के अनुरूप हों।

(ङ) कुछ गाड़ियों की औसत गति इस प्रकार है :—

बड़ी लाइन

राजधानी एक्सप्रेस (बम्बई-नई दिल्ली)	80 कि० मी० प्रति घण्टा
बम्बई-मेल (हावड़ा-बम्बई)	55 कि० मी० प्रति घण्टा
नागपुर सवारी गाड़ी (टाटानगर-नागपुर)	30 कि० मी० प्रति घण्टा

मीटर लाइन

वगई एक्सप्रेस (मद्रास एगम्बूर-मदुरै)	62 कि० मी० प्रति घण्टा
दिल्ली मेल (अहमदाबाद-दिल्ली)	40 कि० मी० प्रति घण्टा
सवारी गाड़ी (कटिहार-सिलीगुडी)	21 कि० मी० प्रति घण्टा

मिनी सीमेंट संयंत्र स्थापित करने सम्बन्धी नीति

4360. **श्री जो० वाई० कृष्णन** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार उन राज्यों में, जहां केवल बड़े सीमेंट संयंत्र लगाये जा सकते हैं, मिनी सीमेंट संयंत्र लगाने के खिलाफ हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार ने उन राज्यों के सम्बन्ध में कोई आकलन किया है जहां आगामी वर्षों में अतिरिक्त सप्लाई की स्थिति पैदा हो जाने की सम्भावना है ; और

(घ) यदि हां, तो छोटे सीमेंट संयंत्र लगाने के बारे में सरकार की नीति का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य, उद्योग तथा पूर्ति विभाग मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (घ) देश में मिनी सीमेंट संयंत्र स्थापित करने सम्बन्धी नीति का 21 फरवरी, 1984 को जारी किए गये प्रेस टिप्पण में उल्लेख किया गया है। जिसकी एक प्रति अनुबन्ध के रूप में संलग्न है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी० 8686/84]

सम्बलपुर, झाडसुगुदा, राउरकेला आदि में वर्थों का आरक्षण कोटा

4361. **श्री चिन्तामणि जैना** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्बलपुर, झाडसुगुदा, राउरकेला, कटक, भुवनेश्वर, वरदामपुर, वालासौर, जैसे स्टेशनों तथा महत्वपूर्ण गाड़ियों के अन्य महत्वपूर्ण स्टेशनों पर वर्थों के लिए आरक्षण कोटे यात्रियों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने में अत्यन्त अपर्याप्त है, और

(ख) क्या औद्योगिक तथा कृषि सम्बन्धी कार्यकलापों में वृद्धि तथा नये केन्द्रों के विकसित होने के कारण उपयुक्त स्टेशनों पर बर्थ कोटा बढ़ाने की काफी मांग है यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) लम्बी दूरी की मेल और एक्सप्रेस गाड़ियों में आरक्षण की वर्तमान मांग इन स्टेशनों को आबंटित किए गए कोटे से अधिक होती है लेकिन गाड़ी के प्रस्थान स्टेशनों के साथ-साथ महत्वपूर्ण मध्यवर्ती स्टेशनों की पूरी न की गई भारी मांगों के कारण वर्तमान कोटे को बढ़ाना व्यावहारिक नहीं है। बहरहाल, स्थिति की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और सम्बन्धित गाड़ियों में स्थान की उपलब्धता के आधार पर समायोजन किए जाते हैं।

कैरेज विभाग द्वारा वातानुकूलित 2-टियर डिब्बों के यात्रियों को बिस्तर आदि की सप्लाई करने का प्रस्ताव

4362. **श्री अजित कुमार साहा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कैरेज विभाग वातानुकूलित प्रथम श्रेणी के यात्रियों को चद्दर, तकिया ऊनी कपड़े आदि को मुफ्त सप्लाई करता है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त विभाग सभी गाड़ियों मे वातानुकूलित 2-टियर के यात्रियों को इन चीजों की मुफ्त सप्लाई क्यों नहीं करता ;

(ग) क्या सरकार वातानुकूलित 2-टियर के यात्रियों को कैरेज विभाग से इन चीजों की सप्लाई करवाने सम्बन्धी किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है,

(घ) यदि हां, तो ये प्रबन्ध कब से हो जाएंगे और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) वातानुकूलित 2-टियर अथवा अन्य दर्जों में चलने वाले यात्रियों को मांगने पर और निर्धारित प्रभारों के भुगतान पर बिस्तर सप्लाई किए जाते हैं क्योंकि इस सुविधा की लागत इन दर्जों की यात्रा-किराया संरचना में शामिल नहीं रहती है, जबकि वातानुकूलित पहले दर्जे की किराया-संरचना में यह शामिल रहती है।

(ग) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

हिन्दुस्तान फोटो फिल्म के उत्पादकों की सशर्त बिक्री

4363. **श्री एस० बी० सिदनाल** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान फोटो मैनुफैक्चरिंग कम्पनी अपने उत्पाद एक ऐसी शर्त पर बेच रही है जिसका व्यापार और व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस स्थिति में सुधार करने हेतु सरकार का विचार क्या उपाय करने का है ?

वाणिज्य, उद्योग तथा पूर्ति विभाग मन्त्री (श्री विश्व नाथ प्रताप सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

दिल्ली परिवहन निगम की बसों में "प्रेशर हार्न" का प्रयोग

4364. **श्री निहाल सिंह** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली परिवहन निगम की बसों में लगे हुए "प्रेशर हार्न" के प्रयोग का मानव स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ता है और दुर्घटना होने का भी खतरा रहता है ; और

(ख) यदि हां, तो बसों से "प्रेसर हार्न" हटाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) दिल्ली परिवहन निगम ने बसों के प्रेशर हार्न के इस्तेमाल से आदमी के स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है, इसका कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया है। निगम के ध्यान में ऐसा कोई मामला नहीं आया है जिसमें प्रेशर हार्न के इस्तेमाल से दुर्घटना हुई हो। तथापि, 4605 बसों के बेड़े में से अंतर्राज्यीय रूटों पर चलने वाली 238 बसों में हल्की ध्वनि वाले प्रेशर हार्न लगे हैं। इन हार्नों के बारे में यह समझा जाता है कि इनसे राजमार्गों पर अबाध आवागमन सुनिश्चित करने में सहायता मिलती है।

नेहरू स्मारक संग्रहालय का विस्तार

4365. **श्री मनमोहन टुडु** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का नेहरू स्मारक संग्रहालय और ग्रन्थालय के विस्तार करने का कोई विचार है ;

(ख) क्या विस्तार कार्य वित्त वर्ष 1984-85 में आरम्भ किए जाने का विचार है ;

(ग) यदि हां, तो नेहरू संग्रहालय और ग्रन्थालय के विस्तार के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालय की राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) 69 लांख रुपये की अनुमानित लागत पर एक सौंध के निर्माण का प्रस्ताव है। सौंध का नक्शा बना लिया गया है, और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की एजेन्सी के माध्यम से वर्ष 1984-85 के दौरान कार्य किये जाने की सम्भावना है।

शिक्षा पर प्रति व्यक्ति व्यय

4366. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981-82 से वर्ष 1983-84 तक के राज्य-वार और वर्ष-वार शिक्षा पर प्रति व्यक्ति कितनी राशि खर्च हुई है ;

(ख) देश में वर्ष 1984-85 में शिक्षा पर प्रति व्यक्ति कितना व्यय निश्चित किया गया है ; और

(ग) देश में आदिवासी क्षेत्र में जो कि देश का अधिकतम अशिक्षित क्षेत्र है, अनिवार्य शिक्षा शुरू करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) अपेक्षित सूचना दर्शाने वाला विवरण संलग्न है ।

(ख) वर्ष 1984-85 के लिए शिक्षा पर प्रति व्यक्ति बजटबद्ध व्यय अनुमानत: 87.40 रुपये है।

(ग) जनजातीय क्षेत्रों में 6-14 आयु-वर्ग के बच्चों सहित सभी बच्चों के लिए प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लक्ष्य को 1990 तक प्राप्त करने का प्रस्ताव है । जन-जातीय क्षेत्रों में अनिवार्य शिक्षा शुरू करने के लिए सरकार द्वारा किए गए कुछ उपायों में ये भी शामिल हैं :—

(i) जन-जातीय क्षेत्रों में स्थित बस्तियों के निकट के प्राथमिक तथा मिडिल स्कूल खोलने के लिए प्राथमिकता देना ।

(ii) गैर-औपचारिक अंशकालिक शिक्षा के लिए बड़े पैमाने पर अवसर प्रदान करना जिसके लिए शैक्षिक रूप से पिछड़े नौ राज्यों में गैर-औपचारिक शिक्षा केन्द्र खोलने हेतु केन्द्रीय सहायता 50 : 50 की साझेदारी के आधार पर अनुसत्य है।

(iii) लड़कियों का दाखिला सुनिश्चित करने के लिए, शैक्षिक रूप से पिछड़े नौ राज्यों को केवल लड़कियों के लिए गैर-औपचारिक शिक्षा केन्द्र आयोजित करने हेतु केन्द्रीय सहायता 90 : 10 की साझेदारी के आधार पर दी जाती है।

(iv) जन-जातीय बच्चों के लिए निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकें तथा लेखन-सामग्री निःशुल्क वर्दियां, मध्याह्न भोजन, छात्रवृत्तियां और फीस माफी जैसे प्रोत्साहनों की व्यवस्था करना।

(v) शैक्षिक रूप से पिछड़े नौ राज्यों में अध्यापिकाओं की नियुक्ति के लिए 80 : 20 की साझेदारी के आधार पर केन्द्रीय सहायता की व्यवस्था करना।

(vi) पूर्व-प्राथमिक स्कूल खोलना तथा प्राथमिक और मिडिल स्कूलों के लिए सहायक शिशु सदनों की व्यवस्था करना।

(vii) बहुत ही कम आबादी वाले उन जन-जातीय क्षेत्रों को शामिल करने के लिए आश्रम जैसे अधिक स्कूल खोलना, जो अलग-अलग स्कूल नहीं चला सकते और न ही अनुसूचित जन-जातियों के लिए मॉडल पब्लिक आवासीय स्कूलों के रूप में कार्य कर सकते हैं।

(viii) जन-जातियों की सामाजिक-आर्थिक आवश्यकताओं के अनुकूल विशेष पाठ्यचर्याएं तैयार करना ताकि पाठ्य-विवरण को उनके दैनिक जीवन के प्रासंगिक बनाया जा सके।

विवरण

(आंकड़े रुपये में)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1981-82	1982-83	1983-84
1	2	3	4
1. आंध्र प्रदेश	53.4	65.1	80.5
2. असम	51.4	64.0	74.0
3. बिहार	24.7	64.3	64.6
4. गुजरात	67.1	80.1	77.1

1	2	3	4
5. हरियाणा	72.8	82.3	88.3
6. हिमाचल प्रदेश	118.2	126.6	135.0
7. जम्मू और कश्मीर	95.6	117.8	118.6
8. कर्नाटक	59.7	71.2	75.0
9. केरल	102.8	114.1	123.4
10. मध्य प्रदेश	45.4	50.5	52.8
11. महाराष्ट्र	79.2	89.6	60.2
12. मणिपुर	154.9	151.9	157.1
13. मेघालय	83 6	98.2	103.8
14. नागालैंड	167.9	198.2	232.6
15. उड़ीसा	48.5	59.2	61.4
16. पंजाब	95.7	107.8	113.7
17. राजस्थान	55.2	68.4	76.0
18. सिक्किम	137.0	146.0	189.3
19. तमिलनाडु	65.8	84.6	84.6
20. त्रिपुरा	95.5	103.1	130.5
21. उत्तर प्रदेश	37.3	43.9	45.9
22. पश्चिम बंगाल	62.4	73.5	77.9
23. अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	217.5	246.0	267.5
24. अरुणाचल प्रदेश	143.0	185.7	172.7

1	2	3	4
25. चण्डीगढ़	198.0	217.7	230.0
26. दादर तथा नागर हवेली	88.0	102.0	125.0
27. दिल्ली	119.2	133.8	142.8
28. गोवा, दमन और दीव	147.3	164.2	183.1
29. लक्षद्वीप	335.0	405.0	442.5
30. मिजोरम	163.4	181.8	153.5
31. पांडिचेरी	139.5	163.0	151.7

टिप्पणी—उपरोक्त आंकड़े अनन्तिम हैं।

दिल्ली परिवहन निगम के पास जारी करने के और अधिक "बूथ" खोला जाना

4167. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली परिवहन निगम ने दिल्ली और नई दिल्ली में पास जारी करने के कितने "बूथ" खोले हैं ;

(ख) क्या यह बूथ पर्याप्त हैं और लोगों को विशेषकर विद्यार्थियों को नए पास बनाने अथवा पुराने पासों के नवीकरण के लिए घण्टों प्रतीक्षा करनी पड़ती है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का लोगों के हित के लिए और अधिक "बूथ" खोलने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रमान अंसारी) : (क) दिल्ली और नई दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर पास जारी किए जाने वाले 12 बूथों के अलावा कुछ चुने हुए स्थानों पर प्रतिदिन पास जारी करने के लिए एक चलती-फिरती गाड़ी की व्यवस्था भी की गई है। इसके अलावा दिल्ली परिवहन निगम की ओर से विद्यार्थियों को पास जारी करने के लिए 60 कालेजों में भी इसकी व्यवस्था की गई है।

(ख) से (घ) मौजूदा व्यवस्था पर्याप्त समझी जा रही है। तथापि कुछ दिनों में जब भीड़ अधिक होती है अर्थात जनता और विद्यार्थी दोनों ही की ओर से मांग बढ़ जाती है, तब इस भीड़ से निपटने के लिए पास जारी किए जाने वाले बूथों पर स्टाफ की संख्या में उचित वृद्धि कर दी जाती है।

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, मुजफ्फरपुर के कर्मचारियों की मांगें

4368. **श्री आनन्द पाठक :**

श्री जार्ज फर्नान्डीज :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें आल इण्डिया "भेल" पावर इम्पलाईज यूनियन, मुजफ्फरपुर (बिहार) से दिनांक 21 जुलाई, 1984 के ज्ञापन की प्रति प्राप्त हुई है ;

(ख) क्या उन्होंने 16 अगस्त, 1984 से लगातार हड़ताल करने का नोटिस दिया है ;

(ग) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं ; और

(घ) क्या समस्याओं को बातचीत के माध्यम से सुलझाने के लिए प्रयास किए गए हैं अथवा किए जाने का विचार है ?

वाणिज्य, उद्योग तथा पूर्ति विभाग मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) जी, हां ; आल इण्डिया बी०एच०ई०एल०पावर इम्प्लाईज यूनियन, मुजफ्फरपुर और बी०एच०ई०एल० (पी०पी० एण्ड एस०डी०) कर्मचारी यूनियन, मुजफ्फरपुर ने 16-8-1984 से हड़ताल का एक संयुक्त नोटिस दिया था।

(ग) मांगें निम्नलिखित हैं :—

(1) वर्कचार्ज कर्मचारियों को नियमित करना।

(2) ट्रेडमैन ग्रेड-5 की अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति।

(3) उस कार्यालय परिपत्र को वापस लेना जिसके द्वारा कर्मचारियों की अपनी इच्छा पर स्थानांतरणों के मामलों में कुछ स्थानांतरण लाभों की अनुमति नहीं दी गई है।

(4) दौरे पर दैनिक भत्ते में वृद्धि के अनुपात में स्थल डी०ए० में वृद्धि।

(5) माइलस्टोन की प्राप्ति के लिए सभी कर्मचारियों को नकद पुरस्कार।

(घ) विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप बी०एच०ई०एल० (पी०पी० एण्ड एस०डी०) कर्मचारी यूनियन ने हड़ताल का नोटिस वापिस ले लिया है और आल इण्डिया बी०एच०ई०एल०पावर इम्प्लाईज यूनियन और आगे विचार-विमर्श होने तक हड़ताल को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने पर सहमत हो गया है।

अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग सम्मेलन

4369. **श्री माधव राज सिंधिया** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग का एक तीन दिवसीय सम्मेलन 17 मई, 1984 से नई दिल्ली में हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो उसमें किन किन मुख्य मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया ; और

(ग) उसके क्या परिणाम निकले और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया थी ?

वाणिज्य, उद्योग तथा पूर्ति विभाग मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) इस सम्मेलन का आयोजन खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किया गया था जो विभिन्न कार्यान्वयनकारी अभिकरणों/संस्थानों के विचारों से निष्कर्ष निकालने वाला और खादी तथा ग्रामोद्योग कार्यक्रम को तेज करने के लिए भावी योजनाएं तैयार करने वाला एक स्वायत्तशासी संवैधानिक निकाय है। सम्मेलन में जिन मुख्य विषयों पर विचार किया गया था, वे निम्नलिखित हैं :—

(i) छठी योजना में खादी तथा ग्रामोद्योग क्षेत्र की प्रगति, विकास में आने वाली बाधाएं, सातवीं योजना के पूर्वानुमानों के विशेष सन्दर्भ में अपेक्षित नीति विषयक समर्थन।

(ii) संगठनपरक और प्रबन्धकीय पहलू और राज्य स्तर के महासंघों (फैडरेशन) की भूमिका।

(iii) प्रौद्योगिकीय निविष्टियां, अनुसन्धान एवं विकास सहायता तथा इन्स्ट्रूमेन्टेशन कार्यक्रम।

(iv) खादी तथा ग्रामोद्योग क्षेत्र में विपणन, डिजाइन तैयार करने, परिष्करण और किस्म नियन्त्रण से सम्बन्धित कठिनाइयां।

(v) खादी तथा ग्रामोद्योग क्षेत्र द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम के विशेष सन्दर्भ में अछूते तथा पिछडे क्षेत्रों में कमजोर वर्गों को शामिल किया जाना।

(vi) खादी तथा ग्रामोद्योग क्षेत्र में जन शक्ति की योजना बनाना और उन्हें प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम।

(vii) खादी तथा ग्रामोद्योग क्षेत्र में कारीगरों का कल्याण।

(ग) सम्मेलन द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों पर खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा मई, 1984 में हुई अपनी बैठक में विचार किया गया था और इन सिफारिशों का कार्यान्वयन करने के लिए शीघ्र ही कार्रवाई आरम्भ करने का निर्णय लिया गया था। खादी तथा ग्रामोद्योग क्षेत्र के विकास के लिए जहां कहीं आवश्यक हो सरकार हर सम्भव नीति विषय सहायता प्रदान करेगी।

साहित्य अकादमी द्वारा विभिन्न भारतीय भाषाओं में पुस्तकों का प्रकाशन

4370. **श्री ए० नीलालोहितबसन नाडार** : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साहित्य अकादमी के पास विभिन्न भारतीय भाषाओं में पुस्तक प्रकाशित करने की योजना है ; और

(ख) यदि, हां तो उक्त परियोजना का ब्यौरा क्या है और विभिन्न भारतीय भाषाओं में कौन-कौन सी पुस्तकें प्रकाशित की गई, उनके नाम क्या हैं तथा वे किन भाषाओं में प्रकाशित की गई हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों की राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, हां।

(ख) अकादमी उसके द्वारा मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं में साहित्यिक कार्यकलापों के संबंध में सूचनात्मक सामग्री अर्थात् भारतीय साहित्य की ग्रन्थ-सूचियां, भारतीय लेखकों के परिचय, विभिन्न भारतीय भाषाओं में साहित्य के इतिहास, "भारतीय साहित्य के निर्माता" शृंखला में विनिबन्ध प्रकाशित कर रही है। इसके अलावा अकादमी की पत्रिकाएं अंग्रेजी में "इंडियन लिटरेचर", हिन्दी में "समकालीन भारतीय साहित्य" और संस्कृत में "संस्कृत प्रतिभा" भी प्रकाशित कर रही है। अकादमी प्राचीन और आधुनिक दोनों प्रकार के साहित्यिक गौरव-ग्रन्थों के एक भारतीय भाषा से दूसरी भाषा में अनुवादों को प्रकाशित करने में भी लगी हुई है, ताकि किसी भाषा के अच्छे लेखक को न केवल उसी की भाषा में बल्कि देश की सब प्रमुख भाषाओं में पाठक मिल सकें।

भारतीय पाठकों को उनकी अपनी भाषाओं में विश्व के उत्कृष्ट साहित्यक ग्रन्थों को सुलभ कराने की दृष्टि से अकादमी विदेशी गौख ग्रन्थों का प्रमुख भारतीय भाषाओं में अनुवादों के प्रकाशन के कार्य में लगी हुई है।

साहित्य अकादमी ने जिन भाषाओं में पुस्तकें प्रकाशित की हैं, वे हैं :—

असमी, बंगला, डोगरी, अंग्रेजी, गुजराती, हिन्दी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, माणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पाली, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, तिब्बतन और उर्दू।

"साहित्य अकादमी के प्रकाशन" (अद्यतन दिनांक जनवरी, 84) नामक ग्रन्थ सूची, जिसमें ये ब्यौरे दिए गए है, की प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

मछली पकड़ने वाली कम्पनियों द्वारा नौवहन विकास निधि समिति देय राशियां

4371. **श्री दौलत सिंह जी जदेजा** : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवहन विकास निधि समिति का मछली पकड़ने वाली कंपनियों पर कितना बकाया है और 25 जुलाई, 1984 के अनुसार मूलधन और उस पर हुए ब्याज के अलग-अलग आंकड़े क्या हैं ;

(ख) किसी मछली पकड़ने वाली कम्पनी को पहले से मंजूर किए जा चुके ऋण में से कितनी राशि अभी भी दी जानी है ; और

(ग) घाटे में चल रही मछली पकड़ने वाली कम्पनियों को ब्याज में राहत देने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) 25-7-84 को फिशिंग कम्पनियों के पास जितना मूलधन और ब्याज बकाया था, उसका ब्यौरा विवरण 1 में दिया गया है।

(ख) इसके ब्यौरे विवरण 2 में दिए गए हैं।

(ग) इस समय फिशिंग कम्पनियों को जो ऋण दिया जाता है उस पर ब्याज रियायती दर पर लिया जाता है। इसके अलावा इनको ब्याज पर आगे किसी प्रकार की राहत देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण-एक

क्र० सं०	कम्पनी का नाम	मूलधन	ब्याज
1.	मैसर्स एक्वा फूड प्रोडक्ट्स लि०	7,80,000.00	12,13,958.41
2.	मैसर्स वाणी मेरीन्स प्रा० लि०	—	1,51,494.25
3.	मैसर्स फोनिक्स इंडिया मेरीन (प्रा०) लि०	1,45,000.00	3,52,445.16
4.	मैसर्स आन्ध्र प्रदेश फिशरीज कारपोरेशन लि०	4,20,000.00	2,53,114.16
5.	मैसर्स तमिलनाडु फिशरीज कारपोरेशन लि०	77,337.00	—
6.	वेस्ट कोस्ट मेरीन प्रा० लि०	3,25,000.00	4,83,676.22
7.	केरला फिशरीज कारपोरेशन लि०	4,12,000.00	2,23,940.64
8.	मैसर्स सुरज फिशारीज प्रा० लि०	18,19,200.00	7,26,096.58
9.	मैसर्स यमुना सी फूड प्रा० लि०	12,95,874,00	3,63,730.01
10.	मैसर्स मार्शल सी फूड लि०	23,38,920.00	4,32,162.43
11.	मैसर्स ऊनी मेरीन प्रा० लि०	24,08,200.00	4,34,761.92
12.	मैसर्स मेरीन फिशरीज प्रा० लि०	—	44,048.44
13.	मैसर्स प्रोन मैग्नेट प्रा० लि०	3,08,250.00	—
14.	मैसर्स संचेती फूड प्रोडक्ट्स लि०	—	5,19,307.45

विवरण-दो

क्र० सं०	कम्पनी का नाम	स्वीकृत ऋण राशि	वह ऋण राशि जिसे जारी नहीं किया गया
		रु०	रु०
1.	मैसर्स सुखई मेरीन्स (प्रा०) लि०	60 लाख	3 लाख
2.	मैसर्स सेफायर फिशरीज (प्रा०) लि०	60.69 लाख	45,51,750/-
3.	मैसर्स कोरोमंडल मेरीन्स (प्रा०) लि०	60.69 लाख	45,51,750/-
4.	मैसर्स कोरोमंडल मेरीन्स (प्रा०) लि०	60. 9 लाख	45,51,750/-
5.	मैसर्स अन्नाई फिशरीज (प्रा०) लि०	54,82,735/-	47,03,185/-
6.	मैसर्स कोलाम्बिया सी फूड (प्रा०) लि०	109,65,470/-	94,06,370/-
7.	मैसर्स रेनबो सी फूडस (प्रा०) लि०	109,65,470/-	94,06,370/-
8.	मैसर्स आर्य फिशरीज लि०	76,03,000/-	57,02,400/-
9.	मैसर्स मुलगदा मेरीन्स (प्रा०) लि०	81,69,000/-	81,69,000/-
10.	मैसर्स डाउन फिशरीज (प्रा०) लि०	81,69,000/-	81,69,900/-
11.	मैसर्स लीला सी फूडस (प्रा०) लि०	81,69,000/-	81,69,000/-
12.	मैसर्स उड़ीसा इंडस्ट्रीज (प्रा०) लि०	121,37,400/-	121,37,400/-

अन्य राज्यों में बस दुर्घटनाओं की तुलना में दिल्ली परिवहन निगम की बसों से हुई दुर्घटनाएं

4372. **श्री विरदा राम फुलवारिया** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्य राज्यों में बस दुर्घटनाओं की तुलना में दिल्ली परिवहन निगम को बसों के साथ दुर्घटनाएं अधिक होती हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके कारणों का पता लगाया है ; और

(ग) जनवरी, 1984 से अब तक दिल्ली परिवहन निगम की कितनी बसों के साथ दुर्घटनाएं हुई ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी नहीं। दिल्ली परिवहन निगम की प्रति किलोमीटर दुर्घटना की दर 1.6 है जबकि अहमदाबाद (2.0), बम्बई (8.5), मद्रास, (3.4) और पुणे (2.8) जैसे नगरों में अन्य परिवहन उपक्रमों के सम्बन्ध में यह दर 2.0 से 8.5 तक है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जनवरी से जुलाई, 1984 तक की अवधि में दिल्ली परिवहन निगम की बसों से 2287 दुर्घटनाएं हुई।

कागज संयंत्रों के लिए कच्चे माल के रूप में खोई का प्रयोग

4373. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में चीनी बनाने वाले एककों में उत्पादित खोई की मात्रा, कच्चे माल के रूप में खोई का प्रयोग करने वाले कागज संयंत्रों की स्थापना करने के लिए अच्छा अवसर प्रदान कर सकती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रकार के एकक स्थापित करने के लिए वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ऋण देगी ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में वित्तीय संस्थानों को पहले ही निर्देश दे दिए गए हैं यदि नहीं, तो क्या ऐसे निर्देश जारी करने का सरकार का विचार है ?

वाणिज्य, उद्योग तथा पूर्ति विभाग मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) संस्थागत सहायता के लिए वित्तीय संस्थान गुणावगुण के आधार पर आवेदनों पर विचार करते हैं और कुछ योजनाओं को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी हैं।

ब्लाक मुख्यालयों के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों जो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में बदलने का प्रस्ताव

4374. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर चिकित्सा सुविधायें प्रदान करने के लिए ब्लाक मुख्यालयों में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में बदलने की कोई योजना सरकार के पास है ; और

(ख) यदि हां, तो कितने ब्लाक मुख्यालयों में इस समय पहले से ही सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं और किस तारीख तक सभी ब्लाक मुख्यालयों में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बन जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को कवर करने के लिए खोला जाना है।

यह सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ऐसे किसी एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का अथवा तालुक/तहसील स्तर के अस्पताल का दर्जा बढ़ाकर खोला जा सकता है जो कवर किए जाने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के अधिक निकट हो।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार 1-4-84 तक देश में 472 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जा चुके हैं। अपेक्षित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सन् 2000 ईसवी तक चरणवार ढंग से खोले जाएंगे।

वर्ष 1982 से 1984 के दौरान रेल दुर्घटनाओं में मारे गए व्यक्तियों के परिवारों को मुआवजा

4375. **श्री नवीन रवाणी** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982, 1983 के दौरान तथा जनवरी से जून, 1984 तक रेल दुघटनाओं में कितने व्यक्ति मारे गए ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान मुआवजे के रूप में कुल कितनी धनराशि का भुगतान किया गया,

(ग) क्या यह सच है कि रेल प्राधिकरण के समक्ष भारी संख्या में मुआवजे के मामले लम्बित हैं;

(घ) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है तथा उसके क्या कारण हैं ;

(ङ) इन मामलों के शीघ्र निपटाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ;

(च) क्या मुआवजे की राशि को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(छ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) वर्ष 1982-83 और 1983-84 में तथा अप्रैल से जून 1984 तक की अवधि के दौरान रेल दुर्घटनाओं में मरे यात्रियों तथा अन्य व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार है :—

	यात्री	अन्य व्यक्ति
1982-83	58	125
1983-84	86	120
1984 (अप्रैल से जून तक)	11	31

(ख) दुर्घटना वर्ष को ध्यान में रखे बिना 1982-83 से 1984-85 (जून, 1984 तक) की अवधि के दौरान भारतीय रेल अधिनियम, 1890 की धारा 82-क के अन्तर्गत मृत्यु दावों में भुगतान किए गए मुआवजे का ब्यौरा इस प्रकार है :—

1982-83	96,48,289/-रु०

1983-84	77,36,829/-रु०
1984-85 (अप्रैल से जून तक)	4,00,000/-रु०

(ग) और (घ) रेल प्रशासन के पास कोई दावा बकाया नहीं पड़ा है। बहरहाल, दुर्घटना दावों पर कार्रवाई करने के लिए भारतीय रेल अधिनियम 1890 की धारा 82-ख के अधीन नियुक्त किये गए तदर्थ/पदेन दावा आयुक्तों की विभिन्न अदालतों में 430 मृत्यु दावे न्यायाधीन हैं। स्वतन्त्र न्यायालय की कार्यवाही के बाद दावे निर्धारित किये जाते हैं जिनमें अकसर अधिक समय लगता है जिससे स्पष्ट है कि दुर्घटना दाओं के निपटारे में विलम्ब होता है।

(ङ) दुर्घटना दावों के निपटारे में विलम्ब में कमी करने के लिए हाल ही में अनेक उपाय किये गए हैं। इनमें महाप्रबन्धकों को अधिक अधिकार दिया जाना, तदर्थ दावा आयुक्त के रूप में सेवा-निवृत्त न्यायिक अधिकारी की नियुक्ति पर से प्रतिबन्ध हटाना तथा दावा आयुक्तों के कार्यालय के लिए और महाप्रबन्धकों द्वारा स्वयं अधिक उदार स्तर पर रेलों के निजी दुर्घटना कक्षों के लिए पदों के सृजन और स्वीकृति पर से प्रतिबन्ध हटाना शामिल है। भारतीय रेल अधिनियम, 1890 की धारा 82क के अधीन रेल दुर्घटनाओं के दावों पर कार्रवाई करने के लिए एक सदस्यीय स्थाई न्यायाधिकरण के गठन के बारे में विनिश्चय करने के लिए भारतीय रेल अधिनियम, 1890 की धारा 82-ख में आशोधन करने के लिए संसद में एक उपयुक्त विधेयक लाने की कार्रवाई भी शुरु कर दी गई है।

(च) और (छ) जी नहीं। हाल ही में प्रत्येक मामले में 50,000 रु० की अधिकतम राशि को बढ़ाकर एक लाख रुपए किया गया है।

कुष्ठ रोगियों और तपेदिक के रोगियों के लिए "आफ्टर केयर एण्ड रिहेब्लीटेशन सेंटर" तथा उन्हें दिया गया अनुदान

4376. **श्री एन० डेनिस** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुष्ठ और तपेदिक रोगियों के लिए सरकारी और गैर-सरकारी "आफटर केयर एण्ड रिहेब्लीटेशन सेंटर्स" के नामों का अलग-अलग ब्योरा क्या है ; और

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान प्रत्येक सेन्टर को केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी धनराशि दी गई और प्रत्येक सेन्टर को विदेशों से कितनी सहायता प्राप्त हुई ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) और (ख) आधुनिक, प्रबल और बहुत प्रभावकारी क्षय रोग रोधी औषधियों की खोज के बाद क्षय रोगी पूरी तरह नीरोग हो जाते हैं तथा वापस अपने मूल कार्यों/व्यवसायों में जुट सकते हैं। इसलिए, राष्ट्रीय क्षय रोग नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत रोगियों को फिर से काम में लगाने वाले और अनुवर्ती परिचर्या केन्द्र खोलने की कोई व्यवस्था नहीं है। वैसे, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और दिल्ली जैसे कतिपय राज्यों में कुछेक गैर-सरकारी और अनुवर्ती परिचर्या तथा पुनर्वास केन्द्र स्थापित किए गए हैं और वे कार्य कर रहे हैं। स्वस्थ हो चुके कुष्ठ रोगियों के पुनर्वास की एक योजना समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है जिन्होंने पुरी में एक भवन के

निर्माण हेतु हिन्द कुष्ठ निवारण संघ, भुवनेश्वर को 1982-83 में 9.90 लाख रुपये का अनुदान मंजूर किया है। इनमें से किसी भी कार्यक्रम के अन्तर्गत इस प्रयोजन के लिए कोई विदेशी सहायता नहीं मिली है।

अराजपत्रित रेल कर्मचारियों को वेतन परचियां जारी करना

4377. **श्री अजित बाग** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सभी भारतीय रेलों में राजपत्रित अधिकारियों को प्रतिमाह वेतन परचियां दी जाती हैं ;

(ख) यदि हां, तो अराजपत्रित रेल कर्मचारियों को वेतन परचियां न दिए जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार के पास अराजपत्रित रेल कर्मचारियों को वेतन परचियां जारी करने के संबंध में कोई प्रस्ताव है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी हां, जहां पर वेतन बिल कम्प्यूटर द्वारा तैयार किए जाते हैं वहां पर सभी राजपत्रित अधिकारियों को अनिवार्यत: वेतन-पर्चियां दी जाती हैं। लेकिन, जहां पर कर्मचारियों द्वारा हाथ से बिल बनाए जाते हैं, तब विभिन्न रेलों पर इस प्रकार की समानता नहीं होती।

(ख) अराजपत्रित कर्मचारियों के मामले में भी जब कभी उनके वेतन बिल कम्प्यूटर द्वारा तैयार किए जाते हैं तो उन्हें भी वेतन पर्चियां दी जाती हैं। यदि कर्मचारियों द्वारा वेतन-बिल हाथ से तैयार किए जाते हैं तो वेतन-पर्चियां तैयार करना सम्भव नहीं है क्योंकि इसके लिए पर्याप्त संख्या में अतिरिक्त कर्मचारी लगाने पड़ेंगे।

(ग) कम्प्यूटरों की क्षमता उत्तरोत्तर बढ़ जाने से सरकार यह आशा करती है कि आगामी वर्षों में अधिकांश रेल कर्मचारियों के वेतन रोल कम्प्यूटर द्वारा तैयार करना संभव हो जाएगा। इसके कार्यान्वित होने पर ही सभी कर्मचारियों को मुद्रित वेतन-पर्चियां जारी करना सम्भव हो जाएगा ?

मत्स्य नौकाओं के अधिक राशि के बीजक बनाए जाने को रोकना

4378. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या **नौवहन विकास और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौवहन विकास निधि समिति ने भारत में बनाई गई मत्स्य नौकाएं खरीदने के लिए भारी ऋण दिए हैं ;

(ख) क्या (नौका) प्रांगण की क्षमता का कोई हिसाब लगाया गया है ;

(ग) क्या मत्स्य नौकाओं के अधिक राशि के बीजक बनाए जाने को रोकने के उद्देश्य से उनके वास्तविक मूल्य की जांच करने हेतु कोई समिति है ; और

(घ) उक्त समिति का ब्यौरा क्या है अथवा अधिक राशि के बीजक बनाए जाने को रोकने के लिए अन्य क्या प्रक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) नौवहन विकास निधि समिति ने 31-7-84 तक छह कम्पनियों को दो शिपयार्डों से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले आठ जहाज खरीदने के लिए 5,19,20,675/-रुपये ऋण के रूप में संस्वीकृत किए हैं।

(ख) से (घ) कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मन्त्रालय के अधीन एक अन्तर-विभागीय जांच समिति कार्य कर रही है। इस समिति में कृषि मन्त्रालय तथा नौवहन और परिवहन मन्त्रालय के प्रतिनिधि हैं। यह समिति नौवहन और परिवहन मन्त्रालय के जहाज निर्माण और मरम्मत प्रभाग के तकनीकी विशेषज्ञों की सहायता से यार्डों की सक्षमता और फिशिंग ट्रालरों की कीमत के औचित्य पर विचार करती है जिससे वस्तुसूची का जरूरत से अधिक होना रोका जा सके।

सीमेंट का मूल्य

4379. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमेंट की प्रति टन औसत उत्पादन लागत क्या है तथा "लेवी" और "खुले बाजार में बिक्री" की सीमेंट के उपभोक्ता मूल्यों के सम्बन्ध में यह कहां तक युक्तिसंगत है ; और

(ख) सीमेंट के दोहरे-मूल्य सम्बन्धी नीति के क्या आधार हैं तथा दोहरे-मूल्य नीति को समाप्त न करने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य, उद्योग तथा पूर्ति विभाग मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) और (ख) औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो द्वारा सीमेंट एककों से एकत्र की गई जानकारी के आधार पर 1982/83 के दौरान सीमेंट का उत्पादन करने वाले एककों के उत्पादन की औसत लागत 417 रु० प्रति मी० टन थी। सीमेंट का उपभोक्ता मूल्य निकालने के लिए भाड़ा, पैकिंग खर्च, उत्पादन शुल्क, बिक्री कर (केन्द्रीय और राज्य दोनों के), आकस्मिक व्यय जैसे दूसरे लागत तत्वों को भी जोड़ा जाता है।

लेवी सीमेंट के मामले में उपभोक्ता मूल्य एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न-भिन्न होता है। संघशासित प्रदेश दिल्ली में लेवी सीमेंट का स्टाकिस्ट से चलते समय का विद्यमान मूल्य 993.65 रु० प्रति मी० टन अथवा 50 कि० ग्राम वाली प्रति बोरी का मूल्य 49.68 रु० है। गैर-लेवी सीमेंट का जो मूल्य नियन्त्रण से मुक्त है सरकार द्वारा इस प्रकार का मूल्य निश्चित नहीं किया जाता।

उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर सीमेंट मिलते रहने तथा उत्पादकों को उचित लाभ का सुनिश्चय करने की दृष्टि से आंशिक विनियन्त्रण योजना शुरू की गई थी। योजना के संचालन की समीक्षा से पता चला है कि इस उद्देश्य की पूर्ति काफी हद तक कर ली गई है और इस कारण इस नीति को समाप्त कर देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

कुष्ठ रोग और अन्धता को नियन्त्रित करने के लिए अस्पताल/संस्थाएं खोलना

4380. **श्री एम० ई० हीरो** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कुष्ठ रोग और अन्धता को नियन्त्रित करने के लिए नए अस्पताल और संस्थाएं खोलने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कु० कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियन्त्रण कार्यक्रम के अधीन वर्ष 1983-84 तक स्थापित किए गए अस्पतालों/संस्थाओं का ब्यौरा तथा 1984-85 के लक्ष्य इस प्रकार है :—

क्रम सं०	संस्था/वार्ड	1983-84 तक स्थापित	1984-85 के लक्ष्य
कुष्ठ			
1.	75 पलंगों वाली क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण एवं रेफरल संस्थाएं	2	2
2.	अस्थाई तौर पर भर्ती करने के लिए कुष्ठ रोग वार्ड (20 पलंगों वाले)	49	15
3.	कुष्ठ रोग प्रशिक्षण केन्द्र	1	—
4.	कुष्ठ रोग पुनर्वास संवर्धन यूनिटें (50 पंलगों वाले)	7	(स्वीकृत लेकिन अभी चालू नहीं हुई)
दृष्टिहीनता			
1.	जिला अस्पताल-नेत्र चिकित्सा विभाग को मजबूत बनाना।	360	40
2.	मेडिकल कालेज-नेत्र चिकित्सा बिभाग को मजबूत बनाना।	51	9
3.	क्षेत्रीय नेत्र विज्ञान संस्थान	4	6
4.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नेत्र-चिकित्सा परिचर्या सुविधाएं उपलब्ध करना।	1670	330

हिन्दुस्तान साल्ट लिमिटेड द्वारा आयोजित मुक्त नमक का उत्पादन

4381. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान साल्ट लिमिटेड के एकक द्वारा आयोडीन युक्त नमक का

वार्षिक उत्पादन केवल 2.5 लाख टन है जबकि देश में 4 करोड़ गलगण्ड के रोगियों को देखते हुए, इस नमक की मांग 10 लाख मी० टन है ;

(ख) उपरोक्त नमक एकक में उत्पादन बढ़ाने और उत्पादन का लक्ष्य बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ;

(ग) क्या जैसा कि सरकार की योजना थी आयोडीन मुक्त नमक तैयार करने की तकनीक सीखने के लिए कोई गैर-सरकारी उद्यमी आगे आए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य, उद्योग तथा पूर्ति विभाग मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : वर्ष 1983 के दौरान मैसर्स हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड द्वारा खाराघोड़ा में और मैसर्स सांभर साल्ट लि० सांभर लेक में तथा नमक विभाग द्वारा कलकत्ता में स्थापित आयोडिन बनाने सम्बन्धी संयन्त्रों में 2,04,300 मी० टन आयोडीकृत नमक का उत्पादन हुआ जबकि आवश्यकता 10 लाख मी० टन की है।

(ख) से (घ) इन एककों में आयोडीकृत नमक का उत्पादन बढ़ाने के लिए उपाय सुझाने हेतु एक समिति का पिछले वर्ष गठन किया गया था। इस समिति के निष्कर्षों के परिणामस्वरूप संयंत्रों और मशीनों के समुचित रखरखाव, राज्यों द्वारा नामित व्यक्तियों द्वारा शीघ्र और नियमित रूप से निविदाएं प्रस्तुत करने और रेलवे से मांग के अनुसार वैगनों की पूर्ति करने हेतु सम्पर्क बनाए रखने पर अब अधिक बल दिया जा रहा है।

10 लाख मी० टन की आवश्यकता को यथाशीघ्र ही पूरा करने के लिए सरकार ने गैर-सरकारी तथा सहकारिता क्षेत्र को भी आयोडिकृत नमक का वाणिज्यिक उत्पादन करने की छूट दे दी है। 134 गैर-सरकारी फर्मों को लगभग 27 लाख मी० टन प्रति वर्ष की समग्र उत्पादन क्षमता स्वीकृत करके आयोडिन बनाने सम्बन्धी संयन्त्र स्थापित करने की अनुमति दे दी गई है। सेन्ट्रल साल्ट एण्ड मैराइन कैमिकल्स रिसर्च इन्स्टीट्यूट भावनगर और युनिसेफ, दिल्ली से प्राप्त होने वाली सब प्रकार की तकनीकी जानकारी आयोडिकृत नमक बनाने के सभी इच्छुक व्यक्तियों और उसके लिए अनुमत किए गए व्यक्तियों को निःशुल्क उपलब्ध करायी गई है। 96500 मी० टन प्रति वर्ष की उत्पादन क्षमता वाली 5 पार्टियों ने आयोडिन बनाने संबंधी संयन्त्र चालू कर दिए हैं और कुछेक अन्य पार्टियों ने भी संयन्त्र स्थापित कर लिए हैं तथा कुछ औपचारिकताएं पूरी हो जाने के बाद उन्हें उत्पादन शुरू करने की अनुमति दे दी जाएगी।

फायरमैनों को स्टीम इंजनों को डीजल इंजनों में बदलने का प्रशिक्षण

4382. **श्री जार्ज फर्नान्डीस** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड द्वारा स्टीम इंजनों को डीजल इंजनों में बदलने के लिए फायरमैनों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्तियों को ऐसा प्रशिक्षण दिया जा रहा है ;

(ग) ऐसे प्रशिक्षण का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या आल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन ने दक्षिण रेलवे, तिरुचि के डिवीजनल रेलवे मैनेजर को शिकायत की है कि यह प्रशिक्षण पर्याप्त नहीं है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर दी जायेगी।

मध्य प्रदेश में खादी भवन खोलना

4383. **श्री फूल चन्द वर्मा** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश में खादी और ग्रामोद्योग को अधिक प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से राज्य के लिए कोई विशेष योजना तैयार का है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार, खादी ग्रामोद्योग आयोग के माध्यम से इन्दौर, ग्वालियर, जबलपुर जैसे बड़े शहरों और अन्य पर्यटक केन्द्रों में खादी भवन खोलने का है ;

वाणिज्य, उद्योग तथा पूर्ति विभाग मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (के० वी आई० सी०) एक स्वायत्त शासी संगठन है। इसकी स्थापना खादी तथा ग्रामोद्योग अधिनियम 1956 के अन्तर्गत की गई थी और जिसे सम्पूर्ण देश में खादी और ग्रामोद्योगों के विकास का कार्य सौंपा गया है। इस समय यह आयोग खादी (सूती, ऊनी और रेशमी) तथा खादी और ग्रामोद्योग अधिनियम की अनुसूची में निर्दिष्ट 25 ग्रामोद्योगों के विकास के लिए कार्यक्रमों का आयोजन, गठन और कार्यान्वयन कर रहा है। मध्य प्रदेश राज्य में, आयोग के कार्यक्रय राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों, 29 पंजीकृत संस्थानों तथा 1,477 सहकारी समितियों द्वारा कार्यान्वित किये जाते हैं। इस सामान्य कार्यक्रम के अतिरिक्त खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग का राज्य में चुने खंडों (ब्लाकों) में जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों की सहायता से एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है जिसके लिए 20 जिलों में 48 खंड चुने गए हैं।

(ख) मध्य प्रदेश में 108 खादी ग्रामोद्योग भंडार हैं। खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रमाणित संस्थानों के माध्यम से इन्दौर और ग्वालियर में खादी ग्रामोद्योग भंडार भी चलाये जा रहे हैं। इस समय ग्वालियर, जबलपुर तथा इन्दौर में विभागीय भवन खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा गठित एक खादी ग्रामोद्योग भवन 1964 से भोपाल में चल रहा है और भोपाल में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड कालोनी में इसकी एक शाखा खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

टैनरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन में घाटा

4384. **श्री रामनारायण त्रिपाठी** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टैनरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन, कानपुर को लगातार घाटा हो रहा है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ख) निगम को 1980 से 1984 वर्षवार कितना घाटा हुआ ; और

(ग) सरकारी क्षेत्र में इस उपक्रम को हो रहे घाटे को जनहित में रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

वाणिज्य उद्योग तथा पूर्ति विभाग मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी, हां। गत प्रयोग मशीनरी, कम उत्पादकता और ऋणों पर ब्याज हानियों के प्रमुख कारण हैं।

(ख) निगम को 1980-81 के दौरान 361.32 लाख रु०, 1981-82 के दौरान 441.71 लाख रु०, 1982-83 के दौरान 450.60 लाख रु०, और 1983-84 के दौरान 626.24 लाख रु० (अनन्तिम) की हानि हुई थी।

(ग) आधुनिकीकरण के लिए एक निगमित योजना कार्यान्वित की जा रही है और श्रमिकों की उत्पादकता में सुधार के लिए उत्पादकता से सम्बद्ध कार्यपरक मजदूरी दर प्रणाली को लागू करने का प्रस्ताव है।

विश्व-नौवहन में "ओपन रजिस्ट्री" और "फ्लैग ऑफ कन्वीनिएन्स" प्रणालियों को समाप्त करने हेतु "अंकटाड" सम्मेलन

4385. **डा० बसंत कुमार पंडित** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व नौवहन में नाविकों के संरक्षण के लिए "ओपन रजिस्ट्री" और "फ्लैग आफ कन्वीनिएंस" प्रणालियों को समाप्त करने के लिए "अंकटाड" ने एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया था ;

(ख) यदि हां, तो भारत की ओर से सम्मेलन में भाग लेने वाले दल का विवरण क्या है ;

(ग) इस मामले में भारत सरकार ने क्या सुझाव दिए हैं ;

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) उपरोक्त अंकटाड सम्मेलन में की गई सिफारिशों का पालन करने के लिए सरकार ने क्या निर्णय लिए हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) राष्ट्रीय रजिस्टरों पर जहाजों के पंजीकरण की शर्तों के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय समझौते के एक मसौदे पर विचार करने के लिए अंकटाड ने 16 जुलाई, 1984 से 3 अगस्त, 1984 तक जेनेवा में एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया था।

(ख) भारत द्वारा भेजे गए प्रतिनिधि मण्डल में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल थे :—

(1) श्री एम० दुबे, राजदूत और भारतीय स्थायी मिशन, जनेवा में नेता प्रतिनिधि।

(2) श्री एस० पी० शुक्ल राजदूत और उपस्थायी प्रतिनिधि, भारतीय स्थायी मिशन, जनेवा।

(3) श्री यशवन्त सिन्हा, संयुक्त सचिव, नौवहन और परिवहन मंत्रालय, नई दिल्ली।

(4) श्री एल० एम० एस० राजवार, कार्यकारी निदेशक, भारतीय नौवहन निगम, बम्बई।

(5) श्री पी० सी० जयरमन, प्रथम सचिव, पी० एस० आई० जनेवा

(6) श्री लियो बारनेस, महासचिव, भारत का राष्ट्रीय नाविक संघ, बम्बई।

(ग) और (घ) भारत ने विचार व्यक्त किया है कि ओपन रजिस्ट्री और फ्लैग आफ कन्वीनिएंस की प्रथा को उत्तरोत्तर समाप्त कर दिया जाए, ताकि विकासशील देशों के हितों का समुचित ध्यान रखा जा सके।

(ङ) सम्मेलन में कोई सहमति न हो सकी। इस पर जनवरी-फरवरी 1985 में पुनः विचार-विमर्श किया जाएगा।

नए रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम

4386. **श्री भुवनेश्वर भूयन** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में चालू शिक्षा-वर्ष में कोई नए रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं :

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन पाठ्यक्रमों से कितने विद्यार्थियों को लाभ होगा ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में चालू शैक्षिक वर्ष में इस प्रकार का कोई रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रम आरम्भ नहीं किया गया है। तथापि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने, स्नातकों के लिए रोजगार के अवसरों में सुधार को ध्यान में रखते हुए प्रथम डिग्री स्तर के पाठ्यक्रमों के पुनर्गठन का कार्यक्रम तैयार किया है। शैक्षिक वर्ष 1984-85 से अवर स्नातक पाठ्यक्रमों के पुनर्गठन के सामान्य कार्यक्रम के एक भाग के रूप में, दिल्ली विश्वविद्यालय ने 39 कालेजों में अवर स्नातक स्तर पर 13 नए विषय आरम्भ किए हैं।

(ग) अधिकांश पाठ्यक्रम केवल चालू वर्ष के दौरान आरम्भ किए गए हैं और इन पाठ्यक्रमों से लाभान्वित विद्यार्थियों का मूल्यांकन करने का अभी समय नहीं है।

दोहरी (डबल) तदर्थ पदोन्नति करने पर प्रतिबन्ध

4387. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे कर्मचारियों को दोहरी तदर्थ पदोन्नति करने पर कोई प्रतिबन्ध है ;

(ख) क्या रेलवे बोर्ड द्वारा इस सम्बन्ध में जोनल रेलवे को कोई अनुदेश जारी किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ग) रेल मंत्रालय की यह नीति है कि तदर्थ आधार पर पदोन्नतियों को हतोत्साहित किया जाए। तदनुसार, वर्तमान अनुदेशों में यह शामिल है कि तदर्थ आधार पर पदोन्नतियों के आदेश यदा-कदा ही दिए जाएं। सेवा की तात्कालिकता को देखते हुए, यदि ऐसा करना अपेक्षित हो, तो कुछ दोहरी तदर्थ पदोन्नतियों के आदेश देने पड़ जाते हैं लेकिन इन्हें प्राथमिकता के आधार पर ठीक कर दिये जाने की प्रत्याशा की जाती है।

सियालदाह-लालगोला और हाबड़ा-फरक्का के बीच रेल सम्पर्क

4388. **श्री एम० एम० लारेंस** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बरहामपुर, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल के सिटिबस कन्वेंशन से सयालदाह-लालगोला सेक्शन और हावड़ा-फरक्का सेक्शन के बीच सीधी रेल सम्पर्क की मांग प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त मांग को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है, और

(ग) यदि कोई कदम उठाने का विचार है, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) समय-समय पर विभिन्न स्रोतों से मांगें प्राप्त हुई हैं।

(ख) और (ग) सियालदाह-लालगोला खंड और हाबड़ा-फरक्का खंड को नैहाटी के रास्ते जोड़ती हुई एक रेल सेवा पहले से ही मौजूद है। इन खंडों के बीच यात्रा करने के इच्छुक यात्री नैहाटी पर गाड़ियां बदल कर ऐसा कर सकते हैं। इन खंडों के बीच सीधा रेल सम्पर्क आरम्भ करने के लिए अजीमगंज के इर्द-गिर्द हुगली नदी पर एक नए रेल पुल का निर्माण अन्तर्निहित है, जिसकी लागत बहुत अधिक होगी। संसाधनों की भारी तंगी और पहले से की गयी बहुत अधिक वचनबद्धता को ध्यान में रखते हुए इस पर विचार पर करना सम्भव नहीं हो पाया है।

चन्दन नगर डाउन प्लेटफार्म को चौड़ा किया जाना

4389. **प्रो० रूपचन्द पाल** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चन्दन नगर डाउन प्लेटफार्म को स्टेशन भवन से मौजूदा मुख्य शैड

(हाबड़ा छोर) तक चौड़ा करने और उस पर शैड बनाने की लम्बे समय से चली आ रही मांग की जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त तत्काल आवश्यकता की अपेक्षित जांच के पश्चात् निकट भविष्य में उक्त प्रस्ताव पर विचार करेगी ।

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ग) अतिरिक्त यात्री सुविधाओं, जिनमें प्लेट फार्मों को चौड़ा करना और उन पर छत डालने का काम शामिल है, की व्यवस्था एक निर्धारित कार्यक्रम के आधार पर की जाती हैं जो धन की उपलब्धता और अनेक स्टेशनों की तुलनात्मक आवश्यकताओं पर निर्भर करती हैं। फिलहाल चन्दन-नगर में डाउन प्लेटफार्म को चौड़ा करने और बढ़ाए गये प्लेटफार्म पर छत डालने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

केन्द्रीय विद्यालयों का आंतरिक लेखा-परीक्षा सम्बन्धी निरीक्षण

4390. **श्री त्रिलोक चन्द** : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कार्य के विकेन्द्रीकरण के बाद सरकार द्वारा वित्त-पोषित केन्द्रीय विद्यालयों के आंतरिक लेखा-परीक्षा सम्बन्धी निरीक्षण कार्य में गिरावट आई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) लेखा सम्बन्धी मुख्य कार्यों का विकेन्द्रीकरण किये जाने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप-मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) पिछले कुछ वर्षों में केन्द्रीय विद्यालयों के व्यापक विस्तार को ध्यान में रखते हुए संगठन का समुचित वित्तीय प्रबन्ध करने के लिए अप्रैल 1984 से कुछ प्रमुख लेखों और लेखा परीक्षा सम्बन्धी कार्यों का विकेन्द्रीकरण कर दिया गया है।

देश के पूर्वी और पश्चिमी भागों के बीच नया रेल सम्पर्क

4391. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या रेल मन्त्री यही बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान रेल लाइन पर भीड़भाड़ को समाप्त करने के लिए देश के पूर्वी और पश्चिमी भागों के बीच नया रेल सम्पर्क स्थापित करने का विचार है ;

(ख) यदि हां,-तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उक्त प्रस्तावित नई रेल लाइन पर कार्य कब शुरू होगा ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी नहीं। इस प्रकार की किसी नयी रेल लाइन के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

मैसर्स जैन शुद्ध वनास्पति लिमिटेड को बन्द करना

4392. **श्री जयपाल सिंह कश्यप** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स जैन शुद्ध बनस्पति लिमिटेड गाजियाबाद के मिल मालिकों ने कच्चे माल की सप्लाई न मिलने के कारण कर्मचारियों की छटनी करने और मिल बंद करने की धमकी दी है, यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ; और

(ख) क्या सरकार कर्मचारियों और श्रमिकों को बेरोजगारी से बचाने के लिए मिल के अधिग्रहण पर विचार कर रही है ?

वाणिज्य, उद्योग तथा पूर्ति विभाग मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) और (ख) सरकार को मै० जैन शुद्ध वनस्पति लिमिटेड, गाजियाबाद से एक अनुरोध प्राप्त हुआ है कि कारखाने में कर्मचारियों को बेरोजगार होने के खतरे से बचाने के लिए उन्हें आयातित···तेल दिलाया जाये। सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस मामले में जनहित में जो भी कार्रवाई करना आवश्यक समझा जाएगा उसे किया जायेगा।

मोटर दुर्घटनाओं के दावों के लम्बित मामले

4393. **श्री आर० वाई० घोरपांडे** : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के पास दुर्घटना दावों के कितने मामले निपटान के लिए लम्बित पड़े हैं,

(ख) दिल्ली में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत मुआवजे के कितने मामले तीन वर्ष, दो वर्ष और एक वर्ष से अधिक से लंबित पड़े हैं ;

(ग) इन मामलों के तुरन्त निपदान के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार इन दावों को निपटाने के लिए दिल्ली में जिला और अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों को शक्तियां प्रदान करने का है ; जैसाकि पड़ोसी राज्यों हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में किया गया है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी।

रेलवे सुरक्षा बल के सब इन्स्पैक्टरों और अभियोजन इन्सपैक्टरों के कार्य

4394. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे सुरक्षा बल के अभियोजन सब इन्स्पैक्टरों और अभियोजन इन्स्पैक्टरों के कार्य केन्द्रीय जांच ब्यूरो और दिल्ली पुलिस आदि के लोक अभियोजकों (पब्लिक प्रोसीक्यूटरों) के समान ही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार केन्द्रीय जांच ब्यूरो और दिल्ली पुलिस और केन्द्रीय सरकार के अन्य विभागों को समान पदों के स्तर, पदोन्नति के अवसर और वेतनमान को समान बनाने पर विचार कर रही है ;

(ग) क्या सरकार ने उच्चतम न्यायालय की इस टिप्पणी को ध्यान में रखा है, कि जहां सभी तत्संगत अधिकार समान हो समान पदों वाले व्यक्तियों के साथ उनके वेतन के मामले में केवल इसलिए भिन्न व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए कि वे विभिन्न विभागों से सम्बद्ध है, सरकार ने ध्यान में रखा है ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) रेलवे सुरक्षा बल विभाग के अभियोजन सब इन्स्पैक्टर और अभियोजन इन्स्पैक्टर केन्द्रीय जांच ब्यूरो और दिल्ली पुलिस के लोक अभियोजक, जो उन मामलों में राज्य का प्रतिनिधि होते हैं जिन्हें वे न्यायालयों में प्रस्तुत करते हैं, के समान होते हैं परन्तु गुणवत्ता की दृष्टि से उनके कार्य समान नहीं होते। रेलवे सुरक्षा बल के अभियोजकों का कार्य, रेल सम्पत्ति (विधिविरुद्ध कब्जा) अधिनियम के अन्तर्गत उन मामलों पप जहां संपत्ति कानूनी रूप से अभियुक्त के कब्जे में रहती है, पर मुकद्दमा चलाना होता है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो और दिल्ली पुलिस के अभियोजकों को विभिन्न प्रकार के मामलों, जिसमें न केवल भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत बल्कि दूसरे विशेष और स्थानीय कानूनों के मामलों, का निपटान करना पड़ता है और इस तरह उनके पास कानूनों के विस्तृत विशिष्ट और सुविज्ञता वाले अनेक प्रकार के मामले होते हैं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

दिल्ली के अस्पतालों को डायापुल्स की सप्लाई

4395. **डा० सरदीश राय** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल तथा दिल्ली के कुछ अन्य अस्पतालों ने स्वास्थ्य निदेशालय के माध्यम से इन्टरनेशनल सेल्स कारपोरेशन न्यूयार्क से "डायापुल्स" की सप्लाई के लिए आदेश दिए हैं ;

(ख) यदि हां, तो ये मशीनें कब तक सप्लाई किए जाने और लगाए जाने (अनस्टाल्ड) की सम्भावना है ; और

(ग) यदि कोई विलम्ब है तो इस प्रकार के विलम्ब के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) दिल्ली के किसी भी केन्द्रीय सरकारी अस्पताल ने इंटरनेशनल सेल्स कारपोरेशन, न्यूयार्क से "डायापुल्स" की सप्लाई के लिए आर्डर नहीं दिए हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

अम्बरनाथ में सड़क ऊपरिपुल

4396. **श्री जगन्नाथ पाटिल** : क्या रेल मन्त्री अम्बरनाथ में सड़क उपरिपुल के बारे में 22 मार्च, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4220 के भाग (ब) और (ङ) के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकार ने अंतिम स्वीकृति प्रदान कर दी है ; और

(ख) अम्बरनाथ में पुल के लिए संशोधित योजनाओं को जल्दी से स्वीकृति देने के लिए रेलवे द्वारा निगम आयुक्त, कल्याण और राज्य सरकार से की गई बातचीत के क्या परिणाम निकले ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी नहीं।

(ख) आयुक्त, नगर निगम कल्याण ने अम्बरनाथ में बनाए जाने वाले प्रस्तावित ऊपरी सड़क पुल के पहुंच-मार्गों के संशोधित खाकों तथा आकलनों पर राज्य सरकार की स्वीकृति अभी तक नहीं भेजी हैं।

दिल्ली में केन्द्रीय विद्यालयों में हरिजन आदिवासियों के बच्चों के लिए आरक्षण

4397. **श्री सोमजीभाई डामोर** : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में केन्द्रीय विद्यालयों में हरिजन आदिवासियों के बच्चों के लिए आरक्षण हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितने बच्चों ने प्रवेश हेतु आवेदन किया और उनमें से को कितने बच्चों प्रवेश मिला ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस प्रकार के आरक्षण की व्यवस्था करने पर विचार कर रही है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नही उठता ।

(ग) जी, नहीं । तथापि, प्रत्येक केन्द्रीय विद्यालय (सेन्ट्रल स्कूल) में कक्षा 1 में नये दाखिलों का 15% तथा 7-1/2% स्थान क्रमश: स्थानान्तरणीय कर्मचारियों के बच्चों ओर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूसिचत जनजातियों से सम्बन्धित अन्य प्राथमिकता प्राप्त वर्गों के बच्चों के लिए आरक्षित होते हैं ।

केरल के पालघाट जिले को पिछड़ा जिला घोषित करना

4398. **श्री वी० एस० विजय राघवन** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का किसी जिले को औद्योगिक रूप से पिछड़ा घोषित करने के मानदण्डों की पुनरीक्षा करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या केरल के पालघाट जिले की औद्योगिक रूप से पिछड़ा जिला घोषित किया जाएगा ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या है ?

वाणिज्य, उद्योग तथा पूर्ति विभाग मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) तथा (घ) पालघाट को पिछड़ा हुआ घोषित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

श्री अयोध्या में टर्मीनल सुविधाएं

4399. **श्री जयराम वर्मा** : क्या रेल मन्त्री अवध एक्सप्रैस को फैजाबाद तक चलाये जाने के बारे में 2 अगस्त, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1640 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भगवान राम के जन्म स्थान श्री अयोध्या और फैजाबाद से गुजरने वाली लाइन की क्षमता में वृद्धि करने के लिए प्रबन्ध किए जाएंगे और वहां से चलने वाली तथा वहां पहुंचने वाली अतिरिक्त गाड़ियों का प्रबन्ध करने के लिए पर्याप्त टर्मीनल सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी जिससे कि भविष्य में वहां से गाड़ियों को चलाने में कोई कठिनाई न हो ; और

(ख) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या करण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) इस तथ्य को देखते हुए कि क्षेत्र के यात्रियों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए फैजाबाद और लखनऊ के बीच 8 जोड़ी सवारी गाड़ियां पहले से ही चल रही हैं, और रेलों के पास धन की भारी तंगी है, इसलिए अयोध्या और फैजाबाद

से होकर गुजरने वाले मार्ग की क्षमता बढ़ाने अथवा इन स्टेशनों पर और अधिक गाड़ियों को सम्हालने के लिए अतिरिक्त टर्मिनल सुविधाओं की व्यवस्था करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

शाहजहांपुर क्षेत्र में रेलवे का विकास

4400. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मंत्रालय को शाहजहांपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (उत्तर प्रदेश) में रेल विकास सम्बन्धी अनेक सुझाव प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) शाहजहांपुर में रेल सुविधाओं में सुधार के सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। जिनमें अनेक सुझाव दिए गए हैं। जो सुझाव व्यावहारिक और औचित्यपूर्ण पाए गए उन्हें स्वीकार कर लिया गया है कि जबकि अन्य सुझावों के लिए अतिरिक्त संसाधनों के उपलब्ध होने तक प्रतीक्षा करनी होगी या मौजूदा सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया। कुछ सुझाव नीचे दिए गए हैं :—

1. **रोजा जंक्शन के प्लेटफार्मों पर टिन शेडों की व्यवस्था** : रोजा जंक्शन के प्लेटफार्मों पर छत की व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया है।

2. **शाहजहांपुर से देहरादून और विलोमत आरक्षण कोटे में वृद्धि करना** : 1-6-1984 से 65 अप में दूसरे दर्जे की एक शायिका के कोटे को बढ़ाकर 2 शायिका कर दिया गया है और 1-6-84 से 9 अप लखनऊ देहरादून कोच में पहले दर्जे की 2 शायिकाओं के कोटे की भी व्यवस्था कर दी गयी है।

3. **147/148 बरेली एक्सप्रेस को रोजा जंक्शन तक चलाना** : परिचालनिक कारणों से इसे व्यवहारिक नहीं पाया गया है।

4. **अलीगढ़ और शाहजहांपुर के बीच एक सीधी गाड़ी चलाना** : यातायात की कमी के कारण इसे औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया।

उत्तर रेलवे में रेलगाड़ी परीक्षकों की पदोन्नति के लिए 40 सूत्री रोस्टर का कार्यान्वयन

4401. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित रेलगाड़ी परीक्षकों के कर्मचारियों की पदोन्नति के मामले में 40 सूत्री रोस्टर पर कार्यान्वयन हुआ है ;

(ख) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) ग्रेड-बार तथा डिवीजन-बार रेलगाड़ी परीक्षकों की कुल संख्या कितनी है तथा उनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के व्यक्तियों की संख्या कितनी है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) एक विवरण संलग्न है ।

दक्षिण दिल्ली की शिक्षण संस्थाओं द्वारा छात्रों के साथ धोखा

4402. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सरकार के ध्यान में लाई गई है कि दक्षिण दिल्ली में विश्वविद्यालय से कोई कानूनी अथवा सरकारी स्वीकृति लिए बिना दिल्ली विश्वविद्यालय महाविद्यालय के नाम से शिक्षा व्यापार संस्थाएं चलाई जा रही हैं और सैकड़ों भोले-भाले छात्रों से हजारों रुपये की धोखाधड़ी की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की है और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) (क) और (ख) दिल्ली विश्वविद्यालय के अनुसार दिल्ली विश्वविद्यालय दक्षिण परिसर कालेजों के तत्वावधान में कोई शिक्षण दुकानें नहीं चलाई जा रही हैं। तथापि, विश्वविद्यालय के कालेज स्व वित्त पोषण के आधार पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम/रोजगार उन्मुख कार्यक्रम चला रहे हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

आसनसोल और धनबाद डिवीजन में भवनों/मकानों से प्राप्त राजस्व

4403. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसनसोल और धनबाद मण्डल में वर्ष 1982 से 1984 तक पृथक-पृथक कितने भवन/मकान बनाए गए हैं ;

(ख) रेलवे को इन भवन और आवास गृहों से प्रति मास कितना राजस्व मिलता है ;

(ग) क्या इन भवनों की सफाई के लिए सफाई कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं ; और

(घ) यदि नहीं तो क्या सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए सफाई कर्मचारी शीघ्र ही नियुक्त किए जायेंगे ?

विवरण																	
मण्डल का नाम	ग्रेड	कर्मचारी संख्या	अनु० जाति	अनु० ज०जा०	ग्रेड	कर्मचारी संख्या	अनु० जाति	अनु० ज०जा०	ग्रेड	कर्मचारी संख्या	अनु० जाति	अनु० ज०जा	ग्रेड	कर्मचारी संख्या	अनु० जाति	अनु० ज०जा०
इलाहबाद	840-1040	3	1	—	700-900	32	3	—	550-750	75	12	—	425-700	140	13	—
फिरोजपुर	,,	2	—	—	,,	17	—	—	,,	41	6	—	,,	84	—	—
बीकानेर	,,	2	1	—	,,	16	2	—	,,	36	4	—	,,	68	13	—
दिल्ली	,,	5	—	—	,,	46	3	—	,,	105	14	—	,,	197	19	—
मुरादाबाद	,,	2	—	—	,,	17	1	2	,,	46	—	—	,,	73	5	—
लखनऊ	,,	2	—	—	,,	21	3	—	,,	49	9	—	,,	85	4	—
जोधपुर	,,	—	—	—	,,	7	2	—	,,	17	2	—	,,	34	2	—
प्रधानकार्यालय	,,	2	—	—	,,	8	1	—	,,	—	—	—	,,	—	—	—
		18	2	—		64	15	1		369	47	—		681	56	—

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) 1982-83 और 1983-84 के दौरान आसनसोल और धनबाद मण्डलों में बनाए गए मकानों की सं० इस प्रकार है :—

	आसनसोल मण्डल	धनबाद मण्डल
1982-83	62	93
1983-84	32	18

1982-84 के दौरान आसनसोल मण्डल में निम्नलिखित सेवा भवनों का भी निर्माण किया गया है :—

1. नेडाल—रेलवे अस्पताल में अतिरिक्त ओ० पी० डी० ब्लाक की व्यवस्था।
2. वराकर—मरम्मत लाइन पर अतिरिक्त जगह की व्यवस्था।
3. दुर्गापुर—(i) गोदाम सुविधाओं के साथ पार्सल कार्यालय का विस्तार।
   (ii) राजकीय रेलवे पुलिस के लिए 24 विस्तर वाले बैरक की व्यवस्था।
4. रानीगंज—राजकीय रेलवे पुलिस के लिए 24 विस्तर वाले बैरक की व्यवस्था।

(ख) आवासीय भवनों से किराए के रूप में 8146.00 रुपए प्रतिमाह। सेवा भवनों से कोई राजस्व प्राप्त नहीं होता।

(ग) और(घ) इन सभी परिसम्पत्तियों के लिए कोई अतिरिक्त सफाई वाले नियुक्त नहीं किए गए हैं क्योंकि इसके लिए कर्मचारियों की मौजूदा संख्या पर्याप्त पायी गयी है।

"बच्चों की चोरी और तस्करी का धन्धा" शीर्षक से समाचार

4404. **श्री छोटे सिंह यादव :**

श्री मंगल राम प्रेमी :

क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 जुलाई, 1984 के "हिन्दुस्तान" में "बच्चों की चोरी और तस्करी का धन्धा" शीर्षक प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है और यदि हां तो वर्ष 1983-84 और 1984-85 में 31 जुलाई तक की अवधि में राज्य-वार कितने बच्चों की चोरी और तस्करी की गई और कितने बच्चे मिल गए और कितने अभी भी लापता हैं और इस सम्बन्ध में कितने व्यक्तियों के विरुद्ध न्यायालय में मामले लम्बित पड़े हैं,

(ख) इस कार्य पर वार्षिक खर्च कितना होता है और इस अपराध में कितने व्यक्ति इस समय सजा भुगत रहे हैं ; और

(ग) बच्चों के अपहरण, चोरी और तस्करी को रोकने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं और तत्सम्बन्धी पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ग) जी, हां। सभी राज्यों/संघ राज्य प्रदेशों से सूचना एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होने पर सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

औपचारिक शिक्षा के लिए केन्द्रीय सहायता

4405. **श्री जेवियर अराकल** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार का विचार देश में व्यापक सार्वजनिक आधार पर शिक्षा के विकास में मदद देने हेतु औपचारिक शिक्षा पर राज्यों के साथ 50 प्रतिशत व्यय बांट लेने का है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : जी, नहीं।

अलिम्को में अनधिकृत तालाबन्दी

4406. **श्री मोहम्मद इस्माइल** : क्या **समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समाज कल्याण मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र उपक्रम अलिम्कों कानपुर-16 में 16 मार्च, 1983 से 2 अप्रैल, 1983 तक तालाबन्दी के कारण क्या थे ; और

(ख) सरकार और उपक्रम में एकमात्र "अलिम्को" वर्कर्स यूनियन, (मान्यता प्राप्त) यूनियन, द्वारा दिए गए सुझावों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) अलिम्को प्रबन्ध ने जिन परिस्थितियों में 16 मार्च, 1983 से तालाबन्दी घोषित की वे निम्नलिखित थीं :—

(1) नवम्बर, 1982 से मार्च, 1983 तक की अवधि के दौरान वर्ष 1981-82 के लिए बोनस की अदायगी के लिए कर्मचारियों द्वारा हिंसक प्रदर्शन, जो स्वीकार्य नहीं थी।

(2) कर्मचारी 14 मार्च और 15 मार्च, 1983 को गैर-कानूनी हड़ताल पर रहे।

(3) अलिम्को कर्मचारी यूनियन के सदस्यों द्वारा 14 मार्च, 1983 को फैक्ट्री परिसर में एक अपंग कर्मचारी पर आक्रमण।

(4) अलिम्को कर्मचारी यूनियन के सदस्यों द्वारा निगम के एक अधिकारी पर फैक्ट्री से घर जाते समय आक्रमण।

(ख) बोनस की मांग के कारण तालाबन्दी घोषित की गई। जिस समझौते के अन्तर्गत तालाबन्दी समाप्त की गई थी उसमें अलिम्को कर्मचारी यूनियन का कोई सुझाव सम्मिलित नहीं था जिस पर सरकार द्वारा कार्यवाही की जानी अपेक्षित थी।

कूच बिहार पैलेस

4407. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कूच-बिहार पैलेस को सरकार ने अपने हाथ में ले लिया था ; और

(ख) तब से लेकर आज तक इस पैलेस की किस हद तक मरम्मत की गई है और इस कार्य के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा सामाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री के० पी० थुंगन) : (क) और (ख) कूच-बिहार पैलेस को 20 मार्च, 1982 को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया था। क्योंकि पैलेस निजी स्वामित्व में है अत: इसके अनुरक्षण को हाथ में लेने के लिए प्राचीन संस्मारक और पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके स्वामी के साथ एक करार निष्पादित करना आवश्यक है जो अभी तक नहीं किया गया है। बागवानी कार्यों सहित मरम्मत के लिए केवल 57000 रुपए (सतावन हजार रुपए) की राशि आबंटित की गई है।

बाड़मेर रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण

4408. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के उन विभिन्न रेलवे जोनों के नाम क्या हैं जिनका पिछले चार वर्षों के दौरान आधुनिकीकरण किया गया है और जिनमें पर्याप्त सुधार किया गया है और उनमें से प्रत्येक पर जोन-बार कितनी धनराशि खर्च की गई है ;

(ख) क्या यह सच है कि सीमान्त जिले बाड़मेर के मुख्यालय बाड़मेर शहर में पचास वर्ष पुराने रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण और पर्याप्त मरम्मत और सुधार की आवश्यकता है ;

(ग) क्या सरकार का विचार बाड़मेर रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण कार्य शुरू करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो इस कार्य में कितना समय लगाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) से (ग) जी नहीं, वर्तमान इमारत सुदृढ़ दशा में है और यातायात के वर्तमान स्तर के लिए पर्याप्त सुविधायें मौजूद हैं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

आदिवासी क्षेत्र में शराब की दुकानें बन्द करने के कारण राजस्व हानि को बांटना

4409. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों ने केन्द्रीय सरकार से आदिवासी क्षेत्रों में शराब की दुकान बन्द करने के

कारण हुई राजस्व हानि को बांटने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय को शराब की दुकानों से राज्यवार कुल कितने वार्षिक राजस्व की जानकारी दी गई है और यदि इन दुकानों को पूरी तरह बन्द किया जाए तो उससे कितनी हानि की सम्भावना है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के थुंगन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सातवीं योजना के दौरान परिवार नियोजन और बाल विकास के लिए कार्यक्रम और परियोजनाएं

4410. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवार नियोजन और बाल विकास के लिए सातवीं योजना में कौन-कौन से मुख्य कार्यक्रम और परियोजनाएं तैयार की गई हैं, और

(ख) क्या इस समय देश में चल रहे परिवार नियोजन और बाल विकास सेवा कार्यक्रमों के लिए किसी अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसी और विदेशी सरकार ने सहायता दी है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप-मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय और द्विपक्षी एजेंसियां क्षेत्रीय परियोजनाओं, प्रसवोत्तर कार्यक्रम गर्भ-निरोधक सामग्री, जनसंख्या शिक्षा, विस्तरित रोग-प्रतिक्षण कार्यक्रम, एकीकृति बाल विकास सेवाओं आदि जैसी परिवार नियोजन और बाल-विकास योजनाओं के लिए नगद और सामग्री के रूप में सहायता दे रही हैं।

उद्योगों में आग को रोकने के लिए उपाय

4411. **श्री राम लाल राही** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऐसे उपाय सुझाने के लिए किसी समिति की नियुक्ति की है कि मझोले, भारी और विस्फोटक उद्योगों में आग न लगने पाए अथवा यदि लग भी जाए तो उस पर तुरन्त काबू पाया जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो इस समिति ने क्या सिफारिशें की हैं और उनमें से कितनी सिफारशों को लागू किया जा रहा है और तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य उद्योग तथा पूर्ति विभाग मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं। किन्तु विस्फोटक सामग्री अधिनियम तथा विस्फोटक सामग्री नियमावली के अधीन लाइसेंस धारकों के लिए यह अनिवार्य है कि वे मध्यम तथा भारी विस्फोटक सामग्री उद्योगों में अग्नि से बचाव और नियंत्रण के लिए विनिर्दिष्ट अभ्युपाय करें।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के संयंत्र एवं कार्यशाला की स्थापना

4412. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से राज्य में पूर्वी क्षेत्र के सभी दस राज्यों के लिए टर्बाइनों, बायलरों, ट्रांसफार्मरों, मोटरों और फालतू पुर्जों के निर्माण के लिए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि० की संयुक्त क्षेत्रीय संयंत्र कार्यशाला स्थापित करने के लिए कहा है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य, उद्योग तथा पूर्ति विभाग मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

(ख) भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों का प्रबन्ध

4413. **डा० कृपा सिंधु भोइ** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि देश में अनेक ऐसे सरकारी डाक्टर उपलब्ध हैं जिन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्वास्थ्य सेवा प्रशासन (हैल्थ केयर एज मिनिस्ट्रेशन) मास्टर आफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की परीक्षा उत्तीर्ण की है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार अस्पतालों और अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में बेहतर प्रबन्ध की व्यवस्था करने के लिए उनकी विशेषज्ञता का सदुपयोग करने हेतु क्या कार्यवाही करने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मंत्री (कु०कुमुद बेन एम०जोशी) : (क) दिल्ली विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार से मिली सूचना के अनुसार विश्वविद्यालय की फैकल्टी आफ मैनेजमेंट स्टडीज शैक्षिक वर्ष 1973-74 से मास्टर आफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (हैल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन) (अंशकालिक) कोर्स आयोजित करता चला आ रहा है। मास्टर आफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (अंशकालिक) (हैल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन) कोर्स में हर वर्ष 10 छात्रों को दाखिला दिया जाता है। वर्ष 1979 से 1984 तक मास्टर आफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (अंशकालिक) हैल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स में उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या 34 है।

(ख) जिन सरकारी डाक्टरों ने यह कोर्स कर रखा है, वे इससे प्राप्त अपनी विशिष्ट योग्यता का उपयोग अपने कार्य में करेंगे।

सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों के लिए आशय-पत्र जारी करना

4414. **श्री शान्तु भाई पटेल :** क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार ने पिछले चार वर्षों के दौरान सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र में प्रत्येक राज्य में कितने आशय-पत्र जारी किए हैं ;

(ख) उनमें से जून, 1984 तक किन मामलों में राज्य-वार और क्षेत्र-वार कितने उद्योग स्थापित किए गए ; और

(ग) अभी तक कितने उद्योग स्थापित नहीं किए गए हैं और इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य, उद्योग तथा पूर्ति विभाग मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) आशय-पत्र एक वर्ष की आरम्भिक वैधता अवधि के लिए स्वीकृत किया जाता है और उसके बाद पर्याप्त औचित्य के आधार पर आशयपत्र के लिए छः-छः महीने का और समय बढ़ाने की 2 बार अनुमति दी जा सकती है। आशयपत्र की शर्तें उद्यमी द्वारा पूरी कर दिए जाने के बाद इसे औद्योगिक लाइसेन्स में बदल दिया जाता है। औद्योगिक लाइसेन्स की आरम्भिक वैधता अवधि 2 वर्ष होती है और बाद में एक-एक वर्ष का समय बढ़ाने के लिए 2 बार अनुमति दी जाती है। औद्योगिक परियोजना के फलीभूत होने में सामान्यतः लगभग 3 से 4 वर्ष लग जाते हैं। किन्तु, पनपने की अवधि हर उद्योग में अलग-अलग होती है। वर्ष 1980 से 1983 में जारी किए गए 3960 आशयपत्रों में से 1177 आशयपत्र अब औद्योगिक लाइसेन्सों में बदल गए हैं और अन्य 461 आशयपत्र व्ययगत/रद्द समझे गए हैं। शेष आशय-पत्र इस समय कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में होंगे।

विवरण

वर्ष 1980 से 1983 के दौरान सरकारी और गैर-सरकारी दोनों ही क्षेत्रों के लिए जारी किए गए आशय-पत्रों का राज्य-वार ब्यौरा

क्र०सं०	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	जारी किए गए आशय-पत्र			
		1980	1981	1982	1983
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	78	68	66	79
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	1	1	7
3.	असम	2	7	5	3

1 2	3	4	5	6
4. बिहार	19	17	22	30
5. चण्डीगढ़	—	1	4	1
6. दादरा और नगर हवेली	—	—	4	3
7. दिल्ली	2	9	9	8
8. गोवा, दमन और दीव	9	8	9	12
9. गुजरात	148	131	121	116
10. हिमाचल प्रदेश	11	15	15	20
11. हरियाणा	59	59	66	68
12. जम्मू और कश्मीर	12	8	8	17
13. कर्नाटक	73	58	85	74
14. केरल	22	25	29	35
15. मध्य प्रदेश	47	30	63	54
16. महाराष्ट्र	175	144	148	155
17. मणिपुर	—	—	—	1
18. मेघालय	—	11	4	4
19. नागालैंड	—	6	1	3
20. उड़ीसा	14	32	43	25
21. पांडिचेरी	1	3	2	10
22. पंजाब	38	46	39	45
23. राजस्थान	45	42	55	34
24. सिक्किम	—	—	1	—

1	2	3	4	5	6
25.	तमिलनाडु	52	69	66	68
26.	त्रिपुरा	—	—	—	1
27.	उत्तर प्रदेश	80	77	111	128
28.	पश्चिम बंगाल	55	43	37	45
29.	निर्दिष्ट न किए गए राज्य/ एक से अधिक राज्य	4	6	29	9
	योग :	946	916	1043	1055

जोगीछोपा, आसाम स्थित अशोक पेपर मिल को बन्द करना

4415. **श्री विष्णु प्रसाद** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि असम, जोगीछोपा स्थित अशोक पेपर मिल बन्द होने वाली है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य, उद्योग तथा पूर्ति विभाग मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) जी, हां। अशोक मिल्स, जोगीछोपा वित्तीय समस्याओं तथा परिचालन सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण बन्द पड़ी है। राज्य सरकार/वित्तीय संस्थान इस मिल को पुनः चलाने के लिए तरीके खोज रहे हैं।

पत्तनों की कार्यक्षमता बढ़ाने और उनके विकास हेतु प्रशासनिक सुधार

4416. **श्रीमती संयोगिता राने** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में पत्तनों की कार्यक्षमता बढ़ाने और विकास हेतु आयोजना के लिए एक प्रशासनिक सुधार समिति गठित की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) महापत्तनों के प्रशासन को अधिक कार्य कुशल और परिणामपरक बनाने के उद्देश्य से उनकी प्रशासनिक प्रणालियों और पद्धतियों की व्यापक समीक्षा के लिए एक महापत्तन सुधार समिति गठित की गई है।

समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं :—

(i) देश में महापत्तनों के प्रशासन को प्रशासित करनेवाले वर्तमान कानूनी, ढांचे, सरकार द्वारा महापत्तनों को जारी किए गए अनुदेशों/मार्गसंकेतों, उनके प्रशासनिक तथा परिचालन (कारगो हैंडलिंग सहित) सिस्टमों, श्रमिक उत्पादकता और प्रोत्साहन, वित्तीय प्रबन्ध तथा कार्य-निष्पादन की जांच करना ; और

(ii) निम्नलिखित मुद्दों पर उपयुक्त सुझाव देना :—

(क) पत्तनों के समन्वित तथा सहयोगी विकास और कार्यकरण उपलब्ध कराने के लिए अपेक्षित संवैधानिक, संगठनात्मक और प्रशासनिक पुनर्गठन करना ;

(ख) पत्तन क्षेत्र धन की व्यवस्था और जुटाए गए किसी धन के निवेश के लिए अपनाई जाने वाली नीति ;

(ग) संसाधनों के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करने के मुद्दे को दृष्टिगत रखते हुए जनशक्ति, उपकरण आदि का अंतरपत्तन स्थानांतरण ;

(घ) कारगो हैंडलिंग उपकरणों और अन्य सेवाओं को आधुनिक बनाना ;

(ङ) पत्तन परिचालन तथा पत्तन लागत और कीमत निश्चित करना।

(च) व्यावसायिकता को बढ़ावा देने और पत्तन प्रबन्ध में तकनीक विशेषज्ञता को प्रोत्साहित करने के लिए अपेक्षित संस्थागत व्यवस्था और निवेश ;

(छ) सकल ढुलाई प्रणाली की अन्य उप-प्रणाली के साथ-साथ पत्तन सेवा का विकास और इसका इन्फास्ट्रक्चर।

समिति में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल हैं :—

अध्यक्ष : श्री डी०डी० साठे

सदस्य : श्री आर० बालासुब्रह्मण्यन्

श्री एम०आर० स्रोफ

श्री हितेन भाया

श्री बी०के० राव, महानिदेशक (नौवहन)

श्री के०के० उप्पल, अध्यक्ष, बम्बई पोर्ट ट्रस्ट

श्री बी०सी० दत्त, अध्यक्ष, कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट

श्री आर० परमेश्वर, अपर सचिव (प्रशासनिक सुधार) गृह मन्त्रालय

वाइस एडमिरल एम० के० राय, फ्लैग आफिसर, कमांडिंग-इन-चीफ ईस्टर्न नवल कमांड

वित्तीय सलाहकार, नौवहन और परिवहन मन्त्रालय

संयुक्त सचिव (पत्तन) नौवहन और परिवहन मन्त्रालय

सदस्य सचिव : श्री एच० एन० फोटेदार, प्रबन्ध निदेशक, भारतीय पत्तन संगठन

समिति को आशा है कि वह अपनी रिपोर्ट एक वर्ष के अन्दर जमा करा देगी।

विशाखापत्तनम में ड्रेजर से सेकेण्ड इन्जीनियर का गायब होना

4417. **श्री रघुनाथ सिंह वर्मा** : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ड्रेजिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया, विशाखापत्तनम से सम्बद्ध ड्रेजर में काम करने वाला एक सेकेण्ड इन्जीनियर 15 जुलाई, 1984 से रहस्यमय परिस्थितियों में गायब है ;

(ख) क्या प्रबन्धकों ने मामले की पुलिस को सूचना दी है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(घ) यदि नहीं, तो पुलिस को सूचित न करने के कारण क्या हैं ;

(ङ) सेकेण्ड इन्जीनियर के शव को ढूंढने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं ; और

(च) क्या सरकार का सेकेण्ड इन्जीनियर के गायब हो जाने के रहस्य की केन्द्रीय जांच ब्यूरो से जांच कराने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (घ) सेकेण्ड इन्जीनियर श्री एक्स० एस० गोन्सालम्बस ड्रेजिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया ड्रेजर IX से विशाखापत्तनम से 14-7-84 से लापता हो गए। इस सूचना के मिलने पर तत्काल पुलिस में शिकायत दर्ज की गई और इस मामले की जांच की जा रही है।

(ङ) पुलिस को इत्तिला देने के अलावा ड्रेजिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया द्वारा समुद्र और जहाज पर छानबीन की गई। विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट के हारबर मास्टर और पूर्वी नौसैनिक क्षेत्र के कमांडिंग-इन-चीफ से अनुरोध किया गया कि वे गुमशुदा व्यक्ति के बारे में तटवर्ती क्षेत्र में कड़ी निगरानी रखें। ड्रेजिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया के अनुरोध पर नौसैनिक प्राधिकारियों द्वारा भी

हेलीकॉप्टर से इस क्षेत्र में खोजबीन की गई। इनका पता लगाने के लिए इनके सगे-सम्बन्धियों को सभी सहायता उपलब्ध कराई गई।

(च) जी, नहीं।

निर्यातोन्मुखी उद्योगों के लिए औद्योगिक जोन

4418. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अत्यधिक मुनाफे वाले निर्यातोन्मुखी उद्योगों के उत्पादन के लिए देश में सम्भावित निर्यात सुविधाओं वाले स्थानों पर औद्योगिक जोन स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के ढांचे के लिए किन-किन उद्योगों पर विचार किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उन मौजूदा उद्योगों को प्रोत्साहन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं जो अच्छा मुनाफा कमाते रहे हैं लेकिन जिन्होंने अपना उत्पादन बढ़ाना बन्द कर दिया है और सरकार की चेतावनी अथवा लाइसेंस वापस लेने के नोटिस के बावजूद जो अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर रहे हैं ; और

(घ) यदि इस सम्बन्ध में कोई कदम उठाए गए हैं, तो उनका क्या ब्यौरा है ?

वाणिज्य उद्योग तथा पूर्ति विभाग मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) और (ख) कांडला और शान्ताक्रुज में विद्यमान निर्यात (जोन) क्षेत्रों के अलावा मद्रास, कोचीन नाइडा और फाल्टा (पश्चिम बंगाल) में चार नए निर्यात प्रोसेसिंग जोनों की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त उपयुक्त स्थानों पर शत प्रतिशत निर्यातोन्मुखी एककोंकी स्थापना करने के लिए अनेक योजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

(ग) और (घ) विद्यमान उद्योगों का उत्पादन और उपयोग क्षमता बढ़ाने के लिए भी अनेक उपाय किए गए हैं। उनमें से कुछ निम्न प्रकार हैं :—

(क) अधिक उत्पादन को प्रोत्साहन देने हेतु सीमेंट का आंशिक विनियन्त्रण ;

(ख) मांग और उत्पादन बढ़ाने के लिए कागज तथा रेफ्रीजरेटरों जैसे अनेक औद्योगिक उत्पादों के बारे में कर और उत्पादन शुल्क सम्बन्धी वसूलियों का पुनःनिर्धारण ;

(ग) अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने एवं लागत कम करने के लिए विद्यमान एककों को प्रेरित करने हेतु प्रतियोगिता और नई प्रौद्योगिकी को लागू करना ;

(घ) लाइसेंस देने सम्बन्धी प्रक्रियाओं को उदार बनाकर आधुनिकीकरण को प्रोत्साहन देना तथा वित्तीय संस्थाओं से आसान ऋणों के जरिए ऐसी योजनाओं के लिए धन-राशि की व्यवस्था करना ;

(ङ) कुछ विशिष्ट उद्योगों के लिये लाइसेंसीकृत क्षमता से अधिक अधिष्ठापित क्षमता को नियमित करना ;

(च) लघु एककों को संरक्षण देते हुए पिछले पांच वर्षों में से किसी भी एक वर्ष के दौरान हुए अधिकतम उत्पादन के अनुसार क्षमताओं का पुन: पृष्ठांकन करना ; और

(छ) निर्यात हेतु उत्पादन को लाइसेंसीकरण की अनिवार्यता से मुक्त रखना।

अनेमी पोत चालकों पर कार्यदल की सिफारिशें

4419. **श्री एस० ए० दोराइ सेवस्तियन :** क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनेमी पोत चालकों पर कार्यदल की मुख्य सिफारिशें क्या हैं, और

(ख) उन पर क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) ट्रैंप आपरेटरों पर कार्यदल (पद्मनाभन समिति) ने निम्नलिखित दो मुख्य सिफारिशें की थीं :—

(1) नौवहन/स्टीमर एजेंटों के क्रियाकलापों पर नियन्त्रण रखने के उद्देश्य से उसे नौवहन महानिदेशालय के माध्यम से या उसके द्वारा अधिकृत प्राधिकरणों के माध्यम से लाइसेंस दिया जाना।

(2) स्टीमर एजेंटों, नाविकों, फ्रेट फारवर्डर्स आदि के और हमारे विदेश व्यापार में पोत-मालिकों/चार्टर्स आचरण में सतत निगरानी रखने के लिए बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और कोचीन चार महापत्तनों में नौवहन महानिदेशालय, पत्तन न्यास, आयकर, रिजर्व बैंक आफ इण्डिया, वाणिज्य मन्त्रालय, सीमा शुल्क और सामान्य बीमा निगम के प्रतिनिधियों की एक स्थायी समिति का गठन करना।

(ख) कार्यदल की उपरोक्त सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है और नौवहन/स्टीमर एजेंटों को लाइसेंस देने के बारे में सिद्धांत रूप से निर्णय कर लिया गया है। कार्यदल की सिफारिशों के अनुसार 5-1-1983 को बम्बई, कलकता, मद्रास और कोचीन में स्थायी समिति का गठन कर दिया गया है।

आदिवासियों का शैक्षिक विकास

4420. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आदिवासियों के शैक्षिक विकास में धीमी प्रगति के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या विभिन्न राज्यों में स्कूलों और कालेजों में पढ़ाई छोड़कर चले जाने वाले आदिवासी छात्रों की संख्या अभी भी बहुत अधिक है ;

(ग) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं ;

(घ) आदिवासी छात्रों द्वारा बड़े पैमाने पर शैक्षिक संस्थान विशेषकर स्कूल छोड़ने को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ; और

(ङ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों की राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जन-जातियों के शैक्षिक विकास में धीमी प्रगति का मुख्य कारण उनका सामाजार्थिक पिछड़ापन और वन तथा पर्वतीय क्षेत्रों में उनकी जन-संख्या के केन्द्रीयकरण के कारण भौगोलिक अलगाव है।

(ख) जी, हां।

(ग) जन-जातीय छात्रों में बड़े पैमाने पर स्कूल छोड़ने की दरों के मुख्य कारणों में पारिवारिक आय की प्रतिपूर्ति सम्बन्धी क्रियाकलापों में बच्चों को लगाना, शिक्षा के प्रति अनपढ़ जनजातीय अभिभावकों की उदासीनता और क्षेत्रीय इलाकों में काम करने के लिए पर्याप्त संख्या में अध्यापकों का उपबब्ध न होना शामिल है।

(घ) और (ङ) जनजातीय छात्रों द्वारा बड़े पैमाने पर स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गये हैं :—

(i) उनके अध्ययन को जारी रखने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजजाएं आरम्भ की गई हैं। इनमें पूर्व मैट्रिक तथा उत्तर-मैट्रिक स्तरों पर छात्रावृत्तियां तथा वजीफे, पुस्तकों, वर्दियों और मध्याह्न भोजन निःशुल्क पूर्ति, आवास सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था तथा जनजातीय क्षेत्रों में आश्रम स्कूलों की व्यवस्था शामिल है।

(ii) जनजातीय क्षेत्रों में व्यापक साक्षरता तथा जागरूकता कार्यक्रम आरम्भ करना।

(iii) उन्हें स्थानीय जनजातीय भाषाओं और उनकी संस्कृति से अवगत कराने के लिए जनजातीय बोलियों में प्राइमर तैयार करना तथा जनजातीय क्षेत्रों में नियुक्त गैर-जनजातीय अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण/अवस्थापना की व्यवस्था करना।

पूर्व रेलवे की साहिबगंज लूप लाइनों पर अधिक रेलगाड़ियां चलाना

4421. **श्री गदाधर शाहा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें साहिबगंज लूप लाइनों पर दिन के समय अप और डाउन रेलगाड़ियों के चलने में लम्बे समयान्तराल की जानकारी है ;

(ख) क्या उन्हें पूर्व रेलवे की इस लाइन पर वीरभूमि जिले के यात्रियों के लाभार्थ कुछ अधिक रेलगाड़ियां चलाये जाने की बढ़ती हुई मांग की जानकारी है।

(ग) यदि हां, तो क्या लम्बे समयान्तराल को कम करने के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (घ) रेलों के सीमित संसाधनों को ध्यान में रखते हुए साहेबगंज लूप लाइन पर यात्री गाड़ियों की व्यवस्था जनता के विभिन्न वर्गों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए दिन में भिन्न-भिन्न समयों पर की गई है। यद्यपि रामपुर हाट और वर्द्धमान के बीच अतिरिक्त गाड़ियों की मांग रही है, लेकिन सवारी डिब्बों, लाइन क्षमता और टर्मिनल सुविधाओं जैसे संसाधनों का अभाव इस समय इस क्षेत्र में अतिरिक्त गाडियां चलाने की अनुमति नहीं देता।

सांभर साल्ट लिमिटेड और हिन्दुस्तान साल्ट लिमिटेड में हानि

4422. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सांभर साल्ट लिमिटेड और हिन्दुस्तान साल्ट लिमिटेड, को, वर्ष 1983 में भारी हानि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो हानि का ब्यौरा क्या है ; उसके क्या कारण है तथा स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या उपाय करने का विचार किया गया है ?

वाणिज्य, उद्योग तथा पूर्ति विभाग मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) और (ख) लेखा वर्ष 1982-83 के दौरान (1 अक्तूबर, 1982 से 30 सितम्बर, 1983 तक) मैसर्स हिन्दुस्तान साल्ट लि०, को 16.19 लाख रु० और मैसर्स सांभर साल्ट्स लि० को 28.37 लाख रु० की (बाढ़ के कारण हुई 19.49 लाख रु० की हानि को छोड़कर) हानि हुई। 1 अक्तूबर, 1983 से 31 दिसम्बर, 1983 की अवधि में मै० हिन्दुस्तान साल्ट्स लि० 7.70 लाख रु० और मै० सांभर साल्ट्स लि० को 7.50 लाख रु० की हानि हुई।

वेतन, मजदूरी आदि जैसी निविष्टियों के मूल्य में वृद्धि होने के कारण उत्पादन लागत बढ़ जाने किन्तु विक्रय मूल्य में उसके अनुरूप वृद्धि न होने, कम्पनियों द्वारा लिए गए ऋण पर भारी ब्याज देयता और नमक का अधिक स्टाक होने के फलस्वरूप कम्पनियों को हानि हुई है। कम्पनियों के कार्य निष्पादन में सुधार करने के उद्देश्य से उनके परिचालन में बचत करने, लागत घटाने के लिए ब्रोमाइन संयंत्र का नवीनीकरण/आधुनिकीकरण करने, लागत कम करने, नमक कार्य प्रणाली का आंशिक मशीनीकरण करने और नमक के जमा स्टाक को निकालने हेतु अधिक जोरदार व प्रभावी विक्रय नीति अपनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

बुनियादी शिक्षा

4423. **श्री बृज मोहन महन्ती** : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1982-83 के दौरान बुनियादी शिक्षा के लिए 40.6 लाख नये बच्चों का पंजीकरण किया गया और यदि हां, तो इनमें से महिलाओं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों का प्रतिशत कितना है और वर्ष 1983-84 के लिए इस प्रकार के नए पंजीकरण का लक्ष्य क्या है ;

(ख) क्या वर्ष दर-वर्ष नए पंजीकरण को बढ़ा कर बुनियादी शिक्षा के उद्देश्य को प्रोत्साहन देने के लिए अध्यापकों की भर्ती पर लगे सभी प्रतिबन्धों को भी हटा दिया गया है ; और

(ग) क्या बुनियादी शिक्षा के लिए अध्यापकों की भर्ती के मामले में महिला अध्यापकों को वरीयता दी जा रही है जोकि बच्चों की समस्याओं को पुरुषों की अपेक्षा अधिक कुशलता से संभाल सकती है और यदि हां, तो ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1982-83 के दौरान प्रारम्भिक कक्षाओं में 46.33 लाख अतिरिक्त बच्चे दाखिल किए गये थे। इनमें से 34.9 प्रतिशत लड़कियां, 19.5 प्रतिशत अनुसूचित जाति तथा 10.8% अनुसूचित जन-जाति के छात्र थे। वर्ष 1983-84 के लिए प्रारम्भिक कक्षाओं में 47.025 लाख अतिरिक्त दाखिले का लक्ष्य है।

(ख) और (ग) प्रारम्भिक शिक्षा के लिए शिक्षकों की भर्ती मुख्य रूप से राज्यों की जिम्मेदारी है जो अधिकांशत: प्रारम्भिक शिक्षा सहित स्कूल शिक्षा का प्रबन्ध करते हैं। प्रारम्भिक शिक्षा को सबको सुलभ बनाने के सन्दर्भ में राष्ट्रीय अभियान शुरू किए जा रहे हैं। वर्ष 1984-85 में अभियान की मार्गदर्शी रूपरेखाओं में जिन बातों पर मुख्य बल दिया गया है वे सभी राज्यों तथा सघ शासित क्षेत्रों को भेज दी गई हैं, इनमें वर्तमान रिक्तियों को भरने तथा नए शिक्षकों की भर्ती पर लगे प्रतिबन्धों, यदि कोई हों, को हटाकर शिक्षकों की सभी रिक्तियों को भरने का अभियान तथा विशेष रूप से महिला शिक्षकों की भर्ती करने का अभियान शामिल है।

एक्सचेंज यार्ड सिस्टम को समाप्त करना

4424. **श्री के० टी० कोसलराम** ; क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल सुधार समिति की इस सिफारिश को क्रियान्वित कर दिया गया है कि सभी परिचालन उद्देश्यों के लिए एक्सचेंज प्रणाली को समाप्त कर दिया जाए क्योंकि इससे प्रति वैगन 36000/- रुपये की हानि होती है : जिन्हें औसतन 12 से 18 घंटे तक रोका जा सकता है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) एक्सचेंज यार्डों को समाप्त करने की रेल सुधार समिति की सिफारिश स्वीकार कर ली गयी है। इसे दो चरणों में कार्यान्वित किया जाएगा अर्थात्—

(i) नए उद्योगों के लिए, एक्सचेंज यार्डों के बिना, सुविधाओं की योजना :

(ii) जहां कहीं व्यावहारिक हो वहां मौजूदा एक्सचेंज यार्डों की समाप्ति।

एक्सचेंज यार्डों की समाप्ति के लिए अध्ययन किए जा रहे हैं ताकि उसके वित्तीय फलितार्थों और जहां कहीं व्यावहारिक है वहां वैकल्पिक सुविधाओं की व्यवस्था के सम्बन्ध में जांच की जा सके। रेल सुधार समिति द्वारा यथापेक्षित अध्ययन पूरा कर लिए जाने के बाद ही इन पर विचार किया जाएगा।

दुर्गापुर में ट्रक फैक्टरी की स्थापना

4425. **श्री कृष्ण चन्द पाण्डेय** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर में एक ट्रक फैक्टरी की स्थापना करने के संबंध में स्थल का कोई मूल्यांकन और जांच करवाई है ;

(ख) मूल्यांकन के क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) सरकार केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र में इस ट्रक फैक्टरी की स्थापना कब तक कर देगी और यदि हां, तो इसकी अनुमानित लागत कितनी होगी ?

वाणिज्य, उद्योग तथा पूर्ति विभाग मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

ग्रामीण और शहरी साक्षरता के आंकड़े

4426. **श्री आर० प्रभु** :

श्री नवीन रावणी :

क्या **शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में साक्षरता के राज्य-वार अद्यतन आंकड़े क्या हैं ;

(ख) निरक्षर लोगों की राज्य-वार अनुमानित संख्या क्या है ;

(ग) प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक कितने लोगों को साक्षर किया गया है ; और

(घ) क्या सरकार प्रौढ़ शिक्षा के विकास के लिए टेलीविजन के इस्तेमाल पर विचार करेगी ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (ग) (क) वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में साक्षरता की दर (ख) वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार कुल निरक्षर जनसंख्या (ग) मार्च 1984, के अन्त तक प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में दाखिले की राज्यवार स्थिति दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(घ) जी, हां। दूरदर्शन प्राधिकारी प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम के लिए जिसके लिए राष्ट्रीय और

राज्य स्तरों पर आवश्यक सामग्री प्रौढ़ शिक्षा निदेशकों द्वारा दी जाएगी, महीने में दो बार 10 मिनट का समय देने के लिए सहमत हो गए हैं। राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों को इस सम्बन्ध में अपेक्षित हिदायतें भेज दी गई हैं।

विवरण

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	साक्षारता दर ग्रामीण क्षेत्रों में	साक्षारता दर शहरी क्षेत्रों में	निरक्षर जनसंख्या (लाखों में)	मार्च 1984 तक दाखिले (लाखों में)
1	2	3	4	5
1. आन्ध्र प्रदेश	23.24	51.99	375.15	2.74
2. असम	—	जनगणना नहीं हुई		1.75
3. बिहार	22.50	52.18	515.94	5.54
4. गुजरात	36.20	60.31	191.90	1.90
5. हरियाणा	30.33	56.86	82.53	1.21
6. हिमाचल प्रदेश	40.42	67.44	24.63	0.21
7. जम्मू एवं कश्मीर	21.63	45.56	43.91	0.68
8. कर्नाटक	31.05	56.71	228.51	3.22
9. केरल	69.11	76.11	75.29	1.08
10. मध्य प्रदेश	21.22	54.02	376.34	5.88
11. महाराष्ट्र	38.15	63.92	331.63	4.10
12. मणिपुर	37.37	52.44	8.33	0.30
13. मेघालय	27.45	64.12	8.81	0.13
14. नागालैंड	38.59	64.23	4.45	0.18
15. उड़ीसा	31.49	54.77	179.43	1.47

1	2	3	4	5
16. पंजाब	35.21	55.63	99.29	1.13
17. राजस्थान	17.99	38.35	259.08	3.27
18. सिक्किम	30.05	54.86	2.09	0.13
19. तमिलनाडु	38.56	63.45	257.70	5.61
20. त्रिपुरा	38.23	73.66	11.88	0.37
21. उत्तर प्रदेश	23.06	45.88	807.57	5.48
22. पश्चिम बंगाल	33.12	62.66	322.37	5.49
23. अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	46.53	65.54	0.92	0.04
24. अरुणाचल प्रदेश	18.51	53.22	5.01	0.19
25. चण्डीगढ़	44.73	66.15	1.59	0.07
26. दादर और नागर हवेली	24.71	54.17	0.76	0.02
27. दिल्ली	47.56	62.64	23.92	0.44
28. गोवा दमन एवं दीव	52.68	64.99	4.71	0.012
29. लक्ष द्वीप	51.98	58.65	0.18	0.005
30. मिजोरम	55.24	74.06	1.98	0.13
31. पाण्डिचेरी	47.98	63.04	2.66	0.18
भारत	29.65	57.40	4242.56	52.95

*उन क्षेत्रों की जनसंख्या शामिल नहीं है जो पाकिस्तान और चीन के गैर-कानूनी कब्जे में है। जहां पर जनगणना नहीं हो सकी।

**इसमें असम शामिल नहीं है, जहां पर सन् 1981 की जनगणना के समय वहां व्याप्त अशान्त परिस्थितियों के कारण जनगणना नहीं हो सकी।

***ये आंकड़े मार्च 1984 को समाप्त होने वाली तिमाही की ब्यौरे-वार त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट पर आधारित हैं।

मैसर्स कुमार धुबी इन्जीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड का राष्ट्रीयकरण

4427. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने जुलाई, 1983 में मैसर्स कुमारधुबी इन्जीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड धनबाद के राष्ट्रीयकरण के लिए अधिसूचना जारी की है ;

(ख) क्या इसके राष्ट्रीयकरण को एक वर्ष के पश्चात् भी कम्पनी को पुनः नहीं खोला गया है ;

(ग) यदि हां, तो क्या फैक्टरी को शीघ्र ही पुनः खोलने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो कम्पनी को कब से पुनः खोला गया है, जाएगा ?

वाणिज्य, उद्योग तथा पूर्ति विभाग मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) मे० कुमारधुबी इन्जीनियरी वर्क्स लिमिटेड, धनबाद के राष्ट्रीयकरण के लिए सरकार द्वारा विधेयक को राष्ट्रपति ने 29-7-1984 को स्वीकृति दी थी।

(ख) से (घ) एकक के राष्ट्रीयकरण पर अनुवर्ती कार्रवाई बिहार की राज्य सरकार द्वारा की जानी है।

बम्बई में उपनगरीय स्टेशनों पर फ्रुट और जूस स्टालों के ठेके

4428. **श्री पीताम्बर सिंह** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई क्षेत्र में मध्य और पश्चिम रेलवे के उपनगरीय रेलवे स्टेशनों पर अनेक फ्रुट और फ्रुट जूस स्टालों को ठेके पर दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो वोरीवाली, अन्धेरी, वान्द्रा, लिलेपारले रुलनी, चर्नी रोड, बम्बई सेन्ट्रल दादर और विक्टोरिया टर्मिनल पर ठेके पर दिए गए स्टालों का ब्यौरा क्या ;

(ग) क्या इन स्टालों के सम्बन्ध में कोई निविदायें आमन्त्रित की गई थीं ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) फल/फल-रस स्टालों की व्यवस्था बम्बई उपनगरीय खंडों के मैरीन लाइन्स, चरनी रोड, दादर, ग्रांट रोड, बसई रोड और बम्बई बी० टी० स्टेशनों पर की गयी है। रेल प्रशासनों द्वारा इन सभी स्टालों का आबंटन, वर्तमान नियमों के अनुसार आवेदन आमन्त्रित करके और आम प्रक्रिया अपनाकर किया गया है।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

मध्य प्रदेश के बिलासपुर जिले में सीमेंट संयंत्र की प्रगति

4429. **श्री राम गोपाल तिवारी** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिलासपुर (मध्य प्रदेश) जिले चिल्हाटी (मास्तूरी ब्लाक) में सीमेंट संयंत्र स्थापित करने सम्बन्धी सर्वेक्षण कार्य कब पूरा हुआ ;

(ख) उक्त परियोजना का प्रतिवेदन कब तैयार हो गया था और उसे कब से लागू करने की सिफारिश की गई थी ;

(ग) उसका कार्यान्वयन आरंभ करने सम्बन्धी कार्य किस संगठन को और कब सौंपा गया था ;

(घ) वह कार्य उस संगठन के अधीन रहने की अवधि के दौरान कितना कार्य हुआ था ;

(ङ) यह कार्य सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया को कब स्थानान्तरित कर दिया गया था और स्थानान्तरित करने के क्या कारण हैं ;

(च) क्या सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया ने उक्त परियोजना को हाथ में ले लिया है और उस पर काम आरम्भ हो गया है ; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(छ) उसका कार्यान्वयन आरम्भ करने में क्या बाधायें हैं ;

(ज) क्या उक्त बाधाओं को दूर कर दिया गया है ; और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(झ) उक्त कार्य कब से आरम्भ कर दिया जाएगा और उसे कब तक पूरा कर लिया जाएगा ?

वाणिज्य, उद्योग तथा पूर्ति विभाग मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ङ) भारतीय इस्पात प्राधिकरण के अधीन चिलहाटी (मध्य प्रदेश) राउरकेला (उड़ीसा) में अलग-अलग पोर्टलैंड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट संयंत्र स्थापित करने सम्बन्धी प्रस्ताव की जांच इस्पात विभाग द्वारा 1978 से की जा रही है। इस बारे में तैयार किए गए परियोजना प्रस्तावों पर अनेक अन्तर्मन्त्रालयीय बैठकों में विचार-विमर्श किया गया था तथा उसके बाद उनमें संशोधन करना पड़ा था और सरकारी निवेश बोर्ड की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए इन्हें अद्यतन बनाया गया था । जनवरी, 1982 में सिद्धान्त रूप में दोनों संयंत्रों की कुल क्षमता का आगे यथा सम्भव विस्तार करने के प्रावधान के साथ-साथ एक सीमेंट संयंत्र चिलहाटी (मध्य प्रदेश का भिलाई क्षेत्र) और दूसरा संयंत्र राउरकेला (उड़ीसा) में स्थापित करने का निर्णय किया गया था। उसके बाद अक्तूबर, 1983 में यह निर्णय लिया गया था कि परियोजना को भारतीय सीमेंट निगम (सी० सी० आई०) द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा, क्योंकि यह महसूस किया गया था कि सीमेंट बनाने में उन्हें अपेक्षित कुशलता प्राप्त है।

(च) से (झ) सी० सी० आई० द्वारा इस परियोजना के लिए तैयार की गई संशोधित संभाव्यता रिपोर्ट पर 20 मार्च, 1984 को हुई अन्तर्मन्त्रालयीय बैठक में विचार किया गया था। स्लैग के मूल्य और चूना पत्थर के निक्षेपों की उपलब्धता सम्बन्धी मुद्दों को अन्तिम रूप दिए जाने के बाद ही

निवेश सम्बन्धी निर्णय के लिए रिपोर्ट और आगे जांच की जाएगी। सम्बन्धित मुद्दों को हल करने के लिए हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है ताकि परियोजना की स्थापना करने सम्बन्धी कार्य को यथा-शीघ्र शुरू किया जा सके।

प्राथमिक शिक्षा के अध्ययन पाठ्यक्रम

4430. **श्री चित्त महाटा : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली और दिल्ली में स्थित केन्द्रीय विद्यालयों, नई दिल्ली नगरपालिका के स्कूलों, दिल्ली निगर निगम के स्कूलों, गवर्नमेंट सीनियर सेकेण्डरी स्कूलों और सरकारी सहायता प्राप्त सीनियर सेकेन्डरी स्कूलों में प्राथमिक शिक्षा के अध्ययन पाठ्यक्रम भिन्न-भिन्न हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या अभिभावकों द्वारा उपरोक्त संस्थानों की बजाय केन्द्रीय विद्यालय में अपने बच्चों को दाखिल कराने को प्राथमिकता देने का यह मुख्य कारण हैं ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उपरोक्त सभी संस्थानों में कम-से-कम प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर एक समान अध्ययन पाठ्यक्रम आरम्भ करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) यद्यपि दिल्ली प्रशासन, दिल्ली नगर निगम तथा नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा चलाये जा रहे सहायता प्राप्त स्कूल एक समान पाठ्यचर्या/अध्ययन पाठ्यक्रम अपनाते हैं, किन्तु केन्द्रीय विद्यालय प्राथमिक स्तर पर विभिन्न अध्ययन पाठ्यक्रमों को अपनाते हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) फिलहाल, ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। केन्द्रीय विद्यालय मुख्य रूप से केन्द्रीय सरकार के स्थानान्तरणीय कर्मचारियों के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश और विदेश में चलाए जाते हैं। इसके अलावा, केन्द्रीय विद्यालयों के छात्र पर्याप्त संख्या में एक भाषाई क्षेत्र से दूसरे भाषाई क्षेत्र में चले जाते हैं। इस प्रकार के आने जाने के लिए सभी केन्द्रीय विद्यालयों में एक समान पाठ्य-विवरण तथा शिक्षा का माध्यम निर्धारित करना अपेक्षित है, ताकि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को निरन्तर शिक्षा प्रदान की जा सके। दूसरी ओर दिल्ली स्थित स्कूल स्थानीय जन संख्या की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

पश्चिम रेलवे पर पालनपुर-दिसा रेल-गाड़ियों को पुन: चलाना

4431. **श्री मोती भाई आर० चौधरी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे के गांधीधाम पालनपुर लाइन पर पालनपुर और दिसा के बीच दिन में चलने वाली रेलगाड़ी को रद्द कर दिया गया है ;

(ख) क्या इस रेलगाड़ी को न केवल पालनपुर-दिसा के बीच चलाने बल्कि उसे पालनपुर से गांधीधाम तक भी चलाने की मांग पर इसके चलने के समय को अप्रैल, 1983 की समय सारिणी में शामिल किया गया था परन्तु इसे एक दिन चलाने के बाद रद्द कर दिया गया था ;

(ग) यदि हां, तो इस रेलगाड़ी को चलाना शुरू करके फिर तुरन्त ही रद्द कर दिए जाने के क्या कारण हैं जबकि यह एक बहुत महत्वपूर्ण रेलगाड़ी है क्योंकि वहां कोई अन्य रेलगाड़ी नहीं चलती ;

(घ) क्या उक्त रेलगाड़ी को शीघ्र ही पालनपुर और गांधीधाम के बीच पुनः चलाने का प्रस्ताव है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) फिलहाल नहीं।

(ङ) यातायात सम्बन्धी पर्याप्त औचित्य कोचिंग स्टाक और मीटर लाइन रेल इन्जनों के अभाव के कारण।

एक राष्ट्रीय पत्तन प्राधिकरण की स्थापना

4432. **श्रीमती पुष्पा देवी सिंह** : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सभी पत्तनों के कार्यचालन का समन्वय करने के लिए एक राष्ट्रीय पत्तन प्राधिकरण की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रस्ताव को कब तक क्रियान्वित किया जाएगा ; और

(ग) इस मामले में क्या कदम उठाए गए हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) अभी सरकार के पास इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नही उठते।

ललितपुर-बांदा रेल लाइन का सर्वेक्षण

4433. **श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ललितपुर-बांदा रेल लाइन का बरास्ता टीकमगढ़-छतरपुर खजुराहो सर्वेक्षण पूरा हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो अनुवर्ती कार्रवाई क्या की जा रही है और निर्माण कार्य कब तक शुरू होगा ; और

(ग) यदि हां, तो सर्वेक्षण कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी०ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ग) ललितपुर से सिंगरौली तक एक बड़ी लाइन के लिए सर्वेक्षण के एक भाग के रूप में 1979-81 के दौरान ललितपुर से टीकमगढ़-छतरपुर-खजुराहो तक के मार्ग का सर्वेक्षण किया गया था। सर्वेक्षण रिपोर्ट से यह पता चला कि यह परियोजना वित्तीय रूप से अर्थक्षम नहीं रहेगी। छतरपुर-खजुराहों से बांदा/महोबा को रेल सम्पर्क की व्यावहारिकता की जांच के लिए आगे सर्वेक्षण आरम्भ कर दिया गया है। रिपोर्ट तथा आकलनों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

राजस्थान के जनजाति क्षेत्रों में क्षय रोग और यौन रोग के लिए सर्वेक्षण

4434. **श्री भीखाभाई** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनजातीय लोगों में क्षय रोग सबसे अधिक हैं ; और

(ख) क्या राजस्थान के जनजातीय क्षेत्रों में क्षय रोग और यौन रोग तथा मिनीकृमि रोग के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) नहीं।

(ख) मिनीकृमि और क्षय रोग के सम्बन्ध में सर्वेक्षण किया गया है। यौन रोग की व्यापकता के बारे में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

पी० डब्लु० टी० खुर्जा जंक्शन और अली गढ़ के अन्तर्गत गैंगमैनों को सी० पी० सी० वेतनमान और अस्थाई दर्जा दिया जाना

4435. **श्री सुधीर गिरि** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पी० डब्लु० टी० खुर्जा जंक्शन के अन्तर्गत लगभग 60 (साठ) नैमित्तिक गैंगमैन वर्ष 1972 से काम कर रहे हैं ;

(ख) क्या इन नैमित्तिक श्रमिकों को अभी तक सी० पी० सी० वेतनमान और अस्थाई दर्जा नहीं दिया गया है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि 1 अगस्त, 1978 से कार्यरत अनेक नैमित्तिक श्रमिकों को,

जिन्होंने 1000 से 2000 दिन तक काम किया है अभी तक सी० पी० सी० वेतनमान और अस्थाई दर्जा नहीं दिया गया है ;

(घ) क्या महाप्रबन्धक, उत्तर रेलवे, नई दिल्ली ने 4 मई, 1984 को इन नैमित्तिक श्रमिकों को अस्थाई दर्जा दिए जाने के सम्बन्ध में आदेश जारी किये थे ; और

(ङ) सरकार इन नैमित्तिक श्रमिकों को सी० पी० सी० वेतनमान के अन्तर्गत लाने और अस्थाई दर्जा देने के बारे में क्या कार्यवाही कर रही है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी): (क) और (ख) रेल पथ निरीक्षक, खुर्जा के अधीन कार्यरत सभी पात्र और डाक्टरी दृष्टि से उपयुक्त नैमित्तिक श्रमिकों को पहले ही वेतनमान और अस्थायी ओहदा दिया जा चुका है और उन्हें दिसम्बर, 1979 तक नियुक्त किया जा चुका था।

(ग) अलीगढ़ के संबंध में जिससे संभवत: प्रश्न के इस भाग का संबंध है, सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) और (ङ) अलीगढ़ और खुर्जा के बारे में सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के लिए शिकायत कक्ष बनाना

4436. **श्री भीखाभाई** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने रेल भवन में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक विशेष कक्ष बनाया है और जोनल कार्यालयों को भी अपने यहां अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों से प्राप्त शिकायतों के लिए डिवीजनवार प्रथक कक्ष बनाने के निर्देश दिए हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) ऐसे कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने के लिए क्या विधि बनाई गई है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी, हां। अनुसूचित जन जाति तथा अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के मामलों की देखभाल विशेष कक्षों द्वारा की जाती है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के रेल कर्मचारियों की शिकायतों की जांच, रेलवे बोर्ड, क्षेत्रीय तथा मंडलीय मुख्यालयों में आरक्षण कक्षों द्वारा की जाती है।

महत्वपूर्ण व्यक्तियों के लिए रेल कार्ड पास जारी करना

4437. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेल मन्त्रालय द्वारा कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों को रेल कार्ड पास जारी किए जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1984 के दौरान अब तक जारी किए गए पासों का ब्यौरा क्या हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि रेल मन्त्रालय रेल कार्ड पास जारी करने के अलावा चेक पास भी जारी करता है : और

(घ) यदि हां, तो इस वर्ष के दौरान, जारी किए गए इस प्रकार के चैक पासों का महीनेवार ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी, हां। मानार्थ कार्ड पास राष्ट्रीय महत्व के कार्य में लगे महत्वपूर्ण व्यक्तियों को, प्रत्येक मामले के गुणावगुणों के आधार पर, जारी किए जाते हैं, जिन्हें ऐसे कार्य के लिए यदा-कदा यात्राएं करनी पड़ती हैं।

(ख) और (घ) एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी, हां।

विवरण

महीना	चैक पास		कार्ड पास		
	दूसरा दर्जा	पहला दर्जा	पहला दर्जा वातानुकूल	पहला दर्जा	दूसरा दर्जा
जनवरी 1984	08	10	—	—	—
फरवरी 1984	15	11	06	03	—
मार्च 1984	04	21	—	07	—
अप्रैल 1984	13	48	03	04	—
मई 1984	15	08	—	02	—
जून 1984	11	08	—	02	—
जुलाई 1984	11	10	—	01	—
	77	116	09	19	—

सरकारी क्षेत्रों के एककों में घाटा

4438. **श्री अनन्त रामुलुमल्लु :**

श्री एन० ई० हीरो :

क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उनके मन्त्रालय के अन्तर्गत आने वाले उन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के

प्रबन्धकों के विरुद्ध, जो काफी समय से लगातार घाटे में चल रहे हैं कुछ उपचारात्मक उपाय किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या घाटे में चल रहे इन उपक्रमों के प्रबन्ध में कोई फेर बदल की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो एकक वार तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य, उद्योग तथा पूर्ति विभाग मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में निम्नलिखित कारणों से हानि हुई है, अर्थात :—

(1) बिजली की कमी ;

(2) कच्चे माल और कोयले की कमी ;

(3) कार्यशील पूंजी का अभाव ;

(4) पुराने व घिसे-घिसाये सयंत्र एवं मशीनों के कारण क्षमता का कम उपयोग होना ;

(5) रुग्ण एककों की देयताओं का लिया जाना ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य-निष्पादन में सुधार करने के लिए कई उपाय किए गए हैं । जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ नियमित एवं योजनाबद्ध आधार पर पुराने संयंत्र और मशीनों का नवीकरण करना तथा उन्हें बदलना, बिजली की कमी पर काबू पाने के लिए डी० जी० सैटों का लगाना, उत्पादन का नए क्षेत्रों में विविधीकरण करना, कार्यशील पूंजी सम्बन्धी आवश्यकताओं को यथा सम्भव पूरा करने के लिए सरकार द्वारा धन की व्यवस्था करना और उनकी कच्ची सामग्री तथा कोयला सम्बन्धी निविष्टियों को पूरा करने में सहायता प्रदान करना शामिल है । कार्य प्रणालियों, पद्धतियों में सुधार करने तथा कार्य की योजना बनाने और उसे शुरू करने के विशेष प्रयास किये गए हैं अथवा लगातार किए जा रहे हैं । उपक्रमों से अधिष्ठापित क्षमता का इष्टतम उपयोग करने, सुसम्बद्ध योजनाएं बनाने तथा अपनी वित्तीय नीति में सुधार करने के लिए विशिष्ट उपयुक्त कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य की समीक्षा निरन्तर की जाती है तथा जहां कहीं आवश्यक होता है प्रबन्ध में परिवर्तन करने सहित उपचारात्मक कदम उठाए जाते हैं। हाल ही में टेनरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन आफ इण्डिया के प्रबन्ध निदेशक जो प्रतिनियुक्ति पर थे, की सेवाएं उनके मूल संवर्ग को सौंप दी गई हैं ।

भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स के पास आर्डरों की स्थिति

4439. **श्री के० प्रधानी** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी स्वामित्व वाले भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स की स्थिति बहुत अस्थिर है क्योंकि 1000 मेगावाट के 12 सैट प्रतिवर्ष की अधिष्ठापित क्षमता की तुलना में इसे हाइड्रो उपस्करों के 160 मेगावाट के केवल चार सैटों के आर्डर प्राप्त हुए हैं जोकि अब तक का सबसे कम रिकार्ड है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या कारण है कि कुछ राज्य बिजली बोर्ड सरकार से पावर जनरेटिंग सैटों और अन्य उपस्करों के आयात के लिए अनुरोध कर रहे हैं जबकि देश के प्रमुख निर्माता एकक को आर्डरों की आवश्यकता है ; और

(घ) इस चिन्ताजनक स्थिति पर काबू पाने के क्या दीर्घावधिक उपाय किए जा रहे हैं ?

वाणिज्य, उद्योग तथा पूर्ति विभाग मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) भारत हैवी इलेक्ट्रिक्लस लि० की पन बिजली उपकरणों की क्रयादेश स्थिति मजबूत नहीं है । इस समय बी० एच० ई० एल० के पास कुल 1513 मे० वाट के 37 सेटों के लिए निश्चित क्रयादेश है । इनमें से, 1985-86 के लिए कुल 160 मे० वाट के सिर्फ 4 सेटों के क्रयादेश हैं जबकि अधिष्ठापित क्षमता कुल 1200 मे० वाट 1400 मे० वाट जो उत्पाद-मिश्र पर निर्भर करता है, के लगभग 22 सेट प्रतिवर्ष की है ।

(ख) उपयोगकर्ताओं से कम क्रयादेशों का मिलना कमजोर क्रयादेश स्थिति होने का मुख्य कारण रहा है ।

(ग) विद्युत जनित्रण उपकरणों के आयात के प्रस्ताव मुख्यत: विदेशी सरकारों/सप्लायरों द्वारा वित्तीय सहायता देने के प्रस्तावों के कारण हैं, जिससे आंतरिक संसाधनों की अड़चन दूर हो सके ।

(घ) सातवीं योजना को अन्तिम रूप दिए जाने तथा बी० एच० ई० एल० को नये क्रयादेश मिलने से भविष्य में इसकी क्षमता के उपयोग में सुधार होने की आशा है ।

मारुति कारों का उत्पादन, मूल्य, वितरण और विवेकाधीन कोटा

4440. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या **उद्योग मन्त्री** मारुति कारों का उत्पादन, मूल्य, वितरण और विवेकाधीन कोटे के बारे में 26 जुलाई, 1984 के अतारांकित प्रश्न 796-ख तथा 21 मार्च, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3986 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक फेज-1 सिटी में कितनी मारुति कारें/वेन डिलीवर किए गए हैं तथा क्या कार्य-क्रमानुसार कारों/वैन के लक्ष्य प्राप्त कर लिए जायेंगे ;

(ख) प्रत्येक वाहन के लिए चुंगी, बीमा, पंजीकरण और डिलीवरी प्रभारों की कितनी-कितनी राशि देनी होती है तथा डिलीवरी प्रभार लगाने की आवश्यकता के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार अपने कर्मचारियों को उदारतापूर्वक कार ऋण प्रदान करने के लिए वेतनमान सीमाओं को कम करने की पहल करने का है, ताकि वे छोटी कार खरीदने के लिए समर्थ हो सकें तथा भावी मांग को बढ़ावा दे सकें ?

वाणिज्य उद्योग तथा पूर्ति विभाग मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) 1 अगस्त, 1984 तक 2141 मारुति कारें डिलीवर की गई थी जिनका चरण-1 शहरवार ब्यौरा नीचे दिया जाता है :—

दिल्ली	987
बम्बई	583
चण्डीगढ़	139
कलकत्ता	138
मद्रास	108
अहमदाबाद	70
बंगलौर	60
हैदराबाद	46
त्रिवेन्द्रम	10
योग	2141

कार्यक्रम के अनुसार लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मारुति उद्योग लिमिटेड भरसक प्रयत्न कर रहा है।

(ख) ये प्रभार एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न होते हैं। उतारने-चढ़ाने और विविध खर्चों को पूरा करने के लिए डिलीवरी प्रभार लगाया जाता है। दिल्ली के मामले में इसमें कारखाने से डीलर के शोरूम तक का परिवहन व्यय भी शामिल होता है।

(ग) इस समय इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

राजस्थान में अर्थुना मन्दिर का रखरखाव

4441. **श्री भीखाभाई** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में बासवाडा जिले में अर्थुना के मन्दिरों पर रखरखाव पर कितना खर्चा किया गया है ; और

(ख) उनके किसी भाग के उत्खनन/जीर्णोद्धार पर किये गए खर्च के आंकड़े क्या हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) वर्ष 1983-84 के दौरान राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में अर्थुना के मन्दिरों के रखरखाव पर 34,087/—रु० का व्यय किया गया है।

(ख) उत्खनन पर कोई व्यय नहीं किया गया। तथापि, 1979-81 के दौरान संरचनात्मक मरम्मतों पर 42,687/ रु० की राशि खर्च की गई थी।

राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 की मरम्मत

4442. **श्री भीखा भाई** : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 की उचित देखभाल नहीं की जाती है और राष्ट्रीय राजमार्ग के उदयपुर और वेछीवाड़ा/रतनपुर संभाग की समय पर मरम्मत नहीं की जाती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि पिछले तीन वर्षों में उंदावेला पुल पर कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं ;

(ग) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 को उपर्युक्त स्थान पर चौड़ा करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ; और

(घ) इसकी मरम्मत के लिए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और उसके लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी नहीं, जहां कहीं आवश्यकता होती है, वहां सड़क भी उपलब्ध धन से मरम्मत कर उसे यातायात के योग्य बनाये रखा जाता है।

(ख) संभवत: माननीय सदस्य का आशय उन्डा नाला पुल से है। यह सच है कि पिछले दिनों इस पुल पर/इस पुल के आस-पास अनेक दुर्घटनाएं हुई हैं।

(ग) और (घ) यह पुल और इसके पहुंचमार्ग सभी राष्ट्रीय राजमार्ग स्तर के नहीं हैं। मौजूदा कमजोर और संकरे पुल को जिसमें इसके दोनों ओर दो लेनों का पहुंच मार्ग भी शामिल है, राष्ट्रीय राज मार्ग के स्तर के समान बनाने के लिए दो अनुमानों की संस्वीकृति की जा चुकी है जिसकी कुल लागत लगभग 78.82 लाख रु० है। यह निर्माण कार्य हो रहा है।

पदोन्नति के बाद भी केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अधिकारियों का उसी स्थान पर बने रहना

4443. **डा० प्रताप बाग** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के उन कर्मचारियों की संख्या कितनी है जो बार-बार पदोन्नति मिलने के बाद भी गत पांच वर्षों से एक ही अस्पताल में काम करते आ रहे हैं ; और

(ख) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अधिकारियों के समय-समय पर स्थानांतर हेतु विस्तृत मार्ग निर्देशन क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप-मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा नियमों में यह व्यवस्था है कि इस सेवा में भर्ती किए गए अधिकारियों

को भारत में किसी भी स्थान पर तैनात किया जा सकता है। एक स्थान से दूसरे स्थान में बदलियों के आदेश 1971 में जारी की गई बदली आदेशों की पद्धति (प्रति अनुबंध-1 पर) के अनुसार जारी किए जाते हैं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 8687/84]

तेज गति की तीव्र रेलगाड़ियां चलाया जाना

4444. **श्री सूरजभान** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 25-30 डिब्बों वाली और 140 से 160 किलोमीटर प्रतिघण्टा की गति वाली तीव्र गामी रेलगाड़ियां चलाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो कब तक और ऐसी रेलगाड़ियां किस-किस मार्ग पर चलाई जाएंगी ;

(ग) ऐसी तीव्र गति वाली रेलगाड़ियों के लिए कैसे बुनियादी ढांचे की आवश्यकता है और इसमें से कितना बुनियादी ढांचा इस समय रेलवे के पास है ;

(घ) क्या वर्तमान सुपर फास्ट रेलगाड़ियों की गति में वृद्धि करने का प्रस्ताव है ; और

(ङ) यदि हां, तो कब और ऐसी रेलगाड़ियों की प्रत्येक मामले में गति कितनी होगी ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) सामान्यत: मौजूदा रेल पथ, सिगनल और चल स्टाक आदि गाड़ियों को 140-160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाने के लिए उपयुक्त नहीं है। 25-30 सवारी डिब्बों वाली लम्बी गाड़ियों को सम्हालने के लिए अनुरक्षण सम्बन्धी सुविधाओं सहित स्थापन सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) और (ङ) किसी गाड़ी की गति तेज करने का अर्थ है उस गाड़ी के प्रतिरोध में वृद्धि करना, इसलिए सामान्यत: गाड़ी के सवारी डिब्बों की संख्या कम रखनी होती है। इस प्रकार गाड़ी की समग्र ढुलाई क्षमता कम हो जाती है। इसलिए रेलवे की नीति, निकट भविष्य में सुपरफास्ट गाड़ियों की गति बढ़ाकर 140-160 कि०मी० प्रति घण्टा करने की नहीं है।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की निर्णायक समितियों (कोर्ट्स) का गठन

4445. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या का ब्यौरा क्या है, जिनकी निर्णायक समितियां (कोर्ट्स) पूरी तरह से गठित हो गई है ; और

(ख) कौन-कौन से केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की निर्णायक-समितियां (कोर्ट्स) पूरी तरह गठित नहीं हुई हैं तथा उनकी निर्णायक समितियों में कितने स्थान रिक्त हैं और उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) विश्व भारती, शान्तिनिकेतन को छोड़कर सभी सातों केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कोर्ट गठित किए गए हैं और कार्य कर रहे हैं।

(ख) विश्व भारती के कोर्ट को 8-8-1984 से लागू संशोधित अधिनियम और संविधियों के प्रावधानों के अनुसार पुनर्गठित किया जाना है। अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के मामले में मृत्यु, त्याग-पत्र, कार्यावधि की समाप्ति अथवा अन्य आकस्मिक घटनाओं के कारण समय-समय पर कोर्ट की सदस्यता में आकस्मिक रिक्तियां होती हैं। जब कभी भी ऐसी रिक्तियां होती हैं तो उन्हें सम्बन्धित अधिनियमों और संविधियों में निर्धारित पद्धतियों के अनुसार भरा जाता है।

नीलांचल एक्सप्रेस में खान-पान सेवाओं में सुधार

4446. **श्री चिन्तामणि जैन : क्या रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि नीलांचल एक्सप्रेस में खान-पान सेवा बहुत ही घटिया है और क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई जांच की गई है ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ; और

(घ) उक्त गाड़ी लम्बी दूरी की एक पर्यटक गाड़ी होने के नाते इसमें खानपान सेवाओं में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (घ) 175/176 नीलांचल एक्स-प्रेस गाड़ियों में विभागीय प्रबन्ध की पैन्ट्री कार सेवाओं की व्यवस्था की गयी है। पैन्ट्री कार के कर्म-चारियों द्वारा रखी जाने वाली डायरी पुस्तकों में जनवरी 1984 से जुलाई 1984 तक की अवधि में इन पैन्ट्री कारों द्वारा की गयी सेवाओं की प्रशंसा के बारह मामले दर्ज हैं जिनमें से छः मामले संसद सदस्यों के तथा एक विधान सभा सदस्य का है। भोजन की किस्म के सम्बन्ध में एक शिकायत भी दर्ज की गयी है।

इस अवधि के दौरान 20 जांचें की गयीं जिनमें से 13 जांचें अधिकारियों द्वारा, 5 जांचें निरीक्षकों द्वारा तथा 2 जाँचें रसोइया अनुदेशकों द्वारा की गयी थीं। इन निरीक्षणों के परिणाम-स्वरूप सेवा के स्तर को सुधारने के लिए कई उपाय किये गये हैं जिनमें से कुछ ये हैं—(1) एनोडाइज्ड थालियों की जगह स्टील की थालियों का इस्तेमाल (2) गरम भोजन की सेवा सुनिश्चित करने के लिए आधार रसोइ घरों का स्थान बदलना-एक खुर्दा रोड से कटक तथा एक मुगलसराय से वाराणसी। (3) भोजन की क्वालिटी की जाँच करने तथा रसोई कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए रसोइया अनु-देशकों की नियुक्ति (4) चाय की क्वालिटी बनाये रखने के लिए चाय की थैलियों की शुरूआत

(5) बेहतर क्राकरी तथा अन्य बर्तनों की व्यवस्था तथा (6) पैन्ट्री कारों में पर्याप्त राशन का भंडारण करना ताकि अह सामान्य परिस्थितियों आदि में भी सेवा सुनिश्चित हो सके ।

छटा पत्थर, आसनसोल पर ऊपरि-पुल

4447. **श्री अजित कुमार साहा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छटापत्थर, आसनसोल पर ऊपरि-पुल का निर्माण कार्य रोक दिया गया है ;

(ख) उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस निर्माण-कार्य को पूरा होने में कितना समय लगेगा ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) इस कार्य को अप्रैल, 1985 तक पूरा कर लिए जाने की आशा है ।

पी० एल० बोनस तैयार करने के लिए लिपिकों को मानदेय

4448. **श्री अजित कुमार साहा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम रेलवे में पी० एल० बोनस का आहरण करने के लिए बिल तैयार करने वाले प्रत्येक लिपिक को मानदेय के रूप में 2.00 रु० (दो रुपए) का भुगतान किया जा रहा है ;

(ख) क्या अन्य जोनल रेलवे में भी बिल तैयार करने वाले लिपिकों को इसी दर से मानदेय दिया जाता है ;

(ग) यदि नहीं तो अन्य जोनल रेलवे में किस दर पर भुगतान हो रहा है ; और

(घ) समाज कार्य के लिए भिन्न दरों से भुगतान करने के क्या कारण हैं ;

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

दुर्ग और हावड़ा के बीच अतिरिक्त रेल सुविधाएं

4449. **श्री अजित कुमार साहा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें हिन्दुस्तान स्टील एम्पलाईज यूनियन (सीट) भिलाई (मध्य प्रदेश) के 21 जुलाई, 1984 के ज्ञापन सहित भिलाई नगर वासियों का दिनांक 14 जून, 1984 का एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या उन्होंने दुर्ग और हावड़ा के बीच अतिरिक्त रेल सेवाओं की मांग की है ;

(ग) क्या वर्तमान एक्सप्रेस/मेल रेलगाड़ियों में शायिकाओं का वर्तमान कोटा वास्तविक मांग को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार भिलाई नगर के लोगों की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है ; और

(ङ) यदि हां, तो अतिरिक्त सुविधा कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) दुर्ग स्टेशन पर विभिन्न मेल और एक्सप्रेस गाड़ियों में आरक्षण कोटे की निम्नलिखित व्यवस्था की गई है :—

	वातानुकूल पहला दर्जा	वातानुकूल 2 टियर	पहला दर्जा	दूसरा दर्जा
1 डाउन बम्बई-हावड़ा मेल	1	—	4	6
29 डाउन बम्बई-हावड़ा एक्सप्रेस	—	—	4	8
59 डाउन बम्बई वी० टी०-हावड़ा गीतांजलि एक्सप्रेस	—	2	—	15

गाड़ी के प्रारम्भिक स्टेशनों और अन्य महत्वपूर्ण मार्गवर्ती स्टेशनों, जहां इन गाड़ियों में स्थान का पूरा-पूरा उपयोग किया जाता है और काफी यात्री प्रतीक्षा-सूची में रहते हैं, पर आरक्षण की भारी मांग को देखते हुए फिलहाल उक्त कोटे में वृद्धि करना व्यावहारिक नहीं है।

(घ) और (ङ) सवारी डिब्बों, रेल इन्जनों, लाइन क्षमता और टर्मिनल सुविधाओं जैसे संसाधनों की कमी के कारण दुर्ग और हावड़ा के बीच एक अतिरिक्त गाड़ी चलाना फिलहाल व्यावहारिक नहीं है।

रेलवे लाइनों की नंगल में बड़ी स्क्रैप की बिक्री

4450. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि रेलवे लाइनों के साथ-साथ और रेलवे की शेडों में प्रचुर मात्रा में स्क्रैप उपलब्ध हैं ;

(ख) यदि हां, तो देश में विभिन्न स्थानों पर पड़े स्क्रैप का अनुमानित कितना मूल्य है ; और

(ग) विभिन्न रेलवेज में स्क्रैप की बिक्री का निर्धारण करने में रेल अधिकारियों ने क्या मानदंड अपनाया है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) स्क्रैप, जो निपटान की प्रतीक्षा में होता है। नामित स्क्रैप डिपुओं में रखा जाता है। बहरहाल, कभी-कभी दोहरी सम्हलाई को बचाने के लिए अनुपयुक्त रेल पटरियों को बेकार हो जाने पर रेल पटरी के पास किसी स्थान पर रख दिया जाता है। पहले स्क्रैप इकट्ठा होता है और तत्पश्चात उसका निपटान किया जाता है, यह एक सतत प्रक्रिया है। स्क्रैप के निपटान पर नियमित रूप से रेलों के साथ-साथ रेलवे बोर्ड द्वारा नियंत्रण रखा जाता है इसलिए सरकार को रेलों पर स्क्रैप लगाने की उपलब्धता की जानकारी है।

(ख) कीमत लगभग 24 करोड़ रुपए होगी।

(ग) रेलों पर बेकार चल-स्टाक सहित स्क्रैप सामानों की बिक्री के लिए अपनायी जाने वाली कसौटी स्पष्टतः निर्धारित है। उपयोगकर्त्ता अपने स्क्रैप को निपटान के लिए नामित स्क्रैप डिपुओं को लौटाते हैं। जब कभी आवश्यकता होती है, रेलवे उपयोगकर्त्ताओं से लिए गए माल को दुबारा इस्तेमाल करने के लिए अलग करके रख लेती है। बचे हुए माल को एक सर्वेक्षण समिति जिसमें भण्डार और तकनीकी विभागों के उच्च अधिकारी होते हैं, द्वारा इस बात को ध्यान में रखकर सर्वेक्षण किया जाता है कि क्या स्क्रैप से कोई वैकल्पिक लाभ उठाया जा सकता है। जिस सामान की कोई उपयोगिता नहीं रह जाती है उसे निपटान के लिए अनुशंसित कर दिया जाता है। अन्य सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि द्वारा स्क्रैप सामानों की मांग होने पर उन्हें सीधे भेज दिया जाता है। इसका निपटान नीलामी/टेंडर बिक्री के माध्यम से किया जाता है जिसका समाचारपत्रों, हैंडबिलों आदि द्वारा विस्तृत प्रचार किया जाता है।

यूनानी और आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणालियों के विकास और उन्हें बढ़ावा देने के लिए योजना

4451. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने देश में यूनानी और आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणालियों के विकास और उन्हें बढ़ावा देने के लिए योजनाएं तैयार की हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए गत तीन वर्षों के दौरान अब तक मंजूर की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है तथा यह धन किन योजनाओं के अन्तर्गत खर्च किया गया ; और

(ग) प्रत्येक योजना के अन्तर्गत मुख्य रूप से लाभ उठाने वाले संस्थान कौन-कौन से हैं और इनके अन्तर्गत कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(आंकड़े लाख रुपयों में)

क्रम सं०	योजना/संगठन का नाम	दी गई राशि 1981-82	1982-83	1983-84
1	2	3	4	5
1.	आयुर्वेद और सिद्ध की केन्द्रीय अनुसंधान परिषद्	229.03	280.15	326.59
2.	यूनानी चिकित्सा की केन्द्रीय अनुसंधान परिषद्	73.83	81.36	98.74
3.	स्नातकोत्तर प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, जामनगर	55.52	56.53	55.00
4.	अजमल खां तिब्बी कालेज, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अनुदान।	17.00	14.50	15.30
5.	राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर को अनुदान	62.36	45.19	102.01
6.	भारतीय चिकित्सा औषधि निर्माण निगम, मोहान (उ० प्र)	12.65 (निवेश)	—	10.00 (ऋण)
7.	स्वैच्छिक संगठनों द्वारा चलाए जा रहे भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के स्नातकपूर्व कालेजों को प्रयोगशाला उपकरणों की खरीद और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा समाज के कमजोर वर्गों के लोगों के लिए पुस्तक बैंक स्थापित करने के लिए प्रति कालेज 1.60 लाख रुपये तक का सहायता अनुदान।	1.60 (1 कालेज)	10.19 (7 कालेज)	24.48 (16 कालेज)
8.	भारतीय चिकित्सा पद्धति के स्नातकोत्तर प्रशिक्षण और अनुसंधान विभागों का उन्नयन/योजना के अन्तर्गत दर्जा बढ़ाए गए स्नातकोत्तर विभागों की व्यवस्था के लिए राज्य सरकारों को शतप्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी गई।	36.60	45.55	42.00

1	2	3	4	5
9.	राज्यों में जड़ी-बूटी उद्यानों और औषध परीक्षण प्रयोगशालाओं सहित भारतीय चिकित्सा पद्धति की फार्मेसियों का विकास/राज्य फार्मेसियों का विस्तार करने के लिए राज्य सरकारों को एक फार्मेसी के लिए अधिकतम 8.0 लाख रुपये तक की सहायता ।	12.95	11.45	10.53

हावड़ा पुल की मरम्मत

4452. **श्री सनत कुमार मण्डल : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2150 फुट के विशाल केन्टीलीवर-कम-सस्पेन्शन हावड़ा पुल को अत्यधिक मरम्मत की आवश्यकता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या अनेक वर्षों में प्रयोग आते रहने के कारण पुल को हुए नुकसान का कोई वास्तविक अध्ययन किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो किस एजेन्सी द्वारा और आवश्यक मरम्मत करने में कितना समय लगेगा और उस पर अनुमानतः कितना पूंजीगत परिव्यय होगा ;

(घ) क्या विशेष रूप से पुल के मूल डिजाइन इन्जीनियरों से सम्बद्ध किसी विदेशी विशेषज्ञ से सलाह ली गई है ; और

(ङ) यदि हां, तो स्थिति के सम्बन्ध में उनका मूल्यांकन क्या है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) पुल के कैरेज-वे और फुटपाथ जैसे कुछ भागों में काफी मरम्मत करने की जरूरत है ।

(ख) और (ग) जी, हां। मैसर्स रेल इण्डिया टेकनिकल एण्ड इकोनामिक सर्विसेज, नई दिल्ली मैसर्स कंसल्टिंग इन्जीनियरिंग सर्विसेज लि०, नई दिल्ली, केन्द्रीय सड़क अनुसन्धान, नई दिल्ली और मैसर्स रेंडल, पामेर एण्ड ट्रिटन आफ लण्डन के सहयोग से अध्ययन कर रहा है। अध्ययन के पहले चरण के फरवरी, 1985 तक पूरा हो जाने की आशा है। अध्ययन पूरा होने के बाद ही अपेक्षित पूंजी परिव्यय की जानकारी मिल पाएगी ।

(घ) लन्दन के मैसर्स रेण्डल, पामेर एण्ड ट्रिटन इस पुल के मूल डिजाइनकर्त्ता थे। वे पुल के मौजूदा अध्ययन में विशेषज्ञ के रूप में सम्बद्ध हैं।

(ङ) पुल की प्रारम्भिक जांच के आधार पर इस पुल में लगे सभी परामर्शदाताओं के इन्जीनियर इस प्रारम्भिक निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि पुल का अधिकांश भाग अभी भी अच्छी दशा में है। तथापि कुछ स्थानों पर ऊपरी भाग को क्षति पहुंची है। इन स्थानों पर जोड़ों में पानी घुस जाने से क्षति हुई और इनकी तत्काल मरम्मत करने की जरूरत है।

कांचरापाड़ा और खड़गपुर स्थित वर्कशाप का आधुनिकीकरण

4453. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में कांचरापाड़ा और खड़गपुर स्थित पुरानी वर्कशापों का आधुनिकीकरण करने के लिए कोई योजना बनाई गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य रूपरेखा क्या है और उस पर कितनी पूंजी लगेगी ;

(ग) क्या चितरंजन लोको वर्क्स में भाप से चलने वाले इन्जनों का उत्पादन बन्द हो जाने के परिणामस्वरूप इस कारखाने का भी पुननिरूपण और आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में भी कोई योजना बनाई गई है, यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है तथा उस पर कुल कितनी पूंजी लगाई जायेगी ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी, हां, खड़गपुर और कांचरापाड़ा कारखानों के आधुनिकीकरण के लिए योजना बनाई गई है और विभिन्न चरणों में यह काम शुरू किया गया है ताकि कोयले वाले इन्जन आदि के स्थान पर बिजली रेल इन्जनों, ई०एम०यू० आदि की आवधिक ओवरहाल का काम किया जा सके।

(ख) कांचरापाड़ा और खड़गपुर कारखानों का आधुनिकीकरण क्रमशः 14.59 करोड़ और 10.64 करोड़ रुपये की लागत पर किया जा रहा है। इन योजनाओं में आधुनिक, उच्च उत्पादकता वाली मशीनें, अपर्याप्त और पुराने संयंत्र विन्यासों के कारण उत्पादन में रुकावट को कम करने, भौतिक संचालन की सुविधा प्रदान करने के लिए आधुनिक सम्हलाई संयंत्र की व्यवस्था और आवश्यकता होने पर नई इमारत के विस्तार/निर्माण को ध्यान में रखा गया है जिससे मरम्मत गतिविधियों के वर्तमान मिश्रित उत्पाद को पूरा किया जा सके।

(ग) और (घ) भाप रेल इन्जनों का उत्पादन बन्द होने से चित्तरंजन रेल इन्जन कारखाना ने पहले से ही डीजल और विद्युत इन्जनों का उत्पादन शुरू कर दिया है। 15.43 करोड़ रुपये की लागत से इस उत्पादन कारखाने का भी आधुनिकीकरण किया जा रहा है। योजनाओं में भौतिक संचालनों को सुचारू बनाने के लिए आधुनिक उच्च उत्पादकता मशीनों, अपर्याप्त और पुराने संयंत्र विन्यासों के कारण उत्पादन की रुकावटों के निराकरण, आधुनिक भौतिक सम्हलाई उपस्करों की व्यवस्था का प्रावधान है।

माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन, दुर्गापुर को आत्मनिर्भर बनाना

4454. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन, दुर्गापुर अभी भी घाटे में चल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसको कितना घाटा हुआ है ; और

(ग) इसके सभी व्यर्थ के प्रशासनिक खर्चों, अर्थात व्यापक रूप से दौरे करने दिल्ली स्थित अतिथि भवन (गैस्ट हाउस) के रख-रखाव तथा ऐसे ही अन्य खर्चों में कटौती करके इसे एक आत्मनिर्भर एकक बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य, उद्योग तथा पूर्ति विभाग मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी, हां। फिर भी, हानियों को प्रत्येक वर्ष धीरे-धीरे कम किया जा रहा है।

(ख) 31-3-1983 तक एम०ए०एम०सी० की संचित हानियां 123.86 करोड़ रु० थीं।

(ग) यद्यपि व्यय पर नियन्त्रण आवश्यक है और प्रबन्धकों द्वारा इस बारे में कदम उठाये गये हैं, मुख्यत: उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाकर कम्पनी की जीव्यता प्राप्त की जायेगी। कम्पनी ने पहले ही गत दो वर्षों में अपना उत्पादन 45% बढ़ा लिया है और इसकी उत्पादकता में भी सुधार हुआ है। कम्पनी का निकट भविष्य में और सुधार करने का कार्यक्रम है।

इलाहाबाद रेलवे सेवा आयोग के मामले की जांच

4455. **श्री ए० के० राय** : क्या **रेल मंत्री** इलाहाबाद रेलवे सेवा आयोग की जांच के बारे में 8 मार्च, 1984 के अतारांकित प्रश्न सं० 1970 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे सेवा आयोग के विरुद्ध आरोपों के बारे में की जा रही जांच इस बीच पूरी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकाले ; और

(ग) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने और रेलवे सेवा आयोग को निष्पक्ष और उचित ढंग से चलाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) जांचाधीन 3 मामलों में से एक मामले को, जिसमें रेल सेवा आयोग, इलाहाबाद के विरुद्ध अनियमितताओं/कदाचारों के कुछ आरोप लगाये गये थे, केन्द्रीय सतर्कता आयोग के साथ विचार-विमर्श करके, जांच करने के बाद बन्द कर दिया गया था। फरवरी, 1982 की परीक्षा में तथाकथित अनियमितताओं के एक अन्य वाद के मामले में, मामले की जांच की गयी थी और इसमें रेल कर्मचारियों तथा बाहरी व्यक्तियों, दोनों के लिप्त होने का पता चला है। रेल कर्मचारियों का मामला सलाह के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग को भेजा गया है। बाहरी व्यक्तियों का मामला, जांच-पड़ताल के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भेजा गया है। फरवरी, 1981 की परीक्षा में तथाकथित अनियमितताओं/कदाचारों के तीसरे मामले में जांच कार्य पूरा हो चुका है, और रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। इस मामले में भी, जैसा कि जांच-पड़ताल से पता चला है, कुछ बाहरी व्यक्तियों के शरीक होने का पता चला है और इसे केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पास आगे की कार्रवाई के लिए भेजा गया है।

(ग) जहां तक फरवरी, 1982 की परीक्षा का सम्बन्ध है, इस मामले को सलाह के लिए

केन्द्रीय सतर्कता आयोग के पास पहले ही भेजा जा चुका है। इस मामले में अनुवर्ती कार्रवाई के लिए आवश्यक रूप से केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सलाह की प्रतीक्षा करनी होगी। जहां तक फरवरी, 1981 की परीक्षा में कदाचारों की जांच-पड़ताल का सम्बन्ध है, जिसकी रिपोर्ट को शीघ्र ही अन्तिम रूप दे दिये जाने की आशा है, इसमें भी अनुवर्ती कार्रवाई करने से पहले उसी प्रकार केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सलाह ली जाएगी। जहां तक रेल सेवा आयोग के कार्य संचालन में सुधार के लिए की गई कार्रवाई का सम्बन्ध है, सन्देहास्पद ईमानदारी वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को रेल सेवा आयोग, इलाहाबाद से बाहर स्थानांतरित कर दिया गया है/स्थानांतरित के आदेश दे दिये गये हैं। रेल सेवा आयोगों की कार्य प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए, रेल सेवा आयोगों के अध्यक्षों के सम्मेलन में हुए विचार-विमर्श और कार्यकुशलता ब्यूरो निदेशालय द्वारा किये गये अध्ययनों के आधार पर कार्यविधि सम्बन्धी विभिन्न आदेश भी जारी किए गए हैं।

राजस्थान में 1984-85 के दौरान बाल विकास केन्द्र खोलना

4456. **श्री विरदा राम फुलवारिया** : क्या **समाज कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में बाल विकास परियोजना के अन्तर्गत कितने केन्द्र खोले गये हैं ;

(ख) वर्ष 1984-85 में स्थान पर ऐसे कितने केन्द्र खोले जाने का विचार है और ये किन-किन स्थानों पर खोले जाएंगे ;

(ग) सरकार ने प्रत्येक केन्द्र के लिए कितने वार्षिक प्रावधान किया हैं ; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) अभी तक राजस्थान में समेकित बाल विकास सेवा (आई०सी०डी०एस०) की 45 परियोजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं।

(ख) इन 45 परियोजनाओं में से 8 समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाएं 1984-85 के लिए स्वीकृत की गई हैं। ये 8 नई परियोजनाएं निम्नलिखित खण्डों में स्थित हैं :—

क्रम संख्या	खण्ड का नाम	जिला
1.	तलवाड़ा	बांसवाड़ा
2.	सिवाना	बारमेर
3.	असपुर	डुंगरपुर
4.	बिछीवाड़ा	डुंगरपुर
5.	शेरगढ़	जोधपुर
6.	रीवदार	सिरोही
7.	अबरोड़	सिरोही
8.	गोकींदा	उदयपुर

(ग) तथा (घ) पूर्व पोषाहार का खर्च राजस्व कर द्वारा पूरा किया जाता है केन्द्रीय सरकार दूसरी मदों के लिए खर्च के लिए अनुदान देती है।

एक विवरण जिसमें प्रतिपरियोजना लागत प्राक्कलन दर्शाया गया है संलग्न है। ये प्राक्कलन अनुमानित हैं और वास्तविक खर्च एक योजना से दूसरी योजना के लिए भिन्न-भिन्न होता है जो इन परियोजनाओं के आकारों, सम्बन्धित राज्य सरकारों के वेतनमानों तथा दूसरे सम्बन्धित कारणों पर निर्भर करता है।

विवरण

परियोजना का संशोधित लागत अनुमान (एक वर्ष)

मद	ग्रामीण परियोजना	शहरी परियोजना	आदिवासी परियोजना	टिप्पणी
1	2	3	4	5
(क) स्टाफ				
1. बाल विकास परियोजना अधिकारी	16,000	18,000	18,000	प्रत्येक परियोजना में एक बाल विकास परियोजना अधिकारी, ब्लाक खण्ड विकास अधिकारी के समान वेतन में
2. सहायक	9,000	9,000	9,000	अवर श्रेणी लिपिक या उच्च श्रेणी लिपिक के वेतनमान में प्रत्येक परियोजना में एक सहायक
3. पर्यवेक्षक	50,000	40,000	30,000	प्रत्येक ग्रामीण, शहरी और आदिवासी परियोजना में क्रमशः पांच, चार और पांच पर्यवेक्षक राज्य में मुख्य सेविका के वेतनमान के बराबर
4. क्लर्क टाइपिस्ट	7,500	7,500	7,500	प्रत्येक परियोजना में एक
5. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता (125-175 रु०	1,80,000	2,10,000	90,000	175 रु० प्रतिमास मैट्रिक के लिए 125 रु० नान मैट्रिक के लिए प्रत्येक ग्रामीण परियोजना

1	2	3	4	5
प्रतिमाह की दर से मानदेय)				में 100 कार्यकर्ता (50% मैट्रिक तथा 50%नान-मैट्रिक) प्रत्येक शहरी परियोजना में 100 कार्यकर्ता (सभी मैट्रिक); प्रत्येक आदिवासी परियोजना में 50 कार्यकर्ता (50% मैट्रिक तथा 50%नान-मैट्रिक)
6. ड्राइवर	7,500	7,500	7,000	प्रत्येक परियोजना में एक ड्राइवर
7. हैल्पर (50 रु० प्रति मास)	60,000	6,000	30,000	प्रत्येक ग्रामीण/शहरी परियोजना में 100 तथा आदिवासी योजना में 50
8. चपरासी	6,000	6,000	6,000	
9. सांख्यिकीय सहायक	9,000	9,000	9,000	1982-83 के बाद से स्वीकृत समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाओं के मामले में 1981-82 तक स्वीकृत परियोजनाओं के मामलों में
योग	3,48,000	3,36,000	1,98,000	1982-83 के रूप से स्वीकृत परियोजनाओं के मामलों में
	3,47,000	3,67,000	2,07,000	
मुख्य केन्द्र/उप केन्द्रों में स्टाफ को सुदृढ़ करना				
1. डाक्टर (बाल स्वास्थ्य में डिप्लोमा में अधिमानता)	20,000	20,000	20,000	(i) प्रत्येक शहरी परियोजना में एक डाक्टर (ii) 1981-82 तक स्वीकृत प्रत्येक ग्रामीण / शहरी परियोजना में एक डाक्टर; 1982-1983 के बाद से स्वीकृत ग्रामीण/आदिवासी परियोजना में कोई नहीं

1	2	3	4	5
2. महिला स्वास्थ्य निरीक्षक/सार्वजनिक स्वास्थ्य नर्से/एच०ए० (महिला)	20,000	—	20,000	1981-82 तक स्वीकृत/प्रत्येक ग्रामीण/आदिवासी परियोजना में, दो महिला स्वास्थ्य निरीक्षक/सार्वजनिक स्वास्थ्य नर्स, 1982-83 के बाद से, स्वीकृत परियोजनाओं में कोई नहीं
3. सहायक/नर्स/दाई/स्वास्थ्य कर्मचारी (महिला)	60,000	30,000	30,000	(i) 1981-82 तक स्वीकृत प्रत्येक ग्रामीण तथा आदिवासी परियोजना में क्रमशः आठ और चार सहायक नर्स/दाई, 1982-83 के बाद से स्वीकृत ग्रामीण / आदिवासी परियोजनाओं से कोई नहीं
				(ii) प्रत्येक शहरी परियोजना में चार
4. स्वास्थ्य स्टाफ	1,00,000	50,000	70,000	1981-82 तक स्वीकृत परियोजनाओं के लिए
	—	50,000	—	1981-82 के बाद स्वीकृत परियोजनाओं के लिए
कुल स्टाफ	4,38,000	4,08,000	2,68,000	1981-82 तक स्वीकृत परियोजनाओं के लिए
	3,47,000	4,17,000	2,27,000	1981-82 के बाद स्वीकृत परियोजनाओं के लिए
(ख) अन्य व्यय				
आवर्ती				
1. आंगनबाड़ियों के लिए फुटकर खर्च	18,000	18,000	9,000	प्रत्येक ग्रामीण / शहरी परियोजना में 100 आंगनबाड़ी तथा प्रत्येक आदिवासी परियोजना में 50 आंगनबाड़ी

1	2	3	4	5
2. आंगनबाड़ियों के लिए किराए (केवल प्रत्येक शहरी परियोजना के लिए 120 रु०प्रतिमास)	—	1,44,000	—	ग्रामीण/आदिवासी क्षेत्रों में परिसर समुदाय द्वारा किया जाता है
	30,000	—	15,000	1982-83 के बाद से स्वीकृत परियोजनाओं के मामले में
3. दवाइयां	30,000	30,000	15,000	300 रु०प्रति आंगनबाड़ी की दर से
4. पी०ओ०एल० रख-रखाव आदि	30,000	15,000	25,000	
5. खण्ड स्तर पर फुटकर खर्च (लेखन सामग्री)	5,000	5,000	5,000	
6. मेडिकल तथा पैरा मेडिकल स्टाफ के लिए भवनों के लिए किराए	6,000	24,000	3,600	
	89,000	2,36,000	57,000	1981-82 तक स्वीकृत परियोजनाओं के लिए
	1,13,000	2,36,000	69,000	1982-83 के बाद से स्वीकृत परियोजनाओं के लिए
गैर-आवर्ती				
1. आंगनबाड़ियों के लिए यन्त्र संलग्न सूची के अनुसार	1,00,000	1,00,000	70,000	प्रत्येक ग्रामीण / शहरी/ परियोजना में 100 आंगनबाड़ी तथा प्रत्येक आदिवासी में 50 आंगन-बाड़ी

1	2	3	4	5
2. खण्ड/सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर फर्नीचर आदि	2,00,000	7,500	7,000	
3. रेफ्रीजिरेटर	—	—	—	×प्रत्येक परियोजना में एक
4. वाहन	—	—	—	
	1,08,000	1,07,500	77,000	
कुल परियोजना व्यय				
1. आवर्ती	5,27,000	6,44,000	3,23,000	1981-82 तक स्वीकृत
गैर-आवर्ती	1,08,000	1,07,500	57,000	परियोजनाओं के मामले
2. आवर्ती	4,66,000	6,53,000	2,76,600	1981-82 तक स्वीकृत परियोजनाओं के मामले में
गैन-आवर्ती	1,08,000	1,00,500	57,000	1981-82 के बाद स्वीकृत परियोजनाओं के मामले में

×केवल 1981-82 तक स्वीकृत ग्रामीण/आदिवासी परियोजनाओं के सम्बन्ध में यह वस्तुएं "यूनिसेफ" द्वारा प्रदान की जा रही हैं और इसीलिए प्रावधान का सुझाव नहीं दिया गया।

स्कूटरों की मांग और उत्पादन

4457. **श्री विरदा राम कुलवारिया** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न कम्पनियां के दो पहिया स्कूटरों का वार्षिक उत्पादन क्या है ;

(ख) क्या देश में स्कूटरों की मांग उत्पादन से अधिक है ;

(ग) यदि हां, तो विभिन्न कम्पनियों के स्कूटरों की मांग और उत्पादन से सम्बन्धित ब्यौरा क्या है और वर्ष 1984-85 (जून तक) के दौरान कितने स्कूटरों की बुकिंग की गई ; और

(घ) इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य, उद्योग तथा पूर्ति विभाग मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) :

(आंकड़ें हजार में)

(क)	क्रमांक	निर्माता का नाम	उत्पादन 1981-82	1982-83	1983-84 (संशोधित)
	1.	आटोमोबाइल प्रोडक्ट्स आफ इण्डिया लि०	22	23	17
	2.	बजाज आटो लि०	109	151	177
	3.	स्कूटर्स इण्डिया लि०	32	38	21
	4.	महाराष्ट्र स्कूटर्स लि०	25	39	54
	5.	अन्य	13	15	11
		योग	201	266	280

(ख) जी, नहीं।

(ग)

स्कूटरों की मांग	(आंकड़े हजार में)
1981-82	246
1982-83	283
1983-84	325
1984-85	400
1989-90	700

(घ) मुख्य निर्माताओं के पास लम्बित क्रयादेश निम्न प्रकार है :—

लोहिया मशीन्स लिमिटेट	22.39 लाख
बजाज आटो लिमिटेड	7.84 लाख
ए० पी० स्कूटर्स लिमिटेड	5.40 लाख
महाराष्ट्र स्कूटर्स लिमिटेड	10.54 लाख
गिरनार स्कूटर्स	0.11 लाख
योग	46.28 लाख

भीनमल स्टेशन पर सार्वजनिक इमारत के निर्माण हेतु न्यास को अनुमति देना

4458. **श्री विरदा राम फुलवारिया** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने किसी रेलवे स्टेशन पर सार्वजनिक इमारत का निर्माण करने हेतु न्यासों अथवा सामाजिक संगठनों को अनुमति दी है ;

(ख) क्या यह सच है कि भीनमल रेलवे स्टेशन (जोधपुर मण्डल) पर एक सार्वजनिक इमारत के निर्माण के लिए सरकार की अनुमति प्रदान करने के लिए किसी न्यास ने आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) रेल परिसरों में प्याऊ/प्रतीक्षालय आदि जैसी यात्री सुविधाओं के लिए संरचनाओं का निर्माण करने के लिए ट्रस्टों/समाज संगठनों के अनुरोधों पर मामला-दर-मामला के आधार पर विचार किया जाता है और रेलों के हित को ध्यान में रखकर गुणावगुण के आधार पर अनुमति दी जाती है।

(ख) जी हां, जोधपुर मंडल पर मारवाड़ भीनमल रेलवे स्टेशन पर एक यात्री प्रतीक्षालय का निर्माण करने की अनुमति के लिए "सुख राज बाबूलाल जी बाहर चैरीटेबिलट ट्रस्ट भीनमल" नामक ट्रस्ट से एक अनुरोध प्राप्त हुआ है।

(ग) यह विनिश्चय किया गया है कि इस ट्रस्ट को अपनी लागत पर एक यात्री प्रतीक्षालय रेलों के माध्यम से बनवाने की अनुमति एक निक्षेप कार्य के रूप में दी जाए।

हिमाचल प्रदेश में शिक्षा का क्षेत्रीय कालेज

4459. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार और राष्ट्रीय शैक्षणिक एवं अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद् को हिमाचल प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्रीय कालेज की मंजूरी देने और खोलने की कोई मांग प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मांग के सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो किस तारीख तक निर्णय लिए जाने और कालेज खोले जाने की संभावना है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों की राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) छठी योजना अवधि के दौरान अतिरिक्त क्षेत्रीय शिक्षा कालेजों को स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

हमीरपुर और ऊना में कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल का निर्माण

4460. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **समाज कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर और ऊना में कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल के निर्माण के सम्बन्ध में नवीनतम प्रगति का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) इनके निर्माण की अनुमानित लागत कितनी है ये परियोजनाएं किस तारीख को मंजूर हुई थी और इनके निर्माण में बिलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) हमीरपुर में कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल का निर्माण पुरा हो चुका है जबकि ऊना में कामकाजी महिलाओं का होस्टल निर्माणाधीन है।

(ख) हमीरपुर और ऊना में कामकाजी महिलाओं के होस्टलों के निर्माण की अनुमानित लागत कमशः 7,54,330/- रुपए और 10,77,720/- रुपए हैं। इन होस्टलों की स्वीकृति कमशः 2 मई, 1981 और 25 अप्रैल, 1981 को दी गई थी। ऊना में होस्टल निर्माण में देरी होने का मुख्य कारण यह है कि ऐजेन्सी को होस्टल बनाने के लिए स्थान को बदलना पड़ा। हमीरपुर होस्टल का निर्माण संगठन के सामने कुछ वित्तीय कठिनाइयां उत्पन्न हो जाने के कारण निर्धारित समय में पूरा नहीं हो सका।

उद्योगों का अधुनिकीकरण

4461. **श्री एन० डेनिस** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या इण्डियान कौंसिल फार स्माल एण्ड मीडियम एक्सपोर्टर ने सरकार से अनुरोध किया हैं कि एककों का बड़े पैमाने पर आधुनिकीकरण तथा विभिन्न उद्योगों के लिए नवीनतम प्रोद्यो-गिकी का आयात किया जाए ; और

(ख) यदि हां, तो इन सुझावों का ब्यौरा क्या है और इन पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वाणिज्य, उद्योग तथा पूर्ति विभाग मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) इस मंत्रालय को इण्डियन कौंसिल फार स्माल एण्ड मीडियम एक्सपोर्टर्स द्वारा भेजे गए ऐसे किसी भी सुझाव की जानकारी नहीं है। जनवरी, 1983 के तकनोलोजी नीति सम्बन्धी वक्तव्य में प्रौद्योगिकी के आयात के बारे में सरकार की नीति का उल्लेख किया गया है। नीति सम्बन्धी इस वक्तव्य में प्रौद्योगिकी के अभ्युत्थान और आधुनिकीकरण की आवश्यकता को स्वीकार किया गया है।

खुर्दा रोड और खड़गपुर डिवीजन में रेलवे स्टेशनों पर किए गए सुधार

4462. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दस वर्षों के दौरान खुर्दा रोड डिवीजन और खड़गपुर डिवीजन के निम्नलिखित

स्टेशनों जैसे भद्रक, भेरकोना, वांदपुर, केन्द्रपाड़ा, मनजूरी रोड, रानीताल और सवीरा स्टेशनों पर यात्रा करने वाली जनता के द्वारा बारम्बार अभ्यावेदन किए जाने के बावजूद रेल प्रयोक्ताओं के लिए कोई सुधार नहीं किए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके विशिष्ट कारण क्या है ; और

(ग) ऊपर उल्लीखित स्टेशनों पर क्या सुधार किए जाने के सुझाव दिए गए हैं ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) पिछले दस वर्षों के दौरान इनमें से कुछ स्टेशनों पर निम्नलिखित सुधार-कार्य किए गए हैं ;

(I) भद्रक

(1) प्लेटफार्मों पर लाउड स्पीकरों की व्यवस्था,

(2) पानी के नलों को व्यवस्था,

(3) दूसरे दर्जे के प्रतीक्षालय का विस्तार,

(4) चाय के स्टाल की व्यवस्था

(5) ड्रम क्लाक की व्यवस्था,

(II) वाडवगपुर

माल गोदाम तक पहुंच-मार्ग की व्यवस्था ।

(III) केंदुआपाड़ा

(1) प्लेटफार्मों पर साफ-सुथरे शौचालयों की व्यवस्था,

(2) प्लेटफार्म पर नलकूप की व्यवस्था ।

(IV) सबीरा

(1) टेलीफोन की व्यवस्था,

(2) दो नलकूपों की व्यवस्था ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता। स्टेशनों पर अतिरिक्त यात्री सुविधाओं की व्यवस्था एक कार्यक्रम के आधार पर की जाती हैं जो धन की उपलब्धता तथा विभिन्न स्टेशनों की तुलनात्मक आवश्यकताओ पर निर्भर रहती है ।

(ग) रेलवे की सापेक्ष योजना के अन्तर्गत यात्री सुविधाओं में निम्नलिखित सुधार लाने का सुझाव दिया गया है :—

(I) **मार्कोना**

(1) लाउड स्पीकरों की व्यवस्था,

(2) प्लेटफार्म पर सायबान की व्यवस्था।

(II) **रानीताल**

प्रतीक्षालय का विस्तार।

(III) **मुद्रक**

स्टेशन पर प्रकाश-प्रबन्ध में सुधार लाना।

नीमच-कोटा लाइन का निर्माण

4463. **श्री सत्य नारायण जटिया** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नीमच-कोटा बड़ी लाइन के निर्माण में जून, 1984 तक हुई प्रगति का ब्योरा क्या है ;

(ख) इस लाइन पर बनाए जाने वाले प्रस्तावित स्टेशनों के नाम क्या है और वे कितनी-कितनी दूरी पर बनाए जाएंगे ; और

(ग) नई नीमच-चित्तोड़गड़ बड़ी लाइन पर वर्तमान छोटी लाइन के स्टेशनों अतिरिक्त अन्य प्रस्तावित स्टेशनों के नाम क्या हैं और कहां-कहां वे बनाए जाएंगे ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) गुर्ला-चन्देरिया खण्ड में कार्य प्रगति पर है। समग्र प्रगति 5 प्रतिशत है।

(ख) संलग्न विवरण-एक में प्रस्तावित स्टेशनों के नाम और उनके स्थान दर्शाये गए हैं।

(ग) नीमच-चित्तोड़गढ़ लाइन पर प्रस्तावित स्टेशनों के नाम तथा वर्तमान मीटर लाइन स्टेशनों के स्थल और उनका स्थान निर्धारण संलग्न विववण-दो में दिए गए हैं।

विवरण-एक

प्रस्तावित स्टेशनों के नाम और उनके स्थान नीचे दिए गए हैं :—

क्रम संख्या	स्टेशनों का नाम	दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी (कि० मी०)
1	2	3
1.	दहीत	—
2.	थातेरा	9.20
3.	खोंधिया	6.10

1	2	3
4.	बूंदी	7.90
5.	श्रीनगर	10.30
6.	नीम-का-खेड़ा	11.74
7.	जालंधरी	11.76
8.	सीताकुंड	6.90
9.	श्यामपुरा	6.66
10.	मोहनपुरा	12.22
11.	मण्डलगढ़	8.62
12.	बीथलपुरा	7.40
13.	बारुन्दनी	7.80
14.	परसोली	9.40
15.	जोधपुरी	6.60
16.	बस्ती	8.29
17.	नगरी	9.92

विवरण-बी

नीमच-चित्तौड़गढ़ लाइन पर प्रस्तावित स्टेशनों के नाम तथा वर्तमान मीटर लाइन के स्टेशनों के स्थल और स्थान निर्धारण नीचे दिए गए है :—

क्रम सं०	स्टेशनों के नाम	दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी (कि० मी०)
1.	चन्देरिया	—
2.	चित्तोड़गढ़	7.66
3.	ओर्डी	5.37
4.	शम्भुपुरा	6.26
5.	गभीरी रोड	9.17
6.	निम्हाहेड़ा	8.15
7.	जावद रोड़	10.39
8.	बीसालवासकलां	7.03
9.	नीमच	9.48

समय सारिणी "रेक लिंकस" आदि में क्षमता उपयोग के लिए उपयुक्त परिवर्तन

4464. **श्री सूरज भान** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने पिछले मार्च में महाप्रबन्धकों की एक बैठक में क्षमता का उपयोग और उत्पादकता बढ़ाने हेतु (एक) 25 वर्ष पुरानी समय सारिणी (दो) रेक लिंक्स (तीन) रेकों और इन्जनों के टर्मिनल लाइ-ओवर और (चार) एक्सप्रेस रेल गाड़ियों की औसत गति सीमा में समुचित परिवर्तन (अप्रैल तक) करने के लिए कहा था जिससे अधिक रेलें चलेंगी और उन्हीं रेल गाड़ियों से रेलवे के राजस्व में तीव्र वृद्धि की जा सकेगी ; और

(ख) उपरोक्त चार शीर्षों के अन्तर्गत प्रत्येक जोन में, अलग-अलग अभी तक (अप्रैल के स्थान पर) क्या विशेष परिवर्तन किए गए हैं ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी हां, सवारी डिब्बों तथा मौजूदा मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों की रफ्तार बढ़ाने सहित उपलब्ध संसाधनों की उत्पादकता में सुधार लाने के लिए महाप्रबन्धकों को सामान्य निदेश दिया गया था ।

(ख) सवारी डिब्बों जैसे संसाधनों की उत्पादकता में सुधार लाना एक सतत प्रक्रिया है और रेलें बड़ी लाइन के सवारी डिब्बों के उपयोग में सुधार लायी हैं जो 1981-82 में 317 वाहन कि०मी० प्रतिवाहन दिन से बढ़कर 1983-84 में 351 हो गया है। कुछ मौजूदा मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों की रफ्तार बढ़ाने का विनिश्चय भी किया गया है।

वातानुकूलन संयंत्र के रख-रखाव के लिए डिप्लोमाधारियों की नियुक्ति

4465. **श्री निहाल सिंह** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेल विभाग में वातानुकूलन संयंत्रों के रख-रखाव के लिए इलेक्ट्रीशियनों को नियुक्त किया है और वातानुकूलन के डिप्लोमाधारियों को नियुक्त नहीं किया जाता, और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और क्या सरकार का विचार वातानुकूलन संयंत्रों के रख-रखाव के लिए डिप्लोमाधारियों को नियुक्त करने का है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

लोहिया निदेशकों के लिए स्कूटरों का कोटा

4466. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या **उद्योग मन्त्री** स्कूटरों की मांग और सप्लाई की स्थिति के बारे में 2 अगस्त, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1591 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोहिया मशीन्स द्वारा स्कूटरों के अपने उत्पादन का 5 प्रतिशत भाग अपने निदेशक के

कोटे के अन्तर्गत आबंटित किए जाने की तुलना में, बजाज आटो लिमिटेड द्वारा केवल 3 प्रतिशत भाग क्यों आबंटित किया जाता है ;

(ख) लोहिया मशीन्स को यह तरजीह दिए जाने के क्या कारण है ; और

(ग) उनके द्वारा किसी प्रकार के दुरुपयोग को रोकने के लिए लोहिया मशीन्स के निदेशक-कोटे को घटाकर 3 प्रतिशत करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य, उद्योग तथा पूर्ति विभाग मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) कानूनी नियन्त्रण न होने से सरकार ने निर्माता का विवेकाधीन कोटा निश्चित नहीं किया है। किन्तु मोटरगाड़ी उद्योग में स्थापित पद्धतियों के अनुसार निर्माताओं द्वारा 5 प्रतिशत का विवेकाधीन कोटा कार्यान्वित किया जाता है।

प्रौढ़ साक्षरता में वृद्धि

4467. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत चार वर्षों के दौरान प्रौढ़ साक्षरता में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई ;

(ख) इस प्रयोजन हेतु कौन सी विशेष योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं ;

(ग) किन-किन राज्यों ने लक्ष्य पूरा कर लिया है ;

(घ) क्या ऐसे राज्यों को विशेष प्रोत्साहन देने हेतु कोई योजना है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) देश में साक्षरता दर प्रत्येक दस वर्षों के बाद भारत के महा पंजीयक द्वारा संचालित जनगणना के माध्यम से ही संगणित की जाती है। पिछली जनगणना वर्ष 1981 में की गयी थी और अगली जनगणना वर्ष 1991 में होनी है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पिछले चार वर्षों में प्रौढ़ साक्षरता में हुई वृद्धि को शामिल होगी। तथापि, पिछले चार वर्षों के दौरान 15-35 आयु वर्ग में लगभग 1.60 करोड़ प्रौढ़ निरक्षरों को देश में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत दाखिल किया गया है।

(ख) देश में प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं :—

(i) ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजनाएं।

(ii) राज्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम।

(iii) प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता।

(iv) प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत छात्रों और युवाओं को शामिल किया जाना।

(v) श्रमिक विद्यापीठ

(vi) उत्तर-साक्षरता और अनुवर्ती कार्यक्रम।

(vii) प्रौढ़ शिक्षा के लिए प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ़ बनाना।

(ग) राज्य सरकारों से उनको अपनी संचालनात्मक योजनाएं उस प्रकार से तैयार करने का आग्रह किया गया है ताकि वर्ष 1990 तक 15-35 आयु वर्ग में निरक्षरता उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। राज्य सरकारों द्वारा तैयार की गई संचालनात्मक योजनाओं की समीक्षा और प्रगति की समय-समय पर जांच की जाती है।

(घ) और (ङ) उन राज्य को प्रोत्साहन देने की कोई योजना नहीं है, जो इस लक्ष्य को पूरा करते हैं। तथापि, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत महिलाओं को अधिक सहभागिता संख्या में शामिल करने को प्रोत्साहित करने के लिए एक पुरस्कार योजना आरम्भ की गई है, जिसके अन्तर्गत राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को निम्नलिखित पुरस्कार दिए जाते हैं।

(क) प्रत्येक जिले में पांच सर्वोत्तम महिला केन्द्र।

(ख) प्रत्येक राज्य में एक सर्वोत्तम जिला।

(ग) चार सर्वोत्तम राज्यों को राज्य स्तरीय पुरस्कार और सर्वोत्तम संघ शासित केन्द्र के लिए एक पुरस्कार।

प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों में प्रौढ़ महिलाओं के नामांकन में उत्कृष्ट निष्पादन के लिए निम्नलिखित राज्यों को 1982-83 के लिए पांच राज्य स्तरीय पुरस्कार दिए थे :

तमिलनाडु

बिहार

मध्य प्रदेश

महाराष्ट्र

उत्तर प्रदेश

विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता से बिहार में जन स्वास्थ्य गाइड योजना का क्रियान्वयन

4468. **श्री रीति लाल प्रसाद वर्मा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से प्राप्त वित्तीय सहायता से बिहार के प्रत्येक जिले के दो खण्डों में जन स्वास्थ्य गाइड योजना लागू की है ; और

(ख) यदि हां, तो बिहार के कितने प्रशिक्षित जन स्वास्थ्य गाइड नियुक्त किए गए हैं और यदि औषधियों और उपकरणों की वार्षिक सप्लाई की गई है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

पूर्वोत्तर रेलवे के सिविल इन्जीनियरिंग विभाग में जूनियर ग्रेड स्केल के अधिकारियों की पदोन्नति

4469. **श्री दया राम शाक्य** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे के सिविल इन्जीनियरिंग विभाग के सीनियर स्केल के पदों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें जूनियर प्रशासनिक के पदों में परिवर्तित किया गया है ;

(ख) क्या उसी विभाग से उतनी संख्या में जूनियर स्केल अधिकारियों के पदों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें सीनियर स्केल बनाया है, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इन पदों का दर्जा बढ़ाने से पहले सीनियर स्केल के कितने पद मौजूद थे और इस समय "ओपन लाइन" और निर्माण विभागों में इस तरह के अलग-अलग कितने पद मौजूद हैं ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) हाल ही में पूर्वोत्तर रेलवे के सिविल इन्जीनियरी संवर्ग में वरिष्ठ वेतनमान के पांच पदों का दर्जा बढ़ाकर कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड किया गया है।

(ख) इतने ही पदों का दर्जा बढ़ाकर वरिष्ठ वेतनमान किया गया है।

(ग) दर्जा बढ़ाने से पहले चालू लाइन पर सिविल इन्जीनियरी विभाग के वरिष्ठ वेतनमान के 19 पद थे तथा निर्माण विभाग में वरिष्ठ वेतनमान के 16 पद थे। इस समय चालू लाइन पर सिविल इन्जीनियरी विभाग के वरिष्ठ वेतनमान में 19 पद है तथा निर्माण विभाग में वरिष्ठ वेतनमान के 12 पद हैं। निर्माण विभाग में पदों की संख्या कार्य प्रभारित होने के कारण समय-समय पर भिन्न-भिन्न होती है जो निर्माण कार्य-भार पर निर्भर करती है।

गुजरात में लड़कियों का होस्टल

4470. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य में और खास तौर पर आदिवासी क्षेत्र में जो कि शिक्षा की दृष्टि से सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र है लड़कियों के लिए होस्टलों का निर्माण करने हेतु कोई आवेदन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास विचाराधीन पड़ा है ;

(ख) ये आवेदन पत्र कब से लम्बित हैं और इसको स्वीकृत न करने के क्या कारण हैं ;

(ग) देश में लड़कियों के लिए होस्टलों का निर्माण करने के हेतु कितने आवेदन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास 31 मार्च, 1984 को विचाराधीन थे ; और

(घ) देश में छात्रों के लिए आवासीय होस्टलों का निर्माण करने के लिए केन्द्र द्वारा दी गयी अन्य सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों की राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार इस समय इस प्रकार का कोई आवेदन पत्र आयोग के पास अनिर्णीत नहीं पड़ा है।

(ग) 31-3-1984 की स्थिति के अनुसार आन्ध्र प्रदेश से चार, असम से दो, केरल से एक, उड़ीसा से पांच और पश्चिम बंगाल से प्राप्त दो प्रस्ताव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास अनिर्णीत पड़े थे।

(घ) आयोग, विश्वविद्यालयों और कालेजों को महिला छात्रावासों के निर्माण के लिए पुरुष छात्रावासों के मामले में 50 : 50 के मुकाबले 75 : 25 की हिस्सेदारी के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

कांजूर मार्ग तथा विखरोली पर पैदल पुल

4471. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी :** क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में कांजूर मार्ग और विखरोली में वर्तमान रेल फाटक के ऊपर से पैदल यात्रियों के लिए एक पुल बनाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) कंजूर मार्ग के वर्तमान समपार सं० 16 के स्थान पर ऊपरी पैदल पुल की व्यवस्था करने का एक अनुमोदित प्रस्ताव है जिसकी अनुमानित लागत 9.70 लाख रु० है और जो बम्बई नगर निगम को प्रभार्य है। बम्बई नगर निगम के अनुरोध पर कि० मी० 24/12-13 पर विखरोली के निकट निक्षेप शर्तों पर ऊपरी पैदल पुल के लिए भी प्रस्ताव 1978 में आरम्भ किया गया था लेकिन दिसम्बर, 1980 में बम्बई नगर निगम द्वारा इसे स्थगित कर दिया गया है।

रेलवे बोर्ड में रिक्त पदों को जोनल रेलवे के अधिकारियों से भरा जाना और रेलवे बोर्ड के अधिकारियों को जोनल रेलवे में भेजा जाना

4472. **श्री दया राम शाक्य :** क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड में राजपत्रित श्रेणी के बहुत से पदों को जोनल रेलवे के रेल अधिकारियों को लेकर भरा जा रहा है;

(ख) क्या सन्तुलन की उक्त एकतरफा कमी को पूरा करने हेतु रेलवे बोर्ड सचिवालय के अधिकारियों को भी जनोनल रेलवे में भेजा जा रहा है ; और

(ग) क्या यह गत्यवरोध को दूर करने हेतु और अधिक संख्या में आर० बी० एस० एस० के अधिकारियों को यातायात, वाणिज्यिक तथा कार्मिक शाखाओं में तैनात करने पर विचार कर रहे हैं ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) रेलवे बोर्ड में राजपत्रित पदों का निम्नलिखित से है :—

(1) सचिवालयी कार्य-पक्ष ।

(2) तकनीकी कार्य-पक्ष ।

सचिवालयी पक्ष के सभी पद निरपवाद रूप से रेलवे बोर्ड सचिवालय के अधिकारियों द्वारा ही सम्हाले जाते हैं ।

तकनीकी पक्ष में जहां रेलों के समुचित कार्य-संचालन के लिए तथा उच्च तकनीकी रेलवे विभागों को निदेश देने के लिए फील्ड कार्य की जानकारी तथा अनुभव अनिवार्य है वहां यह जरूरी है कि इन पदों को प्रत्येक पद की कार्य सम्बन्धी आवश्यकता के अनुसार क्षेत्रीय रेलों से संगठित रेल सेवाओं के अनुभवी फील्ड अधिकारियों को बोर्ड में कार्यकाल के आधार पर प्रतिनियुक्त करके भरा जाए ।

(ख) रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के अधिकारियों को समय-समय पर इस तरह के आफर दिए गए हैं लेकिन क्षेत्रीय रेलों पर फील्ड यूनिटों में कार्य करने के आफर को स्वीकार करने के लिए वे सामान्यत: आगे नहीं आये हैं ।

(ग) जी हां, कार्मिक शाखा के मामले में ही किया गया है । बहरहाल, रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के अधिकारियों को विगत में दिए गए आफरों पर कोई उपयुक्त प्रक्रिया नहीं हुई । जहां तक यातायात तथा वाणिज्य शाखाओं में फील्ड पदों का सम्बन्ध है, रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के अधिकांश अधिकारियों की सचिवालयी कार्य-पृष्ठभूमि की प्रकृति ही ऐसी है कि वे ऐसी तैनातियों के लिए लैस नहीं हैं ।

रेलवे कोच फैक्टरी रहित राज्य

4473. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण भारत के उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां कोई रेलवे कोच फैक्टरी या "रेलवे रिपेयरिंग यार्ड" नहीं है ;

(ख) दक्षिण भारत में "रेलवे रिपेयरिंग यार्ड" या रेलवे कोच फैक्टरी की राज्य-वार संख्या कितनी है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार प्रस्तावित नई कोच फैक्टरी या रिपेरिंग यार्ड की स्थापना केरल में करने का है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) रेल मन्त्रालय के अधीन पेराम्बूर, मद्रास (तमिलनाडू राज्य) में केवल एक रेलवे सवारी डिब्बा कारखाना स्थित है । सवारी डिब्बों का निर्माण करने वाला दूसरा कारखाना रक्षा मन्त्रालय के अधीन और कर्नाटक राज्य के बेंगलूर में स्थित हैं, जबकि तीसरा सवारी डिब्बा निर्माण कारखाना सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई है जो कलकत्ता में स्थित है। इसके अतिरिक्त, बहुत बड़ी संख्या में सवारी डिब्बा मरम्मत कारखाने और डिपो (सवारी डिब्बा मरम्मत डिपो) हैं जो कि व्यावहारिक रूप से दक्षिण भारत में प्रत्येक राज्य में स्थित हैं ।

(ख) दक्षिण भारत में स्थित सवारी डिब्बा मरम्मत करने वाले यार्ड (डिपो) और सवारी डिब्बा कारखाने, का विवरण नीचे दिया गया है :—

तमिलनाडु

1. सवारी डिब्बा कारखाना, पैराम्बूर, मद्रास (सवारी डिब्बा उत्पादन इकाई) (स्वतंत्र इकाई)

2. **सवारी डिब्बा मरम्मत कारखाना**

(I) सवारी डिब्बा मरम्मत कारखाना, पैराम्बूर, मद्रास (दक्षिण मध्य रेलवे)।

(II) सवारी डिब्बा मरम्मत कारखाना, गोल्डन रॉक, (दक्षिण रेलवे) ।

3. **सवारी डिब्बा मरम्मत डिपो**

25 अदद सवारी डिब्बा अनुरक्षण डिपो

कर्नाटक

1. **सवारी डिब्बा मरम्मत कारखाना**

(I) सवारी डिब्बा मरम्मत कारखाना, मैसूर (दक्षिण रेलवे)

(II) सवारी डिब्बा मरम्मत कारखाना, हुबली (दक्षिण रेलवे)

2. **सवारी डिब्बा मरम्मत डिपो**

9 अदद सवारी डिब्बा अनुरक्षण डिपो

आंध्र प्रदेश

1. **सवारी डिब्बा कारखाना**

(1) सवारी डिब्बा मरम्मत कारखाना, लालागुडा (दक्षिण मध्य रेलवे)

(II) सवारी डिब्बा मरम्मत कारखाना, तिरूपति (दक्षिण मध्य रेलवे) (निर्माणाधीन)

2. सवारी डिब्बा मरम्मत डिपो

26 अदद सवारी डिब्बा अनुरक्षण डिपो

केरल

सवारी डिब्बा मरम्मत डिपो

7 अदद सवारी डिब्बा अनुरक्षण डिपो

(ग) स्थान सर्वेक्षण सहित एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य मैसर्स रेल इण्डिया टैक्नीकल एण्ड इकोनामिक सर्विसेज को सौंप दिया गया है। प्रस्तावित नए सवारी डिब्बा कारखाना स्थापित करने के लिए स्थान उपर्युक्त परियोजना रिपोर्ट के आधार पर निश्चित किया जाएगा।

भारत की जनसंख्या में वृद्धि के सम्बन्ध में "यूनिसेफ" की रिपोर्ट

4474. श्री बी० बी० देसाई : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "यूनिसेफ" द्वारा किए गए अध्ययन की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर में कमी अभी शुरू नहीं हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त अध्ययन रिपोर्ट की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या उसमें यह बताया गया है कि जन्म-दर वर्ष 1971 में 36.9 प्रति 1000 व्यक्ति से घटकर वर्ष 1981 से 33.3 प्रतिशत 1000 व्यक्ति रह गई है तथा विकास दर 2.5 प्रतिशत पर स्थिर रही है ; और

(घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जन्म-दर में और कमी करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप-मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) से (ग) हाल ही में प्रकाशित "भारत में बच्चों की स्थिति का एक विश्लेषण" नामक यूनिसेफ रिपोर्ट में भारत की जनसंख्या की प्रवृत्तियों का कुछ विश्लेषण दिया गया है। इसमें जनसंख्या वृद्धि दर, बच्चों की संख्या, शिशु मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा आदि जैसे कुछेक आंकड़े दिए गए हैं तथा भावी जनसंख्या वृद्धि के बारे में कुछ अनुमान लगाए गए हैं। यह बताया गया है कि जन्म दर जो 1971 में 36.9 थी, वह काफी घट कर 1683 में 33.3 रह गई और इस तरह वृद्धि दर 2.5 प्रतिशत के आस-पास स्थिर रही। भारत के महापंजीयक की नमूना पंजीयन पद्धति के अनुसार वर्ष 1982 में जन्म और मृत्यु दरों के बीच सहज वृद्धि दर में अन्तर लगभग 2.2 प्रतिशत था।

(घ) देश में जन्म दर में कमी करने के लिए परिवार कल्याण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। परिवार कल्याण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए एक सुस्पष्ट कार्यनीति तैयार की गई है। इस कार्य-नीति की मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार हैं, बहु प्रचार माध्यमों और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक इसके सन्देश को पहुंचाने की नीतियों का सुविचारित उपयोग करके इसके बारे में लोगों में जागृति लाने और इसकी जानकारी देने के तेजी से प्रयास करना, परिवार नियोजन अपनाने वाले लोगों के घरों के निकट-तम सेवाओं और सामग्री की यथा सम्भव व्यवस्था करना, महिलाओं की साक्षरता में तेजी से वृद्धि लाने के लिए सुविधाओं का विकास करना, युवकों को स्कूल और कालेजों में तथा इनसे बाहर जनसंख्या शिक्षा देना, जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों की सहायता और समर्थन लेना, अन्य सम्बन्धित मंत्रालयों और विभागों से समुचित सम्पर्क बनाना, परिवार नियोजन अपनाने वाले प्रत्येक व्यक्ति और राज्य सरकारों को प्रोत्साहन देना तथा विभिन्न स्तरों पर इस कार्यक्रम पर निकट से निगरानी रखना।

"प्रीमियर आटोमोबाइल्स" द्वारा क्षमता में वृद्धि

4475. **श्री बी० वी० देसाई : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने प्रीमियर आटोमोबाइल्स को यात्री कार निर्माण की अपनी कुल क्षमता में पर्याप्त वृद्धि की मंजूरी दी है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी वर्तमान क्षमता क्या है इसे किस सीमा तक बढ़ाया गया है ; और

(ग) क्षमता में वृद्धि के कारण क्या हैं ?

वाणिज्य, उद्योग तथा पूर्ति विभाग मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) पुनः अनु-मोदन योजना के अन्तर्गत यात्री कारों के लिए प्रीमियर आटोमोबाइल्स की लाइसेंस प्राप्त क्षमता 18,000 से बढ़ाकर 28,600 प्रतिवर्ष कर दी गई है ; पुनः अनुमोदन योजना समस्त उद्योगों पर लागू होती है और इसका उद्देश्य अधिष्ठापित क्षमताओं के उपयोग में सुधार करना है।

यात्री-यातायात में वृद्धि

4476. **श्री बी० वी० देसाई : क्या रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1982-83 के दौरान रेलवे के यात्री-यातायात में 1.3 प्रतिशत की गिरावट आई है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1983-84 के दौरान रेलवे के यात्री-यातायात की क्या स्थिति थी ;

(ग) यातायात में गिरावट के मुख्य कारण क्या हैं ;

(घ) रेलवे यातायात में इस गिरावट की स्थिति को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(ङ) इस सम्बन्ध में किए गए उपायों से वर्ष 1984 की मध्य अवधि के दौरान स्थिति में कितना सुधार हुआ ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी हां।

(ख) पिछले वर्ष की तुलना में 1983-84 के दौरान यात्री यातायात में अनुमानित गिरावट लगभग 7.7 प्रतिशत है।

(ग) से (ङ)गिरावट मुख्यत: थोड़ी दूरी के यात्री यातायात में आयी है जो मुख्यत: थोड़ी दूरी के किरायों में वृद्धि के कारण आयी जैसी कि रेल दर जांच समिति की सिफारिशों के आधार पर किराये में वृद्धि के समय वांछित रूप की प्रत्याशी की गयी थी। बहरहाल, अक्तूबर, 1984 से मार्च, 1985 तक आगामी व्यस्त मौसम के दौरान यात्री यातायात के मामूली सर्वगामी रूख की प्रत्याशा की जा सकती है।

पत्तनों में कंटेनर हैंडलिंग शुल्क में कमी करने के सम्बन्ध में बैठक

4477. **श्री बी०वी० देसाई** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने विभिन्न पत्तनों में कंटेनर हैंडलिंग शुल्क में कमी करने के प्रस्ताव पर विचार-विमर्श करने के लिए पत्तन न्यासों के अध्यक्षों तथा पत्तन और गोदी कर्मचारी परिसंघ के प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाई थी ; और

(ख) यदि हां, उक्त बातचीत के क्या परिणाम निकले और इस सम्बन्ध में अन्तिम रूप से क्या निर्णय किया गया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) 6-8-1984 को महापत्तनों के अध्यक्षों, पत्तन और गोदी श्रमिकों के प्रमुख फेडरेशनों के प्रतिनिधियों और स्टीवीडोरने के एसोसिएशनों के फेडेरेशन की बैठक आयोजित की गयी थी जिसमें उत्पादकता में वृद्धि के उपाय और पत्तन कारगो हैंडलिंग शुल्कों में एकरूपता लाने के उपाय पर विचार किया गया था। बैठक में भारतीय पत्तनों पर कारगो हैंडलिंग शुल्कों में विशेषकर कंटेनर्स के बारे में एक रूपता के महत्व को स्वीकार किया गया जिससे कि पड़ोसी देशों में पत्तनों के साथ प्रतियोगितात्मक भावना को बनायी रखी जा सके। यह सिफारिश की गई थी कि इस विषय पर विभिन्न दृष्टिकोणों से अर्थात् उत्पादकता में वृद्धि, शुल्क की तरह के वित्तीय उपायों और वित्तीय सुधार आदि कार्रवाई की जाए।

गैर-सरकारी एजेंसियों द्वारा सीमेंट का आयात

4478. **श्री ए० के० बालन** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1984-85 में किसी गैर-सरकारी कम्पनी को अथवा किसी व्यक्ति को सीमेंट का आयात करने की अनुमति दी है ; और

(ख) यदि हां, तो केरल और तमिलनाडु में इस तरह की अनुमति पाने वाले आयातकों के नाम क्या हैं ?

वाणिज्य, उद्योग तथा पूर्ति विभाग मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) और (ख) यद्यपि वर्ष 1984-85 के दौरान सीमेंट के आयात के लिए सामान्य नीति को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है,

अनिवासी भारतीयों तथा केरल और तमिल नाडु सहित सारे देश के 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुखी एककों को आयात-निर्यात नीति 1984-85 के सम्बद्ध उपबन्धों के अन्तर्गत विशेष परियोजनाओं के लिए सीमेंट के निर्यात की अनुमति दी जाती है। जिन पार्टियों को इस प्रकार की सुविधाएं दी गई हैं उनके विस्तृत विवरण के ब्यौरे केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते।

नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा चलाए जा रहे पोली-क्लीनिकों और औषधालयों को सारा दिन खुला रखना

4479. **श्री निहाल सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली नगर पालिका ने लोगों के लाभार्थ अस्पताल, पोली-क्लीनिक और औषधालय खोले हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उन्हें पूरे दिन अर्थात प्रात: 8 बजे से सायं 8 बजे तक खुला रखने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) जी, हां।

(ख) नहीं, क्योंकि नई दिल्ली नगर पालिका के अनुसार इस समय इस मांग का औचित्य नहीं है।

नई दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस के ए० सी० चेयरकार सीटों को थ्री टायर बर्थ में बदलना

4480. **डा० गोलाम याजदानी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नई दिल्ली और हावड़ा के बीच "अप" और "डाउन" राजधानी एक्सप्रेस की ए०सी०चेयर कार सीटों पर यात्रा करने वाली सवारियों को 18 घण्टे तक बैठे रहने के कारण भारी कठिनाई और असुविधा होती है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इन यात्रियों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियों में चेयर-कार सीटों को 3 टायर-बर्थ में बदलने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी, हां। कुर्सीयान के यात्रियों के लिए आराम की बेहतर व्यवस्था हेतु बैठने की प्रबन्धों के अभिकल्प में कुछ परिवर्तन करना आवश्यक होता है जिसकी निरन्तर समीक्षा की जाती है।

(ख) एक तरफ दो टियर अनुलम्बीय प्रबन्ध के साथ-साथ तीन टियर अनुप्रस्थ शायिकाओं की व्यवस्था करने से सम्बन्धित प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

डी० एन० रोड (बम्बई) के उपरि पैदल पुल का विस्तार

4481. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई वी० टी० रेलवे स्टेशन के उत्तर में डी० एन० रोड के ऊपर नवनिर्मित पैदल उपरि पुल का विस्तार करने की भारी मांग है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार का इसे कब तक कार्यान्वित करने का विचार है ;

(ग) क्या इस पुल को पूर्व की ओर बढ़ाकर प्लेटफार्म संख्या 9 से 12 तक ढलवां मार्ग बनाए जाने की मांग है ;

(घ) यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा होने की सम्भावना है ; और

(ङ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्री (श्री ए०बी०ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) इस मामले का सम्बन्ध बम्बई नगर निगम से है और पता चला है कि वे इस बारे में अन्तिम निर्णय ले रहे हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल में एडीशन मेडिकल सुपरिण्टेंडेंट का पद

4482. **श्री अजित कुमार मेहता** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में एडीशनल मेडिकल सुपरिण्टेन्डेन्ट का पद काफी समय से रिक्त पड़ा है ; और

(ख) इस पद के रिक्त रखने के मुख्य कारण क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन० एम० जोशी) : (क) और (ख) डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल में अपर चिकित्सा अधीक्षक का पद एक सुपर-टाइम-ग्रेड-2 पद है और यह पद इसलिए नहीं भरा गया क्योंकि केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा का पुनर्गठन किया जा रहा था और संवर्ग की समीक्षा भी की जा रही थी। ये काम नवम्बर, 1982 में पूरे हुए थे और डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल में अपर चिकित्सा अधीक्षक के पद सहित विभिन्न पदों को भरने के प्रस्ताव केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा नियम, 1982 के अनुसार विभागीय पदोन्नति समिति को भेजे गए थे। विभागीय पदोन्नति समिति, जिसने अन्य बातों के साथ-साथ अपर चिकित्सा अधीक्षक के पद को भरने के लिए उम्मीदवारों के बारे में सिफारिश की थी, उसकी सिफारिशों पर कार्यवाही की जा रही है।

राजस्थान में खादी आयोग द्वारा चलाए जा रहे ऊन पर आधारित कुटीर उद्योग

4483. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में, विशेषकर राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में खादी आयोग द्वारा चलाए जा रहे ऊन पर आधारित कुटीर उद्योग किस प्रकार के हैं, वे कौन-कौन से स्थानों पर चल रहे हैं और कब से चल रहे हैं ;

(ख) खादी आयोग को इन उद्योगों से कितना मुनाफा हुआ है ; और

(ग) उक्त कुटीर उद्योगों के क्रियाकलापों को 198-85 में और अधिक बढ़ाने के लिए इस आयोग द्वारा क्या प्रावधान किए गए हैं और कौन-कौन से नये उद्योग लगाने का निर्णय लिया गया है ?

वाणिज्य, उद्योग तथा पूर्ति विभाग मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) पिछले 19 वर्षों से खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग, राजस्थान के बीकानेर, जैसलमेर, बाडमेर तथा गंगानगर के सीमांत जिलों में ऊनी खादी के विभागीय उत्पादन को संचालित कर रहा है। विभागीय केन्द्र निम्नलिखित स्थानों पर स्थित हैं :—

बाड़मेर, बैमाला, हरसानी, गिरानी, मदरा रोड, गूंगा बावरी, दुधवा, बैकुण्ठधाम, बिक्रमपुर, लछन्ना, बालवा, बाज्जू, करनपुर, शास्त्री ग्राम, माझर।

क्योंकि राजस्थान के सीमांत जिलों में उपलब्ध ऊन की कोटि देश में कहीं भी उपलब्ध शुद्ध ऊन की कोटि से अच्छी है और चूंकि इस प्रकार की ऊन परिधान व पोशाक तैयार करने के लिए काफी उपयुक्त है। अत: ऊनी-खादी उत्पादन के अन्तर्गत इस प्रकार के ऊनी परिधानों, शालों तथा कुछ प्रकार की बुनी हुई पोशाकों, निटवियर का उत्पादन करने वाले उद्योग स्थापित किए गए हैं। राजस्थान के सीमांत जिलों में प्रमुख ऊनी खादी क्रियाकलाप खादी संस्थानों द्वारा संचालित होते हैं जिसका अपना अलग अस्तित्व होता है। तथापि आयोग और राज्य खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड भी इसे अपने विभागीय कार्यक्रमों के माध्यम से लघु स्तर पर शुरू करते हैं।

(ख) चूंकि आयोग का मुख्य उद्देश्य स्थानीय अशिक्षित बेरोजगार लोगों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करना है, खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग, इन क्षेत्रों में लाभ हानि रहित आधार पर ऊनी खादी का उत्पादन तथा बिक्री कार्य शुरू कर रहा है।

(ग) वर्ष 1983-84 के दौरान राजस्थान के उपरिलिखित पांच सीमांत जिलों में 477.55 लाख रु० मूल्य की ऊनी खादी का उत्पादन हुआ था। 1984-85 के दौरान आयोग ने इन क्षेत्रों में ऊनी खादी के क्रियाकलाप को बढ़ाने के लिए प्रावधान किया है ताकि उत्पादन 545.00 लाख रु० मूल्य तक बढ़ाया जा सके। इसके अलावा 4 तकुए वाले नए माडल चर्खों के 1 अतिरिक्त एकक शुरू करने तथा उन संस्थानों को, जिनको शुद्ध ऊन की अच्छी कोटि की आवश्यकता है, आपूर्ति करने के लिए बीकानेर में पर्याप्त मात्रा में शुद्ध ऊन के गोले तथा शुद्ध की हुई ऊन को एकत्र करने का निर्णय किया गया है।

रानीताल रेलवे स्टेशन पर साइडिंग के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा जमा की गई धनराशि

4484. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **रेल मन्त्री** रानीताल रेलवे स्टेशन (दक्षिण-पूर्व रेलवे) पर होल्डिंग लाइन और स्परों के निर्माण के बारे में 26 अप्रैल, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8976 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे खड़गपुर-भद्रक सेक्शन के अन्तर्गत रानीताल रेलवे स्टेशन पर भारतीय खाद्य निगम के लिए साइडिंग की व्यवस्था करने हेतु योजना की रूप रेखा भारतीय खाद्य निगम को धनराशि जमा कराने के लिए भेज दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी निश्चित तारीख तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या भारतीय खाद्य निगम ने उनके मन्त्रालय के पास खर्च की जाने वाली आपेक्षित धन-राशि जमा करा दी है ; और

(घ) यदि हां, तो इस कार्य को पूरा करने के लिए क्या विशिष्ट समय सारणी तैयार की गई है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) रानीताल स्टेशन पर भारतीय खाद्य निगम के लिए साइडिंग की व्यवस्था करने हेतु पहले जो नक्शा तैयार किया गया था उसमें संशोधन किया जा रहा है ताकि यह रेलवे की परिचालन सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त हो सके। दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा संशोधित नक्शा तथा अनुमानित लागत का विवरण भारतीय खाद्य निगम को, स्वीकृति के लिए तथा धनराशि जमा कराने के लिए भेजा जाएगा।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

भद्रक रेलवे स्टेशन पर माइक की व्यवस्था

4485. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खुरदा रोड डिवीजन के अन्तर्गत भद्रक रेलवे स्टेशन पर दक्षिण-पूर्व रेलवे के महा-प्रबन्धक द्वारा हाल में माइक पर घोषणा करने की व्यवस्था का उद्घाटन किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इसे बाद में बन्द कर देने के क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) दक्षिण पूर्व रेलवे के महा-प्रबन्धक द्वारा 22-2-84 को भद्रक स्टेशन पर सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली का उद्घाटन किया गया था। किन्तु, अपेक्षित कर्मचारियों की अनुपलब्धता के कारण उक्त प्रणाली को अस्थायी तौर पर बन्द करना पड़ा था। कर्मचारियों की व्यवस्था कर दी गई है और 8-8-84 से दिन के समय उद्घोषणाएं की जानी आरम्भ हो गई हैं। शीघ्र ही चौबीसों घण्टे उद्घोषणाएं आरम्भ किए जाने के लिए व्यवस्था की जा रही है।

महिलाओं का आर्थिक पुनर्वास

4486. **श्री के० मालन्ना : क्या समाज कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में महिलाओं के आर्थिक पुनर्वास हेतु कोई नया कार्यक्रम बनाया है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में महिला प्रतिनिधियों की राय भी मांगी गई है, और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उन महिलाओं की कुल संख्या कितनी है जो अब तक इस कार्यक्रम से लाभान्वित हुई ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नही उठते।

लखनऊ-गोरखपुर लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

4487. **श्री राम लाल राही : क्या रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे में लखनऊ-गोरखपुर मीटर गेज लाइन को लड़ी लाइन में बदलने सम्बन्धी कार्य किस तारीख को आरम्भ किया गया था और उक्त कार्य किस तारीख को पूरा हुआ तथा उक्त लाइन की लम्बाई कितने मील है ;

(ख) उक्त लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के बाद उस पर चलने वाली मेल गाड़ियों, एक्स-प्रेस गाड़ियों और यात्री गाड़ियों की पृथक-पृथक कितनी गति-सीमा निर्धारित की गई है ; और

(ग) क्या यह सच है कि इस लाइन को बड़ी लाइन में बदलते समय इसमें इस्तेमाल किए गए स्लीपर उसके मानक नाप की तुलना में कम थे और यदि नहीं, तो क्या वह स्वयं इस मामले की जांच करेंगे अथवा सतर्कता सैल द्वारा इसकी जांच करवाने का आश्वासन देंगे, इस सम्बन्ध में अन्य क्या कारंवाई की गई है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) गोरखपुर-बारावंकी और वारावंकी-मल्हौर खण्डों के आमान-परिवर्तन का अनुमोदन और कार्य-आरम्भ क्रमश: 1972 और 1979 में किया गया था और ये कार्यचरणों में जुलाई 1981 में पूरे हुए। मल्हौर-लखनऊ खण्ड का आमान परि-वर्तन जुलाई 83 में आरम्भ किया और यह 1-1-84 को पूरा हो गया था। गोरखपुर से मल्हौर होते हुए लखनऊ तक परिवर्तित लाइन की कुल लम्बाई 278,16 कि० मी० है।

(ख) आमान-परिवर्तन के बाद, अब, मेल एक्सप्रेस और सवारी गाड़ियों के लिए गति सीमा निम्नलिखित है :—

(i) गोरखपुर-मल्हौर के बीच 100 कि० मी० प्रति घण्टा

(ii) लखनऊ मल्हार के बीच 40 कि० मी० प्रति घण्टा आंशिक खण्ड पर 25 कि० मी० प्रति घण्टा के प्रतिबन्ध सहित

(ग) इस अमान-परिवर्तन परियोजया में बड़ी लाइन के के मानक स्लीपर इस्तेमाल किए गए हैं।

महिला कल्याण समिति, बंगलौर द्वारा "हिन्दुस्तान मशीन टूल्स" की घड़ियों को जोड़ने का कार्य किया जाना

4488. **श्री जार्ज फर्नान्डीस** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर की गायत्री महिला कल्याण समिति ने जो कि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की घड़ियां जोड़ने का कार्य करती थी अपनी गतिविधियां बन्द कर दी हैं ; जिससे 80 शारीरिक रूप से विकलांग और अन्य महिलाएं बेरोजगार हो गई हैं ;

(ख) क्या कामगारों और उनके संगठन ने समिति का कार्य करने और घड़ियों का निर्माण जारी रखने के लिए अपनी सेवाएं प्रस्तुत की हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार उनका प्रस्ताव स्वीकार करेगी और उनके रोजगार को बचाएंगी ?

वाणिज्य, उद्योग तथा पूर्ति विभाग मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

पूर्वोत्तर रेलवे में रेलवे की भूमि पर अवैध कब्जा

4489. **श्री रामविलास पासवान** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे विशेषकर अम्बारी, औरंगाबाद, मालीगांव, पांडू, अमानगांव क्षेत्र में हाल में रेलवे की भूमि पर अवैध कब्जे की घटनाओं में वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो अवैध कब्जे की आगे होने वाली घटनाओं को रोकने और अवैध कब्जा-धारियों को बेदखल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के अम्बारी, मालीगांव, पांडु और अमीनगांव क्षेत्रों में रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण के मामलों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई है। इस क्षेत्र में औरंगाबाद नाम का कोई स्थान नहीं है।

(ख) रेल प्रशासन, सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जा बेदखली) अधिनियम, 1971 के अधीन अतिक्रमणताओं से रेलवे की भूमि खाली कराने के उपाय कर रहा है।

उधमपुर रेल लाइन पर काम

4490. **श्री रामविलास पासवान :**

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

श्री दिगम्बर सिंह :

क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 26 जुलाई, 1984 के "इण्डियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित उस समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि उधमपुर रेल लाइन जो निर्माणाधीन है पर काम रुका हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार इस लाइन के निर्माण कार्य को पूरा करने से सम्बन्धित लक्ष्य को पूरा करने के बारे में क्या कार्यवाही कर रही है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी): (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) जम्मूतवी-उधमपुर नई बड़ी लाइन का निर्माण कार्य धन की कठिनाई के अनुरूप प्रगति पर है और इस कार्य की गति इस तथ्य पर भी निर्भर है कि यह भूखण्ड अत्यन्त ऊबड़-खाबड़ है और इसके लिए अनेक सुरंगों, पुलों तथा पुलियों के अतिरिक्त ऊंचे किनारों तथा गहरे कटावों का निर्माण करना पड़ेगा जोकि सभी धीमे तथा समय लेने वाले कार्य हैं ।

बहरहाल, परियोजना का समापन, आगामी वर्षों में धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

बम्बई में नमक विभाग की भूमि पर अनधिकृत कब्जा

4491. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई के पूर्वी उपनगरीय क्षेत्र में नमक विभाग की कुल कितने हैक्टेयर भूमि है ;

(ख) इसमें से कितनी भूमि वास्तव में नमक बनाने के लिए उपयोग में लाई जाती है ;

(ग) उक्त भूमि पर नमक बनाने वाले लोगों का ब्यौरा क्या है और उनमें से प्रत्येक के पास कितनी भूमि है और उन्हें उस भूमि का पट्टा कितनी अवधि के लिए मिला हुआ है ;

(घ) शेष अप्रयुक्त भूमि में से कितनी भूमि सरकार के कब्जे में है ;

(ङ) कितनी भूमि विवादास्पद है और उक्त विवाद के क्या कारण हैं ;

(च) विवादास्पद भूमि और स्वामियों का ब्यौरा क्या है ;

(छ) किन-किन स्थानों पर झोपड़ियां गंदी बस्तियां बन गई है ; और

(ज) प्रत्येक गंदी बस्ती में कुल कितनी झोपड़ियां हैं ?

वाणिज्य, उद्योग तथा पूर्ति विभाग मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ज) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) 4870 एकड़ (लगभग)

(ख) 2950 एकड़ (लगभग)

(ग) नमक वाले व्यक्तियों, प्रत्येक को लाइसेंस पर दिए गए क्षेत्र और जितनी अवधि के लिए भूमि पट्टे पर दी गई है, उसका ब्यौरा निम्नलिखित है :—

क्र० सं०	नमक कार्यशाला	उत्पादक का नाम	लाइसेंस शुदा क्षेत्र एकड़	घंटे	आने	पट्टे की अवधि और टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
भंडूप नमक कारखाना						
1.	आर्थर	शिवचन्द्रई रामप्रताप तथा अन्य	249	19	0	99 वर्ष (14.10.2016 तक)
2.	जेन्किन्स	—वही—	251	21	0	—वही—
3.	शेपर्ड	श्री पी० एन० भरतानिया तथा अन्य	300	33	0	—वही—
4.	शेपर्ड (एनेक्सी)	—वही—	167	6	0	—वही—
5.	जमेस्प	मदनलाल बेंकटलाल	375	14	0	—वही—
6.	बट्टीवाला	—वही—	507	0	अनन्तिम	—वही—
7.	बॉम्बे सॉल्ट एण्ड कैमिकल्स	मैसर्स बॉम्बे सॉल्ट एण्ड कैमिकल्स	700	1	12	50 वर्ष (17.11.1999 तक)
थाना नमक कारखाना						
1.	मैं० मुन्द्रा सॉल्ट कैमिकल्स इन्डस्ट्रीज	मैं० मुद्रा साल्ट साल्ट एण्ड कैमिकल्स इन्डस्ट्रीज, थाना	244	0	0	कोई भी पट्टा नहीं दिया गया है। नमक कार्यशाला का कुछ

1	2	3	4	5	6	7
						क्षेत्र नगर निगम द्वारा अभिगृहीत है। केन्द्र सरकार के स्वामित्व के सम्बन्ध में नमक उत्पादकों द्वारा विवाद उठाया गया है
ट्राम्बे नमक कारखाना						
1. गणेश	शान्तिकुमार धरमसी तथा अन्य		70	17	4	कोई पट्टा नहीं दिया जाता, केवल लाइसेंस ही स्वीकृत किया जाता है। नमक उत्पादकों ने भूमि पर केंद्र सरकार के कब्जे के बारे में विवाद उठाया है और उन्होंने उनको जारी किए गए नोटिस को चुनौती देते हुए बम्बई उच्च न्यायालय में रिटयाचिका दायर कर दी है। न्यायालय में रिट याचिका पर सुनवाई होने तक और उस पर अन्तिम निर्णय लिए जाने तक अन्तरिक लाइसेंस जारी करने के आदेश दे दिए हैं।
2. राम नगर	शान्तिकुमार धरमसी तथा अन्य		108	3	4	
3. महास्का	बी०पी०भड़ूचा तथा अन्य		41	28	0	
4. सेंट एन्थोनी	—वही—		37	16	8	
5. कम्बाद चोर	फिरोजभाई रतनजी ट्राम्बेवाला तथा अन्य		42	32	8	
6. गाउचा	पूरनमल लाल चन्द तथा अन्य		32	17	12	
7. जस्किना	बालकृष्ण हनुमान बक्श तथा अन्य		27	15	0	
8. हनुमान	स्वर्गीय जयन्ती लाल त्रिभुवनदास का कानूनी उत्तराधिकारी		38	17	8	
9. हीरागर	फातिमाबीबी मोहम्मद अमीन साहैब रोगी ट्रस्ट		37	31	8	
10. फतेह सुलतान	स्वर्गीय जयन्तीलाल त्रिभुवन दास के कानूनी उत्तराधिकारी		53	3	0	

1	2	3	4	5	6	7
11.	घूलिया	खेतान इण्डस्ट्रीज (प्रा०) लिमिटेड	43	27	12	इस नमक कार्याशाला को 1962 में बन्द कर दिया गया था और लाइसेंस भी वापस ले लिया था। किन्तु लाइसेंसधारियों द्वारा नमक कार्यशाला को बन्द कर देने की चुनौती देते हुए दायर मुकद्दमे में न्यायालय द्वारा स्वीकृत आदेश के आधार पर नमक का उत्पादन कार्य जारी रखा है। लाइसेंस धारियों ने भूमि पर केंद्रीय सरकार के स्वामित्व को तथा भूमि पर किराया वसूलने के इसके अधिकारों और इस आधार पर सुपुर्दगी फीस वसूलने को अस्वीकार करते हुए एक रिटयाचिका दायर की है। इस भूमि के एक भाग को वर्मा शैल के लिए अभिगृहीत किया गया था।

(घ) 805 एकड़ (अनुमानतः)

(ङ) और (च) 407 एकड़ (अनुमानतः)।

विवाद ग्रस्त भूमि और पार्टियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

क्रम सं०	भूमि का विवरण	एकड़ क्षेत्र—गुन्ठा—अन्नास	विवादग्रस्त पार्टियों के नाम
1.	ग्राम चेम्बूर (भूतभूर्व पेटोम सागर साल्ट्स वर्क्स के अधीन) का सर्वेक्षण सं० 320	140.12.8	भूतपूर्व नमक लाइसेंसी और उनके उत्तराधिकारी
2.	घाटकोपर ग्राम (भूतपूर्व भारपुर साल्ट वर्क्स के अधीन) का सर्वेक्षण सं० 249	138.27.0	—वही—
3.	भूतपूर्व जहांगीर महल साल्ट वर्कस के अन्तर्गत ग्राम अनिक की क्रम सं० 170 और 172 की भूमि	63.10.8	भूतपूर्व नमक लाइसेंसधारी
4.	खुशनाजर साल्ट वर्क के अधीन ग्राम मांडले की भूमि सं० 91	27.29.0	भूतपूर्व लाइसेंसधारी के उत्तराधिकारी
5.	जेनकिन्स साल्ट वर्क के अधीन ग्राम कांजूर पुरानी क्रम सं० 166 और नई क्रम सं० 175 (भाग) की भूमि।	7.17.0	मोहम्मद हफीज और उसके एजेंट
6.	नाहुर में भूमि	29.10.8	स्व० श्री ए० बी० पाटिल के कानूनी उत्तराधिकारी

क्रम संख्या 1 से 5 तक की भूमि के मामले में भूतपूर्व नमक उत्पादक और/अथवा उनके उत्तराधिकारी स्वामित्व के प्रश्न पर केन्द्रीय सरकार के हक को अस्वीकार कर रहे हैं। नाहुर स्थित भूमि के बारे में स्व० श्री ए० बी० पाटिल के कानूनी उत्तराधिकारी ने नीलामी द्वारा बिक्री को चुनौती दी है जिसके द्वारा श्री ए० बी० पाटिल के परिवार पर बकाया धनराशि की वसूली करने के लिए सरकार द्वारा भूमि अभिग्रहीत की गई थी।

(छ) भांडुप (आर्थर एण्ड जेनकिन्स साल्ट वर्क्स) घाटकोपर (भारपुर साल्ट वर्क्स) और अनिक (जहांगीर महल साल्ट वर्क्स)

(ज) आर्थर साल्ट वर्क्स 147 झोंपड़ियां

जेनकिन्स साल्ट वर्क्स 104 "

भारपुर साल्ट वर्क्स 959 "

जहांगीर महल साल्ट वर्क्स 8 चाले प्रत्येक चाल में 16 झोपड़ियां

आयुर्वेद संस्थान, जयपुर स्नातकों की नियुक्ति के लिए पात्रता

4492. **श्री मूल चन्द डागा :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर 1976 से चल रहा है और यह विभिन्न राज्यों के युवकों को बी० ए० एम० एस० और एम० डी० डिग्रियों के लिए शिक्षित करता है और केन्द्रीय सरकार इस पर प्रति वर्ष लाखों रुपये खर्च करती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार ने उन डाक्टरों को जो इस संस्थान से परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं को सेवा में लेने पर पाबन्दी लगा दी है और यदि हां तो उसके कारण क्या है और केन्द्र द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या सरकार का कुछ राज्य सरकार द्वारा आयुर्वेद डाक्टरों के रूप में नियुक्त करने के लिए उम्मीदवार को केवल अपने अपने राज्यों से आमंत्रित करने की प्रथा की जानकारी है ; और

(घ) क्या केन्द्र इसकी जांच करेगा और इस राष्ट्रीय संस्थान से उत्तीर्ण होने वाले डाक्टरों को देश में सभी राज्यों में नौकरियां सुनिश्चित करेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन० एम० जोशी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सरकार को यह जानकारी नहीं है कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई ऐसा प्रतिबन्ध लगाया है। फिर भी राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के अंतरंग डाक्टरों (इंटरनीज) के संघ ने बताया है कि कुछ राज्य के विद्यार्थियों को जो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर से उत्तीर्ण हुए हैं, उन्हीं की राज्य सरकार के अधीन इस कारण नौकरियां नहीं दी जाती है कि विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए केवल वही व्यक्ति पात्र हैं जिन्होंने उन्हीं राज्यों के संस्थान विश्वविद्यालयों से उपाधियां प्राप्त की हैं। इस मामले पर, 9, 10 और 11 जुलाई 1984 को हुए केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् और केन्द्रीय परिवार कल्याण परिषद् के दसवें संयुक्त सम्मेलन में विचार किया गया जिसने यह प्रस्ताव पारित किया कि राज्य/संघ शासित प्रदेश अपने किसी भी ऐसे उम्मीदवार से भेद भाव न बरतें जिसने राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर या किसी दूसरी संस्था से परीक्षा पास की हो और भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम के अधीन मान्यता प्राप्त की हो। उक्त प्रस्ताव को लागू करने हेतु सभी सम्बन्धितों को उपयुक्त हिदायतें जारी करने के लिए सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की सरकारों, लोक सेवा आयोग को पहले ही अनुरोध किया जा चुका है।

सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की क्षमता का कम उपयोग

4493. **श्री मूल चन्द डागा :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सार्वजनिक प्रशासन संस्थान ने औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली के कार्यकरण की जांच करके हाल ही में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह देखने में आया है कि अतीत में जिस अनुदार लाइसेंस नीति का अनुपालन किया गया है उससे देश में गैर-सरकारी क्षेत्र के बड़े उद्यमियों ने उत्पादन क्षमता का बहुत कम उपयोग किया है ;

(ग) क्या प्राय: लाइसेंस का वर्षों तक उपयोग नहीं किया जाता और न ही उनका नवीकरण करवाया जाता ; और

(घ) यदि हां, तो कितने लाइसेंस जारी किए गए, उनका ब्यौरा क्या है और किस वजह से उनका उपयोग नहीं किया गया ; और

(ङ) उन उद्योग के नाम की सूची रखी जाए जिन्होंने पिछले दो वर्षों में गैर-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की निर्धारित उत्पादन क्षमता का उपयोग किया है ?

वाणिज्य, उद्योग तथा पूर्ति विभाग मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ङ) यद्यपि हाल ही में इस प्रकार की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है किन्तु भारतीय लोक प्रशासन संस्थान ने औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रणाली के कार्य पर जनवरी, 1983 में एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी जिसमें अन्य बातों के साथ साथ क्षमता का कम उपयोग किए जाने के बारे में उल्लेख किया गया था। क्षमता का कम उपयोग किए जाने के आंतरिक और बाह्य अनेक कारण हो सकते हैं। इन कठिनाइयों से पूर्णत: अवगत होने पर सरकार ने इस ओर कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिए पिछले चार वर्षों के दौरान नीति विषयक अनेक निर्णयों की घोषणा की है। इनमें कुछ निम्न प्रकार हैं :—

(1) कार्य निष्पादन की निगरानी करने के लिए प्रत्येक मंत्रालय/विभाग में एक मानीटरिंग प्रणाली की स्थापना करना तथा जहां संतोषप्रद प्रगति नहीं हुई है वहां लाइसेंसों को रद्द करने की कार्रवाई करना।

(2) प्रमुख क्षेत्र में उद्योगों की कठिनाइयों का पता लगाने के लिए अवस्थापना उद्योगों सम्बन्धी एक मंत्रिमंडल समिति का गठन करना।

(3) मान्यता प्राप्त प्रमुख क्षेत्र के उद्योगों की मानीटरिंग करने और उनकी आंतरिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए उद्योग मंत्रालय में एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना करना।

(4) निर्धारित शर्तों के अधीन लाइसेंसों और पंजीकरण प्रमाणपत्रों पर अधिष्ठापित क्षमता को विनियमित करने के लिए योजनाएं शुरू करना।

(5) विगत पांच वर्षों के दौरान प्राप्त किए गए सबसे अधिक उत्पादन के आधार पर क्षमता को पुन: पृष्ठांकित करना।

यातायात ढांचे का पुनर्गठन

4594. **श्री मनमोहन टुडु** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने यातायात ढांचे के व्यापक पुनर्गठन के लिए अनेक कदम उठाए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) जी, हां। विकसित माल भाड़ा परिचालनों के लिए अनेक उपाय किए गए हैं जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं :

(1) रोलर बियरिंग तथा सेन्टर बफर कपलरों वाले माल डिब्बों का परम्परागत किस्म के माल डिब्बों से पृथक करण और खाद्यान्नों, उर्वरकों, सीमेंट, कोयले, जैसी थोक वस्तुओं के भारी रेलों में संचलन के लिए अलग रेकों का गठन।

(2) लम्बी दूरी तक अधिक गति पर थोक वस्तुएं ढोने के लिए जम्बो रेक तैयार करना, जो कि बन्द माल डिब्बों की उच्चतर भार क्षमता वाली यूनिट गाड़ियां होती हैं

(3) विभिन्न खण्डों पर माल गाड़ियों द्वारा ढोये जाने वाले भार को इष्टतम करना।

(4) एक ही बिजली अथवा डीजल इन्जन द्वारा एक छोर से दूसरे छोर तक सीधी माल गाड़ियां चलाना जिससे मार्गवर्ती मार्शलिंग यार्डों पर भीड़भाड़ को कम किया जा सके।

(5) महत्वपूर्ण ग्राहकों की मांग पूरी करने के लिए सीमित परिपथ में रेक संचलन।

(6) हाल ही में विकसित बी० ओ० एक्स० "एन" किस्म के माल डिब्बों के साथ 4500 टन तक की अधिक भार वाली गाड़ियां चलाना ;

(7) चरण बद्ध रूप में भाप इन्जनों को हटाकर अधिक से अधिक माल गाड़ियों को डीजल/बिजली कर्षण से चलाना आदि आदि।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में होम्योपैथिक उपचार का विस्तार

4495. श्री मनमोहन टुडू : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सातवीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में होम्योपैथिक उपचार के विस्तार पर जोर देने का है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सातवीं पंचवर्षीय योजना की किन योजनाओं पर विचार किया गया है ; और

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में उपयुक्त होम्योपैथिक इलाज की व्यवस्था करने के लिए क्या उपाए किए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) जी, हां।

(ख) सातवीं योजना के लिए योजनाएं तैयार करने के लिए योजना आयोग द्वारा भारतीय चिकित्सा पद्धतियों और होम्योपैथी के बारे में गठित किए गए कार्य-दल ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :—

(i) बड़ी संख्या में ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किए जाएं, प्रत्येक केन्द्र में भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी का एक अर्हता प्राप्त डाक्टर होना चाहिए तथा प्रत्येक केन्द्र लगभग 30,000 ग्रामीण लोगों को अपनी सेवाएं प्रदान करें।

(ii) प्रत्येक जिले के मौजूदा जिला अस्पताल में भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के लिए अलग से कम से कम 25 पलंगों वाले अन्तरंग रोगी वार्ड की व्यवस्था की जाए अथवा जहां पर जिला अस्पताल न हो वहां पर, यथास्थिति, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी का एक बिलकुल नया अस्पताल खोला जाना।

(iii) ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्रों/जिला अस्पतालों में सुपरवाइजरी स्टाफ वृद्धि की जाए।

(ग) पहली अप्रैल, 1983 की स्थिति के अनुसार देश में 2,202 होम्योपैथी औषधालयों के अतिरिक्त 119 होम्योपैथी अस्पताल थे जिनमें 3778 पलंग थे। कुछ राज्यों अर्थात पश्चिम बंगाल, उड़ीसा आदि ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में होम्योपैथी डाक्टरों को भी नियुक्त किया है।

अष्टा-रोहा सेक्शन का दास गांव तक विस्तार

4496. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र सरकार अष्टा-रोहा सेक्शन का दासगांव तक विस्तार करने के लिए मंजूरी देने हेतु उनके मंत्रालय से अनुरोध कर रही है ;

(ख) क्या उनके मंत्रालय ने इस विस्तार कार्य को व्यावहारिक पाया था परन्तु धन की कमी के कारण छठी योजना में इसे शामिल नहीं किया जा सका ;

(ग) क्या सरकार भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में लगने वाले लम्बे समय के तथ्य को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार को भूमि अधिग्रहण का काम शुरू करने की अनुमति देने पर सहमत होगी और वर्ष 1985 में काम आरम्भ करने के लिए इस सातवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करेगी ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) भूमि का अधिग्रहण परियोजना का एक आवश्यक भाग है और सातवीं पंचवर्षीय योजना में इस कार्य का निर्माण-कार्य शुरू करने के बारे में विनिश्चय कर लिए जाने के बाद ही आगे कार्यवाही शुरू की जायेगी।

मनमाड-परभानी रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

4497. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मनमाड-परभानी-पार्ली-बैजनाथ रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए 31.76 करोड़ रु० आबंटित किए हैं ;

(ख) क्या इस स्वीकृति राशि के स्थान पर प्रति वर्ष वास्तव में दी गई राशि बहुत कम है जिसके परिणामस्वरूप उक्त कार्य में कोई खास प्रगति नहीं हो सकी ;

(ग) यदि हां, तो प्रति वर्ष कितनी धनराशि आवंटित की गई ; और

(घ) भविष्य में प्रति वर्ष पर्याप्त धनराशि देने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ताकि उक्त कार्य में संतोषजनक प्रगति हो सके ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) मानमाड-परभनी-पली बैजनाथ मीटर लाइन (354 कि०मी०) के आमान परिवर्तन के कार्य को 1978-79 में अनुमोदित किया गया था जिसकी प्रत्याशित लागत 30.93 करोड़ रुपये है। संसाधनों की तंगी को देखते हुए, पहले चरण में मनमाड से औरंगाबाद (114 कि०मी०) तक के खण्ड का कार्य शुरू किया गया है। पहले चरण की प्रत्याशित लागत अब 30 करोड़ रुपए है।

(ख) और (ग) धन का वर्ष-वार आबंटन इस प्रकार है :

वर्ष	करोड़ रु० में
1978-79	0.25
1979-80	0.36
1980-81	0.33
1981-82	0.75
1982-83	1.97
1983-84	1.98
1984-85	4.01

कार्य की प्रगति 22.7 प्रतिशत है।

(घ) पिछले आबंटनों की तुलना में 1984-85 के धन के आबंटन में काफी वृद्धि की गई है। यदि संसाधन उपलब्ध हुए, तो उन परियोजनाओं के लिए, जिन्हें पहले पूरा किया जा सकता है, और

अधिक धन आबंटित करने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि किए गए निवेश से अधिकतम लाभ उठाया जा सके।

एम० बी० बी० एस० परीक्षा के प्रश्न पत्रों का 10,000 रुपए में बेचा जाना

4498. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 22 जुलाई, 1984 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित समाचार के अनुसार इस वर्ष दिल्ली की एम०बी०बी०एस० परीक्षा के प्रश्न पत्र परीक्षा की पहली रात को प्रति प्रश्न पत्र 10,000 रु० में बेचा गया ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने मामले के इस पहलू की जांच करवाई है ; और

(ग) और यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या निकले हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते । तथापि, विश्वविद्यालय ने उन परिस्थितियों की जांच करने के लिए एक समिति गठित की थी, जिनके अन्तर्गत मैडिकल कालेजों में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा, 1984 को उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करते समय गलती हुई थी, जिससे विश्वविद्यालय द्वारा घोषित परिणामों में संशोधन करना पड़ा ।

महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा कम्पनी द्वारा जीपों के मूल्यों में वृद्धि

4499. **श्री विरदा राम फुलवारिया** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा कम्पनी ने महिन्द्रा डीजल जीपों के मूल्यों में भारी वृद्धि की है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार कम मूल्य पर जीपें उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाएगी ?

वाणिज्य, उद्योग तथा पूर्ति विभाग मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) पिगौट डीजल इंजन वाली लोकप्रिय डीजल जीपों की कीमतों में कोई वृद्धि नहीं हुई है । किन्तु एम० डी० 2350 इंजन वाले पहले के माडल की कीमत को 3 वर्ष के पश्चात निर्माता द्वारा अप्रैल, 1984 में संशोधन किया गया था ।

(ख) कम्पनी ने बताया है कि अन्तर्वस्तुओं की लागत में वृद्धि होने के कारण मूल्य में वृद्धि हुई थी ।

(ग) सरकार का यह प्रयास रहा है कि उपभोक्ताओं को जीप टाइप गाड़ियों सहित विभिन्न प्रकार की मोटरगाड़ियां उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराई जायं । मोटरगाड़ियों के आधुनिकीकरण और पर्याप्त क्षमता उत्पन्न करने हेतु उठाए गए उपायों से यह आशा है कि मूल्य उचित स्तरों पर रहेंगे ।

त्रिवेन्द्रम सेन्ट्रल-न्यू बोंगाईगांव एक्सप्रेस रेल गाड़ी का उड़ीसा में बरहामपुर, कटक और बालासोर में स्टाप बनाया जाना

4500. **श्री चिन्तामणि जैना** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिवेन्द्रम-न्यू बोंगाईगांव एक्सप्रेस गाड़ी पश्चिम बंगाल में पांच स्थान पर आन्ध्र प्रदेश में पांच स्थानों पर, तमिलनाडु में चार स्थानों पर और केरल में चार स्थानों पर रुकती है लेकिन उड़ीसा केवल भुवनेश्वर में ही रुकती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसे उड़ीसा में बरहामपुर, कटक ओर बालासोर में रोकने की भारी मांग है ;

(ग) क्या यह सच है कि उड़ीसा सरकार और एक संसद सदस्य ने उपरोक्त स्टेशनों पर इसके स्टाप बनाये जाने का अनुरोध किया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ग) जी, हां ।

(घ) तिरुवनन्तपुरम-न्यू बोगाईगांव एक्सप्रेस लम्बी दूरी की एक सुपरफास्ट गाड़ी है और इस गाड़ी के अतिरिक्त ठहराव से न केवल इस तेज गाड़ी की गति कम होगी बल्कि इसके उपयोगकर्ताओं में असंतोष भी उत्पन्न होगा । इसके अलावा ब्रहमपुर, कटक और बालासोर में होने वाला यातायात इस प्रस्ताव के पक्ष में नहीं है ।

उड़ीसा में सीमेंट संयंत्र की स्थापना

4501. **श्री चिंतामणि जैना** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा औद्योगिक विकास निगम में जयपौर में एक सीमेंट संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त संयंत्र की उत्पादन क्षमता क्या है ;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने परियोजना को मंजूरी दे दी है और इस पर कितनी धनराशि खर्च होगी और केन्द्र सरकार ने कितनी सहायता दी है ; और

(घ) उक्त परियोजना के लिए रेल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव): (क) से (घ) दि इन्डस्ट्रियल डेवेलेप-

मेन्ट कारपोरेशन आफ उड़ीसा ने उड़ीसा के जयपौर/ कोरापुट जिले में 20 लाख मी० टन की क्षमता वाला एक सीमेंट संयंत्र स्थापित करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस की स्वीकृति हेतु एक आवेदन प्रस्तुत किया था। इस आवेदन को स्वीकृत नहीं किया गया क्योंकि परियोजना के लिए रेल सम्पर्क का सुनिश्चय न हो पाया था और इसके अलावा प्रस्ताव को तकनीकी आर्थिक दृष्टि से सम्भाव्य भी नहीं समझा गया था।

रुपसा-बंगरीपोसी और नौपाडा-गुनुपुर संकरी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलना

4502. **श्री चिन्तामणि जैना :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में ऐसी दो संकरी लाइनें हैं अर्थात (एक) रुपसा-बंगरीपोसी मयूरभंज जिला और (दो) नौपाडा गुनुपुर जिला गंजम जो पिछड़े क्षेत्रों, अधिकतर आदिवासी क्षेत्रों को जाती हैं ;

(ख) क्या राज्य सरकार ने केन्द्र से अनुरोध किया है कि इन लाइनों को बड़ी लाइनों में बदला जाए और क्या संसद सदस्य ने भी इन लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने के लिए रेलवे अधिकारियों से अनुरोध किया है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) रुपसा-बोगरीपोसी छोटी लाइन का बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन करने के लिए एक टोह इंजीनियरी-एवं-यातायात सर्वेक्षण किया गया था जो 1981 में पूरा हो गया था। रिपोर्ट के अनुसार परियोजना अर्थक्षम नहीं थी। नौपाड़ा-गुनुपुर छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए हाल ही में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। संसाधनों की अत्यधिक तंगी तथा पहले से किये गये बहुत से वायदों को देखते हुए इन प्रस्तावों को संसाधनों की स्थिति में सुधार होने तक विचारार्थ प्रतीक्षा करनी होगी।

राज्यों में पुरातात्विक सर्कल

4503. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या **शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संस्कृति मंत्रियों के गत सम्मेलन में निर्णय लिया गया था कि सभी राज्यों में स्वतंत्र पुरातात्विक सर्कल स्थापित किए जायेंगे ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त निर्णय को कब कार्यान्वित किया जायेगा ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उपमन्त्री (श्री पी० के थुंगन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

अनौपचारिक शिक्षा की उपलब्धियां

4504. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना में विश्वविद्यालय स्तर पर अनौपचारिक शिक्षा के क्रियान्वयन की उपलब्धियों की कोई समीक्षा की है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना अवधि में उच्च शैक्षिक संस्थानों में अनौपचारिक शिक्षा के क्रियान्वयन की उपलब्धियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सातवीं योजना में पूरे देश में अनौपचारिक शिक्षा को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाने का विचार है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्यमंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, हां । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने, छठी योजना में देश में विश्वविद्यालय द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे गैर-औपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों का पुनरीक्षण किया है ।

(ख) विवरण संलग्न है ।

(ग) आयोग ने सातवीं योजना में इन कार्यक्रमों को जारी रखने तथा इनमें भाग लेने वाले विश्वविद्यालयों को 100 प्रतिशत सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है ।

विवरण

छठी योजना में प्रौढ़, शिक्षा, विस्तार, कार्यकलापों तथा पत्राचार पाठ्यक्रमों में विश्वविद्यालयों का भाग

राज्य का नाम	प्रौढ़ शिक्षा में भाग लेने वाले विश्वविद्यालयों की संख्या	केन्द्रों की संख्या	विस्तार कार्य-कलापों में भाग लेने वाले विश्व-विद्यायों की संख्या	विश्वविद्यालयों की संख्या जिनमें पत्रा-चार पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	4	3220	1	4
असम	1	300	—	—
बिहार	4	2070	—	—
गुजरात	6	1880	4	—

1	2	3	4	5
हरियाणा	2	544	—	—
हिमाचल प्रदेश	1	467	—	1
जम्मू व कश्मीर	1	226	2	2
कर्नाटक	2	1021	—	1
केरल	2	1720	—	1
मध्य प्रदेश	8	3635	—	1
महाराष्ट्र	5	3889	6	2
मेघालय	1	62	—	—
उड़ीसा	2	2104	—	1
पंजाब	—	—	—	1
राजस्थान	3	1282	—	2
तमिलनाडु	3	2840	—	2
उत्तर प्रदेश	12	5325	2	2
पश्चिम बंगाल	2	600	1	—
चण्डीगढ़ (संघीय क्षेत्र)	1	682	1	1
दिल्ली	2	760	3	1

उद्योग विहीन जिलों के लिए जारी किए गए आशयपत्र

4505. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उद्योग विहीन जिलों की संकल्पना के पश्चात कितने उद्योग विहीन जिलों को आशयपत्र जारी किए गए हैं ;

(ख) इस अवधि के दौरान जारी किए गए कुल आशयपत्रों में इनकी प्रतिशतता क्या है ;

(ग) क्या उद्योग-विहीन जिलों में उद्योगों की स्थापना के लिए आशयपत्र जारी करने में एकाधिकारवादी प्रतिबन्धित व्यापार व्यवहार गृहों को रियायतें दी जाती हैं और यदि हां, तो किस सीमा तक ; और

(घ) उड़ीसा में उद्योग-विहीन जिलों को मंजूर किए गए आशयपत्रों की सूची का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य, उद्योग तथा पूर्ति विभाग मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) और (ख) नवम्बर, 1981 में "उद्योग रहित जिलों" का पता लगाया गया था। 1 जनवरी, 1982 से 30 जून, 1984 के दौरान, उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत विभिन्न "उद्योग-रहित जिलों" में उद्योगों की स्थापना के लिए 303 आशयपत्र जारी किए गए थे। यह उक्त अवधि में जारी किए गए आशयपत्रों की कुल संख्या का लगभग 11.7 प्रतिशत है।

(ग) "उद्योग-रहित जिलों" और अन्य पिछड़े क्षेत्रों का विकास करने की आवश्यकता तथा एकाधिकार अवरोधक व्यापार व्यवहार/विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली कम्पनियों द्वारा निभायी जा सकने वाली भूमिका को ध्यान में रखते हुए एकाधिकार अवरोधक व्यापार व्यवहार/विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली कम्पनियों को गैर-परिशिष्ठ-1 उद्योगों में, जो लघु उद्योगों के लिए आरक्षित नहीं है, "उद्योग-रहित जिलों सहित श्रेणी "ख" और "ग" जिलों में उद्योगों की स्थापना के लिए 50 प्रतिशत और श्रेणी "क" में उद्योगों की स्थापना के लिए 30 प्रतिशत निर्यात दायित्व लेने पर प्रवेश करने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है।

(घ) जनवरी, 1982 से जून, 1984 की अवधि के दौरान उड़ीसा राज्य में "उद्योग-रहित जिलों" में उद्योगों की स्थापना करने के लिए 23 आशयपत्र जारी किए गए थे। उद्योग रहित जिलों के लिए स्वीकृत आशयपत्रों सहित सभी आशयपत्रों के ब्यौरे जैसे उपक्रम का नाम और पता, विनिर्माण की वस्तु, क्षमता और स्थापनास्थल आदि भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा उनके "मन्थली न्यूज लैटर" में प्रकाशित किए जाते हैं। इस प्रकाशन की प्रतियां नियमित रूप से संसद के पुस्तकालय को भेजी जाती हैं।

अंग्रेजों द्वारा प्रतिबंधित पुस्तकें

4506. **श्री ए० के० राय** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वतंत्रता से पूर्व राष्ट्रवादी आन्दोलन के दौरान अंग्रेजों द्वारा प्रतिबन्धित की गई बहुत सी पुस्तकें कानूनी रूप से अब भी प्रतिबन्धित हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की पुस्तकों की संख्या कितनी है और यह किन-किन भाषाओं में प्रकाशित की गई थी ;

(ग) 31 मार्च, 1984 को तथ्यों का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) उन पर लगे प्रतिबन्ध को हटाने के लिए अब तक क्या विस्तृत कदम उठाए गए हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) तकनीकी तौर पर, स्वतंत्रता से पूर्व भूतपूर्व प्रादेशिक सरकारों द्वारा कानूनों के अन्तर्गत जारी किए गए प्रतिबन्ध-आदेश, जो सामान्य धारा अधिनियम द्वारा सुरक्षित है, को अभी तक लागू समझा जाएगा।

(ख) और (ग) राज्य सरकारों से सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(घ) सम्बन्धित राज्य सरकारों को फरवरी, 1969 में यह सलाह दी गई थी कि वे देश के स्वतन्त्रता आन्दोलन से सम्बद्ध साहित्य के सम्बन्ध में आदेशों/अधिसूचनाओं को रद्द करने के लिए कदम उठाएं और भारत के विभिन्न वर्गों के नागरिकों में शत्रुता अथवा घृणा पैदा करने वाले अथवा उनकी धार्मिक भावनाओं को आघात पहुंचाने वाले आदेशों/अधिसूचनाओं को छोड़ दिया जाए। इसको अप्रैल 1982 में दोहराया गया। उपलब्ध सूचना के अनुसार राज्य सरकारों ने 1686 के प्रकाशनों के सम्बन्ध में आदेश रद्द कर दिए हैं।

क्यूल-सियालदह और हावड़ा-मुगलसराय स्टेशनों पर टेलीग्राफ सिगनलर्स

4507. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्यूल और सियालदह तथा हावड़ा और मुगलसराय स्टेशनों के बीच टेलीग्राफ सिगनलर्स की संख्या बहुत कम कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक तार घर से कितने सिगनलर्स हटाए गए हैं और इसके क्या कारण है ;

(ग) क्या तार घर के उचित कार्यकरण के लिए अपेक्षित सामान की सप्लाई नगण्य है और यदि नहीं, तो पिछले एक वर्ष के सम्बन्ध में मांग और सप्लाई की स्थिति क्या है ;

(घ) क्या टेलीग्राफ सिगनलर्स का वेतनमान और वर्दी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के समान है और यह बहुत अपर्याप्त है ; और

(ङ) रेलवे की अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों के संवर्ग की तरह इस श्रेणी के कर्मचारियों के संवर्ग का पुनर्गठन न किए जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी०ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) सिगनलरों की कोटि वर्दी के प्रयोजनार्थ निर्धारित कसौटी के अनुसार वर्दी की हकदार नहीं है। तार सिगनलर श्रेणी-III (ग्रुप "सी") के कर्मचारी हैं और उनके वेतनमान श्रेणी-IV (वर्ग "डी") के कर्मचारियों के वेतनमान से अधिक हैं।

(ङ) ग्रुप "सी" तथा "डी" के कर्मचारियों की संवर्ग पुनर्संरचना रेल मंत्रालय द्वारा सतत

प्रक्रिया के रूप में की जाती है। यातायात सिगनलरों के संवर्ग की पुनर्संरचना की प्रक्रिया पर भी उपयुक्त अवसर पर विकार किया जायेगा।

आई० डब्लू० टी० के स्थनान्तरित कर्मचारियों को अंशदायी भविष्य निधि की बराबर की राशि की अदायगी

4508. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "आई० डब्लू० टी०" के 35 कार्य भारित कर्मचारियों को सी० आई० डब्लू० टी० सी० में नवनियुक्त कर्मचारियों के रूप में भेजा गया है ;

(ख) क्या नवनियुक्त कर्मचारी के रूप में भेजे गए अधिकतर कर्मचारी फरक्का बांध परियोजना के 5 से 10 वर्ष के बीच की सेवा वाले भूतपूर्व कर्मचारी हैं ;

(ग) क्या इन कर्मचारियों को जिन्होंने "आई० डब्लू० टी०" में 10 वर्ष अथवा उसके लगभग सेवा पूरी कर ली थी, केवल सामान्य भविष्य निधि नोटिस की अवधि का वेतन और उपदान की राशि की ही अदायगी दी गई है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन कर्मचारियों को कल्याण उपायों के रूप में अंशदायी भविष्य निधि के बराबर धनराशि की अदायगी की सम्भावनाओं का पता लगाने का है क्योंकि फरक्का से आई० डब्ल्यू टी० और पुन: सी० आई० डब्ल्यू० टी० सी० में उनकी सेवा में स्थानांतरण के कारण सेवा समाप्ति के समय उनके पास रहने के लिए कुछ भी धन नहीं होगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी हां। केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम में नियुक्त किए गए अन्तर्देशीय जल परिवहन निदेशालय के ऐसे कर्मचारियों की संख्या 33 है।

(ख) जी हां।

(ग) उन्हें नियमानुसार सीमान्त लाभ दे दिए गए हैं।

(घ) इस प्रकार के किसी प्रस्ताव पर गुण दोष के आधार पर नियमानुसार विचार किया जायेगा।

गुजरात में चल रहे केन्द्रीय स्कूल

4509. **श्री नवीन रावणी** : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय गुजरात में कितने केन्द्रीय विद्यालय चल रहे हैं और वे किन-किन स्थानों पर हैं :

(ख) क्या देश में और विशेषकर गुजरात राज्य में इस प्रकार के और विद्यालय खोलने की बहुत मांग है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं और गुजरात में उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां पर वर्ष 1984-85 के दौरान नए केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की सम्भावना है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) इस समय गुजरात राज्य में चल रहे 25 केन्द्रीय विद्यालयों के स्थानों के नाम अनुबन्ध में दिए गए हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) केन्द्रीय विद्यालय उन स्थानों पर खोले जाते हैं जहां रक्षा और अर्ध सैनिक कार्मिकों सहित केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों अथवा उच्च अध्ययन संस्थाओं की संख्या अधिक होती है, अथवा जहां सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम स्थित होते हैं। जहां इन स्कूलों को खोलने की मांग होती है और जहां प्रायोजक प्राधिकारियों द्वारा भूमि आदि के रूप में अपेक्षित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, वहां ये स्कूल चरणबद्ध रूप में खोले जाते हैं।

वर्ष 1984-85 के दौरान, गुजरात राज्य में चार केन्द्रीय विद्यालय बदोदरा, भुज, ओखा और गांधी नगर, प्रत्येक में एक-एक खोला गया।

विवरण

1. एम० आर० परिसर, शाहीबाग, अहमदाबाद।
2. स्पेस एप्लीकेशन सैंटर, अहमदाबाद
3. सैनिक क्षेत्र, अहमदाबाद छावनी
4. केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, गांधी नगर
5. सैक्टर 29, गांधी नगर
6. तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, मेहसाना
7. वायु सेना केन्द्र, भुज
8. तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, आयोग अंकलेश्वर, जिला-बड़ौच
9. मारनी रोड, बड़ौदा।
10. सैनिक क्षेत्र, धरंगधरा
11. आई० एन० एस० बालसुरा, जामनगर

12. वायु सेना केन्द्र, जामनगर

13. वायु सेना केन्द्र, नलिया, जिला-कच्छ

14. कलाबंद रोड, राजकोट

15. इच्छनाथ बस स्टैंड, सूरत

16. विश्वविद्यालय क्वाटर्स, वल्लभ विद्यानगर

17. सीमान्त सुरक्षाबल, डन्तीवड़ा, जिला-बी० के०

18. वायु सेना केन्द्र, महसना, बदसर

19. वदोदरा, ई० एम० ई० परिसर

20. तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, कनसारी, जिला-केरा

21. इन्फैन्टरी लाइन्स, जामनगर

22. वायु सेना केन्द्र, मकरपुरा पैलेस, बड़ौदा।

23. ओखा पोर्ट, सौराष्ट्र

24. भुज, डिफैन्स स्टेशन

25. गांधी नगर छावनी, अहमदाबाद

नेशनल प्रोफेसर्स स्कीम का क्रियान्वयन

4410. **श्री के० टी० कौशल राम :** क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कार्यान्वित की जा रही "नेशनल प्रोफेसर्स" स्कीम का ब्योरा क्या है ; और

(ख) इस योजना के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों की राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) विख्यात अध्येताओं, जिन्होंने अपने ज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया है, के सम्मान में वर्ष 1949 में राष्ट्रीय प्राध्यापकों आरम्भ की गयी थी। जिन विख्यात अध्येताओं की आयु 65 वर्ष या अधिक हो जाती है; उन्हें ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। राष्ट्रीय प्राध्यापक को 3000/- रुपए प्रति माह एक मुश्त वेतन दिया जाता है। यह पुरस्कार आरम्भ में 5 वर्षों के लिए दिया जाता है जिसे अगले 5 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद उन्हें 1000/- रु० प्र० मा० की आजीवन पेंशन दी जाती है। ये पुरस्कार केन्द्रीय मन्त्रियों की एक समिति की सिफारिश पर दिये जाते हैं।

(ख) वर्ष 1949 और 1965 के बीच 9 पुरस्कार दिये जा चुके हैं। इसके बाद 2 पुरस्कार वर्ष 1980 में और 1 पुरस्कार वर्ष 1983 में दिया गया। फिलहाल केवल दो राष्ट्रीय प्राध्यापक हैं। इनके नाम डा० सलीम अली, विख्यात पक्षिविज्ञानी और प्रो० वी० के० आर० वी० राव, एक विख्यात अर्थ-शास्त्री हैं।

अनिवासी भारतीयों को आशयपत्र

4511. **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983 के दौरान और जून, 1984 के अन्त तक अनिवासी भारतीयों के कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए ;

(ख) कितने आशयपत्र जारी किए गए और पूंजीगत बाल (उनके मूल्य सहित) के आयात के लिए कितने प्रस्ताव मंजूर किए गए और विदेश सहयोग के अब तक कितने प्रस्ताव मंजूर किए गए हैं ; और

(ग) इनमें से कितनी योजनाएं अभी क्रियान्वयनाधीन हैं ;

वाणिज्य, उद्योग तथा पूर्ति विभाग मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) नवम्बर, 1983 में प्रवासी भारतीयों से प्राप्त आवेदन को निपटाने के लिए विशेष स्वीकृति समिति गठित किए जाने के बाद 2 जुलाई, 1984 तक प्रवासी भारतीयों से पूंजीगत वस्तुओं के आयात के लिए 47 आवेदन, औद्योगिक लाइसेंस अनुमति के लिए 40 आवेदन, विदेशी सहयोग के लिए 10 आवेदन, मिलीजुली स्वीकृतियों के लिए 15 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इस अवधि में प्रवासी भारतीयों को 25 आशयपत्र स्वीकार करने/अनुमति देने के मामलों में स्वीकृति दी गई। लगभग 1496.19 लाख रुपये मूल्य की पूंजीगत वस्तुओं के आयात के लिए 26 स्वीकृतियां प्रदान की गयीं तथा विदेशी-सहयोग के लिए 15 स्वीकृतियां दी गई हैं। इन स्वीकृतियों के अन्तर्गत 45 औद्योगिक योजनाएं आती हैं जो कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

लघु क्षेत्र में मोटर गाड़ियों के निर्माण पर प्रतिबन्ध

4512. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लघु क्षेत्र द्वारा मोटर गाड़ियों के निर्माण या उनकी असैम्बलिंग पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य, उद्योग तथा पूर्ति विभाग मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी, नहीं। हां, सरकार सभी मोटरगाड़ी निर्माताओं के लिए लाइसेंसिंग अनिवार्य बना रही है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

कृतिक बलों को समाप्त किया जाना

4513. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय संयंत्रों का चयन करने के लिए विशिष्ट जिलों में पहले गठित किये गए कृतिक बलों को समाप्त करने का निर्णय लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

वाणिज्य, उद्योग तथा पूर्ति विभाग मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

एसोसिएशन आफ इण्डियन आटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स की बैठक

4514. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एसोसिएशन आफ इण्डियन आटोमोबाइल मैन्युफेक्चरर्स की 29 जून, 1984 को नई दिल्ली में आयोजित वार्षिक आम बैठक में की गई मुख्य टिप्पणियां और दिए गये सुझाव क्या हैं ; और

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य, उद्योग तथा पूर्ति विभाग मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) बैठक में की गई टिप्पणियों और दिए गए सुझावों में सम्पूर्ण मोटरगाड़ी उद्योग आता है, जिसमें प्रौद्योगिकी उन्नयन, इष्टतम मात्रा में उत्पादन, अनुसंधान और डिजाइन, निर्यात आदि सम्मिलित हैं।

(ख) मोटरगाड़ी क्षेत्र के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए सरकार ने पहले ही कई कदम उठाये हैं और उद्योग के परामर्श से आगे प्रयत्न जारी रहेंगे।

महिलाओं पर अत्याचारों को रोकने के लिए कदम

4515. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या **समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय महिला सम्मेलन ने अपना अर्द्धवार्षिक अधिवेशन दुर्ग में किया ;

(ल) यदि हां, तो महिलाओं पर अत्याचारों को रोकने हेतु कदम उठाने की मांग करते हुए क्या विशिष्ट प्रस्ताव सम्मेलन में पारित किये और सरकार को भेजे गए ; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) दुर्ग में आयोजित अखिल भारतीय महिला सम्मेलन द्वारा पारित संकल्प नीचे दिए गए हैं :—

(1) अत्याचार और हिंसा की शिकार महिलाओं के लिए सरकार द्वारा किए जाने वाले

सुधारात्मक उपाय केवल गैर-सरकारी संगठनों की सहायता से ही कारगर सिद्ध हो सकते हैं।

(2) अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की शाखाओं को अगले 5 वर्षों में महिलाओं के लिए सामाजिक-आर्थिक योजनाओं को बढ़ावा देने और महिलाओं को उनके अधिकारों और कर्त्तव्यों के प्रति शिक्षित करने पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए।

(3) स्कूली पाठ्यक्रम में विश्वबन्धुता और मानव एकता की विचारधारा को विकसित करना चाहिए।

(4) अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की शाखाओं को खाद्य पदार्थों में मिलावट किए जाने के विरुद्ध कदम उठाने के लिए उपभोक्ता संरक्षण समितियां बनानी चाहिए।

(ख) जहां तक इस संकल्प के इन भागों का सरकार से सम्बन्ध है, महिलाओं पर अत्याचार करने और उनकी मारपीट करने के विरुद्ध लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने और सामाजिक जागरूकता लाने के लिए स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अल्पावास गृहों और श्रमजीवी महिला होस्टलों के लिए भी वित्तीय सहायता दी जाती है। सरकार जनसंचार के माध्यम से शिक्षात्मक प्रचार अभियान भी चला रही है। स्कूलों की पाठ्य-पुस्तकों में सामान्य भाईचारे और एकता की भावना को बढ़ाने हेतु संशोधन किया गया है।

फारवर्ड सीमेन यूनियन आफ इन्डिया के आन्दोलन के कारण भारतीय नौवहन निगम को हुआ घाटा

4516. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सी० आई० टी० यू० से सम्बद्ध सीमेन यूनियन आफ इण्डिया के आन्दोलन के कारण भारतीय नौवहन के जहाजों को किन-किन पत्तनों से कितनी बार प्रत्यावर्तन करना पड़ा ; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस प्रकार आन्दोलनों ने जहाजों के आवागमन में हुए विलम्ब के कारण भारतीय नौवहन निगम को कितना वार्षिक नुकसान उठाना पड़ा है।

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) भारतीय नौवहन निगम ने पिछले तीन वर्षों के दौरान मार्च-अप्रैल, 1984 में, फारवर्ड सीमेन यूनियन ऑफ इण्डिया के आन्दोलन के कारण मेनलैण्ड-अण्डमान सेवा पर चलने वाले जहाज कलकत्ता पत्तन पर नहीं भेजे।

(ख) फारवर्ड सीमेन यूनियन ऑफ इण्डिया के आन्दोलन के कारण भारतीय नौवहन निगम को इसके जहाजों के विलम्ब के कारण विगत तीन वर्षों में जो हानि हुई है वह इस प्रकार है :—

	जहाज दिवसों के नुकसान की संख्या	जहाजों के स्थायी प्रभारों पर आधारित लगभग सकल हानि
		(लाख रुपये में)
1981-82	95	39.41
1982-83	267	97.25
1983-84	178	62.27
अप्रैल 84 से 13-8-84	78	27.43

भारतीय नौवहन निगम का तृतीय विश्व के देशों की नौवहन सेवाओं के साथ परस्पर सम्बन्ध

4517. **श्री के० राममूर्ति** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय निगम द्वारा सातवें दशक में पश्चिम एशिया, पूर्व अफ्रीका, प्रशान्त और महासागर के लिए आरम्भ की गई 6 संस्थापन सेवाओं की स्थिति डावाडोल है ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय नौवहन निगम ने अब द्विपक्षीय व्यापार में माल के परिवहन के लिए तृतीय विश्व के देशों की अन्य नौवहन सेवाओं के साथ पारस्परिक सहयोग सम्बन्ध स्थापित किए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) छठे दशक में भारतीय नौवहन निगम ने छह प्रोत्साहन सेवाएं शुरू की थी जिसमें से दो अर्थात भारत के पूर्वी तट से पश्चिमी एशिया खाड़ी और भारत के पश्चिम तट से पश्चिम एशिया खाड़ी की सेवाएं क्रमश: 1978 और 1982 में स्थगित कर दी गई थी। भारत के पूर्वी तट से लाल सागर की सेवा को भी एक अलग सेवा के रूप में वर्ष 1982 से स्थगित कर दिया गया उसे भारत-मध्य सागर सेवा में शामिल कर दिया गया। शेष तीन सेवाओं में से भारत के पश्चिमी तट से आस्ट्रेलिया की सेवा शुरू से ही घाटा उठा रही है जबकि अन्य दो अर्थात भारत से संयुक्त राज्य अमेरिका (प्रशान्त) और भारत के पश्चिमी तट से पूर्वी अफ्रीका की सेवा क्रमश: वर्ष 1976-77 और 1981-82 से घाटा उठा रही है।

(ख) से (ग) भारतीय नौवहन निगम ने 27-4-1984 को ब्यूनोस एअर में ई० एल० एम० ए० के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किया है जिसमें सिंगापुर में परिवहन सहित भारत/बांगलादेश

और अर्जेन्टीना, ब्राजील, उरूग्वे, पराग्वे और बोलोबिया के बीच ब्रेक बल्क/कन्टनेर युक्त कारगो के परिवहन की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा, भारत सरकार और सोवियत संघ, पोलैंड, गणतांत्रिक बुलगारिया, जर्मन प्रजातांत्रिक गणतंत्र और चेकोस्लोविया की सरकारों के साथ संयुक्त नौवहन सेवा के परिचालन के लिए अन्तर सरकारी द्विपक्षीय नौवहन करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत सरकार और अल्जीरिया और यूगोस्लोवाकिया की सरकारों के बीच भी एक अन्तर सरकारी द्विपक्षीय नौवहन करार पर हस्ताक्षर किया गया है परन्तु सम्बन्धित देशों के नामिय वाणिज्यिक संगठनों के बीच वाणिज्यिक स्तर पर नौवहन करारों को अन्तिम रूप नहीं दिए जाने के कारण इसे लागू नहीं किया गया है।

उद्योग रहित जिलों के लिए आशय-पत्र और औद्योगिक लाइसेंस

4518. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उद्योग रहित जिलों के औद्योगिकीकरण के लिए अप्रैल, 1983 में घोषित केन्द्रीय सहायता की योजना के परिचालन ब्यौरों को तैयार करने में जून, 1984 तक किए गए विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ख) वर्ष 1982 में दो, 1983 में 13 और 1984 की प्रथम तिमाही में दो औद्योगिक लाइसेंस जारी करने के क्या कारण हैं जबकि उद्योग रहित जिलों के लिए वर्ष 1982, 1983 और वर्ष 1984 की प्रथम तिमाही में क्रमश: 158,110 और 15 आशयपत्र जारी किए गए हैं ; और

(ग) पिछले चार वर्षों के दौरान उद्योग रहित जिलों के लिए आशयपत्र और औद्योगिक लाइसेंस जारी करने के राज्यवार आंकड़े क्या हैं ?

वाणिज्य, उद्योग तथा पूर्ति विभाग मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) यद्यपि उद्योग रहित जिलों में अवस्थापना के विकास हेतु केन्द्रीय सहायता सम्बन्धी योजना की घोषणा अप्रैल, 1983 में की गई थी, किन्तु इस सहायता के वितरण सम्बन्धी पद्धतियों को वित्त मंत्रालय, योजना आयोग तथा राज्य सरकारों जैसे विभिन्न प्राधिकरणों के परामर्श से अन्तिम रूप देने की आवश्यकता पड़ी जिसमें स्वाभाविक रूप से कुछ समय लग गया।

(ख) प्रारम्भ में आशयपत्र एक वर्ष की वैध अवधि के लिए स्वीकार किया जाता है। प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा अपने आप दो बार छः छः महीने के लिए आगे समय बढ़ाने की स्वीकृति दी जा सकती है। यदि आवश्यक हो, तो बाद में समय बढ़ाने के लिए मामले को निर्णय हेतु उपयुक्त स्वीकृति समिति के समक्ष लाया जाना चाहिए। आशयपत्रधारी को परियोजना कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने पड़ते हैं। जिनमें विदेशी सहयोग के लिए स्वीकृति प्राप्त करना व पूंजीगत माल आदि का इसकी वैध अवधि में ही आयात करना तथा आशयपत्र को औद्योगिक लाइसेंस में परिवर्तित करने के लिए सम्बद्ध प्रशासनिक मंत्रालय को प्रस्ताव करना शामिल हैं। अत: एक आशयपत्र को औद्योगिक लाइसेंस में बदलवाने में समय लगता है।

(ग) उद्योग रहित जिलों की अन्तिम सूची 1982 में ही जारी की गई है। वर्ष 1982 से 1984 (जून, 1984 तक) के दौरान उद्योग रहित जिलों को जारी किए गए आशयपत्रों/औद्योगिक लाइसेंसों का राज्यवार ब्यौरा देने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

उद्योग रहित जिलों को वर्ष 1982 से 1984 (जून, 1984 तक) के दौरान जारी किए गए आशयपत्रों/औद्योगिक लाइसेंसों का राज्यवार ब्यौरा

राज्य	आशय पत्र			औद्योगिक लाइसेंस		
	1982	1983 (जून तक)	1984	1982	1983 (जून तक)	1984
1. अरुणाचल प्रदेश	—	6	1	—	2	1
2. असम	—	2	2	—	—	—
3. बिहार	7	4	1	—	1	1
4. दादरा एण्ड नागर हवेली	4	3	—	—	—	—
5. गुजरात	2	11	2	—	—	—
6. हिमाचल प्रदेश	5	3	—	—	2	—
7. जम्मू और कश्मीर	2	4	—	—	—	—
8. कर्नाटक	8	8	2	1	—	3
9. केरल	—	1	—	—	—	—
10. मध्य प्रदेश	29	22	15	1	5	3
11. मणिपुर	—	1	—	—	—	—
12. मिजोरम	—	—	—	—	—	—
13. नागालैंड	—	—	—	—	—	—
14. उड़ीसा	15	8	—	—	—	—
15. राजस्थान	18	1	—	—	—	—
16. सिक्किम	1	—	—	—	—	—
17. त्रिपुरा	—	1	—	—	—	—
18. उत्तर प्रदेश	33	29	11	—	1	1
19. पश्चिम बंगाल	7	6	1	—	2	—
20. निर्दिष्ट न किए गए राज्य/एक से अधिक राज्य	25	—	—	—	—	—
योग :	158	110	35	2	13	9

प्रौढ़ शिक्षा के लिए दूरदर्शन कार्यक्रम

4519. **श्री आर० प्रभु** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रौढ़ शिक्षा सम्बन्धी विशिष्ट प्रयोजन हेतु दूरदर्शन सुविधा तंत्र का उपयोग करने के बारे में कोई ठोस प्रस्ताव तैयार किए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार ऐसे कार्यक्रमों के कार्यान्वियन बढ़ाने और उन पर निगरानी रखने हेतु कोई स्थायी समिति गठित करने पर विचार करेगी ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) जो विषय प्रौढ़ निरक्षरों की आवश्यकताओं से सम्बन्धित हैं, वे युवा, महिलाओं और किसानों के लिए दूरदर्शन के विद्यमान कार्यक्रमों में शामिल किए जाते हैं। दूरदर्शन प्राधिकारी प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के लिए एक महीने में दो वार दस मिनटों का समय आबंटित करने के लिए भी सहमत हो गए हैं, जिसके लिए आवश्यक सामग्री राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर निदेशक, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालयों द्वारा प्रदान की जाएगी।

(ग) मंत्रालय के स्तर पर तथा राज्य सरकार के स्तर पर इन कार्यक्रमों की प्रगति की समय-समय पर समीक्षा की जा रही है।

लघु उद्योग विकास संगठन द्वारा मध्य प्रदेश में दिए गए नमूना सर्वेक्षण से सम्बन्धित रिपोर्ट

4520. **डा० वसन्त कुमार पण्डित** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योग विकास संगठन द्वारा सम्पूर्ण भारत में एस० एस० आई० यूनिट 1982-83 का नमूना सर्वेक्षण किया गया हैं ;

(ख) क्या मध्य प्रदेश राज्य से सम्बन्धित रिपोर्ट पूरी हो गई है ;

(ग) मध्य प्रदेश राज्य में लघु क्षेत्र में कितने एकक (1) लाभ कमाने योग्य और आर्थिक रूप से सक्षम हो गए हैं (2) कितने अधिष्ठापित क्षमता से 50 प्रतिशत नीचे काम कर रहे हैं (3) कितने घाटे पर चल रहे हैं और (4) कितनों ने अभी कार्य करना आरम्भ नहीं किया ; और

(घ) उपर्युक्त स्थिति के क्या कारण हैं और लघु उद्योग एककों को सफल बनाने के लिए किन उपायों का सुझाव दिया गया है ?

वाणिज्य, उद्योग तथा पूर्ति विभाग मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ख) जी हां। मध्य प्रदेश सहित सभी राज्यों और संघ क्षेत्रों में सर्वेक्षण का फील्ड वर्क प्रगति पर है।

(ग) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

खादी ग्रामोद्योग आयोग में क्वार्टरों के आबंटन के लिए आवास योजना के लाभ

4521. **डॉ० वसन्त कुमार पण्डित** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुटीर और ग्राम उद्योग आयोग के कर्मचारियों को औद्योगिक कामगर माना जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या वह भारत सरकार के निर्माण और आवास मन्त्रालय के दिनांक 9-2-1979 के परिपत्र संख्या एच० 14024/17/77 एच० आई० के अन्तर्गत आवास योजना के लाभों के हकदार हैं ?

वाणिज्य, उद्योग तथा पूर्ति विभाग मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) "औद्योगिक कामगर" की कोई विशिष्ट परिभाषा नहीं है। इस मामले को प्रश्न के भाग (ख) में उल्लिखित आवास योजना के संदर्भ में देखा जाना चाहिए।

(ख) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के कर्मचारी, आयोग द्वारा स्टाफ क्वार्टर के रूप में आबंटन किए गए मकानों के बारे में निर्माण तथा आवास मंत्रालय के परिपत्र संख्या एच-14024/17/77-एच० आई० दिनांक 9-2-1979 के अन्तर्गत लाभ पाने के हकदार नहीं हैं क्योंकि ये मकान औद्योगिक कामगरों या समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की एकीकृत राजसहायता प्राप्त आवास योजना के अन्तर्गत नहीं बनाए गए हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय फास्ट फूड श्रृंखला खोलने के लिए अनिवासी भारतीय द्वारा मांगी गई अनुमति

4522. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशन** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लन्दन के एक अनिवासी भारतीय ने ब्रिटेन के विम्बी इन्टरनेशनल के सहयोग से भारत में एक अन्तर्राष्ट्रीय फास्ड श्रृंखला खोलने की अनुमति मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो भारत में प्रमुख इक्विटी शेयर धारक कौन है ?

वाणिज्य, उद्योग तथा पूर्ति विभाग मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ख) ब्रिटेन में रहने वाले दो भारतीयों जिनके नाम श्री अवतार सिंह सेलही और श्रीमती राजसिंह सेलही हैं को मोहन नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित वस्तुएं बनाने के लिए तकनीकी विकास के महानिदेशालय में पंजीकृत किया गया है :—

1. चिकन बर्गर्स
2. लैम्ब बर्गर्स
3. मछली तली हुई
4. आलू के चिप्स

5. सब्जियों के परिष्कृत खाद्य (अचारों और चटनियों को छोड़कर)

एकक का नाम मैं० विम्पी फूड्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड है। तकनीकी विकास के महा-निदेशालय में पंजीकरण हेतु दिए गए आवेदन में बताया गया है कि विदेशी सहयोग की इसमें परिकल्पना नहीं की गई है।

हरिनगर में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना डिसपेंसरी की इमारत

4523. **श्री ईरा अनबरासु** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हरिनगर के समीप केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की नव निर्मित इमारत का अभीष्ट प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) से (ख) हरिनगर के नव-निर्मित केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा औषधालय के भवन में एक आयुर्वेदिक और एक होम्योपैथिक यूनिट कार्य कर रहा है। इस भवन के एक हिस्से को भी केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के स्टोर डिपो के रूप में अस्थाई रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है।

डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के आश्रितों के लिए रक्त की व्यवस्था

4524. **श्री रामसिंह शाक्य** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जरूरत पड़ने पर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के आश्रितों यथा पत्नी, पुत्र और माता-पिता को डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल में रक्त उपलब्ध नहीं कराया जाता और उसे यह कहा जाता है कि रक्त तभी उपलब्ध कराया जाएगा जब वह स्वयं रक्तदान करे और यदि कोई कर्मचारी बाहर से रक्त खरीदता है ; तो अस्पताल के अधिकारियों द्वारा उसके बिल को प्रमाणित नहीं किया जाता ; और

(ख) 1 जनवरी, 1984 से 31 जुलाई, 1984 तक उक्त अस्पताल में ऐसे कितने मामले हुए ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) शून्य।

मिथिला और अन्य विश्वविद्यालयों को विकास निधि का आबंटन

4525. **श्री भोगेन्द्र झा : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान मिथिला तथा अन्य विश्वविद्यालयों को विकास निधि के रूप में कुल कितनी धनराशि दी गई है ; और

(ख) मिथिला विश्वविद्यालय तथा के० एस० संस्कृत विश्वविद्यालय के साथ सौतेला व्यवहार करने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) छठी योजना (1980-85) के दौरान सामान्य विकास अनुदान प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालयों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। जिनमें से प्रत्येक के लिए कमश: 1 करोड़ रु०, 75 लाख रुपये, 50 लाख रुपये का आबंटन किया गया। इन तीन श्रेणियों में विश्वविद्यालयों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं। एल०एन० मिथिला और के०एस०डी० संस्कृत विश्वविद्यालय क्रमश: 75 लाख रुपये और 50 लाख रुपये के आबंटन वाले विश्वविद्यालयों की श्रेणी में आते हैं।

(ख) प्रत्येक विश्वविद्यालय का आबंटन इसके विकास के स्तर, इसके द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों के प्रकार तथा स्वरूप, छात्रों के दाखिले और संकाय की संख्या, पहले से कार्यान्वित विकास योजनाओं की प्रगति और अन्य सम्बन्धित घटकों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इस मामले में किसी एक विश्वविद्यालय के प्रति भेदभाव का प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

छठी योजना के दौरान सामान्य विकास आबंटन अनुदान और विश्वविद्यालयों के नाम

क्रम सं०	राज्य का नाम	आबंटन सहित विश्वविद्यालयों के नाम		
		एक करोड़ रु०	75 लाख रु०	50 लाख रु०
1	2	3	4	5
1.	आंध्र	आंध्र उस्मानिया श्री वेंकटेश्वर ककातिया नागार्जुन श्री कृष्ण देवराय	—	—
2.	असम	गोहाटी	डिब्रूगढ़	—

1	2	3	4	5
3.	बिहार	पटना रांची	बिहार भागलपुर मगध एल०एन०मिथिला	के०ए० दरभंगा
4.	गुजरात	बड़ौदा गुजरात	सरदार पटेल सौराष्ट्र दक्षिण गुजरात	
5.	हरियाणा	कुरुक्षेत्र एम०डी०विश्व वि० रोहतक		
6.	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश		
7.	जम्मू और कश्मीर	—	जम्मू और कश्मीर	—
8.	कर्नाटक	बंगलौर मैसूर कर्नाटक	—	—
9.	केरल	केरल	कालीकट कोचीन	—
10.	मध्य प्रदेश	सागर	जबलपुर विक्रम भोपाल	इन्दौर जीवाजी रवि शंकर इन्दिरा कला संगीत ए०पी० सिंह
11.	महाराष्ट्र	बम्बई पूना मराठवाड़ा	एस०एन०डी०टी० महिला शिवाजी नागपुर	—
12.	मणिपुर	मणिपुर	—	—

1	2	3	4	5
13.	उड़ीसा	उत्कल	बेरहामपुर सम्बलपुर	—
14.	पंजाब	पंजाबी पंजाब	गुरु नानक देव	—
15.	राजस्थान	राजस्थान जोधपुर	उदयपुर	—
16.	तमिलनाडु	मद्रास मदुरै कामराज अन्नामलाई	—	—
17.	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद लखनऊ गोरखपुर मेरठ	रुड़की	आगरा काशी विद्यापीठ सम्पूर्णानन्द संस्कृत कानपुर
18.	पश्चिम बंगाल	कलकत्ता जादवपुर उत्तरी बंगाल	कल्याणी बर्दवान	रवीन्द्र भारती

अवर-स्नातक शिक्षा में सुधार के लिए अतिरिक्त आबंटन

विश्वविद्यालय	आबंटन (लाख रुपयों में)
1. एम०एस० बड़ौदा विश्वविद्यालय	30.00
2. इलाहाबाद विश्वविद्यालय	25.00
3. गोरखपुर विश्वविद्यालय	25.00
4. लखनऊ विश्वविद्यालय	15..00
5. सागर विश्वविद्यालय	10.00

6.	जोधपुर विश्वविद्यालय	20.00
7.	उदयपुर विश्वविद्यालय	7.00
8.	एस०एन०डी०टी० महिला विश्वविद्यालय (संचालित कालेजों के लिए)	10.00
9.	काशी विद्यापीठ (केवल कला)	5.00
	रुपये	167.00

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का गैस्ट हाउस

4526. **श्री बाबू राव परांजपे** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के भारत और विदेशों में कितने गैस्ट हाउस हैं, उनसे सम्बन्धित निम्नलिखित ब्यौरा क्या है (एक) उनकी स्थिति और पता, (दो) मालिक का नाम, (तीन) उनका क्षेत्रफल, (चार) मासिक किराया और (पांच) कब से अधिकार में है ;

(ख) दिल्ली स्थित 'भेल' के कार्यालय कहां-कहां हैं और उनके पते क्या हैं; उनके मालिकों के नाम क्या हैं, उनका क्षेत्रफल और मासिक किराया कितना है तथा वे कब से अधिकार में हैं ; और

(ग) (एक) कार्यालय के काम से, (दो) आवास के प्रयोजन से एशियाई खेल गांव में 'भेल' ने कितना आवास खरीदा अथवा किराए पर लिया और उसकी खरीद लागत कितनी थी, दलालों को कितना कमीशन किया गया और यदि विदेशी मुद्रा में भुगतान किया गया हो तो, वह कितना था ?

वाणिज्य, उद्योग तथा पूर्ति विभाग मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों द्वारा हड़ताल

4527. **श्री सैयद मसुदल हुसैन** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों के वेतनमानों के पुनरीक्षण और समय-बद्ध चयन ग्रेड आदि सम्बन्धी ब्यौरा की जांच करने वाले मन्त्री दल ने सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी विषयवस्तु क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ग) अध्यापकों के वेतनमानों का संशोधन करने तथा समयबद्ध प्रवरण प्रदान करने से सम्बन्धित मांगों सहित दिल्ली स्कूल अध्यापकों की मांगों पर मन्त्रियों के एक समूह ने विचार किया था। यह निर्णय किया गया था कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के अन्य वर्गों से अलग अध्यापकों की मांगों पर विचार नहीं किया जा सकता, विशेषकर जबकि इस प्रयोजन के लिए चौथा वेतन आयोग गठित कर लिया गया है। प्राथमिक स्कूल अध्यापकों की इन दो मांगों से सम्बन्धित निर्णय चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित होगा, जिसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

राज्यों में कालेजों के लिए यू०जी०सी०ग्रेड

4528. **श्री नवल किशोर वर्मा** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने सरकारी तथा गैर-सरकारी प्रबन्ध वाले कालेजों के लिए नए ग्रेड अपना लिए हैं ;

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक राज्य को कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ; और

(ग) यह वित्तीय सहायता किन शर्तों के अन्तर्गत दी गई है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों की राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जम्मू और कश्मीर, केरल तथा कर्नाटक को छोड़कर सभी राज्य सरकारों ने अपने राज्यों के कालेज शिक्षकों के लिए 1-1-1973 से वि० अ० आ० के संशोधित वेतनमान अपना लिए थे। अलग-अलग कालेजों में इन वेतनमानों को लागू करने के प्रश्न के सम्बन्ध में निर्णय लेना सम्बन्धित राज्य सरकार का काम है।

(ख) वेतनमानों में संशोधन करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को निम्नलिखित अनुदान संस्वीकृत किए थे :—

राज्य	(कुल राशि रुपए)
1. आंध्र प्रदेश	2,44,69,000
2. असम	2,00,00,000
3. बिहार	5;78,95,000
4. गुजरात	4,39,00,000
5. हरियाणा	2,55,38,000
6. हिमाचल प्रदेश	63,56,400

7. मध्य प्रदेश	3,59,91,000
8. महाराष्ट्र	7,68,00,000
9. मणिपुर	34,88,000
10. मेघालय	33,00,000
11. नागालैंड	2,28,000
12. उड़ीसा	2,54,04,000
13. पंजाब	4,23,19,000
14. राजस्थान	1,80,00,000
15. तमिलनाडु	4,16,74,000
16. त्रिपुरा	23,82,000
17. उत्तर प्रदेश	11,87,56,000
18. प० बंगाल	8,03,45,000

(ग) वित्तीय सहायता संस्वीकृत करने के लिए प्रमुख शर्तें इस प्रकार थीं :—

( ) 1-1-73 से 31-3-79 तक की अवधि के लिए अतिरिक्त व्यय के 80% की सीमा तक केन्द्रीय सहायता राज्य सरकारों को उपलब्ध होगी।

(ii) सहायता केवल उन पदों के लिए प्रदान की जाएगी जो 1-1-73 को अस्तित्व में थे और यह योजना में निहित वेतन निर्धारण सूत्र के अनुसार दी जाएगी।

(iii) योजना में चिकित्सा, कृषि और पशु विज्ञान कालेजों को छोड़कर विश्वविद्यालयों तथा कालेजों, में उनकी पसन्द के विषयों में लिए गए शिक्षक शामिल होंगे।

(iv) शिक्षकों की भर्ती नितांत रूप से योग्यता के आधार पर तथा अखिल भारतीय चयन के माध्यम से होनी चाहिए।

(v) लेक्चररों की भावी भर्ती के लिए वही अर्हता रखी जानी चाहिए जो वि०अ०आ० द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाती है।

(vi) प्रिंसिपल तथा शिक्षकों के लिए चयन प्रवरण समितियां योजना में सुझाए गए नमूने के आधार पर गठित की जानी चाहिए।

(vii) सेवा निवृत्ति की आयु 60 वर्ष होनी चाहिए और उसके बाद सेवाकाल में वृद्धि नहीं की जानी चाहिए।

दिल्ली परिवहन निगम की बसों में गति नियन्त्रक लगाना

4529. **श्री धर्मदास शास्त्री** : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** दिल्ली परिवहन निगम के बस चालकों द्वारा असावधानी से और जल्दबाजी में गाड़ी चलाए जाने के कारण बस में चढ़ते समय घायल हुए यात्रियों के बारे में 26 जुलाई, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 644 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में और दिल्ली से बाहर चलने वाली दिल्ली परिवहन निगम की बसों के लिए गति नियन्त्रक अभी तक अनिवार्य नहीं किए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) दुर्घटनाओं की दर पर रोक लगाने के लिए दिल्ली परिवहन निगम के प्रत्येक वाहन में अनिवार्य रूप से गति नियन्त्रक लगाया जाना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (ग) दिल्ली मोटर यान नियम, 1940 में दिल्ली प्रशासन द्वारा जारी दिनांक 4-6-80 के संशोधन में गाड़ियों में अनिवार्य रूप से गति नियन्त्रक लगाने के बारे में आवश्यक व्यवस्था की गई है। दिल्ली परिवहन निगम की सभी बसों में गति नियन्त्रक लगाए गए हैं, जो वाहन की गति को सामान्यत: सीमा में नियन्त्रित रखने के लिए है।

सांभर लेक में सोडियम सल्फाइड का उत्पादन

4530. **श्री बनवारी लाल बेरवा** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सांभर लेक में सोडियम सल्फाइड का उत्पादन किस वर्ष आरम्भ हुआ तथा इस संयंत्र की दैनिक उत्पादन क्षमता क्या है ;

(ख) उपर्युक्त कारखाने के कार्यचलन की अवधि के दौरान सोडियम सल्फेट का बाजार मूल्य क्या था ;

(ग) कारखाने के बन्द होने के क्या कारण थे, यह निर्णय लेने की जिम्मेदारी किसकी है और सोडियम सल्फाइड का उत्पादन कब बन्द किया गया और क्या इसके फिर से चालू करने की आशा है ;

(घ) क्या वह उद्देश्य पूरा हो गया है जिसके लिए हिन्दुस्तान साल्ट लिमिटेड बनाया गया था और देश के नमक स्रोतों का प्रबन्ध और कार्यचालन नमक विभाग से इस कम्पनी को हस्तांतरित किया गया था ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं और भारत सरकार का विचार क्या उपचारात्मक कार्रवाई करने का है ?

वाणिज्य, उद्योग तथा पूर्ति विभाग मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) सांभर में सोडियम सल्फाइड बनाने के लिए वर्ष 1974 में 2 मी० टन प्रतिदिन की उत्पादन क्षमता वाला एक संयंत्र स्थापित किया गया था।

(ख) सोडियम सल्फाइड का बिक्री मूल्य 2500/- प्रति मी० टन था।

(ग) मैसर्स सांभर साल्ट्स लिमिटेड के निदेशक बोर्ड ने 19 नवम्बर, 1976 को हुई अपनी बैठक में सोडियम सल्फेड संयंत्र को बन्द करने का निर्णय किया था, क्योंकि सोडियम सल्फाइड का उत्पादन सोडियम सल्फाइड के उत्पादन पर आधारित होता है, जो प्राकृतिक विपदाओं और वित्तीय कठिनाइयों के कारण नहीं किया जा सका था। कम्पनी सोडियम सल्फेट बनाने और सोडियम सल्फाइड संयंत्र को पुनरुजीवित करने सम्बन्धी प्रश्न पर विचार कर रही है।

(घ) और (ङ) प्राकृतिक विपदाओं और वित्तीय रुकावटों तथा उत्पादन की बढ़ती लागत से उत्पन्न हुई कठिनाइयों को देखते हुए मैसर्स हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड का गठन करने के उद्देश्यों को कुछ हद तक प्राप्त कर लिया गया है। फिर भी, कम्पनी अपने कार्य को सुप्रवाही बनाने का प्रयास कर रही है।

इंडिया टुबेको कंपनी के सिगरेटों के उत्पादन की क्षमता को बढ़ाया जाना

4531. **श्री रामजी भाई मावणी** . क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इण्डिया टुबेको कम्पनी लिमिटेड के मामलों में जो एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अंतर्गत प्रमुख सिगरेट निर्माता उपक्रम है ; मंजूर सुयदा क्षमता से अधिक उपयोग में लायी जाने वाली क्षमता के सम्बन्ध में उच्च क्षमता उपयोग में लायी जाने वाली क्षमता के सम्बन्ध में उच्च क्षमता उपयोग को मंजूरी देने पर विचार कर रही है ;

(ख) क्या सरकार द्वारा इस प्रस्ताव पर विचार करने पर लघुक्षेत्र और मध्यम क्षेणी के क्षेत्रों में अपनी कठिनांइयों के सम्बन्ध में अभ्यावेदन किये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उनकी परेशानियां को दूर करने हेतु सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

वाणिज्य, उद्योग तथा पूर्ति विभाग मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) मैसर्स आई० टी० सी० लिमिटेड (पहले इण्डिया टोबेको कम्पनी लिमिटेड के नाम से जानी जाने वाली) ने सिगरेट बनाने के लिए उन्हें स्वीकृत किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र को इस मंत्रालय के दिनांक 29 जून, 1981 के प्रेस टिप्पण के अनुसरण में क्षमता पुनपृष्ठांकन के लिए प्रस्तुत किया है।

(ख) ओर (ग) इस मंत्रालय को मैसर्स आई० टी० सी० लिमिटेड की विस्तार सम्बन्धी योजनाओं के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, किन्तु, उपर्युक्त कम्पनी से सिगरेटें बनाने के लिए पर्याप्त विस्तार करने हेतु किसी लाइसेंस की स्वीकृति के सम्बन्ध में कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

लोदी इतिहास को तोड़ मरोड़कर पेश किया जाना

4532. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :**

श्री राम विलास पासवान :

क्या **शिक्षा और संस्कृति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 10 जुलाई, 1984 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "डिस्टोर्टिंग लोदी हिस्ट्री" शीर्षक से लोदी गार्डन परिसर, दिल्ली में मोहम्मद शाह के मकबरे के आगे सांस्कृतिक सूचना पटल पर लोदी काल और मोहम्मद शाह की मृत्यु के बारे में उल्लिखित गलत तिथियों के सम्बन्ध में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इसे सुधारने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, हां ।

(ख) स्मारक में लगाए गए सांस्कृतिक सूचना पटल पर 1444 के बजाय उल्लिखित 1414 तिथि को अब ठीक कर दिया गया है ।

सफदरजंग अस्पताल में कथित कुप्रबन्ध और भ्रष्टाचार

4533. **श्री पी० के० कोडिसन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेजीडेण्ट डाक्टर्स एसोशिएशन सफदरजंग अस्पताल ने विदेश से इमेज इन्टेंसीफायर" की खरीद और अस्पताल के दुरुपयोग के मामलों में सफदरजंग अस्पताल में व्याप्त कथित कुप्रबन्ध और भ्रष्टाचार की केन्द्रीय जांच ब्यूरो से जांच करवाने की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) एक डा० रफी उल्लाह ने जो रेजिडेंट डाक्टर एसोसिएशन, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली के प्रेजिडेंट के रूप में हस्ताक्षर कर रहा है, उक्त अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक के विरुद्ध आरोप लगाए हैं और जांच की मांग की है ।

(ख) इसकी जांच की जा रही है ।

"एडमिशन रैकेट इन साउथ दिल्ली कालेज शीर्षक से समाचार"

4534. **श्री मनोहर लाल सैनी** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 और 29 जुलाई, 1984 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" और "इण्डियन एक्सप्रेस" में "एडमिशन रैकेटइन साउथ दिल्ली कालेज" और डिजर्विंग स्टूडेन्टस डिनाइड न्यूज एडमिशन शीर्षक के क्रमशः प्रकाशित समाचारों की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि कुछ कालेजों ने उन छात्रों को तो प्रवेश दिया है जिनकी प्राप्त अंक प्रतिशतता बहुत कम थी जबकि अधिक अंक वालों को प्रवेश नहीं मिला है और दिल्ली विश्व-विद्यालय छात्र संघ ने निदेशक, साउथ कैम्प्स, दिल्ली विश्वविद्यालय को लिखा है कि प्रवेश के मानदण्डों का उल्लंघन करने वाले कालेजों के विरुद्ध कार्यवाही की जाए ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(घ) विषय-वार कितने छात्रों ने प्रवेश के लिए आवेदन किया और कितने छात्रों को प्रवेश नहीं दिया गया ; और

(ङ) क्या सरकार का विचार दिल्ली में शैक्षिक और तकनीकी शिक्षा के लिए नए कालेज खोलने का है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दिल्ली विश्वविद्यालय के अनुसार 1984-85 के दौरान विभिन्न कालेजों में दाखिले विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित निगमों और विनियमों के अनुसार और योग्यता के आधार पर किए गए। इस विषय पर विश्वविद्यालय को छात्र संघ से कोई औपचारिक पत्र नहीं प्राप्त हुआ था।

(घ) दाखिले के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कालेजों में दाखिला लेने के इच्छुक छात्रों को अपनी पसंद के कालेजों और पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए सीधे आवेदन करना होता है। चूंकि काफी संख्या में छात्र विभिन्न कालेजों में एक साथ आवेदन करते हैं, अतः जिन छात्रों ने विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए आवेदन किया था उनकी सही संख्या निर्धारित करना संभव नहीं है। जहां तक उन छात्रों की संख्या का सम्बन्ध है, जिन्हें वास्तव में दाखिला दिया गया, सही स्थिति 25 अगस्त, 1984 के बाद ही सामने आएगी जब चालू शैक्षिक वर्ष के लिए दाखिले की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

(ङ) वर्ष 1984-85 के दौरान वाणिज्य पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले एक नए कालेज ने दिल्ली में कार्य करना शुरू कर दिया है। कोई अन्य कालेज स्थापित किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

"क्राउन कैप" प्रतियोगिता प्रारम्भ करना

4535. **श्री एन० के० शेजवलकर** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस गर्मी में मैसर्स "प्योर ड्रिक्स" "मेकाडोवल" और "पर्ले वाटलर्स" ने "क्राउन कैप कन्टेस्ट" प्रारम्भ करने से पूर्व सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त नहीं की थी ; जैसाकि कानून के अन्तर्गत अपेक्षित है ;

(ख) नई दिल्ली में इस प्रकार की अनुमति के लिए सक्षम प्राधिकरण कौन है ; और

(ग) "कन्टेस्ट" के प्रयोजकों के विरुद्ध प्राधिकारी ने क्या कार्यवाही की है/किए जाने का विचार है ?

वाणिज्य, उद्योग तथा पूर्ति विभाग मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) जैसाकि लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 10691 के उत्तर में 9 मई, 1984 को गृह मंत्रालय ने सूचित किया है, उपभोक्ता वस्तुओं की बिक्री बढ़ाने के लिए इस प्रकार की योजनाएं आरंभ करने हेतु सरकार की अनुमति लेना आवश्यक नहीं है ।

रियायती दर पर कागज का वितरण

4536. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रियायती दर पर कागज का वितरण 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत ही एक कार्यक्रम है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कदम उठा रही है ;

(ग) क्या सरकार द्वारा अपनाई गई नीति दोषपूर्ण नहीं है क्योंकि राज्य सरकारों को रियायती दर के कागज का आबंटित अधिकांश कोटा व्ययगत हो जाता है ; और

(घ) देश में शिक्षा के विकास और प्रसार के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और इस संबंध में क्या सुविधाएं दी जाती है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) जी, हां, । वर्ष 1974 के शुरू में ही देश में सफेद छपाई की कमी के कारण शैक्षिक पाठ्य-पुस्तकों के प्रकाशकों तथा कापियों के निर्माताओं को उचित दरों पर कागज प्राप्त करने में कठिनाई हुई। अगस्त, 1974 में आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत उद्योग मन्त्रालय ने एक आदेश जारी करके सफेद छपाई कागज के उत्पादन को नियंत्रित कर दिया जिसे कागज (उत्पादन का विनियमन आदेश, 1978 के अनुसार और आगे संशोधित किया गया। उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत, कागज मिलों को कागज तथा कागज बोर्डों के निर्माण के लिए अपनी क्षमता के अनुसार 20% अथवा 25% सफेद छपाई कागज का उत्पादन करना अपेक्षित है। उसी आदेश के अन्तर्गत, उद्योग मंत्रालय को रियायती सफेद छपाई कागज की मात्रा उपलब्ध कराता है जिसे बाद में इस मंत्रालय द्वारा राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को शैक्षिक कार्यों के लिए आबंटित किया जाता है।

20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत, पाठ्य पुस्तकों तथा कापियों का आबंटन राज्य सहकारी संस्थाओं के माध्यम से किया जाना होता है। तथापि, यह प्रथा एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न-भिन्न है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) देश में शिक्षा का विकास तथा प्रोन्नति अब राज्यों तथा केन्द्रीय सरकार की संयुक्त जिम्मेदारी है जिसे क्रमिक पंच-वर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत कई केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से आरम्भ किया गया है। इसके लिए आबंटन राज्य सरकारों तथा योजना आयोग के साथ नियमित चर्चाओं तथा समीक्षाओं से सुनिश्चित किए जाते हैं। प्रारम्भिक शिक्षा को सबको सुलभ कराने तथा प्रौढ़ निरक्षरता के उन्मूलन से सम्बन्धित प्राथमिकता कार्यक्रमों को न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम तथा नए बीस सूत्री कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है जिसके लिए वर्ष 1990 को लक्ष्यबद्ध तिथि के रूप में निर्धारित किया गया है।

शिक्षाप्रद फिल्में

4537. **श्री नित्यानन्द मिश्र : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षा प्रद फिल्मों का निर्माण करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य शिक्षा प्रौद्योगिकी संस्थानों की दूरदर्शन फिल्मों के निर्माण में सम्बद्ध किए जाने का विचार है ;

(ग) क्या इस प्रकार का कार्यक्रम 'इनसेट' पर आधारित शिक्षाप्रद दूरदर्शन कार्यक्रम होगा ;

(घ) यदि हां, तो 1984-85 में किन-किन राज्यों में 'इनसेट' पर आधारित दूरदर्शन कार्यक्रम तैयार किए जाने का विचार है ; और

(ङ) उड़ीसा में इस कार्यक्रम का विस्तार करने के सरकार के कार्यक्रम का क्या ब्यौरा है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (घ) इनसेट-1 बी के माध्यम से उपलब्ध सुविधाओं के संदर्भ में शिक्षा मंत्रालय ने 6 राज्यों अर्थात् उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश और उड़ीसा में ई० टी० वी० निर्माण स्टूडियो स्थापित करने की एक योजना शुरू की है।

वर्ष 1984-85 के दौरान ई० टी० वी० कार्यक्रम केन्द्रीय शैक्षणिक प्रौद्योगिकी संस्थान, रा० शै० अनु० तथा प्रशि० परि०, नई दिल्ली और दूरदर्शन द्वारा व्यापक रूप से तैयार किए जाएंगे। गुजरात, महाराष्ट्र और बिहार राज्य अक्तूबर, 1984 से आगे कुछ क्षेत्रीय आधारित कार्यक्रम तैयार कर सकेंगे। आशा है कि सभी छः इनसेट राज्य 1985-86 के दौरान शैक्षणिक टी० वी० कार्यक्रमों का निर्माण शुरू करने की स्थिति में होंगे।

(ङ) उड़ीसा में शैक्षणिक टी० वी० कार्यक्रमों का टी० वी० प्रसारण अगस्त, 1982 से शुरू हुआ। आयोजना और आवश्यकता पर आधारित निर्माण, स्थानीय रूप से प्रासंगिक शैक्षणिक टी०वी० कार्यक्रम की सुविधाएं राज्य में स्थापित की जा रही हैं। 120 पदों के वेतन की लागत, आवश्यक उपस्करों की खरीद और इस प्रयोजन के लिए स्टूडियो परिसर के निर्माण सहित राज्य कार्यक्रम तैयार करने वाले स्टूडियो की स्थापना के लिए 100% केन्द्रीय सहायता दी जा रही है।

मध्य प्रदेश में सीमेंट के कारखाने लगाना

4538. **श्री दलीप सिंह भूरिया** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में सीमेंट के कारखाने स्थापित करने के लिए आशय पत्र जारी करने हेतु अपनी सिफारिश के साथ कुछ उद्योगपतियों के आवेदन पत्र केन्द्रीय सरकार को भेजे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई की गई है ?

वाणिज्य, उद्योग तथा पूर्ति विभाग मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) औद्योगिक लाइसेंस देने के लिए आवेदन पत्र उद्यमियों से सीधे ही प्राप्त किए जाते हैं। वर्ष 1984 के दौरान मध्य प्रदेश में सीमेंट संयंत्रों की स्थापना हेतु इस प्रकार के तीन आवेदन प्राप्त हुए थे। मध्यप्रदेश सरकार की ओर से सिफारिशों के अभाव में तीनों आवेदन प्रथम दृष्टया अस्वीकृत कर दिए गये थे। किन्तु एक मामले में राज्य सरकार ने बाद में आवेदन अस्वीकृत करने की सिफारिश की थी।

खड़गपुर में दक्षिण पूर्व रेलवे वर्कशाप में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती

4539. **श्री नारायण चौबे** : क्या **रेल मन्त्री** खडगपुर वर्कशाप में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की भर्ती के बारे में 3 मई, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9605 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खडगपुर वर्कशाप में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को रोजगार देने की उल्लिखित प्रक्रिया कब शुरू होगी ; और

(ख) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के बकाया कोटे के लिए भर्ती को इस प्रकार अचानक बन्द करने का सरकारी सेवा में भर्ती पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने के निर्णय का किसी तरह कोई सम्बन्ध तो नहीं है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) रेल मन्त्रालय द्वारा 6-8-84 को खडगपुर कारखानों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की भर्ती की प्रक्रिया पुनः प्रारम्भ करने के लिए दक्षिण पूर्व रेलवे को अनुदेश जारी कर दिए गये हैं बशर्ते कि अनुदेशों का पालन किया जाए, जिससे उचित चयन सुनिश्चित किया जा सके।

(ख) जी, नहीं।

धनबाद डिवीजन में ड्राइवरों के बेटों की नियुक्ति

4540. **श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी रेलवे के धनबाद डिवीजन में कार्य करने वाले इन्जिन ड्राइवरों के बेटों को उनकी सेवानिवृत्ति से पहले रेल सेवाओं में नौकरी दी गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितने ड्राइवरों के बेटों को रोजगार दिया गया है और इस प्रकार की नियुक्ति से सम्बन्धित कितने मामले अभी तक लम्बित पड़े हैं और उनके क्या कारण हैं ; और

(ग) रेल सेवाओं में सेवा निवृत्त होने वाले रेल कर्मचारियों के बेटों को नौकरी देने से संबंधित नीति क्या है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) रेल सेवा के लिए सभी उम्मीदवारों को समान रूप से अवसर प्रदान करना रेलवे की नीति है। सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लड़कों को रेलों पर नियुक्ति के लिए कोई विशेष महत्व नहीं दिया जाता। फिर भी, रेलों पर अनुकम्पा के आधार पर अथवा विकलांग व्यक्तियों के कोटे में अथवा खेलकूद/सांस्कृतिक, स्कूल अध्यापकों, कलाकारों आदि के कोटे में नियुक्तियां अवश्य की जाती हैं।

विश्व हिन्दू सम्मेलन का आयोजन

4541. **श्री के० ओबुल रेड्डी** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यूयार्क में विश्व हिन्दू सम्मेलन हुआ था, जैसा कि 25 जून, 1984 के 'टाइम्स आफ इण्डिया' में प्रकाशित हुआ है ;

(ख) क्या सरकार ने इस सम्मेलन के लिए कोई वित्तीय सहायता या किसी प्रकार का समर्थन दिया है ;

(ग) यदि हां, तो कितना समर्थन दिया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों की राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार को सम्मेलन के प्रायोजकों से वित्तीय सहायता अथवा समर्थन के लिए किसी प्रकार का अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड और कोचीन शिपयार्ड द्वारा जहाजों में उपयोग के लिए "फायर डोर्स/"फायर प्रुफ शटर" का आयात

4542. **श्री एच० एन० नन्जे गौड़ा** : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि० विशाखापत्तनम और कोचीन शिपयार्ड

लिमिटेड कोचीन जहाजों में इस्तेमाल के लिए विदेशों से "फार डोर्स"/"फायर प्रूफ शटर्स" का आयात कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन देशों/निर्माताओं के नाम क्या है जहां से सामान्यत: इनडोर्स का आयात किया जाता है तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गये आयात पर कुल कितनी धनराशि व्यय हुई ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि पश्चिम जर्मनी सहित कई पश्चिमी देशों ने इन "डोर्स" के निर्माण की प्रक्रिया में काफी सुधार किया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां।

(ख) कोचीन शिपयार्ड लि० और हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि० जहाजों के लिए ऐसे दरवाजे जिन पर आग का कोई असर न हो सके विश्व व्यापी टेंडर के आधार पर निम्नलिखित स्रोतों का आयात करते रहे हैं :—

हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि०

(1) केप बोर्ड्स एण्ड पेनल्स लि०, लण्डन, यू० के०।

(2) 3 मेज, रिजेका, युगोस्लाविया।

(3) अल्वेस्टा प्रोडक्टर शिप डोर्स ए० वी० अल्वेस्टा, स्वीडन।

कोचीन शिपयार्ड

(1) अलवेस्टा प्रोडक्टर शिप डोर्स ए० बी० अलवेस्टा, स्वीडन।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि० और कोचीन शिपयार्ड लि० ने पिछले तीन वर्षों में लगभग 18.00 लाख रु० मूल्य का कुल आयात किया।

(ग) और (घ) शिपयार्ड वाणिज्यिक जहाज के निर्माण के लिए अग्नि रोधक दरवाजों और पार्टिशन बल्क हेडों का इस्तेमाल करते हैं। ये समुद्र में जीवन रक्षा कन्वेशन (सोलेस) में निहित अग्नि सुरक्षा विनियमों के अनुरूप हैं और इनमें पश्चिमी जर्मनी सहित विभिन्न निर्माता देशों द्वारा तकनीकी सुधार किए जा रहे हैं। पता चला है कि पश्चिम जर्मनी ने एम० 1000 नामक एक स्पेशल एकोमोडेशन पैनलिंग सिस्टम विकसित की है।

भेल द्वारा हैनोवर मेले पर किया गया व्यय

4543. **श्री बाबू राव परांजपे**: क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जर्मनी में हाल ही में लगाए गए हनोवर अन्तर्राष्ट्रीय मेले में भाग लेने के लिए भारत हैवी

इलेक्ट्रिकल्स लि० (भेल) द्वारा कुल कितना व्यय किया गया है । 'भेल' के उन अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है जो भेल के खर्च पर इस मेले में गए थे ; और

(ख) क्या इस खर्च के बावजूद 'भेल' की एक भी आर्डर प्राप्त नहीं हुआ है, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य, उद्योग तथा पूर्ति विभाग मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) हेनोवर मेले में भाग पर बी० एच० ई० एल० ने 34.40 लाख रु० का खर्चा किया । बी० एच० ई० एल० के अधिकारियों तथा अन्य व्यक्तियों जिन्हें इस मेले में भाग लेने के लिए भेजा गया था, का ब्यौरा संलग्न विवरण (अनुबन्ध) में दिया जाता है ।

(ख) बी० एच० ई० एल० को कोई भी क्रमादेश प्राप्त नहीं हुआ । बी० एच० ई० एल० द्वारा निर्मित उपकरणों की किस्म को देखते हुए तत्स्थान पर क्रमादेशों की बुकिंग की आशा भी नहीं थी । लेकिन, लगभग 15 देशों से जिन्होंने की एच० ई० एल० द्वारा निर्मित उत्पादों में काफी दिलचस्पी दिखाई, प्राप्त अनेक पूछताछों को देखते हुए, भविष्य में क्रमादेश प्राप्त होने की आशा है ।

विवरण

हेनोवर मेले में भेजे गए बी० एच० ई० एल० के अधिकारियों तथा अन्यों का ब्यौरा

क्रमांक	नाम	पद नाम
1.	श्री वी० सी० टंडन	महाप्रबन्धक
2.	श्री एस० के० चौधरी	अतिरिक्त महाप्रबन्धक
3.	श्री वी० के० कपूर	वरिष्ठ प्रबन्धक
4.	श्री राजेश कुमार	जनसम्पर्क अधिकारी
5.	श्री एस० एम० महाजन	उप-प्रबन्धक
6.	श्री एम० के० मित्तल	उप-महाप्रबन्धक
7.	श्री वी० पी० भाटिया	समूह महाप्रबन्धक
8.	श्री० डी० जी० सूरी	वरिष्ठ अभियन्ता
9.	श्री एच० एस० बराल	उप-महाप्रबन्धक
10.	श्री मोहन सिंह	वरिष्ठ प्रबन्धक
11.	श्री आर० के० शर्मा	प्रबन्धक

12. श्री एस० शम्भाशिवेन	उप-प्रबन्धक
13. श्री डी० आर० नायडू	पेविलियन के डिजाइनर
14. श्री भजन सिंह	तकनीशीयन
15. श्री रामचन्द्र मिश्रा	तकनीशीयन

सीतापुर और लखनऊ में रेलवे की भूमि पर कब्जा

4544. **श्री रामलाल राही :** क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान रेलवे लाइन के आस-पास और रेलवे की अन्य भूमि पर कब्जे की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में स्थानावार क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) पूर्वोत्तर रेलवे में लखनऊ और बरेली के बीच सीतापुर और लखनऊ जिलों में रेलवे की कितनी भूमि पर कब्जा किया गया है और कितनी भूमि पर कब्जा हटा दिया गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) रेलवे को अपनी भूमि पर अतिक्रमणों की समस्या की जानकारी है ।

(ख) सभी क्षेत्रीय रेलों पर जगह-जगह अतिक्रमण किया गया है और रेलें इन अतिक्रमणों को हटाने के लिए सार्वजनिक स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अधीन कार्रवाई कर रही है ।

(ग) लखनऊ-बरेली खंड पर सीतापुर और लखनऊ जिलों में कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है ।

इग्लैंड और रोमानिया से ट्रैक्टरों का आयात

4545. **श्री सूरज भान** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दो निजी फर्मों मेसर्स प्रीमियर इरिगेशन प्रा० लि०, कलकत्ता और मेसर्स यूनाइटेड आटो ट्रैक्टर्स लि०, नई दिल्ली को इग्लैंड और रोमानिया से इस शर्त पर ट्रैक्टरों का आयात करने का लाइसेंस दिया गया था कि वे निर्धारित समय के भीतर इन ट्रैक्टरों का निर्माण करेंगी ;

(ख) क्या सरकार को उपर्युक्त आयातित ट्रैक्टरों की कीमतें निर्धारित करने में 10 वर्ष से अधिक लगे और इन दो फर्मों को उपर्युक्त ट्रैक्टरों की 38,000 रु० तक बेचने की अनुमति दी गई थी जोकि इस स्पष्ट धारणा/शर्त की शेष राशि बाद में किसानों को लौटा दी जाएगी ;

(ग) उपर्युक्त फर्मों द्वारा इस प्रकार कुल कितने ट्रैक्टर आयात किए गये और बेचे गए और किसानों से कितना अतिरिक्त धन लिया गया ; और

(घ) क्या उपर्युक्त फर्मों ने उपर्युक्त दोनों शर्तों का उल्लंघन किया है और यदि हां, तो उपर्युक्त फर्मों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है और सम्बन्धित किसानों की उपर्युक्त अतिरिक्त राशि वापिस कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य, उद्योग तथा पूर्ति विभाग मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (घ) अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

"कोस्टली मशीनरी लाइंग आइडल एट रेलवे प्रेस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

4546. **श्री ई० बालानन्दन** : **क्या रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिनांक 6 फरवरी, 1984 के "द टेलीग्राफ" में "कोस्टली मशीनरी लाइंग आइडल एट रेलवे प्रेस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसमें उल्लिखित स्थिति के क्या कारण हैं ; और

(ग) उक्त मुद्रणालय में मुद्रण-टेक्नोलोजी में विशेषज्ञता प्राप्त उपर्युक्त व्यक्ति को नियुक्त न करने के क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) रेलवे प्रेस, खड़गपुर में सभी मशीनें चालू हालत में हैं।

फिर भी कभी-कभी साधारण अनुरक्षण या यथा समय मरम्मत न होने के कारण कुछ मशीनें यदा-कदा खराब हो सकती हैं जिनकी यथोचित समय के भीतर मरम्मत कर दी जाती है। कागज मोड़ने की मशीनें विशिष्ट प्रकार की मशीनें हैं जिनका उपयोग केवल तभी किया जाता है जब रेलवे प्रेस में समय सारिणी जैसे विशिष्ट कार्य की छपाई होती है।

(ग) रेलवे प्रेस के कार्य की देखरेख करने के लिए कलकत्ता में अधीक्षक, मुद्रण और लेखन सामग्री तथा खडगपुर में सहायक अधीक्षक, मुद्रण और लेखन सामग्री पदनाम के 2 अधिकारी हैं। इन दोनों अधिकारियों ने मुद्रण प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा प्राप्त किया हुआ है। प्रिंटिंग प्रेस के अनेक अनुभागों के अधिकतर कार्यभारी पर्यवेक्षक भी मुद्रण प्रौद्योगिकी में डिप्लोमाधारी विशेषज्ञ हैं।

कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर को खोलने के समय खरीदी गई मशीनें

4547. **श्री मोहम्मद इस्माइल** : **क्या समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर को खोलने के समय 1-1/2 करोड़ रुपए की मशीनें खरीदी गई थी जिनको अभी तक किसी उपयोग में नहीं लाया गया है ; और

(ख) क्या अब इन मशीनों को बेचने का कोई विचार है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम द्वारा प्रारम्भ में खरीदी गई मशीनों का मूल्य 1,04,01,867 रुपये था। 12.27 लाख रुपये की धनराशि के वास्तविक मूल्य की 15 मशीनों का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जा रहा, जबकि दूसरी मशीनों का उपयोग किया जाता है।

(ख) उपर्युक्त 15 मशीनों को दूसरी सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों को बेचे जाने का प्रस्ताव है।

गुजरात में नए विश्वविद्यालय

4548. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य में तकनीकी विश्वविद्यालयों सहित नए विश्वविद्यालय स्थापित करने के गुजरात सरकार से प्राप्त प्रस्ताव मंजूरी के लिए लम्बित हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ;

(ख) सरकार के पास नए विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए अन्य राज्यों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों से लम्बित प्रस्तावों का ब्योरा क्या है ;

(ग) इस सम्बन्ध में सरकारी नीति क्या है और प्रस्तावों को मंजूरी देने में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(घ) गुजरात में विश्वविद्यालयों की स्थापना की मांग के कब तक पूरा किए जाने की संभावना है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों की राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) गुजरात सरकार ने उत्तर गुजरात क्षेत्र में एक विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए 1982 में एक प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विचार जानने चाहते थे। इस प्रस्ताव पर राज्य सरकार के परामर्श से विचार किया गया था और मार्च, 1983 में आयोग, उत्तर गुजरात में एक नया विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए सिद्धान्त रूप से सहमत हो गया। राज्य सरकार को सलाह दी गई थी कि आयोग और केन्द्रीय सरकार के परामर्श से विधान को अन्तिम रूप देने के लिए कार्रवाई शुरू करें। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास गुजरात का कोई अन्य प्रस्ताव अनिर्णित नहीं पड़ा हुआ है।

(ख) महाराष्ट्र में प्रौद्योगिकीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव, आयोग द्वारा सिद्धान्त रूप से अनुमोदित किया गया था और इस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधान को राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के परामर्श से अन्तिम रूप दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में एक प्रौद्योगिकीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव किया था। आयोग का यह विचार था कि यदि ऐसा विश्वविद्यालय स्थापित किया जाता है तो इसके लिए सम्बद्धन संबंधी कार्य नहीं होने चाहिए। इस सलाह को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार को प्रस्ताव पर फिर से विचार करने की सलाह दी गई है।

सरकार ने पांडिचेरी में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय किया है। इस प्रयोजन के लिए विधान संसद में अभी पेश किया जाना है।

(ग) आयोग और केन्द्रीय सरकार का यह विचार रहा है कि नए विश्वविद्यालयों को केवल तभी स्थापित किया जाना चाहिए जब ठोस शैक्षणिक महत्व पर ऐसे विश्वविद्यालयों की आवश्यकता प्रमाणित हो जाए और इसके लिए साधन उपलब्ध हों। इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध सुविधाओं, उनके उपयोगिता की सीमा और उच्च शिक्षा के लिए परियोजनाबद्ध आवश्यकताओं का एक समुचित सर्वेक्षण किया जाना चाहिए।

(घ) उत्तर गुजरात क्षेत्र में एक नए विश्वविद्यालय को स्थापित करने की मांग तब पूरी कर दी जाएगी जब इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा विधान बनाया जाएगा और इसे लागू कर दिया जाएगा।

न्यूजीलैंड को की गई सप्लाई के कारण 'भेल' को हुआ घाटा

4549. **श्री बाबू राव परांजपे** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लीबिया विद्युत परियोजना पर करोड़ों रुपयों के भारी नुकसान उठाने के बाद, 'भेल' को अब न्यूजीलैंड को सप्लाई किए गए पन बिजली सेटों पर भारी नुकसान हुआ है, यदि हां, तो लीबिया और न्यूजीलैंड में कुल कितनी धनराशि का नुकसान हुआ है ; और

(ख) न्यूजीलैंड के साथ ठेके और सप्लाई की व्यापित की थी जब वह दिया गया था तब वह कितने रु० मूल्य का था, ठेके के अनुसार उसके पूरा होने की तारीख क्या थी ; पूरे होने की वास्तविक तिथि क्या थी, आयात तथा सेवाओं और मरम्मत आदि पर खर्चा काट कर भारत को वास्तव में कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई ?

वाणिज्य, उद्योग तथा पूर्ति विभाग मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) वी० एच० ई० एल० को लीबिया में . × 120 मेगावाट तापीय बिजली घर स्थापित करने वाले ठेके में 23 करोड़ रुपये की हानि हुई थी। न्यूजीलैण्ड में ओ० एच० ए० यू० और रैंगीपो हाइडल परियोजनाओं को उपकरण की सप्लाई में हुई हानि क्रमश: 397 लाख रुपए और 94 लाख रुपये है।

(ख) विस्तृत ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया जाता है।

विवरण

	ओ०एच०ए०यू०	रैंगीपो
1. कार्य क्षेत्र	डिजाइन निर्माण, निर्माण के लिए सप्लाई और निरीक्षण तथा 8 × 53 मे०वा० हाइड्रो जनरेटर को चालू करना।	डिजाइन, निर्माण, निर्माण के लिए सम्भरण और निरीक्षण तथा 2 × 60 मे० वा० हाइड्रो जनरेटर को चालू करना।

2. मूल्य	692.62 लाख रु०	271.91 लाख रुपये
3. ठेका देने की तारीख	जुलाई, 1976	सितम्बर, 1976
4. सप्लाई पूरा करने के लिए ठेके की तारीख	अक्तूबर, 1980	मई, 1980
5. पूरे होने की वास्तविक तारीख	दिसम्बर, 1982	दिसम्बर, 1982
6. विदेशी मुद्रा की प्राप्ति	317 लाख रु०	158 लाख रुपये

पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारियों का धरना

4550. **श्री ए० के० राय** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि आल इण्डिया रेलवे एम्पलाईज कनफडेरेशन, पूर्वोत्तर रेलवे ने (एक) बड़े पैमाने पर उत्पीड़न की तत्काल समाप्त करने ; (दो) सरकारी क्षेत्र के साथ वेतन समानता के बारे में चौथे वेतन आयोग की अन्तरिम रिपोर्ट का प्रकाशन ; (तीन) उक्त कनफेडरेशन को वार्ता करने की सुविधा देने के प्रश्नों को लेकर 23 जुलाई, 1984 से महाप्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे के समक्ष निरन्तर धरना दे रखा है ; और

(ख) यदि हां तो औद्योगिक सम्बन्धों के हित में रेल कर्मचारियों के व्याप्त असन्तोष को दूर करने के लिए उक्त मांगों को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) आल इण्डिया रेलवे एम्पलाईज कनफेडरेशन के तत्वाधान में कुछ रेल कर्मचारियों ने उत्पीड़न रोकने, चतुर्थ वेतन आयोग की रिपोर्ट के प्रकाशन और आल इण्डिया रेलवे एम्पाइज कनफेडरेशन को वार्ता की सुविधाओं के सम्बन्ध में 23-7-1984 से महाप्रबन्धक, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर के कार्यालय के सामने क्रमिक भूख हड़ताल की थी। यह हड़ताल 31-7-84 को समाप्त हुई।

वैध ट्रेड यूनियन गतिविधियों के लिए किसी रेल कर्मचारी का उत्पीड़न नहीं किया जाता। किन्तु मूल-चूक के विशिष्ट मामलों में, नियमों और विनियमों के अधीन, इसके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए कोई रोक नहीं हैं। ऐसे सभी मामलों में इस कार्य के लिए निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार कार्रवाई की जाती है और प्रत्येक मामले के गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जाता है। कर्मचारी को सरकार के सम्बद्ध अनुशासन और अपील नियमों के अन्तर्गत दण्ड के विरुद्ध प्राधिकारी को अपील करने का अवसर सदा ही दिया जाता है।

रेल मन्त्रालय चतुर्थ वेतन आयोग की अन्तरिम रिपोर्ट के प्रकाशन के सम्बन्ध में आल इंडिया रेलवे एम्पलाइज कन्फेडरेशन की मांग पर कोई टिप्पणी देने की स्थिति में नहीं है।

रेलों पर, वार्ता सुविधाएं दो अखिल भारतीय श्रमिक फेडरेशनों, अर्थात् आल इण्डिया रेलवे-

मेन्स फेडरेशन और नेशनल फेडरेशन आफ इण्डियन रेलवे मैन, को दी गई हैं जो कि कर्मचारियों की सभी कोटियों के सदस्यों की सदस्यता (आल इंडिया रेलवे एम्पलाइज कन्फेडरेशन द्वारा प्रतिनिधित कोटियों सहित) के आधार पर कर्मचारियों की शिकायतों का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिन्हें एक साथ बैठ कर वार्तालाप द्वारा निपटाया जाता है और इस प्रकार सौहार्दपूर्ण औद्योगिक सम्बन्ध बनाकर रखे जाते हैं। आल इण्डिया रेलवे एम्पलाइज कन्फेडरेशन को मान्यता नहीं दी गयी है लेकिन, 1978 में इस वर्ग को इस आशा के साथ प्रतिबंधित वार्ता सुविधा दी गयी थी कि यह साथ बैठकर कठिनाइयों को सुलझाने के लिए परामर्श का मार्ग अपनायेगा। मगर इस वर्ग द्वारा अनेक आन्दोलनों और विरोधात्मक तरीके अपनाये गये जिसके फलस्वरूप दी गयी सुविधा 1981 में वापिस ले ली गयी। तब से, यह कन्फेडरेशन आन्दोलनों और अन्य तरीकों से सरकार पर दबाव डालने की चेष्टा करती रही है। 23-7-84 को "क्रमिक भूख हड़ताल" भी इसी कार्यक्रम का हिस्सा थी।

सरकार की नीति ट्रेड यूनियनों की बहुलता को बढ़ावा देने की नहीं है। खण्डीय कोटि-वार यूनियनों को मान्यता देने की किसी भी कार्रवाई से रेलों पर ट्रेड यूनियनों के टुकड़े-टुकड़े हो सकते हैं।

रेलों के मण्डल और क्षेत्रीय स्तर और रेलवे बोर्ड स्तर पर त्रिपक्षीय स्थायी वार्ता तन्त्र कार्यरत है जहां एक साथ बैठ कर मामलों पर बातचीत की जाती है। इस परिप्रेक्ष्य में कर्मचारियों के लिए उचित यह है कि वे अपने अभ्यावेदन पहले से उपलब्ध तन्त्र के माध्यम से भेजें।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में एक शव की आंखें निकाल लिया जाना

4551. **श्री ए० नीलोलोहित दसन नाडार** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और केन्द्रीय सरकार के अन्य अस्पतालों में शवों की आंखें अवैध रूप से निकाल लिए जाने की घटनाएं सरकार के ध्यान में आई हैं; यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) क्या सरकार का विचार इस प्रकार की अनैतिक चोरी को रोकने के लिए उपयुक्त कदम उठाने का है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने सूचना दी है कि संस्थान को एक श्री घनश्याम दास उर्फ मुन्ना (मृत) के पिता से एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि 26 जून, 1984 को संस्थान के अस्पताल में उनके पुत्र के शव के पोस्टमार्टम के बाद उन्होंने पाया कि शव से आंखें निकाल ली गई थीं और उनके स्थान पर कृत्रिम आंखें लगी हुई थीं। प्राथमिक पूछ-ताछ से पता चला कि डा० राजेन्द्र प्रसाद नेत्र-विज्ञान केन्द्र के एक तकनीशियन ने मृतक के संबंधियों से मौखिक सहमति लेकर शव से आंखें निकाल ली थीं। लेकिन क्योंकि मृतक के पिता ने इस बात से इन्कार कर दिया कि उसने ऐसी सहमति दी थी, इसलिए संस्थान ने विस्तृत जांच का आदेश दिया है और उसके निष्कर्षों के आधार पर ही आगामी कार्रवाई, यदि कोई हो तो, की जाएगी। उपलब्ध सूचना के अनुसार सरकार की अन्य केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों में ऐसी घटनायें होने की कोई सूचना नहीं मिली है।

(ख) सरकार कोई विशेष कार्रवाई करने पर विचार नहीं कर रही है क्योंकि ऐसे अवैध कार्य करने वाले व्यक्तियों से निपटने के लिए भारतीय दण्ड संहिता में व्यवस्था पहले ही है।

सिगरेट के पैकेटों पर सांविधिक चेतावनी का प्रस्ताव

4552. **प्रो० रूपचन्द पाल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिगरेट के पैकेटों पर सांविधिक चेतावनी दिए जाने के पश्चात सिगरेट निर्माता कम्पनियों के लाभ की प्रतिशतता में वृद्धि हुई है ;

(ख) क्या वृद्धि का एक कारण सिगरेटों को स्वछंदता स्वतंत्रता खिलाड़ी यौवन और आर्थिक तथा सामाजिक सफलता के प्रतीक के रूप में विज्ञापित किया जाना है ; और

(ग) यदि हां, तो धूम्रपान में वृद्धि को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप-मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) और (ख) ऐसे कोई सर्वेक्षण या आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं जिनसे इन दावों की पुष्टि होती हो।

(ग) धूम्रपान से स्वास्थ्य को होने वाले खतरों को प्रकाशित करने तथा धूम्रपान की रोकथाम करने के लिए सरकार द्वारा पहले ही बहुत से उपाय किए जा चुके हैं। सभी सम्बन्धित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सरकार का उन उपायों पर विस्तार से विचार-विमर्श करने का प्रस्ताव है जो आमतौर पर धूम्रपान सहित तम्बाकू के प्रयोग पर नियंत्रण रखने के लिए आवश्यक हैं।

सड़क परिवहन उद्योग पर कर-सम्बन्धी लेवी का बोझ

4553. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सड़क परिवहन उद्योग पर कर-सम्बन्धी लेवी के भारी बोझ से सड़क परिवहन अलाभकारी स्थिति में पहुंच गया है; और

(ख) यदि हां, तो विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में माल और यात्रियों के लिए परिवहन सुविधाओं के पर्याप्त विकास हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति (मई, 1980) ने, जिसने हाल में इस विषय की जांच की थी, कहा कि उन्हें इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिला कि सड़क परिवहन उद्योग पर करके बोझ से उसके विकास में बाधा पड़ी या चालकों को कोई घाटा ही उठाना पड़ा।

तथापि यह पाया गया कि विभिन्न राज्यों द्वारा लगाये गए मोटर गाड़ियों के करों में भारी असमानता है। केन्द्रीय सरकार ने मोटर गाड़ियों पर उक्त करों में एकरूपता लाने के प्रश्न पर विचार

करने के लिए और कर लगाते समय राज्यों द्वारा अपनाये जाने के लिए दिशा-निदेशों के निर्धारण के बारे में सुझाव देने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है।

गांधी जी विश्वविद्यालय, केरल

4554. **प्रो० पी०जे० कुरियन : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गांधी जी विश्वविद्यालय कोट्टायम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से उसे मान्यता प्रदान किए जाने तथा वित्तीय सहायता के लिए अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सेनेट और सिंडिकेट बनाने के सम्बन्ध में सामान्य नियम निर्धारित किए थे ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) कोट्टायम स्थित गांधीजी विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से किसी प्रकार की मान्यता की जरूरत नहीं है। तथापि आयोग अथवा अन्य केन्द्रीय स्रोतों से सहायता प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा यह विश्वविद्यालय अभी पात्र घोषित किया जाना है ऐसी सहायता प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय को पात्र घोषित करने हेतु केरल सरकार ने आयोग को एक प्रस्ताव भेजा है। प्रस्ताव की जांच करने के बाद आयोग ने राज्य सरकार को सलाह दी है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12-क के अन्तर्गत बनाए गए नियमों में निर्धारित शर्तें राज्य सरकार को पूरी करनी होंगी और गजेन्द्रगडकर समिति द्वारा सिफारिश की गई रूपरेखाओं पर विश्वविद्यालय के अभिशासन के लिए प्रावधान बनाने हेतु उस अधिनियम को अनेक प्रकार से संशोधित किया जाना चाहिए जिसके अन्तर्गत यह विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है।

(ग) और (घ) आयोग ने विश्वविद्यालयों के सीनेट और सिंडिकेट के लिए किसी प्रकार की कड़ी संरचना का सुझाव नहीं दिया है। तथापि गजेन्द्र गड़कर समिति ने इन दोनों निकायों की संरचना के सम्बन्ध में, विभिन्न हितों के लिए दिए जाने वाले प्रतिनिधित्व की सीमा, किस प्रकार से यह प्रतिनिधित्व दिया जाएगा और इन निकायों को दिए जाने वाले अधिकार और इनके कार्यों का उल्लेख करते हुए विस्तृत सिफारिशें की थीं।

विश्वभारती विश्वविद्यालय में छात्र आन्दोलन

4555. **श्री बृजमोहन महंती : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विश्वभारती विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा स्नातकोत्तर छात्रों के लिए अपनाई गई प्रवेश नीति के विरुद्ध विश्वविद्यालय में चल रहे छात्र आन्दोलन की जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ; और

(ग) क्या मतभेदों को दूर करने और विश्वविद्यालय में व्यवस्था लाने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (ग) विश्व-भारती में 1984-85 के दौरान विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिले के मान-दण्डों को अप्रैल, 1984 में अंतिम रूप दिया गया था और उन्हें अधिसूचित किया गया था। इन मान-दण्डों के अनुसार विभिन्न भवनों में दाखिला देश भर के उम्मीदवारों के लिए खुली एक प्रवेश परीक्षा के आधार पर दिया जाना था। छात्रों के एक वर्ग ने इस बात के लिए जोर दिया कि सभी आंतरिक उम्मीदवारों को दाखिले का आश्वासन दिया जाना चाहिए। इस मांग पर जोर देने के लिए छात्रों ने आन्दोलन और घेराव का रास्ता अपनाया। उन्होंने कला भवन में दाखिले के लिए 9 जुलाई, 1984 को होने वाली प्रवेश परीक्षा को रद्द करने के लिए विश्वविद्यालय पर दबाव डाला। इन घटनाओं के फलस्वरूप विश्वविद्यालय ने यह निर्णय लिया कि यदि आन्दोलन वापस न लिया गया तो 25 सितम्बर 1984 तक विश्वविद्यालय बन्द रखा जाएगा। बाद में, विश्वविद्यालय द्वारा यह आश्वासन दिए जाने पर कि कला भवन के योग्य छात्रों को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिला देने के मामले पर उचित विचार किया जाएगा, छात्रों में 14 जुलाई, 1984 से अपना आन्दोलन समाप्त कर दिया और विश्व-विद्यालय अब सामान्य रूप से कार्य कर रहा है।

नागदा में सर्वोदय एक्सप्रेस को रोके जाने की व्यवस्था

4556. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सर्वोदय एक्सप्रेस में उज्जैन के लिए कितना कोटा आरक्षित किया गया है ;

(ख) क्या सरकार का विचार नागदा में सर्वोदय एक्सप्रेस को रोकने की व्यवस्था करने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) उज्जैन रेलवे स्टेशन को 181 डाउन अहमदाबाद — नई दिल्ली सर्वोदय एक्सप्रेस में दूसरे दर्जे की 14 शायिकाओं का आरक्षण कोटा दिया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) चूंकि यह लम्बी दूरी की एक फास्ट गाड़ी है, इसलिए ठहराव देने के कारण गाड़ी का चालन-समय बढ़ जायेगा, जिससे लम्बी दूरी के यात्रियों को असुविधा होगी।

वाली और बेसुरी के छात्रों के विरुद्ध अदालती मामले वापस लेना

4557. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1981 में राजस्थान पाली जिले बाली और देसरी क्षेत्रों के कुछ छात्रों के विरुद्ध

रेलवे मजिस्ट्रेट, आबू के न्यायालय में मुकदमे दायर किए गए थे, जिन्होंने गुजरात के आरक्षण विरोधी आन्दोलन से प्रभावित होकर उसके समर्थन में शान्तिपूर्ण आन्दोलन आरम्भ किया था ;

(ख) यदि हां, तो किस धारा के अन्तर्गत ;

(ग) क्या उन्होंने रेल मन्त्री को एक ज्ञापन दिया है जिसमें उन्हें क्षमा करके रेलवे मजिस्ट्रेट, आबू के न्यायालय से उनके विरुद्ध मुकदमे वापस लेने का अनुरोध किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या उनके भविष्य और अध्ययन में व्यवधान को देखते हुए, उनके द्वारा प्रस्तुत की गई याचिका पर विचार करके मुकदमें वापस लेगी ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

साबुन बनाने में तेलों का प्रयोग

4558. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे देश में कपड़े धोने और नहाने के साबुन प्रत्येक वर्ष का कुल उत्पादन कितना है और इन कच्चे माल के रूप में किस पदार्थ की मुख्य आवश्यकता होती है ;

(ख) क्या बकरे की चर्बी के आयात पर रोक लगाये जाने के बाद साबुन बनाने में चावल की भूसी के तेल और नारियल के तेल का प्रयोग बढ़ गया है जिससे नारियल के तेल की कमी हो गई है और उसकी कीमतें बढ़ गई हैं ;

(ग) यदि हां, तो तेलों का देश में उत्पादन, उनका आयात और साबुन बनाने में उनके प्रयोग सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) सरकार का विचार तेलों के आयात में कमी करने और नारियल के तेल की कीमतें नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाने का है ?

वाणिज्य, उद्योग तथा पूर्ति विभाग मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) संगठित क्षेत्र का कपड़े धोने तथा नहाने के साबुन का वार्षिक उत्पादन क्रमशः 1,46,558 मी० टन और 2,18,120 मी० टन है। लघु क्षेत्र का कपड़े धोने का साबुन का अनुमानित वार्षिक उत्पादन 6,50,000 मी० टन है। साबुन के उत्पादन के लिए मुख्य कच्ची सामग्री तेल और चर्बी है।

(ख) चावल की भूसी से निकले तेल तथा नारियल के बीच मूल कीमत में पर्याप्त अन्तर होने के कारण साबुन का उत्पादन करने के लिए चावल की भूसी से निकले तेल के उपयोग में वृद्धि हुई है। तथापि, नहाने के साबुन का उत्पादन करने के लिए नारियल के तेल कम मात्रा में उपयोग किया जा रहा है।

(ग) और (घ) पिछले 3 वर्षों के दौरान से निकले तेल का देशीय उत्पादन नीचे दिया गया है :—

वर्ष	उत्पादन (मी० टनों में)
1981	1,30,000
1982	1,40,000
1983	1,70,000

सरकार ने साबुन उद्योग की आवश्यकता को पूरा करने के लिए वर्ष 1984-85 के दौरान 1,00,000 मी० टन पाम स्टीयराईन पाम फैटी एसिड डिस्टीलेट और स्पिल्ट पास स्टीयराईन फटी एसिड का आयात करने के लिए राज्य व्यापार निगम को पहले ही प्राधिकृत कर दिया है। सरकार द्वारा चावल की भूसी से निकले तेल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सभी प्रयत्न किये जा रहे हैं ताकि तेलों के आयात को कम किया जा सके। इन अभ्युपायों से नारियल तेल की उपलब्धता तथा कीमतों पर दबाव कम होने की भी आशा है।

उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए दी गई धनराशि

4559. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास कार्यों के लिए दी गई धनराशि अपेक्षाकृत कम है और स्वीकार की गई कुल राशि में से केवल 50 प्रतिशत राशि उपलब्ध की गई है और उपयोग की गई तथा 50 प्रतिशत राशि छठी पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष के दौरान दी जायेगी ;

(ख) यदि हां, तो धनराशि की कटौती किए जाने के क्या कारण हैं और तत्सम्बन्धी विभिन्न कार्यों के लिए शेष धनराशि उपलब्ध कराने हेतु क्या उपाय किए जाएंगे ; और

(ग) उक्त राज्य ने कितनी धनराशि का प्रस्ताव भेजा था और उसे कार्यक्रम-वार कितनी धनराशि दी गई है और कितनी दी जायेगी, तथा आबंटित धनराशि में से अब तक क्या काम आरम्भ किया गया है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री जिया उर्रहमान अंसारी) : (क) से (ग) छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) में पूरे देश के राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए एक मुश्त धन की व्यवस्था है। इसमें राज्यवार धन के आबंटन की व्यवस्था नहीं है। विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए वर्षवार आधार पर धन का आबंटन किया जाता है। इस आबंटन में जिन निर्माण कार्यों पर काम चल रहा है, राज्य द्वारा धन की आकलित जरूरत, उनकी अनुज्ञेयता और किसी खास वर्ष में कुल उपलब्ध धन जैसे विभिन्न मुद्दों को ध्यान में रखा जाता है किसी भी राज्य को उस राज्य के पूरे राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए एक मुश्त धन दिया जाता है न कि कार्यक्रम वार या किसी खास राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए। उड़ीसा सरकार ने जितनी राशि मांगी और उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए उनको छठी पंचवर्षीय योजना में जितनी वास्तविक धनराशि आबंटित की गई, वह निम्नलिखित है :—

वर्ष	मांगी गई धनराशि	आबंटित धनराशि	राष्ट्रीय राजमार्गों पर वास्तविक रूप से खर्च की गई राशि
1980-81	521.78	370.00	374.13
1981-82	576.52	380.00	383.11
1982-83	508.25	450.00	436.54
1983-84	591.12	497.20	497.89
1984-85	741.75	565.00 (आबंटित)	—

उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 43 पर कमजोर और तंग पुलियों का पुनर्निर्माण करने का प्रस्ताव

4560. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने किसी कम्पनी की भारी मशीनों के परिवहन के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 43 के 417 कि० मी० से 473 किलोमीटर तक के भाग के ज्यामितीय सुधार आदि सहित कमजोर और तंग पुलियों के पुनर्निर्माण का प्रस्ताव भेजा है ; और

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय द्वारा आवश्यक धन को जारी करने के बारे में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) राज्य के लोक निर्माण विभाग ने राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 43 के कि० मी० 437/0 से 473/2 तक के भाग में मोड़ों आदि के और कमजोर और तंग पुलियों के पुनर्निर्माण के लिए 77.31 लाख रु० की राशि के व्यय का अनुमान भेजा है जिसकी जांच की जा रही है। तकनीकी जांच पूरी हो जाने के बाद प्राक्कलन को मंजूरी दी जाएगी और कुल धन को उपलब्ध होने के आधार पर राज्य सरकार को आवश्यक धन दिया जाएगा।

भूतपूर्व संसद सदस्यों को चिकित्सा आधार पर मानद पास देना

4561. **श्री रामविलास पासवान** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संसद के कुछ भूतपूर्व सदस्यों को चिकित्सा और अन्य आधारों पर रेलवे के प्रथम श्रेणी के मानद पास दिए गए थे ; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और ऐसे कितने पास जारी किए गए थे और जिनको जारी किए गए थे उनके नाम क्या हैं और उक्त पास जारी करने सम्बन्धी जून, 1984 तक कितने आवेदनों को अस्वीकार किया गया था ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) भूतपूर्व सांसदों सहित गैर रेल कर्मचारियों को मानार्थ कार्ड/चैक पास प्रत्येक मामले के अपने अलग-अलग गुण-दोष के आधार पर जारी किए जाते हैं। भूतपूर्व सांसदों को चिकित्सा तथा अन्य कारणों से उक्त पासों को जारी करने के लिए बहरहाल अलग से कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है क्योंकि आमतौर पर उनकी गिनती गैर-रेल कर्मचारियों की कोटि में कर ली जाती है।

मालदा और अन्य रेलवे स्टेशनों पर स्टेडियम

4562. **श्री सूरज भान :**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मालदा, जहां पर लगभग 600 से अधिक रेलवे कार्य दल नहीं है वहां पर लगभग 54 लाख रुपये की लागत से रिकार्ड समय में प्रचुर मात्रा में रोशनी युक्त स्टेडियम तैयार किया गया है ;

(ख) जोन-वार कितने रेलवे स्टेशनों में उतनी अथवा उससे अधिक संख्या में रेलवे कार्य-बल के कर्मचारी थे और उनको कितने स्टेडियम प्रदान किए गए हैं ;

(ग) गत 12 महीनों के दौरान मालदा स्थित स्टेडियम का क्या वास्तविक उपयोग किया गया है ; और

(घ) उक्त स्टेडियम के रखरखाव पर मासिक कितना व्यय होता है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० गनी खान चौधरी) : (क) मालदा में एक आउटडोर स्टेडियम तथा एक इंडोर स्टेडियम निर्माणाधीन है। आउटडोर स्टेडियम की स्वीकृत लागत 20 लाख रुपये है। इंडोर स्टेडियम को शुरू में 10 लाख रुपये की लागत पर मंजूरी दी गयी थी जिसमें से खेलकूद मन्त्रालय द्वारा 5 लाख रुपये की राशि अनुदान के रूप में दी गयी है। इनमें से किसी भी स्टेडियम में फ्लड लाईटिंग की व्यवस्था नहीं है और अभी कोई भी स्टेडियम बन कर तैयार नहीं हुआ है। मालदा में रेल कर्मचारियों और अधिकारियों की वर्तमान संख्या 2500 से अधिक है।

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ) चूंकि अभी दोनों स्टेडियम निर्माणाधीन हैं, इसलिए पिछले 12 महीनों में इनके उपयोग के प्रयोजन तथा इनके अनुरक्षण पर खर्च करने का प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में राक फास्फेट पर आधारित उद्योग

4563. **श्री दलीप सिंह भूरिया** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार में राक फास्टफेट पर आधारित उद्योग लगाने हेतु आशय-पत्र जारी करने के लिए कुछ उद्योगपतियों के आवेदन पत्र अपनी सिफारिशों के साथ केन्द्र सरकार को भेजे हैं ; और

(ख) यदि हां तो, इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई की गई है ?

वाणिज्य उद्योग तथा पूर्ति विभाग मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) और (ख) विभिन्न पार्टियों से सिंगल सुपरफास्फेट, जिसके लिए राक फास्फेट एक प्रमुख कच्ची सामग्री है, बनाने के हेतु उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन लाइसेंसों की स्वीकृति के लिए केन्द्र सरकार को आवेदन प्राप्त हो रहे है। मध्य प्रदेश सरकार सहित सम्बन्धित राज्य सरकारें इन आवेदनों के सम्बन्ध में अलग-अलग अपनी सिफारिशें भेज रही हैं। अप्रैल, 1984 में, देश में सिंगल सुपरफास्फेट बनाने के लिए नई क्षमता के लिए लाइसेंस देने सम्बन्धी प्रश्न की जांच की गई थी और मध्य प्रदेश राज्य में सिंगल सुपरफास्फेट तथा सल्फ्युरिक एसिड के लिए क्षमता स्थापित करने हेतु जून-जुलाई, 1984 में 4 आशयपत्र स्वीकृत किए गए थे।

संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का सम्मेलन

4564. **श्री के० प्रधानी** :

श्री संतोष मोहन देव :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक केन्द्रीय मन्त्री के नेतृत्व में एक भारतीय शिष्टमंडल ने इस महीने के प्रारम्भ में वियाना में आयोजित, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन के चतुर्थ महासम्मेलन में भाग लिया था ;

(ख) क्या अगुनी (फ्रन्टियर) औद्योगिक सहित और औद्योगिक अंतरण, वित्त के अंतर्राष्ट्रीय अंतरण के सन्दर्भ में व्यापार और सहयोग की शर्तों के सुधार करने की दृष्टि से विकसित देशों के साथ व्यापार और विकासशील देशों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षमताओं तथा ऊर्जा विकास को मजबूत बनाने संबंधी क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की व्यवस्था के सम्बन्ध में किसी मतैक्य के लिए भारत द्वारा प्रयास किया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे और इस सम्मेलन की क्या उपलब्धियां रहीं ?

वाणिज्य, उद्योग तथा पूर्ति विभाग मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) वियना में 2-18 अगस्त, 1984 तक हुए संयुक्त राष्ट्रीय औद्योगिक विकास

संगठन (यूनिडो) के चतुर्थ महासम्मेलन में भारत ने (1) प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण सहित वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकीय क्षमताओं को सुदृढ़ बनाने ; और (2) ऊर्जा एवं औद्योगीकरण, जिसमें पूंजीगत वस्तुओं के विनिर्माण में योगदान और औद्योगिक क्षेत्र की सेवाओं पर विशेष ध्यान देते हुए सर्व सम्मति से संकल्पों को स्वीकृत कराने में जी० 77 के अध्यक्ष के रूप में प्रमुख भूमिका निभाई। इस सम्मेलन में न्यायोचित, निष्पक्ष, समान तथा स्वीकार्य शर्तों के आधार पर विकासशील देशों को प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण करने की मांग की गई है और इसने उभर कर आने वाली नई प्रौद्योगिकी के प्रभाव और ऐसी प्रौद्योगिकी का विकास करने तथा विकासशील देशों को हस्तांतरित किए जाने की आवश्यकता का भी उल्लेख किया है। सम्मेलन ने इसके आगे चुनी हुई प्रौद्योगिकी के लिए संयुक्त रूप से अनुसंधान और विकास करने, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय केन्द्रों में सम्पर्क तथा सहयोग बनाये रखने, विद्यमान संस्थानों के बीच समन्वय रखने और चुनी हुई प्रौद्योगिकी के लिए केन्द्रों की स्थापना करने की आवश्यकता की भी सिफारिश की है। सम्मेलन ने संयुक्त राष्ट्रीय औद्योगिक विकास संगठन से अपनी परियोजना सम्भाव्यता सेवाओं को बढ़ाने, औद्योगिक ऊर्जा से सम्बन्धित परियोजनाओं को तैयार करने में सहायता देने, विकासशील देशों में ऊर्जा के उपकरणों के स्थानीय विनिर्माण को समर्थन प्रदान करने के लिए, नए तथा नवीकरणीय स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त करने में सहायता करने तथा उद्योग में ऊर्जा के उपयुक्त उपयोग तथा इसके साथ-साथ उपयुक्त ऊर्जा प्रौद्योगिकी के निर्धारण में सहायता करने की ओर विशेष ध्यान देने का आग्रह किया।

सम्मेलन विकासशील देशों के औद्योगीकरण के लिए वित्तीय साधनों के संबंध में सर्व सम्मति से संकल्प को स्वीकृत नहीं कर सका। सम्मेलन में "व्यापार" पर एक अलग विषय के रूप में चर्चा नहीं की गयी थी।

ए० के० (एन० जी०) लाइन के सुधार के बारे में तथ्यों का पता लगाने वाली समिति

4565. **श्री गदाधर साहा** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के पूर्वी सैक्शन में ए० के० (एन० जी०) वी० के० लाइन पर (एक) खराब इन्जनों को बदलने (दो) रेल गाड़ियों में डिब्बों की संख्या बढ़ाने (तीन) डीजल इन्जनों के प्रयोग (चार) ए० के० (एन० जी०) लाइन पर दस कलगाम और जननदास कन्द्रा के बीच कुर्मदंगा हाल्ट को स्टेशन में बदलने (पांच) कुर्मदंगा गोपालपुर हाल्टों आदि स्टेशनों पर फाटकों पर चौकीदार की व्यवस्था करने की लोगों की मांग के बारे में तथ्यों का पता लगाने वाली समिति का गठन किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मारुति कार पर वसूल किया जाने वाला सीमा-शुल्क

4566. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मारुति कार के पुर्जों पर वसूल किए जाने वाले सीमा-शुल्क के बारे में

अंतिम निर्णय ले लिया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या अब तक आयात की गई मारुति कारों पर पूरा सीमा शुल्क वसूल किया गया है और यदि हां, तो प्रति कार वसूल किए गए शुल्क का ब्यौरा क्या है और वितरकों को मारुति किस कीमत पर बेची गई है ;

(ग) मारुति द्वारा आयात की जाने वाली बेची जाने वाली प्रत्येक वातानुकूलित कार पर वसूल किया जाने वाला सम्भावित सीमा शुल्क क्या होगा ; और

(घ) क्या प्रत्येक कार पर मारुति को हुए घाटे को सरकार ने स्वीकृति दे दी है ?

वाणिज्य, उद्योग तथा पूर्ति विभाग मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) पेट्रोल चालित ईंधनक्षम कारों और दुपहियों के हिस्से पुर्जों का आयात सीमा शुल्क की रियायती दर पर स्वीकृत चरणबद्ध निर्माण कार्यक्रम के अनुसार किया जा सकता है। मारुति उद्योग लिमिटेड भी इन रियायतों के लिए पात्र हैं।

(ख) और (ग) मारुति उद्योग लिमिटेड कारों का आयात नहीं कर रहा है। यह ईंधनक्षम कारों के हिस्से पुर्जों पर लागू दरों पर सीमा शुल्क का भुगतान करके कारों के निर्माण हेतु अपेक्षित कुछ हिस्से पुर्जों का आयात कर रहा है। मारुति कार का कारखाने से निकलते समय का मूल्य 47,500 रु० है जिसमें स्थानीय कर और परिवहन प्रभार शामिल नहीं हैं।

(घ) यद्यपि परियोजना रिपोर्ट में आरम्भिक वर्षों में हानियों की परिकल्पना की गई थी लेकिन मारुति उद्योग लिमिटेड ने 1983-84 में मामूली सा लाभ कमाया और इसे 1984-85 में हानिरहित स्थिति में पहुंचने की आशा है।

फायर प्रोटेक्शन डोरी का उत्पादन

4567. **श्री बालकृष्ण वासनिक** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संपूर्ण देश में प्रोटेक्शन डोर्स/फायर प्रूफ डोर्स निर्माताओं/उत्पादों के पास कुल कितनी स्थापित क्षमता मौजूद है तथा ऐसे प्रत्येक उत्पादकों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या अभी भी फायर डोर्स अथवा फायर प्रोटेक्शन शटर्स के वर्तमान उत्पादन की, इस प्रकार के सामान्य अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के डोर्स जो कि फायर अवरोध को रोकने के लिए विभिन्न उद्योगों में प्रयोग होते हैं, से तुलना नहीं की जा सकती है ;

(ग) क्या सरकार ने टैक्नोलोजीकल विकास के लिए कोई कदम उठाए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य, उद्योग तथा पूर्ति विभाग मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) संगठित क्षेत्र में अग्निरोधी दरवाजे बनाने के लिए मैसर्स माथर एण्ड प्लाट लिमिटेड नामक एकमात्र एकक को लाइसेंस

दिया गया है अत: उसकी लाइसेंस प्राप्ति क्षमता 420 नग प्रति वर्ष है। किन्तु, संगठित क्षेत्र में कुछ एकक भी, जिनके पास स्टील के फर्नीचर तथा सुरक्षा सम्बन्धी उपकरण बनाने हेतु लाइसेंस प्राप्त/स्वीकृत क्षमता है, स्टील फर्नीचर और सुरक्षा सम्बन्धी उपकरण बनाने के लिए स्वीकृत की गई अपनी क्षमता में अग्नि सुरक्षा दरवाजे/अग्निरोधी दरवाजे बना रहे है। अग्निसुरक्षा दरवाजे/अग्निरोधी दरवाजे बनाने के लिए उन्हें अलग से कोई क्षमता स्वीकृत नहीं की गई है।

(ख) से (घ) मानकीकरण के अन्तर्राष्ट्रीय संगठन ने अग्निसुरक्षा के लिए अभी तक कोई भी मानक तैयार नहीं किया है। किंतु, भारतीय मानक संस्थान ने उद्योग के मार्ग दर्शन के लिए पार्ट-1 प्लेट, धातु आच्छिदत तथा रोलिंग टाइप अग्निरोधी दरवाजों के लिए आई० एस० 3614 (पार्ट-1)—1966 नामक मानक तैयार किया है।

आन्ध्र प्रदेश में स्वरोजगार योजना का क्रियान्वयन

4568. **श्री जी० नरसिन्हा रेड्डी** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983-84 में "बेरोजगार शिक्षित युवकों के लिए स्वरोजगार योजना" के अन्तर्गत कितने लाभार्थियों का चयन किया गया और प्रत्येक राज्य में कितनी योजनाएं ठप्प हो गयीं और उनके लिए कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई थी ;

(ख) लाभार्थियों का चयन करने वाली प्राधिकारी कौन थे और चयन का मापदण्ड क्या था ;

(ग) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार इस योजना का क्रियान्वयन नहीं कर रही है और इस योजना के लिए आबंटित धनराशि का इपयोग राज्य सरकार द्वारा घोषित "ग्रामोद्योग" योजना के क्रियान्वयन में किया जा रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार केन्द्रीय योजना के क्रियान्वयन के लिए क्या कदम उठाना चाहती है और उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने इस धनराशि का अन्य कार्यों में उपयोग किया है ?

वाणिज्य, उद्योग तथा पूर्ति विभाग मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) लाभग्राहियों के चयन तथा ऋण सम्बन्धी आवेदनों की जांच करने के बाद उन्हें सिफारिश करते हुए वाणिज्यिक बैंकों को भेजने का कार्य जिला उद्योग केन्द्र कृतिक बलों द्वारा किया गया था जिसके सदस्य जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र के ऋण प्रबंधक, अग्रणी (लीड) बैंक के प्रतिनिधि जिला रोजगार अधिकारी तथा लघु उद्योग सेवा संस्थाओं के प्रतिनिधि हैं। लाभग्राहियों के लिए यह आवश्यक है कि वे मैट्रिकुलेट (दसवीं कक्षा या अधिक पास) हों, 18 से 35 वर्ष की आयु वर्ग में हों, तथा 1981 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों को छोड़कर अन्यत्र किसी भी स्थान के स्थान के निवासी हो।

(ग) तथा (घ) शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार उपलब्ध करने की योजना आन्ध्र प्रदेश की सरकार द्वारा "ग्रामोदय" के नाम से तैयार की गई थी और इसे समूचे राज्य में लागू किया गया था।

विवरण

स्वरोजगार के लिए नई योजना के संदर्भ में 31-3-84 तक की प्रगति

क्रम सं०	राज्य/संघ क्षेत्र का नाम	जिला उद्योग केन्द्र कृतिक बलों द्वारा जांचे गए तथा सिफारिश करके बैंकों को भेजे गए आवेदन की संख्या		बैंकों द्वारा मंजूर किए गए आवेदनों की संख्या।	
		संख्या	राशि (लाख रु० में)	संख्या	राशि (लाख रु० में)
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	25401	5239.00	14781	2936.00
2.	असम	10944	484.41 (क)	8021	1540.44
3.	बिहार	36766	6924.79	14230	2278.64
4.	गुजरात	19585	3014.70	10497	1538.88
5.	हरियाणा	9682	1633.75	6189	998.99
6.	हिमाचल प्रदेश	6126	1121.10	2465	449.69
7.	जम्मू और काश्मीर	2399	520.46 (ख)	1416	287.95 (ग)
8.	कर्नाटक	27667	3045.00	12307	1960.00
9.	केरल	20967	3299.00	13091	2110.00
10.	मध्य प्रदेश	39243	6464.71	18786	2857.80
11.	महाराष्ट्र	52009	7634.64	24579	4024.28
12.	मणिपुर	1462	291.78	991	179.82
13.	मेघालय	632	145.16	353	75.09
14.	नागालैंड	253	49.70	189	39.25
15.	उड़ीसा	9722	2074.64	6823	1368.62
16.	पंजाब	15856	3089.32	9047	1689.60

1 2	3	4	5	6
17. राजस्थान	23414	3983.46	15054	2365.30
18. सिक्किम	28	6.85	15	3.65
19. तमिलनाडु	33472	5057.00	21247	3316.00
20. त्रिपुरा	962	135.05	696	97.33
21. उत्तर प्रदेश	47585	7135.07	36857	5382.85
22. पश्चिम बंगाल	41967	8478.19	23680	4481.92
23. अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह	112	25.31	66	15.22
24. अरुणाचल प्रदेश	62	12.46	36	6.91
25. चण्डीगढ़	599	100.62	325	56.50
26. दादरा और नागर हवेली	174	32.30	54	10.71
27. गोवा, दमन और द्विव	—जिला उद्योग केन्द्र अभी कार्य नहीं कर रहा—			
28. मिजोरम	179	14.35	196	42.61
29. पाण्डिचेरी	470	46.00	414	40.00
कुल योग	427738	70128.92	242405	40154.05

(क) राशि 2356 आवेदनों के लिए

(ख) राशि 2390 आवेदनों के लिए

(ग) राशि 1389 आवेदनों के लिए

आर्य समाज रोड, दिल्ली में स्कूटरों की खरीद और बिक्री

4569. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में आर्य समाज रोड पर स्कूटरों की खरीद और बिक्री का व्यापार बढ़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या स्कूटरों की खरीद और बिक्री का व्यापार प्राधिकृत और कानून सम्मत है ; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का गैर-कानूनी व्यापार को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य, उद्योग तथा पूर्ति विभाग मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) यद्यपि इस प्रकार की क्रय-विक्रय की सम्भावनाओं से इन्कार नहीं किया जा सकता है लेकिन इसके सम्बन्ध में सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है। दुपहिया वाहन (पुन: बिक्री पर प्रतिबन्ध) आदेश, 1981 के अधीन स्कूटरों की प्रथम खरीद के दो वर्षों के अन्दर पुन: बिक्री पर प्रतिबंध है।

(ग) जब भी कानून के उल्लंघन का कोई मामला जानकारी में आता है तो कानून के अन्तर्गत उपयुक्त कार्रवाई की जाती है। इसके साथ ही सरकार ने मांग और पूर्ति के बीच अन्तर को पूरा करने के लिए स्कूटरों का उत्पादन बढ़ाने हेतु कदम उठाए हैं।

'भेल' द्वारा अर्जित लाभ

4570. **श्री बाबूराव परांजपे** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) ने अपनी 1983-84 की कार्य निष्पादन रिपोर्ट में 60 करोड़ रुपये के लाभ की घोषणा की है : और

(ख) यदि हां, तो इसके एकक-वार और उत्पाद-वार आंकड़े क्या हैं ?

वाणिज्य, उद्योग तथा पूर्ति विभाग मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) बी० एच० ई० एल० ने बताया है कि 1983-84 का अन्नतिम लाभ 66 करोड़ रु० है। लेखों की लेखा-परीक्षा अभी भी चल रही है। उत्पाद-वार लाभ के आंकड़ों को अभी अन्तिम रूप दिया गया है। एकक-वार अन्नतिम लाभ का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

	रुपए करोड़ों में
भोपाल	15.6
हरिद्वार	5.0
हैदराबाद	13.8
तिरूचि/एस० एस० टी० पी०	23.2
बंगलौर समूह	3.8
बिजली तथा उद्योग खंड समूह	5.4
झांसी	0.1
सी० एफ० एफ० पी०/हरिद्वार	0.1
जगदीशपुर	(—) 1.0
योग	66.0

"भेल" द्वारा आयात और निर्यात

4571. **श्री बाबूराव परांजपे** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड (भेल) ने गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष करों, शुल्कों आदि सहित कुल कितने रुपए मूल्य का आयात किया तथा उन 25 शीर्ष विदेशी कम्पनियों के नाम क्या है जिनसे "भेल" ने अधिकतम माल का आयात किया और प्रत्येक कम्पनी से कुल कितने रुपये का माल आयात किया गया ; और

(ख) "भेल" द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में कुल कितने रुपये मूल्य के निर्यात आर्डर प्राप्त किए ?

वाणिज्य, उद्योग तथा पूर्ति विभाग मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) बी० एच० ई० एल० के पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार आयात बिल इस प्रकार हैं :—

	करोड़ रुपए में
1981-82	352
1982-82	402
1983-84	348

25 विदेशी संभरकों के सम्बन्ध में अपेक्षित विस्तृत ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) बी० एच० ई० एल० द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त किए गए निर्यातक्रयादेशों का कुल मूल्य वर्षवार इस प्रकार है :—

	करोड़ रुपए में
1981-82	22.03
1982-83	10.50
1983-84	2.14

विवरण

1981-82 के लिए 25 प्रमुख विदेशी सप्लायर

क्रमांक	सप्लायर	देश	मूल्य लाख रुपए में आयात का सी० आई० एफ० मूल्य
1	2	3	4
1.	मै० क्राफट वर्क यूनियन, ए० जी०	पश्चिम जर्मनी	2206
2.	मै० थाइसन	पश्चिम जर्मनी	1678

1	2	3	4
3.	मे० सुमिटमों	जापान	1328
4.	मै० प्रोमेशएक्सपोर्ट	रूस	1143
5.	मै० सेल आयात प्रभाग कलकत्ता (सरणी बद्ध एजेसी)	भारत	878
6.	मै० ब्रिटिश स्टील कारपोरेशन	ब्रिटेन	603
7.	मै० कमबस्टन इजीनियरिंग	यू० एस० ए०	519
8.	मै० निशो इवई	जापान	507
9.	मै० सीमेन्स	पश्चिम जर्मनी	461
10.	मै० मितसुबिशी	जापान	458
11.	मै० के० के० के०	पश्चिम जर्मनी	318
12.	मै० नोबो सोसाइटी इटेलिआना	इटली	289
13.	मै० सकोडा एक्सपोर्ट	सी० एस० एस० आर०	276
14.	मे० मितसुई कारपोरेशन	जापान	276
15.	मै० वाइथ टर्बो	पश्चिम जर्मनी	272
16.	मै० मइवा टेड्रिंग कारपोरेशन	जापान	216
17.	मै० फैरोमेट कारपोरेशन	सी० एस० एस० आर०	204
18.	मै० वैलोरेक एक्सपोर्ट	फ्रांस	194
19.	मै० वायर्स पम्प	यू० के०	176
20.	मै० मैरुबेनी कारपोरेशन	जापान	168
21.	मै० टेक्नोप्रोम	यू० एस० एस० आर०	162
22.	मै० सुल्जर ब्रादर्श	स्विस	159
23.	मै० टोयो मेन्का केशा	जापान	157
24.	मै० मैरिक स्केल मैन्युफैक्चरिंग	यू० एस० ए०	129
25.	मै० सैलजिगटर	पश्चिम जर्मनी	125
	योग	रुपए	12902

1982-83 के लिए प्रमुख 25 विदेशी सप्लायर

क्रमांक	सप्लायर	देश	मूल्य : लाख रु० में आयात का सी० आई० एफ० मूल्य
1.	मे० सुमिटोमो कारपोरेशन	जापान	2568
2.	"एस० ए० आई० एल० आयात प्रभाग, कलकत्ता (सरणीबद्ध एजेन्सी)	भारत	1473
3.	थाईसन	पश्चिमी जर्मनी	1279
4.	प्रोमासएक्सपोर्ट	रूस	1229
5.	जोन ब्राउन इन्जी० कम्पनी	यू० के०	1118
6.	क्राफ्ट वर्क यूनियन, ए० जी०	पश्चिम जर्मनी	825
7.	निशो हवाई कारपोरेशन	जापान	634
8.	नोवो सोसाइटी इटेलियन	इटली	590
9.	मित्सुबिशी कारपोरेशन	जापान	576
10.	फैरोमेट कारपो०	सी०एस०एस०आर०	454
11.	कम्बश्टन इन्जी० कम्पनी	यू० एस० ए०	444
12.	मितसुई कारपोरेशन	जापान	391
13.	वायर्स पम्प	यू० के०	373
14.	मेवा ट्रेडिंग कारपो०	जापान	353
15.	मैनेसमेनन	प० जर्मनी	352
16.	स्कोडाएक्सपोर्ट	सी०एस०एस०आर०	304
17.	सुल्जर ब्रदर्स	स्विस	296
18.	वैल्लोरक एक्सपोर्ट	फ्रांस	282
19.	मैरुबैनी कारपोरेशन	जापान	252
20.	स्टोक इक्विपमैंट कम्पनी	यू० एस० ए०	251
21.	टेक्नोप्रोम	यू०एस०एस०आर	238
22.	ब्रिटिश स्टील कारपोरेशन	यू० के०	233
23.	सीमेंस	प० जर्मनी	199
24.	इम्पोर्ट एण्ड एक्सपोर्ट	रोमानिया	192
25.	वायथ टरबो	प० जर्मनी	189
		योग :	15095

1983-84 के लिए प्रमुख 25 विदेशी सप्लायर

क्रमांक	सप्लायर	देश	आयात का सी० आई० एफ० मूल्य
1.	मैसर्स सुमिटोमो कारपो०	जापान	1661
2.	क्राफ्ट वर्क यूनियन	प० जर्मनी	1290
3.	सेल इम्पोर्ट डिवीजन. कलकत्ता (सारणीबद्ध एजेन्सी)	भारत	930
4.	कम्बशटन इन्जीनियरिंग	यू० एस० ए०	753
5.	थाईसन	प० जर्मनी	634
6.	निशो इवई	जापान	500
7.	प्रोमासएक्सपोर्ट	यू०एस०एस०आर०	489
8.	कैटरोपाइलर	हांगकांग	396
9.	सीमेन्स	प० जर्मनी	356
10.	ब्रिटिश स्टील कारपो०	यू० के०	304
11.	मैरुबैनी	जापान	273
12.	मितसुई	जापान	262
13.	डयुश बैंबकाक	प० जर्मनी	247
14.	टेक्नोप्रोम	यू०एस०एस०आर०	243
15.	मेटल इम्पोर्ट एण्ड एक्सपोर्ट	रोमानिया	229
16.	एन० जी० के०	जापान	195
17.	वायथ टर्बो	प० जर्मनी	190
18.	जी०एच०एच० स्टरकरडेक टेन्ज	प० जर्मनी	188
19.	ई० वी० टी०	प० जर्मनी	183
20.	जी० ई० सी०	यू० एस० ए०	159
21.	ऐस आयलवैल	यू० एस० ए०	159
22.	मैनेसमेनन	प० जर्मनी	154
23.	टोयो मेनका केशा	जापान	148
24.	फैरोमैट कारपोरेशन	सी०जी० एस० आर०	147
25.	ब्रैनहाम इण्डस्ट्रीज	यू० एस० ए०	141
		योग :	10204

औद्योगिक वैल्बों का निर्माण

4572. **श्री दिगम्बर सिंह : क्या उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक वैल्बों (एल० पी० वाल्वस को छोड़कर) को स्वदेश में ही बनाने सम्बन्धी वर्तमान नीति क्या है ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान और औद्योगिक वैल्बों के निर्माण के लिए स्वीकृत विभिन्न आशय पत्रों औद्योगिक लाइसेंसों और विदेशी सहयोगों का ब्यौरा क्या है ; तत्सम्बन्धी कम्पनियों के नाम क्या हैं ; उनकी निर्माण क्षमता कितनी है और यदि उनके मन्त्रालय के विचाराधीन उनके विस्तार का कोई प्रस्ताव है तो वह क्या है ; और

(ग) इन वैल्वों के निर्माण के लिए विचाराधीन वर्तमान आवेदनों का ब्यौरा क्या है और उनमें से प्रत्येक में कितनी उत्पादन क्षमता को बनाने का आवेदन किया गया है ?

वाणिज्य, उद्योग तथा पूर्ति विभाग मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) औद्योगिक वाल्वों की बहुत किस्में हैं। नए एककों के साथ-साथ विद्यमान एककों में विस्तार करके नई क्षमताओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

(ख) 1981 से लेकर पिछले तीन वर्षों के दौरान इसके विनिर्माण के लिए 17 मामलों को स्वीकृति प्रदान की गई है। उद्योग (विकास तथा विनियमन) के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी किए जाने वाले सभी आशय-पत्रों एवं औद्योगिक लाइसेंसों के सम्बन्ध में ब्यौरे जैसे उपक्रम का नाम और पता, उत्पादक क्षमता और स्थापना स्थल आदि भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा अपने मन्थली न्यूज लेटर में प्रकाशित किए जाते हैं। इस प्रकाशन की प्रतियां नियमित रूप से संसद पुस्तकालय को भेजी जाती हैं।

(ग) इस समय औद्योगिक वाल्वों के विनिर्माण के लिए आशय पत्र की स्वीकृति हेतु कुछ आवेदन-पत्र सरकार के विचाराधीन हैं। जब तक इन आवेदन-पत्रों के सम्बन्ध में निर्णय नहीं हो जाता इनके ब्यौरे बताना जन-हित में नहीं होगा।

एम० फिल और पी० एच० डी० पाठ्यक्रम

4573. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यह निर्धारित किया है कि एम० फिल० और पी० एच० डी० के लिए प्रत्येक को प्रारम्भिक परीक्षा देनी होगी।

(ख) यदि हां, तो वे कौन से विषय हैं जिनके लिए यह लागू किया जाएगा ;

(ग) क्या यह भी सच है कि यद्यपि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग छात्रवृत्तियां देता है फिर भी विश्वविद्यालय, निरीक्षण और मार्ग निर्देशन के लिए अच्छी योग्यता के अध्यापक उपलब्ध कराने में प्रायः असमर्थ रहे हैं जिनके परिणामस्वरूप विश्वविद्यालयों से निकलने वाले छात्र कम योग्यता वाले अथवा महत्वहीन होते हैं ; और

(घ) यदि हां, तो पी० एच० डी० की परीक्षा अच्छे अध्यापकों द्वारा लिए जाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों की राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, आयोग ने, उनके द्वारा स्थापित जूनियर अनुसंधान अधिछात्र-वृत्तियां प्रदान करने के लिए एक परीक्षा आयोजित करने का निर्णय किया है। यह परीक्षा 12 विषयों अर्थात भौतिकी, रसायन शास्त्र, गणित, जीवन-विज्ञान, भूगोल, भू-विज्ञान, समाज विज्ञान, दर्शनशास्त्र अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान और इतिहास में की जा रही है।

(ग) और (घ) विश्वविद्यालयों में शिक्षण और अनुसंधान की कोटि में सुधार करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वि० अ० आ० अधिनियम के अन्तर्गत उन अर्हताओं का उल्लेख करते हुए विनियम निर्धारित किए हैं, जो विश्वविद्यालयों में शिक्षण कर्मचारियों के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित होनी चाहिए। इन विनियमों को 1 जुलाई, 1983 से लागू किया गया है। आयोग के विषय पैनल अपने-अपने सम्बन्धित विषयों में अनुसंधान के स्तरों में सुधार के लिए समय-समय पर उपायों की भी सिफारिश करते हैं।

ट्रैक्टर्स (वितरण तथा बिक्री) नियन्त्रण आदेश, 1971 की सूची में सम्मिलित टैक्टर्स

4574. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्रैक्टर्स (वितरण और बिक्री) नियन्त्रण आदेश 1971 की सूची में केवल दो ट्रैक्टरों अर्थात "फोर्ड" तथा "मैसी फर्गुसेन" को ही सम्मिलित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो एच० एम० टी० जीटर, हिन्दुस्तान, स्वाराज, किर्लोस्कर, इण्टरनेशनल तथा ईशर आदि ट्रैक्टरों का उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सूची में सम्मिलित न करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस मामले में अनुसूचित लाभ उठाए जाने की स्थिति को रोकने के लिए उपर्युक्त ट्रैक्टरों को सूची में सम्मिलित करने की वांछनीयता पर विचार करने का कोई प्रस्ताव है।

वाणिज्य, उद्योग तथा पूर्ति विभाग मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) ट्रैक्टर (वितरण तथा बिक्री) नियन्त्रण आदेश, 1971 की अनुसूची 1 में इस समय निम्नलिखित चार ब्राण्डों के ट्रैक्टर शामिल हैं :—

1. मैसी फर्गुसन माडल एन० एफ०-1035
2. टैफे-504
3. फोर्ड-3600
4. मैसी फर्गुसन माडल एम० एफ०-245

(ख) आसानी से उपलब्ध होने के कारण अन्य ट्रैक्टरों की अनुसूची-1 में शामिल नहीं किया गया था;

(ग) सभी ब्राण्डों के ट्रैक्टरों की उपलब्धता में अब काफी सुधार हो गया है। और वितरण नियन्त्रण जारी रखने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

आन्ध्र प्रदेश ड्रग एसोसिएशन द्वारा दिया गया ज्ञापन

4575. **श्री ए० नीलालोहितदसन नाडार** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश ड्रग ट्रेड एसोसिएशन द्वारा सरकार को कोई ज्ञापन दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त ज्ञापन का ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) जी, हां।

(ख) आन्ध्र प्रदेश ड्रग एसोसिएशन ने अपने ज्ञापन में निम्नलिखित मांगें की हैं :—

(1) फार्मेसी अधिनियम की धारा 42 के कार्यान्वयन को स्थगित करना,

(2) औषध नियम 65 (17) (ग) को फिर लागू करना, अथवा

(3) खुदरा तथा थोक विक्रेताओं की बिक्री का सुपरवीजन करने के लिए किसी ऐसे सक्षम व्यक्ति को अनुमति देना जो कम से कम मैट्रिकुलेट हो और जिसे दवाइयों की दुकानों पर काम करने का चार वर्ष का अनुभव हो।

सरकार इस अधिनियम की धारा 42 के प्रवर्त्तन को स्थगित करने के बारे में कोई विचार नहीं कर रही है।

ताप बिजली संयंत्रों के लिए औद्योगिक वाल्व का देश में ही निर्माण

4576. **श्री दिगम्बर सिंह** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विशेष रूप से सरकारी क्षेत्र में ताप बिजली संयंत्रों के लिए औद्योगिक "वाल्व" की आवश्यकताओं को देश में ही पूरा करने हेतु कोई उपाय किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) ऐसे विभिन्न प्रकार के औद्योगिक "वाल्व" कौन से हैं, जिनका विद्युत संयंत्रों में अनिवार्य आवश्यकता के रूप में आयात किया जा रहा है ?

वाणिज्य, उद्योग तथा पूर्ति विभाग मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) और (ख) जी हां। थर्मल पावर संयंत्रों में प्रयोग किए जाने वाले वाल्व कन्ट्रोल वाल्व और औद्योगिक वाल्व (मुख्यत: पाइप लाइन के लिए) होते हैं। कन्ट्रोल वाल्वों की आवश्यकता मे० इन्स्ट्रूमेंटेशन लि०, पालघाट जैसे

देशी स्रोतों से पूरी की जा रही है। इसके अतिरिक्त मे० कल्ट्रोन, मे० कॉन्टिनेन्टल प्लांट एण्ड मशीनरी कंपनी नई दिल्ली, मे० उमा (इण्डिया) लि०, बंगलौर को भी कन्ट्रोल वाल्व बनाने के लिए लाइसेंस दिया गया है। मे० केल्ट्रान के अलावा अन्य सभी ने उत्पादन शुरू कर दिया है। मे० केल्ट्रान मार्च, 1985 तक उत्पादन शुरू कर देंगे।

पाइप लाइनों के लिए औद्योगिक वाल्वों के प्रमुख पूर्तिकर्ता बी० एच० ई० एल०, मे० आडको इण्डिया लि० मे० उमा (इण्डिया) लि० और मे० ड्यूरेन्स मेकेनिल एण्ड कं०, गाजियाबाद हैं।

(ग) अत्यधिक ताप देने (सुपर हीट) के लिए औद्योगिक वाल्वों का आयात किया जाता है जिसकी मात्रा बहुत ही कम है।

ए० एल० आई० एम० सी० ओ०, कानपुर के प्रबन्ध में कर्मचारियों की भागीदारी

4576. **क. श्री मोहम्मद इस्माइल** : क्या **समाज कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत ए० एल० आई० एम० सी० ओ०, कानपुर के प्रबन्ध में कर्मचारियों की भागीदारी सम्बन्धी योजना किस स्तर तक क्रियान्वित की गई हैं ; और

(ख) इस बारे में कितनी प्रगति हुई है और अब तक कर्मचारियों की कितनी समस्याएं हल कर ली गई हैं और कितनी बार बैठकें आयोजित की गई हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) (क) भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर के प्रबन्ध में कर्मचारियों की सहभागिता की योजना 1976 से प्रचलित रही है जिसमें निम्नलिखित परिषदें शामिल थीं :—

(1) **दुकान स्तरीय** दुकान परिषद	—1
(2) **संयंत्र स्तरीय** संयुक्त परिषद	—3

1984 में, प्रबन्ध में कर्मचारियों की सहभागिता की नई योजना के प्रारम्भ करने के पश्चात निम्नलिखित समितियों का गठन किया गया है :—

(i) दुकान स्तरीय समिति (उत्पादन)	—1
(ii) दुकान स्तरीय समिति (सहायक सेवाएं)	—2
(iii) संयत्र स्तरीय समिति (प्रचलन क्षेत्र)	—1

(iv) संयत्र स्तरीय समिति —2
(आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्र)

(v) संयंत्र स्तरीय समिति —3
(कार्मिक मामले,
कल्याण क्षेत्र और
पर्यावरणीय क्षेत्र)

(ख) 1976 की योजना के अन्तर्गत, दुकान परिषद और संयुक्त परिषद की 121 बैठकें हुई। नई योजना, 1984 के अन्तर्गत 3 बैठकें हुई। विभिन्न स्तरों पर परिषदों/समितियों द्वारा सामान्य स्वरूप की समस्याओं पर विचार, विमर्श किया गया जिनका सम्बन्ध मुख्यतः प्रचालन और सेवा मामलों से था।

अनुसूचित जाति कल्याण संघ, नई दिल्ली से अभ्यावेदन

4576-ख. **श्री भीखा भाई : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली अनुसूचित जाति कल्याण संघ (पंजीकृत), अम्बेदकर भवन, नई दिल्ली से दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में मैट्रिक पूर्व स्तरों पर छात्रवृत्ति दरों में संशोधन करके उनको बढ़ाने तथा माता-पिता की आय अधिकतम सीमा बढ़ाने और उसे श्रेणी "क" शहर के दर्जे के आधार पर अन्य राज्यों के बराबर लाने के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति की दरों में बहुत समय पहले संशोधन किया गया था और माता-पिता की आय की 500 रु० प्रति मास की अधिकतम आय-सीमा जीवन निर्वाह लागत की तुलना में बहुत ही अवास्तविक है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों की राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, हां।

(ख) से (ग) मामला विचाराधीन है।

दिनांक 2-8-1984 के अतारांकित संख्या 1603 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने एक अधिसूचना द्वारा औषधियों के विभिन्न ब्राण्डों पर प्रतिबन्ध लगाया है ; (क) नहीं।

(ख) यदि हां, तो औषधियों के ऐसे कौन-कौन से ब्राण्ड हैं और ऐसा करने के कारण क्या हैं ;

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इन प्रतिबन्धित औषधियों के नामों का प्रचार करने के लिए की गई व्यवस्था का ब्यौरा क्या है ;

(ग) केरल उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय, भारत ने इस मंत्रालय को एक निदेश दिया है कि ऐसे ब्राण्ड नामों की सूची जनता के लिए प्रकाशित न की जाए।

(घ) क्या "एस्ट्रोजन" के प्रयोग पर भी प्रतिबन्ध लगाया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा नए लाइसेंस जारी करने के क्या कारण हैं ?

(घ) और (ङ) एस्ट्रोजन मिश्रणों के निर्माण और उनकी बिक्री पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया हैं। इस प्रकार राज्य औषध नियंत्रण प्राधिकारी जो लाइसेंस जारी करने वाले प्राधिकारी हैं, इन मिश्रणों के निर्माण के लिए लाइसेंस जारी कर सकते हैं।

प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर को कृपया इस प्रकार पढ़ा जाए :—

उच्चतम न्यायालय ने इस मंत्रालय को यह निदेश जारी किया है कि ऐसे ब्राण्ड नामों की सूची जनता के लिए प्रकाशित न की जाए।

यह गलती हाल ही में ध्यान में आई है और उत्तर को ठीक करने के लिए तत्काल उपाय किए गए।

12.00

(व्यवधान)

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री, श्री भास्कर राव द्वारा जिन 36 विधान सभा सदस्यों को श्री राम लाल के समक्ष पेश किया गया था, वे नकली थे; क्योंकि उनमें से 31 दिल्ली में उपस्थित थे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने जो उनको कहा है, वही आपको कहूंगा।

(व्यवधान)

श्री सतीश अग्रवाल : कल आपने प्रो० तिवारी को बोलने की अनुमति दी थी। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न पर भी वही बात लागू होती है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जो उन्होंने कहा था, उसी पर आपने कहा है। और वही मेरा रूलिंग है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस तरफ से जो कहा गया, उसी के बारे में श्री सतीश अग्रवाल ने कहा है। उन दोनों को मैंने एक ही बात कही है। इसके लिए हाईकोर्ट है, कानून है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं कुछ नहीं कर सकता। कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री सतीश अग्रवाल ने जो कहा है, सिर्फ वही रिकार्ड पर आएगा, और कुछ नहीं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने हाथ जोड़ कर कह दिया है कि मेरा इससे सम्बन्ध नहीं है। मैं अपना फैसला बदलने वाला नहीं हूं।

(व्यवधान)

श्री दिगम्बर सिंह (मथुरा) : अध्यक्ष महोदय, सरकार रोजाना आश्वासन दे रही है कि वह लैंड एक्वीजीशन (एमेंडमेंट) बिल पास कराने जा रही है, किन्तु वह पास नहीं हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय : वह आ रहा है।

चौधरी मुलतान सिंह (जलेसर) : अध्यक्ष महोदय, आज आपका जन्म-दिन है। मानवीय सदस्य किसानों के बारे में कुछ कह रहे हैं। आप उनकी बात सुन लें।

श्री दिगम्बर सिंह : मैंने इस बारे में एक एजार्नमेंट मोशन दिया है। देश में कौन प्रधान मन्त्री हो, कौन मुख्य मंत्री हो, किस पार्टी का हो, यह बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, जितनी कि किसानों के हित की बात है। किसानों के हित के लिए न तो सरकार ने इस बिल को लाने में जल्दी की है और न ही विरोधी दलों ने मेरे साथ सहयोग करके इसको जल्दी पास कराने की मांग की है। आज आपका जन्म-दिन है। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। कम से कम आज आप इसको पास करा के किसानों को यह उपहार देने की कृपा करें।

**कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : वह आ रहा है । उसको विद ड्रा नहीं किया गया है । हम उसको पास करेंगे ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरा रूलिंग तो बदलने वाला नहीं है ।

(व्यवधान)

12.02 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं और विधि आयोग के प्रतिवेदन

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अन्तर्गत कम्पनी विधि बोर्ड (पीठ)संशोधन नियम, 1984 की एक प्रति(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 1 अगस्त, 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 583 (अ) में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रन्थालय में रखी गई । **देखिए** सं० एल० टी० 8636/84]

(2) भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 28—संविदाओं में चिरकालिक खंड के बारे में विधि आयोग के 97वें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। **देखिए** सं० एल० टी० 8637/84]

(3) "संविधान के अनुच्छेद 19 के अन्तर्गत वाक तथा अभिव्यक्ति स्वातन्त्र्य भारतीय निगमों पर इसका विस्तार करने की सिफारिश" के बारे में विधि आयोग के 101वें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई । **देखिए** सं० एल० टी० 8638/84]

(4) "दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 122 (1) : शांति बनाए रखने के लिए जमानती बन्धपत्र का उल्लंघन करने पर कारावास" के बारे में विधि आयोग के 102वें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई । **देखिए** सं० एल० टी० 8639/84)

मरमुगाओ गोदी श्रमिक बोर्ड के वर्ष 1977-78, 1978-79, 1979-90, 1980-81, 1981-82 और 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन, और विशाखापत्तनम गोदी श्रमिक बोर्ड के वर्ष 1977-78,1978-79, 1979-80, 1981-82 और 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन, आदि

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) मरमुगाओ गोदी श्रमिक बोर्ड के वर्ष 1977-78 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) मरमुगाओ गोदी श्रमिक बोर्ड के वर्ष 1978-79 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(3) मरमुगाओ गोदी श्रमिक बोर्ड के वर्ष 1979-80 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(4) मरमुगाओ गोदी श्रमिक बोर्ड के वर्ष 1980-81 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(5) मरमुगाओ गोदी श्रमिक बोर्ड के वर्ष 1981-82 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(6) मरमुगाओ गोदी श्रमिक बोर्ड के वर्ष 1982-83 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए सं० एल० टी० 8640/84]

(7) विशाखापत्तनम गोदी श्रमिक बोर्ड, के वर्ष 1977-78 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(8) विशाखापत्तनम गोदी श्रमिक बोर्ड के वर्ष 1978-79 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(9) विशाखापत्तनम गोदी श्रमिक बोर्ड के वर्ष 1979-80 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरिक्षित लेखे।

(10) विशाखापत्तनम गोदी श्रमिक बोर्ड के वर्ष 1980-81 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(11) विशाखापत्तनम गोदी श्रमिक बोर्ड के वर्ष 1981-82 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(12) विशाखापत्तनम गोदी श्रमिक बोर्ड के वर्ष 1982-83 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए सं० 8641/84]

(13) कांडला गोदी श्रमिक बोर्ड के वर्ष 1977-78 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(14) कांडला गोदी श्रमिक बोर्ड के वर्ष 1978-79 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(15) कांडला गोदी श्रमिक बोर्ड के वर्ष 1979-80 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(16) कांडला गोदी श्रमिक बोर्ड के वर्ष 1980-81 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(17) कांडला गोदी श्रमिक बोर्ड के वर्ष 1981-82 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(18) कांडला गोदी श्रमिक बोर्ड के वर्ष 1982-83 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए स० एल० टी० 8642/84]

(19) बम्बई गोदी श्रमिक बोर्ड के वर्ष 1977-78 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(20) बम्बई गोदी श्रमिक बोर्ड के वर्ष 1978-79 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(21) बम्बई गोदी श्रमिक बोर्ड के वर्ष 1979-80 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(22) बम्बई गोदी श्रमिक बोर्ड के वर्ष 1980-81 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(23) बम्बई गोदी श्रमिक बोर्ड के वर्ष 1981-82 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(24) बम्बई गोदी श्रमिक बोर्ड के वर्ष 1982-83 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए सं० एल० टी० 8643/84]

(25) मद्रास गोदी श्रमिक बोर्ड के वर्ष 1977-78 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(26) मद्रास गोदी श्रमिक बोर्ड के वर्ष 1978-79 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(27) मद्रास गोदी श्रमिक बोर्ड के वर्ष 1979-80 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(28) मद्रास गोदी श्रमिक बोर्ड के वर्ष 1980-81 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(29) मद्रास गोदी श्रमिक बोर्ड के वर्ष 1981-82 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(30) मद्रास गोदी श्रमिक बोर्ड के वर्ष 1982-83 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखें।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए सं० एल० टी० 8644/84]

(31) कोचीन गोदी श्रमिक बोर्ड के वर्ष 1977-78 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(32) कोचीन गोदी श्रमिक बोर्ड के वर्ष 1978-79 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(33) कोचीन गोदी श्रमिक बोर्ड के वर्ष 1979-80 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(34) कोचीन गोदी श्रमिक बोर्ड के वर्ष 1980-81 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(35) कोचीन गोदी श्रमिक बोर्ड के वर्ष 1981-82 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(36) कोचीन गोदी श्रमिक बोर्ड के वर्ष 1982-83 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(37) उपर्युक्त (5) से (40) तक में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाले 36 विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए सं० एल० टी० 8645/84]

(38) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अन्तर्गत नागालैंड राज्य में स्थित किसी समूचे राष्ट्रीय राजमार्ग के अथवा उसके किसी भाग के विकास या मरम्मत के बारे में भारत सरकार और नागालैंड की सरकार के बीच हुए करार की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए सं० एल० टी० 8709/84]

(39) (एक) सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 35 की उपधारा (3) के अन्तर्गत दिल्ली परिवहन निगम, दिल्ली के वर्ष 1982-83 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखे।

(दो) दिल्ली परिवहन निगम, दिल्ली के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) उपर्युक्त (43) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए सं० एल० टी० 8710/84]

विभिन्न आश्वासनों, वचनों आदि पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : मैं सातवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों पर मंत्रालयों द्वारा की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाला निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं :—

(एक) विवरण सं० 28 तीसरा सत्र, 1980

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी० 8646/84]

(दो) विवरण सं० 24 पांचवा सत्र, 1981

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी० 8647/84]

(तीन) विवरण सं० 18 आठवां सत्र, 1982

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी० 8648/84]

(चार) विवरण सं० 13 दसवां सत्र, 1982

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी० 8649/84]

(पांच) विवरण सं० 11 ग्यारहवां सत्र, 1983

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी० 8650/84]

(छः) विवरण सं० 7 बारहवां सत्र, 1983

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी० 8651/84]

(सात) विवरण सं० 5 तेरहवां सत्र, 1983

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी० 8652/84]

(आठ) विवरण सं० 4 चौदहवां सत्र, 1984

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी० 8653/84]

भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला के वर्ष 1977-78, से 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा और दिल्ली विश्वविद्यालय के वर्ष 1981-82 और 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन, आदि

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री पी० के० थुंगन): मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला, के वर्ष 1977-78 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला, का वर्ष 1978-79 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(तीन) भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला, का वर्ष 1979-80 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(चार) भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला, का वर्ष 1980-81 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(पांच) भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला, का वर्ष 1981-82 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(छः) भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला, का वर्ष 1982-83 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला, के वर्ष 1977-78 से 1982-83 तक के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (1) और (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए सं० एल० टी० 8654/83]

(4) (एक) दिल्ली विश्वविद्यालय के वर्ष 1981-82 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) दिल्ली विश्वविद्यालय के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (48) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) दिल्ली विश्वविद्यालय के वर्ष 1982-83 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (50) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए सं० एल० टी 8655/83]

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

उद्योग मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : मैं उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18क की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं :—

(एक) का०आ० 547 (अ), जो 31 जुलाई, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मैसर्स स्वदेशी काटन मिल्स, कानपुर, पांडिचेरी, उदयपुर आदि के प्रबन्ध-ग्रहण की अवधि को पांच वर्षों से आगे बढ़ाने के बारे में है।

(दो) का०आ० 556 (अ), जो 2 अगस्त, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मैसर्स श्री राम शूगर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, बोब्बिली (आंध्र प्रदेश) के प्रबन्ध-ग्रहण की अवधि को पांच वर्षों से आगे बढ़ाने के बारे में है।

(तीन) का०आ० 558 (अ), जो 2 अगस्त, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मैसर्स श्री राम शूगर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सीतानगरम (आंध्र प्रदेश) के प्रबन्ध-ग्रहण की अवधि को 5 वर्षों से आगे बढ़ाने के बारे में है।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए, संख्या एल०टी० 8656/84]

औषधि और प्रसाधन-सामग्री अधिनियम, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं, नेशनल इन्स्टीच्यूट आफ मेंटल हैल्थ एण्ड न्यूरोसाइंसेज, बंगलौर के वर्ष 1982-83 और भारतीय भेषजी परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की सरकार द्वारा की गई समीक्षा, आदि

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) : मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखती हूं :—

(1) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अन्तर्गत औषधि और प्रसाधन सामग्री (चौथा संशोधन) नियम, 1984 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 2 जुलाई, 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 487 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए, संख्या एल०टी० 8657/84]

(2) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 23 की उपधारा (2) के अन्तर्गत खाद्य अपमिश्रण निवारण (पहला संशोधन) नियम, 1984 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 9 जुलाई, 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 500 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा 18 अगस्त, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 612 (अ) के अंग्रेजी संस्करण का एक शुद्धि-पत्र।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए, संख्या एल०टी० 8658/84]

(3) (एक) नेशनल इन्स्टीच्यूट आफ मेंटल हैल्थ एण्ड न्यूरो साइन्सेज, बंगलौर, के वर्ष 1982-83 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखे।

(दो) नेशनल इन्स्टीच्यूट आफ मेंटल हैल्थ एण्ड न्यूरो साइन्सेज, बंगलौर, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए, संख्या एल०टी० 8659/84]

(5) (एक) भारतीय भेषजी परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1982-83 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखे।

(दो) भारतीय भेषजी परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए, संख्या एल०टी० 8660/84]

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमों के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 603 (अ) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी

संस्करण), जो 10 अगस्त, 1983 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन सभा-पटल पर रखता हूं।

ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए, संख्या एल०टी० 8661/84]

नेशनल बुक ट्रस्ट, इण्डिया, नई दिल्ली के वर्ष 1982-83 के वार्षिक लेखे, कार्यकरण की समीक्षा आदि सम्बन्धी विवरण

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी०के० थुंगन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) नेशनल बुक ट्रस्ट, इण्डिया, नई दिल्ली के वर्ष 1982-83 सम्बन्धी वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(2) नेशनल बुक ट्रस्ट, इण्डिया, नई दिल्ली के वर्ष 1982-83 के लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) नेशनल बुक ट्रस्ट, इण्डिया, नई दिल्ली, के वर्ष 1982-83 सम्बन्धी वार्षिक लेखाओं तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए, संख्या एल० टी० 8662/84]

12.04 म० प०

नियम समिति

बैठकों के कार्यवाही-सारांश

श्री एन० के० शेजवलकर (ग्वालियर) : मैं नियम समिति की, 19 मार्च, 10 अगस्त तथा 7 सितम्बर, 1981, 5 अगस्त, 1982, 18 मार्च, 4 मई तथा 17 अगस्त, 1983 और 7 मार्च तथा 8 अगस्त, 1984 को हुई बैठकों के कार्यवाही-सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

12.04.1/2 म० प०

लोक लेखा समिति

220वां और 224वां प्रतिवेदन

श्री सुनील मैत्रा (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :—

(1) "विभाग द्वारा बट्टे खाते डाली गई राजस्व मांगों" से सम्बन्धित समिति के 15 प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट उसकी सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में 220वां प्रतिवेदन।

(2) "बजट अनुमानों" और वास्तविक आंकड़ों में विभिन्नता से सम्बन्धित समिति 143वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट उसकी सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवा के बारे में 224वां प्रतिवेदन।

12.05 म० प०

याचिका समिति

(एक) 20वां प्रतिवेदन

श्री कृष्ण प्रकाश तिवारी (इलाहाबाद) : मैं याचिका समिति का 20वां प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

(दो) कार्यवाही-सारांश

श्री कृष्ण प्रकाश तिवारी (इलाहाबाद) : मैं याचिका समिति की 27वीं, 32वीं, 33वीं, 37वीं, 41वीं, 42वीं, 48वीं, 52वीं, 60वीं तथा 63वीं से 67वीं तक बैठकों के कार्यवाही-सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

12.06 म० प०

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

(एक) 16वां प्रतिवेदन

श्री पी० वी० जी० राजू (बोबली) : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति का 16वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

(दो) बैठकों के कार्यवाही-सारांश

श्री पी० वी० जी० राजू : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति की 21 अगस्त, 1984 को हुई बैठक के कार्यवाही-सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं।

12.06-1/2 म० प०

लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति

12वां प्रतिवेदन

श्री गुलशेर अहमद (सतना) : मैं लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति का 12वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

(व्यवधान)

श्री के० मायातेवर (डिन्डिगल) : महोदय, आप श्रीलंका के मामले को कब ले रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : आपने ही रोक रखा है, मैं तो कह रहा था। आपने मुझे यह स्थगित करने के लिए कहा था। आपके अनुरोध पर मैंने इसे स्थगित किया था।

श्री के० मायातेवर : क्या आप इसे आज लेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : अब मैं इसे समय आने पर लूंगा। आज रात को भी हम इसे ले सकते हैं।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : कल वोटर्स लिस्ट हिन्दी में नहीं मिली···

अध्यक्ष महोदय : वह है। उनके यहां से हिन्दी में आई हुई है। लेकिन मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं। मैं आपसे सहमत हूं और मैं निर्वाचन आयोग को लिखूंगा।

12.07 म० प०

नियम 338 का निलम्बन

गृह मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा संविधान (53वां संशोधन) विधेयक, 1984 को पुर:स्थापित करने की अनुमति के प्रस्ताव के सम्बन्ध में लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 338 को निलम्बित करती है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :—

"कि यह सभा संविधान (53वां संशोधन) विधेयक, 1984 को पुर:स्थापित करने की अनुमति के प्रस्ताव के सम्बन्ध में लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 338 को निलम्बित करती है।"

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय, मैं इसका विरोध करना चाहता हूं। मैंने एक नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : वह तो आपकी ही राय के मुताबिक किया है। अब आप क्यों अपोज करते हैं ?

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मैंने आपकी इच्छा के अनुसार यह दिया है यही मैं निवेदन करना चाहता हूं। श्री नरसिंह राव द्वारा प्रस्तुत किए गए नियम 338 के निलम्बन,के बारे में···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास जिस-जिसने टाइम से दिया है सबका मेरे पास है।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : हमें आज पत्र नहीं मिले।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको भी निम्बित कर दिया है।

श्री सुनील मैत्रा (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : सदन में आने तक पत्र हमें नहीं मिले थे।

अध्यक्ष महोदय : देखिए, भगवान की कृपा से बरसात हो गई, उसमें गाड़ी फंस गई, नहीं निकल सके तो मजबूरी थी।

मजबूरी में गाड़ी फंस गई रास्ते में बरसात की वजह से तो क्या किया जाए ? यह तो कोई बात नहीं हुई।

यदि आप मिटो ब्रिज में फंस जाते हैं तो आप क्या करेंगे ?

श्री सुनील मैत्रा : वे यह उदाहरण किस प्रकार दे सकते हैं ? (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यह कोई ऐसी ही बात थी।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : महोदय, हम संविधान में संशोधन के विरोधी नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : तो फिर यह क्या है ?

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : सरकार जिस तरीके से यह करने का प्रयास कर रही है मैं उसका जोरदार विरोध करता हूं। कल वह असफल रही क्योंकि उनके सदस्य उपस्थित नहीं थे। मैंने आपको लिखित रूप में दिया है।

अध्यक्ष महोदय : आप इसको चुनौती नहीं दे सकते हैं। मैंने इसे दिया है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : महोदय, मेरा व्यवस्था का भी प्रश्न है। कृपया मुझे अपनी बात कहने की अनुमति दें। मन्त्री महोदय को स्पष्ट करना पड़ा कि यह अत्यन्त महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक सदन में दो तिहाई बहुमत से क्यों नहीं पारित हुआ। सदन में उनके सदस्य क्यों नहीं उपस्थित थे हालांकि विपक्ष के अधिकांश सदस्य उपस्थित थे ? (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : अब आप ऐसा क्यों कर रहे हैं ?

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : महोदय, यह प्रक्रिया नियम हैं। क्या यह सदन सत्तारूढ़ दल के सदस्यों के आलस्य के कारण प्रक्रिया नियमों को तोड़ देगा ? वे केंद्रीय कक्ष में थे लेकिन वे इस सदन में नहीं आ सके।

अब, नियम 338 में कहा गया है :—

> "किसी प्रस्ताव में कोई ऐसा प्रश्न नहीं उठाया जाना चाहिए जो सारवान रूप में उस प्रश्न के समान हो जिस पर सभा उसी सत्र में विनिश्चय कर चुकी है।"

महोदय, कल यह सभा अपना निर्णय दे चुकी है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : यदि सरकार इस बारे में गम्भीर है तो वे सभा का एक अलग सत्र बुला सकते हैं। लेकिन नियमों का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : नियमों के उल्लंघन का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : महोदय, मैं संविधान (संशोधन) विधेयक का समर्थन करता हूं। लेकिन जिस तरीके से सरकार इसे लाई है मैं उसका विरोध करता हूं।

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस विधेयक का सवाल है, मेरा उससे कोई विरोध नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : फिर पास होने दीजिए।

प्रो० अजित कुमार मेहता : लेकिन जिस तरीके से यह पास किया जा रहा है उससे मेरा विरोध है। सबसे बड़ी बात यह है कि सबके समर्थन के बावजूद भी यह विधेयक गिर गया। इस पर सरकार को खेद प्रकट करना चाहिए। अध्यक्ष जी, आपको याद है, जब प्रधान मन्त्री जी यहां सदन में आती हैं तो सारे सदस्य उपस्थित होते हैं, लेकिन इतने महत्वपूर्ण विधेयक पर सारे सदस्य उपस्थित नहीं थे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : महोदय, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं ताकि इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण घटना, जो कल हुई थी, की पुनरावृत्ति न हो। यदि आप इस सुझाव को स्वीकार करते हैं तो यह किया जा सकता है। हमें इस नियम को बदलना चाहिए ताकि जब संविधान संशोधन विधेयक पर सदन में मतदान हो रहा हो और विभाजन की घण्टी बज रही हो और यदि इस इमारत के केन्द्रीय कक्ष में कहीं पर सदस्य उपस्थित हों और वे अपना मतदान देने के लिए सदन में आने की परवाह नहीं करते हैं तो उस दिन के लिए उन्हें अपना दैनिक भत्ता नहीं मिलना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष जी, सरकार को कम से कम खेद प्रकट करना चाहिए। यह घटना एक अच्छी घटना नहीं है।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : महोदय, हम इस नियम के निलम्बन का विरोध नहीं करेंगे। लेकिन शिष्टाचार की मांग है कि मन्त्री महोदय को कल जो कुछ हुआ है उसके लिए अवश्य खेद व्यक्त करना चाहिए। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : श्री ए० के० राय, आप इस प्रस्ताव के लिए संशोधन पेश नहीं कर सकते हैं। यह नियमों के अनुसार नहीं किया जा सकता है। यदि आप चाहें तो आप विरोध कर सकते हैं।

श्री ए० के० राय (धनबाद) : मैं इस प्रस्ताव के अन्त में केवल एक पंक्ति जोड़ना चाहता हूं "और खेद है कि सरकार 50 प्रतिशत अथवा इस सदन की आधी सदस्य संख्या एकत्रित करने में असफल रही..."

अध्यक्ष महोदय : यह नहीं किया जा सकता है।

श्री ए० के० राय : मैं नियमों के अनुसार संशोधन पेश कर सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : यह नियमों के अनुसार नहीं हो सकता है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि यह सभा संविधान (53वां संशोधन) विधेयक, 1984 को पुर:स्थापित करने की अनुमति के प्रस्ताव के सम्बन्ध में लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 338 को निलम्बित करती है।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

———————

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : महोदय, सभा के कार्य को आगे लेने से पूर्व, यदि मुझे आपकी अनुमति प्राप्त हो, मैं पूरे विपक्ष की ओर से आपके सुखमय भविष्य की कामना करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपको बहुत धन्यवाद।

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : अध्यक्ष जी, जो क्वैश्चन्स-आंसर छपते हैं, उनके बारे में एक बात कहना चाहता हूं। आज पांच क्वैश्चन्स लिए गए, इस प्रकार 12 मिनट में एक सवाल हुआ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे आपत्ति नहीं है, मैं आपकी बात से सहमत हूं। जब करते हैं तो मुश्किल पेश आती है, क्या करें। आपके सामने होता है। मैंने चार-चार सप्लीमेंट्री एलाउ किए हैं। इससे ज्यादा नहीं किया है।

श्री हरीश कुमार गंगवार : स्कूटर की धांधले-बाजी के सम्बन्ध में क्वैश्चन नं० 441 इतना बड़ा सवाल था, लेकिन इसको जान-बूझकर रोका गया।···(**व्यवधान**)···

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : महोदय, मैं आपके नोटिस में एक बात लाना चाहता हूं। परसों आपने एक विनिर्णय लम्बित रखा था।

जब मैं बोल रहा था तो श्री फ्रैंक एन्थनी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था और उन्होंने कहा कि न्यायाधीश मिश्र के निर्णय के बारे में, जिसे मैंने उद्धृत किया था, उन्होंने उच्चतम न्यायालय से स्थगनादेश प्राप्त कर लिया है। मैंने इस बारे में जांच की है। निःसन्देह स्थगनादेश दिया गया है लेकिन जब स्थगनादेश दिया जाता है तो केवल आगे की कार्यवाही निलम्बित की जाती है। निर्णय वही का वही है। मुझे निर्णय उद्धृत करने का अधिकार है। इसे कार्यवाही-वृतांत से मत निकालें। अन्यथा जब मैं निर्णय उद्धृत करूंगा तो प्रेस वालों को कठिनाई होगी। आपको इसे कार्यवाही-वृत्तांत से नहीं निकालना है। आप इसे कार्यवाही-वृत्तांत से न निकालें।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर गौर करूंगा। मैं सही स्थिति का पता लगाऊंगा। इसके बाद मैं कार्यवाही करूंगा।

श्री फ्रैंक एन्थनी (नाम निर्देशित-आंग्ल-भारतीय) : मैंने आपको कल लिखा था। मैंने आपको निर्णय की एक प्रति भी दी है। मैंने एम०एल०पी० भी संलग्न की है—जो निर्णय की पूरी आलोचना है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे यह मिल गई है, श्री एन्थनी। आपका बहुत धन्यवाद।

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : क्या कोई मेम्बर जो बाहर पैसा लेकर वकालत करते हैं, उसी चीज को यहां रेफर कर सकते हैं? उनको पहले रिजाइन करना चाहिए, इस तरह से रेफर करने का कोई अधिकार नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। जी नहीं। कोई प्रश्न नहीं।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : वह बाहर से पैसा लेकर यहां पर मुकदमे की पैरवी कर रहे हैं। उन्हें त्याग-पत्र दे देना चाहिए।

12.16 म०प०

संविधान (53वां संशोधन) विधेयक

गृह मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

12.17 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) श्री सिंथेटिक्स लिमिटेड, उज्जैन द्वारा बोनस का भुगतान न किए जाने तथा सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में हस्तक्षेप किए जाने और इसके कार्यकरण की जांच करवाये जाने की आवश्यकता

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : मध्य प्रदेश में कपड़ा मिलों और कृत्रिम रेशे निर्मित करने वाले कारखानों में काम करने वाले लोगों का भविष्य अनिश्चित है। इन्दौर का होप टैक्सटाइल्स मिल्स विगत काफी समय से बन्द है और इसके कारण हजारों लोग बेरोजगार हो गए हैं। उज्जैन के कपड़ा मिलों की स्थिति भी ठीक नहीं है। विनोद और विमल टैक्सटाइल मिल्स के 362 सेवा निवृत्त कर्मचारियों की भविष्य निधि 17 लाख 72 हजार का भुगतान अब तक नहीं किया गया है। सिंथेटिक पालिस्टर और नायलोन यार्न के उत्पादक श्री सिंथिटिक्स लिमिटेड, उज्जैन ने कर्मचारियों को वर्ष 1982-83 के बोनस की अदायगी नहीं की है। कारखाने ने एक जुलाई, 1982 से 30 जून, 1983 को समाप्त होने वाले लेखा वर्ष में 114.65 लाख रुपयों का शुद्ध मुनाफ़ा अर्जित किया है। प्रबन्धक "नोटिस आफ चैन्ज" दिए बिना ही बोनस अदायगी के साथ "वर्कलोड" की 95 शर्तों को जोड़ने के लिए आमादा हैं और मजदूरों को बोनस नहीं देना चाहते हैं। विगत 1979-80, 1980-81, 1981-82 के वर्षों में न्यूनतम बोनस पर "एक्सग्रेसिया" दिया गया है जबकि कानून अधिकतम बोनस पर "एक्सग्रेसिया" दिया जाना चाहिए। वर्ष 1982-83 की बैलेंस-शीट में 1393.08 लाख रुपए का "डिप्रीसियेशन" दर्शाया गया है जब कि कारखाने की स्थापना लागत 10 करोड़ रु० है। वर्ष 1982-83 में कर्मचारियों के "वैलफेयर" की मद में 23.67 लाख व्यय दर्शाया है किन्तु कर्मचारियों के लिए उक्त राशि व्यय नहीं की गई है।

अतएव केन्द्र सरकार उक्त स्थितियों में देश में और मध्य प्रदेश में उक्त उद्योगों में कार्यरत हजारों श्रमिकों के हितों की रक्षा करने के लिए इन्दौर के होप टैक्सटाइल्स को शीघ्र प्रारम्भ करे उज्जैन की टैक्सटाइल्स मिलों की वर्तमान स्थिति में सुधार करे। सेवा निवृत्त श्रमिकों को भविष्य निधि का भुगतान करे तथा श्री सिंथेटिक्स के कर्मचारियों को तत्काल कानूनन बोनस का भुगतान करने के निर्देश प्रदान करे।

(दो) दिल्ली, खजुराहो, औरंगाबाद, भोपाल, बम्बई विमान सेवा आरम्भ करने की आवश्यकता

श्री प्रताप भानु शर्मा (विदिशा) : अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश देश का सबसे विशाल प्रदेश है तथा केन्द्र सरकार ने प्रदेश में पर्यटन विकास के लिए 14 प्रमुख पर्यटन एवं धार्मिक केन्द्रों का चयन

किया है । परन्तु पर्यटकों को आवागमन की पर्याप्त सुविधाएं न होने के कारण अधिक संख्या में पर्यटक इन स्थलों का भ्रमण नहीं कर पाते हैं । विगत कई वर्षों से मध्य प्रदेश शासन एवं जन प्रतिनिधियों द्वारा बम्बई, औरंगाबाद, भोपाल, खजुराहो एवं दिल्ली के बीच एक नई वायु सेवा प्रारम्भ करने की मांग की जा रही है ।

इंडियन एयर लाइंस द्वारा पूर्व में बम्बई, औरंगाबाद, नागपुर, खजुराहो वायुसेवा 7 महीनों के लिए शुरू की गई थी परन्तु इस सम्बन्ध में पूर्व प्रचार न होने के कारण वायुसेवा लाभप्रद नहीं हुई और उसे बन्द करना पड़ा ।

केन्द्र एवं मध्य प्रदेश सरकार पर्यटन-प्रोत्साहन के लिए हर सम्भव प्रयास कर रही है। यदि मध्य प्रदेश में पयर्टन को बढ़ावा देना है तो यहां उक्त वायुसेवा को अतिशीघ्र प्रारम्भ करना आवश्यक है ताकि दिल्ली से आने वाले पर्यटक खजुराहो देखने के पश्चात सांची एवं मांडू का भ्रमण कर बम्बई जा सकें । अत: केन्द्रीय नागर विमानन मन्त्रालय से अनुरोध है कि दिल्ली, खजुरोहो, भोपाल, औरंगाबाद एवं बम्बई के बीच नई वायुसेवा के संचालन हेतु त्वरित कार्यवाही करें ।

12.21 म०प० **(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)**

(तीन) देश में, विशेषकर अरावली पवर्त श्रृंखला में वनरोपण योजनाओं को बढ़ावा देने और ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों का विकास करने की आवश्यकता

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के तहत देश के सबसे वयोवृद्ध पर्वत अरावली पर आये गम्भीर संकट की तरफ कृषि मन्त्रालय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी । इस पर्वत का अधिकांश भाग राजस्थान के हिस्से में है । राजस्थान में देश की 10 प्रतिशत भूमि है पर दुर्भाग्य से देश में पानी का केवल 1 प्रतिशत भाग वहां है । इसलिए बूंद-बूंद जल वहां के मनुष्यों, पशुओं तथा वनस्पति के लिए बहुमूल्य है । वनों के लिए पानी कम मिलने से पुन: पेड़ लगाना मुश्किल हो जाते हैं । उधर अरावली पर्वत की बेरहमी से कटाई हो रही है । उन्नत देशों में 1/3 भाग में जंगल होते हैं । हमारे देश में इसका प्रतिशत कम है पर राजस्थान में तो केवल 10 प्रतिशत आंकड़ों में है । अभी हाल ही में कोस्मोनोट्स ने बताया कि केवल 3 प्रतिशत भाग में राजस्थान में जंगल हैं अर्थात इतनी अधिक कटाई हुई है । बड़े-बड़े पेड़ों के साथ नये उगते पेड़ भी ठेकेदारों की कुल्हाड़ी से नहीं बचे । नंगा अरावली पर्वत ठेकेदारों की क्रूरता का स्मारक बन गया है । सारा अरावली भू-भाग एक पत्थरीले रेगिस्तान में बदलने की सम्भावनायें खड़ी हो गई हैं ।

अत: मैं सरकार से मांग करूंगी कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में इस पर्वत के संरक्षण एवं पुन: वनारोपण के लिए विशेष कार्यक्रम बनाने के लिए हरियाणा के साथ राजस्थान को भी विशेष आर्थिक सहायता दी जावे ।

वनों की अवैध तथा वैध कटाई तथा तस्करी के लिए विशेष कदम उठाये जायें ।

ऊर्जा के वैकाल्पिक स्रोत के लिए जैसे वायो गैस तथा सौर्य ऊर्जा आदि को लोकप्रिय बनाने के लिए और अधिक अनुदान सभी को दिया जावे तभी हम हमारे अतीत के गौरव भविष्य की आशा तथा सुरक्षा अरावली पर्वत को पुन: हरा-भरा बना सकेंगे ।

(चार) कल्लड़ सिंचाई परियोजना के कारण विस्थापित हुए परिवारों को तुरन्त वैकल्पिक भूमि आबंटित करने की आवश्यकता

श्री के० कुन्हम्बू (कन्नानोर) : महोदय, केरल कल्लड़ में सिंचाई परियोजना पूर्ण होने वाली है। इस परियोजना के पूर्ण हो जाने के बाद जंगल के एक बड़े क्षेत्र में पानी भर जाएगा और उस क्षेत्र में रहने वाले लगभग 300 परिवारों को यह स्थान छोड़ना पड़ेगा। इस कारण केरल सरकार ने इस समस्या के बारे में वहां रहने वाले लोगों के साथ 1977, 1978 और इसके बाद 1981 में विचार विमर्श के बाद यह निर्णय किया गया था कि जो लोग विस्थापित हो जायेंगे, उन्हें पुनालूर वन संभाग काल्लु-वेत्तम कुझी स्थान पर बसाया जाएगा। तदनुसार, इस क्षेत्र में जंगल साफ कर दिया गया है। किन्तु उन्हें इस भूमि का आबंटन करने के लिए आगे कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

यह समझा जाता है कि इस भूमि के आबंटन में केन्द्र का नया वन अधिनियम बाधक बन रहा है क्योंकि इसके अन्तर्गत वन भूमि के आबंटन के लिए केन्द्र की अनुमति लेना जरूरी है।

वास्तव में, उपरोक्त स्थान पर जंगल को नये वन अधिनियम के लागू होने से बहुत पहले ही साफ कर दिया गया था और इसलिए इस क्षेत्र पर इस अधिनियम को लागू नहीं किया जाना चाहिए।

चूंकि परियोजना पूर्ण होने जा रही है, इसलिए इस क्षेत्र में जल स्तर निरन्तर बढ़ता जा रहा है 60 से अधिक परिवारों को अस्थायी तौर पर किसी स्थान पर भेज दिया गया है।

अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस भूमि के वितरण की शीघ्र अनुमति दे।

(पांच) उड़ीसा में भंजपुरान जनजाति को अनुसूचित जनजाति घोषित करने की आवश्यकता

श्री मनमोहन टुडु (मयूरभंज) : अधिकांश उड़ीसा के मयूरभंज जिले में रहने वाली भंजपुरा जाति की बहुत उपेक्षा की जा रही है। भारत सरकार ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं समाज के अन्य कमजोर वर्गों के पूर्ण उत्थान के लिए अनेक कदम उठाए हैं। किन्तु भंज पुरान जाति की दशा दिन पर दिन खराब होती जा रही है। उड़ीसा में इस जाति की कुल जनसंख्या 5 लाख है जिसमें से 3 लाख लोग मयूरभंज में रहते हैं।

वे पिछले अनेक वर्षों से अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल किए जाने के लिए आन्दोलन कर रहे हैं। भंजपुरम जनजाति ने उन्हें अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने के लिए अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग को एक आवेदन प्रस्तुत किया था। चूंकि ये लोग गरीब एवं अशिक्षित हैं, उड़ीसा सरकार ने गृह मन्त्रालय से उन्हें अनुसूचित जनजाति के लोग घोषित करने का अनुरोध किया था किन्तु यह दुर्भाग्य की बात है कि उनकी सही मांग की उपेक्षा कर दी गई है।

इस जाति का रहन सहन, संस्कृति और परम्परायें अन्य आदिम जातियों से मिलती जुलती हैं। जब तक उन्हें सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति घोषित नहीं किया जाता, उनके स्तर में सुधार नहीं हो सकता।

मयूरभंज पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमा पर स्थित है। अतः भंज पुरान जाति में व्याप्त तनाव को शीघ्र ही दूर किया जाना चाहिए ताकि वह सीमावर्ती राज्यों में न फैल जाए।

इसलिए मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि भंज तुरान जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में अविलम्ब शामिल किया जाए।

(छः) केन्द्रीय विद्यालयों की पद्धति पर भोपाल में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की आवश्यकता

डा० शंकर दयाल शर्मा (भोपाल) : राष्ट्रीय एकता आज की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में अनेक कदम उठाये जा रहे हैं। केन्द्रीय विद्यालय संगठन के आधार पर, जो समस्त देश में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के लिए बड़ा लाभदायक सिद्ध हुआ है, एक केन्द्रीय सम्बद्ध विश्व-विद्यालय स्थापित करना भी एक ऐसा ही कदम है।

केन्द्र सरकार तथा सरकारी उपक्रमों के कर्मचारी जिनकी एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण होता रहता है, अपने बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए कालिजों में दाखिला दिलाने में कठिनाई का समाना करते हैं। यह समस्या उच्च शिक्षा संस्थानों में पाठ्यक्रमों में एकरूपता न होने के कारण है अतः ये कर्मचारी एक ही स्थान पर रहना पसन्द करते हैं। इस प्रस्तावित केन्द्रीय सम्बद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना से इस प्रकार के केन्द्रीय सरकार तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के बच्चों के लिए एक ही प्रकार की उच्च शिक्षा, पाठ्यक्रम की व्यवस्था हो सकेगी। इससे सहनशीलता की भावना का प्रादुर्भाव होगा तथा एकता और राष्ट्रवाद के बन्धन और भी सशक्त होंगे जोकि देश का हित साधन करेंगे। भोपाल, जोकि कि मध्य स्थित स्थान है और जो रेल, सड़क, विमान सेवा, आदि परिवहन साधनों से पूर्णतया जुड़ा हुआ है, इस विश्वविद्यालय के मुख्यालय के लिए एक उचित स्थान होगा। भोपाल, भारत के सबसे बड़े राज्य मध्य प्रदेश की राजधानी है और इस राज्य में कोई भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय नहीं है। भोपाल अपनी सहनशीलता के लिए प्रसिद्ध है और राज्य अथवा भाषा अथवा साम्प्रदायिक भावनाओं से भी मुक्त है। इसीलिए पंडित जवाहर लाल नेहरू ने भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी के लिए चुना था। इस प्रकार के विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए यह एक आदर्श स्थान सिद्ध होगा।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले पर विचार करें एवं इस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एक योजना तैयार करे क्योंकि इसकी स्थापना से राष्ट्रीय एकता लाने में बहुत सहायता मिलेगी।

(सात) इलाहाबाद के निकट गंगा तथा यमुना नदियों पर नए पुल बनाने की आवश्यकता

श्री बी० डी० सिंह (फुलपुर) : इलाहाबाद महानगर के अन्तर्गत इलाहाबाद लखनऊ मार्ग पर गंगा नदी पर बहुत पुराना कर्जन पुल स्थित है। पुल के पुराने एवं कमजोर हो जाने के कारण उस पर बड़ी एवं भारी गाड़ियों के आने जाने पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है। परिणामस्वरूप बड़ी बसों तथा ट्रकों को लगभग 25 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है जिसमें प्रति-दिन समय एवं धन का बड़ा अपव्यय हो रहा है। छोटी गाड़ियों के लिए भी पुल पर वन वे ट्रेफिक रखना पड़ता है जिससे पुल पर से गुजरना कष्टप्रद हो जाता है। अब इस बात की नितांत आवश्यकता हो गई है कि इस मार्ग पर

गंगा नदी पर एक नए पुल का निर्माण किया जाए। क्योंकि आवागमन दिन प्रति दिन तेजी से बढ़ता जा रहा है।

इसी प्रकार इलाहाबाद में यमुना नदी पर भी एक पुल है इलाहाबाद के नैनी क्षेत्र का औद्योगीकरण होने से इस पुल पर आवागमन बहुत बढ़ गया है। कभी-कभी पुल पर ट्रैफिक इस सीमा तक जाम हो जाता है कि घण्टे घण्टे भर पुल पार करने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इस क्षेत्र में नगर के बाहर से कानपुर मार्ग को जोड़ते हुए यमुना नदी पर एक पुल अत्यावश्यक है जो बहु प्रतीक्षित है।

यदि इन पुलों के निर्माण हेतु अभी से कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की जाती तो कालांतर में इलाहाबाद महानगर के आवागमन की समस्या बहुत ही जटिल हो जाएगी। जी० टी० रोड के नगर के मध्य से गुजरने के कारण वैसे ही इलाहाबाद पर आवागगन का बड़ा दबाव है।

अतएव मैं माननीय परिवहन मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे व्यक्तिगत रुचि लेकर आवश्यकतानुसार प्रांतीय सरकार से विचार-विमर्श करके इलाहाबाद में गंगा एवं यमुना नदी पर नए पुलों के निर्माण हेतु शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करें।

(आठ) पीलीभीत (उत्तर प्रदेश) में दूरदर्शन रिले केन्द्र की स्थापना किये जाने की आवश्यकता

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : उपाध्यक्ष महोदय, पीलीभीत नगर व जिले में दूरदर्शन के चित्र या तो बिल्कुल दिखाई नहीं देते अथवा दिखाई भी देते है तो बिल्कुल धुंधले। पीलीभीत जिला उत्तर प्रदेश का अत्यन्त पिछड़ा जिला है। दूरदर्शन का लाभ उठाने में भी यह पिछड़ा है। केन्द्रीय सरकार ने टी० वी० विस्तार का जो कार्यक्रम बनाया उससे भी पीलीभीत को कोई लाभ नहीं पहुंचा। अभी धुंधले चित्र दिखाई देने की शिकायत पर बरेली व शाहजहांपुर में दूरदर्शन केन्द्र खोले गए परन्तु उनसे भी पीलीभीत को कोई लाभ नहीं पहुंचा। बरेली के दूरदर्शन केन्द्र की परिधि केवल 25-30 किलोमीटर की है जबकि पीलीभीत बरेली से 55 किलोमीटर है, यदि बरेली के दूरदर्शन केन्द्र की परिधि 30-40 किलोमीटर और बढ़ा दी जाए तो पीलीभीत में दूरदर्शन का लाभ पहुंच सकता है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह पीलीभीत में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करे जिससे वहां की जनता को इसके कार्यक्रमों का लाभ मिल सके अथवा बरेली के दूरदर्शन केन्द्र को इतना सशक्त करे कि इसमें पीलीभीत लाभान्वित हो सके।

(नौ) स्वतन्त्रता सेनानियों को और अधिक सुविधाएं देने की आवश्यकता

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय, देश के एक लाख सत्ताईस हजार से अधिक स्वतन्त्रता सेनानी स्वतन्त्रता-सैनिक सम्मान पेंशन का उपभोग कर रहे हैं। प्रत्येक को तीन सौ रुपये और विधवाओं को दो सौ रुपए माहवारी की दर से पेंशन की राशि दी जा रही है। यह रकम आज की छलांग मारती हुई मंहगाई को देखते हुए कुछ भी नहीं है। बड़ी मुश्किल से सरकार ने स्वतन्त्रता-सेनानियों के लिए "भारत दर्शन" के वास्ते कार्ड पास छह माह के लिए जारी करने का निर्णय लिया था। करीब बीस हजार लोगों को ही पास मिल पाए थे कि, सरकार ने उसे बन्द कर दिया।

स्वतन्त्रता-सेनानियों की कुछ और समस्याएं भी हैं जिनकी पूर्ति की ओर सरकार का ध्यान

जाना चाहिए। अत: प्रधान मन्त्री और गृह मन्त्री से मेरा अनुरोध होगा कि वे इसी सत्र में स्वतन्त्रता-सेनानियों को निम्न सुविधाएं देने की घोषणा कर उन्हें अपनी बुढापे की अवस्था निश्चित होकर व्यतीत करने का अवसर प्रदान करें।

1. सेनानियों को मिल रही पेंशन की राशि को तीन सौ रुपये से बढ़ाकर पांच सौ रु० माहवारी कर दिया जाये।

2. सेनानियों की विधवाओं को भी पांच सौ रु० माहवारी कर दिया जाए,

3. सेनानियों को सरकारी अस्पतालों से चिकित्सा की सुविधा प्रदान की जाये,

4. भारत दर्शन के लिए प्रत्येक सेनानी को रेल मन्त्रालय के निर्णयानुसार छह माह के लिए ए० सी० टू० टायर समेत प्रथम श्रेणी के दो रेल पास यथाशीघ्र दिए जाएं,

5. तेलंगाना, पुनप्रा, वायलार, पांडिचेरी तथा दूसरे आंदोलनों में भाग लेने वाले सेनानियों को भी पेंशन की राशि दी जाए,

6. गांधी-इर्विन समझौते के बाद जेल से छुटने वाले सभी सेनानियों को पेंशन की सुविधा दी जाए।

(दस) बिहार के बाढ़ ग्रस्त मधेपुरा तथा सहरसा जिलों में व्यापक राहत कार्य आरम्भ करने की आवश्यकता

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव (मधेपुरा) : महोदय, इस वर्ष समूचे उत्तर बिहार क्षेत्र में अत्यधिक बाढ़ तथा निरन्तर वर्षा से जो बहुत बरबादी हुई है वह अभूतपूर्व है और इस प्रकार की आपदा पहले कभी आई हो, ऐसा सुना नहीं गया है।

विशेषकर मेरे निर्वाचन क्षेत्र माधीपुरा जिला तथा सहरसा जिला में प्रभावित क्षेत्र की स्थिति वर्णनातीत है।

यह बड़े खेद की बात है कि कर्त्ता-धर्त्ता अधिकारियों ने वहां की बाढ़-पीड़ित जनता के गहन दु:खों को दूर करने के लिए कुछ नहीं किया है।

बाढ़ में अनेक जानें गई हैं तथा सम्पत्ति का भी भारी नुकसान हुआ है। उसमें हजारों पशु बह गए हैं और मर गए हैं। बाढ़-पीड़ितों को कहीं कोई प्रश्रय नहीं मिला, वे केवल अपनी घरों की छतों अथवा पेड़ों के शिखरों पर टंगे रहे। उन्हें मौत के मुंह से बचने की कोई आशा नहीं थी।

यह सही समय है कि केन्द्र सरकार बाढ़ पीड़ित इन दु:खी लोगों को बरबाद होने से बचाने के लिए शीघ्र ही राहत देने के लिए उपाय करें तथा एक बार बाढ़ का पानी उतर जाने के बाद पैदा होने वाली सम्भावित गम्भीर स्थिति का सामना करने के लिए पहले ही योजना बनाए।

(ग्यारह) खाड़ी के देशों में जाने वाले उत्प्रवासियों के लिए प्रतिभूति निक्षेप राशि को कम करने की आवश्यकता

श्री ए० के० बालन (ओट्टापलम) : महोदय, मैं सरकार का ध्यान खाड़ी देशों में रोजगार चाहने वाले लाखों केरल वासियों की गम्भीर समस्याओं की ओर दिलाना चाहता हूं।

उत्प्रवासी प्राधिकारियों ने हाल में प्रतिभूति निक्षेप की राशि बढ़ाने का निर्णय किया है।

वर्तमान उत्प्रवासी नियमों के अनुसार, त्रिवेन्द्रम से दुबई जाने वाले व्यक्ति को 1750 रुपये प्रतिभूति निक्षेप के रूप में देने पड़ते हैं। नए निर्णय के अन्तर्गत यह राशि 3280 रुपये कर दी गई है जोकि पहले वाली राशि से लगभग दुगनी है।

यह इतनी बड़ी राशि आम आदमी की पहुंच से बाहर है, जिसे सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों से बाध्य होकर अपनी रोजी-रोटी के लिए अपनी मातृभूमि छोड़ कर जाना पड़ता है।

अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह प्रतिभूति निक्षेप की राशि यथा सम्भव न्यूनतम कर दें।

भारतीय नियमों एवं विनियमों के कड़े होने के कारण अनेक जनशक्ति निर्यातक एजेन्सियां पाकिस्तान, बंगला देश एवं श्री लंका जैसे देशों से लोगों को भेजने का प्रयास कर रही हैं। इससे हमारे देश को एक बड़ी भारी विदेशी मुद्रा से वंचित रहना पड़ेगा। इस सन्दर्भ में सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि केवल केरल राज्य ही जनशक्ति स्रोतों के माध्यम से खाड़ी देशों से राष्ट्रीय राजकोष में प्रतिदिन लगभग एक करोड़ रुपये मूल्य की विदेशी मुद्रा का योगदान दे रहा है।

(बारह) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के कतिपय अधिनियमों के लागू किए जाने के कारण झुग्गी झोंपड़ियों तथा पटरियों पर रहने वाले व्यक्तियों में आतंक

श्री ए० के० राय (धनबाद) : महोदय, दिल्ली विकास अधिनियम, दिल्ली नगर निगम अधिनियम, लोक परिसर (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम और पंजाब नगरपालिका अधिनियम, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में यथा प्रवृत्त में संशोधनों के कारण झुग्गी-झोंपड़ी में तथा फुटपाथ पर रहने वाले 10 लाख लोगों में घबराहट फैल गई है। संशोधनों के कारण अब सम्पत्ति धारी तथा गंदी बस्तियों में रहने वाले लोगों द्वारा सम्पत्ति का अतिक्रमण करने पर उन्हें बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है। जुर्माने और कड़ी कैद से सम्पत्ति धारी और व्यापारी लोग तो कानून में विभिन्न त्रुटियों का सहारा लेकर न्यायालयों में बच जायेंगे लेकिन उन संशोधनों का शिकार बनेंगे गंदी बस्तियों में रहने वाले।

झुग्गी-झोंपड़ियों और गन्दी बस्तियों में रहने वालों का भय निर्मूल नहीं है क्योंकि जैसा समाचार है 6-8-1984 को लगभग 150 पुलिस कर्मियों ने दिल्ली में माडल टाउन के निकट डेरावाल में 250 झुग्गियों को घेर लिया और वहां के निवासियों को बेरहमी से मारा, झोंपड़ियां गिरा दीं और उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश से आये गरीब प्रवासी मजदूरों को सारी सम्पत्ति लूट ली जो वहां तीन वर्ष से रह रहे थे। इसी मार पिटाई और नृशंस बेदखली की कार्यवाही के दौरान लक्ष्मी की नवजात

बेटी पार्वती मर गई। उच्चतम न्यायालय के एक वकील की अध्यक्षता में बनी नागरिकों की समिति ने जो रिपोर्ट दी है, वह अत्यन्त चिन्ताजनक है। गन्दी बस्तियों के निवासियों को भय है कि संशोधनों के बाद ऐसे अत्याचार बढ़ जायेंगे।

वाणिज्यिक कारणों से अतिक्रमण करने वालों के साथ तो कड़ाई से निपटा जाना चाहिए लेकिन गन्दी बस्तियों और झुग्गी-झोंपड़ी में रहने वाले गरीब लोगों के हितों को दिल्ली की सुन्दरता बढ़ाने के लिए अवहेलना नहीं करनी चाहिए। यदि उन्हें एक स्थान से हटाया जाए तो दूसरी जगह बसाया जाना चाहिए।

12.35 म० प०

संविधान (48वां संशोधन) विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा में प्रस्ताव अर्थात् संविधान (48वां संशोधन) विधेयक पर आगे विचार किया जाएगा।

श्री एडुआर्डो फैलीरो (मारमागाओ) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विचार से संविधान की नवीं अनुसूची का उद्देश्य इस महत्वपूर्ण कृषि सुधार को तकनीकी कठिनाइयों से बचाना है। ताकि भूमि सुधार के उद्देश्य की पूर्व प्राप्ति हो सके। इस अनुसूची का प्रयोजन ऐसे विधान को संरक्षण देना नहीं है जो केवल देखने में अच्छा है और जिससे कृषि सुधारों में वृद्धि न हो और जो भूमि की जोत और अच्छी भूमि के लिए समस्याएं पैदा कर दे।

महोदय, मैं गोआ विधान सभा के दो अधिनियमों के सन्दर्भ में कह रहा हूं जिन्हें इस संशोधन में शामिल किया जाना है। एक अधिनियम 1964 का है और अब इसे शामिल किया जा रहा है। 20 वर्षों के बाद इसे लाया जा रहा है। दूसरा 5वां संशोधन है जो गोआ विधान सभा द्वारा 1970 में पास किया गया था और जिसे गोआ के न्यायिक आयोग के न्यायालय द्वारा रद्द किया गया था···और जिसे उस समय 1979 में, या निश्चित तिथि बताऊं तो 14 अप्रैल, 1979 को उच्च न्यायालय में विचारार्थ पेश किया गया था। अब यह अधिनियम उच्चतम न्यायालय में है। वहां बहस हो रही है। इस स्तर पर जबकि उच्चतम न्यायालय में बहस हो रही है और उच्च न्यायालय द्वारा इसे रद्द किया जा चुका है, उसे सभा के समक्ष लाया जा रहा है। महोदय, अभी तक उस क्षेत्र में भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानून को लागू नहीं किया गया है। इसके फलस्वरूप इस विधान को नवीं अनुसूची में शामिल करने से उस क्षेत्र के बड़े भूस्वामियों पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। दो दशाब्दियों में वे और भी बड़े हो गए हैं। उस क्षेत्र में भूमि की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि के कारण उन्हें कुछ अन्तर नहीं पड़ता। उसका प्रभाव तो छोटे लोगों पर पड़ेगा। महोदय, आपको पता होगा कि खाड़ी के देशों और पूर्वी अफ्रीका के देशों में गए हुए बहुत से लोग देश के इस भाग में और पश्चिमी घाट के क्षेत्र में आ रहे हैं। इसी तरह भूमिहीन लोग उन देशों में जाकर काफी धन कमा कर लौटते हैं और जमीन खरीद कर ऐसे लोगों के पास छोड़ देते हैं जिनके अपने 20 या 30 प्लाट होते हैं। ये बड़े भू-स्वामी इन लोगों की जमीन की देखभाल करते हैं। जब ये अन्त में अपने घरों को लौटते हैं तो ये बड़े भू-स्वामी उन्हें जमीन का कब्जा नहीं देते। उन्हें जमीन के सम्बन्ध में दावा करने हेतु न्यायालयों में जाना पड़ता है।

महोदय, गोआ में भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है। अन्यथा कैसे ये बड़े भू-स्वामी भूमि के इतने प्लाट अपने पास रख सकते हैं ? इस सरकार को 20 सूत्री कार्यक्रम के सूत्र 4 को ध्यान में रखना चाहिए जिसमें सरकार से आग्रह किया गया है कि वह पूरे देश में भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानून बनाए। गोआ, क्योंकि संघ राज्य क्षेत्र है, इसलिए यह केन्द्रीय सरकार का उत्तरदायित्व हो जाता है।

अब इस सन्दर्भ में मैं सर्वप्रथम यह कहना चाहता हूं कि शीघ्रातिशीघ्र सरकार इस संघ राज्य क्षेत्र के सम्बन्ध में भूमि की अधिकतम सीमा कानून बनाए। दूसरे सरकार को चाहिए कि वह छोटे मालिकों के हितों को सुरक्षित करे। तीसरे उन्हें धर्मस्व तथा धार्मिक संस्थाओं को संरक्षण देना चाहिए और यह देखा जाए कि उन्हें अकारण ही भारी कष्ट न सहन करने पड़ें। इसके साथ ही चर्चा हेतु अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

ग्रामीण विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : महोदय, मैं उन माननीय सदस्यों की बहुत आभारी हूं जिन्होंने कल इस चर्चा में भाग लिया विशेष रूप से मैं विपक्षी सदस्यों की बहुत आभारी हूं जिन्होंने न केवल चर्चा में भाग लिया वरन् विधेयक का समर्थन भी किया। यद्यपि विषय सीमित था लेकिन माननीय सदस्यों ने विभिन्न राज्यों में भूमि सुधारों पर गहन चर्चा की। मैं उनकी बहुत आभारी हूं।

महोदय, इस विधेयक के माध्यम से संविधान की नवीं अनुसूची में 14 भूमि कानून शामिल किए जाने का प्रस्ताव है ताकि यह व्यवस्था हो कि उन्हें न्यायालय में चुनौती न दी जा सके।

अनुच्छेद 31ख के अनुसार, बिना 31क के उपबन्धों पर किसी प्रकार का प्रभाव डाले, नवीं अनुसूची में शामिल कोई भी विधि या विनिमय इस आधार पर अवैध नहीं समझा जायेगा या कभी भी अवैध नहीं होगा कि वह किसी मूल अधिकार के अनुरूप नहीं है या उस अधिकार को कम करता है। यह तब भी लागू रहेगा जबकि किसी न्यायालय या प्राधिकरण ने इसके विपरीत कोई निर्णय या आदेश दे दिया हो।

नवीं अनुसूची की छत्र-छाया का सहारा कई बार लिया गया है ताकि भूमि सुधारों को इस आधार पर न्यायालयों में चुनौती न दी जा सके कि उनसे मूल अधिकार में कमी आती है। हमारा यह दृढ़ निश्चय कि भूमि सुधारों को लागू करने के मार्ग में कोई भी बाधा नहीं पहुंचा सकता, इस तथ्य से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि नवीं अनुसूची में अब तक शामिल किए गए 188 कानूनों में से 150 भूमि के प्रश्न से सम्बन्धित हैं। लेकिन यह समझ लेना चाहिए कि नवीं अनुसूची की छत्र छाया के तले भूमि सम्बन्धी हर प्रकार के कानून बिना सोचे समझे नहीं लाए जा सकते।

इस सुरक्षात्मक उपाय का महत्व इस बात से पता चलता है कि खूब सोच-समझ कर ही और केवल उसी स्थिति मे इसका सहारा लिया जाता है जब वह अत्यन्त आवश्यक हो। समाज के दुर्बल वर्गों को सामाजिक और आर्थिक न्याय दिलाने के लिए किए गए उपायों का यह तात्पर्य नहीं कि उनसे मूल अधिकार का हनन जरूर हो। भूमि सम्बन्धी कई कानून केवल प्रक्रिया सम्बन्धी होते हैं या सामाजिक और आर्थिक न्याय दिलाने की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। समाज के दुर्बल वर्गों को आर्थिक और सामाजिक न्याय दिलाने वाले भूमि सम्बन्धी कई कानून समय की चुनौती पर खरे उतरे हैं या

उन्हें अन्य संवैधानिक उपबन्धों का संरक्षण भी प्राप्त है। वे बहुत समय से सांविधिक पुस्तक में हैं और उन्हें लागू किया जा रहा है तथा उन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है। स्पष्ट है कि इन्हें नवीं अनुसूची में शामिल करने की जरूरत नहीं। अभी कुछ माननीय सदस्य यह पूछ रहे थे कि इन्हें इस अनुसूची में क्यों शामिल नहीं किया गया।

साथ ही यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि यद्यपि समाज के दुर्बल वर्गों को सामाजिक और आर्थिक न्याय दिलाना संविधान में एक बहुत उच्च सिद्धान्त है जिसे कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में शामिल किया गया है तथापि हमारे जैसे लोकतांत्रिक समाज में व्यक्ति के अधिकारों को भी पवित्र माना गया है।

इसलिए, संविधान में उचित ही विशेष शक्तियों के दुरुपयोग या अन्धाधुन्ध प्रयोग को रोकने के लिए पूर्वोपाय किए गए हैं, ताकि जिन मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए उनका उल्लंघन न हो लोकतांत्रिक समाज में, व्यक्तिगत अधिकारों और समाज के विशेषकर कमजोर और गरीब वर्गों के हितों में सन्तुलन रखना आवश्यक होता है। वर्तमान प्रबन्ध के अनुसार, नौवीं अनुसूची में भूमि कानूनों को शामिल करने का मूल उद्देश्य यह है कि गरीब और कमजोर वर्गों को सामाजिक न्याय मिल सके और ऐसे कानूनों को न्यायालय में चुनौती न दी जा सके।

कई एक माननीय सदस्यों ने अपनी यह राय जाहिर की है कि हमने संविधान की नौवीं अनुसूची में सभी भूमि कानूनों को शामिल नहीं किया है। मैं जोरदार शब्दों में कहना चाहूंगी कि अगर भविष्य में आवश्यकता महसूस की गई तो हम इस महत्वपूर्ण हथियार का उपयोग, यानि समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करने और सामाजिक न्याय दिलाने में करने से हिचकिचायेंगे नहीं। कुछ अन्य प्रस्ताव जोकि कुछ कानूनों को शामिल करने के बारे में दिए गए थे, उन पर विचार किया गया और पाया गया कि उन्हें वर्तमान विधेयक में शामिल करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि यह समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं और उन्हें नौवीं अनुसूची में शामिल करने से कोई खास लाभ नहीं होगा। लेकिन अधिकांशतः, तथ्य यही है कि सभी मूल भूमि कानूनों का उद्देश्य समाज के गरीब और कमजोर वर्गों के न्याय की सुरक्षा करना है। और उन्हें पहले ही नौवीं अनुसूची में शामिल कर लिया है।

जब कभी ऐसे अवसर उपस्थित होंगे जबकि इन कानूनों को शामिल करना आवश्यक हो, या इन्हें चुनौती दी जाने लगे या उन्हें न्यायालय में चुनौती देने की आशंका हो तो हम उनको नौवीं अनुसूची में शामिल करने में नहीं हिचकिचायेंगे। मैं इस विधेयक को सभा के समक्ष रखती हूं।

हमारे बहुत से मेम्बर्स ने यह शंका उठाई है, शास्त्री जी के लिए मैं कहना चाहूंगी कि कुछ इसमें ऐसे क्लाज हैं जिनसे उनको शंका पैदा होती है कि किसानों के विरोध में यह है। मैं उनसे कहना चाहती हूं कि बिहार के बारे में जो आपने बात कही, उसमें लैंड सीलिंग का बिल है और लैंड एक्वीजीशन का, दोनों को मिलाकर जो कहा तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जैसा मैंने अपनी स्पीच में कहा कि बहुत लिमिटेड सबजेक्ट था, लेकिन लोग उसमें ज्यादा आगे चले गए। श्री बसु ने वेस्ट बंगाल के बारे में कहा कि जो हमारा बिल है, वह इसमें नहीं है।

मैं कहना चाहती हूं कि यह शिड्यूल 9 इसलिए है कि लोगों को प्रोटेक्शन दे। यह ना-मुमकिन बात है कि सारे लैंड लाज इसमें इन्क्लूड कर लिए जाए, यह नहीं हो सकता और वेस्ट बंगाल में 80 का

भी एक बिल हमने शामिल किया है। इन सब बातों को देखकर इन लाज को गाहे-बगाहे नाइन्थ शिड्यूल में इनक्लूड किया जाता है। जैसाकि आनरेबल मेम्बर्स ने कहा है—और मैंने भी अपनी स्पीच में कहा था, सारे लाज को नाइन्थ शिड्यूल में इनक्लूड करना नामुमकिन है। ऐसा करने से उसकी अहमियत और महत्व नहीं रहेगा।

श्री चित्त बसु ने कहा है कि गवर्नमेंट की पोलोटिकल विल नहीं है। मैं उन्हें बताना चाहती हूं कि रूलिंग पार्टी की पोलीटिकल विल की वजह से ही ये सारे काम किए जा रहे हैं। मैं तो सोचती थी कि आनरेबल मेम्बर हमारी कोशिश को एप्रिशिएट करेंगे। हम कानून के जरिये समाज में परिवर्तन कर रहे हैं। ऐसे समाज में परिवर्तन लाना कितना मुश्किल है, जहां फ्यूडल सिस्टम, राजे-महाराजे और सामन्तवादी शक्तियां रही हैं। एक तरफ ऐसी शक्तियों से लड़ना और दूसरी तरफ लाज को इम्प्लीमेंट कराना कोई मामूली बात नहीं है। आनरेम्बल मेम्बर्ज को एप्रिशिएट करना चाहिए कि हम यह कानून लोगों के उस सेक्शन के लिए लाए हैं, जिसको इस अम्बरेला की जरूरत है, जिसको इकोनोमिक और सोशल प्रोटेक्शन चाहिए।

मैं उन तमाम मेम्बरान का शुक्रिया अदा करती हूं, जिन्होंने इस बहस में हिस्सा लिया और उनका भी शुक्रिया अदा करती हूं, जिन्होंने उधर बैठकर हमें सपोर्ट किया।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, इससे पहले कि मैं प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिए रखूं. क्योंकि यह संवैधानिक संशोधन है, इसलिए मतदान विभाजन द्वारा होगा। इसलिए दीर्घाएं खाली कर दी जाएं···

उपाध्यक्ष महोदय : दीर्घाएं खाली कर दी गई हैं।

प्रश्न यह है :

> "कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ।

12.58 म० प०

पक्ष में 345-3

मत--विभाजन संख्या : 9

अब्बासी, श्री काजी जलील

अब्दुल समद, श्री

आचार्य, श्री बसुदेव

अग्रवाल, श्री सतीश

अहमद, श्री मोहम्मद असरार

अहमद, बेगम आबिदा

अहमद, श्री गुलशेर

अजीत प्रताप सिंह

अल्लूरी, श्री सुभाष चन्द्र बोस

आनन्द सिंह, श्री

अंकिनीडू, श्री एम०

अंकिनीडू प्रसाद राव, श्री पी०

अन्सारी, श्री जियाउर्रहमान

एन्थनी, श्री फ्रैंक

अनवार अहमद, श्री

अप्पालानायडू श्री एस० आर० ए० एस०

अराकल, श्री जेवियर

अरुणाचलम, श्री एम०

अशफाक हुसैन, श्री

आजाद, श्री भागवत झा

आजाद, श्री गुलाम नवी

आजमी, डा० ए० यू०

बागुन सुम्बरुई, श्री

बेरवा, श्री बनवारी लाल

वाजपेयी, डा० राजेन्द्र कुमारी

बालेश्वर राम, श्री

बन्सी लाल, श्री

बर्मन, श्री पलाश

बैरो, श्री ए० ई० टी०

बसु, श्री चित्त

बहेरा, श्री रास बिहारी

भगत, श्री बी० आर०

भगत, श्री एच० के० एल०

भगवान देव, आचार्य

भक्त, श्री मनोरंजन

भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल

भीखाभाई, श्री

भोई, डा० कृपासिन्धु

भोले, श्री आर० आर०

भूरिया, श्री दिलीप सिंह

भूयन, श्री भुवनेश्वर

बीरबल, श्री

बीरेन्द्र सिंह, राव

विष्णु प्रसाद, श्री

विश्वास, श्री अजय

वोड्डेपल्ली, श्री राजगोपाल राव

ब्रार, श्रीमती गुरविन्दर कौर

बृजेन्द्रपाल सिंह, श्री

बूटा सिंह, श्री

चक्रवर्ती, श्री सत्यसाधन

चक्रधारी सिंह, श्री

चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल

चन्द्रशेखरप्पा, श्री टी० बी०

चरणजीत सिंह, श्री

चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती

चौधरी, श्री मनफूल सिंह

चौधरी, श्री ए० बी० ए० गनी खान

चव्हाण, श्री एस० बी०

चेन्नुपति, श्रीमती विद्या

चिगवांग कोनयक, श्री

चौधरी, श्रीमती ऊषा प्रकाश

चौधरी, श्री सेफुद्दीन

चौहान, श्री फतेहभान सिंह

दाभी, श्री अजीत सिंह

डागा, श्री मूलचन्द

दलवीर सिंह, श्री

दलवीर सिंह, श्री

डामोर, श्री सोमजीभाई

दण्डवते, प्रो० मधु

दण्डवते, श्रीमती प्रमिला

दास, श्री अनादि चरण

दत्त, श्री अमल

डेनिस, श्री एन०

देसाई, श्री बी० बी०

देव, श्री सन्तोष मोहन

देवराजन, श्री वी०

दंडपाणि, श्री सी० टी०

दिगम्बर सिंह, श्री

डोगर, श्री गिरधारी लाल

डूंगर सिंह, श्री

दुबे, श्री रामनाथ

एक्का, श्री क्रिस्टोफर

ऐंगटी, श्री बीरेन सिंह

ईरा मोहन, श्री

फैलीरो, श्री एडुआर्डो

फर्नान्डीस, श्री ओस्कर

गाडगिल, श्री बी० एन०

गधावी, श्री भेरावदन के०

गायकवाड़, श्री आर० पी०

गायकवाड़, श्री उदय सिंह राव

गामित, श्री छीतूभाई

गांधी, श्रीमती इन्दिरा

गांधी, श्री राजीव

गावित, श्री माणिकराव होडल्या

गहलोत, श्री अशोक

घारपाड़े, श्री बार० वाई

घोष, गोस्वामी, श्रीमती विभा

गुफरान आजम, श्री

गिरिराज सिंह

गोगोई, श्री तरुण

गोहिल, श्री जी० बी०

गामांगो, श्री गिरिधर

गौजगिन, श्री, एन०

गौडा, श्री डी० एम० पुत्ते

गौडा, श्री एच० एन० नन्जे

गोयल, श्री कृष्ण कुमार

गुप्त, श्री इन्द्रजीत

हाकम सिंह, श्री

हाल्दर, श्री कृष्ण चन्द्र

हन्नान मोल्लाह, श्री

हरिकेश बहादुर, श्री

होरो, श्री एन० ई०

इम्बीचीबावा, श्री ई० के०

जदेदा, श्री दौलतसिंह जी

जाफर शरीफ, श्री सी० के०

जगजीवन राम, श्री

जगपाल सिंह, श्री

जयदीप सिंह, श्री

जैन, श्री भीकू राम

जैन, श्री निहाल सिंह

जैन, श्री वृद्धि चन्द

जमीलुर्रहमान, श्री

जैना, श्री चिन्तामणि

जितेन्द्र प्रसाद, श्री

काहनडोल, श्री जेड० एम०

कैलाशपति, श्रीमती

कमल नाथ, श्री

कमला कुमारी, कुमारी

कर्मा, श्री लक्ष्मण

कौल, श्रीमती शीला

कौशल, श्री जगन्नाथ

खां, श्री आरिफ मोहम्मद

खां, श्री मलिक एम० एम० ए०

खां, श्री जुल्फिकार अली

किदवई, श्रीमति मोहसिना

कोसलराम, श्री के० टी०

कृष्ण, श्री एस० एम०

कृष्ण प्रताप सिंह, श्री

कृष्णन, श्री जी० वाई०

क्षीरसागर, श्रीमती केशरबाई

कुचन, श्री गंगाधर एस०

कुलनदईवेलु, डा० बी०

कुँवर राम, श्री

कुरियन, प्रो० पी० जे०

लास्कर, श्री निहार रंजन

लारेंस, श्री एम० एम०

माधुरी सिंह, श्रीमती

महाबीर प्रसाद, श्री

महाजन, श्री विक्रम

महाजन, श्री वाई० एस०

महाला, श्री आर० पी०

महाटा, श्री चित्त

महेन्द्र प्रसाद, श्री

मैत्रा, श्री सुनील

मकवाना, श्री नरसिंह

मालन्ना, श्री के०

मलिक, श्री लक्ष्मण

मल्लिकार्जुन, श्री

मल्लु, श्री अनन्त रामुलु

मण्डल, श्री सनत कुमार

माने, श्री आर० एस०

मणि, श्री के० बी० एस०

मायातेवर, श्री के०

मीणा, श्री रामकुमार

मिश्र, श्री गार्गी शंकर

मिश्र, श्री रामनगीना

मिश्र, श्री उमा कान्त

महन्ती, श्री बृजमोहन

मोहिते, श्री यशवन्तराव

मोहसिन, श्री एफ० एच०

मोरे, श्री रामकृष्ण

मोतीलाल सिंह, श्री

मुखर्जी, श्री समर

मुखोपाध्याय, श्री आनन्द गोपाल

मूर्ति, श्री एम० राजशेखर

मूर्ति, श्री एम० वी० चन्द्रशेखर

मुत्तेमवार, श्री विलास

मुजफ्फर हुसेन, श्री सैयद

नगीना राय, श्री

नहाटा, श्री बी० आर०

नायडू, श्री पी० राजगोपाल

नायक, श्री जी० देवराय

नायकर, श्री डी० के०

नायर, श्री बी० के०

नामग्याल, श्री पी०

नन्दी येल्लैया, श्री

नारायण, श्री के० एस०

नटराजन, श्री कुमबुम एन०

नायक, श्री मृत्युंजय

नेगी, श्री टी० एस०

नेहरू, श्री अरुण कुमार

नेताम, श्री अरविन्द

नगनगोमा मोहेन्द्रा, श्री

निहाल सिंह, श्री

निहालसिंहवाला, श्री जी० एस०

नुरुल इस्लाम, श्री

उरांव, श्रीमती सुमति

पदायाची, श्री एस० एस० रामास्वामी

पाल, प्रो० रूपचन्द

पलानी अप्पन, श्री सी०

पांडे, श्री केदार

पांडे, श्री कृष्णचन्द्र

पंडित, डा० वसन्त कुमार

पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि

पनिका, श्री राम प्यारे

पराशर, प्रो० नारायण चन्द

पारधी, श्री केशवराव

परमार, श्री हीरालाल आर०

पार्थसारथी, श्री पी०

परुलेकर, श्री बापूसाहिब

पासवान, श्री राम विलास

पटेल, श्री अहमद मोहम्मद

पटेल, श्री अमृत

पटेल, श्री सी० डी०

पटेल, श्री मोहन लाल

पटेल, श्री शान्तुभाई

पटेल, श्री उत्तमभाई एच०

पाठक, श्री आनन्द

पाटिल, श्री ए० टी०

पाटिल श्री बालासाहिब विखे

पाटिल, श्री चन्द्रभान आठरे

पाटिल, श्रीमती शालिनी

पाटिल, श्री शंकरराव

पाटिल, श्री शिवराज वी०

पाटिल, श्री उत्तमराव

पाटिल, श्री वीरेन्द्र

पाटिल, श्री विजय एन०

पटनायक, श्रीमती जयन्ती

पट्टाभिरामा राव, श्री एस० बी० पी०

पत्तुस्वामी, श्री डी०

पवार, श्री बालासाहिब

फुलवारिया, श्री विरदा राम

पाइलट, श्री राजेश

पुजारी, श्री जनार्दन

पोटदुबे, श्री शान्ताराम

प्रभु, श्री आर०

प्रधानी, श्री के०

प्रसन्न कुमार, श्री एस० एन०

पुलय्या, श्री दारुर

कादरी, श्री एस० टी०

राय, श्री एम० रामन्ना

राजन, श्री के० ए०

राजेश कुमार सिंह, श्री

राम, श्री रामस्वरूप

रामलिंगम, श्री एन०, कुदन्तई

राममूर्ति, श्री के०

रामुलु श्री एच० जी०

रणवीर सिंह, श्री

रंगा, प्रो० एन० जी०

रणजीत सिंह, श्री

राव, श्रीमती बी० राधाबाई आनन्द

राव, श्री जगन्नाथ

राव, श्री जलगाम कोन्डाला

राव, श्री एम० नागेश्वर

राव, श्री एम० एस० संजीवी

राव. श्री एम० सत्यनारायण

राव, श्री पी० वी० नरसिंह

रथ, श्री रामचन्द्र

राठवा, श्री अमर सिंह

राठौर, श्री उत्तम

राउत्त, श्री भोला

रवाणी, श्री नवीन

रावत, श्री हरीश चन्द्र सिंह

रेड्डी, श्री जी० एस०

रेड्डी, श्री जी० नरसिम्हा

रेड्डी, श्री के० ओबुल

रेड्डी, श्री के० विजय भास्कर

रेड्डी, श्री एम० राम गोपाल

रेड्डी, श्री पी० बायपा

रेड्डी, श्री पी० वेंकट

रति, श्री जयनारायण

राय, श्री ए० के०

राय, डा० सरदीश

राय प्रधान, श्री अमर

साहा, श्री अजित कुमार

साहा, श्री गदाधर

साही, श्रीमती कृष्णा

साहू, श्री नारायण

साहू, श्री शिव प्रसाद

सैनी, श्री मनोहर लाल

सेट, श्री इब्राहीम सुलेमान

सज्जन कुमार, श्री

संगमा, श्री पी० ए०

संखबार, श्री आशकरन

साठे, श्री वसन्त

सतीश प्रसाद सिंह, श्री

सत्यदेव सिंह, प्रो०

सावन्त, श्री टी० एम०

सईद, श्री पी० एम०

सिन्धिया, श्री माधवराव

सेबस्तियन, श्री एस० ए० दोराई

सेलवाराजू, श्री एन०

सेन, श्री ए० के०

सेन, श्री सुबोध

सेठी, श्री अर्जुन

सेठी, श्री पी० सी०

शैलानी, श्री चन्द्रपाल

शक्तावत, प्रो० निर्मला कुमारी

शाक्य, श्री दया राम

शाक्य, श्री राम सिंह

शक्यवार, श्री नाथूराम

शमन्ना, श्री टी० आर०

शंकरानन्द, श्री बी०

शनमुगम, श्री पी०

शर्मा, श्री चिरंजी लाल

शर्मा, श्री काली चरण

शर्मा, श्री सुन्दर

शर्मा, श्री नन्द किशोर

शर्मा, श्री नवल किशोर

शर्मा, श्री प्रताप भानु

शर्मा, डा० शंकर दयाल

शर्मा, श्री विश्वनाथ

शास्त्री, श्री धर्मदास

शास्त्री, श्री हरि कृष्ण

शास्त्री, श्री राजनाथ सोनकर

शास्त्री, श्री रामावतार

शेजवलकर, श्री एन०के०

शिगडा, श्री डी० बी०

शिव शंकर, श्री पी०

शिवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री

शुक्ल, श्री विद्या चरण

सिदनाल, श्री एस० बी०

सिंगारावाडीवेल, श्री एस०

सिंह, श्री बी० डी०

सिंह, डा० बी० एन०

सिंह, श्री सी० पी० एन०

सिंह, श्री धर्मंगज

सिंह, कुमारी पुष्पा देवी

सिंह, देव, श्री के० पी०

सिंह, श्री धर्मवीर

सिन्हा, श्री निर्मल

सिन्हा, श्रीमती रामदुलारी

सिंह, श्री सत्येन्द्र नारायण

शिव प्रकाशम, श्री डी० एस० ए०

सोलंकी, श्री बाबू लाल

सोलंकी, श्री नटवरसिंह

सोनकर, श्री कल्पनाथ

सोरन, श्री हरिहर

सोरन, श्री शिबु

सुन्दरराजन, श्री एन०

स्पैरो, श्री आर० एस०

श्रीनिवास प्रसाद, श्री वी०

स्टीफन, श्री सी० एम०

सुब्बा, श्री पी० एम०

सुबुरमण, श्री ए० जी०

सुखाड़िया, श्री मोहन लाल

सुखबन्स कौर, श्रीमती

सुल्तान पुरी, श्री कृष्ण दत्त

सुन्दर सिंह, श्री

सूरज भान, श्री

सूर्य नारायण सिंह, श्री

सूर्यवन्शी, श्री नरसिंह

स्वामी, श्री के० ए०

स्वामीनाथन, श्री आर० बी०

स्वामीनाथन, श्री वी० एन०

स्वामी, डा० सुब्रह्मण्यम

टन्डन, श्री प्रभुनारायण

तपेश्वर सिंह, श्री

तारिक अनवर, श्री

तेइयेंग, श्री सोबेंग

तैयब हुसन, श्री

तिवारी, श्री कृष्ण प्रकाश

तिवारी, प्रो० के० के०

ठाकुर, श्री शिव कुमार सिंह

थामस, श्री स्कारिया

थोरट, श्री भाउसाहिब

थुगोन, श्री पी० के०

तिरकी, श्री पीयूष

तिवारी, श्री चन्द्रभाल मणि

तिवारी, श्री नारायण दत्त

तिवारी, श्री राम गोपाल

त्रिलोक, चन्द्र, श्री

त्रिपाठी, श्री कमलापति

त्रिपाठी, श्री राम नारायण

टुडु, श्री मनमोहन

तुर, श्री लहना सिंह

टाईटलर, श्री जगदीश

उइके, श्री छोटे लाल

उन्नीकृष्ण, श्री के० पी०

वैराले, श्री मधुसूदन

वाजपेयी, श्री अटल बिहारी

वर्मा, श्री जय राम

वर्मा, श्री रवीन्द्र

वेलू, श्री ए० एम०

वेंकटरामन, श्री आर०

वेंकटसुब्बय्या, श्री पी०

वर्मा, श्री दीनबन्धु

वर्मा, श्री फूलचन्द

वर्मा, श्री रीतलाल प्रसाद

वर्मा, श्री रघुनाथ सिंह

वर्मा, श्री शिव शरण

वर्मा, श्रीमती ऊषा

विजयराघवन, श्री वी० एस०

वीरभद्र सिंह, श्री

व्यास, श्री गिरधारी लाल

वाहा, डा० प्रताप

वासनिक, श्री बालकृष्ण रामचन्द्र

यादव, श्री चन्द्रजीत

यादव, श्री छोटे सिंह

यादव, श्री डी० पी०

यादव, श्री आर० एन०

यादव, श्री राजेन्द्र प्रसाद

यादव, श्री राम सिंह

यादव, श्री सुभाष चन्द्र

यादव, श्री विजय कुमार

याजदानी, डा० गोलम

यूसफ, श्री मोहम्मद

जैल सिंह, श्री

जायनल अबेदिन, श्री

जैनल बशर, श्री

विपक्ष में

*नारायण, श्री के० एस

*शाक्य, श्री दया राम

भीम सिंह, श्री

*गलती से विपक्ष में मतदान किया ।

उपाध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन, मत-विभाजन का परिणाम* इस प्रकार है :

पक्ष में : 345

विपक्ष में : 003

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

1.00 म० प०

खण्ड 2

उपाध्यक्ष महोदय : मैं खण्ड 2 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं। क्योंकि यह सांविधानिक (संशोधन) विधेयक है, इसलिए मतदान मत-विभाजन द्वारा होगा। कृपया दीर्घाएं खाली कर दीजिए।

अब दीर्घाएं खाली कर दी गई हैं। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ।

1.04 म० प०

पक्ष में 367-0

मत-विभाजन संख्या 10

अब्बासी, श्री काजी जलील

अब्दुल समद, श्री

आचार्य, श्री बसुदेव

* निम्नलिखित सदस्यों ने भी पक्ष में अपना मतदान किया :—

सर्वश्री हरिनाथ मिश्र, गोदिल प्रसाद अनुरागी, परसराम भारद्वाज, मन्नीलाल, जाम्बुवंत, घोटे, डूमर लाल बैठा, चित्तूरी सुब्बा राव चौधरी, सेत हेमब्रम, आर० एस० भाने, डा० के० नायकर, डी० बी० शिगड़ा, रेशमा मोतीराम भोये, लाला राम केन, भरत कुमार मालदेव जी ओडेदरा, आर० एन० यादव, रामायण राय, रामजी भाई मावणि, हीरालाल आर० परमार, कमालुद्दीन अहमद, टी० दामोदर रेड्डी, के० ए० स्वामी, यशवंतराव चव्हाण, बिन्देश्वरी दुबे, रामेश्वर नीखरा, राम नारायण त्रिपाठी, चन्द्रभाल मणि तिवारी, बाजूबन आर० खारलुखी, नगनगोम मोहेन्द्रा, सत्यनारायण जटिया, ई० बालानन्दन, रघुनाथ सिंह वर्मा, गयूर अली खां, पी० वी० जी० राजू, के० लकप्पा, के० एस० नारायण, दयाराम शाक्य।

अग्रवाल, श्री सतीश

अहमद, श्री मोहम्मद असरार

अहमद, बेगम आबिदा

अहमद, श्री गुलशेर

अजीत प्रताप सिंह

अल्लूरी, श्री सुभाष चन्द्र बोस

अमरेन्द्र सिंह, श्री

आनन्द सिंह, श्री

अंकिनीडू, श्री एम०

अंकिनीडू प्रसाद राव, श्री पी०

अन्सारी, श्री जियाउर्रहमान

एन्थनी, श्री फ्रैंक

अनुरागी, श्री गोदिल प्रसाद

अनवार अहमद, श्री

अप्पालानायडू, श्री एस०आर०ए०एस०

अराकल, श्री जेवियर

अरुणाचलम, श्री एम०

अशफाक हुसैन, श्री

आजाद, श्री भागवत झा

आजाद, श्री गुलाम नबी

आजमी, डा० ए० यू०

बागुन, सुम्बरुई, श्री

बेरवा, श्री बनवारी लाल

बैठा, श्री डूमर लाल

वाजपेयी, डा० राजेन्द्र कुमारी

बालानन्दन, श्री ई०

बालेश्वर राम, श्री

बनारसी दास, श्री

बन्सी लाल, श्री

बर्मन, श्री पलाश

बैरो, श्री ए०ई०टी०

बसु, श्री चित्त

बहेरा, श्री रास बिहारी

भगत, श्री बी० आर०

भगत, श्री एच० के० एल०

भगवान देव, आचार्य

भक्त, श्री मनोरंजन

भारद्वाज, श्री परसराम

भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल

भीखाभाई, श्री

भोई, डा० कृपासिंधु

भोले, श्री आर० आर०

भूरिया, श्री दिलीप सिंह

भूयन, श्री भुवनेश्वर

बीरबल, श्री]

बीरेन्द्र सिंह, राव

विष्णु प्रसाद, श्री

विश्वास, श्री अजय

बोड्डेपल्ली, श्री राजगोपाल राव

ब्रार, श्रीमती गुरबिन्दर कौर

बृजेन्द्रपाल सिंह, श्री

बूटा सिंह, श्री

चक्रवर्ती, श्री सत्यसाधन

चक्रधारी सिंह, श्री

चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल

चन्द्रशेखरप्पा, श्री टी० वी०

चरणजीत सिंह, श्री

चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती

चौधरी, श्री मनफूल सिंह

चव्हाण, श्री एस० बी०

चव्हाण, श्री यशवन्तराव

चेन्नुपति, श्रीमती विद्या

चिंगवांग कोनयक, श्री

चौधरी, श्रीमती ऊषा प्रकाश

चौधरी, श्री ए० बी० ए० गनी खान

चौधरी, श्री सैफुद्दीन

चौहान, श्री फतेहभान सिंह

चौधरी, श्री चित्तूरी सुब्बा राव

दाभी, श्री अजीत सिंह

डागा, श्री मूलचन्द

दलबीर सिंह, श्री

दलबीर सिंह, श्री

डामोर, श्री सोमजीभाई

दण्डवते, प्रो० मधु

दास, श्री अनादि चरण

दत्त, श्री अमल

डेनिस, श्री एन०

देसाई, श्री वी० वी०

देव, श्री संतोष मोहन

देवराजन, श्री वी०

दंडपाणि, श्री सी० टी०

दिगम्बर सिंह, श्री

डोगरा, श्री गिरधारी लाल

डूंगर सिंह, श्री

दुबे, श्री बिन्देश्वरी

दुबे, श्री रामनाथ

एक्का, श्री क्रिस्टोफर

ऐंगटी, श्री बीरेन सिंह

ईरा मोहन, श्री

फैलीरो, श्री एडुआर्डो

फर्नान्डीस, श्री ओस्कर

गाडगिल, श्री वी० एन०

गधावी, श्री भेरावदन के०

गायकवाड़, श्री आर० पी०

गायकवाड़, श्री उदय सिंह राव

गामित, श्री छीतू भाई

गांधी, श्रीमती इंदिरा

गांधी, श्री राजीव

गावित, श्री मणिक राव होडल्य

गहलोत, श्री अशोक

घोष, गोस्वामी, श्रीमती विभा

गुफरान आजम, श्री

गिरिराज सिंह

गोगोई, श्री तरुण

गोहिल, श्री जी० बी०

गोमांगो, श्री गिरिधर

गौजगिन, श्री एन०

गौडा, श्री डी० एम० पुत्ते

गौडा, श्री एच० एन० नन्जे

गोयल, श्री कृष्ण कुमार

गुप्त, श्री इन्द्रजीत

हाकम सिंह, श्री

हाल्दर, श्री कृष्ण चन्द्र

हन्नान मोल्लाह, श्री

हरिकेश बहादुर, श्री

होरो, श्री एन० ई०

इम्बीचीबावा, श्री ई० के०

जदेजा, श्री दौलत सिंह जी

जाफर शरीफ, श्री सी० के०

जगजीवन राम, श्री

जयदीप सिंह, श्री

जैन, श्री भीकू राम

जैन, श्री निहाल सिंह

जैन, श्री वृद्धि चन्द

जमीलुर्रहमान, श्री

जेना, श्री चिन्तामणि

जितेन्द्र प्रसाद, श्री

काहनडोल, श्री जैड० एम०

कमल नाथ, श्री

कमला कुमारी, कुमारी

कर्मा, श्री लक्ष्मण

कौल, श्रीमती शीला

कौशल, श्री जगन्नाथ

केन, श्री लाला राम

कैयर भूषण, श्री

खां, श्री आरिफ मोहम्मद

खां, श्री मयूर अली

खां, श्री मलिक एम० एम० ए०

खां, श्री जुल्फिकार अली

किदवई, श्रीमती मोहसिना

कोसलराम, श्री के० टी०

कृष्ण, श्री एस० एम०

कृष्ण प्रताप सिंह, श्री

कृष्णन्, श्री जी० वाई०

क्षीरसागर, श्रीमती केशरबाई

कुचन, श्री गंगाधर एस०

कुलनदईवेलु, डा० बी०

कुन्हम्बु, श्री के०

कुंवर राम, श्री

कुरियन, प्रो० पी० जे०

लकप्पा, श्री के०

लास्कर, श्री निहार रंजन

लारेंस, श्री एम० एम०

माधुरी सिंह, श्रीमती

महाबीर प्रसाद, श्री

महाजन, श्री विक्रम

महाजन, श्री वाई० एस०

महाला, श्री आर० पी०

महाटा, श्री चित्त

महेन्द्र प्रसाद, श्री

मैत्रा, श्री सुनील

मकवाना, श्री नरसिंह

मालन्ना, श्री के०

मलिक, श्री लक्ष्मण

मल्लिकार्जुन, श्री

मल्लु, श्री अनन्त रामुलु

मण्डल, श्री सनत कुमार

माने, श्री आर० एस०

मणि, श्री के० बी० एस०

मावणि, श्री रामजीभाई

मायातेवर, श्री के०

मीणा, श्री रामकुमार

मेहता, प्रो० अजित कुमार

मेहता, डा० महिपतराय एम०

महालगी, श्री आर० के०

मिर्धा, श्री नाथूराम

मिश्र, श्री गार्गी शंकर

मिश्र, श्री रामनगीना

मिश्र, श्री उमा कान्त

मिश्र, श्री हरिनाथ

मिश्र, श्री नित्यानन्द

महन्ती, श्री बृजमोहन

मोहिते, श्री यशवन्तराव

मोहसिन, श्री एफ० एच०

मोरे, श्री रामकृष्ण

मोतीलाल सिंह, श्री

मुखर्जी, श्रीमती गीता

मुखर्जी, श्री समर

मुखोपाध्याय, श्री आनन्द गोपाल

मूर्ति, श्री एम० राजशेखर

मूर्ति, श्री एम० वी० चन्द्रशेखर

मुत्तेमवार, श्री विलास

मुजफ्फर हुसैन, श्री सैयद

नगीना राय, श्री

नायडू, श्री पी० राजगोपाल

नायक, श्री जी० देवराय

नायकर, श्री डी० के०

नायर, श्री बी० के०

नामग्याल, श्री पी०

नन्दी येल्लैया, श्री

नारायण, श्री के० एस०

नेहरू, श्री अरुण कुमार

नेताम, श्री अरविन्द

निहालसिंहवाला, श्री जी० एस०

नीखरा, श्री रामेश्वर

नुरुल इस्लाम, श्री

उराव, श्रीमती सुमति

पांडे, श्री कृष्णचन्द्र

पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि

पनिक्का, श्री राम प्यारे

पराशर, प्रो० नारायण चन्द

पारधी, श्री केशवराव

पार्थसारथी, श्री, पी०

पासवान, श्री राम विलास

पटेल, श्री अहमद मोहम्मद

पटेल, श्री सी० डी०

पटेल, श्री मोहनलाल

पटेल, श्री शान्तुभाई

पाठक, श्री आनन्द

पाटिल, श्री ए० टी०

पाटिल, श्री बालासाहिब बिखे

पाटिल, श्री चन्द्रभान आठरे

पाटिल, श्रीमती शालिनी

पाटिल, श्री शंकरराव

पाटिल, श्री शिवराज वी०

पाटिल, श्री उत्तमराव

पाटिल, श्री वीरेन्द्र

पाटिल, श्री विजय एन०

पटनायक, श्रीमती जयन्ती

पट्टाभिरामा राव, श्री एस० बी० पी०

पत्तुस्वामी, श्री डी०

पवार, श्री बालासाहिब

फुलवारिया, श्री विरदा राम

पाइलट, श्री राजेश

पुजारी, श्री जनार्दन

पोटदुखे, श्री शान्ताराम

प्रभु, श्री आर०

प्रधानी, श्री के०

प्रसन्न कुमार, श्री एस० एन०

पुलख्या, श्री दारूर

कादरी, श्री एस० टी०

राय, श्री एम० रामन्ना

राजन, श्री के० ए०

राजेश कुमार सिंह, श्री

राम, श्री राम स्वरूप

रामलिंगम, श्री एन० कुदन्तई

राममूर्ति श्री, के०

रणवीर सिंह, श्री

रंगा, प्रो० एन० जी०

रणजीत सिंह, श्री

राव, श्रीमती बी० राधाबाई आनन्द

राव, श्री जगन्नाथ

राव, श्री जलगाम कोन्डाला

राव, श्री एम० नागेश्वर

राव, श्री एम० एस० संजीवी

राव, श्री एम० सत्यनारायण

राव, श्री पी० वी० नरसिंह

रथ, श्री रामचन्द्र

राठवा, श्री अमर सिंह

राठौर, श्री उत्तम

राउत, श्री भोला

रवाणी, श्री नवीन

रावत, श्री हरीश चन्द्र सिंह

रेड्डी, श्री जी० एस०

रेड्डी, श्री जी० नरसिम्हा

रेड्डी, श्री के० ओबुल

रेड्डी, श्री के० विजय भास्कर

रेड्डी, श्री एम० राम गोपाल

रेड्डी, श्री पी० बायपा

रेड्डी, श्री पी० वेंकट

रेड्डी, श्री टी० दामोदर

रौत, श्री जय नारायण

राय, श्री ए० के०

राय, डा० सरदीश

राय प्रधान, श्री अमर

साहा, श्री अजित कुमार

साहा, श्री गदाधर

साही, श्रीमती कृष्णा

साहू, श्री नारायण

साहू, श्री शिव प्रसाद

सैनी, श्री मनोहर लाल

सेट, श्री इब्राहिम सुलेमान

सज्जन कुमार, श्री

समीनुद्दीन, श्री

संगमा, श्री पी० ए०

संखवार, श्री आशकरन

सारण, श्री दौलतराम

साठे, श्री वसन्त

सतीश प्रसाद सिंह, श्री

सावन्त, श्री टी० एम०

सेबस्तियन, श्री एस० ए० दोराई

सेन, श्री ए० के०

सेन, श्री सुबोध

सेठी, श्री अर्जुन

शैलानी, श्री चन्द्रपाल

शक्तावत, प्रो० निर्मला कुमारी

शाक्य, श्री दयाराम

शंकरानन्द श्री बी०

शनगुमन, श्री पी०

शर्मा, श्रीचिरंजी लाल

शर्मा, श्री काली चरण

शर्मा, श्री नन्द किशोर

शर्मा, श्री नवल किशोर

शर्मा, श्री प्रताप भानु

शर्मा, डा० शंकर दयाल

शास्त्री, श्री धर्मदास

शास्त्री, श्री हरिकृष्ण

शास्त्री, श्री रामावतार

शिगडा, श्री डी० बी०

शिवशंकर श्री पी०

शिवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री

सिदनाल, श्री एस० बी०

सिंगारावा डीवेल, श्री एस०

सिंह, श्री सी० पी० एन०

सिंह, श्री धर्मराज

सिंह, कुमारी पुष्पा देवी

सिंह, देव, श्री के० पी०

सिंह, श्री धर्मवीर

सिन्हा, श्री निर्मल

सिन्हा, श्रीमती रामदुलारी

सोलंकी, श्री बाबूलाल

सोरन, श्री हरिहर

सोरन, श्री शिबु

सुन्दरराजन, श्री एन०

श्री निवास प्रसाद, श्री वी०

सुब्बुरमण श्री ए० जी०

सुखबन्स कौर, श्रीमती

सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त

सुन्दर सिंह, श्री

सूरज भान, श्री

सूर्यवंशी, श्री नरसिंह

स्वामीनाथन, श्री आर० बी०

टन्डन, श्री प्रभुनारायण

तपेश्वर सिंह, श्री

तिवारी, श्री कृष्ण प्रकाश

तिवारी, प्रो० के० के०

थामस, श्री स्कारिया

थोरट, श्री भाउ साहिब

थुगौन, श्री पी० के०

तिरकी, श्री पीयूष

तिवारी, श्री चन्द्रभाल मणि

तिवारी, श्री राम गोपाल

त्रिपाठी, श्री कमला पति

त्रिपाठी, श्री राम नारायण

टुडु, श्री मनमोहन

टाईटलर, श्री जगदीश

उइके, श्री छोटेलाल

उन्नीकृष्ण, श्री के० पी०

वैराले, श्री मधुसूदन

वाजपेयी, श्री अटल बिहारी

वर्मा, श्री जय राम

वर्मा, श्री रवीन्द्र

वेलू, श्री ए० एम०

वेंकटसुब्बय्या, श्री पी०

वर्मा, श्री दीन बन्धु

वम , श्री रघुनाथ सिंह

वर्मा, श्रीमती ऊषा

विजयराघवन, श्री वी० एस०

व्यास, श्री गिरिधारी लाल

वाघ, डा० प्रताप

वासनिक, श्री बालकृष्ण रामचन्द्र

यादव, श्री डी० पी०

यादव श्री इन्द्रजीत

यादव, श्री राजेन्द्र प्रसाद

यादव, श्री रामसिंह

यादव, श्री सुभाष चन्द्र

यादव, श्री विजय कुमार

याजदानी, डा० गोलम

यूसफ, श्री मोहम्मद

जैल सिंह, श्री

जायनल अबेदिन, श्री

जैनल बशर, श्री

विपक्ष में : शून्य

उपाध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्याधीन, मत विभाजन का परिणाम × इस प्रकार है :

पक्ष में : 367

विपक्ष में : शून्य

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड 1

संशोधन किए गए

पृष्ठ 1, पंक्ति 4

"1983" के स्थान पर "1984" —(2)

प्रतिस्थापित किया जाए ।

पृष्ठ 1, पंक्ति 3"

× निम्नलिखित सदस्यों ने भी पक्ष में अपना मतदान किया :—

सर्व श्री मन्नी लाल, जाम्बूवंत छोटे, सेत हेमब्रम, एच० जी० रामुलु, आई० वाई० घोरपांडे, रेशमा मोतीराम भोये, भरतकुमार, मालदेवजी ओडेदरा, प्रो० सत्यदेव सिंह, रामायण राय, हीरालाल आर० परमार, कमालुद्दीन अहमद, के० ए० स्वामी, सोवेंग तेइयेंग, गुफरान आजम, बाजूवन आर० खारलुखी, जयपाल सिंह कश्यप, नगनमोम मोहेन्द्रा, सत्यनारायण जटिया, पुचालापल्ली पेंचालैया, राजनाथ सोनकर शास्त्री, जगपाल सिंह, पी० वी० जी० राजू और जी० भूपति ।

"अड़तालीसवां" के स्थान पर "सैंतालीसवां" —(3)

प्रतिस्थापित किया जाए (श्रीमती मोहसिना किदवई)

उपाध्यक्ष महोदय : इससे पहले कि मैं यथा संशोधित खण्ड 1 को सभा में मतदान के लिए रखूं, यह संख्या·····है न कि वह।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : श्रीमन्, इतने वर्षों के बाद भी, आप अभी प्रशिक्षणरत हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : इसका अर्थ है कि आपने मुझे सही ढंग से प्रशिक्षण नहीं दिया।

खण्ड 1 के लिए साधारण बहुमत ही पर्याप्त है।

अब, प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : अब, अधिनियमन सूत्र। इसके लिए भी साधारण बहुमत चाहिए।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : श्रीमन्, खण्ड 1, संशोधित रूप में, इसे रिकार्ड भी करना है। वह गलती न कीजिए। कृपया मतदान कराएं। दूसरों को अनावश्यक बात कहने का मौका क्यों दिया जाए ?

उपाध्यक्ष महोदय : इसे स्वीकृत किया गया है। मैंने पहले ही इस पर मतदान करवाया है और यह स्वीकृत हुआ है।

अब, श्रीमती मोहसिना किदवई। क्या आप अधिनियमन सूत्र पर सरकारी संशोधन पेश करेंगी ?

श्रीमती मोहसिना किदवई : श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करती हूं :

पृष्ठ 1, पंक्ति 1

"चौंतीसवें" के स्थान पर "पैंतीसवें"

प्रतिस्थापित किया जाए। —(1)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ 1, पंक्ति 1

"चौंतीसवें" के स्थान पर "पैंतीसवें"

प्रतिस्थापित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब अधिनियमन सूत्र। इसके लिए भी सामान्य बहुमत चाहिए। प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदया अब प्रस्ताव करें कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाए।

श्रीमती मोहसिना किदवई : श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि विधेयक संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : हां, श्री राम विलास पासवान, अब आप बोल सकते हैं। आप पहले ही इस संशोधन या खुद विधेयक का समर्थन कर रहे हैं।

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। लेकिन एक चीज के लिए सरकार से आग्रह करना चाहूंगा—एक्ट अलग होता है, फैक्ट अलग होता है। कानून बहुत से बने हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज है—पोलिटीकल-बिल, काम करने की इच्छा। यदि उस तरफ जाएं तो मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा—इस देश में 5 प्रतिशत आदमियों के पास 75 प्रतिशत जमीन है और 95 प्रतिशत के पास 20 से 25 प्रतिशत जमीन है। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 56 लाख एकड़ जमीन सरप्लस निकली थी, उसमें से 40 लाख एकड़ घोषित की गई, उस 40 लाख एकड़ में से 23 लाख एकड़ कब्जे में ली गई और इसमें से 17 लाख एकड़ का बटवारा हुआ। इसका मतलब है कि अभी भी 11 लाख एकड़ ऐसी जमीन है जिसका बटवारा नहीं हुआ है। आप जो कानून बना रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जहां सीलिंग एक्ट है, वहां भी—मैं विशेष रूप से बिहार के बारे में बतलाता हूं—एक-एक आदमी के पास 20-20 हजार एकड़ जमीन है। कोई कुत्ते के नाम पर है, कोई बिल्ली के नाम पर है, कोई घोड़े के नाम पर है।

इस तरह से लोगों के पास जमीन है। गया से जो हमारे साथी आते हैं, उनको मालूम है कि गया के महन्त के पास कितने हजार एकड़ जमीन है और जो गरीब लोग हैं, उनके पास एक एकड़

जमीन भी नहीं है।···(व्यवधान)··· यह जो मैं कह रहा हूं यह सरकार की घोषित नीति के मुताबिक ही है और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जोकि सरकारी पक्ष को बुरी लगे। मैं यह कहना चाहता हूं कि ये जो कानून आप बनाते है, इनको कड़ाई से पालन आपको कराना चाहिए। सरकार जब कानून बनाती है, तो उसमें जमीन निकालने की हिम्मत भी होनी चाहिए और इसमें सरकार की नीयत साफ होनी चाहिए। आज हमारे देश में एक तरफ 75 प्रतिशत गरीब भूमिहीन हैं और दूसरी तरफ इस देश में एक-एक आदमी के पास 20-20 हजार एकड़ जमीन है। ये लोग देश के शोषक हैं, देश के हत्यारे हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि जो जमीन को जोते, बोये, वही जमीन का मालिक होना चाहिए और जमीन उसको मिलनी चाहिए, जो जमीन को आबाद कर सके। एक आदमी 5 हजार रुपये महीना कमाता है और उसका विजनेस भी चल रहा है और उसके पास 10 ह० एकड़ जमीन भी है, यह स्थिति सरकार को नहीं रहने देनी चाहिए।

अन्त में मैं यही कहना चाहता हूं कि जो विधेयक आप लाए हैं, उसका मैं समर्थन करता हूं और समर्थन के साथ-साथ मैं सरकार से आग्रह करूंगा, अपील करूंगा कि वह सिर्फ कानून ही न बनाए, सिर्फ संविधान में संशोधन ही न करे बल्कि जो भी कानून बनाए, उसको कड़ाई से लागू कराए और सरकार यह वचन भी दे कि आगामी एक साल के अन्दर, दो साल के अन्दर, कोई ऐसा आदमी नहीं बचेगा, जिसके पास सरप्लस जमीन रहेगी, कानून से अधिक जमीन नहीं रहेगी।

श्रीमती मोहसिना किदवई : इससे पहले मैं सारी बातों का जबाव दे चुकी हूं। माननीय सदस्य ने जो खयालात का इजहार किया है, वह इस विषय से उठता नहीं है लेकिन जो उन्होंने जमीन के बारे में कन्सर्न शो किया है, उनके और हमारे खयालात मिलते हैं। हमारी यह कोशिश है कि लोगों को मालिकाना हक दिए जाएं और जितनी भी लैंड रिफार्म्स की बातें की जा रही हैं, वे सरकार की पालीटीकल बिल के जरिए से आ रही है। पूरी कड़ाई के साथ कोशिश की जा रही है कि इन कानूनों को इम्पलीमेंट किया जाए। यह स्टेट सबजेक्ट है, इसलिए स्टेट्स को गाइडलाइन्स दी जाती हैं और जो लेकूनाज सामने आते हैं, उनके बारे में बार-बार उनको कहा जाता है कि वे उनको दूर करें और कड़ाई के साथ उन कानूनों को इम्पलीमेंट कराएं ताकि जो सोशल जस्टिस है, एकोनामिक जस्टिस है, वह इन गरीब तबके के लोगों को, फिरकों के लोगों को मिल सके और कानून के जरिए ज्यादा से ज्यादा सहूलियत इन को मिल सके।

उपाध्यक्ष महोदय : इससे पहले कि मैं यह प्रस्ताव "कि विधेयक संशोधित रूप से पारित किया जाए।" सभा में मतदान के लिए प्रस्तुत करूं और चूंकि यह संविधान संशोधन विधेयक है और मतदान मतविभाजन द्वारा किया जाएगा, दीर्घाएं खाली कर दी जाएं।

दीर्घाएं खाली कर दी गई हैं। प्रश्न यह है :

"कि विधेयक संशोधित रूप से पारित किया जाए।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ : 394-0

1.19 म० प०

पक्ष में

मत-विभाजन संख्या : 11

अब्बासी, श्री काजी जलील

अब्दुल समद, श्री

आचार्य, श्री बसुदेव

अग्रवाल, श्री सतीश

अहमद, श्री मोहमद असरार

अहमद, बेगम आबिदा

अहमद, श्री गुलशेर

अहमद, श्री कमालुद्दीन

अल्लूरी, श्री सुभाष चन्द्र बोस

आनन्द सिंह, श्री

अंकिनीडू, श्री एम०

अंकिनीडू प्रसाद राव, श्री पी०

अन्सारी, श्री जियाउर्रहमान

एन्थनी, श्री फ्रैंक,

अनुरागी, श्री गोदिल प्रसाद

अनवार अहमद, श्री

अप्पालानायडू, श्री एस० आर० ए० एस०

अराकल, श्री जेवियर

अरुणाचलम, श्री एम०

अशफाक हुसैन, श्री

आजाद, श्री भागवत झा

आजाद, श्री गुलाम नवी

आजमी, डा० ए० यू०

बागुन सुम्बरुई, श्री

बेरवा, श्री बनवारी लाल

बैठा, श्री डूमर लाल

वाजपेयी, डा० राजेन्द्र कुमारी

बालन, श्री ए० के०

बालानन्दन, श्री ई०

बालेश्वर राम, श्री

बनारसी दास, श्री

बन्सी लाल, श्री

बर्मन, श्री पलाश

बैरो, श्री ए० ई० टी०

बसु, श्री चित्त

बहेरा, श्री रास बिहारी

भगत, श्री बी० आर०

भगत, श्री एच० के० एल०

भगवान देव, आचार्य

भगत, श्री मनोरंजन

भारद्वाज, श्री परसराम

भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल

भट्टाचार्य, श्री सुशील

भीखाभाई, श्री

भीम सिंह, श्री

भोई, डा० कृपासिन्धु

भोले, श्री आर० आर०

भोये, श्री रेशमा मोतीराम

भूरिया, श्री दिलीप सिंह

भूयन, श्री भुवनेश्वर

बीरबल, श्री

बीरेन्द्र सिंह, राव

विष्णु प्रसाद, श्री

विश्वास, श्री अजय

बोड्डेपल्ली, श्री राजगोपाल राव

ब्रार, श्रीमती गुरबिन्दर कौर

बृजेन्दपाल सिंह, श्री

बूटा सिंह, श्री

चक्रधारी सिंह, श्री

चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल

चन्द्रशेखरप्पा, श्री टी० वी०

चरणजीत सिंह, श्री

चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती

चौधरी, श्री मनफूल सिंह

चौधरी, श्री मोतीभाई, आर०

चौधरी, श्री त्रिदिब

चव्हाण, श्री एस० बी०

चव्हाण, श्री यशवन्तराव

चेन्नुपति, श्रीमती विद्या

चिंगवांग कोनयक, श्री

चौधरी, श्री चित्तुरी सुब्बा राव

चौधरी, श्रीमती ऊषा प्रकाश

चौधरी, श्री ए० बी० ए० गनी खान

चौधरी, श्री सैफुद्दीन

चौहान, श्री फतेहभान सिंह

दाभी, श्री अजीत सिंह

डागा, श्री मूलचन्द

दलबीर सिंह, श्री

दलबीर सिंह, श्री

डामोर, श्री सोमजीभाई

दण्डवते, प्रो० मधु

दण्डवते, श्रीमती प्रमिला

दास, श्री अनादि चरण

दत्त, श्री अमल

डेनिस, श्री एन०

देसाई, श्री बी० वी०

देव, श्री सन्तोष मोहन

देवराजन, श्री वी०

दण्डपाणि, श्री सी० टी०

दिगम्बर सिंह, श्री

डोगरा, श्री गिरधारी लाल

डूंगर सिंह, श्री

दुबे, श्री बिन्देश्वरी

दुबे, श्री रामनाथ

एक्का, श्री क्रिस्टोफर

ऐगरी, श्री बीरेन सिंह

ईरा मोहन, श्री

फैलीरो, श्री एडुआर्डो

फर्नान्डीस, श्री ओस्कर

गाडगिल, श्री बी० एन०

गद्दावी; श्री भेरावदन के०

गायकवाड़, श्री आर० पी०

गायकवाड़, श्री उदयसिंह राव

गामित, श्री छीतूभाई

गांधी, श्रीमती इन्दिरा

गांधी, श्री राजीव

गावित, श्री मानिकराव होडल्य

गहलोत, श्री अशोक

घारपाड़े, श्री आर० वाई०

घोष, गोस्वामी, श्रीमती विभा

गुफरान आजम, श्री

गिरिराज सिंह

गोगोई, श्री तरुण

गोहिल, श्री जी० बी०

गोमांगो, श्री गिरिधर

गौजगिन, श्री, एन०

गौडा, श्री डी० एम० पुत्ते

गौडा, श्री एच० एन० नन्जे

गोयल, श्री कृष्ण कुमार

गुप्त, श्री इन्द्रजीत

हाकम सिंह, श्री

हाल्दर, श्री कृष्ण चन्द्र

हन्नान मोल्लाह, श्री

हरिकेश बहादुर, श्री

हेमब्रम, श्री सेत

होरो, श्री एन० ई०

इम्बीचीबावा, श्री ई० के०

जदेजा, श्री दौलतसिंह जी

जाफर शरीफ, श्री सी० के०

जगजीवन राम, श्री

जगपाल सिंह, श्री

जयदीप सिंह, श्री

जैन, श्री भीकू राम

जैन, श्री निहाल सिंह

जैन, श्री वृद्धि चन्द

जमीलुर्रहमान, श्री

जेना, श्री चिन्तामणि

जितेन्द्र प्रसाद, श्री

काहनडोल, श्री जैड० एम०

कैलाशपति, श्रीमती

कमल नाथ, श्री

कमला कुमारी, कुमारी

कंडास्वामी, श्री एम०

कर्मा, श्री लक्ष्मण

कश्यप, श्री जयपाल सिंह

कौल, श्रीमती शीला

कौशल, श्री जगन्नाथ

केन, श्री लाला राम

केयर भूषण, श्री

खां, श्री आरिफ मोहम्मद

खां, श्री मयूर अली

खां, श्री मलिक एम० एम० ए०

खां, श्री जुल्फिकार अली

खारलुखी, श्री बाजूबन आर०

किदवई श्रीमती मोहसिना

कोसलराम, श्री के० टी०

कृष्ण,, श्री एस० एम०

कृष्ण प्रताप सिंह, श्री

कृष्णन्, श्री जी० वाई०

क्षीरसागर, श्रीमती केशरबाई

कुचन, श्री गंगाधर एस०

कुलनदईवेलु, डा० वी०

कुन्हम्बु, श्री के०

कुवंर राम, श्री

कुरियन, प्रो० पी० जे०

लकप्पा, श्री के०

लास्कर, श्री निहार रंजन

लारेंस, श्री एम० एम०

माधुरी सिंह, श्रीमती

महाबीर प्रसाद, श्री

महाजन, श्री विक्रम

महाजन, श्री वाई० एस०

महाला, श्री आर० पी०

महाटा, श्री चित्त

महेन्द प्रसाद, श्री

मैत्रा, श्री सुनील

मकवाना, श्री नरसिंह

मालन्ना, श्री के०

मलिक, श्री लक्ष्मण

मल्लिकार्जुन, श्री

मल्लु, श्री अनन्त रामुलु

माने, श्री आर० एस०

मणि, श्री के० बी० एस०

मन्नी लाल, श्री

मावणि, श्री रामजीभाई

मायातेवर, श्री के०

मिश्र, श्री गार्गी शंकर

मिश्र, श्री रामनगीना

मिश्र, श्री उमा कान्त

मिश्र, श्री हरिनाथ

मिश्र, श्री नित्यानन्द

महन्ती, श्री बृजमहोन

मोहिते, श्री यशवन्तराव

मोहसिन, श्री एफ० एच०

मोरे, श्री रामकृष्ण

मोतीलाल सिंह, श्री

मुखर्जी, श्री समर

मुखोपाध्याय, श्री आनन्द गोपाल

मूर्ति, श्री एम० राजशेखर

मूर्ति, श्री एम० वी० चन्द्रशेखर

मुथु कुमारन, श्री आर०

मुत्तेमवार, श्री विलास

मुजफ्फर हुसैन, श्री सैयद

नगीना राय, श्री

नायडू, श्री पी० राजगोपाल

नायक, श्री जी० देवराय

नायकर, श्री डी० के०

नायर, श्री बी० के०

नामग्याल, श्री पी०

नन्दी येल्लैया, श्री

नारायण, श्री के० एस०

नेहरू, श्री अरुण कुमार

नेताम, श्री अरविन्द

नगनगोम मोहेन्द्रा, श्री

निहालसिंहवाला, श्री जी० एस०

नीखरा, श्री रामेश्वर

नरुल इस्लाम, श्री

ओडेदरा, श्री मालदेवजी एम०

उराव, श्रीमती सुमति

पलानीअप्पन, श्री सी०

पांडे, श्री कृष्ण चन्द्र

पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि

पनिका, श्री राम प्यारे

पराशर, प्रो० नारायण चन्द

पारधी, श्री केशवराव

परमार, श्री हीरालाल आर०

पार्थ सारथी, श्री पी०

पासवान, श्री राम विलास

पटेल, श्री अहमद मोहम्मद

पटेल, श्री सी० डी०

पटेल, श्री मोहन लाल

पटेल, श्री शान्तुभाई

पाठक, श्री आनन्द

पाटिल, श्री ए० टी०

पाटिल, श्री बालासाहिबे विखे

पाटिल, श्री चन्द्रभान आठरे

पाटिल, श्रीमती शालिनी

पाटिल, श्री शंकरराव

पाटिल, श्री शिवराज वी०

पाटिल, श्री उत्तमराव

पाटिल, श्री वीरेन्द्र

पाटिल, श्री विजय एन०

पटनायक, श्रीमती जयन्ती

पट्टाभिरामा राव, श्री एस० बी० पी०

पत्तुस्वामी, श्री डी०

पवार, श्री बालासाहिब

फुलवारिया, श्री विरदा राम

पाइलट, श्री राजेश

पुजारी, श्री जनार्दन

पोटदुखे, श्री शान्ताराम

प्रभु, श्री आर०

प्रधानी, श्री के०

प्रसन्न कुमार, श्री एस० एन०

पुलक्या, श्री दारूर

कादरी, श्री एस० टी०

राय, श्री एम० रामन्ना

राजन, श्री के० ए०

राजेश कुमार सिंह, श्री

राजू, श्री पी० वी० जी०

राम, श्री राम स्वरूप

रामलिंगम, श्री एन० कुदन्तई

राममूर्ति, के०

रामुलु, श्री एच० जी०

रण वीर सिंह, श्री

रंगा, प्रो० एन० जी०

रणजीत सिंह, श्री

राव, श्रीमती बी० राधाबाई आनन्द

राव, श्री जगन्नाथ

राव, श्री जलगाम कोन्डाला

राव, श्री एम० नागेश्वर

राव, श्री एम० एस० संजीवी

राव, श्री एम० सत्यनारायण

राव, श्री पी० वी० नरसिंह

रथ, श्री रामचन्द्र

राठवा, श्री अमर सिंह

राठौर, श्री उत्तम

राउत, श्री भोला

रवाणी, श्री नवीन

रावत, श्री हरीश चन्द्र सिंह

रेड्डी, श्री जी० एस०

रेड्डी, श्री जी० नरसिम्हा

रेड्डी, श्री के० ओबुल

रेड्डी, श्री के० विजय भास्कर

रेड्डी, श्री एम० राम गोपाल

रेड्डी, श्री पी० वायपा

रेड्डी, श्री पी० वेंकट

रेड्डी, श्री टी० दामोदर

रौत, श्री जय नारायण

राय, श्री ए० के०

राय प्रधान, श्री अमर

साहा, श्री अजित कुमार

साहा, श्री गदाधर

साही, श्रीमती कृष्णा

साहू, श्री नारायण

साहू, श्री शिव प्रसाद

सैनी, श्री मनोहर लाल

सेठ, श्री इब्राहीम सुलेमान

सज्जन कुमार, श्री

समीनुद्दीन, श्री

संगमा, श्री पी० ए०

संखबार, श्री आशकरन

सारण, श्री दौलत राम

साठे, श्री वसन्त

सतीश प्रसाद सिंह, श्री

सत्यदेव सिंह, प्रो०

सावन्त, श्री टी० एम०

सेबस्यिन, श्री एस० ए० दोराई

सेन, श्री ए० के०

सेठी, श्री अर्जुन

सेठी, श्री पी० सी०

शैलानी, श्री चन्द्रपाल

शक्तावत, प्रो० निर्मला कुमारी

शाक्य, श्री दया राम

शक्यवार, श्री नाथूराम

शमन्ना, श्री टी० आर०

शंकरानन्द, श्री बी०

शनमुगम, श्री पी०

शर्मा, श्री चिरजी लाल

शर्मा, श्री काली चरण

शर्मा, नन्द किशोर

शर्मा, श्री नवल किशोर

शर्मा, श्री प्रताप भानु

शर्मा, डा० शंकर दयाल

शास्त्री, श्री धर्मदास

शास्त्री, श्री हरि कृष्ण

शास्त्री, श्री रामावतार

शेजवलकर, श्री एन० के०

शिगड़ा, श्री डी० बी०

शिव शंकर, श्री पी०

शिवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री

शुक्ल, श्री विद्या चरण

सिदनाल, श्री एस० बी०

सिंगारावाडीवेल, श्री एस०

सिंह, श्री सी० पी० एन०

सिंह, श्री धर्मंगज

सिंह, कुमारी पुष्पा देवी

सिंह, देव, श्री के० पी०

सिन्हा, श्री धर्मवीर

सिन्हा, श्री निर्मल

सिंह, श्री पीताम्बर

सिन्हा, श्रीमती रामदुलारी

सिंह, श्री सत्येन्द्र नारायण

शिव प्रकाशम, श्री डी०एस०ए०

सोलंकी, श्री बाबू लाल

सोरन, श्री हरिहर

सोरन, श्री शिबु

सुन्दरराजन, श्री एन०

श्रीनिवास प्रसाद, श्री वी०

सुब्बुरमण, श्री ए०जी०

सुखबन्स कौर, श्रीमती

सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त

सुन्दर सिंह, श्री

सूरज भान, श्री

सूर्यवंशी, श्री नरसिंह

स्वामी, श्री के० ए०

स्वामीनाथन, श्री आर० बी०

टण्डन, श्री प्रभुनारायण

तपेश्वर सिंह, श्री

तेइयेंग, श्री सोबेंग

तिवारी, श्री कृष्ण प्रकाश

तिवारी, प्रो० के० के०

थामस, श्री स्कारिया

थोरट, श्री भाऊसाहिब

थुंगोन, श्री पी०के०

तिरकी, श्री पीयूष

तिवारी, श्री चन्द्रभाल मणि

तिवारी, श्री राम गोपाल

त्रिलोक चन्द्र, श्री

त्रिपाठी, श्री कमलापति

त्रिपाठी, श्री राम नारायण

टुडु, श्री मनमोहन

टाईटलर, श्री जगदीश

उइके, श्री छोटे लाल

उन्नीकृष्ण, श्री के०पी०

वैराले, श्री मधुसूदन

वाजपेयी, श्री अटल बिहारी

वर्मा, श्री जय राम

वर्मा, श्री रवीन्द्र

वेंकटसुब्बय्या, श्री पी०

वर्मा, श्री चन्द्रदेव प्रसाद

वर्मा, श्री रघुनाथ सिंह

वर्मा, श्री दीन बन्धु

वर्मा, श्रीमती ऊषा

विजयराघवन, श्री वी०एस०

व्यास, श्री गिरधारी लाल

वाघ, डा० प्रताप

वासनिक, श्री बालकृष्ण रामचन्द्र

यादव, श्री चन्द्रजीत

यादव, श्री डी० पी०

यादव, श्री आर०एन०

यादव, श्री राजेन्द्र प्रसाद

यादव, श्री राम सिंह

यादव, श्री सुभाष चन्द्र

यादव, श्री विजय कुमार

याजदानी, डा० गोलम

यूसफ, श्री मोहम्मद

जैल सिंह, श्री

जायनल अबेदिन, श्री

जैनल बशर, श्री

विपक्ष में : शून्य

उपाध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन, मत-विभाजन का परिणाम* इस प्रकार है :

पक्ष में : 394

विपक्ष में : शून्य

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों, के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से परित हुआ। यथासंशोधित विधेयक संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबन्धों के अनुसार अपेक्षित बहुमत द्वारा पारित किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

* निम्नलिखित सदस्यों ने भी पक्ष में अपना मतदान किया :—

सर्वश्री जाम्बुवंत घोटे, अजीत प्रताप सिंह, रामायण राय, राम कुमार मीणा, ए० एम० वेलू, पुचालापल्ली पेंचालैया, सनत कुमार मण्डल, सत्यसाधन चक्रवर्ती, सुबोध सेन और डा० सरदीश राय।

1.16 म० प०

संविधान (50वां संशोधन) विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : एक घण्टे का समय दिया गया है। अतः मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे अधिक समय न लें ताकि हम समय पर संशोधन को पारित कर सकें।

गृह मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए"

महोदय, राष्ट्रपति द्वारा पंजाब राज्य के बारे में, संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन दिनांक 6 अक्तूबर 1983 को जारी की गई उद्घोषणा को एक वर्ष से अधिक समय तक लागू नहीं किया जा सकता जब तक कि संविधान के अनुच्छेद 356 के खण्ड 5 में उल्लिखित विशेष शर्तों का पालन न किया जाए। हालांकि विधान सभा को भंग नहीं किया गया है और लोकप्रिय सरकार की स्थापना की जा सकती है, फिर भी राज्य में वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए हो सकता है, 5 अक्तूबर, 1984 के बाद उद्घोषणा को जारी रखना आवश्यक हो। 5 अक्तूबर, 1984 के बाद भी उद्घोषणा को जारी रखने हेतु संसद की दोनों सभाओं द्वारा संकल्प पारित किए जाने के लिए यह आवश्यक है कि संविधान के अनुच्छेद 356 में संशोधन किया जाए। इसलिए यह प्रस्ताव किया गया है कि अनुच्छेद 356 के खण्ड 5 में संशोधन किया जाए ताकि 6 अक्तूबर 1984 से एक वर्ष की अवधि के लिए उपर्युक्त उद्घोषणा को जारी रखा जा सके, अगर आवश्यकता पड़े तो संसद की दोनों सभाओं द्वारा इस हेतु संकल्प पारित किया जाए। यह ध्यान देने वाली बात है कि यह संशोधन केवल पंजाब तक ही सीमित नहीं है बल्कि विशेष रूप से 6 अक्तूबर, 1983 को राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा से सम्बन्धित है।

इस स्थिति में मैं सम्मानित सभा से अनुरोध करता हूं कि वह संविधान (पचासवां संशोधन) विधेयक, 1984 को मंजूरी दे।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव किया गया है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए"

इस विधेयक के लिए एक घण्टे का समय दिया गया है। अब, श्री अमल दत्त भाषण दें।

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : महोदय, यह एक बहुत ही विचित्र संविधान (संशोधन) विधेयक है जिसे सभा के सामने लाया गया है। इस विधेयक का उद्देश्य संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन पंजाब में राष्ट्रपति शासन को एक वर्ष तक और बढ़ाने के लिए सरकार को सहायता देना है। जब से संविधान लागू किया गया था, तब से अब तक, भारत के किसी अन्य राज्य में इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी है। अब इसे आवश्यक समझा गया है, हालांकि पंजाब में विधान मण्डल विद्यमान है, जिसे केवल निलम्बित किया गया है, हालांकि वहां पर ऐसा विधान मण्डल है जिसमें, पंजाब में फिर से लोक प्रिय सरकार स्थापित करने के लिए काफी शक्ति शेष बची है। इसके बाद भी सरकार ने राष्ट्रपति शासन को एक वर्ष के लिए और बढ़ाने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त करने हेतु यह विधेयक लाने में बुद्धिमत्ता समझी है।

पंजाब में राष्ट्रपति शासन का पहला वर्ष 4 अक्तूबर, 1984 को समाप्त हो जायेगा और इसलिए निश्चय ही सरकार को यह आशंका है कि जब तक राष्ट्रपति शासन की एक वर्ष की अवधि 4 अक्तूबर, 1984 को समाप्त होगी, तब तक वह पंजाब में लोक प्रिय सरकार फिर से स्थापित नहीं कर पायेगी। ऐसी आशंका क्यों है ? क्या यह इसलिए है क्योंकि सरकार सोचती कि पंजाब ऐसा राज्य नहीं है जो लोक प्रिय सरकार के लिए योग्य हो ? क्या यह इस तथ्य के कारण है कि प्रशासन इतना नीचे गिर गया है कि पंजाब के प्रशासन पर निर्भर करना सम्भव नहीं है अथवा यह इस कारण है कि सरकार यह सोचती है कि हालांकि पंजाब विधान मण्डल में केन्द्र के सत्तारूढ़ दल को बहुमत प्राप्त है, परन्तु फिर भी उसका विचार है कि पंजाब में सत्तारूढ़ दल के लोग, वही कांग्रेस (इ) के लोग, पंजाब में शासन नहीं कर पायेंगे ?

1.22 म० प० **(श्री चिन्तामणि पाणिग्रही पीठासीन हुए)**

महोदय, हमने देखा है कि पंजाब में सैनिक कार्यवाही के बाद, जिसके द्वारा सरकार ने बहुत प्रशंसा हासिल की है, सरकार उस सैनिक कार्यवाही द्वारा ही पंजाब में फिर से कानून और व्यवस्था कायम कर पाई है। हालांकि हमने इस सैनिक कार्यवाही की निन्दा की थी फिर भी सरकार यही कहती रही कि सैनिक कार्यवाही कानून और व्यवस्था स्थापित करने में सफल हुई है। जैसे ही यह सैनिक कार्यवाही समाप्त हुई, आये दिन बुलेटिन जारी किए जा रहे थे, वक्तव्य जारी किए जा रहे थे कि स्थिति फिर से सामान्य हो गई है। वे कह रहे हैं कि अधिकांश क्षेत्रों में कर्फ्यू हटा दिया गया है और काम-काज सामान्य है। सरकार का दावा है कि पंजाब में स्थिति सामान्य हो गई है। यदि उस दावे पर विश्वास करें और सरकार की बातों पर विश्वास करें तो पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि को बढ़ाने की आवश्यकता ही कहां है ?

ऐसा लगता है, सरकार को पंजाब के अधिकारियों, पंजाब के प्रशासन पर कोई विश्वास नहीं है। सरकार ने, पंजाब प्रशासन का ढांचा फिर से तैयार करने के प्रश्न की जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की है। समिति के अध्यक्ष श्री सुब्रह्मण्यम हैं जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। पहले वे असम सरकार के सलाहकार थे किंतु अब वे पंजाब सरकार के सलाहकार बन गए हैं। पंजाब के भूतपूर्व राज्यपाल श्री बी० डी० पाण्डे, जिन्हें अचानक पश्चिम बंगाल से पंजाब लाया गया था, ने अचानक ही त्यागपत्र इसलिए दे दिया क्योंकि इस बात पर केन्द्र के साथ उनके विचार भिन्न थे कि प्रशासन में तेजी लाने के काम को राज्यपाल पर छोड़ने की बजाय बाहर से कोई समिति नियुक्त की जाए।

मैं देख रहा हूं कि गृह मन्त्री सिर हिला रहे हैं। यदि मैं जो कह रहा हूं वह सही नहीं है तो वे मेरी बात को सही कर सकते हैं क्योंकि हमें अभी तक इस कारण का नहीं पता है कि राज्यपाल श्री बी० डी० पाण्डे, जो एक माने हुए प्रशासक हैं, को, श्री त्रिभुवन नारायण सिंह, जो पश्चिम बंगाल के बहुत ही चहेते राज्यपाल थे, से पीछा छुड़ाने के लिए पश्चिम बंगाल क्यों भेजा गया था। उनसे पीछा छुड़ाने के बाद श्री बी० डी० पाण्डे को भेजा गया था। परन्तु उन्होंने वहां पर एक अच्छा नाम कमाया। उन्हें अचानक पंजाब में भेज दिया गया और सैनिक कार्यवाही के तीन अथवा चार सप्ताह पश्चात् अचानक ही उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। उनके त्यागपत्र के कारण को सार्वजनिक रूप से नहीं बताया गया है। परन्तु कागजों और अन्य साधनों से पता चला है कि पंजाब प्रशासन में तेजी लाने हेतु एक समिति की नियुक्ति ही कारण था। किसी भी प्रशासन में इस प्रकार तेजी नहीं लाई जा सकती। अब

उन्होंने किसी और संवर्ग-बिहार संवर्ग के व्यक्ति को पंजाब का मुख्य सचिव बना दिया है। बिहार-संवर्ग में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को पंजाब का मुख्य सचिव बना दिया गया है। यह कुछ ऐसा किया गया है। जो हमने पहले कभी नहीं सुना। परन्तु यह सब कुछ क्यों किया गया है? यह पंजाब के प्रशासन की असफलता को साबित करने के लिए किया गया है। पंजाब में गड़बड़ी के कारण वे प्रशासन पर आरोप लगाना चाहते हैं, जैसाकि उन्होंने पहले पंजाब में उग्रवादियों की गतिविधियों के कारण लोक प्रिय सरकार पर आरोप लगाया गया था। यह सब को अच्छी तरह से मालूम है कि पंजाब सरकार अथवा पंजाब प्रशासन केन्द्र द्वारा हस्तक्षेप करने के कारण ठप्प पड़ गया है। प्रत्येक निदेश यहां से जारी हो रहा था। सच तो यह है कि वह सरकार अथवा प्रशासन भिंडरावाले और उसके अनुयायियों के रूप में उग्रवादियों से इसलिए नहीं निपट पाई क्योंकि केन्द्रीय सरकार द्वारा निदेश जारी हो रहे थे। क्योंकि केंद्रीय सरकार को अपने गुनाह को छुपाना ही है, जिसके प्रति वह केवल बहुत चेतनशील है। इसलिए, इसने सबसे पहले पंजाब सरकार को बदनाम किया है। दरबारा सिंह सरकार को त्यागपत्र देने के लिए मजबूर किया गया और उसके बाद प्रशासन को बदनाम किया गया।

सभापति महोदय : एक घण्टा दिया गया था। इसलिए, कृपया···

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : यह एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है। इसलिए, इसे एक घण्टे तक सीमित नहीं करना चाहिए।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : कार्य मंत्रणा समिति में यह कहा गया था कि हो सकता है एक घण्टे से अधिक समय लग जाये।

श्री अमल दत्त : अब ऐसा करने की अनुमति प्राप्त करने का मुख्य उद्देश्य यह दिखाना है कि पंजाब स्वयं पर शासन करने में सक्षम नहीं है। पंजाब लोक प्रिय सरकार बनाने में समर्थ नहीं है। पंजाब सरकार अस्त-व्यस्त स्थिति में है। शेष भारत व विश्व के समक्ष वे यह सब दिखाने, यही सब सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि अब सम्पूर्ण विश्व की स्वर्ण मन्दिर में की गई सैनिक कार्यवाही में रुचि हो गई है। इस घृणित कार्यवाही की ओर सम्पूर्ण विश्व का ध्यान गया है। वे यह सिद्ध करना चाहते हैं कि पूजा स्थल में जिन हालातों में उन्हें सैनिक कार्यवाही करनी पड़ी उसके लिए केन्द्रीय सरकार नहीं बल्कि राज्य सरकार और राज्य प्रशासन उत्तरदायी हैं। केन्द्रीय हस्तक्षेप से सम्पूर्ण प्रशासन, संपूर्ण सरकार का मनोबल गिरा है। इस प्रकार पंजाब सरकार या पंजाब प्रशासन में ही सुधार करने की आवश्यकता नहीं है बल्कि केन्द्रीय प्रशासन और विशेषरूप से केन्द्रीय सरकार में सुधार करने की आवश्यकता है क्योंकि वह सदा इस स्वार्थ से प्रेरित रही है कि आगामी चुनावों में कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हो। राज्य विधान सभा में उनका आज भी बहुमत है। 117 सदस्यों की विधान सभा में उनके 65 सदस्य हैं। परन्तु वे मन्त्रिमंडल बनाने का साहस नहीं कर सकते। पंजाब में कांग्रेस का यूनिट भी लोक प्रिय सरकार बहाल करने की मांग कर रहा है। वे इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहां तक कि उन्होंने अमृतसर जिला (शहरी क्षेत्र) के जिला कांग्रेस (इ) अध्यक्ष को बदल दिया है। कांग्रेस उच्च कमान के कहने पर श्री प्रीतम सिंह ने कार्य भार संभाल लिया है।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया (अमृतसर) : कम से कम ठीक नाम तो लीजिए। वह प्रीतपाल सिंह हैं, प्रीतम सिंह नहीं।

श्री अमल दत्त : अपने पहले संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने 'दी ट्रिब्युन' के चंडीगढ़ संवाददाता

को बताया कि उनका पहला कार्य कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्त्ताओं में, जिनकी अब तक उपेक्षा होती रही है पुनः विश्वास की भावना पैदा करना है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : इसीलिए उन्होंने 'कार सेवा' का आयोजन किया है।

श्री अमल दत्त : इसी कारण कांग्रेस पार्टी अस्त-व्यस्त स्थिति में है न कि पंजाब सरकार। कांग्रेस पार्टी अस्त-व्यस्त स्थिति में है और वे लोग कांग्रेस पार्टी को पुनर्गठित करना चाहते हैं। इस प्रकार वे एक ओर विश्व को दिखाना चाहते हैं कि राज्य सरकार और राज्य प्रशासन के कारण केन्द्रीय सरकार के लिए सैनिक कार्रवाई करनी जरूरी हो गई थी और दूसरी ओर वे समय चाहते हैं, एक वर्ष का समय चाहते हैं जिससे वे राज्य कांग्रेस को, जो केन्द्रीय नेतृत्व व पंजाब के उच्च नेतृत्व के कारण अस्त-व्यस्त हो गई है, पुनर्गठित करने के लिए समय चाहते हैं। वे अब नीचे के स्तर तक पर्याप्त प्रभाव रखना चाहते हैं। जो कि वे पहले खो चुके हैं। यही कारण है इस संविधान संशोधन विधेयक को लाने का अन्य कोई संवैधानिक अथवा कानूनी कारण नहीं है।

महोदय आप उद्देश्यों तथा कारणों के कथन में देखेंगे :

> "यद्यपि विधान सभा स्थगित अवस्था में है इसलिए लोक प्रिय सरकार की स्थापना की जा सकती है किन्तु राज्य की वर्तमान स्थिति को देखते हुए"

अब क्या स्थिति है? वे प्रतिदिन कहते हैं कि पंजाब में स्थिति अब सामान्य हो गई है।

> "फिर भी राज्य में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 5 अक्तूबर, 1984 से आगे भी राष्ट्रपति शासन जारी रखना आवश्यक हो सकता है।"

क्यों ? उन्होंने यह सिद्ध करने के लिए कि पंजाब में अब स्थिति सामान्य हो गई है एक भी मिसाल नहीं दी है। और इसलिए राष्ट्रपति शासन जारी रखना आवश्यक है और लोक प्रिय सरकार बहाल नहीं की जा सकती। इसमें आगे कहा गया है :

> "5 अक्तूबर, 1984 से आगे उद्घोषणा को प्रवृत्त रखने के लिए संसद के दोनों सदन उद्घोषणा का अनुमोदन करते हुए संकल्प पारित कर सकें इसके लिए यह आवश्यक है कि संविधान के अनुच्छेद 356 का संशोधन किया जाए। अतएव यह प्रस्ताव है कि अनुच्छेद 356 के खंड (5) का संशोधन किया जाए जिससे उसमें उल्लिखित शर्तें उक्त उद्घोषणा के प्रवृत्त बने रहने के लिए उद्घोषणा के जारी किए जाने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए लागू न हो।"

महोदय, गृह मन्त्री ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि वर्तमान स्थिति क्या है? उद्देश्यों का कथन खण्ड संसद सदस्यों को पहले से यह बताने के लिए है कि इस विधेयक विशेष को क्यों लाया गया है। परन्तु जब यह कहा गया है कि "वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए" तो यह सम्बन्धित मन्त्री का अनिवार्य कर्त्तव्य हो जाता है कि वह स्पष्ट करें कि "वर्तमान स्थिति क्या है।" जिसके कारण इस विधेयक को लाना और पारित करना आवश्यक हो गया है और उन्होंने इस कर्त्तव्य को पूरा नहीं किया है।

एक अन्य बात जो अत्यन्त महत्वपूर्ण है और जिसका मैं यहां उल्लेख करना चाहता हूं, यह है कि यह केवल अन्य राज्यों के सम्बन्ध में ऐसी शक्ति प्राप्त करने की भूमिका है। वे अब किसी राज्य में एक वर्ष तक राष्ट्रपति शासन रखने से संतुष्ट नहीं है अब तक वे एक वर्ष तक राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते थे। अब उन्हें यह महसूस हो रहा है कि अब एक ऐसी स्थिति आ गई है कि किसी राज्य में एक वर्ष तक राष्ट्रपति शासन लागू रखने से उनका काम नहीं चलेगा। वे असम में भी करना चाहते थे। परन्तु वे उसमें असफल हुए क्योंकि विपक्ष उनके साथ नहीं था। अब वे यह कहते हुए कि पंजाब में सैनिक कार्यवाही आवश्यक थी और अब भी स्थिति ठीक नहीं है इसलिए पंजाब में दो साल तक राष्ट्रपति शासन लागू रखना आवश्यक है, वे पंजाब के नाम पर इस अवधि को दो साल तक बढ़ाना चाहते हैं। एक उदाहरण कायम करने के बाद एक गलत मिसाल कायम करने के बाद वे इस शक्ति का शेष भारत में भी बार-बार उपयोग करेंगे।

हम इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं। हम इसका विरोध कर रहे हैं। हम इसका विरोध न केवल पंजाब को वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में और न केवल यह देखते हुए कि मौजूदा स्थिति में इसकी अत्यन्त आवश्यकता नहीं है, कर रहे हैं बल्कि हम इसका विरोध इसलिए भी कर रहे हैं कि यह शेष भारत के लिए एक अच्छी मिसाल नहीं है। लोकतन्त्र बनाए रखने के लिए प्रत्येक संबंधित व्यक्ति को इसका विरोध करना चाहिए।

श्री गिरधारी लाल डोगरा (जम्मू) : सभापति महोदय, मेरे मित्र ने यह कहते हुए कि यह संशोधन आवश्यक नहीं है, जो तर्क दिए हैं उन्हें सुनकर मैं हैरान हूं। वह इसके लिए कोई स्पष्ट कारण नहीं दे सके हैं। उन्होंने कहा है कि पंजाब में कांग्रेस पार्टी का बहुमत है, इसलिए सरकार को यह संशोधन नहीं लाना चाहिए था।

यह सच है कि राष्ट्रपति शासन अथवा अफसरशाही का शासन लोकप्रिय सरकार का अनुकल्प नहीं है। परन्तु पंजाब की स्थिति को देखते हुए जब आवश्यक समझा गया राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया और राज्य विधान सभा को स्थगित अवस्था में रख दिया गया। इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता कि राष्ट्रपति शासन लागू करने के बाद और पंजाब में केन्द्रीय सरकार द्वारा कार्रवाई किए जाने के बाद स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। वहां सामान्य वातावरण बन गया है। परन्तु केवल सामान्य वातावरण बनाना आवश्यक नहीं है बल्कि इसे आगे भी जारी रखना आवश्यक है। केन्द्रीय सरकार लोकप्रिय सरकार बहाल करने के विरुद्ध नहीं है। परन्तु उन्हें अपनी तसल्ली करने के लिए पर्याप्त समय चाहिए, एक बारवे जिम्मेवारी अपने ऊपर ले लें कि स्थिति अब सामान्य हो गई है और राज्य सरकार द्वारा राज्य का संचालन ठीक प्रकार से हो सकता है। राज्य सरकार को प्रशासन सौंपने से पहले उन्हें अपनी सन्तुष्टि अवश्य कर लेनी चाहिए। यह केवल उपबन्ध करने वाला उपाय है, एक संशोधनकारी उपाय है जो सभा के समक्ष लाया गया है।

यह आवश्यक नहीं है कि केन्द्रीय सरकार वहां और एक वर्ष राष्ट्रपति शासन जारी रखेगी। इसका उद्देश्य केवल यही है कि जब तक वे सन्तुष्ट न हो जाएं कि यह आवश्यक है वे इसे जारी रखेंगे और जैसे ही वे सन्तुष्ट हो जाएंगे कि लोकप्रिय सरकार बहाल हो सकती है, वे लोकप्रिय सरकार बहाल कर देंगे और राज्य सरकार कार्य करना आरम्भ कर देगी। यह सच है कि यह सुनिश्चित करने के लिए राज्य प्रशासन में सुधार किया जाए, सम्पूर्ण ढांचे की जांच की जा रही है। वे इस बात का भी ध्यान रख रहे है कि वहां कोई अवांछनीय तत्व न हों। यदि माननीय मित्र द्वारा उठाए गए मुद्दों का मैं ठीक

ढंग से उत्तर दूं तो अप्रिय वातावरण बन जाएगा। मैं उन सब बातों में नहीं जाना चाहता हूं। परन्तु भारत में कुछ राज्य सरकारें ऐसी हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल में इस ढंग से काम किया है कि देश की स्थिरता को खतरा हो गया है। यह विभिन्न राज्यों में देखा गया है। मैं वास्तव में इन सभी बातों में नहीं जाना चाहता और अप्रिय वातावरण नहीं बनाना चाहता।

मैं यह कहता हूं कि यह संशोधन अत्यन्त आवश्यक है। यह एहतियाती उपाय है, यह व्यवस्था करने वाला उपाय है। केन्द्र सरकार लोकप्रिय सरकार बहाल करने से पूर्व इससे स्वयं को सन्तुष्ट कर सकेगी। मेरे विचार में केंद्र सरकार और कांग्रेस पार्टी लोकप्रिय सरकार बहाल कर सकती है और पजाब के लोगों को उत्तरदायित्व सौंप सकती है जिससे वे स्वयं अपने कार्यों को सम्भाल सकें। न तो कांग्रेस पार्टी और न ही केंद्रीय सरकार चाहती है कि अव्यवस्था फैले। दायित्व का पालन करना आवश्यक है। हमें राष्ट्रीय सन्दर्भ में राष्ट्रीय समस्या और पंजाब में हुई घटनाओं को देखना चाहिए। स्थिति को आगे सामान्य बनाना चाहिए और स्थिरता आने पर पंजाब में लोकप्रिय सरकार पुनः स्थापित की जा सकती है। हमें केंद्रीय सरकार को इस कार्य के समाधान हेतु पर्याप्त समय देना चाहिए। यदि पंजाब में अक्तूबर से पूर्व लोकप्रिय शासन पुनः स्थापित कर दिया जाता है तो इसमे यह धारणा नहीं बननी चाहिए कि उन्होंने संवैधानिक बाध्यता से ऐसा किया है। यदि यह कोई अन्य पार्टी होती तो शायद आप कह सकते थे कि द्वेष के कारण केंद्रीय सरकार ऐसा कर रही है क्योंकि वे किसी अन्य पार्टी के हैं। लेकिन वे स्वयं इसके लिए आगे आ रहे हैं। वे इस बात से इन्कार नहीं करते हैं कि वहां पर लोकप्रिय सरकार होनी चाहिए। यह उस समय आनी चाहिए जब यह प्रभावी ढंग से कार्य कर सके।

इस अनुरोध के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्रीमती प्रमिला दण्डवते (बम्बई उत्तर मध्य) : सभापति महोदय, यह जो कांस्टीट्यूशन एमेंडमेंट लाया गया है, मैं उसका विरोध करती हूं। इस बिल के द्वारा कांस्टीट्यूशन के आर्टिकल 356 को एमेंड किया जा रहा है, ताकि अगर देश के किसी भाग में आपातकाल की स्थिति हो, तो वहां पर राष्ट्रपति शासन की मुद्दत को बढ़ाया जा सके। मैं जानती हूं कि इस बिल को सिर्फ पंजाब के लिए रखा गया है और राष्ट्रपति शासन की अवधि एक साल से बढ़ाकर दो साल की जा रही है। लेकिन जैसा कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा है, इस बात का डर है कि पंजाब से बढ़कर धीरे-धीरे सारे देश में राष्ट्रपति शासन हो जाएगा। लोगों के मन में यह भय जरूर है कि इस बात की सम्भावना है।

> "यह संशोधन सरकार की जो कार्य नहीं करती है आत्म-भर्त्सना का कार्य है। यह स्वीकार किया गया है कि वह सामान्य स्थिति लाने में असफल रही है। यह राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार तथा सिविल प्रशासन की असफलता है।"

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : यह राजनीतिक असफलता भी है।

श्रीमती प्रमिला दण्डवते : मैं समझती हूं कि इस सरकार ने यह संशोधन लाकर दुनिया और देश के सामने यह स्वीकार किया है कि हम इस देश में शासन नहीं चला सकते, हम यहां पर नार्मेल्सी नहीं ला सकते, हम पापुलर गवर्नमेंट के जरिए काम नहीं कर सकते—आज भी नहीं कर सकते, और आगे एक साल तक भी नहीं कर सकेंगे।

पंजाब की असेम्बली में सरकार की पार्टी की मैजारिटी है। श्री दरबारा सिंह को राज्य सभा

का मेम्बर बना दिया गया है। इसलिए शायद आपको चीफ मिनिस्टर नहीं मिलना होगा। अगर सरकार कार सेवा सन्ता सिंह से करवा सकती है, सरबत खालसा करवा सकती है, जिसको पंजाब की जनता सरबत फाल्सा कहती है, याने False Sarbat-Khaka तो वह सन्तासिंह को ही पंजाब का चीफ मिनिस्टर बना दे। लेकिन वहां पर पापुलर गवर्नमेंट जरूर बनाई जानी चाहिए।

मैं पंजाब होकर आई हूं। मेरे साथ कुछ लेडीज थीं, जो अलग-अलग क्षेत्र की हैं, नान-पोलीटिकल हैं, हमारी पार्टी या किसी भी पार्टी की नहीं हैं। मैं समझती हूं कि पंजाब के हिन्दुओं और सिखों के दुख को जानने की जिम्मेदारी इस देश के सब नागरिकों की है। इसके लिए आवश्यक है कि हम वहां के लोगों के साथ बात करें। अखबारों में प्रधान मन्त्री और दूसरे लीडरों के वक्तव्य छपते हैं, लेकिन हम उन पर विश्वास नहीं कर सकते।

इस मामले के पोलीटिकल पहलू पर मैं बाद में कहूंगी। लेकिन मेरा मन दुख से भरा हुआ है। सिखों के मन में आर्मी के बारे में इस प्रकार के विचार आते हैं, तो यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। पंजाब ऐसा क्षेत्र रहा है, जहां लोग आर्मी के लिए जान देने के लिए तैयार रहते थे। मुझे याद है कि जब पाकिस्तान के साथ वार चल रही थी, तो वहां की बहनें डरती नहीं थीं, एक ओर बम-शेल होता था, तब भी जवानों के लिए खाना लेकर वह सरहदों तक जाती थीं। वह ऐसा एक प्रदेश था जहां आर्मी के साथ रहना और अपने बच्चों को आर्मी में देना एक बहुत अभिमान की चीज होती थी। आज दुःख की बात है कि एक स्केप गोट हमने आर्मी को बना दिया है। मैं खुद गोल्डेन टेम्पल होकर आई हूं, हमारे जवान कहां खड़े हैं। जिस प्रकार से लोग उनको देखकर बोलते हैं उसको सुनकर क्या लगता होगा उस जवान को? क्या उसका गुनाह था जो उसने वहां गोलियां चलायीं। उन्हें हुकम था, उनका काम था हुकम पर कार्यवाही करना। आज अगर वहां की जनता, स्त्री हो, पुरुष या बच्चे हों, अगर ऐसा समझते हैं कि ये हमारे दुश्मन हैं तो यह देश के लिए अच्छी बात नहीं है क्योंकि आखिर ये जवान हमारे देश की रक्षा करते हैं। अगर उनके बारे में किसी भी तबके के लोगों के मन में इस प्रकार के विचार आते तो यह चीज क्या अच्छी है। हमारे देश में किसी न किसी को स्केप गोट बनाया जाता है।

मुझे दुःख है, मैं भी एक मां हूं, मेरा भी लड़का है, मैं जब उन जवानों को देखती हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि यह मेरा भी एक बच्चा होगा। मेरा बच्चा अगर देश के काम के लिए लड़ता है और मर जाता है तो मुझे उसमें खुशी होगी। लेकिन जिन माताओं के बच्चे उस लड़ाई में मरे, अपने ही लोगों पर गोली चलाकर खामखाह मर गए, लड़े भी नहीं, क्या लगता होगा उनकी माताओं को? हमें दुःख है, हमने पन्ना दाई की कहानी सुनी है। मुझे पता है अपने बच्चों को देश के लिए देने वाली पन्ना दाई जैसी माताएं हमारे यहां थीं। हमें पता है। हम चाहती हैं कि हमारे बच्चे हमारे देश के काम आएं। लेकिन अपने ही लोगों से लड़ने के लिए और बिना लड़े मरने का जो यह काम हुआ, इससे मेरा मन बहुत दुःख से भरा हुआ है। उनके ऊपर यह जो ठप्पा लगा हुआ है किसी भी तबके के, किसी भी समाज के लोगों के मन में, उसको निकालने के लिए हमें कुछ कोशिश करनी चाहिए।

पंजाब में सब जगह मैं होकर आई हूं। वहां क्या चल रहा है? कार-सेवा कहां है? कहीं भी कार सेवा मुझे दिखाई नहीं दी। मैंने वहां लोगों से जो काम कर रहे थे पूछा, उन्होंने कहा कि हमें बीस रुपया रोज देते हैं, फिर हम काम करते है। उसमें सरदार जी भी कोई नहीं थे। कई लोग बाहर से आए तो क्यू में खड़े थे। हमने पूछा कि आप क्यों आए हैं तो उन्होंने कहा कि अगर हम यहां कार सेवा के नाते से नहीं आएंगे तो हमें दर्शन भी नहीं मिलेगा, इसलिए हमने कहा है कि हम कार सेवा के लिए आ

रहे हैं, कार सेवा के नाम में कुछ यहां से वहां करेंगे और फिर चले जाएंगे। मैं इसलिए कहती हूं कि हम अगर सच्चे माने में चाहते हैं कि वहां पापुलर गवर्नमेंट फिर आए, कांग्रेस की ही गवर्नमेंट हो, मैंने जैसा पहले कहा सन्ता सिंह की भी गवर्नमेंट हो, उसको भी लाएं···(व्यवधान)···भिंडरावाले के बारे में मैं कहती हूं, हैड प्रीस्ट से भी हम मिले हैं, उन्होंने कहा कि भिंडरावाले ने जो किया हम उसका समर्थन कभी नहीं कर सकते हैं, लेकिन आज वहां की हालत यह है कि वहां आतंकवाद की हवा फैली रहे ऐसा काम चल रहा है। वहां के नौजवान मुझे मिले। उनकी बात मैं आपके सामने रखना चाहती हूं, गृहमन्त्री जी इस पर ध्यान देंगे कि क्या यह बात सही है कि वहां पर पुलिस स्टेशन पर यह कहा गया है कि एवेरी डे फाइव केसेज आफ एन्काउण्टर, ऐसे वहां पर घोषित करके बच्चों को, कोई जवान हो तो उसे मार कर लाना चाहिए। साथ-साथ वहां पर सात स्कूल जलाए गये हैं। एक सार कांस्टीच्यूएंसी में, मैं नाम नहीं लेती हूं, आपको पता है। उन जवानों का कहना है कि हमारे लोगों ने या मतलब सिखों ने या आतंकवादियों ने यह काम नहीं किया है। जिन्होंने किया है उनको ढूंढ़कर निकालना सरकार का काम है।

तीसरी बात मैं आपसे कहना चाहती हूं कि अगर आप सच्चे माने में कुछ करना चाहते हैं, ना करिए। क्योंकि मैं वहां गई हूं, मैं रमेशचन्द्र जी के घर पर भी गई हूं, उनकी बीवी और घर के और लोगों से मिलकर आई हूं. बहुत लोग जो वहां पर गए थे दर्शन के लिए वह मरे हैं, सरकार ने भी इसको मान लिया है, मैं यह कहती हूं कि कोई मारने का इरादा नहीं था लेकिन आर्मी ऐक्शन जब होता है तो वह कहकर नहीं होता है। लोग अगर वहां मरे हैं तो उनको डेथ सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। लेकिन कई लोगों को नहीं मिला है। उनके कुछ क्लेम्स हों, चाहे एल•आइ०सी० का पैसा लेना हो या बैंक्स से पैसा लेना हो तो डेथ सर्टिफिकेट अगर नहीं दिया जाता है तो वह उनको मिल नहीं सकता है। आपको कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जितने लोग वहां पर मरे हैं उनके लिए डेथ सर्टिफिकेट मिल सके। इसके लिए हमें कुछ न कुछ करना चाहिए।

आखिर हम यह नार्मल्सी का हवा कैसे वहां फिर से लाएंगे? क्या आप चाहते हैं कि वहां पर पापुलर गवर्नमेंट न आए? किसी की भी सरकार हो लेकिन अगर हम सच्चे माने में चाहते हैं कि एक दिन कभी न कभी हमें पापुलर गवर्नमेंट वहां पर लानी है तो हमें उस प्रकार से कदम उठाना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार के कदम आप उठा रहे हैं उससे लगता है कि आप चाहते हैं कि इस प्रकार की हवा चलती रहे और आप सिखों की बदनामी करते रहे और राष्ट्रपति शासन का समय बढ़ाते रहे। आपको याद होगा कि हम लोगों ने आसाम के लिए कहा था कि हम आपकी मदद करते हैं, चुनाव मत कराइए। चुनाव कराएंगे तो वहां बहुत बड़े पैमाने पर हत्या हो जाएगी। हमने कहा था कि दो-तिहाई बहुमत आपको चाहिए, तो जनता पार्टी, लोक दल और बी• जे० पी०, हम तीन पार्टियों ने कहा था कि हम आपको समर्थन देने को तैयार हैं। कम्युनिस्टों ने आपको समर्थन नहीं दिया, लेकिन हमारे समर्थन से तो दो-तिहाई बहुमत मिलता, लेकिन फिर भी आपने वहां चुनाव करवाए। चुनाव की वजह से वहां पर 10 हजार से भी ज्यादा लोग मारे गए, लेकिन सरकार का कहना है कि साढ़े चार हजार लोग मारे गए हैं। मासूम बच्चे मारे गए हैं। मैं वहां पर जगह-जगह घूमकर आई हूं। यह कैसा देश है, लोगों की हत्या करके उनकी लाशों पर यह सरकार चल रही है और ऐसी सरकार चलाने के लिए आपको संविधान के संशोधन समर्थन की जरूरत है। इसलिए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वह इस अमेंडमेंट को वापिस ले। गोल्डन टैम्पल की कार सेवा का अधिकार खड़कसिंह को और SGPC को दिया जाए। आर्मी को गोल्डन टैम्पल में से निकाला जाना चाहिए। अकाली दल के लीडर्स के बारे में आपने भी कहा था कि

वह Moderates है। लेकिन उनके ऊपर इल्जाम लगाए। भिंडरावाला क्या कर रहा था। इसकी खबर भी नहीं दी ? आप कहते हैं कि अकाली दल के लोग डरपोक होंगे, लेकिन डरपोक तो सारे लोग हैं। जब हम मांग कर रहे थे कि भिंडरावाला को गिरफ्तार करो और वह हथियार लेकर घूम रहा है, तब कोई कार्यवाही नहीं की गई। आप डरते थे। आपके सेक्रेटरी डरते थे। इस सदन में भी भिंडरावाला के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई गई। वह मरने से पहले सात दिन तक सन्त था, लेकिन मरने के बाद उसकी आलोचना शुरू हुई। मैंने और कहते हैं हमने ऐसा नहीं कहा। बम्बई में प्रेस कांफ्रेंस में जिन्होंने हिस्सा लिया उन प्रेस के लोगों ने वहां जाकर बात की और पता लगाया। इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि मरने से पहले भिंडरावाला सन्त था, लेकिन मरने के बाद वह ऐसा था, वैसा था।

मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं जब यहां पर पंजाब की बहस हो रही थी, तब मैंने खुद सदन में प्रधान मन्त्री जी से पूछा कि आपने भिंडरावाले को गिरफ्तार क्यों नहीं किया ? उन्होंने कहा—कैसे करें। मैंने कहा—वह दिल्ली में आया था, बम्बई में आया, अस्त्र-शस्त्र लेकर आया था। लेकिन हमारी इन्दिरा जी, जैसे उन्होंने अभी कहा कि श्री रामलाल जी ने जो किया, वह उनको न्यूज एजेन्सी से पता चला। वैसे ही उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि वह दिल्ली में आया या बम्बई में आया।...(व्यवधान) ...हमारे देश की प्रधान मन्त्री को यह नहीं पता कि भिंडरावाला दिल्ली में आया और बम्बई में आया। उनको खबरें अखबारों से मिलती हैं...(व्यवधान)...हमारे कांग्रेस के लोग...(व्यवधान)...इसलिए मैं इतना ही आपको कहना चाहती हूं कि चुनाव में कुछ भी हो, आपके हाथ में बागडोर है, आपकी मैजोरिटी है, तो कांग्रेस के लोगों के हाथ में आपको सत्ता देनी चाहिए। लेकिन वहां पर पोपुलर गवर्नमेंट रहनी चाहिए। हमारा फर्ज है कि डरपोक लोगों के हाथ में राज नहीं देना चाहिए लेकिन क्या करें ? दिस अपेंडमेंट इज सैल्फ कण्डैमनेशन आफ दि गवर्नमेंट। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इसको वापिस लीजिए।

श्री भेरावदन के० गधावी (बनासकांठा) : वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह दुख और खेद का विषय है कि पंजाब जैसे राज्य में हम राष्ट्रपति शासन जारी रखने पर विचार कर रहे हैं। कांग्रेस लोकतांत्रामक विचारधारा से जुड़ी हुई है और यह विधेयक इस बात की घोषणा करता है कि किस प्रकार अत्यन्त विपरीत परिस्थितियों में भी सरकार शांत रही है और गत वर्ष छह अक्तूबर को एक बार लागू किए गए राष्ट्रपति शासन के बारे में ही इस विधेयक को लाई है। सरकार ने कभी नहीं चाहा कि वह सभी राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने की खुली छूट होने के किसी अवसर का लाभ उठाये। लेकिन मुझे यह टिप्पणी करते हुए दुख होता है कि माननीय महिला सदस्य तथा विपक्ष के पिछले वक्ताओं ने जो कुछ कहा है उससे आज भी मैं यह निष्कर्ष निकाल सकता हूं कि विपक्ष का रवैया इस प्रकार का रहा है कि यदि हम कहें कि यहां से एक विशेष कालम तक दूरी इतने फुट है तो वे यह मानने के लिए तैयार नहीं हैं। हमने महाभारत में सुना है कि दुर्योधन भूमि और पानी के बीच अन्तर नहीं बता सकता था। आपकी भी वही स्थिति है।

श्री के० मायातेवर (डिन्डिगल) : लोगों को यह कहने दें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप उन्हें क्यों रोक रहे है ?

श्री भेरावदन के० गधावी : हम लोग आपकी तरह ही जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं।

सभापति महोदय, वे पंजाब में सही परिप्रेक्ष्य में वास्तविकता नहीं देख सकते हैं (व्यवधान) वे भूल गये हैं कि पंजाब में लोकप्रिय शासन था। वे शोर-शराबा कर रहे हैं कि पंजाब सरकार असफल रही थी और वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। यही लोग, जब उग्रवादियों द्वारा हत्यायें की जा रही थीं तथा पुलिस स्टेशन और रेलवे स्टेशन जलाए जा रहे थे और इन लोगों द्वारा पुल उड़ाए जा रहे थे, तो कह रहे थे कि हम दृढ़ नहीं हैं और हम मजबूती से कोई ठोस कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब ठोस कार्यवाही की गई है तो वे कह रहे हैं कि हमने ठोस कार्यवाही क्यों की है। जब सेना स्वर्ण मंदिर में प्रवेश कर रही थी तो उन्होंने उग्रवादियों को भड़काने का प्रयास किया वे इस बात को नहीं समझ रहे हैं। कृपया इस स्थिति पर विचार करें। (व्यवधान) 15 अगस्त को लें। इसे गुजरे हुए बहुत दिन नहीं हुए। क्या आपने यह नहीं सुना कि देश के बाहर भी ऐसे लोग, जो पंजाब में अपराधों को करने के लिए जिम्मेदार हैं, देश में फूट डालने पर तुले हुए थे और उन्होंने अपना अलग झंडा फहराया और कुछ स्थानों पर उन्होंने हमारे राजदूत को 15 अगस्त का उत्सव भी मनाने नहीं दिया जो कि हमारा राष्ट्रीय समारोह दिवस है ? यदि आप इसे नहीं पढ़ सकते हैं अथवा यदि आप इसे देख भी नहीं सकते हैं तो आप सही परिप्रेक्ष्य में इन बातों पर ठीक प्रकार से विचार नहीं कर सकते है। इसके विपरीत केन्द्रीय सरकार स्थिति को सामान्य बनाने के लिए कुछ करना चाहती है। यदि उन्होंने स्थिति से लाभ उठाना होता तो वे ऐसी स्थिति में इस प्रकार का संशोधन ला सकते हैं जिसके द्वारा कहीं पर भी राष्ट्रपति के शासन की अवधि दो वर्ष तक बढ़ायी जा सकती है। महोदय, यह विधेयक विशेष रूप से पंजाब से सम्बन्धित है। क्यों ? क्योंकि कांग्रेस पार्टी लोकप्रिय सरकार तथा लोकतंत्र के प्रति अधिक समर्पित है और हमने लोगों की आंकाक्षाओं को पूरा करने का उद्देश्य रखा है। जब असम आन्दोलन चल रहा था तो वे उस समय वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए लगातार शोर मचा रहे थे और कुछ सदस्य कह रहे थे कि वे इसका समर्थन करेंगे। (व्यवधान) यहां पर मुद्दा यह है कि उनकी भावनाएं और विचार हमेशा एक से नहीं होते हैं तथा उनके सिद्धान्त सुविधानुसार होते हैं।

जब बाबा संता सिंह ने स्वयं इस पवित्र कार सेवा के कार्य को शुरू किया तो इसके लिए पंजाब के सिख ही नहीं अपितु राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली और हरियाणा तथा हर जगह से सिख आ रहे हैं पूरा सिख समुदाय उनके साथ हैं। आपने कहा कि यह ठीक समय नहीं है। आप स्थिति को स्पष्ट रूप से नहीं देख रहे हैं।

सभापति महोदय : आप उनकी ओर क्यों देखते हैं ? आप मेरी ओर देखें।

श्री भेरावरन के० गधावी : कभी-कभी मैं आपकी ओर भी देख रहा हूं। महोदय, विपक्षी सदस्य यह देखने की स्थिति में नहीं है कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व अथवा पश्चिम में क्या हो रहा है ? पूरे देश में जब ऐसी ताकतें उभर रही हैं जिससे देश की अखंडता और एकता को खतरा है तो क्या आप पंजाब चाहते हैं कि पंजाब से यह आरम्भ हो ? हम ऐसा नहीं होने देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पंजाब में अच्छी प्रकार शासन चले और इसलिए इन वर्तमान विकट परिस्थितियों में यह विधेयक लाया गया है। मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

मैं एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि विपक्ष के सदस्यों के प्रति पूर्ण सम्मान और सद्भाव सहित मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि देशभक्ति के प्रति उनकी जिम्मेदारी अब लुप्त हो गई हैं।

2.00 म० प०

क्योंकि जब देश पर विपक्ष आई है और जब हम घावों पर मरहम रख रहे हैं ; जब हम

जख्मों को भरने का प्रयास कर रहे हैं और सारी स्थिति ठीक कर रहे हैं तो के आग में घी डालने और जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। क्या आप चाहते हैं कि देश रूपी शरीर पर यह पंजाब रूपी जख्म रिसता रहे ? पिछले 2-1/2 वर्षों से पंजाब में कैसी स्थिति बनी रही और अब लोग राहत की सांस ले रहे हैं। आप पंजाब में जाकर आम आदमी से पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि विपक्ष के ही कुछ सदस्य पंजाब गये हैं। अन्य लोग भी गये हैं और हमने देखा है कि लोग चैन की सांस ले रहे हैं। वे चाहते हैं कि वर्तमान प्रशासन व्यवस्था ओर अधिक समय तक चलना चाहिए।

महोदय, आज भी पकड़-धकड़ चल रही है। आज भी सुनते हैं कि कुछ उग्रवादी मुठभेड़ में मारे गए। और कुछ पकड़े गये। महोदय, जब उन्हें पकड़ा जा रहा है और ऐसे जख्मी लोगों को मरहम लगाई जा रही है जिन्हें बिना किसी दोष के ये कष्ट सहने पड़ रहे हैं और सरकार द्वारा कोई कार्यवाही करने पर यदि आप शोर मचाते हैं तो आप वास्तविक स्थिति नहीं समझते।

अतः सभापति महोदय, यह छोटा सा विधेयक है और में इसका समर्थन करता हूं।

श्री जयपाल सिंह (हरिद्वार) : सभापति जी, मैं संविधान में 50 वें संविधान (संशोधन) विधेयक का जोरदार शब्दों में विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं और इसका कारण यह है कि एक तरफ तो यह सरकार और इस सरकार में बैठे हुए लोग आन्ध्र प्रदेश में जनतंत्र की हत्या कर रहे हैं और दूसरी तरफ 50 वां संशोधन विधेयक इस सदन के अन्दर लाकर के पंजाब में जनतंत्र की हत्या दोबारा करने की कोशिश की जा रही है।

इस पार्टी में ज्यादातर दो जुबान के लोग बैठे हैं, इस सरकार में दो जुबान के लोग बैठे हैं। जब हमने, हमारे नेता माननीय चरण सिंह और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में और संसद के बाहर आसाम के मामले को लेकर यह आवाज उठाई थी और प्रधान मंत्री से मिलकर यह अनुरोध किया था कि आसाम में अभी चुनाव न कराए जाएं क्योंकि अगर चुनाव कराने की कोशिश की गई, तो लोगों की लाशें बिछ जाएंगीं लेकिन चुनाव कराए गये और 12, 14 हजार लोगों को मारकर विदेशियों के वोटों पर वहां पर सरकार बना ली। उस वक्त संविधान में संशोधन करने के लिए हमारी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी तैयार थी लेकिन प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने प्रेस में और अखबारों में यही वयान दिये और उस वक्त यह कहने की कोशिश की गई थी कि विरोधी दल संविधान में संशोधन कराने के लिए हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। उनकी यह बात गलत थी। हमारी पार्टी और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की पार्टी ने संविधान में संशोधनकराने की बात कही थी लेकिन उस समय संविधान में संशोधन नहीं किया गया और प्रधानमन्त्री उस वक्त इस तरह बोल रही थीं कि अगर सारे विरोधी दलों के लोग उनको संविधान में संशोधन कराने के लिए समर्थन देते, तो आसास के मामले में संविधान में संशोधन कराने के लिए वे तैयार थीं। मैं आज यह कहना चाहता हूं कि आज एन्टायर अपोजीशन इसका विरोध करने जा रहा है और उस वक्त अगर श्रीमती इन्दिरा गांधी एन्टायर अपोजीशन की बात को मानने के लिए तैयार थी और अगर एन्टायर अपोजीश न कहता, तो वे संविधान में संशोधन के लिए तैयार थी, तो आज जबकि सारा अपोजीशन इस विधेयक का विरोध कर रहा है और कह रहा है कि संविधान में इस मामले पर संशोधन न किया जाए, तो क्या श्रीमती इन्दिरा गांधी अपोजीशन की बात को मान जाएगी। उस वक्त भी उन्होंने विरोधी दलों की बात नहीं मानी थी और आज भी विरोधी दलों की बात नहीं मानेंगी। मैं इसलिए इसका विरोध कर रहा हूं कि वहां बाकायदा विधिवत चुनी हुई सरकार को आप ने

सस्पेंड किया और इस बिल को लाते वक्त जो इसके एम्स एण्ड ओवजेक्ट्स हैं, उनमें कोई ऐसा आधार आपने नहीं बतलाया है जिससे राष्ट्रपति शासन की अवधि एक साल और बढ़ाने के लिए इस संविधान (संशोधन) विधेयक पर विचार किया जा सके। कोई कारण इसमें नहीं बताया गया है। एम्स एण्ड आब्जेक्ट्स में ये कारण बताए जाने चाहिए थे। किन कारणों से ये संविधान में संशोधन लाना चाहते हैं। इसलिए इस बिल को वापिस लिया जाए। इसके लिए कोई पर्याप्त कारण नहीं बताए गए हैं। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं।

इस बिल में बताया गया है कि पंजाब में सामान्य स्थिति है। प्रधानमन्त्री जी कहती हैं कि सामान्य स्थिति है और गृह मन्त्री जी भी कहते हैं कि सामान्य स्थिति है। मिल्ट्री आपरेशन के बाद में पंजाब की स्थिति सामान्य हो गई है, ऐसा कहते हैं। जब स्थिति सामान्य हो गई है तो आप विधान सभा को बहाल क्यों नहीं करते? अगर उसको बहाल नहीं करना चाहते हैं तो दुबारा चुनाव क्यों नहीं कराते। ये दोनों चीजें आपकी नहीं चलेंगी। सामान्य स्थिति भी है और चुनाव भी नहीं कराना चाहते और विधान सभा को बहाल करना भी नहीं चाहते। ये सब ऐसे कारण हैं, जिनकी वजह से हम इसका विरोध कर रहे हैं। इन हालातों को देखते हुए तो केन्द्र सरकार को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। मिल्ट्री आपरेशन के बाद पूरे पंजाब को मिल्ट्री के हाथों में सौंप कर भी आप स्थिति को सामान्य नहीं कर पाए हैं। इसलिए मेरा कहना यह है कि इसके जरिए संविधान का गलत इस्तेमाल किया जाएगा। जब हमने एक शर्त लगाई थी और संविधान के आर्टिकल 356 के संशोधन के लिए तैयार हो गए थे, उस वक्त यह क्यों नहीं किया गया। हमने शर्त लगाई थी कि इसका इस्तेमाल सिर्फ आसाम के लिए ही किया जाएगा। आसाम के सिवाए भविष्य में कोई इस तरीके का संशोधन नहीं किया जा सकता जो पूरे देश के राज्यों के ऊपर लागू किया जा सके। लेकिन इस तरीके का कोई आश्वासन नहीं दिया गया। आज उसी बात को दोहराया जा रहा है। आज तो बिना चुनाव और बिना राष्ट्रपति शासन के ही सरकारों को बदला जा रहा है। जम्मू-कश्मीर की सरकार को गिराया गया, आन्ध्र प्रदेश की सरकार को गिराया गया। मैं तो विरोधी दलों के नेताओं से कहना चाहूंगा कि इस तरह की जनतंत्र की हत्या को देखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर एक रणनीति अपनानी चाहिए। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि विरोधी दल चुनाव जीत कर आ जाए और शपथ दिलाने वाला वही काम न कर बैठे जो आन्ध्र के गवर्नर ने किया है। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं। मैं एक बार फिर मंत्री महोदय से अपील करूंगा कि पर्याप्त कारण इस बिल में नहीं बताए हैं। अगर जरा-सा भी मारल है तो एम्स एण्ड आब्जेक्ट्स के आधार पर ही इस बिल को वापिस लिया जा सकता है।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया (अमृतसर) : सभापति महोदय, मैंने विपक्ष में बैठे अपने मित्रों के भाषण सुने हैं। लेकिन समझ में नहीं आता कि किसी ने वास्तविक समस्या को क्यों नहीं समझा। वे इधर-उधर की बातें करते रहे (**व्यवधान**)। प्रथम वक्ता श्री अमल दत्त ने भाषण में कोई तर्क नहीं दिया और यदि दिया भी तो वह गलत था। उन्होंने केवल इतना ही कहा कि पंजाब में सरकार असफल हो गई है, केन्द्रीय सरकार असफल हो गई है। फिर श्रीमती प्रमिला दण्डवते अमृतसर के बारे में बता रही थीं। पिछले ढाई वर्षों में श्री अमल दत्त एवं विपक्ष की ओर से कोई पंजाब में नहीं गया ताकि पंजाबियों की स्थिति को देख सकें, उन्हें कितने कष्ट सहन करने पड़े और वे किन परिस्थितियों में रह रहे हैं। फिर भी संसद में वे निर्णय दे रहे हैं। जब वह वहां गई भी तो उनके अपने ही दल के सदस्यों ने उन्हें 'कार सेवा' के बारे में गलत सूचना दी। उन्होंने बताया कि कार सेवा में केवल किराये के व्यक्ति हैं।

यह बिल्कुल गलत है। जब वह वहां गई थीं तो कार सेवा समाप्त हो चुकी थी केवल विशेषज्ञ ही अकाल तख्त पर कार्य कर रहे हैं। कार सेवा जोर-शोर से शुरू हुई थी और अनेक लोगों ने उसमें भाग लिया। मलबा हटा लिया गया है। हर रोज पांच से दस हजार व्यक्ति उसमें भाग लेते थे। कार-सेवा में लाखों लोगों ने भाग लिया है और जैसा मैंने कहा है, अब तो विशेषज्ञ ही कार्य कर रहे हैं।

अब मैं पंजाब में सरकार की असफलता सम्बन्धी मुख्य बात पर आता हूं। इस सन्दर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि पंजाब में बिल्कुल अलग प्रकार का उग्रवाद देखने में आया है। यह तो एक दम नृशंसता थी। स्थानीय प्रशासन उसका सामना नहीं कर सकता था क्योंकि उग्रवादियों को बाहर से ऐसे हथियार मिले थे जिनका मुकाबला स्थानीय पुलिस नहीं कर सकती थी। उग्रवादी अच्छी तरह प्रशिक्षित थे और स्थानीय पुलिस से संख्या में अधिक होते थे और प्रायः उनके पास पुलिस से अधिक शक्ति होती थी क्योंकि उनके पास अच्छे, अत्याधुनिक तथा बढ़िया हथियार होते थे और पुलिस के पास तो आमतौर पर 303 की राइफलें ही होती हैं। इन परिस्थितियों में हमें स्थिति का सामना करने के लिए राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा।

मैं यह भी कहता हूं कि अकाली दल के तीन बार शासन के दौरान उन्होंने अपने दल के लोगों को प्रशासन में भर्ती कर लिया। उन्हें गलत तरीके से पदोन्नत किया और अपने ही दल के लोगों को पदोन्नत किया जिसके फलस्वरूप पंजाब में ऐसा प्रशासन आ गया जिसमें सोचने समझने की शक्ति न थी, दिल और दिमाग न था। सरकार का अर्थ मन्त्री या विधायक ही नहीं बल्कि प्रशासन भी है। यदि पंजाब जैसे सीमावर्ती राज्य में प्रशासन ठीक नहीं है और कानून तथा व्यवस्था की समस्या नहीं सुलझाई जा सकती तो ऐसी हालत पैदा होना स्वाभाविक ही था।

जब ऐसी स्थिति आ गई तो कांग्रेस दल में कुछ परिवर्तन किए गए जिनका उल्लेख किया गया है। किसी भी राजनीतिक दल में ऐसा होना स्वाभाविक है। उनके दल में भी परिवर्तन हुआ है। माननीय सदस्य ने कहा है कि हमारा दल भी कहां असफल हो गया, यह बिल्कुल गलत है। अढ़ाई वर्षों तक उग्रवादियों का सामना किसने किया? आपने दोनों समुदायों में सौहार्द बढ़ाने के लिए वहां एक सम्मेलन भी नहीं किया। आप लोगों को सांत्वना देने भी नहीं गये और यहां बैठे निर्देश और निर्णय दे रहे हैं। आपने वहां कुछ नहीं किया। आपने तो यह किया···(**व्यवधान**)। आप सदा सरकार को दोष देते रहे कि सरकार वार्ता करने में विलम्ब कर रही है और जब भी हम वार्ता हेतु आगे आए तो आपको पता ही है कि क्या हुआ। हमने त्रिपक्षीय सम्मेलन की बात मान ली, यह करिए, वह करिए, पत्र लिखिए, उन्हें आमन्त्रित करिए, सब माना। क्या आपको उनके रवैये का पता नहीं? वे हमसे कोई सहयोग नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जब तक प्रधान मन्त्री या गृह मन्त्री से पत्र नहीं मिलता, हम दिल्ली नहीं आयेंगे। फिर उन्होंने कहा कि वे दिल्ली न आकर कहीं और आयेंगे। हम वार्ता के लिए चण्डीगढ़ गए। हमारी तरफ से तो असहयोग की कोई बात न थी। हम तो सहयोग कर रहे थे पर अकाली दल ऐसा नहीं कर रहा था। ये लोग भी उनकी मांगों को उचित बता रहे थे। संविधान के जलाए जाने तक तो वे आंख मूंदकर कहते थे कि मांगें उचित हैं। यहां तक कि माननीय वाजपेयी ने भी पठानकोट में अपने सम्मेलन में कहा कि उनकी मांगें ठीक हैं और सरकार उन्हें स्वीकार नहीं कर रही। वह हाल ही में अमृतसर गए थे और उन्होंने अपने अकाली मित्रों को उग्रवादिता छोड़ने की सलाह दी लेकिन उन्होंने उनकी सलाह नहीं मानी। राजनीतिक कारणों से आप सभी उनका समर्थन करते रहे और यह नहीं सोचा कि ऐसे दल का समर्थन करने के क्या परिणाम हो सकते हैं।

हमारे सामने तो अकालियों की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट थी। शायद आपको भी पता था। लेकिन आप जान-बूझ कर उससे बच रहे थे। लेकिन अकाली कभी भी इस बात से सहमत न हुए कि उग्रवादी स्वर्ण मन्दिर में हैं या आतंकवादी वहां हैं। हर बार उन्होंने कहा कि वे वहां नहीं हैं। जब हमने उनसे पूछा कि क्या स्वर्ण मन्दिर में शस्त्रास्त्र हैं, उन्होंने कहा कि 'नहीं'। ये वही अकाली हैं जिनका आप समर्थन करते हैं।

इतना ही नहीं। वे भिण्डरावाले के उग्रवाद का लाभ उठा रहे थे। वे उन्हें सरोपे भेंट कर रहे थे और नानक निवास में शरण दे रहे थे। उन्हें भोजन, धन तथा आवश्यकतानुसार सभी चीजें दी जा रही थीं। हमने लोगों को बताया कि अकालियों की नदी जल या चण्डीगढ़ में रुचि नहीं है वे तो किसी भी प्रकार सत्ता हथियाना चाहते हैं। वे हमेशा अल्पमत में रहे लेकिन सत्ता हड़पना चाहते थे। इसमें आप उनका समर्थन कर रहे थे। विपक्ष ने त्रिपक्षीय सम्मेलन जैसी कोई बात कही थी। लेकिन जब हम और कांग्रेस दल पंजाब में मुकाबला कर रहे थे तो ऐसी कठिन परिस्थितियों में आप अपना निशाना श्रीमती गांधी को और कांग्रेस को बना रहे थे। उन्होंने अपना कोई दायित्व या भूमिका नहीं निभायी, कोई योगदान नहीं किया। आपमें वहां जाने का साहस नहीं है और आप लोगों के प्रति सहानुभूति दिखाने के लिए भी वहां नहीं गए। आप सिर्फ सरकार को ही दोषी ठहराते रहे हैं।

पिछले 2-1/2 वर्षों में पंजाब में जो हुआ वह यह है कि वहां पर वस्तुत: एक समानान्तर सरकार रही। और हम उससे केवल सख्ती से ही निपट सकते थे। परिस्थितियां ऐसी थीं कि हमें सख्ती से निपटना पड़ा। इन सभी मित्रों ने कहा कि वहां कोई सरकार नहीं थी, और सरकार को कार्य-वाही करनी चाहिए। परन्तु जब अब कार्यवाही की गई है तो इनमें से बहुत से लोग सेना को हटाने की बात कह रहे हैं।

निस्संदेह स्थिति में सुधार हुआ है, परन्तु अभी भी उग्रवादी गतिविधियां समाप्त नहीं हुई है। वे अभी चल रही है। आप अखबारों में इस बारे में पढ़ते होंगे। हाल ही में 15 अगस्त को सात स्कूलों को जला दिया गया था। सीमावर्ती इलाकों में बहुत से लोग मारे जाते हैं। जब तक इन सभी उग्रवादियों को समाप्त नहीं कर दिया जाता, यह सावधानी बरतना आवश्यक है। इसीलिए हम इस विधेयक को लाए हैं।

यह एक राष्ट्रीय समस्या है। हमें इसका समाधान इसी दृष्टि से करना चाहिए। अगर सभी कुछ सामान्य हो गया होता तो हम इस संशोधन को नहीं लाते। परन्तु स्थिति ऐसी है कि सावधानी बरतने की आवश्यकता है। यह एक राष्ट्रीय समस्या है; और हमें इस पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखना चाहिए। हमें इस कानून को कुछ और समय के लिए बढ़ा देना चाहिए। इसीलिए हम यह संशोधन विधेयक लाये हैं।

हमने अकालियों को भी अपना रवैया बदलने के लिये अनुरोध किया है। उन्हें हमारा अनुरोध स्वीकार करना चाहिए किन्तु वे ऐसा नहीं कर रहे हैं। जैसाकि मैंने कहा, वाजपेयी जी ने भी उनसे अनुरोध किया है, किन्तु कोई उत्तर नहीं मिला है। कुछ ही दिन पहले केन्द्र सरकार ने कहा था कि वह शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी को 'कार सेवा' शुरू करने का अवसर देने के लिए तैयार है। केन्द्र सरकार ने तीन शर्तें रखी थीं। सरकार ने यह प्रस्ताव रखा है: (1) मन्दिर के अन्दर हथियारों का ले जाना एकदम वर्जित होगा। (2) उन्हें एक आश्वासन देना चाहिए कि स्वर्ण मन्दिर काम्प्लेक्स तथा

गुरुद्वारे के धार्मिक अहातों को साम्प्रदायिक घृणा फैलाने के लिए इस्तेमाल में लाए जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी ये ऐसी बातें हैं जिन पर किसी को भी आपत्ति नहीं होगी। तीसरी शर्त है कि वे खालिस्तान की मांग की स्पष्ट शब्दों में निन्दा करें। अगर अकाली इन बातों को मानने के लिए तैयार हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। वे 'कार सेवा' कर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति कार सेवा कर सकता है। बाबा खड़क सिंह अथवा कोई भी अन्य बाबा आए मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सरकार यह कहती आई है कि कि वे सभी अकाली नेताओं को छोड़ने का भी आदेश करेगी और जो लोग भी 'कार सेवा' करना चाहते हैं उन्हें भी इजाजत देने के लिए तैयार है। परन्तु प्रश्न यह है : क्या अकाली इसके लिए तैयार हैं ? क्या उन्होंने कहा है कि इन गुरुद्वारों को उग्रवादी उद्देश्यों के लिए प्रयोग में नहीं लाया जाएगा ? क्या उन्होंने कहा है कि कोई भी हथियार गुरुद्वारों के अन्दर नहीं जाएगा ? वे इसे रोकेंगे। क्या उन्होंने खालिस्तान की मांग को त्याग दिया है ? किसी भी अकाली नेता ने केन्द्र सरकार ने जो पहल की है उसका प्रत्युत्तर नहीं दिया है। वे वही रवैया अपना रहे हैं। वे उग्रवादियों की निरन्तर सहायता कर रहे हैं ; वे खालिस्तान आन्दोलन में विश्वास रखे हुए हैं और गुरुद्वारों को भी उसी तरीके से रखा हुआ है जिस तरह से वह रखते आ रहे हैं ; और जब तक ऐसा होता रहेगा, हम इस कानून को जारी रखेंगे। अत: मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री सूरजभान (अम्बाला) : सभापति महोदय, पिछले साढ़े तीन साल में पंजाब के जो हालात रहे हमने उनको देखा। सरदार दरबारा सिंह की हुकूमत देखी, राष्ट्रपति शासन देखा, आर्मी ऐक्शन को देखा, और आज यह अमेंडमेंट आया है इसलिए मजबूरन होकर मुझे यह कहना पड़ रहा है, पंजाब के लोगों की आवाज हैं :

निगाहें मुन्तजर थी कब किरण फूटे सहर होगी,

मगर यह रात कुछ और काली होती जाती है।

लोगों को उम्मीद थी कि शायद हालात सुधरेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आखिर यह संशोधन क्यों आया ? पहले तो सरकार ने माना कि हम फेल हो गए। दूसरा कारण यह है कि इसके एम्स और औबजेक्ट्स में लिखा है :

> "यद्यपि विधान सभा स्थगित है और लोकप्रिय सरकार बनाई जा सकती है। तथापि राज्य में विद्यमान स्थिति को देखते हुए उद्घोषणा को 5, अक्तूबर 1984 से आगे जारी रखना आवश्यक होगी।"

वहां के हालात ऐसे हैं कि राष्ट्रपति शासन आगे जारी रखना जरूरी है। हालात क्या हैं ? कुछ आदमी मर जायें, यह तो दरबारासिंह के राज में भी हो रहा था। हमने पहले मांग की थी उस वक्त क्यों नहीं राष्ट्रपति शासन लगा दिया ? हालत यह है कि आज पंजाब में मुख्य मंत्री किसको बनायें यह समझौता नहीं हो पा रहा है। अपने घर का झगड़ा है जिसका फैसला नहीं हो पा रहा है, और कांग्रेस के घर के झगड़े को निपटाने के लिए संविधान में संशोधन किया जाए इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है ?

सभापति महोदय, एक बात और है असम के मामले में विरोधी दलों ने कहा था कि वहां एक साल के लिए राष्ट्रपति शासन बढ़ा दिया जाय। लेकिन आपको चुनाव सूट करते थे इसलिए हमारी बात

नहीं मानी। आपने वहां चुनाव करवाये। कितना वहां खून खराबा हुआ उसका जिक्र मैं नहीं करना चाहता। इत्तफाक से असम में जब चुनाव हुए थे तो श्री सुब्रह्मण्यम वहां एडवाइजर थे। वही सज्जन अब पंजाब में एडवाइजर होकर गये हैं। क्या वही हालत पंजाब में आप फिर करवाना चाहते हैं इसीलिए श्री सुब्रह्मण्यम को पंजाब में भेजा है ?

एक बात और है, खास तौर से प्रधान मन्त्री अक्सर कहती हैं कि मैं विरोधी दलों का सहयोग चाहती हूं। मैं पूछना चाहता हूं यह बिल लाने से पहले किसी विरोधी दल से सलाह मश्विरा किया गया फिर सहयोग की बात का क्या मतलब है नहीं पूछा गया।

हमने तो पहले मांग की थी कि राष्ट्रपति राज्य लाओ असेम्बली को तोड़ो। आपने असेम्बली तो तोड़ी नहीं, उसे बेहोश कर रहा है। आप अभी भी कहते हैं कि बेहोश ही रहेगी। मैं पूछना चाहता हूं कि आप इसे क्यों नहीं खत्म करना चाहते ? आप किस लिए एम० एम० एज० को तनस्वाह दे रहे हैं ? करोड़ों रुपए का खर्च हो रहा है। जब उनसे काम नहीं लिया जा रहा तो उनका क्या फायदा ? इसका सीधा सा तरीका है कि एक दिन का सेशन बुला लीजिये, उसके बाद 6 महीने के लिए सेशन बुलाने की जरूरत नहीं है। हमारे हरियाणा में भी वही हो रहा है। यह ड्रामा आप पंजाब में भी कर सकते हैं। आसानी से किया जा सकता है, लेकिन आप करना नहीं चाहते।

आपने पंजाब में ब्लू-स्टार आपरेशन किया और उसके बाद यह विधान में जो तरमीम की बात है, यह ब्लैक स्टार आपरेशन आप ला रहे हैं। यह किसी को पसन्द नहीं आयेगा। मैं इस बिल का विरोध करता हूं और जो कुछ ड्रामा पंजाब में कार सेवा के नाम पर सरकार सेवा हो रही है, वह बन्द होना चाहिए।

मैं इस बिल का विरोध करता हूं, यह सच नहीं होना चाहिए।

श्री के० मायातेवर (डिन्डीगल) : इस सम्मानित सदन में पंजाब समस्या पर एक दर्जन से ज्यादा बार चर्चा हो चुकी है। कांग्रेस दल के माननीय सदस्यगण इस तरह से बोल रहे थे जैसे कि इस समस्या का हल न निकाल पाने के लिए विरोधी पक्ष जिम्मेदार हैं। कांग्रेस दल के माननीय सदस्यों की तरफ से इस तरह की झूठी और अप्रिय बातें सुनकर मुझे ताज्जुब होता है। वहां पर कानून तथा व्यवस्था लाने तथा लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के बारे में की गई उपयुक्त एवं प्रभावी कार्यवाही का लगभग सभी दलों ने समर्थन किया है। हम सरकार से पिछले 2/1-2 वर्षों से कार्यवाही करने के लिए कह रहे हैं। परन्तु उपयुक्त समय पर कार्यवाही करने में आप अपने कर्त्तव्य में विफल रहे हैं। आपके देर से कार्यवाही करने तथा समय पर अपने कर्तव्य का निर्वहन न करने के कारण ये सारी समस्याएं पैदा होती गई अब आप जो संशोधन लेकर आये हैं वह न केवल असंवैधानिक है अपितु अलोकतंत्रीय तथा तानाशाही भी है क्योंकि यह शैतान की तलवार की भांति एम० जी० आर० सरकार को छोड़कर गैर-कांग्रेस सत्ताधारी राज्यों के सिर पर लटक रही है। इसीलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं।

हम राष्ट्र-विरोधियों के खिलाफ हैं। कांग्रेस दल के माननीय सदस्य ऐसी बातें कह रहे थे मानो कि हम खालिस्तान का समर्थन कर रहे हैं। खालिस्तान का समर्थन किसने किया ? किसी ने भी नहीं किया। आप को सभी राष्ट्र-विरोधी, गैर-सामाजिक और लोकतंत्र-विरोधी ताकतों को समाप्त कर देना चाहिए। आपने कुछ वर्ष पूर्व यह काम क्यों नहीं किया ?

सभापति महोदय : कृपया आप अध्यक्ष पीठ को सम्बोधित कीजिये ।

श्री के० मायातेवर : मैं आपको सम्बोधित करूंगा ।

(व्यवधान)**

सभापति महोदय : यह कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जायेगा ।

श्री के० मायातेवर : राष्ट्र हित देश में किसी भी दल, ग्रुप अथवा धर्म से सर्वोपरि है । जब किन्हीं व्यक्तियों के बीच संघर्ष होता है तो राष्ट्रीय हित ऊपर होना चाहिए । अगर किसी समुदाय विशेष, दलों अथवा धर्म के बीच कोई लड़ाई अथवा झगड़ा होता है तो राष्ट्रीय हित को सुरक्षित रखा जाना चाहिए । यह सभी विपक्षी दलों का परम कर्त्तव्य है । हमने यह कई दफा दोहराया है । परन्तु आप ने इसे बिल्कुल नहीं समझा है ।

डी० एम० के० की नीति है कि अनुच्छेद 356 को निकाल दिया जाना चाहिए तथा संविधान से पूर्णतया समाप्त कर देना चाहिए । एक-एक वर्ष अथवा दो-दो वर्ष के लिए इसकी अवधि नहीं बढ़ानी चाहिए । हमारी पार्टी के जन्म के पहले दिन से ही यह हमारी मांग रही है । वे चाहते हैं कि सभी गैर-कांग्रेस सत्ताधारी दल केन्द्र सरकार की खुशी और उसके स्वविवेक के अनुसार काम करें । हम नहीं जानते आपकी खुशी क्या है, आप विरोधों दलों से खुश हैं अथवा नहीं । जब लोग आप का विरोध करते हैं, जो सत्ता में है, आप हमें बरखास्त कर रहे हैं । आप उन अवैध हथियारों और गोला-बारूद का इस्तेमाल कर रहे हैं जो आपकी फाइलों में जमा हुई है । अतः मैं अनुच्छेद 356 की समाप्ति तथा इस अनुच्छेद को पूर्णतया संविधान से हटाने की सिफारिश करना चाहता हूं । इस प्रकार के अर्ध-संघीय अथवा संघीय राज्य में अनुच्छेद 356 का जारी रहना एकदम असंवैधानिक है । पंजाब में कौन सत्ता में था ? क्या वे कम्युनिस्ट अथवा जनता सदस्य या किसी अन्य दल के सदस्य थे जो वहां शासन कर रहे थे ? आप शासन में थे, आप सत्ता में थे, आप राज्य को चला रहे थे, किन्तु जब आप सत्ता में थे तब आप समस्या को नहीं सुलझा सके, जब आपका अपना मुख्य मंत्री था—मैं कहूंगा 'चीप मिनिस्टर' न कि 'चीफ मिनिस्टर'—और इसीलिए आपने वहां पर सत्ता राज्यपाल को सौंप दी ।

सभापति महोदय : श्री मायातेवर आप मुझे सम्बोधित कीजिये ।

श्री के० मायातेवर : महोदय, मैं माफी चाहता हूं, अब मैं आपको सम्बोधित करूंगा । जब अपने मुख्य मन्त्री के अधीन आपकी अपनी लोकतांत्रिक सरकार थी तब आप समस्या को नहीं सुलझा सके, क्यों ? इसके पश्चात आपने राष्ट्रपति शासन लागू किया । केन्द्रीय सरकार भी शान्तिमय तरीके से इसका कोई भी हल नहीं निकाल सकी और फिर सैनिक कार्यवाही की गई हम उस कार्यवाही का विरोध बिलकुल नहीं कर रहे हैं । वे सच का पता लगाये बिना क्यों अनावश्यक रूप से हम पर दोषारोपण कर रहे हैं जिसके लिए विपक्ष पिछले 2-1/2 वर्षों से संघर्ष कर रहा है ? अब वे अवधि को एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष करना चाहते हैं । परन्तु इसकी गारंटी क्या है ? अगर कोई शादी शुदा दम्पत्ति दस वर्ष के पश्चात भी किसी बच्चे को जन्म नहीं दे सके तो क्या आप इसकी गारंटी देंगे कि पन्द्रह वर्ष पश्चात वे बच्चे को जन्म देंगे ? आप नहीं देंगे ।

**कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

सभापति महोदय : श्री मायातेवर मैं समझता हूं आप उस तरफ देखते हैं तो आपको ज्यादा प्रोत्साहन मिलता है।

श्री के० मायातेवर : महोदय आप शक्तिशाली हैं इसलिए मैं उनको सम्बोधित कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि आप एक बहुत ही ईमानदार, सक्षम तथा प्रभावशाली कांग्रेस सदस्य हैं, आप पर उक्त बात लागू नहीं होती हैं। अत: हमें माननीय मंत्री जी से आश्वासन मिलना चाहिए कि इस समस्या को हल किया जायेगा। परन्तु मैं नहीं समझता कि इसकी कोई गारंटी है। अत: कल अथवा उससे अगले दिन या उसके पश्चात आप इस तरह का संशोधन लेकर यह कहते हुए आ सकते हैं कि आप समस्या को नहीं सुलझा सके अत: इन दो वर्षों की अवधि को बढ़ाकर तीन और चार या पांच वर्ष और बढ़ा देना चाहिए। परन्तु क्या आप पांच वर्षों तक यहीं बने रहेंगे ? निश्चित रूप से आप यहां नहीं होंगे। इसलिए उससे पहले सत्ता के अपने छोटे से जीवन काल में आप दुनिया में सभी बुरे काम करना चाहते हैं और आप भारत के संविधान को विकृत तथा बदनाम करना चाहते हैं ऐसी गलती मत कीजिये। भावी पीढ़ी···

···(व्यवधान)···

सभापति महोदय : अब समाप्त करिए। श्री गुप्ता आपको प्रोत्साहित कर रहे हैं।

श्री के० मायातेवर : जी हां, मैं समाप्त कर रहा हूं यही एक अनोखा, विचित्र राज्य है, क्योंकि उस राज्य में ये शासन कर रहे थे। विधानसभा को निलम्बित रखा गया है। यह तो बड़ी ही स्वार्थ पूर्ण बात है। स्थगित इसलिए किया गया कि वे यह जानते हैं कि यदि विधान सभा भंग कर दी जाती है तो लोग कांग्रेस के विरुद्ध मत देंगे और उन्हें निकाल फकेंगे। इसीलिए तो उसे स्थगित रखा गया है। जब किसी राज्य में गैर-कांग्रेसी पार्टी शासन कर रही होती है तो आप उस विधान-सभा को भंग कर देते हैं। अत:, जहां तक पंजाब का सम्बन्ध है, आपको भिन्न, भेदभावपूर्ण नीति क्यों अपनानी चाहिए।

सरकार का कथन है कि पंजाब की स्थिति में अभी भी सुधार नहीं हुआ है। मेरा कहना है कि सभी विपक्षी दलों के सुस्पष्ट समर्थन के बावजूद भी, यह सरकार इस समस्या को न तो हल कर सकती है, न ही करेगी और न ही करना चाहती है। इसलिए अवधि बढ़ाने का निवेदन नैतिक रूप से, वैधानिक रूप से अथवा संवैधानिक रूप से अनुमेय नहीं है। इसीलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं यह तानाशाही निरंकुशता और नादरशाही को बढ़ावा देता है।

हो सकता है कल को यह कुछ अन्य राज्यों पर भी लागू किया जाए। इस बात की क्या गारंटी है कि इस दुनाली बन्दूक को आन्ध्र प्रदेश के विरुद्ध नहीं चलाया जायेगा। इस प्रकार के कार्यों के लिए आपने उसी रामलाल को राज्यपाल बना रखा है।

गृह मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : मैं आपको आश्वासन देता हूं कि इसे किसी अन्य राज्य पर लागू नहीं किया जायेगा।

श्री के० मायातेवर : परन्तु संविधान के उपबन्धों में ऐसा आश्वासन नहीं दिया गया है। हम आपके मौखिक आश्वासनों पर निर्भर नहीं कर सकते हैं। आप सभा और राष्ट्र को बहुत से आश्वासन देते हैं, परन्तु उनको पूरा नहीं करते हैं।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : इसे किसी अन्य राज्य पर लागू नहीं किया जायेगा।

श्री० के० मायातेवर : जब पांडिचेरि विधान सभा को भंग किया गया था तो, चुनाव नहीं कराये गये थे, क्योंकि आप जानते हैं कि लोगों को आप पर विश्वास नहीं है। आपने एन० टी० रामाराव सरकार को हटा दिया। यह विधेयक इस देश में लोकतन्त्र की भावना के विरुद्ध है। यह तो गैर-कांग्रेसी सरकारों वाले राज्यों के लोकतान्त्रिक अधिकारों की पीठ में छुरा घोंपकर, निर्मम हत्या करना है। इसीलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं।

आचार्य भगवान देव (अजमेर) : सभापति महोदय, अभी मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जनता पार्टी और लोक दल, परलोक दल वालों ने जो बात की यहां पर ? इनका एक भी प्रतिनिधि पंजाब में नहीं है। जिनका पंजाब में एक भी प्रतिनिधि नहीं है वह भी यहां पर चिल्ला-चिल्ला कर बोलते हैं तो इनकी बुद्धि पर बड़ा तरस आता है ।···**···मुझे ऐसा लगता है कि अन्धकार में भटक रहे हैं।

श्री के० माया तेवर : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। उनका कहना है कि हम पंजाब में एक भी विधायक लाने में असफल रहे। उन्हें पंजाब से डी० एम० के० के कुछ सदस्य चुनने दो··· (**व्यवधान**)

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : **शब्द मृदुल नहीं है ।

सभापति महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

आचार्य भगवान देव : सभापति महोदय, डी० एम० के० का प्रतिनिधि तो पंजाब में नहीं है। ···(**व्यवधान**)···डी० एम० के० के जो मेम्बर हैं उनका तो कोई भी प्रतिनिधि पंजाब में नहीं है। उस व्यक्ति का और उन पार्टियों का पंजाब में एक भी प्रतिनिधि नहीं हैं···(**व्यवधान**)···

सभापति महोदय : आप पंजाब के बारे में ही बात करें।

आचार्य भगवान देव : मैं पंजाब के बारे में ही बात कर रहा हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि जिन पार्टियों का कोई प्रतिनिधि वहां नहीं है, जिन लोगों ने चाहे वह बंगाल वाले हों चाहे डी० एम० के वाले हों, चाहे वह कभी पंजाब में गए भी न हों···(**व्यवधान**)···

सभापति महोदय : आप पंजाब के बारे में बात करें।

आचार्य भगवान देव : मैंने कोई ऐसी बात नहीं की, मैंने कहा कि ये कभी वहां गए भी नहीं हैं। इसमें कोई असंसदीय बात नहीं है ? क्यों परेशान हो रहे हैं ? ये तो असम में घुस गए, रामाराव की बात करने लग गए···(**व्यवधान**)···

सभापति महोदय : आपको उन्हें माननीय सदस्य गण सम्बोधित करना चाहिए।

आचार्य भगवान देव : सभापति महोदय, इसमें कोई असंसदीय बात नहीं है। मैं यह कह रहा हूं

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

कि जो लोग वहां कभी गए नहीं वह लोग भी जब इस प्रकार की बात करने लगते हैं तो सच्चाई से भटक जाते हैं।

गृह मन्त्री जी ने एक साल का समय बढ़ाने के बारे में संशोधन विधेयक पेश किया है। उसमें इन लोगों द्वारा कारण पूछा गया है—मैं कहना चाहता हूं कि क्या इनको कारण का पता नहीं है। अभी भी वहां पर स्कूल जलाए जा रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है। विदेशों में सम्मेलन हो रहे हैं और वहां पर अभी भी तथाकथित वेतन भोगी···

श्री मायातेवर : आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लोक सभा में द्रविड़ मुनेत्र कणगम के सदस्य श्री दण्डपाणि ने पंजाब का दौरा किया था। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप अन्य दलों के बारे में कुछ नहीं जानते हैं।

आचार्य भगवान देव : सभापति जी, वहां पर जो तथाकथित वेतन भोगी ग्रन्थी हैं, उन्होंने भी चेतावनी दी है कि स्वर्ण मंदिर में जो पवित्र कार सेवा में हजारों लोग लगे हुए हैं, उसको हम तोड़ेंगे। उनकी इस चेतावनी के पीछे क्या राज छिपा हुआ है, यदि उस बात को सुनकर विरोधी पार्टी के लोग अन्दाजा नहीं लगा सकते है कि समय क्यों बढ़ाया जा रहा है। विरोधी पार्टी के नेताओं ने हमेशा यह मांग की है···(**व्यवधान**)···कार सेवा के लिए कह रहा हूं···(**व्यवधान**)···तरस तो खा रहा हूं इनकी बुद्धि पर···(**व्यवधान**)···वहां पर तोड़फोड़ का कार्य चल रहा है और विरोधी दल के लोगों ने यह मांग की थी कि वहां पर प्रशासन तन्त्र के ढांचे के अन्दर परिवर्तन लाया जाए। जब वहां पर अकाली दल की हकुमत थी, तब उन्होंने नियमों को ताक पर रखकर लोगों की नियुक्तियां की थी। उसमें सुधार करने के लिए समय की बहुत बड़ी आवश्यकता है। परिवर्तन कोई एक झटके में नहीं होता है। परिवर्तन किया जाता है तो संसद में बिल लाकर और सबके विचार लेकर और बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाता है।

अभी हमारी बहन, श्रीमती प्रमिला दण्डवते जी, ने कहा कि मैं वहां पर होकर आई हूं। वाजपेयी जी भी वहां अपने साथियों को लेकर होकर आए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि यदि वहां पर मिलिटरी द्वारा सख्त कार्यवाही नहीं की जाती, तो क्या वे वहां जरनेल सिंह के होते जा सकते थे। वहां माथा टेक सकते थे, मन्दिर के दर्शन कर सकते थे, बिल्कुल नहीं कर सकते थे। अभी बहन ने कहा कि मैं वहां पर बहन से मिली। मैं पूछता हूं कि किस बहन से मिली, किस बच्चे की मां से मिली। जब वहां अटवाल को मार दिया गया, तो उनकी पत्नी से मिलकर आई उस वक्त क्या स्थिति थी? जब लाला जगत नारायण को मार दिया गया, उस वक्त परिवार में क्या स्थिति थी? आज जिन लोगों से उनको मिलना चाहिए, उनसे वे नहीं मिलीं और यहां कहती हैं कि वहां सख्त कार्यवाही क्यों की गई। मेरे पास रिपोर्ट है, वाजपेयी जी और चौ० चरण सिंह जी व्यक्तिगत लोगों में कहते हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने बड़ी बहादुरी से काम किया है, यह फौजी कार्यवाही करके। पंजाब में अब शान्ति हुई है, लेकिन अभी भी पूर्णरूप से नहीं हुई है। हकीकत यह है कि स्थिति सुधरी है, लेकिन सुधार और जरूरी है। प्रशासन में बहुत परिवर्तन लाना है। कुछ अराष्ट्रीय तत्व वहां मौजूद हैं, उनको हटाना है। राष्ट्र विरोधी तत्व जो बाहर घूम रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, उनके ऊपर भी कार्यवाही करने की आवश्यकता है। इसलिए इन सब बातों को देखते हुए समय बढ़ाना अति आवश्यक है।

इसलिए मैं विरोधी पार्टी के लोगों से भी प्रार्थना करता हूं, जैसी कि आप लोग मांग कर रहे

थे कि प्रशासन के अन्दर परिवर्तन लाइए, तो इस काम के लिए स्वाभाविक है कि समय लगता है और उसके लिए समय देना चाहिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : कितना समय चाहिए।

आचार्य भगवान देव : यह आपको पता है सरकारी अधिकारी को बदलने में कितना समय लगता है। वाजपेयी जी यदि आपको पता नहीं है, तो मैं आपको क्या कहूं।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और आग्रह करता हूं कि जब तक वहां पर सामान्य स्थिति पैदा न हो तब तक समय बढ़ाना उचित है। वैसे हमारी सरकार का वहां बहुमत है। कांग्रेस के एम० एल० एज० अधिक हैं, फिर इनको क्यों परेशानी हो रही है। हम जो चाहें, जैसा चाहें लोकतन्त्र के आधार पर कर सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : महोदय, मैं इस प्रश्न से अपनी बात आरम्भ करनी चाहूंगा जो पिछले अध्यक्ष ने अपने भाषण के अन्त में पूछा है। उनका कहना है कि वहां पर विधान सभा में उनके दल का बहुमत है और जब कभी भी वे चाहेंगे वे अपनी सरकार फिर से बना लेंगे। इनको परेशानी क्यों हो रही है ? परेशानी इसलिए हो रही है क्योंकि अब हम संविधान (संशोधन) विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं अन्यथा कोई परेशानी नहीं होती। परेशानी तो आपको है। बहुमत के रहते हुए भी आपको हिम्मत नहीं है कि आप सरकार वहां बिठा सकें।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : सरकार आपकी है लेकिन संविधान हमारा है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, जहां तक इस संविधान संशोधन की बात है, हमें कभी भी बहुत ही हलके-फुलके और आकस्मिक ढंग से संविधान को संशोधित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि हम सदैव ही ऐसा करते हैं, परन्तु इस विशिष्ट मामले में मैं कहूंगा कि यह गैर-जिम्मेदारी की हद है।

यह एक नया संशोधन है और गत 34 वर्षों के दौरान यह अभूतपूर्व है कि संविधान को लागू किया गया है। और ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है क्योंकि तथाकथित राजद्रोह या सशस्त्र आतंकवाद की परिस्थितियां तो अनेकों राज्यों में पहले भी रही हैं। उत्तरी पूर्वोत्तर भाग में, नागालैण्ड तथा मिजोरम में—हम जानते हैं कि राजद्रोह की परिस्थितियों से निपटने के लिए कुछ वर्षों तक नागालैंड में सेना लगानी पड़ी थी। भगवान का शुक्र है कि अब वहां पर चुनी हुई सरकार है और आपको सेना पर निर्भर नहीं करना पड़ रहा है। परन्तु इन तमाम वर्षों में कभी भी इस विशिष्ट संशोधन को लाना आवश्यक नहीं समझा गया। ऐसा तो पहली बार किया गया है। मन्त्री महोदय का यह कर्त्तव्य है कि वह सभा को यह स्पष्ट करें कि परिस्थिति में ऐसा अभूतपूर्व क्या घट गया जिससे उन उपबन्धों की जान पूछ कर प्रवंचना करने की आवश्यकता आ पड़ी जो कि इस अनुच्छेद 356 के खण्ड (5) का मुख्य भाग है। संविधान निर्माताओं की बुद्धिमानी से दो परिस्थितियां और गिनाई गई थीं। उनका कहना था कि राष्ट्रपति शासन की एक वर्ष की इस अवधि को तब तक न तो बढ़ाया जा सकता है और न ही बढ़ाया जाना चाहिए जब तक एक या दो शर्तें पूरी नहीं की जाती हैं। एक शर्त तो यह है कि इस प्रकार का निर्णय लेते समय या तो सम्पूर्ण भारत में या राज्य के किसी भाग में आपातकाल घोषित हो। आजकल न तो आपातकाल की स्थिति है, न उसकी घोषणा की गई है। दूसरे चुनाव आयोग को यह प्रमाणित

करना चाहिए कि किसी राज्य की विधान सभा के आम चुनाव कराने की कठिनाइयों के कारण, इस, प्रकार के संकल्प में, अवधि विशेष के दौरान, उद्घोषणा को जारी रखना आवश्यक है।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : वह यहां लागू नहीं होता।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह लागू नहीं होता। परन्तु यह तो विधान सभा से सम्बद्ध है। एक प्रकार से तो यह व्यापक रूप से लागू होता है। अन्यथा आपको लोक सभा के चुनाव कराने पड़ेंगे।

अतः, ये शर्तें लागू नहीं होतीं और मेरे विचार से आपातकाल की उदघोषणा भी लागू नहीं होती है। अथवा, क्या अघोषित आपातकाल लागू है? कुछ भी हो 35 वर्ष के दौरान आपने पंजाब के मामले में ही इस संशोधन को लाना आवश्यक समझा और कहा कि यह संशोधन-विशेष केवल पंजाब पर ही लागू होगा। यह सच है। परन्तु यह असंगत ढंग से किया जा रहा है, संविधान में एक प्रकार की नवम अनुसूची जोड़कर। यह नवम अनुसूची कहलायेगा। आज पंजाब है तो कल कोई अन्य राज्य भी हो सकता है। राजद्रोह और आतंकवाद से इसका कतई कुछ भी लेना देना नहीं है। जब कभी राजनीतिक विचारण मांग करते हैं, सत्तारूढ़ पार्टी इस खण्ड को जोड़ सकती है। आज यह पंजाब के साथ है, कल को किसी अन्य और तीसरे दिन किसी और राज्य के साथ हो सकता है। आप वह कर रहे हैं जोकि गत गत 34 वर्षों में कभी नहीं हुआ। अन्य राज्यों में, समय समय पर, आप राजद्रोह और आतंकवाद की परिस्थितियों से अन्य तरीकों से निपटते रहे हैं। आपने पहले कभी भी यह आवश्यक नहीं समझा कि किसी राज्य विशेष में परिस्थिति से निपटने के लिए देश के मुख्य कानून को अर्थात् संविधान को, जिसमें कुछ शर्तें और रक्षोपाय हैं, उसे बदल दिया जाए। आपने ऐसा पहले कभी नहीं किया। क्या यह इतना हल्का मामला है, जिसे बिना किसी बाधा के सुलझाया जा सकता है? जैसा कि किसी ने अभी-अभी कहा है, आप अपना यह तर्क देकर कि अभी और कुछ समय तक राष्ट्रपति शासन आवश्यक है, आप इस घटना को टाल सकते थे। मैं इससे सहमत नहीं हूं परन्तु वह आपका तर्क है। आप एक या दो दिन के लिए विधान सभा की बैठक बुलाकर और उसे भंग करके, इस संशोधन से बच सकते थे। और फिर आप फिर से राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते थे। आपको इस संशोधन को लाने की आवश्यकता न थी। आप वैसा ही क्यों नहीं करते हैं? आप ऐसा कर सकते हैं। संविधान में ऐसा संशोधन क्यों जोड़ा जाना चाहिए जो कि उसमें सदैव रहेगा और उन सभी राज्यों के लिए एक नई प्रकार की नवम अनुसूची का द्वार खोल देगा जिनमें इस उद्घोषणा को बढ़ाया जाना है। आप ऐसा कर सकते थे। (**व्यवधान**)

आप जब समय आए उत्तर देना। आप जब से गृह मन्त्री बन गए हैं हमेशा अधीर रहते हैं, परन्तु जब आप विदेश मन्त्री थे तब आप ऐसे न थे। इसीलिए हम आपको चाहते थे। तब तो आप बड़े ही शान्त, धीर और गम्भीर थे। ऐसा लगता है कि अब आप सदा उत्तेजित रहते हैं। (**व्यवधान**)।

प्रो० मधु दण्डवते : ये गृह कार्य है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं यह कह रहा था कि इस संविधान संशोधन से बचा जा सकता था और अभी भी बचा जा सकता है। अभी भी आप राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। आप यही चाहते हैं। संविधान में ऐसी कोई बात मत जोड़िए जोकि आने वाले सभी समय के लिए एक वास्तविक खतरा बन जाए। आप सदा तो सत्ता में रहेंगे नहीं। परन्तु आप संविधान में एक ऐसी बात जोड़ रहे हैं जोकि कभी भी किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी राज्य के विरुद्ध अवसर मिलने पर प्रयोग की जा सकती है। आपको यह सब क्यों करना चाहिए? कम से कम मैं इस तर्क के कतई विरुद्ध हूं।

दूसरी बात मैं यह कहूंगा—चूंकि अन्य सदस्य यह सब पहले ही कह चुके हैं तो मैं इसे दोहराना नहीं चाहता हूं, जैसा राष्ट्रपति शासन हम पंजाब में लागू करने जा रहे हैं वह कोई साधारण राष्ट्रपति शासन नहीं है, हम इसे चाहें या न चाहें, स्पष्टतया यह एक प्रकार का सैनिक शासन हो गया है। मैं सशस्त्र सेनाओं की प्रशंसा करने में किसी से पीछे नहीं हूं। जब कभी उनसे बलिदान की मांग की जाती है, जब कभी देश की सुरक्षा के लिए उनसे कुछ करने के लिए कहा जाता है, सदैव ही प्रशंसनीय कार्य करते हैं। मैंने अनेक बार यह बात कही है। हम इस सैनिक कार्यवाही के समर्थक थे। तथापि हम सोचते हैं कि यदि पहले ही कुछ और कदम उठाये जाते तो इस कार्यवाही से बचा जा सकता था। किन्तु जब यह कार्यवाही की गई तो यह अपरिहार्य हो गई थी, हमने इसका समर्थन किया था। किन्तु सेना में ऐसे अनेक लोग हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं कि वे यह अनुभव करते हैं कि सेना का जनता के साथ, नागरिकों के साथ संघर्ष में इतनी लम्बी अवधि तक प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। यह सेना के लिए अच्छी बात नहीं है। यह सेना का हौसला बढ़ाने के लिए अच्छी बात नहीं है। सेना इस कार्य के लिए नहीं बनाई और रखी जाती है। वास्तव में, आपका प्रशासन पूरी तरह ध्वस्त हो गया है। पिछले तीन महीनों की अवधि में जब से सैनिक कार्यवाही की गई, आपने जो कुछ किया उसके बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया है। आपने पंजाब के प्रशासन जिसे श्री भाटिया ने एक समानान्तर सरकार की संज्ञा दी है, को स्वच्छ एवं सुव्यवस्थित बनाने के लिए क्या ठोस कदम उठाए हैं। आपने इस सम्बन्ध में एक भी शब्द नहीं कहा है। बिल्कुल कुछ नहीं बताया है।

श्री भाटिया यह कह कर हम पर व्यंग कस रहे थे कि इस ओर के कुछ लोग ऐसे समय भी अकालियों को अपना निरन्तर समर्थन दे रहे थे जब अकाली इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे थे कि मन्दिर में हथियार थे अथवा मन्दिर में भगोड़े एवं अपराधी लोग छिपे हुए थे। यदि वे ऐसा कर अथवा कह रहे थे तो वे बहुत गलत काम कर रहे थे। क्या मैं श्री भिंडर, जिसे आपने आई० जी० पुलिस बना कर भेजा, के समाचार पत्रों में जारी किए गए बयान दिखाएं? श्री भिंडर ने जो कहा है, वह रिकार्ड में है। उन्होंने कहा है कि यह समाचार गलत है और बढ़ा-चढ़ा कर दिया गया है—मन्दिर के अन्दर कोई हथियार नहीं हैं: मन्दिर में कोई अपराधी नहीं हैं। वे आपके आई० जी० पुलिस थे। आपने इस प्रकार के व्यक्तियों के सहयोग से समस्या का समाधान करना चाहा था। यह बात रिकार्ड में है। यदि आप यह नहीं मानते तो मैं उसे आपको दिखा सकता हूं। आप इस तरह मत कहिए। आपने पूरी स्थिति गड़बड़ा दी थी। आपके दल ने राजनीतिक कारणों से पहले भिंडरावाले को उस स्थिति तक पहुंचने के लिए प्रोत्साहन दिया और उसकी सहायता की जिस स्थिति तक वह अन्ततः पहुंच गया। सैनिक कार्यवाही के बाद आप जो कार्यवाही कर रहे हैं उसके बारे में आपने हमें कुछ नहीं बताया है। प्रभावी राज्य प्रशासन के अभाव में राष्ट्रपति के शासन की अवधि बढ़ाने का अर्थ है कि आपको हर कार्य के लिए सेना पर निर्भर रहना होगा। यह तो बिल्कुल सैनिक शासन है। मेरे विचार से सेना को इस प्रकार की स्थिति में डालना उसके लिए अच्छा नहीं है। सेना में अनेक उच्च अधिकारी इसे पसन्द नहीं करते हैं।

वह एक आपात स्थिति की कार्यवाही थी जिसके लिए उन्हें स्वर्ण मन्दिर में जाना पड़ा और कार्यवाही करनी पड़ी। किन्तु वे यह नहीं चाहते कि उन्हें अनिश्चित काल तक जनता का सामना करने के लिए रखा जाए। दूसरा, आपने उद्देश्यों और कारणों के कथन में कहा है, "यद्यपि विधान सभा स्थगित अवस्था में है और एक लोकप्रिय सरकार स्थापित की जा सकती है, राज्य में वर्तमान स्थिति को देखते हुए....."। आपने उसमें यह बात कही है। इसका अर्थ यह हुआ कि स्थिति अब भी वैसी ही बनी हुई इसका अर्थ यह है कि अभी भी आपके लिए विचलित होने की स्थिति मौजूद है? इस प्रकार की विचलित

करने वाली स्थिति न केवल आपके लिए है अपितु हम सब के लिए है। स्पष्ट है कि पंजाब में हिन्दू विद्रोह नहीं कर रहे हैं। वे किसी प्रकार की हिंसा अथवा आतंकवादी कार्यवाही कहीं करेंगे। अत: फिर आप किसकी बात कर रहे हैं? इसका अर्थ यह हुआ कि पिछले कुछ महीनों में आम तौर पर जो कुछ भी हुआ है, उसे देखते हुए अब आप सामूहिक तौर पर सिखों के समर्थन पर निर्भर नहीं रह सकते। यहां वहां अपवाद हो सकते हैं क्योंकि अपवाद हमेशा होते हैं। वे अलग हो गए हैं। इसमें किसी प्रकार का सन्देह नहीं है। और जब आप यह कहते हैं कि "स्थिति अब भी वैसी ही बनी है" तो आप यही कहना चाहते हैं। क्या आप यह कहना चाहते हैं कि कुछ आतंकवादी अभी पकड़े नहीं जा सकते हैं? क्या अन्य राज्यों में भी समय-समय पर वे मुक्त नहीं रहे हैं? क्या उन्हें पकड़ने के लिए राष्ट्रपति शासन की आवश्यकता होती है? इसके लिए राष्ट्रपति शासन की आवश्यकता नहीं होती। वह स्थिति क्या है? कृपया उस स्थिति के बारे में प्रकाश डालें जिसके कारण आप राष्ट्रपति शासन के बिना तथा सेना की सहायता के बिना काम नहीं चला सकते? इसका अर्थ यह हुआ कि सही अथवा गलत ढंग से आज पंजाब में सिख अलग-थलग पड़ गए हैं। मैं सही अथवा गलत ढंग से शब्दों का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं धर्म को राजनीति के साथ मिलाने में विश्वास नहीं करता। किन्तु आज की वर्तमान स्थिति यही है और यही हुआ है। जनता की धार्मिक भावनाओं को भड़काया गया है और वे क्षुब्ध हैं और उनकी भावनाओं को चोट पहुंची है। मन्दिर में सेना के प्रवेश से पहले जनता इस बारे में बिल्कुल चिन्तित नहीं थी कि वहां क्या हो रहा है। किन्तु इस समूची स्थिति की यही त्रासदी है। किन्तु यही सत्य है। आपको वर्तमान तथ्यों को ध्यान में रखना होगा। आप वास्तविकता को अपनी इच्छानुसार नहीं मोड़ सकते। आप पसंद करें अथवा नहीं, आपको वर्तमान स्थिति के अनुसार चलना होगा। और इसलिए, आप इस सैनिक शासन को जारी रखना चाहते हैं जिसमें सेना का जनरल राज्यपाल के सुरक्षा सलाहकार के रूप में कार्य कर रहा है।

सैनिक शासन के अलावा इसे आप क्या कहेंगे? यह एक नई बात है। हमने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। यह एक असैनिक प्रशासन है और राज्यपाल का सुरक्षा सलाहकार सेना का जनरल है। यह थोड़ी अवधि, कुछ सप्ताह के लिए सही हो सकता है। किन्तु यहीं व्यवस्था आप एक और वर्ष के लिए राष्ट्रपति शासन के अन्तर्गत जारी रखना चाहते हैं। इसलिए, मैं यह कहना चाहता हूं कि सैनिक कार्यवाही के पश्चात वास्तव में आपने किसी प्रकार की राजनीतिक पहल नहीं की। जख्मों पर मलहम लगाने की बात कहां है, यह मैं पूछना चाहता हूं? जख्मों पर मलहम लगाना क्या राष्ट्रपति का शासन लागू करने और उसकी अवधि बढ़ाने और सेना के वहां बने रहने में है? मुझे एक बात कहने दीजिए। मैं धार्मिक मामलों का विशेषज्ञ नहीं हूं। बाबा बूटा सिंह जी यहां उपस्थित हैं। किन्तु मैं एक गैर-सिख के नाते यह कहना चाहता हूं कि इस 'कार सेवा' के मामले में मैं किसी को निजी तौर पर कोई उपदेश नहीं देना चाहता कि किसे 'कार सेवा' करनी चाहिए अथवा किसे नहीं करनी चाहिए। यह 'कार सेवा' सिख जाति की परम्परा, धार्मिक परम्परा और आधी परम्पराओं का एक भाग है। यह निर्णय करने का दायित्व सिख जाति का है कि कार सेवा कौन करेगा। यदि वे सभी संयुक्त रूप से कार सेवा करते हैं, मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होगी। किन्तु कार सेवा को सिख जाति में आपस में ही संघर्ष, विघटन अथवा झगड़ों का मामला नहीं बनाया जाना चाहिए। और इसलिए जो लोग सिख नहीं हैं उन्हें दूसरों तथा सिखों को इस बारे में उपदेश नहीं देना चाहिए। कि किसे कार सेवा करनी चाहिए एवं किसे कार सेवा नहीं करनी चाहिए। यह मेरी राय है।

किन्तु आपने क्या किया है? जख्मों को मलहम लगाने के स्थान पर भारत सरकार ने इस कार

सेवा में इस प्रकार हस्तक्षेप किया है कि समूचा देश, सभी लोग तथा सभी सिख यह कह रहे हैं कि एक ऐसे व्यक्ति को, जिसे सरकार का समर्थन प्राप्त है, लाया गया है और उसे कार सेवा सौंप दी गई है। मेरे विचार से समाधान का यह सही तरीका नहीं है। मैं इस भद्र पुरुष बाबा सन्ता सिंह को नहीं जानता। वे एक अत्यन्त सज्जन पुरुष हो सकते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते: आप नहीं जानते तो यह आपकी खुशनसीबी है।

इन्द्रजीत गुप्त: मैं नहीं जानता हूं। मैं न तो उनका विरोधी हूं और न ही समर्थक। एक बाबा खडग सिंह हैं जिनके बारे में बहुत कुछ कहा और लिखा गया है कि वे एक वृद्ध व्यक्ति हैं जिनकी कार सेवा की एक लम्बी परम्परा रही है। सरकार

3.00 म० प०

को बाद में इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न करनी चाहिए थी जिसमें इन सभी बाबाओं और लोगों को संयुक्त रूप से कार सेवा में भाग लेने के लिए एक स्थान पर लाया जा सकता। इसके स्थान पर, सरकार ने एक बाबा को लिया, उसका समर्थन किया, उसे वहां लाये और कार सेवा के लिए उसे थोप दिया गया जिससे सिखों के अन्य वर्ग भड़क गये और स्पष्ट हो गये।

क्या आपके कहने का यह अर्थ है कि जो भी बाबा सन्ता सिंह के विरुद्ध है, वह या तो आतंकवादी है अथवा अकाली विद्रोही है? मेरे विचार से यह बात इतनी सरल नहीं है। यदि यह मामला इतना सरल होता तो मैं इस बारे मैं बिल्कुल चिन्ता न करता।

मेरे विचार से पहले की भांति सरकार ने कोई भी राजनीतिक पहल नहीं की हैं। कृपया यह बात मत कहें "हम अकालियों से वार्ता करना चाहते थे" क्योंकि जैसाकि आपने जान ही लिया होगा, अकाली वार्ता के लिए गम्भीर नहीं थे और विपक्ष में हम पागलों की तरह इस बात पर जोर दे रहे थे कि आपको अकालियों से वार्ता करनी चाहिए। आपके श्वेत पत्र के अनुसार, आप उनसे अनेक गुप्त वार्ताएं कर रहे थे। जिनके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं था और हमें इसके बारे में कभी भी नहीं बताया गया। यह कहा गया था कि अकालियों ने यह कहा है कि वे दिल्ली नहीं आयेंगे। किन्तु आपके श्वेत पत्र के अनुसार, आप उनके साथ अनेक गुप्त बैठकें कर रहे थे, कभी किसी के निजी मकान में, कभी किसी के अतिथि गृह में बैठक कर रहे थे। यद्यपि आपने सही स्थान का नाम नहीं बताया है और आपके साथ एक सज्जन व्यक्ति भी थे। मैंने यह बात पहले भी कही है और अब पुनः भी कह रहा हूं। मैं इस सम्बन्ध में उत्तर चाहता हूं क्योंकि इसका सम्बन्ध इस प्रश्न से है कि आप पंजाब में अपनी लोकप्रिय सरकार क्यों नहीं बनाना चाहते जोकि आप सुगमता से बना सकते हैं। आप एक अथवा दो दिन के लिए ऐसा कर सकते हैं और तब आपको संविधान में इस संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी।

इसका कारण यह है कि आप ऐसा कोई मुख्य मन्त्री नहीं बना सकते जिस पर आपके अपने लोग सहमत हों। अकालियों के साथ वार्ता में एक व्यक्ति थे श्री अमरीन्द्र सिंह जो कि पटियाला के राजघराने से सम्बन्धित हैं। वे इन गुप्त वार्ताओं में उपस्थिति क्यों थे? उनकी है सियत क्या थी? क्या वेउस समय भविष्य में मुख्य मन्त्री पद के लिए प्रत्याशी थे। यह वही व्यक्ति थे जिन्होंने आपकी इस वार्ता को सफल नहीं होने दिया और ज्योंहि पंजाब में सैनिक कार्यवाही की गई, उन्होंने लोक सभा से, आपके दल से और सभी से त्याग पत्र दे दिया? अब वे शहीदी जत्थों का नेतृत्व करना चाहते हैं। उन्होंने अपना राजनीतिक भविष्य खूब सोच लिया है और वे यह अनुभव करते हैं कि दूसरी ओर जाना बेहतर होगा।

आज आप एक दो दिन के लिए अपनी सरकार बनाने तथा तत्पश्चात राष्ट्रपति शासन लागू करने योग्य भी नहीं हैं। आप ऐसा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपके अपने लोग ही व्यक्ति विशेष को मुख्य मंत्री बनाने के लिए सहमत नहीं होंगे। यहीं तो सारी मुसीबत है। इसके कारण समूचा पंजाब और देश आपके अपने इस दल की ख्याति राष्ट्रपति शासन से पीड़ित रहेगा जो अपने ही अन्दरूनी संघर्ष एवं झगड़ों से मुक्त होने में असमर्थ है।

मैं इस कार्य को पूर्णतया गैर-जिम्मेदाराना एवं अनैतिक मानता हूं। जिससे कांग्रेस दल अपनी अन्तरिक्ष कमजोरियों एवं पापों पर पर्दा डालना चाह रहा है। अतः इसी कारण हमें इस संशोधन को जो भारतीय संविधान में किया जाने वाला 50वां संशोधन है, सहन करना पड़ेगा। इसी उद्देश्य को लिए यह सारा कार्य किया जा रहा है और इसके लिए आप एक नई परम्परा स्थापित करने जा रहे हैं जो संविधान लागू होने के बाद पिछले 34 वर्षों में कभी नहीं बनी थी। हमें इस प्रकार के संशोधन का समर्थन करने के लिए क्यों कहा जा रहा है? हम इसका कभी समर्थन नहीं करेंगे।

पंजाब की स्थिति की तुलना असम स्थिति से करना एक बहुत ही गलत बात है। यह प्रश्न बिल्कुल नहीं है। पिछली बार, मेरे दल ने कम से कम यह कभी नहीं कहा था कि हम असम के मामले में उस संविधान संशोधन के पक्ष में हैं। आप यह कह सकते हैं कि आप गलत थे; यह सिद्ध हो गया था कि आप गलत थे। किन्तु असम चुनावों के दौरान कितना खून खराबा हुआ। मैं यह नहीं कह रहा कि जो भी खून खराबा हुआ वह मात्र इसलिए हुआ कि चुनाव करवाने का प्रयास किया गया था। अन्य अनेक प्रश्न भी थे जो अभी तक बने हुए हैं और असम में अभी भी उनका समाधान नहीं किया गया है। मुझे आशा है कि वहां किसी दिन विस्फोटक स्थिति पैदा नहीं होगी। खैर, मैं असम के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना चाहता।

मैं यह कह कर अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं कि सरकार ने किस तरह 'कार सेवा' का आयोजन किया है, उसमें कितनी शक्ति एवं समय नष्ट किया है। मैं कार सेवा में विलम्ब अथवा उसे रोकना नहीं चाहता। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो अकाल तख्त की नष्ट एवं क्षति ग्रस्त इमारतों को वहां वैसे ही खड़े रहने देना चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो ऐसा चाहते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : ऐसा कोई भी नहीं चाहता है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैंने एक दिन पहले प्रधान मन्त्री से कहा था कि सैनिक कार्यवाही के बाद यदि उन्हें ऐसे लोग नहीं मिल रहे हैं जो सिख जाति के समर्थन के बिना कार सेवा कर सकते हों—मैं कुछ थोड़ा मजाक से कह रहा था—कि यह बेहतर होगा आप कल यह घोषणा कर दें कि "चूंकि मेरी सेना अकाल तख्त को क्षतिग्रस्त करने के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है, अतः इसकी मरम्मत करना भी सरकार की जिम्मेदारी है।" आप किसी को भी अकाल तख्त के पास जाने की अनुमति न दें। आप जल्दी से सेना से उसकी महसूस करवा दें आप कह सकते हैं, "हमने इसे ध्वस्त किया है। हम ही इसको पुनः बनवायेंगे। यह हमारा नैतिक दायित्व है। जो भी हुआ है उसके लिए हमें खेद हैं।"

"किन्तु सिख समुदाय के प्रति यह मेरी जिम्मेदारी है।"

"हमने अकाल तख्त तोड़ा, अतः हमें इसे पुनःस्थापित करना है" किन्तु इसे पुनःस्थापित करने का यह तरीका नहीं है। इसे इस प्रकार से पुनः स्थापित किया जाना चाहिए कि इसमें समझौते की एक

भावना हो और सिखों के दिल और दिमाग में जो आघात पहुंचा है उसे ठीक किया जा सके। आपको यह एक भिन्न तरीके से करना चाहिए। आप किसी व्यक्ति को मत लाइए तथा किसको संरक्षण न दीजिए और उसे वहां न थोपिए। यदि आप ऐसा करने में इतना समय और शक्ति लगाते हैं तो ईश्वर के लिए कुछ राजनीतिक पहल कीजिए। ऐसा प्रतीत होता है कि आपने सारी राजनीतिक पहल त्याग दी है। आप केवल अपने पर, सेना तथा गोलियों, पुलिस आदि पर ही निर्भर करना चाहते हैं। कुछ राजनीतिक पहल कीजिए।

आपने गत तीन वर्षों में हमारी सलाह लेने की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। आपने हमारी पूरी तरह से उपेक्षा कर दी है। आपने हमें क्यों नहीं बुलाया। आपस में विचारों का अनौपचारिक आदान-प्रदान होना चाहिए कि क्या किया जाये।

आज भी इतने वर्षों के बाद सिखों को यह मालूम नहीं है कि आधा चण्डीगढ़ उनका होगा या नहीं। नदी जल तथा अन्य समस्याओं का क्या होगा? अकालियों को उन बातों में रुचि न हो। किन्तु लाखों सामान्य सिखों की इसमें रुचि है और हमारी भी इस बात में रुचि है कि सामान्य सिखों को यह महसूस कराया जाना चाहिए कि जो कुछ हुआ है उसके बाद उनके साथ न्याय किया जा रहा है। किन्तु आपने ऐसा नहीं किया।

आप दमन करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं और कल किये गए अपराधों से बचने के लिए आपने आज एक बड़े बहुमत को नियंत्रित किया है। अतः वे इसे पूरी तरह से समाप्त करना चाहते हैं। किन्तु हम इस विधेयक का पूरी ताकत से विरोध करने जा रहे हैं। हम इसका विरोध करने के लिए कटिबद्ध हैं।

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : महोदय, मेरी यह कभी भी धारणा नहीं थी कि मैं श्री इन्द्रजीत गुप्त के प्रत्युत्तर में कुछ कहूं क्योंकि वह हमारे एक अनुभवी सांसद हैं। किन्तु दुर्भाग्य से उन्होंने एक अथवा दो प्रश्नों को ऐसा मोड़ दिया है कि जिनके सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करने के लिए कुछ शब्द कहना मैं आवश्यक समझता हूं।

मैं सभी प्रश्नों पर बोलना नहीं चाहता हूं क्योंकि गृह मंत्री उनके सभी मुद्दों पर बोलेंगे। उन्होंने सुझाव भी दिए हैं जो हमारे लोकतंत्र के भविष्य के लिए अच्छे हैं।

किन्तु दो प्रश्नों के विषय में जिनमें श्री इन्द्रजीत गुप्त ने मेरा नाम भी लिया है तथा समस्त सिख समुदाय से सम्बद्ध प्रश्न है मैं समझता हूं कि स्थिति स्पष्ट की जानी है।

कार सेवा के बारे में प्रत्येक व्यक्ति को चिन्ता थी और जैसा उन्होंने कहा है सेना के लिए यह पूरा करना और बाहर आना बहुत ही साधारण बात थी। किन्तु समस्त सिख समुदाय की भावनाओं का आदर करते हुए यह विचार किया गया कि क्यों न हम कोई ऐसा रास्ता ढूंढ़े कि सिख समुदाय को ज्यादा से ज्यादा इसमें अन्तर्ग्रस्त किया जाए ताकि वे आगे आ सकें और चूंकि यह पूजा स्थल है, अतः यह परम्परागत तरीके से भिन्न तरीके से नहीं किया जाना चाहिए। 7 जून को सेना की कार्यवाही समाप्त हुई। 10 जून को मुझे पंजाब और सिंध के एक प्रतिनिधि के रूप में महान बाबा खड़गसिंह से टेलीफोन मिला जिसमें उन्होंने अपने स्वास्थ्य और आश्रम सहित कई अन्य बातें कहीं। उनके टेलीफोन के प्रत्युत्तर में मैं अमृतसर गया। संत जी बहुत वृद्ध हैं और अपने आप चल-फिर नहीं सकते। उन्हें चलने के लिए दो-तीन सहायकों की आवश्यकता होती है। किन्तु उनसे मिलने के बाद मैं स्वर्ण मन्दिर में गया और

वहां मैं स्वर्ण मन्दिर के मुख्य ग्रंथी से मिला और उन्होंने यह जोरदार अपील की कि "देखिए, यह सब कुछ हुआ है।" उसी दिन अथवा अगले दिन उन्होंने देश के सभी लोगों से भी अपील की। किन्तु तब उन्होंने कहा, "कोई शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति नहीं है।" कोई अकालीदल नहीं है। मैं नहीं जानता कि स्वर्ण मंदिर में यह सब करने के बाद वे कहां चले गए।" किन्तु मुख्य ग्रंथी के अलावा कोई नहीं था और उन्होंने मुझे कहा कि "आप खड़क सिंह जी को लीजिए। क्यों नहीं; कृपया अपने प्रभाव का प्रयोग कीजिए और यह सुनिश्चित करने का प्रयत्न कीजिए कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति और पांच मुख्य ग्रंथी एक हो जायें ताकि इस पवित्र स्थान में इमारतों की जो तोड़-फोड़ हुई है अथवा क्षति पहुंची है उसके बारे में क्या किया जा सकता है?

उनके कहने पर मैं फिर बाबा खड़कसिंह जी के पास गया। मैंने उनसे निवेदन किया कि "बाबा जी, आप जीवन भर कार सेवा करते रहे हैं। आप आगे क्यों नहीं आते और कार सेवा क्यों नहीं करते?" उन्होंने मुझे सुझाव दिया कि अच्छा यह है कि "पांचों ग्रंथियों को इकट्ठा किया जाए।"

तब भी स्वर्ण मंदिर के मुख्य ग्रंथी ने मुझसे कहा, "शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के कुछ अधिकारियों को बरी करवा दीजिए ताकि वे यहां बैठ सकें। वे मंदिर में प्रतिदिन की पूजा की कुछ व्यवस्था कर सकते हैं और कार सेवा के लिए कुछ कर सकते हैं। इस अवस्था में मैं गांव-गांव गया। पांचों ग्रंथियों को ढूंढ़ना कठिन हो गया। यद्यपि ग्रन्थियों को उपस्थित होना चाहिए था क्योंकि पूजा के समय उन्हें प्रतिदिन उपस्थित होना चाहिए। दुर्भाग्यवश स्वर्ण मंदिर के मुख्य ग्रन्थियों के अलावा कोई वहां नहीं था। किन्तु इस सम्बन्ध में प्रयत्न करने में तथा पांचों ग्रन्थियों को वहां लाने में मैं सफल रहा। तब बाबा खड़कसिंह जी ने मुझे सुझाव दिया, "शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति का कार्यवाहक अध्यक्ष कहीं है, जाइए और उनसे एक आदेश पत्र लाइए और पांच ग्रन्थियों को अधिकृत कीजिए जिससे कार सेवा करने के लिए हुक्मनामा जारी करवाना सम्भव हो सके।" मैंने वह भी किया। मैंने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के कार्यकारी अध्यक्ष का पता किया। उन्होंने इस थोड़े से समय में जितना सम्भव हुआ सबसे सलाह ली और उन्होंने पांचों ग्रन्थियों को अपने विश्वसनीय व्यक्ति की मार्फत अधिकृत करने के लिए एक प्रकार का आदेश दिया। यदि मुझे ठीक याद है, जून की 17 तारीख थी जब पांचों ग्रन्थियों की पहली बैठक हुई और उन्होंने दिल्ली स्थित दो सन्तों को न कि बाबा खड़कसिंह जी को कार सेवा करने के लिए एक आदेश जारी किया। उन्होंने बाबा हरबंस सिंह और बाबा करनेल सिंह को एक आदेश जारी किया और उनसे निवेदन किया कि अकाल तख्त और स्वर्ण मंदिर परिसर में क्षतिग्रस्त इमारतों की तत्काल मरम्मत की जाए। इसमें कोई शर्त नहीं रखी गई और उस हुक्मनामा में किसी और बातका उल्लेख नहीं किया गया था। यह दो पंक्तियों का था और इसमें कोई शर्त नहीं थी। इन दो सन्तों को यह करने के लिए कहा गया। दुर्भाग्यवस मुझे ये सभी बातें रिकार्ड में रखनी हैं क्योंकि श्री इन्द्रजीत गुप्त सोचते हैं कि यह हमने किया है। इस बीच कुछ अकाली नेताओं और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के कार्यकर्त्ताओं ने यह सुनिश्चित करने की चाल चली कि पांच ग्रन्थियों के आदेश का अनुपालन न हो। वे बैठें; शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति के सदस्यों को इकट्ठा किया गया; एक बैठक बुलाई गई और इस बैठक में यह निर्णय किया जाना था कि पांच ग्रन्थियों के आदेश का अनुपालन किया जाए या नहीं। दुर्भाग्यवश, वे दिनों, हफ्तों बैठक करते रहे। कोई आदेश पारित नहीं किया गया, कोई संकल्प पारित नहीं किया गया। साथ ही कार सेवा के लिए आदेश पारित करने की बजाय उस बैठक में शहीदी जत्था संगठित करने के लिए एक आदेश पारित किया गया। पंजाब में एक ओर गम्भीर स्थिति पैदा करने का प्रयत्न किया गया। जब शहीदी जत्था शुरू होने वाला था तो उसी दिन बाबा सन्ता सिंह ने, जो कहीं

भटिंडा में ठहरे हुए थे और जो परम्परानुसार एक प्रसिद्ध संत हैं—उनके संगठन का जन्म सिख गुरुओं के दस गुरुओं के अन्तिम गुरु गोबिन्दसिंह के समय में हुआ था—बाबा खड़क सिंह को लिखा। बाबा सन्ता सिंह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बाबा खड़क सिंह को लिखा : "कृपया कार सेवा आरम्भ कीजिए और मैं अपने पूरे जत्थे के साथ सहायता करने के लिए तैयार हूं। मैं आपकी सहायता के लिए अपने आदमियों के साथ आऊंगा।"

एक माननीय सदस्य : तो वह विरोध क्यों कर रहे हैं ?

श्री बूटा सिंह : वह विरोध नहीं कर रहे हैं। बाबा संता सिंह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बाबा खड़क सिंह को लिखा। मैं आपको सारी कहानी सुनाता हूं और तब आप अपना निष्कर्ष निकालिए। जैसाकि आप जानते हैं, शहीदी जत्था के नाम पर मोर्चा फिर से आयोजित करने का प्रस्ताव किया गया। शहीदी जत्था के बारे में मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं। पहला शहीदी जत्था जैसाकि वे अब कहते हैं, सेना के नियन्त्रण से गुरुद्वारा मुक्त करने के लिए नहीं भेजा गया। पहला शहीदी जत्था, यदि आप समाचार पत्र पढ़ें उन शहीदों की याद में निकाला गया जो स्वर्ण मंदिर और अकाल तख्त में मरे कहे गए। मेरे कथन में शुद्धि की जा सकती है किन्तु मैं भी इन्द्रजीत गुप्त को चुनौती दे सकता हूं। यदि यह राजनीति नहीं है तो फिर राजनीति क्या है ? जैसाकि मैंने कहा बाबा सन्ता सिंह ने बाबा खड़क सिंह को लिखा, "आप कार सेवा आरम्भ कीजिए, मैं आऊंगा।" न केवल बाबा संता सिंह ने किन्तु सारे पंजाब सारे भारत से एक दर्जन सिख संतों ने बाबा खड़क सिंह को लिखा।

सम्भवतः, सर्वप्रथम बाबा संता सिंह ने उन्हें लिखा था। दुर्भाग्यवश बाबा खड़क सिंह ने एक शर्त रखी थी कि "जब तक बड़े ग्रन्थियों द्वारा, श्री गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति द्वारा, अकाली दल द्वारा और सभी सिख ग्रन्थियों द्वारा उन्हें लिखित रूप में नहीं दिया जाता है, तब तक वह कार सेवा आरम्भ नहीं करेंगे।" ये सब दस्तावेज मुझे बाबा जी के सामने प्राप्त हुए थे। यहां तक कि मैंने अकाली दल की तदर्थ समिति के सभापति को बाबा खड़क सिंह के पास जाने तथा यह कहने के लिए कि "कृपया कार सेवा कीजिए" राजी किया था इसके पश्चात् बाबा खड़कसिंह ने कहा कि "मेरी अब केवल यही एक शर्त है कि मैं इतना बूढ़ा हो गया हूं कि मैं चल-फिर नहीं सकता। आप अकाल तख्त तक सड़क बनवा दें जिससे कि मैं अपनी कार ले सकूं और वहां खड़ी कर सकूं और कार सेवा आरम्भ कर सकूं।" हमने ऐसा ही किया और ऐसा करते समय हमें उन इमारतों के कुछ हिस्से भी तोड़ने पड़े जो रास्ते में पड़ते थे। हमने अकाल तख्त साहिब तक सड़क तैयार करवा दी थी। कार वहां जाने को तैयार थी। किन्तु दुर्भाग्यवश इन अकाली नेताओं ने बाबा को रोक दिया। बाबा ने उस स्थान पर जाने के लिए और कार सेवा आरम्भ करने के लिए प्रार्थना कर दी थी। किन्तु, दुर्भाग्यवश ये अकाली नेता उन खंडहरों को, उन टूटी हुई इमारतों को अपनी राजनीति में, राजनैतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने बाबा खड़क सिंह को उस स्थान पर जाने तथा कार सेवा करने से रोका। इन परिस्थितियों में बाबा सन्ता सिंह आगे आये। महोदय, इस बात का ध्यान रखें कि बाबा सन्ता सिंह कोई नए व्यक्ति नहीं हैं। कम से कम विश्व भर के सिख उनसे परिचित हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : एक स्पष्टीकरण चाहिए—इससे हमें समझने में आसानी होगी। जब हम लोग अमृतसर गए थे, तब, विश्वस्त व्यक्तियों ने हमें बताया था कि सेना के प्राधिकारी भी वहां मौजूद थे। उन्होंने कहा—"आपने बहुत ही अच्छा काम किया है। कृपया ऐसा कीजिए कि कोई ऐसा सुगम प्रबन्ध कीजिए कि कार सेवा मिल-जुल कर की जा सके।" आपकी बात-चीत हो गई थी और कोई

समझौता भी करीब-करीब हो चुका था और अनौपचारिक रूप से ही सही, आपने कहा था, "मैं समझता हूं कि इस समझौते को कार्यान्वित करने में कोई दिक्कत नहीं होगी और यह कार सेवा मिल-जुलकर 2 या 3 दिन में आरम्भ हो जायेगी।" आप दिल्ली आए थे और दिल्ली से लौटने के बाद आपने कहा था—"इस समझौते को वास्तव में क्रियान्वित नहीं किया जा सकता है" और इसके परिणामस्वरूप यह विभाजन आरम्भ हुआ था।

श्री बूटा सिंह : मुझे प्रसन्नता है कि आपने यह बात कही। प्रो० दण्डवते जी, न मुझे अथवा न मेरे साथी, तथा इस सम्मानीय सभा के भूतपूर्व अध्यक्ष सरदार गुरुदयाल सिंह ढिल्लों, को किसी समझौते के बारे में कुछ बताया गया था। हुआ यह था कि बाबा जी के समक्ष इस प्रकार का कोई संकल्प नहीं रखा गया था, जैसाकि वह चाहते थे और उस समय शहीदी जत्थे के आगमन की अन्तिम तिथी निकट आ रही थी। इसके बाद शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति और अकाली दल के कुछ नेता संभवत: विरोधी दल के माननीय सदस्यों की सलाह से—जनरल से मिले थे और कहा—"आप बूटा सिंह को क्यों शामिल कर रहे हैं? वह कांग्रेसी हैं।" वे लोग सीधे जनरल के पास गए। उन्होंने कहा—"हम लोग यह नहीं चाहते हैं कि इसका श्रेय कांग्रेसी को मिले। हम चाहते हैं कि इसका श्रेय आपको मिले। कृपया हमारी मदद कीजिए।" आप जनरलों से परिचित हैं। उन्होंने बातचीत की थी।

इसके पीछे जो उद्देश्य था, वह भी आपको पता है क्योंकि इस विशेष परिस्थिति को भी राजनैतिक शस्त्र के रूप में उपयोग में लाना था। विस्तृत समझौता किया गया। किन्तु जनरल राजनीतिज्ञ नहीं हैं। उन्होंने कहा—"कृपया 1, 2 और 3 को लिखित रूप में दीजिए और हस्ताक्षर कीजिए और उसे हमें दे दें। इसके बाद ही हम उसे सरकार के समक्ष रखेंगे।" उस समय वे लोग पीछे हट गए। जनरल ओबरराय जैसा स्थानापन्न सेना अध्यक्ष, जिसके बारे में समाचार पत्रों में बहुत कुछ कहा गया था, वहां गए थे। उन लोगों को बुलवाया गया और वे लोग वहां गए और एक समझौता होने वाला था। इसके बाद उन नेताओं ने, गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति के उन नेताओं ने, अकाली दल में उन नेताओं ने उन शर्तों पर हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया जिनके बारे में वे लोग मौखिक रूप से सहमत थे। इसीलिए समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हो सके।

इसलिए, ऐसी बात नहीं है कि सरकार किसी को यह नहीं दिखाना चाहती थी कि वे बाबा संता सिंह की आड़ में कार सेवा कर रहे हैं। मैं एक बात पुनः कहना चाहता हूं। स्वर्ण मंदिर में की जा रही कार सेवा हाल ही में आरम्भ की गई है। बहुत समय पहले से, बल्कि स्वर्ण मंदिर के निर्माण के समय से ही कार सेवा आरम्भ होती रही है और यह हमेशा चलती रहेगी क्योंकि स्वर्ण मंदिर में स्वर्ण सम्बन्धी, प्रकाश संबंधी, दीवालों से सम्बन्धित,पत्थरों से संबंधित और रंग रोगन संबंधी कोई भी कार्य क्यों न हो, होता ही रहता है। यह कार्य चलता रहता है और विशेषज्ञ सेवा की आवश्यकता पड़ने पर वे सरकार से अनुरोध करने रहे हैं और पंजाब सरकार श्री गुरुद्वारा प्रबन्धक लोग पंजाब समिति को अथवा दुर्गयाना मंदिर जैसे ऐतिहासिक स्थानों अथवा अन्य मंदिरों को इस प्रकार सेवा प्रदान करती रही है। पंजाब सरकार ने इस बात की अनुमति दे रखी है कि यदि आप पंजाब सरकार से ऋण लेना चाहते हैं अथवा पंजाब सरकार के किसी संगठन के किसी अधिकारी अथवा विशेषज्ञ की सेवा लेना चाहते है, तो वह सदा प्रदान कर दी जाती है और स्वीकृत कर दी जाती है। ऐसाकहना उचित तो नहीं होगा, किंतु एक दिन विनम्र सिख होने के नाते मैं कहना चाहूंगा कि ज्ञानी जैलसिंह के समय में अथवा सरदार दरबारा सिंह के समय में पंजाब सरकार ने कार सेवा के माध्यम से पर्याप्त राशि की सहायता प्रदान की है अद्यतन उदाहरण के तौर पर पंजाब सरकार ने एक नहर से स्वर्ण मंदिर और पवित्र ताल

तक शुद्ध जल का स्रोत लाने के लिए 25 लाख रुपये की अग्रिम राशि प्रदान की है। यह काम भी सरकार के उत्तरदायित्व पर किया गया। उस समय किसी ने इस बात की चिंता नहीं की, किसी ने यह नहीं कहा कि धार्मिक मामले में हस्तक्षेप किया जा रहा है। महोदय, यदि हम वही पवित्र सेवा कर रहे हैं, और यदि श्री गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति सरकार से सहायता देने का अनुरोध कर सकती है, तो बाबा संता सिंह को भी उसी प्रकार भारत सरकार से अथवा पंजाब सरकार से सहायता देने का अनुरोध करने का अधिकार है हमने ऐसा किया नहीं है। किन्तु, महोदय, जैसाकि श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कहा था, हम लोग ऐसा कर सकते थे क्योंकि वहां सैनिक कार्यवाही की गई थी। किन्तु, महोदय, हमने ऐसा केवल सिख जाति की भावना का आदर करने के लिए ही नहीं किया है, विशेषकर ऐसी स्थिति में जबकि ऐसी गलत-फहमी है कि जो कुछ हुआ है उसके बारे में किसी से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। पंजाब के लोगों को पता है कि आमतौर पर सभी सिखों को, विशेषकर उन सिखों को जो स्वर्ण मंदिर के धार्मिक कार्य-कलापों से सम्बद्ध है, यह पता है कि स्वर्ण मंदिर के परिसर में क्या हुआ है। इन सभी बातों के बारे में मेरे साथी, गृह मंत्री जी कहेंगे। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि बाबा खड़क सिंह का उस समय भी स्वागत किया गया था और हर समय उनका स्वागत किया है। किन्तु, महोदय, अकाल तख्त सेवा बाबा संता सिंह जी द्वारा लगभग पूरी की जा चुकी है। काम चल रहा है और लोगों में इस बात की चर्चा हो रही है। इस बीच कार सेवा के लिए एक अन्य सुप्रसिद्ध बाबा, बाबा मंगल सिंह ने परिसर के शेष भाग में कार सेवा करने की इच्छा व्यक्त की थी। किन्तु दुर्भाग्यवश, विवश होकर उन्हें पीछे हट जाना पड़ा क्योंकि किन्हीं तत्वों द्वारा उन्हें यह धमकी दी गई थी कि यदि वह कार सेवा में अपना योग-दान करेंगे तो उनका भी वही अन्त होगा जो उन व्यक्तियों द्वारा जिन्हें यह पसंद नहीं है, किया गया है। इसलिए, इन परिस्थितियों में, मेरे विचार से भारत सरकार अथवा पंजाब सरकार ने कोई गलती नहीं की है। बाबा संता सिंह ने स्वेच्छा से अपनी सेवाएं अर्पित की थीं। प्रत्येक व्यक्ति और देश भर से लोग बाबा संता सिंह की सहायता करने के लिए आ रहे हैं।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् (बदागरा) : महोदय, मैंने ऐसा कदापि न सोचा था कि संविधान का स्वर्ण जयंती संशोधन, अर्थात् संविधान का पचासवां संशोधन एक ऐसा उपद्रवकारी संशोधन होगा जो कि एक गहरी चिन्ता का विषय बन जाएगा।

यह एक महत्वपूर्ण बात है कि हम लोग एक ऐसे महत्वपूर्ण संशोधन पर विचार-विमर्श कर रहे हैं जो न केवल संविधान की आत्मा का हनन करने वाला बल्कि जिसका सम्बन्ध ग्रीस की जैसी पंजाब की दुखांत घटनाओं से है।

महोदय, मैं उन व्यक्तियों में से नहीं हूं, जो सुब्बाराव के शब्दों में, इस संविधान को दुरुह, अलंघनीय और अपरिवर्तनीय कहते हैं। ऐसा विचार न मेरा पहले था और न कभी होगा। समय के साथ और सामाजिक परिवर्तन की गतिशीलता के अनुरूप संविधान में भी परिवर्तन करना पड़ेगा; संविधान में समय-समय पर अपेक्षित स्थिति के अनुरूप परिवर्तन करना होगा।

किन्तु, महोदय, जहां तक कतिपय उन संस्थागत ढांचों का सम्बन्ध है जिनकी संविधान में व्यवस्था हैं तथा जहां तक इस देश के व्यक्तियों को प्रदान की गई व्यक्तिगत स्वतन्त्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों, जिन्हें उन्होंने अनेक दशाओं के संघर्ष के बाद प्राप्त किया है, का सम्बन्ध है हमें इनके बारे में संशोधन करते समय विशेष सावधानी बरतनी होगी।

महोदय, मेरे विचार से यह संशोधन घातक होगा और यह संविधान के सिद्धान्तों का उल्लंघन

करता है क्योंकि संविधान में जैसी मुख्य व्यवस्था है इसके विरुद्ध इन संस्थागत परिवर्तनों से संघ सरकार की राज्यों के ऊपर शक्ति में विस्तार होगा। संशोधन प्रक्रिया और संसद की संवैधानिक शक्ति के बारे में मैं कुछ शब्द कहना चाहूंगा। आज हम देख रहे हैं कि शीघ्रता से संवैधानिक संशोधन करने का प्रयास किया जा रहा है।

महोदय, संसद की संविधानकारी शक्ति का प्रयोग इसकी विधायी शक्ति के सामान्य प्रयोग से बहुत भिन्न है। अतः संविधान के निर्माताओं अथवा संविधान सभा की प्रारूप समिति ने अत्यन्त सावधानी बरती और संविधान की संशोधी प्रक्रिया के बारे में इन सभी प्रावधानों पर कई बार विचार किया और संविधान के संशोधन के लिए एक विशेष प्रक्रिया निर्धारित की गई। इसी कारण हम संशोधी प्रक्रिया और संसद की संविधानकारी शक्तियों का प्रयोग सामान्य ढंग से नहीं कर सकते हैं और आज बिल्कुल वही किया जा रहा है।

महोदय, कुछ अन्य मुद्दों को उठाने से पूर्व जो सत्तारूढ़ दल के बहुत से माननीय सदस्यों और विशेष रूप से सरदार (बाबा) बूटा सिंह द्वाराउठाए गये हैं, इससे अनुच्छेद 356 के खण्ड 5 में परिवर्तन करने का प्रस्ताव है। मैं इस मामले की पृष्ठभूमि का उल्लेख नहीं करना चाहता हूं अथवा ना ही इसके ब्यौरे में जाना चाहता हूं चाहे यह सरदार दरबारा सिंह की सरकार का निराशापूर्ण रिकार्ड हो, चाहे उन पर किसी दूसरी बात का आरोप लगाया जा सकता है और वह उनकी कार्य-कुशलता का न होना हो सकता है—यहां यह दोहराने की आवश्यकता है कि यह व्यक्ति अपने पूरे राजनीतिक जीवन काल में राष्ट्रवादी शक्तियों के साथ रहे और यह उनके सर्वनाश का कारण बना। इस सदन में सत्तारूढ़ दल के ऐसे गणमान्य सदस्य हैं जिन्होंने जोरदार शब्दों में अन्तुले तथा विभिन्न अन्य विशिष्ट व्यक्तियों का जिन्हें विभिन्न राज्यों में 1980 से भारी बहुमत मिला था, बचाव किया लेकिन इस व्यक्ति का बचाव किसी ने नहीं किया। यह बहुत भारी बदनामी है। न केवल उन्हें निकाला गया अपितु सरकार ने भी उनका बचाव नहीं किया। इसके विपरीत दिल्ली इस सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र का केन्द्र बन गया ताकि वह पंजाब में मुख्य मन्त्री के रूप में कार्य न कर सके। पंजाब में समस्या का यह पहला चरण है।

उनकी अन्य कमियां चाहे कुछ भी हों सरकार ने पंजाब में नौ महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लागू किया और उस समय वहां के राज्यपाल ने यह दावा किया कि वहां औद्योगिक सम्बन्धों के वातावरण में सुधार हुआ हैजबकि वहां पर लोग गलियों में मक्खियों की तरह मर रहे थे और जब सगकार ने केवल त्रिपक्षीय बैठकों में बातचीत कर रही थी अपितु हमसे अलग भी गुप्त बातचीत कर रही थी और अकाली पार्टी के साथ, जिसे अब सरकार गिराना चाहती है, दूसरे तरीके से बातचीत करके इस स्थिति को काबू में लाने का प्रयास कर रही थी। लेकिन यह संशोधन, जिसका मेरे विशिष्ट मित्र श्री इन्द्रजीत गुप्त ने एक अन्य नौवीं सूची के रूप में उल्लेख किया है, एक अलग श्रेणी में आता है। यह अत्यन्त खतरनाक बात है और इसे प्रत्येक राज्य में लागू किया जा सकता है हालांकि थोड़ा सा पहले सरसरी तौर पर आश्वासन दिए गए हैं और मैं विश्वास करता हूं कि गृह मन्त्री इसे फिर से दोहराएंगे। तथापि यह एक खतरनाक पूर्वोदाहरण स्थापित करता है। महोदय, पंजाब में राष्ट्रपति शासन का अन्तिम दौर हमें गलत मार्ग और पतन की ओर ले गया है जिससे सैनिक कार्यवाही करनी पड़ी। महोदय, अब यह केवल एक राजनीतिक चाल बन गई है। मूल बात यह है कि इस वास्तविकता को स्वीकार नहीं किया गया है कि पंजाब में अन्य तत्व हैं वे हैं राजनीतिक तत्व—चाहे ये अकाली हों अथवा अन्य लोग जिनके साथ सरकार ने उत्पन्न हुई कुछ समस्याओं का समाधान करना है। कृपया हमें आनन्दपुर साहिब संकल्प से शंकित करने अथवा भयभीत करने का प्रयास न करें। जब हम अपने अकाली मित्रों के साथ

बातचीत कर रहे थे और उनसे कह रहे थे कि वे इस संकल्प की व्याख्या करें तो हमें अचानक एक दिन बताया गया कि उनकी धार्मिक मांगें मान ली गई हैं। इसके विपरीत यह राननैतिक दिवालियापन है जिससे सैनिक कार्यवाही की गई है। यह कुछ नहीं है अपितु उस नेतृत्व का दिवालियापन है जिसे करिश्मा दिखाने वाला कहा जाता है, जो विश्व में अद्वितीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है। यह उस नेतृत्व का दिवालियापन है जिससे पंजाब और इस देश की बदनामी हुई है।

महोदय, कुछ हवाले दिए गए हैं। अब दुर्भाग्यवश यहां पर श्री बूटा सिंह नहीं है। मैं एक अथवा दो अन्य बातों को स्पष्ट करना चाहता हूं। अब 'कार सेवा' के बारे में मैं व्यक्ति विशेष के बारे में किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूं। वास्तव में इससे जख्म पर नमक छिड़क दिया गया है। चाहे यह 'कार सेवा' है अथवा 'सर्वत खालसा' है, सरकार जो भी कार्यवाही कर रही है, यह तथाकथित घाव भरने की कार्यवाही नहीं है जिसके बारे में हमने सैनिक कार्यवाही के शीघ्र बाद पहले सप्ताह में सुना था। क्या इससे कोई अधिक हास्यस्पद बात को देख सकते हैं कि 8 जुलाई को दूरदर्शन के राष्ट्रीय कार्यक्रम में बाबा आकर न केवल भिंडरावाले की भर्त्सना करते हैं अपितु सैनिक कार्यवाही की प्रशंसा करते हैं। अब महीने के मध्य में उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, हिरासत में लिया जाता है और समूचे राष्ट्रीय और पंजाब के समाचार-पत्रों में उनके घर से बरामद आतंकवादियों द्वारा प्रयुक्त किए गये नकाबों तथा उनके पहले अनुयायी के घर से हथियारों तथा शस्त्रों और गोला-बारूद के फोटो प्रकाशित हुए हैं और अगले 10 दिनों में वह 'बाबा' बन जाते हैं—पंजाब की एक महान हस्ती। वह अथवा उसके अनुयायी परेशान करने का आरोप लगाते हैं और इसके बाद इस व्यक्ति को 'कार सेवा' की अगुवाई करने के रूप में लाया जाता है। महोदय, आप मुझे बताएं क्या कोई व्यक्ति इस बात को स्वीकार कर सकता है कि इन मामलों में किसी ताकत का प्रयोग नहीं किया गया है ? आप पंजाब में किसी व्यक्ति से पूछें चाहे वह हिन्दू हो अथवा सिख अथवा कोई अन्य हो आपको सच्चाई का पता चल जाएगा। महोदय, एक बहुत छोटा सा मुद्दा है जिस पर मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं। धार्मिक मांगें स्वीकार कर ली गई हैं। यह ठीक है और हमने यह भी कहा है कि यदि उनमें से कुछ मांगें खतरनाक हैं तो भी यदि वे समाधान के लिए मार्ग प्रशस्त करती हैं तो हमारा इससे कोई विवाद नहीं है। बहुत सी बातों से वे मुकर गए हैं चाहे वे धार्मिक हों अथवा धर्म-निरपेक्ष हों। इन आवश्यक मामलों, जिससे आन्दोलन हुआ, के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इसके विपरीत श्वेत पत्र में पंजाब की समस्याओं के समूचे सन्दर्भ को पूरी तरह से बदलने का प्रयास किया गया है ताकि यह सरकार की सैनिक कार्यवाही अथवा निष्क्रियता के लिए बचाव बन सके। महोदय, यह मामला केवल उतना ही है। मेरे परम मित्र श्री भाटिया ने पंजाब की असफलता के बारे में कुछ बातों को उठाया है। क्या यह सरकार की ख्याति अथवा सफलता है कि समूचा शूरवीर सिख समुदाय अकेला पड़ गया है तथा राष्ट्रीय मुख्य धारा से कट गया है (व्यवधान)

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : यह पूरी सफलता है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : प्रो० रंगा, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं और आदर देता हूं। कृपया मेरे साथ चलें और हम पंजाब में कुछ लोगों से मिलेंगे। मेरी बात में त्रुटि भी रह सकती है। हम गलती भी कर सकते हैं। सचाई को छिपाने से कोई लाभ नहीं होता है। इसके लिए आप समाधान नहीं ढूंढ़ सकते हैं अत: क्या यह आपकी सफलता है ? आपकी सफलता यह है कि अत्यन्त नाजुक राज्य पंजाब के बहादुर सिखों तथा बहादुर हिंदुओं के बीच अविश्वास की अभेद्य दीवार खड़ी कर दी गई है। क्या यह बात सच नहीं है कि पंजाब राज्य के सिख समुदाय ने न केवल हमारे देश की सुरक्षा में साथ दिया अपितु हमें खाद्यान्न उपलब्ध कराके राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने में भी योगदान

दिया है। क्या यही पुरस्कार सरकार पंजाब के लोगों को दे रही है? श्री रंगा आपको इन तथ्यों को तोड़ना-मरोड़ना पड़ेगा यदि आप यह कहते हैं कि सरकार ने पंजाब में सामान्य स्थिति बहाल कर दी है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति को किसी व्यक्ति की निजी सम्पत्ति के रूप में उल्लेख किया गया है।

3.35 म० प० (श्री एफ० एच० मोहसिन पीठासीन हुए)

पंजाब गुरुद्वारा अधिनियम 1925 में महन्त उदासी के खिलाफ लम्बे अर्से तक सिख जनता द्वारा आन्दोलन किए जाने के बाद बन पाया था।

श्री निहाल सिंह (चंदौली) : भिंडरावाले को गुरुद्वारे में कौन ले गया था?

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : यदि वह हमें उत्तेजित करेंगे तो मैं उन्हें बताऊंगा कि वास्तव में किस व्यक्ति के आदेश पर वह छोड़ दिया गया था जबकि मुख्य मन्त्री उन्हें गिरफ्तार करने के लिए तैयार थे। **(व्यवधान)**

श्री निहाल सिंह : यह शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति के लोग थे जो उन्हें गुरुद्वारे के अन्दर ले गए थे।

सभापति महोदय : आपमें से कुछ सदस्य उन्हें बाद में उत्तर दे सकते हैं। बीच में बोलने का यह तरीका नहीं है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : जैसाकि मैंने कहा कि लम्बे अर्से तक चले इस आन्दोलन को सिख जनता ने जीता। मैं यह भी उल्लेख करना चाहता हूं कि इस महन्त उदासी ने जनरल डायर का **सरोपा** के साथ सम्मान किया। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। इस समय देश केलोगों के समक्ष यह बात रखने का प्रयास न करें कि यह संस्था देशद्रोहियों का एक समूह है। कृपया ऐसा करने का प्रयास न करें। सरकार ऐसा करके इस देश में करोड़ों लोगों की भावनाओं को दोबारा चोट पहुंचारही है। पंजाब गुरुद्वारा अधिनियम इस समय सांविधिक पुस्तिका में है। इसे समाप्त नहीं किया गया है शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति इस पंजाब गुरुद्वारा अधिनियम के अन्तर्गत बनी है। इस अधिनियम की धारा 56 में कहा गया है—चाहे कुछ भी हो, मैं श्री तोहरा अथवा शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति के किसी व्यक्ति का बचाव नहीं कर रहा हूं **(व्यवधान)** सरकार ने उनका बचाव किया है। सरकार जो कुछ चाहती है वह करे लेकिन वह वह कानून का सम्मान करे। यही प्रश्न है जो मैं पूछना चाहता हूं। धारा 56 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति की एक स्पष्ट स्वीकृति और अनुमति के बिना पंजाब में कोई व्यक्ति किन्ही परिस्थितियों के अधीन किसी भी गुरुद्वारे में कोई मरम्मत, रद्दोबदल अथवा अन्यथा कार्य नहीं कर सकता है। क्या आपने इस अधिनियम को समाप्त कर दिया है अथवा यह सांविधिक पुस्तिका में है? इस अधिनियम के प्रति केन्द्रीय सरकार का दृष्टिकोण क्या है? मैं भूल गया हूं कि सरकार उसे जेल में भेज देती है यह एक अलग बात है। उसने कुछ भी किया हो अथवा न किया हो वह स्वयं अपना बचाव कर करते हैं **(व्यवधान)** मैं तो केवल तथ्य बता सकता हूं। यदि वह इसे नहीं समझ सकते हैं तो मुझे इसके लिए खेद है। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : आप उनसे सहमत न हों लेकिन उन्हें बोलने दीजिए। आप अपनी बात बाद में कह सकते हैं। जब तक वह अशिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। उन्हें बोलने की अनुमति दी जाए वह ऐसा नहीं कर रहे हैं। आप उनसे असहमत हो सकते हैं लेकिन बीच में टोकने का यह कारण नहीं है।

श्री० के० पी० उन्नीकृष्णन : अत: मैं इस बात को दोहराना चाहता हूं क्योंकि इस विधेयक और पंजाब की घटनाओं के सन्दर्भ में यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह एक विधायी अधिनियम है जिसका सरकार द्वारा न केवल इसकी पृष्ठभूमि के कारण सम्मान किया जाना है अपितु जैसाकि मैंने कहा जब यह अधिनियम पास हुआ तो महात्मा गांधी ने कहा "स्वतन्त्रता की पहली लड़ाई जीत ली गई है" अत: एक अन्य कारण से सरकार को इस अधिनियम का सम्मान करना है क्योंकि संविधान के अन्तर्गत अल्पसंख्यकों के प्रति वचनबद्धता है। एक ओर यह देश का कानून है जिसे सरकार द्वारा संवैधानिक, कानूनी तथा नैतिक रूप से सम्मान दिया जाना है और दूसरी ओर सरकार द्वारा इसका अनिवार्य रूप से सम्मान किया जाना है क्योंकि यह अल्पसंख्यकों से सम्बन्धित धर्म और उस धर्म की रक्षा तथा पूजा के स्थान से सम्बन्ध रखता है। सरकार का इस बारे में क्या दृष्टिकोण है ? कल को सरकार कह सकती है कि यह एक अलग बात है। मैं बिल्कुल धार्मिक व्यक्ति नहीं हूं। जब हममें से कुछ व्यक्ति बाबा खड़ग सिंह से मिलने गए जिनका किसी पार्टी से सम्बन्ध न होने के कारण पंजाब में प्रत्येक व्यक्ति द्वारा सम्मान किया जाता है और जिन्होंने पंजाब राज्य में 75 वर्ष की समर्पित सामाजिक सेवा की है, उन्होंने एक बात कही जिसने हममें से बहुत से व्यक्तियों को प्रभावित किया : "मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं भूतपूर्व अध्यक्ष ढिल्लो का मित्र हूं जो मुझे कई वर्षों से जानते हैं। मैं सभी पार्टियों के प्रत्येक व्यक्ति को जानता हूं। मैंने उन सभी व्यक्तियों को कहा : आप आ सकते हैं और यहां पर भोजन करें। आप यहां पर पूजा कर सकते हैं। आप यहां पर ठहर सकते हैं लेकिन यहां पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए।" यह उनका दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि मैंने यही बात फतह सिंह और श्री ढिल्लों को भी कही है। जिन्होंने दुखपूर्वक कहा कि उनके गुरुद्वारा और निकटवर्ती पूजा के कमरे की आग्नेयास्त्रों के लिए तलाशी ली जा रही है। उन्हें वहां पर उनकी एक छड़ी ही मिल सकी। उन्होंने कहा : मैं 'कार सेवा' करने के लिए तैयार हूं। कृपया जाइये और श्रीमती इन्दिरा गांधी को बताएं कि वह पंजाब में हिन्दू-सिख मैत्री को बहाल करें। मैं इतना ही कहना चाहता हूं। और यह सफेद दाढ़ी होते हुए भी मैं उनकी चप्पलें पालिश करने के लिए तैयार हूं। उन्होंने यही कहा। यह दु:ख की बात है कि सरकार इस जैसे व्यक्ति को 'कार सेवा' में सम्बद्ध नहीं कर सकी। क्यों ? उन्होंने कुछ विशिष्ट घटनाओं का उल्लेख किया। क्या यह सच है कि 13 और 14 जुलाई को शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति के प्रतिनिधियों और जनरल ओबराय तथा उनकी सेना के बीच एक समझौता हुआ था ? इसे दिल्ली में क्यों अस्वीकार किया गया ? **(व्यवधान)**

इसे क्यों अस्वीकृत किया गया ? क्या इसलिए इसे नहीं माना गया क्योंकि सिख परम्परा के अनुसार स्वर्ण मन्दिर परिसर में 'कार सेवा' हमेशा तालाब से शुरू होती है, फिर परिक्रमा तथा अन्य स्थान—अकाल तख्त, हर मन्दिर आदि पर कार सेवा आरम्भ होती है पर कुछ राजनीतिक कारणों से यह आपको मान्य न था। जब 1973 में बाबा खड़ग सिंह के नेतृत्व में कार सेवा शुरू हुई थी तो 2.5 लाख लोग अमृतसर की गलियों में खड़े थे जिनमें हिन्दू, सिख दोनों ने भाग लिया। उनमें जनरल से लेकर उद्योगपति और रिक्शावाले सभी थे। आप इसे केवल इसलिए नहीं होने देना चाहते थे कि कहीं ताबाब पर कार सेवा आरम्भ करने वाले आकर यह न देख लें कि कितना नुकसान हुआ है। आप इससे बचना

चाहते थे। मेरा आरोप यह है कि आप कार सेवा के स्थान पर सरकारी सेवा कराना चाहते थे। इसीलिए पहले जिस व्यवस्था के बारे में समझौता हुआ था उसे लागू नहीं किया गया। उन्होंने यह भी कहा था कि सेना हटा ली जाएगी। यह तथ्य है कि केवल छः आरक्षी टुकड़ियां हैं और तोशाखाने तथा अन्य पूजा स्थलों पर भी पूछ कर जाना पड़ता है। क्या आप कह सकते हैं कि पूजा के लिए वहां जाने की आजादी है। ऐसा नहीं है। अतः पंजाब में असाधारण स्थिति है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि आप टकराव की नीति अपनाये रहेंगे, तो पंजाब में शान्ति नहीं होगी। पंजाब में ही नहीं वरन् सारे राष्ट्र में सामान्य स्थिति बनाए रखने का एक ही मार्ग है और वह है सब की सम्मति से चलना। आप इस देश को नहीं चला सकते। आपको भारी बहुमत मिल सकता है। आपको विधान मण्डल या संसद में बहुमत मिल सकता है लेकिन आप शासन नहीं कर सकते। आज स्थिति यहां तक बिगड़ गई है क्योंकि इस भारी बहुमत के साथ नैतिक अधिकार जुड़ा हुआ नहीं है। इस नेतृत्व के पास नैतिकता नहीं है, इस मामले में वे दिवालिया हो चुके हैं। तभी वह सर्व सम्मति की राह खोज रहे हैं। किसी ने पूछा कि उनसे सलाह क्यों नहीं ली गई ? आप यह भ्रम क्यों रखते हैं कि आपसे सलाह ली जायेगी। उन्हें तो यह भ्रम है कि सारा सिख समुदाय उनके साथ है। मेरे निर्वाचन-क्षेत्र से पिछले दिनों कुछ लोग यात्रा पर गए थे। जब वे लाल किला में 'शो' देख रहे थे तो उनकी बस गायब हो गई। यह **सरबत खालसा** सम्मेलन से एक दिन पहले की बात है। हमें पता है कि लोगों को कैसे ले जाया गया था। महान् श्री भजन लाल के नेतृत्व में हरियाणा के प्रत्येक पुलिस थाने से कहा गया कि 'सरबत खालसा' और 'कार सेवा' के लिए लोगों को लेकर जाओ। हर एक को यह पता है। हरियाणा और पंजाब में हर एक गांव के लोगों को पता है। आप यह स्थिति जारी रख रहे हैं। अतः पंजाब में शान्ति नहीं हो सकती। मैं कहता हूं कि आप चाहे जो करें, इस स्थिति के जो नतीजे होंगे, उससे आप बच नहीं सकते। चाहे संविधान में यह संशोधन करें या न करें, स्थिति के जो नतीजे होंगे, उससे आप बच नहीं सकते।

सभापति महोदय : मैं माननीय सदस्यों को सूचित कर दूं कि इस पर चर्चा हेतु केवल एक घण्टे का समय आबंटित किया गया था लेकिन हमने पहले ही ढाई घण्टे ले लिए हैं। इस विषय पर आधे दर्जन से अधिक बार चर्चा कर चुके हैं। अतः अब बोलने वाले सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि वे कम से कम समय लें।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, वह एक घण्टे में संविधान को कैसे नष्ट कर सकते हैं।

सभापति महोदय : **अब श्री चित्त बसु।**

श्री चित्त बसु (बारसाट) : महोदय, मैं इस संविधान (संशोधन) विधेयक का विरोध करता हूं। मेरे विरोध का कारण यह है कि इस संशोधन का उद्देश्य संविधान के संस्थागत ढांचे को क्षति पहुंचाना है। जैसा आपको पता है अनुच्छेद 356 का प्रयोग 70 बार से कम नहीं किया गया और राष्ट्रपति शासन को हमेशा ही संवैधानिक स्थिति बनी न रहने पर लागू नहीं किया गया। सभा में विपक्ष के संवैधानिक मामलों के विद्वानों ने कई बार कहा है कि संविधान का प्रयोग केन्द्र में सत्ताधारी दल के हितों के लिए किया गया है। यहां तक कि सत्ताधारी दल के आन्तरिक विवादों को निपटाने के लिए भी ऐसा किया गया है ।

3.50 म० प० **(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)**

आपातकालीन स्थिति के बाद जब लोग जनता पार्टी को सत्ता में लाए ताकि लोकतन्त्र बहाल

हो संसद के कुछ संशोधन कर राष्ट्रपति शासन की अवधि कम कर दी। इसका यह अर्थ नहीं कि जनता पार्टी ने लोकतन्त्र बहाल करने की अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर सकी। लेकिन मैं कहूंगा कि इस बारे में जो वचन दिया था, वह आंशिक रूप से पूरा हो गया क्योंकि राष्ट्रपति शासन की अवधि घटा दी गई।

अब आप इसे एक वर्ष तक और बढ़ाना चाहते हैं। यद्यपि यह ठीक है कि देश के एक विशेष भाग में विशेष परिस्थितियों के सन्दर्भ में ऐसा किया जा रहा है। केवल यही तर्क कई लोगों को ठीक लगेगा। लेकिन इससे यह भय हो जाता है कि यदि किसी समय देश के अन्य भाग में ऐसी ही स्थिति आ जाती है तो आप संविधान के ढांचे को नष्ट करने में देर नहीं करेंगे।

किसी राज्य में किसी समय स्थिति का सामना करने के लिए यदि आप संविधान को खिलौना बनाते हैं तो यह अविवेकपूर्ण, अनैतिक, अन्यायपूर्ण और अनुचित होगा। क्योंकि संविधान का कोई उपबन्ध किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय स्थिति से निपटने के लिए सत्ताधारी दल के अनुकूल नहीं है तो आप संविधान में संशोधन करने से झिझकेंगे और सत्ताधारी दल की राजनीति को सफल बनाने के लिए उसे अपने हिसाब से मोड़ लेंगे। ऐसे प्रयोजनों के लिए भी आप संविधान से छेड़-छाड़ करते हैं। इसी कारण मैं इसका विरोध करता हूं। आप देश के संविधान को खिलौना नहीं बना सकते और आप स्थिति का लाभ उठाने के लिए संविधान में संशोधन नहीं कर सकते। इस संशोधी विधेयक के बारे में मेरी मुख्य आपत्ति यही है। यदि यह प्रवृत्ति जोर पकड़ती है तो अन्त में आप ऐसे बदल देंगे कि यह संशोधन खतरनाक हो जायेगा।

अत: सभा द्वारा इस प्रकार का विधेयक पास किया जाना अविवेकपूर्ण होगा। अनेक बातें पूछी गई हैं विशेष रूप से आज पंजाब में स्थिति के बारे में कई प्रश्न उठाए गए हैं। महोदय, आप यहां बैठे हैं, पर मुझे तो अप्रसन्नता होती है क्योंकि जब आप यहां आकर बैठते हैं तो स्वत: ही आप घण्टी बजाने लगते हैं। अत: मैं विस्तार से इस पर चर्चा नहीं कर सकता। मुझे अपनी सीमा का पता है।

जैसा कि दूसरे पक्ष के लोगों ने कहा है, वह ठीक ही है कि हमने अकाली दल के प्रति उतना कड़ा रवैया नहीं अपनाया। मैं जानता हूं कि जो स्थिति पैदा हुई है उसकी जिम्मेदारी से अकाली दल बच नहीं सकता। लेकिन उसका यह अर्थ नहीं कि पंजाब में आज जो स्थिति पैदा हुई है, उसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है। वास्तव में सत्ताधारी दल कांग्रेस (इ) इसके लिए अधिक जिम्मेदार है। आपको इसका दण्ड भुगतान होगा।

आज भी जब सरकार ने जख्म पर मरहम लगाने की नीति घोषित की है तो ऐसे कदम नहीं उठाये जा रहे जिससे मरहम लगाने जैसी बात दिखाई देती हो। लेकिन मैं आपको यह याद दिलाना चाहता हूं कि जख्म तो भर जाता है लेकिन उसका निशान रह जाता है और हिन्दू तथा सिखों की एकता पर जख्म का निशान राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा की दृष्टि से बहुत खतरनाक होगा। यदि सत्ताधारी पक्ष में से कोई हम पर आरोप लगाता है कि हम कम देशभक्त हैं या देश की एकता और अखंडता के प्रति कम चिंतत हैं तो वे गलती पर हैं। लेकिन आज की समस्या तो यह है कि पंजाब समस्या का कोई राजनीतिक हल निकाला जाये। बदली हुई परिस्थितियों में नये प्रयास करने के स्थान पर, जिनसे दोनों ही दल अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करें, इस विधेयक से समस्या को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने, मित्रता बढ़ाने या अन्तत: राजनीतिक हल ढूंढ़ने के लिए स्थिति पैदा करने में कोई सहायता नहीं मिलेगी।

महोदय, उद्देश्यों और कारणों के कथन से यह अभिप्राय: बिल्कुल स्पष्ट होता है कि वहां सरकार

स्थापित करने के लिए सरकार कुछ समय चाहती है। उसके लिए आपने कई बार गुप्त वार्ताएं की हैं लेकिन कोई समझौता न हो सका। इसलिए आप संसद से और समय चाहते हैं ताकि आप सबको मान्य मुख्यमन्त्री ढूंढने की चाल में सफल हो सकें। इसलिए आप चाहते हैं कि हम यह संशोधन स्वीकार करके आपको यह प्राधिकार प्रदान कर दें। लेकिन राष्ट्रीय हित और आपके दलीय हित की समानता कैसे की जा सकती है ?

जो आरोप मैं लगाना चाहता हूं वह गम्भीर आरोप यह है कि इस संशोधनकारी विधेयक के पीछे सारा उद्देश्य यह है कि आप राष्ट्रहित को, जो इस मामले विशेष में सामान्य स्थिति बहाल करना, हिन्दू-सिख एकता का वातावरण तैयार करना, समस्या का राजनीतिक हल ढूंढ़ने के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करना है, मुख्य मन्त्री बनने के लिए, सर्वमान्य व्यक्ति ढूंढ़ने के लिएअपने दल के हित को बराबरी पर रखना चाहते हैं। इसलिए, महोदय, यह उचित नहीं है, यह न्यायोचित नहीं है और यह ठीक नहीं है। मेरे विचार में इस सदन को आपकी इस कार्यवाही में भागीदार नहीं बनना चाहिए।

मैं यह नहीं मानता कि संविधान में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। संविधान में परिवर्तन किया जा सकता है। मैं संविधान की अपरिवर्तनीयता के सिद्धान्त से सहमत नहीं हूं। लेकिन किस उद्देश्य के लिए परिवर्तनीयता ? यह कोई उद्देश्य नहीं है। हम संविधान के उस संशोधन में भागीदार नहीं बनना चाहते जो आपके दलगत हितों के लिए किया जा रहा है। इसलिए, श्रीमन्, मैं पूरे जोर से विधेयक का विरोध करता हूं। मैं समझता हूं कि सदन को इसे अस्वीकार कर देना चाहिए क्योंकि इससे एक खतरनाक परम्परा कायम हो जाएगी।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : श्रीमन्, इस विषय पर काफी कुछ बोला जा चुका है। इसलिए, मैं अधिक समय नहीं लूंगा।

4.00 म० प०

महोदय, मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं क्योंकि मेरे विचार में इस सांवैधानिक संशोधन का कोई औचित्य नहीं है। वास्तव में, मैं इसे सांवैधानिक विध्वंस मानता हूं क्योंकि हम सभी ओर यह देख रहे हैं कि यह सरकार या तो संविधान को तोड़-मरोड़ रही है या इसे नष्ट कर रही है या इसका उल्लंघन कर रही है।

सारे देश में सर्वत्र हम देख रहे हैं कि इस प्रकार की चीज हो रही है। हाल ही में, आंध्र प्रदेश में क्या हुआ ? जो कुछ मैंने कहा है, यह उसका एक बहुत स्पष्ट उदाहरण है। जैसा कि यहां पहले ही कहा जा चुका है कि सत्ताधारी दल में आंतरिक विवाद है, उन्हें पंजाब के लिए उपयुक्त नेता नहीं मिल रहा है, यही कारण है कि इस संकट को हल करने के लिए एक वर्ष लेने हेतु वे संविधान में संशोधन करने की सीमा तक जा रहे हैं। यह बहुत अनुचित है, और जहां तक इस संशोधन विशेष का सम्बन्ध है, यह एक बहुत घिनौना कदम है।

अब, मैं कहना चाहूंगा कि देश के उत्तर-पूर्वी भाग में कई राज्यों में विद्रोह चल रहा है। हम कई बार सदन में इस विषय पर चर्चा कर चुके हैं और हम देख रहे हैं कि उन राज्यों में नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए सेना तैनात है, बहुत से उत्तर-पूर्वी राज्यों में ऐसी स्थिति है, और हम देखते हैं कि वहां लोकप्रिय सरकारें पहले से ही कार्य कर रही हैं। उन राज्यों में से किसी एक में भी

राष्ट्रपति शासन लागू करने की आवश्यकता नहीं है और सरकार का यह दृष्टिकोण बहुत सही है कि बिना राष्ट्रपति शासन लागू किए लोकप्रिय सरकार की सहायता से आप समस्या को हल करने का प्रयत्न कर रहे हैं और यदि आप कोई आवश्यकता महसूस करते हैं तो नागरिक अधिकारियों की सहायता के लिए आप वहां सेना भेज रहे हैं। यहां भी आप ऐसा ही कर सकते हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। यहां आप संविधान में संशोधन कर रहे हैं ताकि पंजाब में आपका नियंत्रण बना रहे और इसलिए आप वहां लोकप्रिय सरकार को शासन नहीं सौंप रहे हैं। यहां इसी सदन में माननीय गृह मन्त्री कह चुके हैं कि गत साढ़े चार वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों में नागरिक अधिकारियों की सहायता के लिए 72 बार सेना बुलाई गई है। यदि यह स्थिति है तो पंजाब में लोकप्रिय सरकार कायम करने में क्या बुराई है और यदि सेना की कोई आवश्यकता हो तो सेना वहां लोकप्रिय सरकार की सहायता कर सकती है। लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। सेना का इस प्रकार निरंतर वहां बने रहना बहुत खतरनाक बात है और इससे अन्ततः देश की अखंडता के लिए भी एक बड़ा खतरा पैदा करेगी और इससे हमारी सेना का मूल स्वरूप भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए, सेना का लम्बे समय तक बने रहना निन्दनीय है और सरकार को इसके लिए जोर नहीं देना चाहिए।

जहां तक वहां की समस्याओं का सम्बन्ध है, सरकार समस्याओं को हल नहीं कर रही है, वे इन समस्याओं का कोई राजनीतिक हल नहीं ढूंढ़ रहे हैं। सीमा विवाद, जल विवाद, आदि के बारे में प्रश्न यह है कि क्या कोई बातचीत होने वाली है, क्या सरकार बातचीत के लिए विचार कर रही है और क्या वे इन समस्याओं के समाधान के लिए वास्तव में गम्भीर रूप से चिन्तित हैं। यदि इन समस्याओं को सही ढंग से हल नहीं किया गया और इनका राजनैतिक समाधान नहीं ढूंढा गया तो निश्चय ही वहां शांति नहीं होगी और वहां निश्चित रूप से गड़बड़ी होती रहेगी। इसलिए, मैं आपके द्वारा सरकार से अनुरोध करता हूं कि उन्हें इन समस्याओं का कोई राजनैतिक हल ढूंढने का प्रयास करना चाहिए और यह काम लोकप्रिय सरकार कायम करने के बाद ही किया जा सकता है। वहां विधान निलम्बित है। यदि आप चाहें तो उसे अस्तित्व में लाया सकता है और वहां लोकप्रिय सरकार कायम की जा सकती है।

श्री निहालसिंहवाला यहां नहीं हैं। मैं कहना चाहूंगा कि वह भिंडरांवाले की बात कर रहे थे और वह यह भी कह रहे थे कि उन्हें स्वर्ण मन्दिर के भीतर प्रवेश करने की अनुमति किसने दी, आदि। मैं एक चीजी बहुत स्पष्ट कहना चाहूंगा। सत्ताधारी दल भिंडरांवाले को प्रमुखता में लाया, उसे प्रोत्साहित किया, सशक्त बनाया, उसका इस्तेमाल किया और अन्ततः उसे मार दिया। सारा देश यह जानता है। आप चाहे सौ बार इसका खंडन करें, लेकिन कोई भी इसे मानने को तैयार नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि चूंकि यह सरकार पंजाब की समस्या को हल करने में असफल रही है और चूंकि वे स्थिति पर काबू नहीं पा सके हैं, उन्हें अपना त्याग-पत्र दे देना चाहिए। आप राज्यपाल को हटा रहे हैं, आप गृह मन्त्री को हटा रहे हैं तथा सभी को स्थानांतरित कर रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति इस समस्या से मुख्य रूप से सम्बद्ध है, वह व्यक्ति त्याग-पत्र नहीं दे रहा है और वह व्यक्ति है प्रधान मन्त्री। जब तक त्याग-पत्र नहीं देंगी, समस्या का कोई समाधान नहीं हो पाएगा। संविधान में संशोधन करने से आप समस्या को हल नहीं कर पाएंगे, बल्कि आप इस समस्या को और बढ़ा रहे हैं। यह है आपके विरुद्ध मेरा आरोप।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही थोड़े शब्दों में अपनी बात कहना चाहता हूं। मैं संविधान (50वां संशोधन) विधेयक का विरोध करता हूं।

यह संविधान (संशोधन) बिल नहीं है, बल्कि संविधान और प्रजातंत्र पर एक बलात्कार है। कहा जाता है कि हमने पंजाब की समस्या बहुत सीमा तक हल कर ली है। लेकिन यह बिल इस बात को सिद्ध कर रहा है कि सरकार पंजाब को एक और साल के लिए नौकरशाही के हवाले करना चाहती हैं। हम जानना चाहते हैं कि वहां पर प्रजातंत्र कब बहाल होगा। मंत्री महोदय एक निर्धारित समय बतायें, जब वहां से सेना को हटा लिया जाएगा। यह बिल इस सरकार की असफलता का प्रतीक हैं।

सरकार को पंजाब की समस्या का समाधान करना चाहिए था। लेकिन वह इस कोशिश में लगी हुई हैं कि चाहे संविधान में संशोधन करना पड़े, चाहे संविधान की हत्या करनी पड़े, चाहे प्रजातंत्र की हत्या करनी पड़े, लेकिन सत्तारूढ़ दल का हितसाधन होता रहे।

एक अजीब सी बात रोजाना सुनने में आ रही है। मन्त्री महोदय और सरदार बूटा सिंह से हम जानना चाहते हैं कि वहां पर कौन-सा सुनहरी बाज आता है। क्या वह बाज हमारे दसवें गुरु गोविन्द सिंह जी महाराज का है ? देश में तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। उनका कोई खुलासा होना चाहिए। क्या वह वाकई गुरु गोविन्द सिंह जी महाराज का बाज है ? या वह बाबा बूटा सिंह या बाबा सन्ता सिंह का बाज है ?

आज वहां पर बाबा सन्ता सिंह कार सेवा कर रहे हैं। मेरी मांग है कि कम से कम स्वर्ण मंदिर के भीतर से सेना को हटाया जाए और स्वयं सेवकों पर यह जिम्मेदारी डाली जाए।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का विरोध करता हूं।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : मैं समझता हूं कि हमें गृह मन्त्री के इस तर्क पर कोई आपत्ति नहीं है कि यह संशोधन केवल पंजाब पर लागू होता है, क्योंकि यह एक बहुत विशिष्ट संशोधन है और तारीख भी दी हुई है, राज्य का नाम भी दिया हुआ है तथा स्थिति भी स्पष्ट की गई है। इसलिए हमें उस दृष्टि से कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन, जिस बात पर हमें आपत्ति है वह यह है कि सरकार संविधान में बिना पूर्ण सोच-विचार के संशोधन करके एक खतरनाक पूर्वोदाहरण कायम कर रही है। मुझे याद है कि कल गृह मन्त्री हमसे यह जानना चाहते थे कि हम कुछ ऐसे उदाहरणों का उद्धरण दें जहां बहुमत या अल्पमत का परीक्षण विधान सभा के भीतर किया गया। हो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या हमारे गणतंत्र की स्थापना के बाद कोई ऐसा संशोधन लाया गया है जो अस्थायी किस्म का हो और जो बहुत विशिष्ट स्थिति के लिए हों और जिसका मौलिक चीजों से कोई सम्बन्ध न हो ? देश का संविधान सदैव कुछ मौलिक सिद्धान्तों तथा कुछ आधारभूत ढांचे से सम्बद्ध होता है। संविधान के मूलभूत ढांचे में इस प्रकार के संशोधन नहीं लाए जाते, जिस प्रकार आप एक अस्थाई तथा विशिष्ट अवधि के लिए यह संशोधन ला रहे हैं, यदि ऐसा किया जाए तो यह निष्फल हो जाता है। यह संशोधन एक वर्ष के बाद स्वत: निष्फल हो जाएगा क्योंकि यह पंजाब में एक स्थिति विशेष से सम्बन्धित है। तब आपको इस उपबन्ध का निरसन करने के लिए एक और विधेयक लाना पड़ेगा, यदि आप संविधान में असंगत बाते रखना चाहें तो बात दूसरी है।

4.07 म० प० (अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

इसलिए हमें डर यह है कि यह संशोधन खतरनाक पूर्वोदाहरण कायम करेगा। जब कभी भी कोई चीज सरकार को तथा उनके राजनीतिक उद्देश्य के लिए सुविधाजनक लगेगी तो वे इस प्रकार का संशोधन लाएंगे।

एक अन्य चीज जो यह संशोधन दर्शाता है, वह है ऐसी समस्या को हल करने में सरकार की पूर्ण असमर्थता, जिसके राजनैतिक समाधान की आवश्यकता है। गृह मंत्री कृपया संविधान सभा के उस वाद-विवाद को देखें जब इस अनुच्छेद विशेष पर चर्चा की जा रही थी। उस समय लम्बा बाद-विवाद हुआ था और यह सुझाव दिया गया था कि इसे तीन मास से छह मास तक रखा जाए क्योंकि लोगों को इस बात की बड़ी हिचकिचाहट थी कि इसका सदैव दुरुपयोग किया जा सकता है और लोकतांत्रिक प्रणाली में जब एक बार जनता विधान सभा का चुनाव कर लें तथा अपनी प्रतिनिधि संस्था चुन लें तो राष्ट्रपति शासन लागू नहीं किया जाना चाहिए या विधान सभा भंग नहीं होनी चाहिए। तब बड़ी कठिनाई से यह समझौता हुआ कि किसी की स्थिति में यह एक वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। यही कारण है कि पिछले 35 वर्षों के दौरान राष्ट्रपति शासन को एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए जारी रखने के लिए कोई संशोधन लाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अब, श्रीमन् सरकार ने इस कदम से सभी परम्पराएं तोड़ दी है और इस प्रकार का संशोधन लाकर संविधान संशोधन के सभी मौलिक सिद्धान्तों के विरुद्ध कार्य किया है क्योंकि यह संशोधन एक साधारण अधिनियमन या साधारण कानून से बदतर है। महोदय क्या यह मन्त्री वास्तव में यह अनुभव करते हैं कि केवल राष्ट्रपति शासन की अवधि को आगे बढ़ाने से ही पंजाब की समस्या हल होगी? यदि आप एक वर्ष में इसे हल नहीं कर पाए तो हमें बताइए कि इस बात की क्या गारंटी है, इसका क्या अनुमान है कि आप अगले वर्ष में यह काम कर लेंगे? इस बात की क्या गारंटी है? क्या आपने पंजाब की समस्या का राजनैतिक समाधान ढूंढने की दिशा में कुछ किया है? पिछले 20 वर्षों के सभी प्रयासों के बावजूद चंडीगढ़ का कोई हल नहीं मिल पाया है; सीमा विवाद का कोई हल नहीं निकाला गया है। जल-विवाद का कोई समाधान नहीं ढूंढ़ा गया है और अब दिनों दिन स्थिति बदतर होती जा रही है।

मैं ये सारी बातें नहीं लाना चाहता कि समूचा सिख समुदाय रुष्ट है।

इसीलिए मैं वे सब बातें नहीं बता रहा हूं। लेकिन क्या आज यह वास्तविकता नहीं है? क्या हमें इस बात से चिंतित नहीं होना चाहिए कि सिख संप्रदाय को ठेस पहुंचायी गई है यद्यपि वे शांत हैं, उनमें से अधिकांश खालिस्तान की मांगों का समर्थन नहीं कर रहे हैं वे हिंसक घटनाओं में अन्तर्गस्त नहीं होते और फिर सारा श्रेय पंजाब के सिख समुदाय को? एशियाड खेल शुरू होने के समय से स्वर्ण मंदिरमें सेना का प्रवेश तक सिख संप्रदाय को इतना उकसाने और इतने अपमान किए जाने के बावजूद सिख समुदाय शांतिपूर्ण रहा। उन्होंने हिंसा नहीं की। अध्यक्ष महोदय इस बात की जानकारी आपसे ज्यादा और किसी को नहीं है कि पंजाब सैंकड़ों गांवों में 85 प्रतिशत सिख रह रहे हैं और 10 प्रतिशत या 15 प्रतिशत हिंदू, वहां तो सामूहिक हमला हुआ है न ही आग लगाने की कोई घटना हुई है। हिंसा करने, आंतक फैलाने और हिन्दुओं के साथ-साथ सिखों की हत्या करने में इन गुमराह उग्रवादियों के अतिरिक्त और कोई व्यक्ति अन्तर्गस्त नहीं था। निरपराध सिखों की भी हत्या की गई। उनका किसी ने समर्थन नहीं किया। लेकिन आज सरकारी पक्ष ने जो कुछ कहा उस पर मुझे सममुच बहुत आश्चर्य है। यदि हम कोई ठोस या सकारात्मक सुझाव देते हैं और सदन का ध्यान कुछ गम्भीर स्थितियों की ओर दिलाते हैं तो

वे समझते हैं कि हम स्पष्ट रूप से शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी और अकाली दल तथा उग्रवादियों का समर्थन कर रहे हैं और हम इसका समाधान नहीं करना चाहते। वे समझते हैं कि हम बाधा डाल रहे हैं। लेकिन क्या आप सचमुच अपने दिल पर हाथ रखकर यह पता नहीं लगायेंगे कि मांट्रियल में क्या हुआ? आज हम अपने उच्चायुक्त को कनाडा भेजने में समर्थ नहीं हैं क्योंकि हमें अपने उच्चायुक्त को विशेष सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है (व्यवधान) आप इंकार कर सकते हैं लेकिन कल उन्होंने सैन्ट्रल हाल में मुझे बताया कि वह इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि सरकार कुछ विशेष सुरक्षा के लिए कह रही है आप इससे इन्कार कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने व्यक्तिगत रूप से मुझे जो कुछ बताया में आपको वही बता रहा हूं कि उस से वह नहीं जा रहे। हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया जा रहा है। यह शर्म की बात है। मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं है कि वे देश-विरोधी हो गए हैं, सम्भवत: क्रोध में आकर उन्होंने ऐसा किया। श्री बूटा सिंह इस तथ्य को प्रमाणित करेंगे कि स्वर्ण मंदिर में हमारी सेना के प्रवेश के बाद, सिख संप्रदाय की भावनाओं और धार्मिकता को बहुत ठेस पहुंची है।

प्रधानमन्त्री का कहना है कि वह उनके घावों पर मरहम लगाना चाहती है। सबसे अच्छा उपाय तो यह होगा कि समूचे सिख संप्रदाय की सहमति से अकाल तख्त का पुनर्निर्माण किया जाए तथा सभी काम उन पर छोड़ दिए जाने चाहिए। श्री बूटासिंह ने अपने प्रयासों का उल्लेख किया। हम उनके द्वारा किए गए प्रयासों पर विवाद नहीं कर रहे हैं लेकिन यह भी सच है कि मैं उन्हें यह कहना चाहता हूं कि इस बारे में या तो वे हमें बताएं या गृह मन्त्री को बताने दें। पिछली बार विपक्ष के कुछ नेताओं ने अमृतसर का दौरा किया, हमने वहां अकाली दल तथा शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साथ एक संयुक्त बैठक की। उन्होंने हमें समझौते का प्रारूप दिखाया उसकी मूल प्रति में जनरल ओबराय की लिखाई में कुछ संशोधन किए गए थे। उन्होंने कहा कि जिन बातों पर उन्हें आपत्ति थी उनके संबंध में यह शुद्धियां जनरल ओबराय ने की है। वे शुद्धियां उनके अपने हाथ से की गई थी, वह दिल्ली गए और वहां से लौटने पर उन्होंने कहा कि क्षमा कीजिए दिल्ली में यह समझौता स्वीकार नहीं किया गया है। इसलिए यह समझौता लागू नहीं होता। अत: आपने यह मामला यहीं समाप्त कर दिया। अब आप कह रहे हैं कि उन्होंने अपना वायदा पूरा नहीं किया। वे कह रहे हैं कि स्थिति यह है। उन्होंने हमें मूल दस्तावेज 10 सूत्रों वाले समझौते का प्रारूप दिखाया।

पुन: प्रधानमंत्री ने कहा कि अकाली दल तथा शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी इसे विध्वस्त स्मारक के रूप में बनाए रखना चाहते हैं जबकि उस समझौते में एक खंड में उन्होंने कहा है कि बाबा खड़गसिंह को कार सेवा करने दी जाए और यह समझौते होने के तीन दिन अंदर ही कार सेवा आरम्भ हो जाएगी, अकाल तख्त की मरम्मत की जायेगी। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि "हम इसे विध्वस्त स्मारक के रूप में रखना चाहते है" उस समझौते में एक विशिष्ट खंड है कि तीन दिन के अन्दर ही कार सेवा शुरू हो जाएगी। लेकिन अब सरकार अपने वचन से पीछे हट गई है।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। सरकार को और विशेष रूप से गृह मन्त्री को एक और बात पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए कि पंजाब की स्थिति मूलत: राजनीतिक स्थिति है और उसका कोई राजनैतिक समाधान ही किए जाने की आवश्यकता है। जब तक आप उसका राजनैतिक समाधान नहीं करते तब तक शांति नहीं होगी सौहार्द नहीं होगा, और यह पंजाब के लिए बहुत बुरा होगा, पूरे देश के लिए बुरा होगा और यह केवल सिख संप्रदाय के लिए ही नहीं अपितु सिखों, हिन्दुओं और सभी पंजाबियों के लिए बुरा होगा सरकार को अपना रूख बदलना चाहिए और इसका राजनैतिक लाभ उठाना बंद करना चाहिए, चंडीगढ़, प्रादेशिक और जल-विवादों सम्बन्धी उनकी मूल समस्याओं का,

जिन पर समूचा पंजाब चिंतित है, समाधान करने के बजाय उन्होंने पहले धार्मिक समस्याओं का समाधान करना आवश्यक समझा।

कृषि मन्त्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : हरियाणा के बारे में क्या विचार है क्या हरियाणा की उपेक्षा की जानी चाहिए ?

श्री चन्द्रजीत यादव : हम हरियाणा की बिलकुल उपेक्षा नहीं करना चाहते। हमने कहा है कि हरियाणा नहर की शीघ्र ही खुदाई की जानी चाहिए। फाजिल्का और अबोहर की समस्या का भी समाधान किया जाना चाहिए, हरियाणा को जो हिस्सा है उसे मिलना चाहिए हमने कहा कि हरियाणा की नई राजधानी बनाई जानी चाहिए और पंजाब सरकार तथा केन्द्रीय सरकार को नई राजधानी बनाने के लिए वित्तीय सहायता देनी चाहिए। हम हरियाणा के अधिकार की उपेक्षा करना नहीं चाहते। हरियाणा के अधिकार की कोई उपेक्षा नहीं कर रहा है। लेकिन कुछ ऐसे तत्व थे जो हरियाणा के नाम पर एक सौहार्दपूर्ण समझौते में रुकावट डालने का प्रयत्न कर रहे थे। और इस तरह सारी समस्या खड़ी हुई। मेरा अभिप्राय यह है कि सरकार को इसे अपनी प्रतिष्ठापन का मामला बनाए बिना उन लोगों के साथ पुनः संधि वार्त्ता आरम्भ करनी चाहिए जो वास्तव में इसके राजनैतिक के इच्छुक हैं।

अन्य जिस बात के लिए मैं गृह मंत्री को चेतावनी देना चाहता हूं वह यह कि कुछ ऐसी बात की जा रही है कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को समाप्त कर दिया जाएगा। इस तरह का खतरनाक काम मत कीजिए। यह आग से खेलने के समान होगा शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी का प्राधिकार तथा इसका अस्तित्व लम्बे समय तक संघर्ष का परिणाम है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कानूनी रूप से बनाया गया है। इसके अस्तित्व की उपेक्षा करके आप पहले ही से एक गैर कानूनी काम कर रहे हैं यदि सरकार कानून की अवहेलना करने लगेगी तो आम आदमी कानून की परवाह क्यों करेगा। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अनुमोदन के बिना अकाल तख्त की न तो मरम्मत की जा सकती है न उसका सुधार और न ही उसका पुनर्निर्माण किया जा सकता है। लेकिन उसकी उपेक्षा की गई है। इसलिए मेरा कहना है कि सरकार को अपना रवैया बदलना चाहिए। सरकार को इसका राजनैतिक समाधान खोजना होगा। बिना राजनैतिक हल के पंजाब में न शांति होगी और न ही सोहार्द होगा। और उससे हमेशा केवल पंजाब के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए मुख्य समस्या पैदा होगी।

संसदीय कार्य, खेल, तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : मुझे खेद है कि मुझे पुनः हस्तक्षेप करना पड़ा है क्योंकि श्री चन्द्रजीत यादव ने कार सेवा सम्बन्धी महत्वपूर्ण मुद्दे को दोहराया है। मुझे दुःख है कि मुझे बार-बार यह कहना पड़ा कि इसकी जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से उन पर है जो अपने राजनीतिक उद्देश्य हेतु इस विशेष स्थिति और घटना का लाभ उठाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

मेरे पास जनरल ओबराय का संदेश है जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है संदेश है। "अकाली दल और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रतिनिधियों साथ हुई संधि वार्ता की रिपोर्ट आगे के पैराग्राफ में दी गई है।"

मैं केवल इसका निष्कर्ष पढ़ूंगा क्योंकि उसमें वे मुद्दे कहे गए हैं जो माननीय सदस्य सुनना चाहते हैं :—

"संधि वार्त्ता समाप्त हो गई···"

और ध्यान दीजिए यह जनरल का संदेश है। निम्न कारणों से :—

"परिसर में यहां तक कि सिविल कोर्टस में भी सेना के गार्डों को, अल्पसंख्या में भी तैनात न किया जाए।"

यह अकालियों के लिए हैं :—

"वे 3-4 दिन के अंदर कार सेवा आरम्भ नहीं कर सके। एक बार कार सेवा का काम बाबा खड़ग सिंह को सौंपने के बाद, उनका समय बद्धता पर कोई नियंत्रण नहीं होगा वे यह गारन्टी भी नहीं दे सकते कि अकाल तख्त का कार्य आरम्भ होगा। अकालियों और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक के इस कड़े रवैये के कारण प्रतिनिधियों कि वार्ता अंतत: 16 जुलाई को 7.30 बजे समाप्त हो गई।"

मैं इससे अधिक और कुछ नहीं कह सकता। जैसा कि मैंने कहा कि इस कारण···

प्रो० मधु दण्डवते : आपने चण्डीगढ़ जाने से पूर्व मुझे बताया···

श्री बूटा सिंह : इसमें शामिल नहीं था और न हीं आप है क्योंकि संयोग से उस दिन मैं अमृतसर में था। मैं इसलिए वहां था कि जरूरत पड़ने पर मैं उपलब्ध रहूं ताकि स्थिति में सुधार लाया जा सके आरम्भ से ही हम कठोर प्रयास कर रहे थे ताकि पहले हुआ रक्तपात जारी न रहे और सबके सहयोग से इन पवित्र अहातों की मरम्मत की जाए।

मैं बाबा खड़ग सिंह द्वारा कही गई एक बात कहना चाहता हूं। यह बात उन्होंने कही। उन्होंने मेरी तथा श्री गुरुदयाल सिंह ढिल्लन की उपस्थिति में अकालियों को बुलाया और कहा कि जिस दिन वह कार सेवा आरम्भ करेंगे उसी दिन वह यह भी देखने की प्रयत्न करेंगे कि कार सेवा के लिए सभी वर्ग, अकाली, कांग्रेस, कम्यूनिस्ट और सभी लोग आये किन्तु अकालियों ने इसके लिए मना कर दिया। लेकिन मैं उस पर विस्तार से नहीं कहना चाहता। किन्तु दुर्भाग्यवश समस्या यह है कि विरोधी पक्ष के लोग अकालियों के विचारों को प्रस्तुत करते समय यह भूल जाते हैं कि इस समस्या की कुछ पृष्ठ भूमि है और उस अतीत के संदर्भ में, वे आरोप लगाते हैं और सरकार पर उंगली उठाते हैं। लेकिन ईश्वर के लिए, कम से कम एक बार उन्हें गम्भीरता से विचार करना चाहिए कि ऐसी स्थिति क्यों पैदा की गई। क्या उन्होंने कभी भी अपने सहयोगियों और अपने परम मित्रों, अकालियों को भाषण दिया ? सब के साथ आप भी समूची स्थिति को इस चरम बिन्दु तक क्यों पहुंचने दे रहे हैं, कि स्थिति इतनी बिगड़ जाए अपने मित्रों से उन्होंने यह प्रश्न भी नहीं पूछा। मुझे दु:ख है कि इसी कारण गलतफहमी हुई। कार सेवा पवित्र कार्य था और हमारी इच्छा थी कि यह काम ऐसे वातावरण में किया जाए जहां कटुता और द्वेष न हो किन्तु अकालियों तथा उनके नेता ने उसमें सहयोग नहीं दिया। और यही बात में 101 बार दोहराना चाहता हूं।

गृह मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : अध्यक्ष महोदय, यह पहली दफा नहीं है कि वाद-विवाद के अन्त में मैंने जोरदार अपील न की हो कि हम वाद-विवाद के विषय पर वापस आयें।

मैंने यह आशा की थी कि संविधान में यह बहुत ही संक्षिप्त, अत्यधिक स्पष्ट संशोधन, जिसकी

आवश्यकता कुछ स्पष्ट कारणों से पड़ी है स्वयं ही पंजाब स्थिति पर एक आम वाद-विवाद का रूप धारण कर लेना ।

परन्तु मैं यह बार-बार कहूंगा कि एक विशेष उपाय पर ही ध्यान दिया गया है।

इस विधान की आवश्यकता तथा वांछनीयता के सम्बन्ध में मुद्दे उठाये गए थे। अगर हम अपने आपको उन मुद्दों तक ही सीमित रखते तो हो सकता है कि हम बहुत पहले ही इस वाद-विवाद को समाप्त कर चुके होते।

श्री इन्द्रजीत गुप्त, जिन्हें मैं विपक्ष का एक विचारशील सदस्य समझता हूं साहस के साथ यह मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा क्यों नहीं आप दो दिन के लिए जनता की सरकार बना देते ? फिर आपको इसकी आवश्यकता नहीं होगी। अब मैं कहना चाहूंगा यह सरकार के ही कारण है। हमने तारीख तय की हुई है। जिसे किसी भी तरह से बदला नहीं जा सकता, तारीख है 6 अक्तूबर। अब क्या हम अपने आपको इस स्थिति में रखें क्योंकि जैसे-जैसे तारीख नजदीक आती जाती है हमारी चिन्ता भी बढ़ती जाती है और अन्त में हम गलत निर्णय ले। जल्दी में लिया गये निर्णय से हम दो दिनों के लिए कुछ व्यवस्था करते हैं, और तीसरे दिन पछताना पड़े और पुनः राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़े। राज्य में जिम्मेदार सरकार के कार्यशील होने अथवा संविधान के कार्यशील होने के बारे में यह विचार नहीं है। मेरा विचार यह है कि हमने क्या किया ? हमने जनता की सरकार गठित करने से इंकार नहीं किया है। चूंकि वहां पर विधान सभा है, हम इसे कर सकते हैं, हो सकता है अब से दस दिनों में। परन्तु हमारे पास तारीख है उससे पहले हमें इसे करना होगा, हमें संविधान में संशोधन करना है और 6 अक्तूबर को ध्यान में रखना है यहां तक कि मैं कहूंगा हमें इस संवैधानिक संशोधन के उपबंधों को लागू भी न करना पड़े।

प्रो० मधुदण्डवते (राजापुर) : आपको इस बारे में पहले ही सोच लेना चाहिए था।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : इसे पहले से करने का प्रश्न ही नहीं उठता था, क्योंकि सामान्य स्थिति लाने का प्रश्न सिर्फ जून और जुलाई में उठा है। एक वर्ष की बात मत करिये आप यही कहने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले एक वर्ष में से 10 महीने कैसे बीत गए। यह हम जानते हैं, जिसके बारे में हमने चर्चा की है। हमारे पास सिर्फ दो महीने थे और इन दो अथवा ढाई महीनों में हमें बहुत सी चीजें करनी पड़ीं। और यह किया गया है इस मामले पर मैं सभा को सम्पूर्ण ब्यौरा देने के लिए समर्थ होऊंगा परन्तु इस विधेयक का उद्देश्य कुछ भिन्न होने के कारण, मैं संक्षिप्त में सिर्फ इतना कहूंगा कि मैं प्रशासन में सुधार करने की गति से सन्तुष्ट हूं यह उचित गति से हुआ है जिस गति से यह होना चाहिए था आप इस पर बहुत अधिक जोर नहीं डाल सकते, याद रखिए आप इस पर सीमा से बाहर दबाव नहीं डाल सकते किसी राज्य में प्रशासन पर बहुत शीघ्र प्रभाव पड़ता है। अगर विभिन्न कारणों से यह खराब हुआ है तो हम जानते हैं कि बहुत से कारणों से यह खराब हुआ है; परन्तु वास्तव में यह निर्दोष प्रशासन है आप रात भर में इसे पूरी तरह नहीं बदल सकते और इससे स्वयं ही अपने लिए ज्यादा दिक्कतें उत्पन्न होंगी। हमें इससे सावधानी सतर्कता एवं कुछ चौकसी से निपटना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि यह कार्यशील बने। असामान्य परिस्थितियों के परिणामस्वरूप जो कुछ भी गलत हुआ है उसे एक ही रात में ठीक नहीं किया जा सकता। अतः हमें इसके लिए कुछ समय चाहिए। हमने कुछ समय लिया है। इन ढाई महीनों में जो कुछ हो सकता था। हमने किया है। परन्तु मैंने यह दावा कभी नहीं किया कि वहां पर स्थिति पूर्णतया सामान्य है। यह भी एक आलोचना का मुद्दा था, कि एक तरफ तो सरकार

कहती है कि स्थिति सामान्य हो गई है और दूसरी ओर सरकार यह विधेयक ला रही है। मैंने नहीं कहा कि स्थिति पूर्णतया सामान्य हो गई है। परन्तु सामान्य स्थिति जिस गति से आ रही है मेरे विचार से वह सन्तोषजनक है। हो सकता है कि मैं इसे और भी जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। परन्तु जैसा मैंने कहा है, कि हम एक सीमा से अधिक इस गति को नहीं बढ़ा सकते। कुछ गलत काम हुआ है, और इसे ठीक करने में समय लग सकता है। और हमें उस समय के बारे में बहुत ही सावधान रहना है। इसीलिए हम इस उपबन्ध की व्यवस्था करना चाहते हैं जोकि एक राज्य सीमित है, उद्घोषणा तक सीमित है, और ऐसी स्थिति तक सीमित है, मैं आशा करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भविष्य में कभी भी न आये। परन्तु मुद्दा यह है कि अब यह हमारे सामने आ गई है और अब हम क्या करें? पिछले वर्ष हमारे सामने ऐसी ही स्थिति थी, कुछ-कुछ इससे मिलती हुई, बिल्कुल एक समान नहीं परन्तु इसके समान ही स्थिति असम में थी। अब मैं यह कहने नहीं जा रहा हूं कि उस समय क्यों नहीं संवैधानिक संशोधन लाया गया था और क्यों चुनाव कराये जाने के विकल्प को चुना गया था। मैं इन बातों में नहीं जा रहा हूं। परन्तु मैं निश्चित रूप से इसका हवाला दूंगा, क्योंकि काफी हद तक यह समानान्तर है और संवैधानिक संशोधन अभूतपूर्व हुआ होगा और इसके पश्चात यह आज भी अभूतपूर्व है और यह दूसरा अभूतपूर्व संशोधन होगा। परन्तु निश्चित ही हमें असम में कीमत चुकानी पड़ी थी और वही कीमत हम एक बार और नहीं चुकाना चाहते, क्योंकि यहां पर पहले ही भारी कीमत चुका दी गई है। अतः यह सिर्फ अत्यधिक सावधानी बरतने तथा उनके अपने समय में निर्णय लेने और यह सुनिश्चित करने के लिए है लोकप्रिय सरकार इस तरीके से लाई जाये कि जिससे ऐसा न लगे कि उन पर जबरदस्ती निर्णय को थोपा जा रहा है अथवा हमारे सिरों पर तलवार लटकी हुई है। इस संशोधन के लाये जाने की मंशा यही है। मुमकिन है कि इसका बिल्कुल ही उपयोग न किया जाए। परन्तु हम वह जोखिम नहीं लेना चाहते इसीलिए इस संशोधन पर दबाव डाला जा रहा है। किसी और मामले में जाने की जरूरत नहीं है। अगर सदन चाहता है और अगर आप के पास समय है तो आप पंजाब पर फिर से चर्चा कर सकते हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं जवाब देने के लिए उपस्थित हूं। मुझे सिर्फ बाबा बूटा सिंह से निवेदन करना है। **(व्यवधान)**

श्री बूटा सिंह : मेरे विचार से यह उचित समय है कि मैं हाथ जोड़ता हुआ जाऊं और असली बाबा बन जाऊं।

श्री पी० वी० नरसिंह राव :...दो बार बीच में बोलने का कारण है, क्योंकि मैं भी उस मुद्दे को बहुत अधिक कठिन समझता हूं। मैं चाहता हूं कि विपक्ष दल के सदस्य इसे महसूस करें। जो कुछ भी उन्हें बताया गया है वह सच नहीं है। जो कुछ श्री बूटा सिंह ने कहा है वही सही है और किसी भी हालत में इसकी गहराई में जाने से कोई फायदा नहीं है। यह तो भविष्य में झांकने का प्रश्न है जैसा कि मैं बार-बार कहता आया हूं। इन शब्दों के साथ मैं संविधान (50वां संशोधन) विधेयक को सभा के अनुमोदन के लिए पेश करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिए रखता हूं। चूंकि यह संवैधानिक संशोधन विधेयक है, इसलिए मतदान मत-विभाजन द्वारा होगा। कृपया दीर्घाएं खाली कर दीजिए।

अब दीर्घाएं खाली कर दी गई हैं प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ। 328 - 70

4.3) म० प०

पक्ष में

मत—विभाजन संख्या : 12

अब्बासी, श्री काजी जलील

अहमद, बेगम आबिदा

अहमद, श्री गुलशेर

अहमद, श्री कमालुद्दीन

अजीत प्रताप सिंह

अल्लूरी, श्री सुभाष चन्द्र बोस

आनन्द सिंह, श्री

अंकिनीडु, श्री एम०

अंकिनीडू प्रसाद राव, श्री पी०

अन्सारी, श्री जियाउर्रहमान

अनुरागी, श्री गोदिल प्रसाद

अनवार अहमद, श्री

अप्पालानायडू, श्री एस० आर० ए० एस०

अराकल, श्री जेवियर

अरुणाचलम, श्री एम०

अशफाक हुसैन, श्री

आजाद, श्री भागवत झा

आजाद, श्री गुलाम नबी

आजमी, डा० ए० यू०

बागुन सुम्बरुई, श्री

बेरवा, श्री बनवारी लाल

बैठा, श्री डूमर लाल

वाजपेयी, डा० राजेन्द्र कुमारी

बालेश्वर राम, श्री

बनातवाला, श्री जी० एम०

बन्सी लाल, श्री

बर्मन, श्री पलाश

बरोट, श्री मगन भाई

बैरो, श्री ए० ई० टी०

बरवे, श्री जे० सी०

बसु, श्री चित्त

बहेरा, श्री रास बिहारी

भगत, श्री बी० आर०

भगत, श्री एच० के० एल०

भगवान देव, आचार्य

भक्त, श्री मनोरंजन

भारद्वाज, श्री परस राम

भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल

भीखाभाई, श्री

भोई, डा० कृपासिन्धु

भोले, श्री आर० आर०

भोये, श्री रेशमा मोतीराम

भूरिया, श्री दिलीप सिंह

भूयन, श्री भुवनेश्वर

बीरबल, श्री

बीरेन्द्र सिंह, राव

विष्णु प्रसाद, श्री

वोड्डेपल्ली, श्री राजगोपाल राव

ब्रार, श्रीमती गुरबिन्दर कौर

बृजेन्द्र पाल सिंह, श्री

बूटा सिंह, श्री

चक्रधारी सिंह, श्री

चन्द्राकार, श्री चन्दूलाल

चन्द्रशेखरप्पा, श्री टी० वी०

चरणजीत सिंह, श्री

चतुर्वेदी, श्रीमती बिद्यवती

चौधरी, श्री ए० बी० ए० गनी खान

चव्हाण, श्री एस० बी०

चव्हाण, श्री यशवन्तराव

चेन्नुपति, श्रीमती विद्या

चिंगबांग कोनयक, श्री

चिन्नास्वामी, श्री सी०

चौधरी, श्री चित्तुरी सुब्बा राव

चौधरी, श्रीमती ऊषा प्रकाश

चौहान, श्री फतेहभान सिंह

दाभी, श्री अजीत सिंह

डागा, श्री मूलचन्द

दलवीर सिंह, श्री

दलवीर सिंह, श्री

डामोर, श्री सोमजीभाई

दास, श्री अनादि चरण

डेनिस, श्री एन०

देसाई, श्री बी० बी०

देव, श्री संतोष मोहन

देवराजन, श्री बी०

धोटे, श्री जाम्बुवंत

डोगरा, श्री गिरधारी लाल

डूंगर सिंह, श्री

दुबे, श्री बिन्देश्वरी

एक्का, श्री क्रिस्टोफर

ऐंगटी, श्री बीरेन सिंह

ईरा अनावारासु, श्री

फैलीरो, श्री एडुआर्डो

फर्नान्डीस, श्री जोस्कर

गाडगिल, श्री बी० एन०

गधावी, श्री भेरावदन के०

गायकवाड़, श्री आर० पी०

गायकवाड़, श्री उदयसिंह राव

गामित, श्री छीतूभाई

गांधी, श्रीमती इन्दिरा

गांधी, श्री राजीव

गावित, श्री मानिकराव होडल्य

गहलोत, श्री अशोक

घोरपाड़े, श्री आर० वाई०

गुफरान आजम, श्री

गिरिराज सिंह,

गोगोई, श्री तरुण

गोहिल, श्री जी० बी०

गोमांगो, श्री गिरिधर

गौंडर, श्री ए० सेनापति

गौजगिन, श्री एन०

गौडा, श्री डी० एम० पुत्ते

गौडा, श्री एच० एन० नन्जे

हाकम सिंह, श्री

हेमब्रम, श्री सेत

जदेजा, श्री दौलतसिंहजी

जाफर शरीफ, श्री सी० के०

जयदीप सिंह, श्री

जैन, श्री भीकू राम

जैन, श्री निहाल सिंह

जैन, श्री वृद्धि चन्द

जमीलुर्रहमान, श्री

जेना, श्री चिन्तामणि

जितेन्द्र प्रसाद, श्री

काहनडोल, श्री जैड० एम०

कैलाशपति, श्रीमती

कमल नाथ, श्री

कमला कुमारी, कुमारी

कर्मा, श्री लक्ष्मण

कौल, श्रीमती शीला

कौशल, श्री जगन्नाथ

केन, श्री लाला राम

कैयर भूषण, श्री

खां, श्री आरिफ मोहम्मद

खां, श्री महमूद हसन

खां, श्री मलिक एम० एम० ए०

खां, श्री जुल्फिकार अली

खारलुखी, श्री बाजूबन आर०

किदवई, श्रीमती मोहसिना

कोसलराम, श्री के० टी०

कृष्ण, श्री एस० एम०

कृष्ण प्रताप सिंह, श्री

कृष्णन्, श्री जी० वाई०

क्षीरसागर, श्रीमती केशरबाई

कुचन, श्री गंगाधर एस०

कुन्हम्बु, श्री के०

कुंवर राम, श्री

कुरियन, प्रो० पी० जे०

लकप्पा, श्री के०

लक्ष्मनन्, श्री जी०

लास्कर, श्री निहार रंजन

माधुरी सिंह, श्रीमती

महाबीर प्रसाद, श्री

महाजन, श्री विक्रम

महाजन, श्री वाई० एस०

महाला, श्री आर० पी०

महेन्द्र प्रसाद, श्री

मकवाना, श्री नरसिंह

मालन्ना, श्री के०

मलिक, श्री लक्ष्मण

मल्लिकार्जुन, श्री

मल्लु, श्री अनन्त रामुलु

माने, श्री आर० एस०

मणि, श्री के० बी० एस०

मन्नी लाल

मावणि, श्री रामजी भाई

मिश्र, श्री गार्गी शंकर

मिश्र, श्री रामनगीना

मिश्र, श्री उमा कान्त

मिश्र, श्री हरिनाथ

मिश्र, श्री नित्यानन्द

महन्ती, श्री बृजमोहन

मोहिते, श्री यशवन्तराव

मोहसिन, श्री एफ० एच०

मोरे, श्री रामकृष्ण

मोतीलाल सिंह, श्री

मुखोपाध्याय, श्री आनन्द गोपाल

मूर्ति, श्री कुसुम कृष्ण

मूर्ति, श्री एम० राजशेखर

मूर्ति, श्री एम० वी० चन्द्रशेखर

मुत्तेमवार, श्री बिलास

मुजफ्फर हुसैन, श्री सैयद

नगीना राय, श्री

नायडू, श्री पी० राजगोपाल

नायक, श्री जी० देवराय

नायकर, श्री डी० के०

नायर, श्री बी० के०

नामग्याल, श्री पी०

नन्दी येल्लैया, श्री

नारायण, श्री के० एस०

नेहरू, श्री अरुण कुमार

नेताम, श्री अरविन्द

निहालसिंहवाला, श्री जी० एस०

नीखरा, श्री रामेश्वर

नुरुल इस्लाम, श्री

उरांव, श्रीमती सुमति

पांडे, श्री कृष्णचन्द्र

पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि

पनिका, श्री राम प्यारे

पराशर, प्रो० नारायण चन्द

पारधी,श्री केशव राव

परमार, श्री हीरालाल आर०

पार्थसारथी, श्री पी०

पटेल, श्री अहमद मोहम्मद

पटेल, श्री सी० डी०

पटेल, श्री मोहन लाल

पटेल, श्री शान्तुभाई

पाटिल, श्री ए० टी०

पाटिल, श्री बालासाहिब विखे

पाटिल, श्री चन्द्रभान आठरे

पाटिल, श्रीमती शालिनी

पाटिल, श्री शिवराज वी०

पाटिल, श्री उत्तमराव

पाटिल, श्री वीरेन्द्र

पाटिल, श्री विजय एन०

पटनायक, श्रीमती जयन्ती

पट्टाभिरामा राव, श्री एस० बी० पी०

पत्तुस्वामी, श्री डी०

पवार, श्री बालासाहिब

पेंचालैया, श्री पसाला

फुलवारिया, श्री बिरदा राम

पाइलट, श्री राजेश

पुजारी, श्री जनार्दन

पोटदुखे, श्री शान्ताराम

प्रधानी, श्री के०

प्रसन्न कुमार, श्री एस० एन०

पुलय्या, श्री दारूर

काजी सलीम, श्री

कादरी, श्री एस० टी०

राजू, श्री पी० बी० जी०

राम, श्री राम स्वरूप

राम अवध, श्री

राम किंकर, श्री

रामलिंगन, श्री एन० कुदन्तई

राममूर्ति, श्री के०

रामुलु, श्री एच० जी०

रणवीर सिंह, श्री

रंगा, प्रो० एन० जी०

रणजीत सिंह, श्री

राव, श्रीमती बी० राधाबाई आनन्द

राव, श्री जगन्नाथ

राव, श्री जलगाम कोन्डाला

राव, श्री एम० नागेश्वर

राव, श्री एम० एस० संजीवी

राव, श्री एम० सत्यनारायण

राव, श्री पी० वी० नरसिंह

रथ, श्री रामचन्द्र

राठवा, श्री अमर सिंह

राठौर, श्री उत्तम

राउत, श्री भोला

रवाणी, श्री नवीन

रावत, श्री हरीश

रेड्डी, श्री जी० एस०

रेड्डी, श्री जी० नरसिम्हा

रेड्डी, श्री के० ब्रह्मानन्द

रेड्डी, श्री के० विजय भास्कर

रेड्डी, श्री एम० रामगोपाल

रेड्डी, श्री पी० वायपा

रेड्डी, श्री० वेंकट

रेड्डी, श्री टी० दामोदर

रौत, श्री जय नारायण

रोथूआमा, डा० आर०

साही, श्रीमती कृष्ण

साहू, श्री नारायण

साहू, श्री शिव प्रसाद

सज्जन कुमार, श्री

समीनुद्दीन, श्री

संगमा, श्री पी० ए०

संखवार, श्री आशकरन

साठे, श्री बसन्त

सतीश प्रसाद सिंह, श्री

सत्यदेव सिंह, प्रो०

सावन्त, श्री टी० एम०

सेबस्तियन, श्री एस० ए० दोराई

सेन, श्री ए० के०

सेठी, श्री अर्जुन

शैलानी, श्री चन्द्रपाल

शक्तावत, प्रो० निर्मला कुमारी

शक्यवार, श्री नाथूराम

शंकरानन्द श्री बी०

शनमुगम, श्री पी०

शर्मा, श्री चिरंजी लाल

शर्मा श्री काली चरण

शर्मा, श्री नन्द किशोर

शर्मा, श्री नवल किशोर

शर्मा, श्री प्रताप भानु

शर्मा, डा० शंकर दयाल

शास्त्री, श्री धर्मदास

शास्त्री, श्री हरि कृष्ण

शिंगडा, श्री डी० बी०

शिव शंकर, श्री पी०

शिवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री

शुक्ल, श्री विद्या चरण

सिदनाल, श्री एस० बी०

सिंगारावाडीवेल, श्री एस०

सिंह, श्री सी० पी० एन०

सिंह, श्री धर्मराज

सिंह, कुमारी पुष्पा देवी

सिंह, देव, श्री के० पी०

सिन्हा, श्रीमती रामदुलारी

सोलंकी, श्री बाबूलाल

सोरन, श्री हरिहर

सुन्दरराजन, श्री एन०

श्रीनिवास प्रसाद, श्री वी०

सन्बुरमण, श्री ए० जी०

सुखबन्स कौर, श्रीमती

सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त

सुन्दर सिंह, श्री

सूरज भान, श्री

सूर्य नारायण सिंह, श्री

सूर्यवन्शी, श्री नरसिंह

स्वामी, श्री के० ए०

स्वामीनाथन, श्री आर० वी०

स्वामीनाथन, श्री वी० एन०

स्वामी, डा० सुब्रह्मण्यम

टन्डन, श्री प्रभुनारायण

तपेश्वर सिंह, श्री

तारिक अनवर, श्री

तेइयेंग, श्री सोबेंग

तैयब हुसन, श्री,

तिवारी, श्री कृष्ण प्रकाश

तिवारी, प्रो० के० के०

थोरट, श्री भाउसाहिब

थुगोन, श्री पी० के०

तिवारी, श्री चन्द्रभाल मणि

त्रिपाठी, श्री कमलापति

त्रिपाठी, श्री राम नारायण

टुडु, श्री मनमोहन

टाईटलर, श्री जगदीश

उइके, श्री छोटे लाल

बैराले, श्री मधुसूदन

बर्मा, श्री जय राम

बेलू, श्री ए० एम०

वेंकटसुब्बया, श्री पी०

वर्मा, श्री दीनबन्धु

वर्मा, श्रीमती ऊषा

विजयराघवन, श्री वी० एस

व्यास, श्री गिरधारी ल ल

बाहा, डा० प्रताप

वासनिक, श्री बालकृष्ण रामचन्द्र

यादव, श्री डी० पी०

यादव, श्री आर० एन०

यादव, श्री राम सिंह

यादव, श्री सुभाष चन्द्र

याजदानी, डा० गोलम

जैनल बशर, श्री

विपक्ष में

आचार्य, श्री बसुदेव

अग्रवाल, श्री सतीश

बर्मन, श्री पलाश

बसु, श्री चित्त

भीम सिंह, श्री

विश्वास, श्री अजय

चक्रवर्ती, श्री सत्यसाधन

चटर्जी, श्री सोमनाथ

चौधरी, श्री मोतीभाई, आर०

चौबे, श्री नारायण

चौधरी, श्री संफुद्दीन

दण्डवते, प्रो० मधु

दत्त, श्री अमल

दण्डपाणि, श्री सी०टी०

दिगम्बर सिंह, श्री

ईरा मोहन, श्री

घोष, गोस्वामी, श्रीमती विभा

गिरि, श्री सुधीर

गोपालन, श्रीमती सुशीला

गोयल, श्री कृष्ण कुमार

गुप्त, श्री इन्द्रजीत

हाल्दर, श्री कृष्ण चन्द्र

हन्नान मोल्लाह, श्री

हरिकेश बहादुर, श्री

होरो, श्री एन० ई०

झारखण्डे राय, श्री

कंडास्वामी, श्री एम०

कुलनदईवेलु, डा० वी०

लारेंस, श्री एम०एम०

महाटा, श्री चित्त

मैत्रा, श्री सुनील

मण्डल, श्री सनत कुमार

मसुदल हुसैन, श्री सैयद

मावणि, श्री रामजीभाई

मायातेवर, श्री के०

मेहता, प्रो० अजित कुमार

मिर्धा, श्री नाथूराम

मुखर्जी, श्री समर

नगनगोम मोहेन्द्रा, श्री

निहाल सिंह, श्री

पल्लेकर, श्री बापूसाहिब

पासवान, श्री रामविलास

पाठक, श्री आनन्द

पाटिल, श्री जगन्नाथ

राय, श्री एम० रामन्ना

राजन, श्री के०ए०

राम किंकर, श्री

रियान, श्री बाजू बन

राय, श्री ए०के०

राय, डा० सरदीश

राय प्रधान, श्री अमर

साहा, श्री अजित कुमार

साहा, श्री गदाधर

सेलबाराजू, श्री एन०

सेन, श्री सुबोध

शमन्ना, श्री टी० आर०

शास्त्री, श्री रामावतार

शेजवलकर, श्री एन० के०

सिन्हा, श्री धर्मवीर

सिन्हा, श्री निर्मल

सिंह, श्री पीताम्बर

सोज, प्रो० सैफुद्दीन

सूरज भान, श्री

तिरकी, श्री पीयूष

उन्नीकृष्ण, श्री के० पी०

वर्मा, श्री रवीन्द्र

यादव, श्री चन्द्रजीत

यादव, श्री विजय कुमार

जायनल अबेदिन, श्री

अध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन, मत-विभाजन का परिणाम* इस प्रकार है :

पक्ष : 322

विपक्ष में : 68

---

* निम्नलिखित सदस्यों ने भी मतदान में भाग लिया :—

पक्ष में : सर्वश्री प्रकाश चन्द्र सेठी, रामगोपाल तिवारी, आर० एस० स्पैरो, रामायण राय, शंकरराव पाटिल, रिजक राम और मृत्युंजय नायक ।

विपक्ष में : सर्वश्री हरीश गंगवार, पी० के० कोडियन, मगन भाई बरोट, और चतुर्भुज ।

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2

अध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खण्डवार विचार करेंगे।

खण्ड 2 को सभा में मतदान के लिए रखने से पहले, मैं यह कहता हूं कि चूंकि यह संवैधानिक संशोधन विधेयक है, इसलिए मतदान मत-विभाजन द्वारा होगा।

मेरे विचार से दीर्घाएं खाली कर दी गई हैं। क्या आप दुबारा से खाली करवाना चाहते हैं?

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां, दीर्घाओं को फिर से खाली किया जाए।

अध्यक्ष महोदय : दीर्घाएं खाली कर दी जायें।

प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ।

4.45 म० प०

पक्ष में

मत-विभाजन संख्या : 13

अब्बासी, श्री काजी जलील

अहमद, श्री मोहम्मद असरार

अहमद, बेगम आबिदा

अहमद, श्री गुलशेर

अहमद, श्री कमालुद्दीन

अजीत प्रताप सिंह

अल्लूरी, श्री सुभाष चन्द्र बोस

आनन्द सिंह, श्री

अंकिनीडू, श्री एम०

अंकिनीडू प्रसाद राव, श्री पी०

अन्सारी, श्री जियाउर्रहमान

अनुरागी, श्री गोदिल प्रसाद

अनवार अहमद, श्री

अप्पालानायडू, श्री एस० आर० ए० एस०

अराकल, श्री जेवियर

अरुणाचलम, श्री एम०

अशफाक हुसैन, श्री

आजाद, श्री भागवत झा

आजाद, श्री गुलाम नबी

आजमी, डा० ए० यू०

बागुन सुम्बरुई, श्री

बेरवा, श्री बनवारी लाल

बैठा, श्री भूमर लाल

बाजपेयी, डा० राजेन्द्र कुमारी

बालेश्वर राम, श्री

बन्सी लाल, श्री

बैरो, श्री ए० ई० टी०

बहेरा, श्री रास बिहारी

भगत, श्री बी० आर०

भगत, श्री एच० के० एल०

भगवान देव, आचार्य

भक्त, श्री मनोरंजन

भारद्वाज, श्री परसराम

भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल

भीखाभाई, श्री

भोई, डा० कृपासिन्धु

भोले, श्री आर० आर०

भोये, श्री रेशमा मोतीराम

भूरिया, श्री दिलीप सिंह

भूयन, श्री भुवनेश्वर

बीरबल, श्री

बीरेन्द्र सिंह, राव

विष्णु प्रसाद, श्री

वोड्डेपल्ली, श्री राजगोपाल राव

ब्रार, श्रीमती गुरबिन्दर कौर

बृजेन्द्रपाल सिंह, श्री

बूटा सिंह, श्री

चक्रधारी सिंह, श्री

चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल

चन्द्रशेखरप्पा, श्री टी० बी०

चरणजीत सिंह, श्री

चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती

चौधरी, श्री मनफूल सिंह

चौधरी, श्री ए० बी० ए० गनी खान

चव्हाण, श्री एस० बी०

चव्हाण, श्री यशवन्तराव

चेन्नुपति, श्रीमती विद्या

चिंगवांग कोनयक, श्री

चिन्नास्वामी, श्री सी०

*चौबे, श्री नारायण

चौधरी, श्रीमती ऊषा प्रकाश

चौहान, श्री फतेहभान सिंह

दाभी, श्री अजीत सिंह

डागा, श्री मूलचन्द

दलवीर सिंह, श्री

दलबीर सिंह, श्री

डामोर, श्री सोमजीभाई

दास, श्री अनादि चरण

डेनिस, श्री एन०

देसाई, श्री बी० बी०

देव, श्री संतोष मोहन

देवराजन, श्री बी०

धोटे, श्री जाम्बुवंत

डोगरा, श्री गिरधारी लाल

डूंगर सिंह, श्री

दुबे, श्री बिन्देश्वरी

*गलती से पक्ष में मतदान किया ।

दुबे, श्री रामनाथ

एक्का, श्री क्रिस्टोफर

ऐंगटी, श्री बीरेन सिंह

ईरा अनावारासु, श्री

फैलीरो, श्री एडुआर्डो

फर्नान्डीस, श्री ओस्कर

गाडगिल, श्री बी० एन०

गधावी, श्री भेरावदन के०

गायकवाड़, श्री आर० पी०

गायकवाड़, श्री उदयसिंह राव

गामित, श्री छीतूभाई

गांधी, श्रीमती इन्दिरा

गांधी, श्री राजीव

गामित, श्री मानिकराव होडल्य

गहलोत, श्री अशोक

घोरपाड़े, श्री आर० वाई०

गुफरान आजम, श्री

गिरिराज सिंह

गोगोई, श्री तरुण

गोहिल, श्री जी० बी०

गोमांगो, श्री गिरिधर

गौंडर, श्री ए० सेनापति

गौजगिन, श्री, एन०

गौडा, श्री डी० एम० पुत्ते

गौडा, श्री एच० एन० नन्जे

हाकम सिंह, श्री

हेमब्रम, श्री सेत

जदेजा, श्री दौलतसिंहजी

जाफर शरीफ, श्री सी० के०

जयदीप सिंह, श्री

जैन, श्री भीकू राम

जैन, श्री निहाल सिंह

जैन, श्री बृद्धि चन्द

जमीलुर्रहमान, श्री

जेना, श्री चिन्तामणि

जितेन्द्र प्रसाद, श्री

काहनडोल, श्री जैड० एम०

कैलाशपति, श्रीमती

कमल नाथ, श्री

कमला कुमारी, कुमारी

कर्मा, श्री लक्ष्मण

कौल, श्रीमती शीला

कौशल, श्री जगन्नाथ

केन, श्री लाला राम

कैयर भूषण, श्री

खां, श्री आरिफ मोहम्मद

खां, श्री मलिक एम० एम० ए०

खां, श्री जुल्फिकार अली

खारलुखी, श्री बाजूबन आर०

किदवई, श्रीमती मोहसिना

कोचक, श्री गुलाम रसूल

कोडियन, श्री पी० के०

कोसलराम, श्री के० टी०

कृष्ण, श्री एस० एम०

कृष्ण प्रताप सिंह, श्री

कृष्णन्, श्री जी० वाई०

क्षीरसागर, श्रीमती केशरबाई

कुचन, श्री गंगाधर एस०

कुन्हम्बु, श्री के०

कुम्बर राम, श्री

कुरियन; प्रो० पी० जे०

लकप्पा, श्री के०

लक्ष्मनन्, श्री जी०

लास्कर, श्री निहार रंजन

लारेंस, श्री एम० एम०

मधुकर, श्री कमला मिश्र

माधुरी सिंह, श्रीमती

महाबीर प्रसाद, श्री

महाजन, श्री विक्रम

महाजन, श्री वाई० एस०

महाला, श्री आर० पी०

महेन्द्र प्रसाद, श्री

मकवाना, श्री नरसिंह

मालन्ना, श्री के०

मलिक श्री लक्ष्मण

मल्लिकार्जुन, श्री

मल्लु, श्री अनन्त रामुलु

माने, श्री आर० एस०

मणि, श्री के० बी० एस०

मन्नीलाल, श्री

मावणि, श्री रामजीभाई

मिश्र, श्री गार्गी शंकर

मिश्र, श्री रामनगीना

मिश्र, श्री उमा कान्त

मिश्र, श्री हरिनाथ

मिश्र, श्री नित्यानन्द

महन्ती, श्री बृजमोहन

मोहिते, श्री यशवन्तराव

मोहसिन, श्री एफ० एच०

मोरे, श्री रामकृष्ण

मोतीलाल सिंह, श्री

मुखोपाध्याय, श्री आनन्द गोपाल

मूर्ति, श्री कुसुम कृष्ण

मूर्ति, श्री एम० राजशेखर

मूर्ति, श्री एम० वी० चन्द्रशेखर

मुत्तेमवार, श्री विलास

मुजफ्फर हुसैन, श्री सैयद

नगीना राय, श्री

नायडू, श्री पी० राजगोपाल

नायक, श्री जी० देवराय

नायकर, श्री डी० के०

नायर, श्री बी० के०

नामग्याल, श्री पी०

नन्दी येल्लैया, श्री

नारायण, श्री के० एस०

नेहरू, श्री अरुण कुमार

नेताम, श्री अरविन्द

नगनगोम मोहेन्द्रा, श्री

निहाल सिंह, श्री

निहालसिंहवाला, श्री जी० एस०

नीखरा, श्री रामेश्वर

मुरुल इस्लाम, श्री

उराव, श्रीमती सुमति

पांडे, श्री कृष्णचन्द्र

पंडित, डा० वसन्त कुमार

पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि

पनिका, श्री राम प्यारे

पराशर, प्रो० नारायण चन्द

पारधी, श्री केशवराव

परमार, श्री हीरालाल आर०

पार्थसारथी, श्री पी०

पटेल, श्री अहमद मोहम्मद

पटेल, श्री सी० डी०

पटेल, श्री मोहनलाल

पटेल, श्री शान्तुभाई

पाटिल श्री ए० टी०

पाटिल, श्री बालासाहिब विखे

पाटिल, श्री चन्द्रभान आठरे

पाटिल, श्रीमती शालिनी

पाटिल, श्री शंकरराव

पाटिल, श्री शिवराज वी०

पाटिल, श्री उत्तमराव

पाटिल, श्री वीरेन्द्र

पाटिल, श्री विजय एन०

पटनायक, श्रीमती जयन्ती

पट्टाभिरामा राव, श्री एस० बी० पी०

पत्तुस्वामी, श्री डी०

पवार, श्री बालासाहिब

पेंचालैया, श्री पसाला

फुलवारिया, श्री विरदा राम

पाइलट, श्री राजेश

पुजारी, श्री जनार्दन

पोटदुखे, श्री शान्ताराम

प्रधानी, श्री के०

प्रसन्न कुमार, श्री एस० एन०

फुलब्या, श्री दारूर

काजी सलीम, श्री

कादरी, श्री एस० टी०

राजू, श्री पी० वी० जी०

राम, श्री रामस्वरूप

रामलिंगम, श्री एन० कुदन्तई

राममूर्ति, श्री, के०

रामुलु, श्री एच० जी०

रणवीर सिंह, श्री

रंगा, प्रो० एन० जी०

रणजीत सिंह, श्री

राव, श्रीमती बी० राघाबाई आनन्द

राव, श्री जगन्नाथ

राव, श्री जलगाम कोन्डाला

राव, श्री एम० नागेश्वर

राव, डा० एम० एस० संजीवी

राव, श्री एम० सत्यनारायण

राव, श्री पी० वी० नरसिंह

रथ, श्री रामचन्द्र

राठवा, श्री अमर सिंह

राठौर, श्री उत्तम

राउत, श्री भोला

रवाणी, श्री नवीन

रावत, श्री हरीश चन्द्र सिंह

रेड्डी, श्री जी० एस०

रेड्डी, श्री जी० नरसिम्हा

रेड्डी, श्री के० ब्रह्मानन्द

रेड्डी, श्री के० विजय भास्कर

रेड्डी, श्री एम० राम गोपाल

रेड्डी, श्री पी० वायपा

रेड्डी, श्री पी० वेंकट

रेड्डी, श्री टी० दामोदर

रिजक राम, श्री

रौत, श्री जय नारायण

रोथूआमा, डा० आर०

साही, श्रीमती कृष्णा

साहू, श्री नारायण

साहू, श्री शिव प्रसाद

सज्जन कुमार, श्री

समीनुद्दीन, श्री

संगमा, श्री पी० ए०

साठे, श्री वसन्त

सतीश प्रसाद सिंह, श्री

सत्यदेव सिंह, प्रो०

सावन्त, श्री टी० एम०

सेबस्तियन, श्री एस० ए० दोराई

सेन, श्री ए० के०

सेठी, श्री अर्जुन

सेठी, श्री पी० सी०

शैलानी, श्री चन्द्रपाल

शक्तावत, प्रो० निर्मला कुमारी

शक्यवार, श्री नाथूराम

शंकरानन्द, श्री बी०

शनमुगम, श्री पी०

शर्मा, श्री चिरंजी लाल

शर्मा, श्री काली चरण

शर्मा, श्री नन्द किशोर

शर्मा, श्री नवल किशोर

शर्मा, श्री प्रताप भानु

शर्मा, डा० शंकर दयाल

शास्त्री, श्री धर्मदास

शास्त्री, श्री हरि कृष्ण

शिगडा, श्री डी० बी०

शिव शंकर, श्री पी०

शिवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री

शुक्ल, श्री विद्या चरण

सिदनाल, श्री एस० बी०

सिंगारावाडीवेल, श्री एस०

सिंह, श्री सी० पी० एन०

सिंह, श्री धर्मंगज

सिंह, कुमारी पुष्पा देवी

सिंह देव, श्री के० पी०

सिन्हा, श्रीमती रामदुलारी

सोलंकी, श्री बाबू लाल

सोरन, श्री हरिहर

सुन्दरराजन, श्री एन०

स्वैरो, श्री आर० एस०

श्रीनिवास प्रसाद, श्री बी०

सुब्बुरमण, श्री ए० जी०

सुखबन्स कौर, श्रीमती

सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त

सुन्दर सिंह, श्री

सूर्यवन्शी, श्री नरसिंह

स्वामी, श्री के० ए०

स्वामीनाथन, श्री आर० वी०

टन्डन, श्री प्रभुनारायण

तपेश्वर सिंह, श्री

तेइयेंग, श्री सोबेंग

तिवारी, श्री कृष्ण प्रकाश

तिवारी, प्रो० के० के०

थोरट, श्री भाउसाहिब

थुगोन, श्री पी० के०

तिवारी, श्री चन्द्रभाल मणि

तिवारी, श्री राम गोपाल

त्रिपाठी, श्री कमलापति

त्रिपाठी, श्री राम नारायण

टुडु, श्री मनमोहन

टाईटलर, श्री जगदीश

उइके, श्री छोटे लाल

वैराले, श्री मधुसूदन

वर्मा, श्री जय राम

वेलू, श्री ए० एम०

वेंकटसुब्बया, श्री पी०

वर्मा, श्री दीन बन्धु

वर्मा, श्रीमती ऊषा

विजयराघवन, श्री वी० एस०

व्यास, श्री गिरधारी लाल

वाहा, डा० प्रताप

वासनिक, श्री बालकृष्ण रामचन्द्र

यादव, श्री डी० पी०

यादव, श्री आर० एन०

यादव, श्री राम सिंह

यादव, श्री सुभाष चन्द्र

याजदानी, डा० गोलम

जैनल बशर, श्री

विपक्ष में

मत—विभाजन संख्या : 13

आचार्य, श्री बसुदेव

अग्रवाल, श्री सतीश

बर्मन, श्री पलाश

बरोट, श्री मगनभाई

बसु, श्री चित्त

भीम सिंह, श्री

विश्वास, श्री अजय

चक्रवर्ती, श्री सत्यसाधन

चटर्जी, श्री सोमनाथ

चतुर्भुज, श्री

चौधरी, श्री मोतीभाई, आर०

चौधरी, श्री सैफुद्दीन

दण्डवते, प्रो० मधु

दण्डवते, श्रीमती प्रमिला

दत्त, श्री अमल

दण्डपाणि, श्री सी० टी०

दिगम्बर सिंह, श्री

ईरा मोहन, श्री

गंगवार, श्री हरीश कुमार

घोष, गोस्वामी, श्रीमती विभा

गिरि, श्री सुधीर

गोपालन, श्रीमती सुशीला

गुप्त, श्री इन्द्रजीत

हाल्दर, श्री कृष्ण चन्द्र

हन्नान मोल्लाह, श्री

हरिकेश बहादुर, श्री

होरो, श्री एन० ई०

कंडास्वामी, श्री एम०

कोडियन, श्री पी० के०

लारेंस, श्री एम० एम०

महाटा, श्री चित्त

मैत्रा, श्री सुनील

मण्डल, श्री सनत कुमार

मसुदल हुसैन, श्री सैयद

मायातेवर, श्री के०

मिर्धा, श्री नाथूराम

मुखर्जी, श्री समर

नगनगोम मोहेन्द्रा, श्री

निहाल सिंह, श्री

परूलेकर, श्री बापूसाहिब

पासवान, श्री राम विलास

पाठक, श्री आनन्द

पाटिल, श्री जगन्नाथ

राय, श्री एम० रामन्ना

राजन, श्री के० ए०

राम किंकर, श्री

रियान, श्री बाजू बन

राय, श्री ए० के०

राय, डा० सरदीश

राय प्रधान, श्री अमर

साहा, श्री अजित कुमार

साहा, श्री गदाधर

सेलवाराजू, श्री एन०

सेन, श्री सुबोध

शमन्ना, श्री टी० आर०

शास्त्री, श्री रामावतार

शेजवलकर, श्री एन० के०

सिन्हा, श्री धर्मवीर

सिन्हा, श्री निर्मल

सिंह, श्री पीताम्बर

सोज, प्रो० सैफुद्दीन

सूरज भान, श्री

तिरकी, श्री पीयूष

उन्नीकृष्ण, श्री के० पी०

वर्मा, श्री रवीन्द्र

वर्मा, श्री फूलचन्द

यादव, श्रीचन्द्रजीत

यादव, श्री विजय कुमार

जायनल अबेदिन, श्री

अध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्ययीन, मत विभाजन का परिणाम*इस प्रकार है :

पक्ष में : 328

विपक्ष में : 70

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून से पारित हुआ ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड दो में जोड़ दिया गया ।

संशोधन किया गया :

खण्ड 1

पृष्ठ 1, पंक्ति 3

"पचासवां" के स्थान पर "उनचासवां"

प्रतिस्थापित किया जाए—(2)

(श्री पी०वी० नरसिंह राव)

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी मतदान में भाग लिया ।

पक्ष में : सर्वश्री चित्तूरी सुब्बा राव चौधरी, आशकरन संखबार: रामायण राय, जी० एस० निहाल सिंह वाला, और मृत्युंजय नायक ।

विपक्ष में : डा० वी० कुलनईकेलु और श्री नारायण चौबे ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1 संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया। अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

अध्यक्ष महोदय : गृह मन्त्री, श्री नरसिंह राव।

श्री पी० पी० नरसिंह राव : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि इसे अब हम सभा में मतदान के लिए रख सकते हैं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : श्रीमन, आप कृपया तीन मिनट के लिए श्री मेहता को बोलने दें और उसके बाद दो मिनट में बोलूंगा।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

श्री अजित कुमार मेहता, आप केवल तीन मिनट ही बोलेंगे।

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : अध्यक्ष महोदय, बात यह है कि जब कोई संविधान की साइक्लोस्टाइल प्रति जलाता है तो हम उसे अपराध मानते हैं, वह अपराध है, मानना भी चाहिए, यह सही है, लेकिन संविधान को लागू नहीं करना क्या अपराध नहीं है ? क्या संविधान की अवहेलना करना अपराध नहीं है ?

पंजाब के बारे में अभी श्री बूटासिंह ने जो एक बात कही···

(व्यवधान)

गृह-कार्य मन्त्री जी ने कहा कि यह अधिकारिक सूचना है, मुझे तो सन्देह है। जब प्रधान मन्त्री स्वयं कहती हैं किसी अन्य अवसर पर कि उन्हें भी सूचना अधिकारिक सूत्र से नहीं मिल रही, समाचार पत्रों के माध्यम से मिलती है।

अध्यक्ष महोदय : कहां की बात कह रहे हैं ?

(व्यवधान)

प्रो० अजित कुमार मेहता : मैं यह कह रहा हूं कि प्रधान मन्त्री को भी सही सूचना नहीं मिलती है अपने निवास-स्थान की। मैं जानना चाहता हूं कि क्या प्रधानमन्त्री को यह मालूम है कि उनके एसिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी की पत्नी अभी 10 मंजिल इमारत से गिरी हैं, उसमें कौन सा षड्यंत्र है और कहां से क्या हुआ है ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपसे यह उम्मीद नहीं थी ।

प्रो० अजित कुमार मेहता : मैं यह कहना चाहता हूं **(व्यवधान)**

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल तीन मिनट ही बोलूंगा। श्रीमन, क्योंकि उनका सभा में बहुमत है, इसलिए वे यहां बाजी जीत जाएंगे। लेकिन मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि वह सभा से बाहर लड़ाई हार जाएंगे। संविधान के निर्माताओं ने देश के लोगों से यह वादा किया था कि अनुच्छेद 356 का कभी उपयोग नहीं किया जाएगा। मैं डा० अम्बेडकर के शब्दों को दोहराना चाहूंगा। जब संविधान सभा में इस विशेष उपबन्ध पर चर्चा चल रही थी, तो डा० अम्बेडकर ने कहा था कि वस्तुतः इस अनुच्छेद का उपयोग करने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कांग्रेस दल ने इस विशेष अनुच्छेद का 60 से अधिक बार प्रयोग किया है और वह भी अपने राजनैतिक उद्देश्यों के लिए, न कि राष्ट्रीय उद्देश्यों के लिए। गृह मन्त्री ने अपने भाषण में कहा है कि शायद इसके उपयोग करने की आवश्यकता न पड़े। यदि वह समझते हैं कि इसकी आवश्यकता नहीं है, तो आप यह सांविधानिक संशोधन लाये ही क्यों हैं ? सांविधानिक संशोधन तभी लाया जाता है, जब यह अत्यावश्यक होता है और जब देश इसके बिना चल ही नहीं सकता···**(व्यवधान)**···कार सेवा के बारे में काफी कुछ कहा गया है। क्या श्री सन्ता सिंह, जोकि कार सेवा कर रहे हैं, ने भिंडरावाले की निन्दा की है ?

अध्यक्ष महोदय : यह कैसे संगत है ?

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : आप मुझे बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह संगत नहीं है ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : यह संगत प्रश्न है। जिस व्यक्ति को आप समर्थन दे रहे है, क्या उसे बन्दूक रखने के लिए लाइसेंस जारी करने की शक्ति है ? उसने भिंडरांवाले की भर्त्सना नहीं की है। इसका अर्थ है कि आप आतकवादियों के विरुद्ध नहीं हैं। आप इसका उपयोग उस किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं करने जा रहे हैं जिसकी आपकी पार्टी के प्रति निष्ठा है। इसीलिए आप यह सब कर रहे हैं। मन्त्री महोदय को सभा और राष्ट्र को स्पष्ट करना चाहिए, और यह बताना चाहिए कि सन्ता सिंह जैसे व्यक्ति का उपयोग कार सेवा के लिए क्यों किया जा रहा है जिसने भिंडरांवाले की भर्त्सना नहीं की है, और उसे कार-सेवा करने की अनुमति दी गई है ।

श्री ए० के० राय (धनबाद) : अगर आप मेरी तरफ इस तरह देखेंगे तो मैं बोल नहीं सकूंगा। सत्ता दल की तरफ से पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने और इसे मजबूत करने की जोरदार कोशिश की जा रही है। कल दो अच्छे विधेयक इसलिए पारित नहीं हो सके, क्योंकि वे इसके लिए अपने सदस्यों को नहीं जुटा पाये। इससे जनजातीय लोगों के प्रति उनके विचारों का पता चलता है।

नौवीं अनुसूची को जनजातीय लोगों पर लागू करने के लिए उनके पास लोग (सदस्य) नहीं हैं, लेकिन राष्ट्रपति शासन को···(**व्यवधान**)

दूसरी बात मैं यह जानना चाहूंगा कि : आपका इतना अधिक बहुमत होते हुए और यह शानदार प्रदर्शन होते हुए, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि 4 अक्तूबर तक, स्थिति सामान्य नहीं हो पाएगी और इसलिए आपको राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ानी पड़ेगी ? आपको विश्वास क्यों नहीं है ? आपने अपने आप में विश्वास क्यों खो दिया है ? हमें आपमें कुछ विश्वास है। लेकिन आपने अपने आप में विश्वास क्यों खो दिया है। यह समूचा विधेयक अविश्वास पर आधारित है। आपको इस बात का विश्वास नहीं है कि पंजाब में स्थिति सामान्य हो पायेगी, और इसके लिए राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाई जाए। मैं संविधान सभा के उन सभी वाद-विवादों को यहां नहीं उद्धृत करना चाहता। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोगों को विश्वास में लिए बिना आप सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, आतंकवाद को समाप्त नहीं कर सकते। केवल लोग ही इससे लड़ सकते हैं। आप केवल वहां पर अपने दल के लोगों पर ही विश्वास करते हैं। मेरा दल वहां पर सत्तारूढ़ दल नहीं है। आपका दल ही वहां पर सरकार बनाएगा। आप इसमें विश्वास करें। श्रीमन, इस कुर्सी पर ज्यादा समय तक बैठने का दुर्भाग्य आपका नहीं रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सभी विधेयक लोगों की स्वतन्त्रता में कमी करने के लिए लाए जा रहे हैं। लोकतांत्रिक लोग, धर्मनिरपेक्ष लोग और वे सब जोकि सांप्रदायिकता और आतंकवाद के साथ संघर्ष कर सकते हैं उन्हें शरण लेनी पड़ेगी। उनके ऊपर गुप्त रूप से मुकदमा चलाया जा रहा है। वे भूमिगत हो गए हैं। और सभी प्रकार के ऐसे सांविधानिक संशोधन विधेयक आ रहे हैं, जिनमें उन लोकतांत्रिक सिद्धांतों का हनन हो रहा है जिन सिद्धांतों के बल पर भारत के लोग पंजाब में सांप्रदायिकता से लड़ सकते हैं। इसीलिए मैं इस विधेयक का विरोध कर रहा हूं क्योंकि यह अनुपयोगी है और समस्या को सुलझाने के लिए यह एक और रोड़ा होगा।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : संविधान के अनुच्छेद 356 के खण्ड (5) में किया गया यह संशोधन लोकतन्त्र और लोगों के विरुद्ध है। इससे राज्य सरकारों की स्वायत्तता समाप्त होगी। सरकार पंजाब की स्थिति का राजनैतिक हल ढूंढ़ने में पूर्णतया असफल रही है। और अपनी विफलता को छिपाने के लिए वह लोकतन्त्रात्मक अधिकारों पर अंकुश लगा रही है। और वह यहां पर पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि को एक वर्ष और बढ़ाने के लिए यह सब कर रहे है। गृह मन्त्री ने पहले बताया कि यह केवल पंजाब में लागू होगा। लेकिन सत्तारूढ़ दल ने कभी भी आश्वासनों को पूरा नहीं किया। इसका उपयोग गैर-कांग्रेसी राज्य सरकारों का तख्ता पलटने के लिए किया जायेगा, क्योंकि वे विधान सभा सदस्यों को खरीद रहे हैं···(**व्यवधान**)। वे किसी अन्य राज्य में राष्ट्रपति शासन को एक वर्ष के लिए और बढ़ाने के लिए कोई और संशोधन ला सकते हैं। इस तरह से न केवल पंजाब में लोकतांत्रिक अधिकारों पर अंकुश लगा है, बल्कि इसका उपयोग गैर-कांग्रेसी राज्य सरकारों को गिराने के लिए भी किया जायेगा। अपनी अर्थ शक्ति के बल पर वे विधान सभा सदस्यों कीखरीद करेंगे और अगर वे कांग्रेस (आई०) में शामिल नहीं होते हैं तो वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जायेगा। और वहां केवल एक वर्ष के लिए ही राष्ट्रपति शासन लागू नहीं किया जाएगा, बल्कि संविधान में संशोधन करके इसे एक वर्ष के लिए और बढ़ाया जाएगा। इसलिए मैं, इस अलोकतांत्रिक और जन-विरोधी विधान का पूरी करता हूं।

श्री राजीव गांधी (अमेठी) : प्रो० चक्रवर्ती ने जो कुछ कहा है, मैं केवल उसी पर टिप्पणी करना

चाहूंगा। उन्होंने कांग्रेस पर अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए संविधान में संशोधन करने का आरोप लगाया है—मैं नहीं जानता 60 या 70 दफा। मैं इसे स्वीकार करता हूं। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस का राजनैतिक उद्देश्य स्वतन्त्रता प्राप्त करना था और इसका राजनैतिक उद्देश्य देश में लोकतन्त्र कायम रखना है।···(**व्यवधान**)···और मैं उनसे यह भी पूछना चाहता हूं कि उनके राजनैतिक उद्देश्य क्या हैं।···(**व्यवधान**)···

5.00 म० प०

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : लोगों के लिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि यहां हर सदस्य जनता का प्रतिनिधित्व करता है।

श्री राजीव गांधी : जब मैंने यह कहा था कि इस उपबन्ध की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो मैं समझता हूं कि यह भी समझा जाना चाहिए कि किन्हीं विशेष परिस्थितियों में इसकी आवश्यकता पड़ भी सकती है। 'आवश्यकता नहीं पड़ सकती' का अर्थ वही नहीं है जोकि "आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी," इसलिए इस बात पर ध्यान दिया जाए। जैसा कि मैंने कहा है, यह एक विशेष आकस्मिकता के लिए है और काफी सतर्कता से हम इसे ला रहे हैं। श्री ए० के० राय पंजाब में कांग्रेस सरकार देखने के लिए बहुत उत्सुक हैं। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं··· (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप उनकी इच्छा क्यों नहीं पूरी कर देते ?

एक माननीय सदस्य : हम करेंगे।

श्री राजीव गांधी : जो दल उनका अपना नहीं, उसके लिए उनके द्वारा व्यक्त की गई चिन्ता को देखते हुए, मैं उन्हें आश्वासन देना चाहता हूं कि हम भी उनसे इसके लिए कम उत्सुक नहीं हैं। लेकिन केवल बात यही है कि हम सही समय पर सही तरीके से ऐसा करना चाहते हैं, इसीलिए यह आवश्यक हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : इससे पहले कि मैं सभा में यह प्रस्ताव रखूं कि यथासंशोधित विधेयक···

(**व्यवधान**)

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : सन्ता सिंह के बारे में एक गलत वक्तव्य दिया गया है। श्रीमन, आप खुद जानते हैं कि शायद सन्त और बाबा ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने आरम्भ में उस समय श्री भिंडरांवाले की आलोचना की जबकि उसकी स्थिति काफी मजबूत थी, जबकि भिंडरांवाले को 'सन्त' से सुशोभित किया गया था, उस समारोह में बाबा सन्ता सिंह नहीं गए थे। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि भिंडरांवाले अपने गुरु के उत्तराधिकारी बनने के लिए उपयुक्त व्यक्ति नहीं है।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या आपको पता है कि उनके विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही चल रही है ?

अध्यक्ष महोदय : एक बात और है। आप किसी के बारे में कुछ अच्छी बातें कह सकते हैं परंतु नियमानुसार मैं कार्यवाही-वृत्तांत में ऐसी कोई बात सम्मिलित नहीं करने दूंगा जो किसी ऐसे व्यक्ति के

लिए अपमानजनक या मानहानिकारक या अभिशंसी है जो इस सभा में उपस्थित नहीं है। मेरे विचार में आप इस बात का समर्थन करेंगे।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं अपने उस बयान को वापस लेता हूं कि उनके विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही चल रही है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : एक व्यवस्था का प्रश्न है। आप यह कैसे कह सकते हैं ? मैंने कोई अपमानजनक बात नहीं कही है। महोदय, आप इसे कार्यवाही-वृत्तांत से नहीं निकाल सकते।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे कार्यवाही से नहीं निकाल रहा हूं। मैं तो केवल यह बात बता रहा हूं कि यदि कोई अपमानजनक बात है···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने यही कहा है···

(व्यवधान)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मैं केवल जानना चाहता था···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब वह सन्तुष्ट हैं। यह प्रस्ताव कि विधेयक, यथासंशोधित, पारित किया जाये, सभा में मतदान के लिए रखने से पहले मैं यह बताना चाहता हूं कि चूंकि यह संविधान (संशोधन) विधेयक है, इसलिए मतदान मतविभाजन द्वारा होगा। दीर्घाएं खाली कर दी जाएं।

दीर्घाएं खाली कर दी गई हैं। प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, यथा संशोधित, पारित किया जाए।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ।

5.09 म० प०

पक्ष में 326 69

मत—विभाजन संख्या : 14

अब्बासी, श्री काजी जलील

अहमद, श्री मोहम्मद असरार

अहमद, बेगम आबिदा

अहमद, श्री गुलशेर

अहमद, श्री कमालुद्दीन

अजीत प्रताप सिंह

अल्लूरी, श्री सुभाष चन्द्र बोस

आनन्द सिंह, श्री

अंकिनीडू, श्री एम०

अंकनीडू प्रसाद राव, श्री पी०

अंसारी, श्री जियाउर्रहमान

अनुरागी, श्री गोदिल प्रसाद

अप्पालानायडू, श्री एस० आर० ए० एस०

अराकल, श्री जेवियर

अरुणाचलम, श्री एम०

अशफाक हुसैन, श्री

आजाद, श्री भागवत झा

आजाद, श्री गुलाम नबी

आजमी, श्री ए० यू०

बागुन सुम्बरुई, श्री

बेरवा, श्री बनवारी लाल

बैठा, श्री डूमर लाल

वाजपेयी, डा० राजेन्द्र कुमारी

बालेश्वर राम, श्री

बन्सी लाल, श्री

बैरो, श्री ए० ई० टी०

बहेरा, श्री रास बिहारी

भगवत, श्री बी० आर०

भगवान देव, आचार्य

भक्त, श्री मनोरंजन

भारद्वाज, श्री परसराम

भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल

भीखाभाई, श्री

भोई, डा० कृपासिन्धु

भोले, श्री आर० आर०

भोये, श्री रेशमा मोतीराम

भूरिया, श्री दलीप सिंह

भूयन, श्री भुवनेश्वर

बीरबल, श्री

बीरेन्द्र सिंह, राव

बिष्णु प्रसाद

बोड्डेपल्ली, श्री राजगोपाल राव

ब्रार, श्रीमती गुरबिन्दर कौर

बृजेन्द्रपाल सिंह, श्री

बूटा सिंह, श्री

चक्रधारी सिंह, श्री

चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल

चन्द्रशेखरप्पा, श्री टी० वी०

चरणजीत सिंह, श्री

चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती

चौधरी, श्री मनफूल सिंह

चौधरी, श्री ए० बी० ए० गनी खान

चव्हाण, श्री एस० बी०

चव्हाण, श्री यशवन्तराव

चेन्नुपति, श्रीमती विद्या

चिंगबांग कोनयक, श्री

चिन्नास्वामी, श्री सी०

चौधरी, श्री चित्तुरी सुब्बा राव

चौधरी, श्रीमती ऊषा प्रकाश

चौहान, श्री फतेहभान सिंह

दाभी, श्री अजीत सिंह

डागा, श्री मूलचन्द

दलबीर सिंह, श्री

डामोर, श्री सोमजीभाई

दास, श्री अनादि चरण

डेनिस, श्री एन०

देसाई, श्री बी० बी०

देव, श्री सन्तोष मोहन

देवराजन, श्री वी०

धोटे, श्री जाम्बुवन्त

डोगरा, श्री गिरधारी लाल

डूंगर सिंह, श्री

दुबे, श्री बिन्देश्वरी

दुबे, श्री रामनाथ

एक्का, श्री क्रिस्टोफर

ऐंगटी, श्री बीरेन सिंह

ईरा अनावारासु, श्री

फैलीरो, श्री एडुआर्डो

फर्नांडीस, श्री ओस्कर

गाडगिल, श्री बी० एन०

गधावी, श्री भेराबदन के०

गायकवाड़, श्री आर० पी०

गायकवाड़, श्री उदयसिंह राव

गामित, श्री छीतूभाई

गांधी, श्रीमती इन्दिरा

गांधी, श्री राजीव

गावित श्री मानिकराय होडल्य

गहलोत, श्री अशोक

घोरपांडे, श्री आर० वाई०

गुफरान आजम, श्री

गिरिराज सिंह

गोगोई, श्री तरुण

गोहिल, श्री जी० बी०

गोमांगो, श्री गिरिधर

गौंडर, श्री ए० सेनापति

गौजगिन, श्री एन०

गौडा, श्री डी० एम० पुत्ते

गौडा, श्री एच० एन० नन्जे

हाकम सिंह, श्री

हेमब्रम, श्री सेत

जदेजा, श्री दौलत सिंह जी

जयदीप सिंह, श्री

जैन, श्री भीकू राम

जैन, श्री निहाल सिंह

जैन, श्री बृद्धि चन्द

जमीलुर्रहमान, श्री

जेना, श्री चिन्तामणि

जितेन्द्र प्रसाद, श्री

काहनडोल, श्री जेड० एम०

कैलाशपति, श्रीमती

कमल नाथ, श्री

कमला कुमारी, कुमारी

कर्मा, श्री लक्ष्मण

कौल, श्रीमती शीला

कौशल, श्री जगन्नाथ

केन, श्री लाला राम

कैयर भूषण, श्री

खां, श्री आरिफ मोहम्मद

खां, श्री मलिक एम० एम० ए०

खां, श्री जल्फिकार अली

खारलुखी, श्री वाजूबन आर०

किदवई, श्रीमती मोहसिना

कोचक, श्री गुलाम रसूल

कोडियन, श्री पी० के०

कोसलराम, श्री के० टी०

कृष्ण, श्री एस० एम०

कृष्ण प्रताप सिंह, श्री

कृष्णन्, श्री जी० वाई०

क्षीरसागर, श्रीमती केशरबाई

कुचन, श्री गंगाधर एस०

कुन्हम्बु, श्री के०

कुबंर राम, श्री

कुरियन, प्रो० पी० जे०

लकप्पा, श्री के०

लक्ष्मनन्, श्री जी०

लास्कर, श्री निहार रंजन

माधुरी सिंह, श्रीमती

महाबीर प्रसाद, श्री

महाजन, श्री विक्रम

महाजन, श्री वाई० एस०

महाला, श्री आर० पी०

महेन्द्र प्रसाद, श्री

मकवाना, श्री नरसिंह

मालन्ना, श्री के०

मल्लिकार्जुन, श्री

मल्लु, श्री अनन्त रामुलु

माने, श्री आर० एस०

मणि, श्री के० बी० एस०

मन्नी लाल, श्री

मार्तण्ड सिंह, श्री

मसुदल हुसैन, श्री सैयद

मावणि, श्री रामजीभाई

मिश्र, श्री गार्गी शंकर

मिश्र, श्री रामनगीना

मिश्र, श्री उमा कान्त

मिश्र, श्री नित्यानन्द

महन्ती, श्री बृजमोहन

मोहिते, श्री यशवन्तराव

मोहसिन, श्री एफ० एच०

मोरे, श्री रामकृष्ण

मोतीलाल सिंह, श्री

मुखोपाध्याय, श्री आनन्द गोपाल

मूर्ति, श्री कुसुम कृष्ण

मूर्ति, श्री एम० राजशेखर

मूर्ति, श्री एम० वी० चन्द्रशेखर

मुत्तेमवार, श्री विलास

मुजफ्फर हुसैन, श्री सैयद

नगीना राय, श्री

नायडू, श्री पी० राजगोपाल

नायक, श्री जी० देवराय

नायकर, श्री डी० के०

नायर, श्री बी० के०

नामग्याल, श्री पी०

नन्दी येल्लैया, श्री

नारायण, श्री के० एस०

नायक, श्री मृत्युंजय

नेहरू, श्री अरुण कुमार

नेताम, श्री अरविन्द

निहालसिंहवाला, श्री जो० एस०

नुरुल इस्लाम, श्री

उरांव, श्रीमती सुमति

पांडे, श्री कृष्णचन्द्र

पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि

पनिका, श्री राम प्यारे

पराशर, प्रो० नारायण चन्द

पारधी, श्री केशवराव

परमार, श्री हीरालाल आर०

पार्थ सारथी, श्री पी०

पटेल, श्री अहमद मोहम्मद

पटेल, श्री सी० डी०

पटेल, श्री मोहन लाल

पटेल, श्री शान्तुभाई

पाटिल, श्री ए० टी०

पाटिल, श्री बालासाहिब विखे

पाटिल, श्री चन्द्रभान आठरे

पाटिल, श्रीमती शालिनी

पाटिल, श्री शंकरराव

पाटिल, श्री उत्तमराव

पाटिल, श्री वीरेन्द्र

पाटिल, श्री विजय एन०

पटनायक, श्रीमती जयन्ती

पट्टाभिरामा राव, श्री एस० बी० पी०

पत्तु स्वामी, श्री डी०

पवार, श्री बालासाहिब

पेंचालैया, श्री पसाला

फुलबारिया, श्री विरदा राम

पाइलट, श्री राजेश

पुजारी, श्री जनार्दन

पोटदुखे, श्री शान्ताराम

प्रधानी, श्री के०

प्रसन्न कुमार, एस० एन०

पुलय्या, श्री दारूर

काजी सलीम, श्री

कादरी, श्री एस० टी०

राजू, श्री पी० वी० जी०

राम, श्री राम स्वरूप

रामलिंगम, श्री एन० कुदन्तई

राममूर्ति श्री, के०

रामुलु, श्री एच० जी०

रणवीर सिंह, श्री

रंगा, प्रो० एन० जी०

रणजीत सिंह, श्री

राव, श्रीमती बी० राधाबाई आनन्द

राव, श्री जगन्नाथ

राव, श्री जलगाम कोन्डाला

राव, श्री एम० नागेश्वर

राव, डा० एम० एस० संजीवी

राव, श्री एम० सत्यनारायण

राव, श्री पी० वी० नरसिंह

रथ, श्री रामचन्द्र

राठवा, श्री अमर सिंह

राठौर, श्री उत्तम

राउत, श्री भोला

रवाणी, श्री नवीन

रावत, श्री हरीश चन्द्र सिंह

रेड्डी, श्री जी० एस०

रेड्डी, श्री जी० नरसिम्हा

रेड्डी, श्री के० ब्रह्मानन्द

रेड्डी, श्री के० ओबुल

रेड्डी, श्री के० विजय भास्कर

रेड्डी, श्री एम० राम गोपाल

रेड्डी, श्री पी० बायपा

रेड्डी, श्री पी० वेंकट

रेड्डी, श्री टी० दामोदर

रिजक राम श्री

रौत, श्री जय नारायण

साही, श्रीमती कृष्णा

साहू, श्री नारायण

साहू, श्री शिव प्रसाद

सज्जन कुमार, श्री

समीनुद्दीन, श्री

संगमा, श्री पी० ए०

संखवार, श्री आशकरन

सारण, श्री दौलत राम

साठे, श्री वसन्त

सतीश प्रसाद सिंह, श्री

सत्यदेव सिंह, प्रो०

सावन्त, श्री टी० एम०

सेबस्तियन, श्री एस० ए० दोराई

सेन, श्री ए० के०

सेठी, श्री अर्जुन

सेठी, श्री पी० सी०

शैलानी, श्री चन्द्रपाल

शक्तावत, प्रो० निर्मला कुमारी

शाक्य, श्री दयाराम

शाक्य, श्री रामसिंह

शक्यवार, श्री नाथूराम

शमन्ना, श्री टी० आर०

शंकरानन्द, श्री बी०

शनमुगम, श्री पी०

शर्मा, श्री चिरंजी लाल

शर्मा, श्री कालीचरण

शर्मा, श्री नन्दकिशोर

शर्मा, श्री नवलकिशोर

शर्मा, श्री प्रताप भानु

शर्मा, डा० शंकरदयाल

शास्त्री, श्री धर्मदास

शास्त्री, श्री हरिकृष्ण

शिगडा, श्री डी० बी०

शिवशंकर, श्री पी०

शिवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री

शुक्ल, श्री विद्याचरण

सिदनाल, श्री एस० बी०

सिंगारावाडीवेल, श्री एस०

सिंह, श्री सी० पी० एन०

सिंह, श्री ग्रमंगज

सिंह, कुमारी पुष्पा देवी

सिंह, देव, श्री के० पी०

सिन्हा, श्रीमती रामदुलारी

सोलंकी, श्री बाबू लाल

सोरन, श्री हरिहर

सुन्दरराजन, श्री एन०

स्पैरो, श्री आर० एस०

श्रीनिवास प्रसाद, श्री बी०

स्टीफन, श्री सी० एम०

सुन्बा, श्री पी० एम०

सुब्बुरमण श्री ए० जी०

सुखबन्स कौर, श्रीमती

सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त

सुन्दर सिंह, श्री

सूर्यवन्शी, श्री नरसिंह

स्वामी, श्री के० ए०

स्वामीनाथन, श्री आर० बी०

स्वामीनाथन, श्री वी० एन०

स्वामी, डा० सुब्रह्मण्यम

टन्डन, श्री प्रभुनारायण

तपेश्वर सिंह, श्री

तेयर्येंग, श्री सोबेंग

तिवारी, श्री कृष्ण प्रकाश

तिवारी, प्रो० के० के०

थोरट, श्री भाउ साहिब

थुगोन, श्री के० पी०

तिवारी, श्री चन्द्रभाल मणि

तिवारी, श्री राम गोपाल

त्रिपाठी, श्री कमलापति

त्रिपाठी, श्री राम नारायण

टुडु, श्री मनमोहन

टाईटलर, श्री जगदीश

उइके, श्री छोटे लाल

वैराले, श्री मधुसूदन

वर्मा, श्री जय राम

वेलु, श्री ए० एम०

वेंकटसुब्बय्या, श्री पी०

वर्मा, श्री दीन बन्धु

वर्मा, श्री फूलचन्द

वर्मा, श्रीमती ऊषा

विजयराघवन, श्री वी० एस०

व्यास, श्री गिरधारी लाल

वाघ, डा० प्रताप

वासनिक, श्री बालकृष्ण रामचन्द्र

यादव, श्री डी० पी०

यादव, श्री आर० एन०

यादव, श्री राम सिंह

यादव, श्री सुभाष चन्द्र

याजदानी, डा० गोलम

जैनल बशर, श्री

विपक्ष में

मत—विभाजन संख्या : 14

आचार्य, श्री बसुदेव

अग्रवाल, श्री सतीश

बर्मन, श्री पलाश

बरोट, श्री मगनभाई

बसु, श्री चित्त

भीम सिंह, श्री

विश्वास, श्री अजय

चक्रवर्ती, श्री सत्यसाधन

चतुर्भुज, श्री

चौधरी, श्री मोतीभाई, अर०

चौबे, श्री नारायण

चौधरी, श्री सैफुद्दीन

दंडवते, प्रो० मधु

दंडवते, श्रीमती प्रमिला

दत्त, श्री अमल

दंडपाणि, श्री सी० टी०

दिगम्बर सिंह, श्री

ईरा मोहन, श्री

गंगवार, श्री हरीश

घोष, गोस्वामी, श्रीमती विभा

गिरि, श्री सुधीर

गोपालन, श्रीमती सुशीला

गुप्त, श्री इन्द्रजीत

हाल्दर, श्री कृष्ण चन्द्र

हन्नान मोल्लाह, श्री

हरिकेश बहादुर, श्री

होरो, श्री एन० ई०

कंडास्वामी, श्री एम०

कुलनदईवेलु, डा० वी०

लारेंस, श्री एम० एम०

महाटा, श्री चित्त

मैत्रा, श्री सुनील

मन्डल, श्री सनत कुमार

मसुदल हुसैन, श्री सैयद

मायातेवर, श्री के०

मेहता, प्रो० अजित कुमार

मिर्धा, श्री नाथूराम

मुखर्जी, श्री समर

नगनगोम मोहेन्दा, श्री

निहाल सिंह, श्री

पासवान, श्री राम विलास

पाठक, श्री आनन्द

पाटिल; श्री जगन्नाथ

राय, श्री एम० रामन्ना

राजन, श्री के० ए०

राम किंकर, श्री

रियान, श्री बाजू बन

राय, श्री ए० के०

राय, डा० सरदीश

राय प्रधान, श्री अमर

साहा, श्री अजित कुमार

साहा, श्री गदाधर

सेन, श्री सुबोध

शास्त्री, श्री रामावतार

शेजवलकर, श्री एन० के०

सिन्हा, श्री धर्मवीर

सिन्हा, श्री निर्मल

सिंह, श्री पीताम्बर

सोज, प्रो० सैफुद्दीन

सूरज भान, श्री

तिरकी, श्री पीयूष

उन्नीकृष्ण, श्री के० पी०

वर्मा, श्री रवीन्द्र

वर्मा, श्री फूलचन्द

वर्मा, श्री रीतलाल प्रसाद

यादव, श्री चन्द्रजीत

यादव, श्री राजेन्द्र प्रसाद

यादव, श्री विजय कुमार

जायनल अबेदिन, श्री

अध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्याधीन, मत-विभाजन का परिणाम * इस प्रकार है :

पक्ष में : 326

विपक्ष में : 69

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ। विधेयक यथासंशोधित संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबन्धों के अनुसार अपेक्षित बहुमत द्वारा पारित किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

———————

* निम्नलिखित सदस्यों ने भी अपना मतदान किया :—

पक्ष में : सर्व श्री एच० के० एल० भगत, हरिनाथ मिश्र, सी० के० जाफर शरीफ, रामायण राय, अनवार अहमद, रामेश्वर नीखरा और नाथूराम शक्यवार,

विपक्ष में : श्री सोमनाथ चटर्जी।

5.10 म० प०

संविधान (51वां संशोधन) विधेयक

गृह मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : महोद मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

इस समय संविधान की छठी अनुसूची आसाम, मेघालय और मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों पर, ये लागू होती है। मूलत: अविभाजित आसाम के भाग थे छठी अनुसूची के अन्तर्गत इन क्षेत्रों में स्वशासी जिला परिषदें कार्य कर रही हैं। इन क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक विकास के एक मुख्य माध्यम होने के अलावा जिला परिषदों ने जनजाति के लोगों में आत्मविश्वास और स्वावलंबन की भावना का निर्माण किया है।

त्रिपुरा में राज्य के एक अधिनियम, अर्थात त्रिपुरा जनजाति क्षेत्र स्वशासी जिला परिषद अधिनियम, 1979 के अधीन गठित स्वशासी जिला परिषद जनवरी, 1982 से कार्यरत है। इसके अंतर्गत 7132.56 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र आता है जोकि राज्य के कुल क्षेत्र का 68:1 प्रतिशत है। इस परिषद के अन्तर्गत 6,26,173 आबादी आती है जिसमें जनजाति की 4,46,049 है। त्रिपुरा विधान सभा ने मार्च, 1982 में और फरवरी, 1983 में संकल्प पारित किए जिनमें केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया गया कि वह संविधान की छठी अनुसूची के उपबन्धों को त्रिपुरा राज्य के जनजाति क्षेत्रों पर लागू करे। राज्य सरकार ने इस प्रयोजन से संविधान में संशोधन की सिफारिश की है। उनका प्रस्ताव है कि छठी अनुसूची के अन्तर्गत प्रस्तावित जिला परिषद के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र से संलग्न हों।

विधेयक का उद्देश्य त्रिपुरा संवैधानिक क्षेत्राधिकार में स्वशासी जिला परिषद की व्यवस्था करके जनजाति समुदाय की आकांक्षाओं को पूरा करना है। प्रस्तावित संशोधन के अधीन त्रिपुरा में छठी अनुसूची के अन्तर्गत आने वाला क्षेत्र त्रिपुरा जनजाति क्षेत्र जिला कहलाएगा जो त्रिपुरा जनजाति क्षेत्र स्वशासी जिला परिषद अधिनियम, 1979 के अधीन निर्दिष्ट जनजाति क्षेत्र के साथ संलग्न होगा।

पिछले तीन दशकों से जनजातियों की संख्या के शनैः शनैः घटने के साथ उनके अल्पसंख्यक बन जाने से और जनजाति भूमि के हस्तान्तरण को न रोकने से त्रिपुरा में असंतोष व्याप्त हो गया है संविधान की छठी अनुसूची के उपबन्धों के लागू होने के प्रस्ताव से आशा है कि स्वशासी जिला परिषद इन क्षेत्रों के द्रुत विकास में अपेक्षित गति प्रदान करेगी और जनजातियों द्वारा स्वशासन सुनिश्चित करेगी। जनजातियों के हित का संरक्षण करके विधेयक का उद्देश्य त्रिपुरा के धनी और समाज के अन्य वर्गों के बीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध कायम करने के लिए मार्ग प्रशस्त करना है।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक को सभा में विचार करने के लिए प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

*श्री अजय विश्वास (त्रिपुरा पश्चिम) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। परन्तु मैं यह महसूस करता हूं कि यह विधेयक बहुत पहले लाया जाना चाहिए था। मेरा विश्वास है कि जो यह विधेयक पेश किया गया है वह त्रिपुरा के 22 लाख बंगाली और जनजाति लोगों की उनके एक लम्बे संघर्ष में जीत के परिणाम स्वरूप लाया गया है। आज मुझे याद है कि 1974 में जब इस विधेयक के समर्थन में त्रिपुरा में त्रिपुरा राज्य गण मुक्ति परिषद और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्कसंवादी) के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आन्दोलन हुआ था, तब पुलिस ने गोलीबारी की थी और उसमें धनंजय त्रिपुरा मारे गए थे। अत: यह विधेयक बड़े रक्तपात और शहीदों के बलिदान स्वरूप संसद के समक्ष आया है। त्रिपुरा की जनता ने काफी समय से इस विधेयक के लिए बार-बार मांग की थी। इस विधेयक की मांग के सम्बन्ध में त्रिपुरा विधान सभा में दो बार संकल्प पास किये जा चुके हैं। राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से यह विधेयक पेश करने का निवेदन किया था। हम तीन संसद सदस्यों ने बंगालियों और जनजातियों के 1 लाख लोगों से हस्ताक्षर कराकर इस मांग के समर्थन में एक मांग प्रधानमन्त्री को प्रस्तुत की थी। इसके अलावा मैंने स्वयं इसी सभा में इसी विषय पर गत वर्ष एक गैर-सरकारी विधेयक पेश किया था। इसके अतिरिक्त हमने संसद में प्रश्नों के माध्यम से इस विधेयक को लाने की मांग की थी। हम यह पूछना चाहते हैं कि इस विधेयक के लाने में 37 वर्ष क्यों लगे ? त्रिपुरा के सभी लोगों बंगाली तथा जनजाति के लोगों ने बार-बार इस विधेयक की मांग की थी। इसके बावजूद कांग्रेस सरकार ने इसके लाने में इतना विलम्ब किया। मैं माननीय गृह मंत्री को बताना चाहता हूं कि कांग्रेसी नेताओं में उनके जनजाति विरोधी रुख के कारण यह विधेयक लाने में बड़ी हिचक थी। इसी कारण इसमें इतना अधिक विलम्ब हुआ है। जब त्रिपुरा के 22 लाख लोग त्रिपुरा में छठी अनुसूची लागू किए जाने के लिए आन्दोलन कर रहे थे तब राज्य कांग्रेस दल के अध्यक्ष ने इसके विरोध में एक वक्तव्य जारी किया। जब त्रिपुरा के जनजाति क्षेत्रों में संविधान की छठी अनुसूची के उपबंधों को लागू करने के बारे में भारत सरकार से अनुरोध किये जाने के सम्बन्ध में त्रिपुरा विधान सभा में 1983 में एक संकल्प पास किया गया तब कांग्रेस दल के सदस्यों ने इसका समर्थन नहीं किया और वे विधानसभा से बाहर चले गए थे। उन्होंने उस संकल्प पर होने वाले मतदान में भी भाग नहीं लिया था। वहां कांग्रेस दल की जनजाति विरोधी भूमिका के कारण इस विधेयक का विरोध हुआ था इसी कारण से इस विधेयक के लाने में इतना अधिक विलंब हुआ है।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के नेतृत्व वाले वामपंथी दल हृदय से जनजातियों का कल्याण और हित चाहते हैं। उनकी सच्ची भूमिका है। यह तो इस बात से ही सिद्ध हो जाता है कि 1978 में त्रिपुरा में वाम मोर्चा की सरकार के बाद इसने अवसर का लाभ उठाकर शीघ्र ही राज्य के एक अधिनियम के अधीन 1979 में त्रिपुरा जनजाति क्षेत्र स्वशासी जिला परिषद् का गठन किया। इस संविधान संशोधन के बिना त्रिपुरा की छठी अनुसूची के उपबंध को लागू करना संभव नहीं है। परन्तु वाम मोर्चे की सरकार ने त्रिपुरा के जनजातियों के कल्याण के लिए स्वशासी जिला परिषद का गठन किया। हमने 1980 में चुनावों की घोषणा की। 1980 के चुनावों में कांग्रेस ने "आमरा बंगाली", और "उपजाति युवा समिति" जैसे दलों के साथ सहयोग किया और उन्होंने मिल करके राज्य में चुनाव न कराये जाने के लिए दंगे कराये। परन्तु हम जनजातियों के कल्याण और विकास के लिए ईमानदारी के साथ कोशिश कर रहे हैं। हम उनके हितों का संरक्षण करते हैं। अत: कांग्रेस और इसके साथी दलों द्वारा कराये गए भीषण दंगों के बाद भी हमने चुनावों में भाग लिया और स्वशासी जिला परिषद की

*बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

स्थापना की। कांग्रेस ने त्रिपुरा राज्य में 31 वर्षों तक शासन किया परन्तु वह जनजातियों के लिए उनकी अपनी मातृभाषा में शिक्षा देना आरम्भ नहीं कर सकी। त्रिपुरा में वाम मोर्चा की सरकार के आते ही इसने जनजातियों की भाषा को राज्य की एक भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की। इतना ही नहीं, जनजातियों की भाषा का प्राथमिक शिक्षा स्तर पर प्रयोग हो रहा है। कांग्रेस ने त्रिपुरा में अपने 31 वर्षों के लम्बे शासन काल में जनजातियों के लिए किसी पद आरक्षण कोटा की व्यवस्था नहीं की। केवल त्रिपुरा में ही नहीं, अपितु समूचे पूर्वोत्तर क्षेत्र में जनजातियों की हमेशा से उपेक्षा होती आई है। यदि जनजाति लोग आज शेष देश से अपने को पराया समझते हैं और यदि वे अपने आपको शोषित और उपेक्षित समझते हैं तो इसके लिए केवल कांग्रेस ज़िम्मेदार है। हमने देखा है कि कांग्रेसी शासन के दौरान हजारों जनजाति लोगों की जमीनें चली गईं। एक कानून के अधीन जनजाति लोगों को अपनी जमीन बेचने के लिए अनुमति लेनी होगी। मैं गृह मन्त्री से पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस शासन के दौरान इतनी अधिक संख्या में जनजाति के लोगों की जमीन क्यों चली गई और उनकी जमीन बचाई क्यों नहीं जा सकी? वाममोर्चा की सरकार ने एक विधान बनाया है जिससे जनजाति के लोगों को उनकी जमीन से वंचित न किया जा सके। हमने भी ऐसे कदम उठाये हैं, ताकि उनकी छीनी गई जमीन उन्हें फिर वापस दिलाई जा सके। अब ऐसा एक भी मामला नजर नहीं आ सकता कि जनजाति के लोगों को उनकी जमीन से वंचित किया गया हो। इससे यह सिद्ध होता है कि 31 वर्षों का कांग्रेसी शासन वास्तव में जनजाति विरोधी शासन था। इस स्थिति को बदलने और जनजातियों के हितों का संरक्षण करने के लिए वाममोर्चा की सरकार गत 6 या 7 वर्षों से संघर्ष कर रही है। मुझे विश्वास है कि यह विधेयक जनजातियों और आदिवासियों, आदि में एकता लाने लिए जारी संघर्ष के परिणामस्वरूप आया है। इस विधेयक से एकता के संघर्ष को और बल मिलेगा। मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि इस विधेयक के लाने में इतने अधिक, विलम्ब का कारण यह है कि कांग्रेस दल की हर काम में राजनीतिक चाल है और वह हर बात से राजनीतिक लाभ उठाना चाहता है।

आज त्रिपुरा में कांग्रेस ने "उपजाति युवा समिति" के साथ गठजोड़ किया है। यह एक सशस्त्र भूमिगत उग्रवादी संगठन है जो भोले भाले जनजातियों और अन्य लोगों की हत्या कर रहा है। कांग्रेस ने इस उग्रवादी संगठन से गठजोड़ किया है और वह इससे मिलकर त्रिपुरा में मैत्रीपूर्ण और शान्तिप्रिय बंगाली और जनजातीय वातावरण को नष्ट करने का षड्यंत्र कर रहा है। मैं गृह मन्त्री से पूछना चाहता हूं कि क्या त्रिपुरा कांग्रस के अध्यक्ष ने कोई ऐसा वक्तव्य जारी किया है जिसमें त्रिपुरा में ऐसे उग्रवादी और आंतकवादी संगठनों द्वारा जनजातियों और आदिवासियों की हत्या की निन्दा की गई हो जिनका उद्देश्य राज्य के शांतिपूर्ण वातावरण बिगाड़ने का है? उग्रवादियों की ऐसी गतिविधियों के विरुद्ध एक भी बयान जारी नहीं किया गया है। इससे सिद्ध होता है कि कांग्रेस, "आमरा बंगाली," और "उपजाति युवा समिति" सभी एक हो गए हैं और उनका आपस में गठबंधन हो गया है। गत सभा में मैंने एक प्रश्न पूछा था। उसके उत्तर में मन्त्री जी ने कहा था कि त्रिपुरा पर छठी अनूसूची को लागू करने की जरूरत नहीं है क्योंकि त्रिपुरा की वामपंथी मोर्चा सरकार ने जो 'शासी जिला परिषद' बनाई है उसे छठी अनुसूची द्वारा पर्याप्त शक्तियों दी जा चुकी है। उस समय भी छठी अनुसूची को त्रिपुरा पर लागू करने का फैसला नहीं किया गया था। स्वशासी जिला परिषद जनजातीय विकास के लिए काम कर रही है और जनजाति के लोगों तथा दूसरे लोगों के बीच एकता कायम करने का प्रयास कर रही है। केवल विधेयक पास कर देना काफी नहीं होगा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार स्वशासी जिला परिषद को जनजातियों के विकास और उनकी गम्भीर समस्याओं के समाधान हेतु पर्याप्त धन उपलब्ध करेगी? वामपंथी मोर्चा सरकार ने स्वशासी जिला परिषद की कार्यकुशलता सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र से

धन की मांग की थी। किन्तु धन नहीं दिया गया। अच्छी बात है कि यह विधेयक पास किया जा रहा है और छठी अनुसूची को त्रिपुरा पर लागू करके स्वशासी जिला परिषद और भी मजबूत होगी। पर जब तक केन्द्र सरकार पर्याप्त और उदारता से धन नहीं देती तब तक स्वशासी जिला परिषद जनजातीय लोगों के विकास और उनकी आकांशाओं की पूर्ति की दिशा में कुशलता से काम नहीं कर पाएगी मैं पुनः इस विधेयक का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री गिरिधर गोमांगो (कोरापुट) : विपक्ष के एक सदस्य ने अभी अभी कहा है कि हमारा दल जनजाति-विरोधी है। मैं इस टिप्पणी से सहमत नहीं हूं क्योंकि केवल कांग्रेस सरकार ने ही अनजाति के लोगों को और जनजातीय क्षेत्रों को संवैधानिक दर्जा दिया है। 1978 में जनता सरकार संविधान के अनुच्छेद 338 में संशोधन करना चाहती थी। इस पर चर्चा भी हुई थी। पर जब मतदान हुआ तो क्या हुआ ? कांग्रेस पार्टी ने, जो विपक्ष में थी, इसका समर्थन किया। जनता पार्टी के सदस्य अनुपस्थित थे, जैसा कि कल हुआ। फलस्वरूप अनुच्छेद 338 के संशोधन सम्बन्धी विधेयक व्ययगत हो गया।

श्री ए० के० राय का आरोप था कि कांग्रेस सदस्यों के जनजाति विरोधी रवैये के कारण विधेयक पास नहीं हुआ। हम जनजाति-विरोधी नहीं है। दुर्भाग्य से कल अनजाने में कुछ हो गया। हमें जनजाति-विरोधी हरिजन-बिरोधी करार नहीं दिया जाना चाहिए। वस्तुतः जनजाति की समस्याओं से सभी चिन्तित हैं। अगर हम एक दूसरे पर रोपारोपण करते रहे तो हम बास्तविकता से हट जाएंगे। वास्तविकता यह है कि सरकार आदिवासियों और हरिजनों को हामी है।

यह एक सीमित विधेयक है और इसमें त्रिपुरा के कुछ इलाकों को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की व्यवस्था है। इस क्षेत्र के लिए एक स्वशासी जिला परिषद बनी हुई है। राज्य सरकार द्वारा बनाई गई। इस परिषद को सभी शक्तियां दी गई हैं पर आदिवासी क्षेत्रों की रक्षा और उसके प्रशासन के लिए इसके पास संवैधानिक शक्ति उपलब्ध नहीं है। इस विधेयक में मेघालय की भांति शक्ति प्रदान करने की व्यवस्था है त्रिपुरा को अभी तक छठी अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। अतः इस स्वशासी जिला परिषद को संवैधानिक शक्तियां प्रदान करनी होंगी। अगर राज्यपाल समझता है कि संसद का कोई अधिनियम या राज्यविधान मण्डल का कोई अधिनियम आदिवासी क्षेत्र में लागू नहीं है तो उसे पांचवी और छठी अनुसूचियों के अन्तर्गत लागू नहीं किया जाएगा।

माननीय सदस्य ने त्रिपुरा में जनजाति के लोगों की भूमि के हस्तांतरण का जिक्र किया। पांचवीं अनुसूची के अन्तर्गत आदिवासी लोगों की भूमि के हस्तांतरण को रोकने का प्रावधान है। पांचवीं और छठी अनुसूची में अन्तर यह है कि छठी अनुसूची के अन्तर्गत भूमि का स्वामित्व समुदाय का होता है और पांचवीं अनुसूची के अन्तर्गत मलकियत वैयक्तिक आदिवासी की होती है। अतः जनजातीय भूमि की हस्तान्तरण की बात छठी अनुसूची की अपेक्षा पांचवीं अनुसूची में आती है।

पहली बार आठवें वित्त आयोग ने आदिवासी क्षेत्रों और अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासनिक ढांचे को मजबूत बनाने की बात का अध्ययन किया है। अनुच्छेद 275(1) केवल जनजातीय क्षेत्र से सम्बद्ध है। इसका विवेचन इस प्रकार किया जाता है कि अपने क्षेत्र में आदिवासी इलाकों के प्रशासन का विकास करने के नाम पर सभी राज्य धन मांगते हैं। वे आदिवासी क्षेत्र विशेष के लिए धन नहीं मांगते। वे कहते हैं कि इतनी राशि दो। अतः आठवें वित्त आयोग ने विभिन्न क्षेत्रों के लिए सिफारिश की है। पर आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि एक राज्य ने जिसके कर्मचारियों के लिए सातवें वित्त आयोग ने

जनजाति क्षेत्र प्रतिपूरक भत्ता देने की सिफारिश की थी, वित्त आयोग ने जो अधिकतम राशि आबंटित की थी उसका इस प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया। आठवें वित्त आयोग ने भी उस राज्य के नाम का उल्लेख किया है। मैं उसका नाम नहीं लूंगा।

महोदया, मैं उस आदिवासी क्षेत्र का हूं जो पांचवीं अनुसूची में आता है। आदिवासियों की समस्या का पता लगाने हेतु मैंने सभी पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। मैंने पाया कि इन क्षेत्रों और हमारे इलाकों की समस्याएं कई मामलों में भिन्न-भिन्न हैं उनके अपने कानून, शक्तियां और स्वायत्तता हैं, जिनसे वे प्रशासन चलाते है। मेरा सुझाव है कि इन उपबन्धों को पांचवीं अनुसूची में आने वाले इलाकों पर भी लागू किया जाए। संविधान सभा ने यह अधिकार अविभाजित असम राज्य को दिया था। पर अब यह विभाजित हो गया है। अब यह इसका दावा कर सकते हैं। अत: राज्यवार आबंटन पर विचार करते समय, उन्हें भी उसका हिस्सा दिया जाना चाहिए। हमें अपने आदिवासी इलाकों के लिए, जहां अधिकांश आदिवासी लोग रह रहे हैं, राज्य से और विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों से पर्याप्त धनराशि नहीं मिल रही है। उप-योजना पूर्वोत्तर क्षेत्र को छोड़कर सभी आदिवासी इलाकों पर लागू होती है, क्योंकि उनकी अलग राज्य योजनाएं हैं। पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में भी आदिवासी उपयोजनाएं हैं, पर उन्होंने आदिवासियों के विकास के लिए केन्द्र सरकार से धन नहीं लिया है। केन्द्र द्वारा दी जा रही धन राशि बढ़ती जा रही है। पर प्रश्न इसके उपयोग का है और यह राज्य प्रशासन का काम है। संविधान में कुछ क्षेत्र कुशल प्रशासन की दृष्टि से विनिर्दिष्ट हैं।

हमारे विपक्षी भाई कहते हैं कि सरकार ने आदिवासियों के लिए कुछ नहीं किया है और हम आदिवासी-विरोधी हैं। हमने अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए आरक्षण सुविधा को 1980 में और आगे बढ़ाया। अत: हमें इनका विरोधी बताना अनुचित है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लिए संवैधानिक उपबन्ध कांग्रेस पार्टी ने किए, उन्हें संवैधानिक अधिकार दिए, उनके लिए न केवल राजनीतिक आरक्षण किया अपितु सेवाओं में भी आरक्षण किया। उनकी आर्थिक उन्नति के लिए काम किया। हमारे दोस्तों को हमारा आभारी होना चाहिए कि इन जनजातीय इलाकों को छठी अनुसूची में शामिल किया जा रहा है। उन्हें सरकार के प्रति न्यायपूर्ण रवैया अपनाना चाहिए। इसकी बजाय वे कह रहे हैं कि सरकार ने आदिवासियों के लिए कुछ नहीं किया है और हम आदिवासी-विरोधी हैं। यह सच नहीं है।

लोकतन्त्र में सरकार द्वारा किए गए उपायों के बारे में भिन्न-भिन्न मत हो सकते हैं। मान लीजिए एक आदिवासी होने के नाते मैं कहता हूं कि हमारी उपेक्षा की गई है। किस क्षेत्र में हमारी उपेक्षा हुई ?

एक माननीय सदस्य : सभी मामलों में।

श्री गिरिधर गोमांगो : हमारी सभी मामलों में उपेक्षा नहीं हुई है। आदिवासी क्षेत्रों में जो अधिकारी हैं वे आदिवासियों की उपेक्षा करते हैं। हमें दोष क्यों देते हैं ? प्रो० सत्यसाधन चक्रवर्ती लोक-तन्त्र पर प्रहार की बात कर रहे थे। उसे बचाने की बात कर रहे थे। लोकतन्त्र को बचाने के लिए कुछ हथियार होते हैं। पहला है तर्क ; दूसरा है शब्द और तीसरी है लेखनी। तर्क के लिए वितर्क किया जा सकता है। पर जब तक कोई फैसला नहीं हो जाता तर्क-वितर्क चलता रहेगा। जब तक हमारी अभिव्यक्ति को अहमियत नहीं दी जाती, उसका मूल्य नहीं समझा जाता तब तक कोई अन्तिम फैसला नहीं हो सकता।

लेखनी की शक्ति है, एक बार हस्ताक्षर करने के बाद आप उससे इन्कार नहीं कर सकते, चाहें वह सही हो या गलत। ये ही वे हथियार हैं जिनसे हमें लोकतन्त्र की रक्षा करनी है, गोला बारूद, तलवार और बन्दूक से नहीं।

इनका कहना है कि भारत में लोकतन्त्र असफल हो गया है। लोकतन्त्र यहां असफल नहीं हुआ है। जो लोग लोकतन्त्र को बचाने का दावा करते हैं, वे इस प्रणाली के उद्देश्य और इष्ट को समझने में असमर्थ हैं।

इन शब्दों के साथ में विधेयक का तहेदिल से समर्थन करता हूं, क्योंकि इससे आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा होगी।

श्री राजेश कुमार सिंह : (फिरोजाबाद) : सभापति महोदय, जब लैफ्ट फ्रण्ट की सरकार त्रिपुरा में पावर में आई, तो वहां की विधान सभा ने एक प्रस्ताव पास किया कि संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधानों को त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों पर भी लागू किया जाए, ताकि वहां के आदिवासियों के हितों की सुरक्षा की जा सके, उनको शोषण से बचाया जा सके और उन्हें स्वशासन के अधिक से अधिक अवसर मिल सकें। उसी प्रस्ताव के अनुसार यह संविधान (संशोधन) विधेयक लाया गया है।

मैं इस बिल का समर्थन करता हूं, लेकिन चन्द सवाल मेरे सामने आ गए हैं। पहली बात तो यह है कि सरकार को एकाएक यह बिल लाने की आवश्यकता क्यों पड़ गई। यदि सरकार की मंशा सही थी, तो उसे यह बिल बहुत पहले लाना चाहिए था। ऐसा लगता है कि सरकार आने वाले चुनावों को दृष्टि में रख कर यह बिल लाई है।

केन्द्र की सत्तारूढ़ पार्टी ने पीछे त्रिपुरा उपजाति युवा समिति के साथ मिल कर पंचायतों के चुनाव लड़े थे। मुझे लगता है कि इस बिल का मकसद सिर्फ ट्राइबल्ज में सत्तारूढ़ पार्टी के प्रति सहानुभूति पैदा करना और चुनावों में उसका उपयोग करना है। अगर यह बिल वास्तव में ट्राइबल्ज के हितों की रक्षा के लिए लाया गया है, तो यह एक सही कदम है। लेकिन अगर त्रिपुरा उपजाति युवा समिति के साथ मिलकर अगले चुनावों के लिए भूमिका बनाने की बात है, तो यह ठीक नहीं होगा। त्रिपुरा उपजाति युवा समिति वहां ट्राइबल और नान-ट्राइबल लोगों में भेद करती है और उसने यह नारा दिया है कि जो लोग 19 '9 से त्रिपुरा में आए हैं, उन्हें त्रिपुरा छोड़ देना चाहिए। यदि सरकार का उद्देश्य इस आन्दोलन को गति प्रदान करना और इस मकसद को कामयाब करना है, तो उसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे।

आज-कल सरकार द्वारा रोजाना कांस्टीट्यूशन में संशोधन करने के लिए बिल लाए जा रहे हैं। 47वां, 48वां, 50वां, 51वां और 52वां संशोधन एक के बाद एक हमारे सामने आ रहे हैं। दिमाग में प्रश्न पैदा होता है कि इसके पीछे सरकार का उद्देश्य क्या है। मुझे तो ये चुनावी संशोधन मालूम पड़ते हैं।

यदि सरकार ट्राइबल्ज के इन्ट्रेस्ट्स की हिफाजत करना चाहती है, तो उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ट्राइबल्ज और नान-ट्राइबल्ज में फर्क न किया जाए और उन दोनों में एकता और सामंजस्य की भावना पैदा की जाए। यह कानून सही हो सकती है, लेकिन सरकार को उस पर ठीक तरह से अमल करना चाहिए और उसे त्रिपुरा उप जाति युवा समिति के हाथों में नहीं खेलना चाहिए। त्रिपुरा की वामपन्थी सरकार ने जिस मकसद से यह संशोधन करने के लिए आग्रह किया है, उसको पूरा

करने की कोशिश करनी चाहिए और इसको एक चुनावी मुद्दा न बना कर सही मानों में जन-जातियों की भलाई के लिए प्रयास करना चाहिए।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : सभापति महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। जब इस बिल को सभी पक्षों का समर्थन मिल रहा है, तो सरकार की यह जवाबदेही है कि त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, बिहार में छोटा नागपुर आदि सभी क्षेत्रों में आदिवासियों का जो जबर्दस्त शोषण हो रहा है, उसको रोकने के लिए वह प्रभावी कदम उठाए। आज कहा जाता है कि विदेशी ताकतें आदिवासियों के बीच काम कर रही हैं और मिशनरी उन लोगों में घुस गए हैं। इसका कारण यह है कि हमने आदिवासियों के दिलों में आत्मीयता और एकता की भावना पैदा नहीं की और उनके विकास के लिए बनाए गए कानूनों का लाभ उन्हें नहीं मिल पाता है और इसका फायदा दूसरे तत्व उठाते हैं।

सरकार को कांस्टीट्यूशन में एमेंडमेंट करने के साथ-साथ दो तीन काम करने चाहिए। एक तो उसे ट्राइबल लोगों को अधिक से अधिक आटोनोमी देनी चाहिए। जो उनका कल्चर है, लैंग्वेज है सरकार को उसको प्रोटेक्शन देना चाहिए और जो सबसे बड़ी बात है वह यह कि जो उनकी जमीनें हैं उसकी रक्षा होनी चाहिए जिसके लिए हम लोग गए थे और हमारे साथ उस वक्त के काफी सदस्य थे, 15 दिन तक हम लोग त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में थे, हम लोगों ने देखा था कि वहां आदिवासियों की संख्या बहुत अधिक है। वह अपनी संस्कृति को प्रिजर्व करके रखे हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद कभी प्रशासन के द्वारा और दूसरे तत्वों के द्वारा उनकी संस्कृति, उनकी लैंग्वेज और उनकी जमीन को तोड़ने और छीनने की बात की जा रही है।

चूंकि इस बिल का सब तरफ से समर्थन किया गया है, मैं भी उसमें योगदान करता हूं और मैं भी समर्थन करता हूं और सरकार से मांग करता हूं कि जो हरिजनों, आदिवासियों और डाउन ट्रोडेन लोगों के वेलफेयर की बात है उसमें इधर के बैठने वाले हों या उधर के बैठने वाले हों किसी का विरोध नहीं है। विरोध सिर्फ इम्प्लीमेंट्शन में होता है। मैं चाहूंगा कि कड़ाई के साथ इसका इम्प्लीमेंटेशन आप करावें नहीं तो हमारे साथी ने ठीक कहा कि यह कांस्टीच्यूशन अमेंडमेंट सिर्फ इसलिए अगर लाए हैं लोगों को दिखाने के लिए कि हमने तुम्हारे अधिकार दे दिए हैं तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। फायदा तभी होगा जब उसको इम्पलीमेंट करने के लिए आपकी बिल पावर हो और उसके साथ-साथ जो आपका हाथ है, जो ऐडमिनिस्ट्रेशन है उसको भी चुस्त और दुरुस्त बनाकर रखें। नीति कितनी भी सुन्दर हो अगर अमल में लाने वाला हाथ मजबूत न हो, तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। कमजोर हाथ से तलवार नहीं चल सकती है। इसलिए हाथ भी मजबूत होना चाहिए। तलवार तो आप ले रहे हैं, साथ-साथ हाथ को भी मजबूत कीजिए, जो ऐडमिनिस्ट्रेशन है···

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : इस हाथ को मजबूत कीजिए।

श्री राम विलास पासवान : वह हाथ तो गया। वह हाथ नहीं, वह तो पंजा है।

मैं सरकार से इतना ही कहना चाहूंगा कि बिल पावर आप अपनी मजबूत रखिए और जब भी सदन में बोलिए तो निश्चित रूप से सदन को बतलाइए कि आदिवासियों के ऊपर जो भी अत्याचार होगा सरकार उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। पिछले चार सालों में जितने आदिवासियों की हत्या हुई है वह रेकार्ड को पार कर गया है। अभी बिहार में जो हुआ वह आपको मालूम है। मैं उसमें जाना नहीं

चाहता हूं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि आदिवासियों के चहुमुखी विकास के लिए ठोस कदम उठाइए और आवश्यकता पड़े तो जो लोग उनके हकों को छीन रहे हैं, उनकी लाइफ और प्रोपर्टी के साथ खेल रहे हैं उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्यवाही कीजिए।

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : सभापति महोदय, हाथी के दांत खाने के और होते हैं और दिखाने के और होते हैं। आप लोगों ने जो बात कही है, एक बात सोचिए कि त्रिपुरा के अन्दर कितने सालों से आप लोगों की सरकार है, उधर बैठने वालों की और यह बतलाइए कि कितने लोगों को आपने जाब्स दे दिए ? कितने लोगों को सेवाएं दे दीं, कितनों को एजूकेशन दे दिया, कितने ट्राइबल्स को आप ऊपर ले आए। आपको मालूम है कि यह तो इस सरकार ने जो कदम उठाया है, कांग्रेस सरकार ने, उसकी आप सराहना करने खड़े हुए हैं···(**व्यवधान**)···आपकी वामपंथी सरकार होते हुए आपने उन लोगों को एक्सट्रीमिस्ट बनाया। आपके शोषण और दमन के कारण उन लोगों को यह रास्ता अपनाना पड़ा। आपने क्या किया ?···

श्री सुनील मैत्रा (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : वहां एक भी मैट्रिकुलेट आदिवासी अनइम्पलायड नहीं है।

श्री मूल चन्द डागा : आप चुप रहिए। आप लोगों ने आकर के और जो बंगला देश के लोग आए उन लोगों ने आकर के उनका शोषण किया, दमन किया और उनको आतंकवाद के रास्ते पर चलने को मजबूर किया···

श्री सुनील मैत्रा : हिन्दुस्तान का बंटवारा आप लोगों ने किया या हमने ?

श्री मूल चन्द डागा : आप अपना रेकार्ड बताइए कि आपकी सरकार के इतने दिनों तक होते हुए कितने आदिवासियों को जो रिजर्व्ड सीटें थीं उनमें आपने उनको जगह दी ? आपने कितनों का उद्धार किया ? जान बूझकर···(**व्यवधान**)···डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल बनाने के बाद शैड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोगों की सुरक्षा होगी। अपने खुद के चुने हुए लोग आयेंगे और आने के बाद अपना शासन खुद करेंगे। सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम उचित है···(**व्यवधान**)···आप तो वहां से आए हैं, आप चाहते हैं इस बिल का समर्थन करना, क्योंकि कांग्रेस इस बिल को लेकर आई है, इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस पर कीचड़ उछालने से या उसकी पगड़ी उतारने से पगड़ी नहीं उतरती है। जो काम··· (**व्यवधान**)···आप कौन से साल में रिजोल्यूशन लाए हैं और···(**व्यवधान**)···

श्री सैयद मसुदल हुसैन (मुर्शिदाबाद) : कांग्रेस लाई है, किस लिए लाई है ?

श्री मूलचन्द डागा : आप लोग समझिए। वहां के आदिवासियों की खबरों से सारे अखबार रंगे हुए हैं।

श्री सैयद मसुदल हुसैन : कांग्रेस वाले लेकर आए हैं, लेकिन त्रिपुरा एसेम्बली में पास होकर आया है।

श्री मूल चन्द डागा : कांग्रेस जो कदम उठा रही है, वह आदिवासियों के हित में अच्छा कदम उठा रही है।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : दीदी, डागा जी बड़ा अच्छा बोलते हैं, लेकिन आज क्या गड़बड़ कर रहे हैं।

> "प्रत्येक स्वशासी जिले के लिए एक जिला परिषद् होगी जिसमें तीस से अधिक सदस्य नहीं होंगे। इनमें राज्यपाल द्वारा चार से अधिक व्यक्ति मनोनीत नहीं किए जाएंगे। शेष सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित किए जाएंगे।"

डिस्ट्रिक्ट कान्सिल होने के बाद आदिवासी लोगों का अपनी काउन्सिल में राज होगा और वे आगे बढ़ेंगे। हमारा ध्येय है कि आदिवासी, जनजाति, पिछड़े हुए लोगों को आगे बढ़ावें तथा योजनाओं के माध्यम से काम के लिए उनको आर्थिक सहायता देते हैं। आप यह बतलाइए, आप वहां इतने साल रहे आपने क्या किया ?

श्री नारायण चौबे : मैं बोलूंगा, क्या किया।

श्री मूलचन्द डागा : आपने आकर उनका शोषण और दमन किया। आपने आतंकवादियों को बनाने की कोशिश की।

श्री नारायण चौबे : आप आतंकवादियों से दोस्ती कर रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : आपने शोषण और दमन की प्रक्रिया अपना कर शैड्यूल्ड ट्राइब्स का दमन किया और उनकी जमीनों को छीना। आपने जमीनों से उनको बेदखल कर दिया। जमीन आपने छीन ली और उनको नौकर बनाकर रखा। इस प्रकार का आपका राज है।

श्री सैयद मसूदल हुसेन : आप यहां पर आदिवासियों के लिए बोलें, लेकिन वहां जाकर मत बोलिएगा।

श्री मूलचन्द डागा : कानून बनाने से उनकी सुरक्षा हो जाएगी और एक इंडिपेंडेंट बॉडी होगी, वह काम करेगी। सरकार द्वारा अच्छा काम हो रहा है, जिसकी सराहना हो रही है। आदिवासी लोगों ने कहा है कि सरकार जो कदम उठा रही है, वह अच्छा कदम उठा रही है, इसलिए आप उसकी सराहना कीजिए और अपने पापों का प्रायश्चित कीजिए।

श्री एन० गोजागिन (बाह्य मणि पुर) : महोदया, मैं भारत के संविधान की छठी अनुसूची के उपबन्धों को त्रिपुरा राज्य के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू करने वाले विधेयक का स्वागत करता हू क्योंकि इससे इस राज्य की पिछड़ी आदिवासी जनता को लाभ एवं राहत मिलेगी। एक बात यह है कि मैं आज स्वयं को अलग अलग हुआ पा रहा हूं। इस विधेयक के पुरःस्थापन से पहले मैं माननीय गृह मन्त्री जी से तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री से मिला था और उनसे अनुरोध किया था कि सरकारी संशोधन के माध्यम से मणिपुर पर्वतीय क्षेत्रों को भी इसमें सम्मिलित किया जाए। मुझे खेद है कि मैं उन्हें इस संबंध में आश्वस्त नहीं कर सका। गृह मन्त्री महोदय ने मुझे बताया कि वे इस सम्बन्ध में मणिपुर के मुख्य मन्त्री, जो उस समय दिल्ली की यात्रा करने वाले थे, से सलाह करेंगे। ये दोनों आपस में मिले और यह निर्णय किया कि मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्रों को इस समय इसमें सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। इसीलिए मैं आज यह कहता हूं कि मैं स्वयं को अलग थलग अनुभव करता हूं।

1971 में इस संसद ने मणिपुर (पर्वतीय क्षेत्र) जिला परिषद विधेयक पारित किया था। इस विधेयक पर राष्ट्रपति महोदय ने 26 दिसम्बर, 1971 को अपनी सहमति दी थी। यह संविधान की छठी अनुसूची के बिना था। यदि संविधान की छठी अनुसूची न हो तो जिला परिषद अप्रभावी हो जाती है। क्योंकि इस तरह उसे राज्य सरकार की दया पर निर्भर करना होगा। राज्य सरकार द्वारा इस तरह संचालित जिला परिषद अल्पसंख्यक आदिवासियों के हितों की रक्षा नहीं कर सकती। इसलिए मणिपुर पर्वतीय क्षेत्र के आदिवासियों को इस अधिनियम में दोषों के कारण कष्ट उठाने पड़ेंगे। संसद द्वारा 1971 में बनाया गया जिला परिषद अधिनियम मणिपुर की आदिवासी जनता की आवश्यकताओं अथवा आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं कर सकेगा।

महोदया, मैं आपको यहां यह बता देना चाहता हूं कि मणिपुर राज्य के भारतीय संघ में 15 अक्तूबर, 1949 को विलय से पहले मणिपुर के महाराजा ने एक विनियम बनाया हुआ था जिसे मणिपुर (पर्वतीय क्षेत्र) विनियम अधिनियम, 1947 के नाम से जाना जाता था। तब से मणिपुर पर्वतीय क्षेत्र में, जिसमें राज्य की 32 प्रतिशत जनसंख्या रहती है, विशेष प्रशासन होता था। उस आधार पर, हमने जिला परिषद की मांग की थी। 1971 में कोई राज्य सरकार नहीं थी। उस समय माननीय सदस्य, श्री यशवन्त राव चव्हाण गृह मन्त्री थे और श्री कृष्ण चन्द्र पन्त गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री थे। जैसाकि मैंने अभी बताया है, उन्होंने 1971 के अधिनियम के अन्तर्गत इस जिला परिषद की स्थापना की थी। हमें इसका कटु अनुभव है। हम अब तक आदिवासियों की समुचित सुरक्षा की व्यवस्था नहीं कर पाए हैं। इसीलिए, मैंने वर्तमान गृह मन्त्री महोदय से अनुरोध किया था कि मणिपुर (पर्वतीय क्षेत्र) को इस विधेयक में सम्मिलित कर लिया जाए ताकि संविधान की छठी अनुसूची के माध्यम से दी गई सुविधाएं हमें भी मिल सके।

महोदया, अनुच्छेद 371 (ग) के अन्तर्गत, मणिपुर विधान सभा की एक पर्वतीय क्षेत्र समिति की स्थापना की गई थी। मणिपुर विधान सभा की पर्वतीय क्षेत्र समिति ने संकल्प पारित कर भारत के संविधान की छठी अनुसूची के उपबन्धों को मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्रों पर लागू करने के लिए दो बार संकल्प पारित किए किन्तु इस पर कार्यवाही करने के लिए राज्य विधान मंडल अथवा राज्य सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। दूसरी ओर, मणिपुर पर्वतीय क्षेत्र की सभी जिला परिषदों के अध्यक्षों ने दो वर्ष पहले भारत सरकार, प्रधान मन्त्री तथा गृह मन्त्री महोदय को ज्ञापन दिए थे। यह सभी रिकाई में हैं। व्यावहारिक दृष्टि से मैं यह समझने में असमर्थ रहा हूं कि इस स्तर पर माननीय गृह मन्त्री की उन पर नजर क्यों नहीं पड़ी। यहां तक कि साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) की त्रिपुरा सरकार ने भी सिफारिश की थी कि भारत संविधान की छठी अनुसूची को वहां की आदिवासी जनसंख्या के हित साधन में त्रिपुरा की जिला परिषद पर लागू किया जाए। किन्तु, मणिपुर की कांग्रेस सरकार इसकी सिफारिश क्यों नहीं कर सकी ? मैं कहता हूं कि यह सरासर अन्याय है। जब जिला परिषद अधिनियम, 1971 पारित किया गया था, मणिपुर में लोकप्रिय सरकार नहीं थी। उस समय तत्कालीन गृह मन्त्री महोदय ने इस बात पर जोर नहीं दिया था कि राज्य सरकार को इस सम्बन्ध में सिफारिश करनी चाहिए और इतने समय के लिए प्रतीक्षा की जानी चाहिए।

महोदया, इसलिए मेरी मांग, मेरा अनुरोध यह है कि मणिपुर की पर्वतीय क्षेत्र जिला परिषदों को मेघालय, असम, मिजोरम और अब त्रिपुरा जैसे राज्यों की तरह छठी अनुसूची के लाभ प्रदान किए जाएं। हम अन्य सभी पूर्वोत्तर राज्यों की तरह ही इस क्षेत्र में रहते हैं और कमोवेश रूप में हमारी संस्कृति एवं परम्पराएं भी समान हैं। अतः हमें इस प्रकार अलग क्यों रखा जा रहा है ? जब तक हमें

इस तरह से अलग रखा जाएगा और हमारी उपेक्षा की जाएगी, भारत सरकार के आर्थिक एवं विकास कार्यक्रम कैसे भी क्यों न हों, उनका सही कार्यान्वयन नहीं किया जा सकेगा क्योंकि यह जनता की अकांक्षाओं के अनुरूप नहीं होंगे।

इस विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के कथन में गृह मन्त्री महोदय ने बताया है कि इस विधेयक के माध्यम से त्रिपुरा में वर्तमान परिषद को संवैधानिक रूप दिया जाएगा और यह आशा है कि यह परिषद आदिवासी क्षेत्र का तीव्र विकास तथा आदिवासियों द्वारा स्वशासन सुनिश्चित करेगी। इस प्रकार की संवैधानिक स्वीकृति इस क्षेत्र की अन्य आदिवासी जनसंख्या की क्यों नहीं दी जा रही? मैं गृह मन्त्री महोदय से पुरजोर अपील करता हूं कि वे इस बात पर भी ध्यान दे और इस सम्बन्ध में यथाशीघ्र एक विधेयक प्रस्तुत करें। यह मेरा अनुरोध है।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि जब मैं त्रिपुरा में भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) की सरकार की प्रशंसा करने जा रहा था तो कुछ विपक्षी सदस्यों ने यहां कांग्रेस (इ) दल की आलोचना की। इस प्रकार की आलोचना से मुझे कष्ट होता है। मैं यह चाहता हूं कि वे यह बात याद रखें कि यह कांग्रेस दल की ही सरकार है जो संविधान के इन विशेष उपबन्धों को त्रिपुरा की आदिवासी जनता पर लागू कर रही है। उन्हें यह बात जाननी चाहिए। और उन्हें सत्तारूढ़ दल के प्रति अकृतज्ञ नहीं होना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा): सभापति महोदय, संविधान का जो 51वां संशोधन विधेयक यहां प्रस्तुत है, उसका मैं समर्थन करता हूं और इस सन्दर्भ में मैं यह कहना चाहूंगा कि आज आप जो इस विधेयक को लाए हैं, इसे आपको सन 1982 में ही लाना चाहिए था क्योंकि मार्च, 1982 में त्रिपुरा सरकार ने संकल्प पारित करके सरकार से निवेदन किया था और फिर 1983 में किया और अब 1984 में यह आ रहा है। ऐसा लगता है कि विगत चुनावों में जो जनजातियों और उप-जाति परिषद के लोगों से तालमेल हुआ, उसके दबाव में आप यह संशोधन विधेयक अब लाए हैं। अगर आप उन जन-जातियों, आदिवासियों और आदम-जातियों की भलाई तहे-दिल से चाहते तो पहले ही आप यह बिल लाते।

37 वर्षों की आजादी के बावजूद, आज सारे देश में आदिवासियों और जनजातियों के लोगों की जो स्थिति है, वह बद से बदतर हो रही है और आज उन्हें समानता के आधार पर न्याय समाज के विकासशील कदमों के साथ नहीं मिल रहा है और आज भी वे तीर-धनुष लेकर चल रहे हैं और जंगलों में रह रहे हैं और झोंपड़ियों में रह रहे हैं। उनके सर्वांगीण विकास को अभी तक नजरांदाज किया गया है और सरकार की ओर से उनके लिए उचित राशि का प्रावधान नहीं किया गया और उचित अनुदान

6.00 म० प०

नहीं दिया गया। जिस कारण से आज सर्वत्र चर्चा होती है, लड़ाइयां और मार-धाड़ भी हो रहे हैं। आज बिहार में कोलाहन राष्ट्र की मांग की जा रही है। छोटा नागपुर और संथाल परगना में करीब साठ लाख आदिवासी हैं, जिनका सर्वांगीण विकास नहीं हुआ है। यही कारण है कि उन लोगों की जो

आर्थिक उन्नति होनी चाहिए थी, वह नहीं हो पाई। इतने वर्षों की आजादी के बाद जो उनका विकास हमारे समाज के अन्य लोगों के साथ-साथ होना चाहिए था, वह क्यों नहीं हुआ? संविधान में यह प्रस्तावना है कि समानता और भाईचारे की भावना होनी चाहिए। लेकिन, उन्हें उचित अवसर नहीं दिया गया। यही कारण है कि मिजोरम में भी लड़ाई होती है। अभी एक माननीय सदस्य ने मणिपुर की समस्या के बारे में बताया। इसी तरह नागालैंड तथा दूसरे प्रांतों में भी आदिवासियों की घोर उपेक्षा हुई है। उसी का परिणाम है कि सर्वत्र लड़ाइयां चल रही हैं। तीर-धनुष निकालकर उनकी स्थिति बदल देते और उनके रहन-सहन की स्थिति में परिवर्तन कर देते तो आज इस तरह की परिस्थिति नहीं होती। त्रिपुरा के लाखों लोगों के लिए एक कानून बनाया था "त्रिपुरा जन-जातीय क्षेत्र स्वशासी जिला परिषद"। 1979 से वह चल रहा था, लेकिन आज तक क्या हुआ? जब तक छठी अनुसूची के उपबन्धों का लाभ नहीं मिलता तब तक सर्वांगीण विकास का आधार उनको नहीं मिल पायेगा। उनको शिक्षा, उद्योग और अन्य आधुनिकतम व्यवस्था प्राप्त करने के लिए उचित राशि मिलनी चाहिए थी, वह आपने दी है। इसलिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। जो भी रचनात्मक काम होता है, समाज के सभी कमजोर वर्गों और आदिवासियों तथा हरिजनों के लिए, अगर निष्पक्ष भाव से कोई बिल आता है तो सभी दलों को चाहिए कि उसे पास करे। राजनैतिक उद्देश्यों से प्रेरित होकर जब आप करते हैं कुर्सी को बचाने के लिए और कभी इसे तुष्टिकरण की नीति बनाया जाता है तभी विरोधी दलों की लड़ाई शुरू होती है और असहयोग की भावना पैदा होती है। जब तक यह चलता रहेगा तब तक यह टकराहट होगी। संविधान के अनुसार परिश्रम एक हिस्सा है और इस हिस्से को देने के लिए आप ईमानदारी से कार्य करें तो आपसे किसी के टकराहट होने की सम्भावना नहीं होगी। इसी दृष्टिकोण से आपको विचार करना होगा। केवल यह नहीं कि मेघालय के बाद त्रिपुरा ही जोड़ दिया जाए बल्कि जैसा कि अभी एक मित्र ने कहा, मणिपुर को भी जोड़ना चाहिए। मेरे विचार में नागालैंड क्या है।** वहां पर विकास के लिए बाहर से पैसे आते हैं।

सभापति महोदया : ऐसी बात नहीं है।

श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा : ऐसा क्यों हो रहा है? सभी जगह के आदिवासियों की समस्याओं के लिए तहेदिल से विचार करें और योजनाबद्ध तरीके से टाइम बाउण्ड प्रोग्राम देकर डवलपमेंट कराया जाए।

सभापति महोदय : जो नागालैंड के बारे में कहा है, वह रिकार्ड में नहीं जायेगा।

मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि जितनी भी समस्याएं हैं, उनको समाप्त किया जाना चाहिए। यह तभी हो सकता है जब हम उनके समुचित विकास के लिए योजनाबद्ध तरीके से टाइम बाउंड प्रोग्राम बनाएं। इन शब्दों के साथ मैं समर्थन करता हूं।

डा० वी० कुलनदईवेलु (चिदम्बरम्) : सभापति महोदय, इस विधेयक का स्वागत और समर्थन करते हुए मैं कुछ आलोचनात्मक टिप्पणियां करना चाहता हूं। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने सही ही कहा है कि अनुसूचित जनजातियों के मामले में केन्द्रीय सरकार प्रभावी ढंग से कार्यचालन नहीं कर पा रही है। इसमें कोई विवाद नहीं है कि अनुसूचित जनजातियों को दी जा रही आरक्षण सुविधा की कोई व्यवस्था

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

नहीं है। अतः यह बड़ी शर्म की बात है कि अनेक वर्षों के बाद भी हम पीछे से चले आ रहे को टेको पूरा नहीं कर सके हैं और असमानता दूर नहीं कर सके हैं। हम उनका स्तर अन्य लोगों के समान नहीं ला सके हैं। उनकी दशा बड़ी दयनीय है। उनके लिए गुजारा करने के लिए कुछ नहीं है वह गलियों और पटरियों पर हैं। उनका सामाजिक स्तर भी बड़ा दयनीय है। हम आम तौर पर अनुसूचित जातियों और विशेष रूप से अनुसूचित जनजातियों की स्थिति के बारे में चर्चा करते रहते हैं किन्तु हम उन्हें किसी भी क्षेत्र में गारण्टी ही देने अथवा उनके स्तर में सुधार लाने की स्थिति में नहीं हैं।

सदन में आठवें वित्त आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा करते हुए हमने सदन में यह मामला उठाया और बताया था कि किस प्रकार पर्वतीय क्षेत्रों में आदिवासी जनता की ओर केन्द्रीय सरकार द्वारा समुचित ध्यान नहीं दिया जाता ; जिसकी वजह से ये क्षेत्र अविकसित रह गए हैं ; वहां का उद्योगीकरण नहीं हो सका है।

हम उनके सामाजिक स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से उन्हें शिक्षा सुविधाएं नहीं दे रहे हैं। उनका व्यवसायिक स्तर पर, रोजगार तथा शिक्षा के स्तर पर उत्पीड़न किया जाता है। जब तक हम उन्हें समुचित ढंग से शिक्षित नहीं करते अथवा उनके लिए कोई समय-बद्ध कार्यक्रम नहीं बनाते, उनकी स्थिति, उनका सामाजिक स्तर नहीं सुधारा जा सकता और उनका जीवन खुशहाल नहीं बनाया जा सकता। अतः मैं सरकार से उनकी शिक्षा का प्रबन्ध करने के लिए अनुरोध करता हूं ताकि उनके सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाया जाए। रोजगार के क्षेत्रों में तथा चिकित्सा, इन्जीनियरिंग आदि जैसे व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में उन्हें स्थान देने के लिए कुछ वरीयता दी जानी चाहिए ताकि वे भी महसूस करें कि सरकार को उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी है। उन्हें उचित शिक्षा प्रदान किए बिना उनका सामाजिक स्तर ऊंचा उठाना सम्भव नहीं है और उनके जीवन के स्तर के बारे में देश को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। हम उनकी निर्धनता को दूर नहीं कर पायेंगे और प्रत्येक क्षेत्र में उनके विरुद्ध भेदभाव होता रहेगा। अतः सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह, वरीयता के आधार पर उनके लिए कुछ करे ताकि उनकी हालत सुधर सके।

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : सभापति महोदय, आज जो बात डागा जी ने कही उसकी मैं उनसे उम्मीद नहीं करता था। आज वह पूछना चाहते हैं कि त्रिपुरा में दूसरी सरकारों ने क्या किया ? मैं यह पूछना चाहता हूं जहां कांग्रेस की सरकारें आज तक बनी रहीं वहां क्या हुआ ? अनुसूचित जाति और जनजाति के 1 परसेंट भी स्पेशल ग्रेड के गजटेड अफसर नहीं हैं आज तक। और क्या उनके साथ हो रहा है उसको कहना नहीं चाहता, क्योंकि इससे पहले प्रस्ताव में सारी बातें हो चुकी हैं। ऐसा लगता है जैसे महाभारत के समय कर्ण और भीष्म पितामह कौरवों का नमक खाने के बाद न्याय की बात नहीं कह पाते थे, ऐसा मुझे डागा जी के भाषण से लगा।

जहां तक प्रश्न है त्रिपुरा का जिसकी कुल आबादी 20 लाख 53 हजार 58 है उसमें से 8 लाख 94 हजार 304 व्यक्ति शेड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के हैं। और इनमें से शेड्यूल्ड कास्ट के 3 लाख 10 हजार 384 और शेड्यूल्ड ट्राइब के 5 लाख 83 हजार 920 हैं 1981 की जनगणना के अनुसार। 45 परसेंट से अधिक हो गए। अब यह कहते हैं कि इस सरकार ने क्या किया, उस सरकार ने क्या किया ? मैं यह पूछना चाहता हूं अगर आप जनजाति के रक्षक हैं तो 1982 से अब तक यह संशोधन क्यों नहीं आया यहां ? मार्च, 1982 में उन्होंने रिजोल्यूशन किया उसके बाद 1983 में किया। आप बहुत अच्छे हैं और मदद करना चाहते हैं ट्राइबल्स की तो अब तक आप क्या सो रहे थे ? और अगर

आपकी यही कुम्भकरणी नींद रही तो जो लोग यह विश्वास करते हैं कि क्योंकि त्रिपुरा में आपकी सरकार नहीं बन पाई इसलिए वहां हरिजनों को विशेष प्रलोभन देने के लिए आपने यह कार्यवाही की है, तो इसमें कोई झूठ बात नहीं होगी।

आप हमेशा चुनाव के हिसाब से लोगों का हित देखा करते हैं। उनका अपना हित नहीं देखा करते हैं। आपका हित जहां इनवाल्व है जैसे आंध्र प्रदेश की काउंसिल समाप्त करने के लिए विधिवत रिजोल्यूशन वहां से पास करके भेजा गया लेकिन आपने उसे माना नहीं। आज तक उसके लिए कुछ नहीं किया।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : असम्बद्ध बात क्यों कहते हैं ?

श्री हरीश कुमार गंगवार : असम्बद्ध कैसे है ? आप इस प्रकार का बिल दिखावे के लिए उस समय लाते हैं जब आपके ऊपर कोई भारी दबाव पड़ता है जैसे चुनाव में हार जाने का दबाव होता है। और इसीलिए आंध्र प्रदेश की विधान परिषद को समाप्त करने का बिल पास होकर पड़ा हुआ है आपने उसके हिसाब से काम नहीं किया क्योंकि वहां विधान परिषद में आपके लोग हैं उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आदिवासियों के कल्याण के लिए काम तुरन्त किया जाना चाहिए। त्रिपुरा में शायद ही कभी दूसरी सरकार रही होगी लेकिन पूरे हिन्दुस्तान में तो आपकी सरकार सिर्फ दो, ढाई साल छोड़कर रही, आपको तो यह कल्याणकारी काम करना चाहिए था। आप दूसरों पर क्यों लांछन लगाते हैं ?

आप जो बिल लाये हैं, इसका सभी समर्थन करते हैं, लेकिन चुनावी स्टण्ट बनाकर कोई काम मत कीजिए। आपका दिल-दिमाग साफ नहीं दिखता। इससे क्या फायदा होगा ?

1979 में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाने का एक्ट पास हुआ। अब आपके कांस्टीट्यूशन में अमेंडमेंट हो जाने से 275(1) के प्रावीजन इसमें लागू हो जाएंगे। अभी तक वहां कुछ करना भी चाहते थे तो उतनी राशि उपलब्ध नहीं होती थी जो उनके लिए खर्च को जा सके, उनका उत्थान किया जा सके। अब 275(1) लागू होने से क्या होगा—

> 275(1) ऐसी राशियां जिनका संसद विधि द्वारा उपबन्ध करे, उन राज्यों के राजस्वों में सहायता अनुदान के रूप में प्रत्येक वर्ष भारत की संचित निधि पर भारित होंगी, जिन राज्यों के विषय में संसद यह अवधारित करे कि उन्हें सहायता की आवश्यकता है और भिन्न-भिन्न राज्यों के लिए भिन्न-भिन्न राशियां नियत की जा सकेंगी।

इसके आगे लिखा है :—

> "परन्तु किसी राज्य के राजस्वों में सहायता अनुदान के रूप में भारत की संचित निधि में से ऐसी पूंजी और आवर्ती राशियां संदत्त की जाएंगी जो उस राज्य को उन विकास स्कीमों के खर्चों को पूरा करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हों जिन्हें उस राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण की अभिवृद्धि करने या उस राज्य में अनुसूचित

क्षेत्रों के प्रशासन-स्तर को उस राज्य के शेष क्षेत्रों के प्रशासन-स्तर तक उन्नत करने के प्रयोजन के लिए उस राज्य द्वारा भारत सरकार के अनुमोदन से हाथ में लिया जाये ।"

यानी इस अमेंडमैंट के बाद जितना खर्च उनके कल्याण पर होगा, उसके लिए यह केन्द्रीय सरकार देगी, तो उनका अधिक कल्याण हो सकेगा ।

मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि मणिपुर में भी यही स्थिति है, वहां भी एक्ट पास हो चका है, कुछ और है जहां पर इसकी आवश्यकता है और यही नहीं बल्कि कुछ अन्य राज्यों में भी, जैसे कि ऊटकमण्ड और दूसरी जगहों पर ट्राइबल्स अपनी आइडिएटिन्टी खोते जा रहे हैं, उनके रीति-रिवाजों और परम्पराओं का ह्रास होता जा रहा हे, कभी उनके दूसरे धर्म में परिवर्तन की कोशिश की जा रही है, कभी और बातें हो रही हैं, उनका एक तरीके से मूल समाप्त होता जा रहा है, इसलिए इस सबको ठीक करने के लिए और इनको देश में अन्य नागरिकों के समान पूरी सुविधाएं प्रदान करने के लिये ऐसी डिस्ट्रिक्स काउन्सिल बनाकर संविधान में परिवर्तन करने की आवश्यकता है । मैं इन शब्दों के साथ इसका समर्थन करता हूं ।

श्री दलीप सिंह भूरिया (झाबुआ) : सभापति महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । अभी हमारे सामने के अपोजीशन वाले भाई कह रहे थे कि यह किसी दबाव के कारण आदिवासियों के लिए बिल लाए हैं, यह पूरी तरह से गलत है ।

कांग्रेस पार्टी और खास तौर से हमारी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी ने आदिवासियों के बारे में जितने कानून बनाए हैं, उतने अभी तक किसी पार्टी ने नहीं बनाए हैं । इस तरह का आरोप लगाकर ये राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं ।

सी० पी० (एम०) के भाई से मैं कहना चाहता हूं कि आपकी गवर्नमेंट ने नामिनेटेड जिला परिषद को कौन सी पावर दी हैं । न उनके पास फाइनेन्शियल पावर है न एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हैं । यह हम जो बिल लाए हैं, इससे उनको अधिकार मिलेगा और फिर वह काम करेंगे । हम जानते हैं कि किस प्रकार हाउस में और बाहर झूठी बातें कह कर आदिवासियों को वर्ग लाने का प्रयत्न किया जाता है । लेकिन अब वे लोग होशियार होने जा रहे हैं और अब वे इनकी बातों में आने वाले नहीं हैं । त्रिपुरा में इन लोगों की सरकार ने बाहर के लोगों को लाकर आदिवासियों की जमीनों पर बसा दिया और आदिवासियों को बेघरबार कर दिया । अब इनका असली चेहरा जनता के सामने आ गया है । मिजोरम और नागालैंड में यह कानून पहले से लागू है । अब इस संविधान (संशोधन) के द्वारा त्रिपुरा के लोगों को भी वही अधिकार मिलेंगे, उन्हें अपनी जमीन और मकान से वंचित नहीं किया गया जा सकेगा और उनके विकास में तेजी आएगी ।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : सभापति महोदया, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं । जैसाकि मेरे माननीय मित्र ने अभी-अभी कहा कि हमारी प्रधान मन्त्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी कई अच्छे अधिनियम और विधेयक लाई हैं; मुझे इसमें सन्देह नहीं है । वास्तव में, हमने क्या नोट किया है कि कांग्रेस सरकार कई अच्छे विधेयक पारित करती है और कई अच्छे अधिनियम अधिनियमित करती है परन्तु जब उनके कार्यान्वयन की बात आती है तो हमें पता चलता है कि उनमें कमी है । उन्हें कार्यान्वित किया ही नहीं जाता; इस बात का उनके पास कोई उत्तर नहीं है ।

जब मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं तो इस बात के प्रति मैं चेतनशील हूं कि एक लम्बे अर्से के बाद त्रिपुरा के आदिवासियों के साथ न्याय किया जा रहा है। हमारे देश के आदिवासियों ने बहुत देर तक दुःख पाया हैं। वे बहुत युगों से-वेदों के, बौद्धों के, हिन्दुओं के, पठानों के, मुगलों के, अंग्रेजों के युग से और आज भी दुःख पा रहे हैं। हम महाभारत में एकलव्य की प्रसिद्ध कथा को जानते हैं। हमने इसे पढ़ा है।

अब आदिवासी अपने लिए न्याय मांग रहे हैं। देश के कुछ भागों में तो वे विद्रोह कर रहे हैं। उनकी आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बहुत से व्यक्ति जो देश को विभाजित करना चाहते हैं, उसका लाभ उठाते हैं। यदि हम आदिवासियों और अनुसूचित जातियों की मांगों को उचित समय पर पूरा कर दे तो वे लोग जो देश को विभाजित करना चाहते हैं; उस बात का लाभ नहीं उठा सकते हैं। हम जानते हैं कि आदिवासी क्षेत्रों में ऐसे व्यक्ति देश को विभाजित करने के लिए इस बात का लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। वे आदिवासियों की उचित शिकायतों का लाभ उठाते हैं।

त्रिपुरा में हमारी सरकार ने आदिवासियों की मांगों को पूरा करने की कोशिश की है। त्रिपुरा में जब हमारी सरकार सत्ता में आई, उससे काफी समय पहले अर्थात जब आप सत्ता में थे, उनकी भूमि को लोगों द्वारा छीन लिया गया था। आप यह जानकर शर्मिंदा होंगे कि त्रिपुरा विधान सभा में जब यह विधेयक पारित किया जा रहा था, वहां पर विपक्ष के सदस्यों ने अर्थात केन्द्र में सत्तारूढ़ दल के सदस्यों ने, चाहे इस विधेयक का विरोध नहीं किया परन्तु उन्होंने इसके पक्ष में मत नहीं दिया। उन्होंने मतदान का तिरस्कार किया। इससे साबित होता है कि वे उन जमीदारों से मिले हुए हैं जिन्होंने त्रिपुरा में आदिवासियों की भूमि को छीना।

श्री डागा ने पूछा है कि इन लोगों ने उन राज्यों के आदिवासियों के लिए क्या किया है जिनमें वे शासन कर रहे हैं। भूमि को आदिवासियों के नाम कर देने की अब पश्चिम बंगाल में एक योजना है ताकि जमींदार उनकी भूमि छीन न सकें। उनकी सहायता करने के लिए हम कई विधेयक लाये हैं। हमने लोगों को भूमि हथियाने के लिए भी कहा है। अब वह भूमि उनके कब्जे में है।

पश्चिम बंगाल में हमने आदिवासियों की लिपि को भी मान्यता दे दी है। उस लिपि को सांथलों की अलचीकी लिपि कहा जाता है। किसी अन्य राज्य ने, न ही बिहार ने और न ही मध्य प्रदेश ने, ऐसा किया है। हमारे यहां कोई महापण्डित नहीं है। रघुनाथ मुरवू संथाल पण्डित हैं। हमने उसे मान्यता दे दी है और अधिकार दे दिया है। संथाल लोग जानते हैं कि वामपन्थी सरकारों ने आदिवासियों के लिए क्या किया है। वे यह भी जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं।

मैं बहुत प्रसन्न हूं कि आप यह विधेयक लाए है। कुछ लोग कहते हैं कि यह विधेयक कांग्रेस दल लाया है। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि जब केन्द्र में कांग्रेस दल सत्ता में है तो और कौन विधेयक को लाएगा? यदि हम सत्ता में होते तो हम काफी समय पहले ले आए होते, कांग्रेस द्वारा समस्या को समझने से काफी समय पहले। क्या आप जानते हैं, सोवियत संघ में साम्यवादियों ने वहां के आदिवासियों की समस्या का हमेशा के लिए समाधान कर दिया है। अब वहां ऐसी कोई समस्या नहीं है। जिन राज्यों में साम्यवादी शासन चला रहे हैं, वे आप से अधिक अच्छी तरह इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में हमने इस समस्या का समाधान कर लिया है और यदि हम दिल्ली में भी सत्ता में आते हैं तो हम समूचे देश में इस समस्या का समाधान कर देंगे।

एक माननीय सदस्य : क्या आप जानते हैं कि इस कारण सोवियत संघ में 1 करोड़ 60 लाख व्यक्ति मारे गए थे।

श्री नारायण चौबे : क्या आप जानते हैं कि अमेरिका, फ्रांस और यूरोप के अन्य देशों द्वारा गृह युद्ध छेड़ा गया था।

एक माननीय सदस्य : यह गृह युद्ध के बाद हुआ था।

श्री नारायण चौबे : नहीं, यह गृह युद्ध के बाद नहीं हुआ था। यदि आप इस बात को स्वीकार नहीं करते तो आओ हम ग्रंथालय में चलते हैं और पता लगाते हैं।

महोदय, इस आशा के साथ इस विधेयक का स्वागत करते हैं कि इसके पारित तथा अधिनियमित हो जाने के पश्चात, जैसाकि कि त्रिपुरा के मेरे माननीय मित्रों ने मांग की है, सरकार विधान मण्डलों को उदारतापूर्वक सहायता देगी ताकि उनकी समस्याओं को सुलझाया जा सके।

मैं, एक बार फिर सरकार का इस विधेयक को लाने के लिए धन्यवाद करता हूं, हालांकि यह बहुत देर से लाया गया है।

महोदय, जैसाकि मणिपुर के एक माननीय सदस्य ने मांग की है, मैं गृह मन्त्री से मणिपुर को भी विधेयक में शामिल करने के लिए अनुरोध करता हूं।

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्टसगंज) : सभापति महोदया, मैं इस संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह बात सही है कि स्वतन्त्रता के बाद आदिवासियों और अनुसूचित जातियों की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक खुशहाली और विकास के लिए अनेक कार्यक्रम किए जाते रहे। लेकिन यह बात भी सही है कि समस्या इतनी बड़ी रही है कि हम सारी समस्याओं का एक साथ निराकरण नहीं कर पाए हैं। आज जो बिल आया है, उसके सन्दर्भ में थोड़ा वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा की बात याद दिलाना चाहता हूं। उधर बैठने वाले यह भूल जाते हैं कि कुछ उनका भी दायित्व है। वह अपने को देखें कि वैस्ट बंगाल की हालत उन्होंने क्या कर रखी है। जितने पैसे यहां से जा रहे हैं, उसमें से डेवलपमेंट पर कितना खर्च कर रहे हैं? इत्तफाक से त्रिपुरा भी इनके हाथ में है यह यहां कानून बनाते हैं लेकिन उसका कार्यान्वयन तो राज्य सरकारों को करना है। हमें याद है, पंचवर्षीय योजना जब शुरू हुई थी तो वैस्ट बंगाल कितना आगे था और आज कितना पिछड़ गया है? आज डेवलपमेंट पर आप कितने परसेन्ट खर्च कर रहे हैं? केवल 16 परसेन्ट आप के यहां डेवलपमेंट पर खर्च हो रहा है। सारी हालत वहां बिजली की, उद्योग की एम्पलायमेंट की खराब हो रखी है। सारी इंडस्ट्रीज आपके यहां सिक हो रही हैं। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि केवल आलोचना करने से कुछ होने वाला नहीं है। आज जरूरत इस बात की है कि सभी लोग अपने दिलों पर हाथ रखें और सोचें। मैं तो गृह मन्त्री का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि त्रिपुरा में केवल 5 लाख आदिवासी हैं तो उनके लिए आप क्या कानून बना रहे हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में बुन्देल खण्ड में, इलाहाबाद में, मिर्जापुर में और बनारस में उससे कहीं अधिक आदिवासी हैं। केवल मिर्जापुर में ही 5 लाख आदिवासी हैं। वह एक पहाड़ी जिला है। इसी तरह हिन्दुस्तान के अन्य राज्यों में भी हैं। आन्ध्र प्रदेश में कितने मल्लाह, केवट और दूसरे आदिवासी लोग हैं। मैं तो मांग करूंगा कि जो शेड्यूल्ड कास्ट्स एण्ड शेड्यूल्ड ट्राइब्ज की लिस्ट सन् 67 से

विचाराधीन है गृह मन्त्री जी जल्दी से जल्दी उसको सदन में लाएं ताकि जो छूटे हुए आदिवासी हिंदुस्तान में हैं उनका भी उसी तरह जल्दी से जल्दी विकास किया जा सके जिस तरह से अन्य आदिवासी लोगों को किया जा रहा है। मेरी गृह मन्त्री जी से यह मांग है। इसके लिए माननीय पण्डित कमलापति त्रिपाठी जी ने भी माननीया प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था जब वह रेल मन्त्री थे। कानून बनकर तैयार है, उनको लाया नहीं जा रहा है, उसे जल्दी से जल्दी लाया जाय।

इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री एन० ई० होरो (खुंटी) : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं और आदिवासियों के हित के सम्बन्ध में कुछ बातें कहना चाहता हूं।

सैंतीस साल की आज़ादी के बाद भी ऐसा लगता है कि सरकार आदिवासियों की समस्याओं के डायमैंशन को समझी नहीं है। यही कारण है कि आज त्रिपुरा के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ रहा है। यह विधेयक बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन 37 साल की आजादी के बाद सदन में लाया गया है। आजादी के वक्त त्रिपुरा में आदिवासियों की जनसंख्या 90 प्रतिशत थी और आज करीब 29-30 प्रतिशत हो गई है। बाहर से लोगों ने आकर आदिवासियों की पोपुलेशन के बैलेंस को अफ्सैट किया, यह बहुत ही सोचनीय बात है। वहां के आदिवासियों में आक्रोश है कि 37 साल तक सरकार ने हमारी समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दिया और उनका समाधान करने की कोशिश नहीं की। न केवल त्रिपुरा, में; बल्कि मणिपुर एवं अन्य राज्यों में लोगों का ऐसा विचार है।

हिन्दुस्तान में बहुत से ऐसे इलाके हैं, जो आदिवासी बाहुल्य इलाके हैं, जहां संविधान के छठे शैड्यूल के बैनिफिट को एक्सटेंड करना चाहिए। सरकार को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले गृह राज्य मंत्री ने राज्य सभा में कहा था कि सिंह भूम के आदिवासी चाहते हैं कि कोलहन को एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए जब कि ऐसी बात नहीं है। यह बहुत दुःख की बात है कि गृह राज्य मंत्री ने राज्य सभा में कहा कि आदिवासी अलग स्वतंत्र राज्य की मांग करते हैं। यह बात सही नहीं है। उन्होंने उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक नहीं समझा है और गलत बयानी किया हैं। इसका कारण यह है आदिवासी समस्या की मौलिक बातों का ज्ञान नहीं है। अब बहुत जगहों पर अब आदिवासी अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आवाज उठाते हैं। इस वक्त सरकार को यह विचार करना चाहिए कि क्या हम त्रिपुरा के लिए छठे शेड्यूल में संशोधन करके बैठ जायें या हिन्दुस्तान के अन्य इलाकों के बारे में भी सोचा जाना चाहिए। जहां आदिवासी जनसंख्या अधिक है। छोटा नागपुर और बस्तर के लिए भी आपको संविधान में संशोधन लाना चाहिए।

आदिवासी बहुल क्षेत्रों में अलग राज्य की मांग ऊठायी जा रही है। झारखण्ड राज्य की मांग या बस्तर राज्य की मांग पुरानी है कि उनको राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए यह मांग इसलिए उठती कि इन दोनों का विकास बिना इसके सम्भव नहीं है। आदिवासियों को न आर्थिक न्याय न सामाजिक न्याय ही मिला। अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए उनकी लड़ाई को भी एप्रिशिएट नहीं किया। मैं चाहूंगा कि सरकार अभी भी उनकी समस्याओं के बारे में विचार करके और उनको नजर अन्दाज करने की कोशिश न करे। आदिवासी लोगों में आक्रोश है। यह कह कर कि इनके बीच में अशान्ति है, और वे एक्स्ट्रीमिस्ट हो रहे हैं, उन पर दबाव डालने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। केन्द्र सरकार द्वारा आदि-

वासियों की समस्याओं को सही ढंग से समझा जाना चाहिए। और बन्दूक दिखलाकर उनकी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। संविधान में आदिवासियों के हित के लिए बहुत अच्छी बातें कही गई हैं, बहुत अच्छे प्रावधान रखे गये हैं, लेकिन फिर भी वे पूर्णतः प्रगति नहीं कर सके हैं, इसका कारण यह है कि उनके विकास के जो कार्यक्रम बने, उनको ईमानदारी के साथ लागू नहीं किया गया। सहानुभूति और प्रेम के साथ उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयत्न नहीं हुआ। मैं चाहूंगा कि हमारा यह सदन इन बातों पर गौर करे और माननीय गृह मन्त्री जी पूरे देश के आदिवासी क्षेत्रों के लिए जहां आदिवासी बहुसंख्या में हैं, उनके क्षेत्रों की समस्याओं के समाधान के लिए ऐसे उपाय करें जिससे उनका विकास हो सके। उन क्षेत्रों के लोगों के साथ बात करके देखें कि उनकी क्या समस्यायें हैं और वे क्या चाहते हैं।

जैसा मैंने आरम्भ में कहा था—मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं, मैं चाहूंगा यदि सम्भव हो तो इस बिल को वापस करके आदि मणिपुर, झारखण्ड, बस्तर को भी छठे शैड्यूल में इन्कलूड करे। यदि यह सम्भव न हो तो बहुत जल्दी एक नया विधेयक लाकर उन दोनों को भी शामिल किया जाय जिनको अभी छठे शैड्यूल के तहत बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं।

6.32 म० प० **(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)**

श्री पीयूष तिरकी (श्लीपुरद्वार) : उपाध्यक्ष जी, मैं इस बिल का समर्थन करते हुए सबसे पहले अपनी वाम-फ्रन्ट सरकार को बधाई देना चाहता हूं क्योंकि आदिवासी क्या चाहते हैं वह सरकार इस बात को समझ चुकी है। आपको याद होगा, आदिवासी कभी भी किसी के रूल में नहीं रहे। जिस समय अंग्रेजों का राज था उस समय भी इन क्षेत्रों के लिए जो शैडयूल्ड एरियाज में थे अलग से कानून बनाये गये थे जिससे वे शान्तिपूर्वक अपनी सरकार चला सकें। आपको याद होगा—छोटा नागपुर टेनेन्सी एक्ट सन्थाल परगना हेनेन्सी एक्ट और वेस्ट बंगाल रेगुलेशन्स एक्ट, उस समय बने थे जिस से वे अपने तरीके मे अपनी गवर्नमेंन्ट चला सकें। लेकिन आजादी के बाद जब कांग्रेस सरकार आई तो उसने उनकी बातों को समझने की कोशिश नहीं की। लेकिन अब इस बिल के लाने से शायद वह उनकी आकांक्षाओं को समझने लगी हैं। आदिवासी स्वाभिमानी होते हैं, वे किसी के रूल में नहीं रहते, अपनी पोलिटीकल पावर चाहते हैं और आज जब आप उनको छठे शेडयूल में ला रहे हैं तो इसके लिए त्रिपुरा की वाम-फ्रन्ट सरकार बधाई की पात्र है।

यदि कांग्रेस सरकार वास्तव में उनकी कठिनाइयों को समझती तो बिहार में भी झारखण्ड मूवमेन्ट बहुत दिनों से चल रहा है, दूसरे क्षेत्रों में भी मूवमेंन्टस चल रहे हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था करती। लेकिन सरकार ने उनकी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दिया बल्कि पुलिस रिप्रेशन किया जा रहा है, उनको सताया जा रहा है। वहां पर कान्ट्रेक्टर्स, फारेस्टर्स, पुलिस, सब आदिवासियों को सताने में लगे हुए हैं। त्रिपुरा की वामफ्रन्ट सरकार ने वास्तव में एक सही कदम उठाया जिससे यह बिल यहां पर आया, यह सारे हिन्दुस्तान के लिए एक गौरव की बात है। मैं चाहता हूं कि छोटा नागपुर, संथाल परगना, कोलहन, मध्यप्रदेश के बस्तर और दूसरे क्षेत्र उन सब को छठे शेड्यूल में शामिल किया जाय। मैं उस तरफ के सभी आदिवासी क्षेत्रों के भाइयों को कहता हूं, उनका आह्वान करता हूं—कांग्रेस सरकार आदिवासियों की कठिनाइयों को नहीं समझ सकेगी। इसलिए जो भाई कांग्रेस के पीछे लगे हुए है उनको समझना चाहिए और लेफ्ट-फ्रन्ट की जो विचारधारा हैं, उस पर सब को एक-जुट होना चाहिए। लेफ्ट-फ्रन्ट के साथ चलेंगे तो सही रास्ते पर आयेंगे वरना पिछड़े के पिछड़े रहेंगे।

यह कह कर मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय गृह मन्त्री

प्रो० सैफुद्दीन सोज : (बारामुला) : महोदय, मैं अभी नहीं बोला हूं। मैंने अपने पार्टी के विचारों को व्यक्त नहीं किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने केवल आपको बोलने के लिए अवसर देना है लेकिन इस समय नहीं। मैं आप दोनों को बोलने का अवसर दूंगा। कृपया बैठ जाइए। तीसरे वचन में मैं आपको तथा त्रिपुरा से निर्वाचित माननीय सदस्य को बोलने का अवसर दूंगा।

गृह मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : उपाध्यक्ष महोदय, यह पूरी तरह से संविधान का अविवादास्पद संशोधन है। जैसा मैंने सदन को बताया है कि इसका आशय त्रिपुरा के आदिवासी लोगों की आंकाक्षाओं को पूरा करना है। पार्टी आधार पर कुछ विचार-विमर्श को छोड़कर जो मैं सामान्यतया नहीं छूना चाहता हूं, कोई वास्तविक मुद्दा नहीं दिखाई देता है जिसका उत्तर देने की जरूरत है। यहां पर एकमात्र मुद्दा मणिपुर के बारे में उठाया गया है। मणिपुर को भी त्रिपुरा के साथ मिलाया जा सकता था लेकिन तथ्य यह है कि मणिपुर सरकार का अभी केन्द्रीय सरकार के साथ पत्र-व्यवहार चल रहा है। मुझे विश्वास है कि सरकार के लिए उपयुक्त समय पर मणिपुर के लिए एक अन्य संशोधन लाना संभव हो सकेगा। लेकिन मेरे विचार से हमें इसमें मिलाने के लिए किसी अन्य राज्य की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। इस संशोधन के लिए त्रिपुरा पूर्ण विकसित है और इसलिए मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : इससे पहले कि मैं प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिए रखूं, क्योंकि यह एक सांवैधानिक संशोधन विधेयक है इसलिए मतदान विभाजन द्वारा होगा। दीर्घायें खाली कर दी जायें···

6.45 म० म० **(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)**

अध्यक्ष महोदय : दीर्घायें खाली कर दी गई हैं।

प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ :

6.48 म० प०

पक्ष में 358 - 0

मत-विभाजन संख्या : 15

अब्बासी, श्री काजी जलील

अग्रवाल, श्री सतीश

अहमद, श्री मोहम्मद असरार

अहमद, बेगम आबिदा

अहमद, श्री गुलशेर

अहमद, श्री कमालुद्दीन

अजीत प्रताप सिंह

अल्लूरी, श्री सुभाष चन्द्र बोस

आनन्द सिंह, श्री

अंकिनीडू, श्री एम०

अंकिनीडू प्रसाद राव, श्री पी०

अन्सारी, श्री जियाउर्रहमान

अनुरागी, श्री गोदिल प्रसाद

अनवार अहमद, श्री

अप्पालानायडू, श्री एस० आर० ए० एस०

अराकल, श्री जेवियर

अरुणाचलम, श्री एम०

अशफाक हुसैन, श्री

आजाद, श्री भागवत झा

आजाद, श्री गुलाम नबी

आजमी, डा० ए० यू०

बागुन सुम्बरुई, श्री

बेरवा, श्री बनवारी लाल

बैठा, श्री डूमर लाल

वाजपेयी, डा० राजेन्द्र कुमारी

बालेश्वर राम, श्री

बनातवाला, श्री जी० एम०

बन्सी लाल, श्री

बर्मन, श्री पलाश

वसु, श्री चित्त

बहेरा, श्री रास बिहारी

भगत, श्री बी० आर०

भगत, श्री एच० के० एल०

भगवान देव, आचार्य

भक्त, श्री मनोरंजन

भारद्वाज, श्री परसराम

भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल

भीखाभाई, श्री

भोई, डा० कृपासिन्धु

भोले, श्री आर० आर०

भोये, श्री रेशमा मोतीराम

भूरिया, श्री दिलीप सिंह

भूयन, श्री भुवनेश्वर

बीरबल, श्री

बीरेन्द्र सिंह, राव

विष्णु प्रसाद, श्री

विश्वास, श्री अजय

वोड्डे पल्ली, श्री राजगोपाल राव

ब्रार, श्रीमती गुरबिन्दर कौर

बुजेन्द्रपाल सिंह, श्री

बूटासिंह, श्री

चक्रवर्ती, श्री सत्यसाधन

चक्रधारी सिंह, श्री

चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल

चन्द्रशेखरप्पा, श्री टी० वी०

चरणजीत सिंह, श्री

चटर्जी, श्री सोमनाथ

चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती

चौधरी, श्री मनफूल सिंह

चौधरी, श्री ए० बी० ए० गनी खान

चव्हाण, श्री एस० बी०

चव्हाण, श्री यशवन्त राव

चेन्नुपति, श्रीमती विद्या

चिंगवांग कोनयक, श्री

चिन्नास्वामी, श्री सी०

चौबे, श्री नारायण

चौधरी, श्री चित्तुरी सुब्बा राव

चौधरी, श्रीमती ऊषा प्रकाश

चौधरी, श्री सैफुद्दीन

चौहान, श्री फतेहभान सिंह

डागा, श्री मूलचन्द

दलबीर सिंह, श्री

दलबीर सिंह, श्री

डामोर, श्री सोमजीभाई

दंडवते, प्रो० मधु

दण्डवते, श्रीमती प्रमिला

दास, श्री अनादि चरण

दत्त, श्री अमल

डेनिस, श्री एन०

देसाई, श्री बी० वी०

देव, श्री सन्तोष मोहन

देवराजन, श्री बी०

दंडपाणि, श्री सी० टी०

धोटे, श्री जाम्बुवन्त

डोगरा, श्री गिरधारी लाल

डूंगर सिंह, श्री

दुबे, श्री बिन्देश्वरी

दुबे, श्री रामनाथ

एक्का, श्री क्रिस्टोफर

ऐंगटी, श्री बीरेन सिंह

फैलीरो, श्री एडुआर्डो

फर्नान्डीस, श्री ओस्कर

गाडगिल, श्री बी० एन०

गधावी, श्री भेरावदन के०

गायकवाड़, श्री आर० पी०

गायकवाड़, श्री उदयसिंह राव

गामित, श्री छीतूभाई

गांधी, श्रीमती इन्दिरा

गांधी, श्री राजीव

गावित, श्री मानिकराव होडल्य

गहलोत, श्री अशोक

घोरपाड़े, श्री आर० वाई०

घोष, गोस्वामी, श्रीमती विभा

गुफरान आजम, श्री

गिरिराज सिंह

गोगोई, श्री तरुण

गोहिल, श्री जी० बी०

गोमांगो, श्री गिरिधर

गोपालन, श्रीमती सुशीला

गौंडर, श्री ए० सेनापति

गोजगिन, श्री, एन०

गौडा, श्री डी० एम० पुत्ते

गौडा, श्री एच० एन० नञ्जे

गुप्त, श्री इन्द्रजीत

हाकम सिंह, श्री

हाल्दर, श्री कृष्ण चन्द्र

हन्नान मोल्लाह, श्री

होरो, श्री एन० ई०

जदेदा, श्री दौलतसिंहजी

जाफर शरीफ, श्री सी० के०

जैन, श्री भीकू राम

जैन, श्री वृद्धि चन्द

जक्कायन श्री एस० टी० के०

जमीलुर्रहमान, श्री

जेना, श्री चिन्तामणि

जितेन्द्र प्रसाद, श्री

काहनडोल, श्री जैड० एम०

कैलाशपति, श्रीमती

कमल नाथ, श्री

कमला कुमारी, कुमारी

कंडास्वामी, श्री एम०

कर्मा, श्री लक्ष्मण

कौल, श्रीमती शीला

केन, श्री लालाराम

कैयर भूषण, श्री

खां, श्री आरिफ मोहम्मद

खां, श्री मलिक एम० एम० ए०

खां, श्री जुल्फिकार अली

किदवई, श्रीमती मोहसिना

कोडियन, श्री पी० के०

कोसलराम, श्री के० टी०

कृष्ण, श्री एस० एम०

कृष्ण प्रताप सिंह, श्री

कृष्णन्, श्री जी० वाई०

क्षीरसागर, श्रीमती केशरबाई

कुचन, श्री गंगाधर एस०

कुलनदईवेलु, डा० वी०

कुन्हम्बु, श्री के०

कुंवर राम, श्री

कुरियन, प्रो० पी० जे०

लकप्पा, श्री के०

लक्ष्मनन्, श्री जी०

लास्कर, श्री निहार रंजन

माधुरी सिंह, श्रीमती

महाबीर प्रसाद, श्री

महाजन, श्री विक्रम

महाजन, श्री वाई० एस०

महाला, श्री आर० पी०

महाटा, श्री चित्त

महेन्द्र प्रसाद, श्री

मैत्रा, श्री सुनील

मकवाना, श्री नरसिंह

मालन्ना, श्री के०

मलिक, श्री लक्ष्मण

मल्लिकार्जुन, श्री

मल्लु, श्री अनन्त रामुलु

माने, श्री आर० एस०

मणि, श्री के० बी० एस०

मन्नी लाल, श्री

मसुदल हुसैन, श्री सैयद

मावणि, श्री रामजीभाई

मेहता, प्रो० अजित कुमार

मिश्र, श्री गार्गी शंकर

मिश्र, श्री रामनगीना

मिश्र, श्री उमा कान्त

मिश्र, श्री हरिनाथ

मिश्र, श्री नित्यानन्द

महन्ती, श्री बृजमोहन

मोहिते, श्री यशवन्तराव

मोहसिन, श्री एफ० एच०

मोरे, श्री रामकृष्ण

मोतीलाल सिंह, श्री

मुखर्जी, श्री समर

मुखोपाध्याय, श्री आनन्द गोपाल

मूर्ति, श्री कुसुम कृष्ण

मूर्ति, श्री एम० राजशेखर

मूर्ति, श्री एम० वी०चन्द्रशेखर

मुत्तेमवार, श्री विलास

मुजफ्फर हुसैन, श्री सैयद

नगीना राय, श्री

नायडू, श्री पी० राजगोपाल

नायक, श्री जी० देवराय

नायकर, श्री डी० के०

नायर, श्री बी० के०

नामग्याल, श्री पी०

नन्दी येल्लैया, श्री

नारायण, श्री के० एस०

नायक, श्री मृत्युंजय

नेहरू, श्री अरुण कुमार

नेताम, श्री अरविन्द

नगनगोम मोहेन्द्रा, श्री

निहालसिंह, श्री

निहालसिंहवाला, श्री जी० एस०

नीखरा, श्री रामेश्वर

नूरुल इस्लाम, श्री

उराव, श्रीमती सुमति

पांडे, श्री कृष्णचन्द्र

पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि

पनिका, श्री राम प्यारे

पराशर, प्रो० नारायण चन्द

पारधी, श्री केशवराव

परमार, श्री हीरालाल आर०

पार्थसारथी, श्री पी०

पासवान, श्री रामविलास

पटेल, श्री अहमद मोहम्मद

पटेल, श्री सी० डी०

पेटल, श्री मोहन लाल

पटेल, श्री शान्तुभाई

पाठक, श्री आनन्द

पाटिल, श्री ए० टी०

पाटिल, श्री बालासाहिब विखे

पाटिल, श्री चन्द्रभान आठरे

पाटिल, श्रीमती शालिनी

पाटिल, श्री शंकर राव

पाटिल, श्री शिवराज वी०

पाटिल, श्री उत्तमराव

पाटिल, श्री वीरेन्द्र

पाटिल, श्री विजय एन०

पटनायक, श्रीमती जयन्ती

पट्टाभिरामा राव, श्री

पत्तुस्वामी, श्री डी०

पवार, श्री बालासाहिब

पेंचालैया, श्री पसाला

पाइलट, श्री राजेश

पुजारी, श्री जनार्दन

पोटदुखे, श्री शान्ताराम

प्रधानी, श्री के०

प्रसन्न कुमार, श्री एस० एन०

पुलय्या, श्री दारूर

कादरी, श्री एस० टी०

राजू, श्री पी० वी० जी०

राम, श्री राम स्वरूप

राम किकर, श्री

रामलिंगम, श्री एन० कुदन्तई

राममूर्ति, श्री, के०

रामुलू, श्री एच० जी०

रणवीर सिंह, श्री

रंगा, प्रो० एन० जी०

रणजीत सिंह, श्री

राव, श्रीमती बी० राधाबाई आनन्द

राव, श्री जलगाम कोन्डाला

राव, श्री एम० नागेश्वर

राव, डा० एम० एस० संजीवी

राव, श्री एम० सत्यनारायण

राव, श्री पी० वी० नरसिंह

रथ, श्री रामचन्द्र

राठवा, श्री अमर सिंह

राठौर, श्री उत्तम

राउत, श्री भोला

रवाणी, श्री नवीन

रावत, श्री हरीश

रेड्डी, श्री जी० एस०

रेड्डी, श्री जी० नरसिम्हा

रेड्डी, श्री के० ब्रह्मानन्द

रेड्डी, श्री के० ओबुल

रेड्डी, श्री के० विजय भास्कर

रेड्डी, श्री एम० राम गोपाल

रेड्डी, श्री पी० वेंकट

रेड्डी, श्री टी० दामोदर

रियान, श्री बाजू बन

रिजक राम, श्री

रोथूआमा, डा० आर०

रौत, श्री जय नारायण

राय, श्री ए० के०

राय प्रधान, श्री अमर

साहा, श्री अजित कुमार

साही, श्रीमती कृष्णा

साहू, श्री नारायण

साहू, श्री शिव प्रसाद

सज्जन कुमार, श्री

समीनुद्दीन, श्री

संगमा, श्री पी० ए०

संखवार, श्री आशकरन

साठे, श्री बसन्त

सतीश प्रसाद सिंह, श्री

सत्यदेव [illegible], प्रो०

सावन्त, श्री टी० एम०

सेबस्तियन, श्री एस० ए० दोराई

सेन, श्री सुबोध

सेठी, श्री अर्जुन

सेठी, श्री पी० सी०

शैलानी, श्री चन्द्रपाल

शक्तावत, प्रो० निर्मला कुमारी

शक्यवार, श्री नाथूराम

शंकरानन्द, श्री बी०

शनमुगम, श्री पी०

शर्मा, श्री चिरंजी लाल

शर्मा, श्री काली चरण

शर्मा, श्री नन्द किशोर

शर्मा, श्री नवल किशोर

शर्मा, श्री प्रताप भानु

शर्मा, डा० शंकर दयाल

शास्त्री, श्री धर्मदास

शास्त्री, श्री हरि कृष्ण

शेजवलकर, श्री एन० के०

शिगड़ा, श्री डी० बी०

शिव शंकर, श्री पी०

शिवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री

शुक्ल, श्री विद्या चरण

सिदलाल, श्री एस० बी०

सिंगारावाडीवेल, श्री एस०

सिंह, श्री सी० पी० एन०

सिंह, श्री धर्मंगज

सिंह, कुमारी पुष्पा देवी

सिंह, देव, श्री के० पी०

सिन्हा, श्रीमती रामदुलारी

सोलंकी, श्री बाबू लाल

सोरन, श्री हरिहर

सुन्दरराजन, श्री एन०

सोज, प्रो० सैफुद्दीन

स्पैरो, श्री आर० एस०

श्रीनिवास प्रसाद, श्री बी०

सुब्बुरमण, श्री ए० जी०

सुखबन्स कौर, श्रीमती

सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त

सुन्दर सिंह, श्री

सूर्यवन्शी, श्री नरसिंह

स्वामी, श्री के० ए०

स्वामीनाथन, श्री आर० बी०

तपेश्वर सिंह, श्री

तेइयेंग, श्री सोबेंग

तिवारी, श्री कृष्ण प्रकाश

तिवारी, प्रो० के० के०

थोरट, श्री भाउसाहिब

थुगोन, श्री पी० के०

तिरकी, श्री पीयूष

तिवारी, श्री चन्द्रभाल मणि

टुडु, श्री मनमोहन

टाईटलर, श्री जगदीश

उइके, श्री छोटे लाल

उन्नीकृष्ण, श्री के० पी०

वैराले, श्री मधुसूदन

वर्मा, श्री जय राम

वर्मा, श्री रवीन्द्र

वेलू, श्री ए० एम०

वेंकटसुब्बय्या, श्री पी०

वर्मा, श्री दीन बन्धु

वर्मा, श्री रघुनाथ सिंह

विजयराघवन, श्री वी०एस०

व्यास, श्री गिरधारी लाल

वाघ, डा० प्रताप

वासनिक, श्री बालकृष्ण रामचन्द्र

यादव, श्री डी० पी०

यादव, श्री आर०एन०

यादव, श्री सुभाष चन्द्र

याजदानी, डा० गोलम

जायनल अबेदिन, श्री

जैनल बशर, श्री

विपक्ष में : शून्य

अध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन, मत-विभाजन का परिणाम* इस प्रकार है :

पक्ष में : 358

विपक्ष में : शून्य

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों, के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : यह हरित क्रांति का दिन है।

अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। इससे पहले कि मैं खंड को सभा में मतदान के रखूं क्योंकि यह एक संविधान संशोधन विधेयक है, इसलिए मतदान विभाजन द्वारा होगा।

---

* निम्नलिखित सदस्यों ने भी पक्ष में अपना मतदान किया :—

सर्वश्री अजीतसिंह ठामी, रामसिंह यादव, रामगोपाल तिवारी, सेत हेमब्रम, कमलापति त्रिपाठी, रामायण राय, विरदा राम फुलवरिया, बाजूबन आर० रियान, पीताम्बर सिंह और निर्मल सिन्हा तथा श्रीमती ऊषा वर्मा।

दीर्घायें खाली कर दी जायें।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2, 3 और 4 विधेयक का अंग बने।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ।

6.55 म० प०

पक्ष में

मत-विभाजन संख्या : 16

अब्बासी, श्री काजी जलील

अग्रवाल, श्री सतीश

अहमद, श्री मोहम्मद असरार

अहमद, बेगम आजिदा

अहमद, श्री गुलशेर

अहमद, श्री कमलालुद्दीन

अजीत प्रताप सिंह

अल्लूरी, श्री सुभाष चन्द्र बोस

आनन्द सिंह, श्री

अंकिनीडू, श्री एम०

अंकिनीडू प्रसाद राव, श्री पी०

अन्सारी, श्री जियाउर्रहमान

अनुरागी, श्री गोदिल प्रसाद

अनवार अहमद, श्री

अप्पालानायडू, श्री एस० आर० ए० एस०

अराकल, श्री जेवियर

अरुणाचलम, श्री एम०

अशफाक हुसैन, श्री

आजाद, श्री भागवत झा

आजाद, श्री गुलाम नबी

आजमी, डा० ए० यू०

बागुन सुम्बरुई, श्री

बेरवा, श्री बनवारी लाल

बैठा, श्री डूमर लाल

बाजपेयी, डा० राजेन्द्र कुमारी

बालेश्वर राम, श्री

बनातवाला, श्री जी० एस०

बन्सी लाल, श्री

बर्मन, श्री पलाश

बसु, श्री चित्त

बहेरा, श्री रास बिहारी

भगत, श्री बी० आर०

भगत, श्री एच० के० एल०

भगवान देव, आचार्य

भक्त, श्री मनोरंजन

भारद्वाज, श्री परसराय

भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल

भीखाभाई, श्री

भोई, डा० कृपासिन्धु

भोले, श्री आर० आर०

भोये, श्री रेशमा मोतीराम

भूरिया, दिलीप सिंह

भूयन, श्री भुवनेश्वर

बीरबल, श्री

बीरेन्द्र सिंह, राव

विष्णु प्रसाद

विश्वास, श्री अजय

वोड्डेपल्ली, श्री राजगोपाल राव

व्रार, श्रीमती गुरबिन्दर कौर

बृजेन्द्रपाल सिंह, श्री

बूटा सिंह, श्री

चक्रवर्ती, श्री सत्यसाधन

चक्रधारी सिंह, श्री

चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल

चन्द्रशेखरप्पा, श्री टी० बी०

चरणजीत सिंह, श्री

चटर्जी, श्री सोमनाथ

चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती

चौधरी, श्री मनफूल सिंह

चौधरी, श्री ए० बी० ए० गनी खान

चव्हाण, श्री एस० बी०

चव्हाण, श्री यशवन्तराव

चेन्नुपति, श्रीमती विद्या

चिगवांग कोनयक, श्री

चिन्नास्वामी, श्री सी०

चौबे, श्री नारायण

चौधरी, श्री चित्तुरी सुब्बा राव

चौधरी, श्रीमती ऊषा प्रकाश

चौधरी, श्री सैफुद्दीन

चौहान, श्री फतेहभान सिंह

दाभी, श्री अजीत सिंह

डागा, श्री मूलचन्द

दलबीर सिंह, श्री

दलबीर सिंह, श्री

डामोर, श्री सोमजी भाई

दंडवते, प्रो० मधु

दास, श्री अनादि चरण

दत्त, श्री अमल

डेनिस, श्री एन०

देसाई, श्री बी० बी०

देव, श्री संतोष मोहन

देवराजन, श्री बी०

दंडपाणि, श्री सी० टी०

घोटे, श्री जाम्बुवन्त

दिगम्बर सिंह, श्री

दिग्विजय सिंह, श्री

डोगरा, श्री गिरधारी लाल

डूंगर सिंह, श्री

दुबे, श्री बिन्देश्वरी

दुबे, श्री रामनाथ

एक्का, श्री क्रिस्टोफर

ऐंगटी, श्री बीरेन सिंह

फैलीरो, श्री एडुआर्डो

फर्नान्डीस, श्री ओस्कर

गाडगिल, श्री बी० एन०

गधावी, श्री भेरावदन के०

गायकवाड़, श्री आर० पी०

गायकवाड़, श्री उदयसिंह राव

गामित, श्री छीतूभाई

गांधी, श्रीमती इन्दिरा

गांधी, श्री राजीव

गंगवार, श्री हरीश

गावित, श्री मानिकराव होडल्य

गहलोत, श्री अशोक

घारपाड़े, श्री आर० वाई०

घोष, गोस्वामी, श्रीमती विभा

गुफरान आजम, श्री

गिरिराज सिंह

गोगोई, श्री तरुण

गोहिल, श्री जी० बी०

गोमांगो, श्री गिरिधर

गोपालन, श्रीमती सुशीला

गौडर, श्री ए० सेनापति

गौजगिन, श्री, एन०

गौडा, श्री डी० एम० पुत्ते

गौडा, श्री एच० एन० नन्जे

गुप्त, श्री इन्द्रजीत

हाकम सिंह, श्री

हाल्दर, श्री कृष्ण चन्द्र

हन्नान मोल्लाह, श्री

हेम्ब्रम, श्री सेत

होरो, श्री एन० ई०

जदेदा, श्री दौलतसिंहजी

जाफर शरीफ, श्री सी० के०

जैन, श्री भीकू राम

जैन, श्री वृद्धि चन्द

जक्कायन, श्री एस० टी० के०

जमीलुर्रहमान, श्री

जेना, श्री चिन्तामणि

जितेन्द्र प्रसाद, श्री

काहनडोल, श्री जैड० एम०

कैलाशपति, श्रीमती

कमल नाथ, श्री

कमला कुमारी, कुमारी

कंडास्वामी, श्री एम०

कर्मा, श्री लक्ष्मण

कौल, श्रीमती शीला

कौशल, श्री जगन्नाथ

केन, श्री लालाराम

कैयर भूषण, श्री

खां, श्री आरिफ मोहम्मद

खां, श्री मलिक एम० एम० ए०

खां, श्री जुल्फिकार अली

खारखुली, श्री बाजूबन आर०

किदवई, श्रीमती मोहसिना

कोडियन, श्री पी० के०

कोसल राम, श्री के० टी०

कृष्ण, श्री एस० एम०

कृष्ण प्रताप सिंह, श्री

कृष्णन्, श्री जी० वाई०

क्षीरसागर, श्रीमती केशरबाई

कुचन, श्री गंगाधर एस०

कुलनदईवेलु, डा० वी०

कुन्हम्बु, श्री के०

कुवंर राम, श्री

कुरियन, प्रो० पी० जे०

लकप्पा, श्री के०

लक्ष्मनन्, श्री जी०

लास्कर, श्री निहार रंजन

माधुरी सिंह, श्रीमती

महाबीर प्रसाद, श्री

महाजन, श्री विक्रम

महाजन, श्री वाई० एस०

महाला, श्री आर० पी०

महाटा, श्री चित्त

महेन्द्र प्रसाद, श्री

मैत्रा, श्री सुनील

मकवाना, श्री नरसिंह

मालग्ना, श्री के०

मलिक, श्री लक्ष्मण

मल्लिकार्जुन, श्री

मल्लु, श्री अनन्त रामुलु

माने, श्री आर० एस०

मणि, श्री के० बी० एस०

मन्नी लाल, श्री

मसुदल हुसैन, श्री सैयद

मावणि, श्री रामजीभाई

मेहता, प्रो० अजित कुमार

मिश्र, श्री गार्गी शंकर

मिश्र, श्री रामनगीना

मिश्र, श्री उमा कान्त

मिश्र, श्री हरिनाथ

मिश्र, श्री नित्यानन्द

महन्ती, श्री बृजमोहन

मोहिते, श्री यशवन्तराव

मोहसिन, श्री एफ० एच०

मोरे, श्री रामकृष्ण

मोतीलाल सिंह, श्री

मुखर्जी, श्री समर

मुखोपाध्याय, श्री आनन्द गोपाल

मूर्ति, श्री कुसुम कृष्ण

मूर्ति, श्री एम० राजशेखर

मूर्ति, श्री एम० वी० चन्द्रशेखर

मुत्तेमवार, श्री विलास

मुजफ्फर हुसैन, श्री सैयद

नगीना राय, श्री

नायडू, श्री पी० राजगोपाल

नायक, श्री जी० देवराय

नायकर, श्री डी० के०

नायर, श्री बी० के०

नामग्याल, श्री पी०

नन्दी येल्लैया, श्री

नारायण, श्री के० एस०

नायक, श्री मृत्युंजय

नेहरू, श्री अरुण कुमार

नेताम, श्री अरविन्द

नगनगोम मोहेन्द्रा, श्री

निहाल सिंह, श्री

निहालसिंहवाला, श्री जी० एस०

नीखरा, श्री रामेश्वर

नूरूल इस्लाम, श्री

उखंव, श्रीमती सुमति

पांडे, श्री कृष्णचन्द्र

पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि

पनिका, श्री राम प्यारे

पराशर, प्रो० नारायण चन्द

पारधी, श्री केशवराव

परमार, श्री हीरालाल आर०

पार्थसारथी, श्री पी०

पासवान, श्री राम विलास

पटेल, श्री अहमद मोहम्मद

पटेल, श्री सी० डी०

पटेल, श्री मोहन लाल

पटेल, श्री शान्तुभाई

पाठक, श्री आनन्द

पाटिल, श्री ए० टी०

पाटिल, श्री बालासाहिब विखे

पाटिल, श्री चन्द्रभान आठरे

पाटिल, श्रीमती शालिनी

पाटिल, श्री शंकरराव

पाटिल, श्री शिवराज वी०

पाटिल, श्री उत्तमराव

पाटिल, श्री वीरेन्द्र

पाटिल, श्री विजय एन०

पटनायक, श्रीमती जयन्ती

पट्टाभिरामा राव, श्री

पत्तुस्वामी, श्री डी०

पवार, श्री बालासाहिब

पेंचालैया, श्री पसाला

फुलवारिया, श्री बिरदा राम

पाइलट, श्री राजेश

पुजारी, श्री जनार्दन

पोटदुखे, श्री शान्ताराम

प्रधानी, श्री के०

प्रसन्न कुमार, श्री एस० एन०

पुलठ्या, श्री दारूर

कादरी, श्री एस० टी०

राय, श्री रामायण

राजामल्लू, श्री के०

राजन, श्री के० ए०

राजदा, श्री रतनसिंह

राजेश कुमार सिंह, श्री

राजू, श्री पी० वी० जी०

राम, श्री राम स्वरूप

राम किंकर, श्री

रामलिंगम, श्री एन० कुदन्तई

राममूर्ति श्री के०

रामुलू, श्री एच० जी०

रणवीर सिंह, श्री

रंगा, प्रो० एन० जी०

रणजीत सिंह, श्री

राव, श्रीमती वी० राघाबाई आनन्द

राव, श्री जलगाम कोन्डाला

राव, श्री एम० नागेश्वर

राव, श्री एम० एस० संजीवी

राव, श्री एम० सत्यनारायण

राव, श्री पी० वी० नरसिंह

राव, श्री रामचन्द्र

राठवा, श्री अमर सिंह

राठौर, श्री उत्तम

राउत, श्री भोला

रवाणी, श्री नवीन

रावत, श्री हरीश

रेड्डी, श्री जी० एस०

रेड्डी, श्री जी० नरसिम्हा

रेड्डी, श्री के० ब्रह्मानन्द

रेड्डी, श्री वे० ओबुल

रेड्डी, श्री केविजय भास्कर

रेड्डी, श्री एम० राम गोपाल

रेड्डी श्री पी० वेंकट

रेड्डी, श्री टी० दामोदर

रियान, श्री बाजू बन

रिजक राम, श्री

रोत, श्री जय नारायण

रोयूआमा, डा० आर०

राय, श्री ए० के०

राय प्रधान, श्री अमर

साहा, श्री अजित कुमार

साहो, श्रीमती कृष्णा

साहू, श्री नारायण

साहू, श्री शिव प्रसाद

सज्जन कुमार, श्री

समीनुद्दीन, श्री

संगमा, श्री पी० ए०

संखवार, श्री आशकरन

साठे, श्री वसन्त

सतीश प्रसाद सिंह, श्री

सत्यदेव सिंह, प्रो०

सावसन्त, श्री टी० एम०

सेबस्तियन, श्री एस० ए० दोराई

सेन, श्री सुबोध

सेठी, श्री अर्जुन

सेठी, श्री पी० सी०

शैलानी, श्री चन्द्र पाल

शक्तावत, प्रो० निर्मला कुमारी

शक्यवार, श्री नाथूराम

शंकरानन्द, श्री बी०

शनमुगम, श्री पी०

शर्मा, श्री चिरंजीलाल

शर्मा, श्री काली चरण

शर्मा, श्री नन्द किशोर

शर्मा, श्री नवल किशोर

शर्मा, श्री प्रताप भानु

शर्मा, डा० शंकर दयाल

शास्त्री, श्री धर्मदास

शास्त्री, श्री हरि कृष्ण

शेजवलकर, श्री एन० के०

शिगडा, श्री डी० बी०

शिव शंकर, श्री पी०

शिवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री

शुक्ल, श्री विद्या चरण

सिदनाल, श्री एस० बी०

सिंगारावाडीवेल, श्री एस०

सिंह, श्री सी० पी० एन०

सिंह, श्री धर्मंगज

सिंह, कुमारी पुष्पा देवी

सिंह देव, श्री के० पी०

सिन्हा, श्री निर्मल

सिंह, श्री पीताम्बर

सिन्हा, श्रीमती रामदुलारी

सोलंकी श्री, बाबू लाल

सोरन, श्री हरिहर

सुन्दरराजन, श्री एन०

सोज, प्रो० सैफुद्दीन

स्पैरो, श्री आर० एस०

श्रीनिवास प्रसाद, श्री वी०

सुब्बुरमण, श्री ए० जी०

सुखबन्स कौर, श्रीमती

सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त

सुन्दर सिंह, श्री

सूर्यवंशी, श्री नरसिंह राव

स्वामी, श्री के० ए०

स्वामीनाथन, श्री आर० बी०

तपेश्वर सिंह, श्री

तेइयेंग, श्री सोबेंग

तिवारी, श्री कृष्ण प्रकाश

तिवारी, प्रो० के० के०

थोरट, श्री भाउ साहिब

थुगोन, श्री पी० के०

तिरकी, श्री पीयूष

तिवारी, श्री चन्द्रभाल मणि

तिवारी, श्री राम गोपाल

त्रिपाठी, श्री कमलापति

टुडु, श्री मनमोहन

टाईटलर, श्री जगदीश

उइके, श्री छोटे लाल

उन्नीकृष्ण, श्री के० पी०

वैराले श्री मधुसूदन

वर्मा, श्री जयराम

वर्मा श्री रवीन्द्र

वेलू, श्री ए० एम०

वेंकटसुब्बया, श्री पी०

वर्मा, श्री दीनबन्धु

वर्मा, श्री रीतलाल प्रसाद

वर्मा, श्री रघुनाथ सिंह

वर्मा, श्रीमती उषा

विजयराघवन, श्री वी० एस०

व्यास, श्री गिरधारी लाल

बाघ, डा० प्रताप

वासनिक, श्री बालकृष्ण रामचन्द्र

यादव, श्री डी० पी०

यादव, श्री आर० एन०

यादव, श्री रामसिंह

यादव, श्री सुभाष चन्द्र

याजदानी, डा० गोलम

जायनल अबेदिन, श्री

जैनल बशर, श्री

विपक्ष में : शून्य

अध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन, मत-विभाजन का परिणाम* इस प्रकार है :

पक्ष में : 373

विपक्ष में : शून्य

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य-संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2, 3 और 4 विधेयक में जोड़ दिए गए।

*इस मत विभाजन का परिणाम खण्ड 2, 3 और 4 में से प्रत्येक के लिए पृथक-पृथक लागू है। श्री रामायण राय ने भी प्रस्ताव के पक्ष में अपना मतदान किया।

खंड 1

संशोधन किया गया

पृष्ठ 1, पंक्ति 3,

"इक्यावनवां" के स्थान पर "उन्चासवां" प्रतिस्थापित किया जाए —2

(श्री पी० वी० नरसिंह राव)

अध्यक्ष महोदय : इससे पहले कि मैं संशोधित रूप में खंड 1 को सभा में मतदान के लिए रखूं, क्योंकि यह एक संविधान संशोधन विधेयक है, इसलिए मतदान विभाजन द्वारा होगा।

7.00 म० प०

अध्यक्ष महोदय : दीर्घायें खाली कर दी गई हैं। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, यथासंशोधित, विधेयक का अंग बने।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ :

7.01 म० प०

पक्ष में

मत—विभाजन संख्या : 17

अब्बासी, श्री काजी जलील

अग्रवाल, श्री सतीश

अहमद, श्री मोहम्मद असरार

अहमद, बेगम आबिदा

अहमद, श्री गुलशेर

अहमद, श्री कमालुद्दीन

अजीत प्रताप सिंह

अल्लूरी, श्री सुभाषचन्द्र बोस

आनन्द सिंह, श्री

अंकिनीडु, श्री एम०

अंकिनीडु प्रसाद राव, श्री पी०

अंसारी, श्री जियाउर्रहमान

अनुरागी, श्री गोदिल प्रसाद

अनवार अहमद, श्री

अप्पालानायडू, श्री एस० आर० ए० एस०

अराकल, श्री जेवियर

अरुणाचलम, श्री एम०

अशफाक हुसैन, श्री

आजाद, श्री भागवत झा

आजाद, श्री गुलाम नबी

आजमी, डा० ए० यू०

बागुन सुम्बरुई, श्री

बेरवा, श्री बनवारी लाल

बैठा, श्री डूमर लाल

बाजपेयी, डा० राजेन्द्र कुमारी

बालेश्वर राम, श्री

बनातवाला, श्री० जी० एम०

बन्सीलाल, श्री

बर्मन, श्री पलाश

बसु, श्री चित्त

बहेरा, श्री रास बिहारी

भगत, श्री बी० आर०

भगत, श्री एच० के० एल०

भगवान देव, आचार्य

भक्त, श्री मनोरंजन

भारद्वाज, श्री परसराम

भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल

भीखाभाई, श्री

भोई, डा० कृपासिन्धु

भोले, श्री आर० आर०

भोये, श्री रेशमा मोतीराम

भूरिया, श्री दिलीप सिंह

भूयन, श्री भुवनेश्वर

बीरबल, श्री

बीरेन्द्र सिंह, राव

विष्णु प्रसाद, श्री

विश्वास, श्री अजय

बोड्डेपल्ली, श्री राजगोपाल राव

ब्रार, श्रीमती गुरबिन्दर कौर

बृजेन्द्रपाल सिंह, श्री

बूटा सिंह, श्री

चक्रवर्ती, श्री सत्यसाधन

चक्रधारी सिंह, श्री

चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल

चन्दशेखरप्पा, श्री टी० वी०

चरणजीत सिंह, श्री

चटर्जी श्री सोमनाथ

चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती

चौधरी, श्री मनफूल सिंह

चौधरी, श्री ए० वी० ए० गनी खान

चव्हाण, श्री एस० बी०

चव्हाण, श्री यशवन्तराव

चेन्नुपति, श्रीमती विद्या

चिंगबांग कोनयक, श्री

चिन्नास्वामी, श्री सी०

चौबे, श्री नारायण

चौधरी, श्री चित्तूरी सुब्बा राव

चौधरी, श्रीमती ऊषा प्रकाश

चौधरी, श्री सैफुद्दीन

चौहान, श्री फतेहभान सिंह

दाभी, श्री अजीत सिंह

डागा, श्री मूलचन्द

दलवीर सिंह, श्री

दलबीर सिंह, श्री

डामोर, श्री सोमजीभाई

दण्डवते, प्रो० मधु

दास, श्री अनादि चरण

दत्त, श्री अमल

डेनिस, श्री एन०

देसाई, श्री बी० वी०

देव, श्री सन्तोष मोहन

देवराजन, श्री वी०

दण्डपाणि, श्री सी० टी०

धोटे, श्री जाम्बुवन्त

दिगम्बर सिंह, श्री

दिग्विजय सिंह, श्री

डोगरा, श्री गिरधारी लाल

डूंगर सिंह, श्री

दुबे, श्री बिन्देश्वरी

दुबे, श्री रामनाथ

एक्का, श्री क्रिस्टोफर

ऐंगटी, श्री नीरेन सिंह

ईरा अनाबारासु, श्री

फैलीरो, श्री एडुआर्डो

फर्नान्डीस, श्री ओस्कर

गाडगिल, श्री बी० एन०

गधावी, श्री भेरावदन के०

गायकवाड़, श्री आर० पी०

गायकवाड़, श्री उदयसिंह राव

गामित, श्री छीतूभाई

गांधी, श्रीमती इन्दिरा

गांधी, श्री राजीव

गंगवार, श्री हरीश

गावित, श्री मानिकराव होडल्य

गहलोत, श्री अशोक

घोरपाड़े, श्री आर० वाई०

घोष, गोस्वामी, श्रीमती बिभा

गुफरान आजम, श्री

गिरिराज सिंह

गोगोई, श्री तरुण

गोहिल, श्री जी० बी०

गोमांगो, श्री गिरिधर

गोपालन, श्रीमती सुशीला

गौंडर, श्री ए० सेनापैति

गौजगिन, श्री एन०

गौडा, श्री डी० एम० पुत्ते

गौडा, श्री एच० एन० नन्जे

गुप्त, श्री इन्द्रजीत

हाकम सिंह श्री

हाल्दर, श्री कृष्ण चन्द्र

हन्नान मोल्लाह, श्री

हेमब्रम, श्री सेत

होरो, श्री एन० ई०

जदेदा, श्री दौलतसिंहजी

जाफर शरीफ, श्री सी० के०

जैन, श्री भीकू राम

जैन, श्री बृद्धि चन्द

जक्कायन, श्री एस० टी० के०

जमीलुर्रहमान, श्री

जेना, श्री चिन्तामणि

जितेन्द्र प्रसाद, श्री

काहनडोल, श्री जैड० एम०

कैलाशपति, श्रीमती

कमल नाथ, श्री

कमला कुमारी, कुमारी

कंडास्वामी, श्री एम०

कर्मा, श्री लक्ष्मण

कौल, श्रीमती शीला

कौशल, श्री जगन्नाथ

केन, श्री लालाराम

कैयर भूषण, श्री

खां, श्री आरिफ मोहम्मद

खां, श्री मलिक एम० एम० ए०

खां, श्री जल्फिकार अली

खारखुली, श्री बाजूबन आर०

किदवई, श्रीमती मोहसिना

कोडियन, श्री पी० के०

कोसलराम, श्री के० टी०

कृष्ण, श्री एस० एम०

कृष्ण प्रताप सिंह, श्री

कृष्णन्, श्री जी० वाई०

क्षीरसागर, श्रीमती केशरबाई

कुचन, श्री गंगाधर एस०

कुलनदईवेलु, डा० वी०

कुन्हम्बु, श्री के०

कुवंर राम, श्री

कुरियन, प्रो० पी० जे०

कुसुम कृष्ण मूर्ति, श्री

लकप्पा, श्री के०

लक्ष्मनन् श्री जी०

लास्कर, श्री निहार रंजन

माधुरी सिंह, श्रीमती

महाबीर प्रसाद, श्री

महाजन, श्री विक्रम

महाजन, श्री वाई० एस०

महाला, श्री आर० पी०

महाटा, श्री चित्त

महेन्द्र प्रसाद, श्री

मैत्रा, श्री सुनील

मकवाना, श्री नरसिंह

मालन्ना, श्री के०

मलिक, श्री लक्ष्मण

मल्लिकार्जुन, श्री

मल्लु, श्री अनन्त रामुलु

मंडल, श्री धनिक लाल

मण्डल, श्री मुकुन्द

मण्डल, श्री सनत कुमार

माने, श्री आर० एस०

मणि, श्री के० बी० एस०

मन्नी लाल, श्री

मसुदल हुसैन, श्री सैयद

मावणि, श्री रामजीभाई

मेहता, प्रो० अजित कुमार

मिश्र, श्री गार्गी शंकर

मिश्र, श्री रामनगीना

मिश्र, श्री उमा कान्त

मिश्र, श्री हरिनाथ

मिश्र, श्री नित्यानन्द

महन्ती, श्री बृजमोहन

मोहिते, श्री यशवन्तराव

मोहसिन, श्री एफ० एच०

मोरे, श्री रामकृष्ण

मोतीलाल सिंह, श्री

मुखर्जी, श्री समर

मुखोपाध्याय, श्री आनन्द गोपाल

मूर्ति, श्री कुसुम कृष्ण

मूर्ति, श्री एम० राजशेखर

मूर्ति, श्री एम० वी० चन्द्रशेखर

मुत्तेमवार, श्री विलास

मुजफ्फर हुसैन, श्री सैयद

नगीना राय, श्री

नायडू, श्री पी० राजगोपाल

नायक, श्री जी० देवराय

नायकर, श्री डी० के०

नायर, श्री बी० के०

नामग्याल, श्री पी०

नन्दी येल्लैया, श्री

नारायण, श्री के० एस०

नायक, श्री मृत्युंजय

नेहरू, श्री अरुण कुमार

नेताम, श्री अरविन्द

नगनगोम मोहेन्द्रा, श्री

निहाल सिंह, श्री

निहालसिंहवाला, श्री जी० एस०

नीखरा, श्री रामेश्वर

नूरुल इस्लाम, श्री

उरांव, श्रीमती सुमति

पांडे, श्री कृष्णचन्द्र

पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि

पनिका, श्री राम प्यारे

पराशर, प्रो० नारायण चन्द

पारधी, श्री केशवराव

परमार, श्री हीरालाल आर०

पार्थसारथी, श्री पी०

पासवान, श्री राम विलास

पटेल, श्री अहमद मोहम्मद

पटेल, श्री सी० डी०

पटेल, श्री मोहन लाल

पटेल, श्री शान्तुभाई

पाठक, श्री आनन्द

पाटिल, श्री ए० टी०

पाटिल, श्री बालासाहिब बिखे

पाटिल, श्री चन्द्रभान आठरे

पाटिल, श्रीमती शालिनी

पाटिल, श्री शंकरराव

पाटिल, श्री शिवराज वी०

पाटिल, श्री उत्तमराव

पाटिल, श्री वीरेन्द्र

पाटिल, श्री विजय एन०

पटनायक, श्रीमती जयन्ती

पट्टाभिरामा राव, श्री

पत्तुस्वामी, श्री डी०

पवार, श्री बालासाहिब

पेंचालैया, श्री पसाला

फुलबारिया, श्री विरदा राम

पाइलट, श्री राजेश

पुजारी, श्री जनार्दन

पोटबुखे, श्री शान्ताराम

प्रधानी, श्री के०

प्रसन्न कुमार, श्री एस० एन०

पुलइया, श्री दारूर

कादरी, श्री एस० टी०

राजेश कुमार सिंह, श्री

राजू, श्री पी० वी० जी०

राम, श्री राम स्वरूप

राम किंकर, श्री

रामलिंगम, श्री एन० कुदन्तई

राममूर्ति, श्री के०

रामुलु, श्री एच० जी०

रणवीर सिंह, श्री

रंगा, प्रो० एन० जी०

रणजीत सिंह, श्री

राव, श्रीमती बी० राधाबाई आनन्द

राव, श्री जलगाम कोन्डाला

राव, श्री एम० नागेश्वर

राव, श्री एम० एस० संजीवी

राव, श्री एम० सत्यनारायण

राव, श्री पी० वी० नरसिंह

रथ, श्री रामचन्द्र

राठवा, श्री अमर सिंह

राठौर, श्री उत्तम

राउत, श्री भोला

रवाणी, श्री नवीन

रावत, श्री हरीश

रेड्डी, श्री जी० एस०

रेड्डी, श्री जी० नरसिम्हा

रेड्डी, श्री के० ब्रह्मानन्द

रेड्डी, श्री के० मोबुल

रेड्डी, श्री के० विजय भास्कर

रेड्डी, श्री एम० राम गोपाल

रेड्डी, श्री पी० वेंकट

रेड्डी, श्री टी० वामोदर

रियान, श्री बाजूबन

रिजक राम, श्री

शैत, श्री जय नारायण

रोथूआमा, डा० आर०

राय, श्री ए० के०

राय प्रधान, श्री अमर

साहा, श्री अजित कुमार

साही, श्रीमती कृष्णा

साहू, श्री नारायण

साहू, श्री शिव प्रसाद

सज्जन कुमार, श्री

समीनुद्दीन, श्री

संगमा, श्री पी० ए०

संखवार, श्री बाबकरन

साठे, श्री वसन्त

सतीश प्रसाद सिंह, श्री

सत्यदेव सिंह, प्रो०

सावन्त, श्री टी० एम०

सेबस्तियन, श्री एस० ए० दोराई

सेन, श्री सुबोध

सेठी, श्री अर्जुन

शैलानी, श्री चन्द्रपाल

शक्तावत, प्रो० निर्मला कुमारी

शक्यवार, श्री नाथूराम

शंकरानन्द श्री, बी०

शनमुगम, श्री पी०

शर्मा, श्री चिरंजी लाल

शर्मा, श्री काली चरण

शर्मा, श्री नन्द किशोर

शर्मा, श्री नवल किशोर

शर्मा, श्री प्रताप भानु

शर्मा, डा० शंकर दयाल

शास्त्री, श्री धर्मदास

शास्त्री, श्री हरि कृष्ण

शेजवलकर, श्री एन० के०

शिगडा, श्री डी० बी०

शिव शंकर, श्री पी०

शिवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री

शुक्ल, श्री विद्या चरण

सिदनाल, श्री एस० बी०

सिंगारावा डीवेल, श्री एस०

सिंह, श्री बी० डी०

सिंह, डा० बी० एन०

सिंह, श्री सी० पी० एन०

सिंह, श्री धर्मगज

सिंह, कुमारी पुष्पा देवी

सिंह, देव, श्री के० पी०

सिन्हा, श्री निर्मल

सिन्हा, श्रीमती रामदुलारी

सिंह, श्री पीताम्बर

सोलंकी, श्री बाबू लाल

सोरन, श्री हरिहर

सुन्दरराजन, श्री एन०

सोज, प्रो० सैफुद्दीन

स्पैरो, श्री आर० एस०

श्रीनिवास प्रसाद, श्री वी०

सुब्बुरमण, श्री ए० जी०

सुखबन्स कौर, श्रीमती

सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त

सुन्दर सिंह, श्री

सूर्यवंशी, श्री नरसिंह

स्वामी, श्री के० ए०

स्वामीनाथन, श्री आर० वी०

तपेश्वर सिंह, श्री

तेइबेंग, श्री सोबेंग

तिवारी, श्री कृष्ण प्रकाश

तिवारी, प्रो० के० के०

थोरट, श्री भाउसाहिब

थुगोन, श्री पी० के०

तिरकी, श्री पीयूष

तिवारी, श्री चन्द्रभाल मणि

तिवारी, श्री राम गोपाल

त्रिपाठी, श्री कमलापति

टुडू, श्री मनमोहन

टाईटलर, श्री जगदीश

उइके, श्री छोटे लाल

उन्नीकृष्ण, श्री के० पी०

वैराले, श्री मधुसूदन

वर्मा, श्री जय राम

वर्मा, श्री रवीन्द्र

वेलू, श्री ए० एम०

वेंकटसुब्बया, श्री पी०

वर्मा, श्री दीनबन्धु

वर्मा, श्री रीतलाल प्रसाद

वर्मा, श्री रघुनाथ सिंह

वर्मा, श्रीमती ऊषा

विजयराघवन, श्री वी० एस०

व्यास, श्री गिरधारीलाल

बाघ, डा० प्रताप

वासनिक, श्री बालकृष्ण रामचन्द्र

यादव, श्री डी० पी०

यादव, श्री आर० एन०

यादव, श्री राम सिंह

यादव, श्री सुभाष चन्द्र

याजदानी, डा० गोलम

जायनल अबेदिन, श्री

जैनल बशर, श्री

विपक्ष में : शून्य

अध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्ययीन, मत-विभाजन का परिणाम* इस प्रकार है :

पक्ष में : 373

विपक्ष में : शून्य

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, यथासंशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

अधिनियम सूत्र तथा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि विधेयक, यथा संशोधित, पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : अब मेरे पास चार सदस्यों के नाम हैं जो तीसरे वाचन पर बोलना चाहते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : यदि उन्हें बोलने की अनुमति नहीं दी जाती है तो कम से कम आप उनके नाम पढ़ सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : वे हैं : श्री बाजूबन रियान, श्री सैफुद्दीन सोज, श्री आनन्द पाठक और श्री सुनील मैत्रा।

एक माननीय सदस्य : कम से कम आप श्री बाजूबन रियान को बोलने की अनुमति दें क्योंकि वह त्रिपुरा से है।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, श्री बाजू बन रियान।

***श्री बाजू बन रियान** (त्रिपुरापूर्व) : अध्यक्ष महोदय, मैं त्रिपुरा राज्य के लिए संविधान की नौवीं अनुसूची लागू करने के लिए लाए गए इस विधेयक का समर्थन करता हूं और स्वागत करता हूं हालांकि

*सर्वश्री प्रकाश चन्द्र सेठी और रामायण राय ने भी पक्ष में अपना मतदान किया।

*बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

इसे बहुत विलम्ब से लाया गया है। मैं इस अवसर पर त्रिपुरा के सभी लोकतन्त्री लोगों, चाहे वे बंगाली हों तथा आदिवासी हों, को अपनी श्रद्धांजलि तथा सम्मान प्रकट करता हूं जिन्होंने साम्यवादी मार्क्सवादी दल के नेतृत्व में इस विधेयक के लिए लम्बे अर्से तक संघर्ष किया और आन्दोलन किया। उनमें से अधिकांश ने महत्वपूर्ण बलिदान दिये हैं और कुछ ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए हैं और वे इसके लिए शहीद हो गए हैं। मैं उनका अभिनन्दन करता हूं। यदि वे, जो त्रिपुरा में 1977 तक सत्ता में थे, आदिवासियों के उत्थान के लिए इस विधेयक को लाने में रुचि रखते थे तथा त्रिपुरा के लिए छठी अनुसूची को लागू करने के बारे में ईमानदार थे तो यह विधेयक बहुत पहले लाया जा सकता था। लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि जो 1977 तक सत्ता में थे उन्होंने इस विधेयक को लाने की आवश्यकता नहीं समझी और न ही हमने उन्हें इस विधेयक के समर्थन में कोई बयान देते हुए सुना है। हमने इस विधेयक का समर्थन करते हुए उनकी पार्टी के किसी व्यक्ति को नहीं सुना है। लेकिन साम्यवादी मार्क्सवादी दल, गण मुक्ति परिषद तथा ऐसे ही अन्य लोकतांत्रिक दल सदैव इस उद्देश्य के लिए आन्दोलन करते रहे हालांकि वे सत्ता में नहीं थे अपितु विपक्ष में थे। लेकिन क्योंकि वे सत्ता में थे, इसलिए वे कुछ नहीं कर सके। 1977 में त्रिपुरा में वामपंथी सरकार के सत्ता में आने पर राज्य सरकार ने इस मांग के समर्थन में एक संकल्प पारित किया और इसे स्वीकृति के लिए केन्द्रीय सरकार के पास भेजा। उस समय केन्द्र में जनता सरकार सत्ता में थी। चूंकि केन्द्रीय सरकार ने त्रिपुरा राज्य में छठी अनुसूची को लागू करने की स्वीकृति नहीं दी, अतः राज्य सरकार ने संविधान की सातवीं अनुसूची के अन्तर्गत त्रिपुरा आदिवासी क्षेत्र स्वायत्तशासी जिला परिषद का गठन किया। यह बड़ी खुशी की बात है कि आज अन्ततः हम त्रिपुरा राज्य में छठी अनुसूची के उपबन्ध लागू करने जा रहे हैं। महोदय, यह बड़े संतोष की बात है कि इस सदन द्वारा सर्वसम्मति रूप से यह विधेयक पारित किया गया है। मुझे आशा है कि आने वाले दिनों में केन्द्र सरकार इस विधेयक को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए उदारता से सहायता देगी। इस विधेयक के उपबन्ध असम, मेघालय आदि में लागू हैं। लेकिन उन्हें पर्याप्त धनराशि तथा शक्ति प्रदान नहीं की जा रही है और इसके परिणामस्वरूप इसका कार्यान्वयन पर्याप्त अथवा संतोषजनक नहीं है। महोदय, मैं सचेत करना चाहूंगा कि यदि इस विधेयक के उपबन्धों को लागू करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा त्रिपुरा को पर्याप्त सहायता उपलब्ध नहीं कराई गई तो त्रिपुरा के लोग केन्द्र से सहायता प्राप्त करने के लिए संघर्ष करेंगे और इसके लिए सरकार को तैयार रहना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, क्या आपने इस पर कहना है ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : जी नहीं, महोदय।

अध्यक्ष महोदय : इससे पूर्व कि मैं इस विधेयक को यथासंशोधित सभा के पारित करने के लिए मतदान के लिए रखूं, क्योंकि यह एक संविधान संशोधन विधेयक है, इसलिए मतदान विभाजन द्वारा होगा।

घंटियां खाली कर दी जायें।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, यथासंशोधित, पारित किया जाए।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ : 365-0

7.12 म० प०

पक्ष में

मत-विभाजन संख्या : 18

अब्बासी, श्री काजी जलील

अग्रवाल, श्री सतीश

अहमद, श्री मोहम्मद असरार

अहमद, बेगम आबिदा

अहमद, श्री गुलशेर

अहमद, श्री कमालुद्दीन

अजीत प्रताप सिंह

अल्लूरी, श्री सुभाष चन्द्र बोस

आनन्द सिंह, श्री

अंकिनीडू, श्री एम०

अंकिनीडू प्रसाद राव, श्री पी०

अन्सारी, श्री जियाउर्रमान

अनुरागी, श्री गोदिल प्रसाद

अनवार अहमद श्री

अप्पालानायडू, श्री एस० आर० ए० एस०

अराकल, श्री जेवियर

अरुणाचलम, श्री एम०

अशफाक हुसैन, श्री

आजाद, श्री भागवत झा

आजाद, श्री गुलाम नबी

आजमी, डा० ए० यू०

बागुन सुम्बरुई, श्री

बेरवा, श्री बनवारी लाल

बैठा, श्री डूमर लाल

वाजपेयी, डा० राजेन्द्र कुमारी

बालेश्वर राम, श्री

बनातवाला, श्री जी० एम०

बन्सी लाल, श्री

बर्मन, श्री पलाश

बसु, श्री चित्त

बहेरा, श्री राम बिहारी

भगत, श्री बी० आर०

भगत, श्री एच० के० एल०

भगवान देव, आचार्य

भक्त, श्री मनोरंजन

भारद्वाज. श्री परसराम

भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल

भीखाभाई, श्री

भीम सिंह, श्री

भोई, डा० कृपासिन्धु

भोले, श्री आर० आर०

भोये, श्री रेशमा मोतीराम

भूरिया, श्री दिलीप सिंह

भूयन, श्री भुवनेश्वर

बीरबल, श्री

बीरेन्द्र सिंह, राव

विष्णु प्रसाद, श्री

विश्वास, श्री अजय

बोड्डेपल्ली, श्री राजगोपाल राव

ब्रार, श्रीमती गुरबिन्दर कौर

बृजेन्द्र पाल सिंह, श्री

बूटा सिंह, श्री

चक्रवर्ती, श्री सत्यसाधन

चक्रधारी सिंह, श्री

चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल

चन्द्रशेखरप्पा, श्री टी० वी०

चरणजीत सिंह, श्री

चटर्जी, श्री सोमनाथ

चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती

चौधरी , श्री मनफूल सिंह

चौधरी, श्री ए० बी० ए० गनी खान

चव्हाण, श्री एस० बी०

चव्हाण, श्री यशवन्तराव

चेन्नुपति, श्रीमती विद्या

चिंगवांग कोनयक, श्री

चिन्नास्वामी, श्री सी०

चौबे, श्री नारायण

चौधरी, श्रीमती ऊषा प्रकाश

चौधरी, श्री सैफुद्दीन

चौहान, श्री फतेहभान सिंह

दाभी, श्री अजीत सिंह

डागा, श्री मूलचन्द

दलवीर सिंह, श्री

दलवीर सिंह, श्री

डामोर, श्री सोमजीभाई

दण्डवते, प्रो॰ मधु

दण्डवते, श्रीमती प्रमिला

दास, श्री अनादि चरण

दत्त, श्री अमल

डेनिस, श्री एन॰

देसाई, श्री बी वी॰

देव, श्री सन्तोष मोहन

देवराजन, श्री बी॰

दण्डपाणि, श्री सी॰ टी॰

डोगरा, श्री गिरिधारी लाल

डूंगर सिंह, श्री

दुबे, श्री विन्देश्वरी

दुबे, श्री रामनाथ

एक्का, श्री क्रिस्टोफर

ऐंगटी, श्री बीरेन सिंह

ईरा अनावारासु, श्री

फेलीरो, श्री एडुआर्डो

फर्नान्डीस, श्री ओस्कर

गाडगिल, श्री बी० एन०

गधावी, श्री भेरावदन के०

गायकवाड़, श्री आर० पी०

गायकवाड़, श्री उदयसिंह राव

गामित, श्री छीतूभाई

गांधी, श्रीमती इन्दिरा

गांधी, श्री राजीव

गंगवार, श्री हरीश

गावित, श्री मानिकराव होडल्य

गहलोत, श्री अशोक

घारपाड़े, श्री आर० वाई

घोष, गोस्वामी, श्रीमती बिभा

गुफरान आजम, श्री

गिरिराज सिंह

गोगोई, श्री तरुण

गोहिल, श्री जी० बी०

गोमांगो, श्री गिरिधर

गोपालन, श्रीमती सुशीला

गौंडर, श्री ए० सेनापति

गौजगिन, श्री एन०

गौडा, श्री डी० एम० पुत्ते

गौडा, श्री एच० एन० नन्जे

गुप्त, श्री इन्द्रजीत

हाकम सिंह, श्री

हाल्दर, श्री कृष्ण चन्द्र

हन्नान मोल्लाह, श्री

हेमब्रम, श्री सेत

होरो, श्री एन० ई०

इन्द्रा कुमारी, श्रीमती

जदेदा, श्री दौलत सिंह जी

जाफर शरीफ, श्री सी० के०

जैन, श्री भीकूराम

जैन, श्री वृद्धि चन्द

जक्कायन, श्री एस० टी० के०

जमीलुर्रहमान, श्री

जेना, श्री चिन्तामणि

जितेन्द्र प्रसाद, श्री

काहनडोल, श्री जैड० एम०

कैलाशपति, श्रीमती

कमलनाथ, श्री

कमला कुमारी, कुमारी

कंडास्वामी, श्री एम०

कर्मा, श्री लक्ष्मण

कौल, श्रीमती शीला

केन, श्री लालाराम

कैयर भूषण, श्री

खां, श्री आरिफ मोहम्मद

खां, श्री मलिक एम० एम० ए०

खां, श्री जल्फिकार अली

खारखुली, श्री बाजूबन आर०

किदवई, श्रीमती मोहसिना

कोडियन, श्री पी० के०

कोसलराम, श्री के० टी०

कृष्ण, श्री एस० एम०

कृष्ण प्रताप सिंह, श्री

कृष्णन्, श्री जी० वाई०

क्षीरसागर, श्रीमती केशरबाई

कुचन, श्री गंगाधर एस०

कुलनदईवेलु, डा० वी०

कुन्हम्बु, श्री के०

कुवंर राम, श्री

कुरियन, प्रो० पी० जे०

लकप्पा, श्री के०

लक्ष्मनन्, श्री जी०

लास्कर, श्री निहार रंजन

माधुरी सिंह, श्रीमती

महाबीर प्रसाद, श्री

महाजन, श्री बिक्रम

महाजन, श्री बाई० एस०

महाला, श्री आर० पी०

महाटा, श्री चित्त

महेन्द्र प्रसाद, श्री

मैत्रा, श्री सुनील

मकवाना, श्री नरसिंह

मालन्ना, श्री के०

मलिक, श्री लक्ष्मण

मल्लिकार्जुन, श्री

मल्लु, श्री अनन्त रामुलु

माने, श्री आर० एस०

मणि, श्री के० बी० एस०

मन्नी लाल, श्री

मसुदल हुसैन, श्री सैयद

मावणि, श्री रामजी भाई

मेहता, श्री० अजित कुमार

मिश्र, श्री गार्गी शंकर

मिश्र, श्री रामनगीना

मिश्र, श्री उमा कान्त

मिश्र, श्री हरिनाथ

मिश्र, श्री नित्यानन्द

महन्ती, श्री बृजमोहन

मोहिते, श्री यशवन्तराव

मोहसिन, श्री एफ० एच०

मोरे, श्री रामकृष्ण

मोतीलाल सिंह, श्री

मुखर्जी, श्री समर

मुखोपाध्याय, श्री आनन्द गोपाल

मूर्ति, श्री कुसुम कृष्ण

मूर्ति, श्री एम० राजशेखर

मूर्ति, श्री एम० बी० चन्द्रशेखर

मुत्तेमवार, श्री विलास

मुजफ्फर हुसैन, श्री सैयद

नगीना राय, श्री

नायडू, श्री पी० राजगोपाल

नायक, श्री जी० देवराय

नायकर, श्री डी० के०

नायर, श्री बी० के०

नामग्याल, श्री पी०

नन्दी येल्लैया, श्री

नारायण, श्री के० एस०

नायक, श्री मृत्युंजय

नेहरू, श्री अरुण कुमार

नेताम, श्री अरविन्द

नगनगोम मोहेन्द्रा, श्री

निहाल सिंह, श्री

निहाल सिंह वाला, श्री जी० एस०

नीखरा, श्री रामेश्वर

नूरुल इस्लाम, श्री

उरांव, श्रीमती सुमति

पांडे, श्री कृष्णचन्द्र

पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि

पनिका, श्री राम प्यारे

पराशर, प्रो० नारायण चन्द

पारधी, श्री केशवराव

पार्थसारथी, श्री पी०

पासवान, श्री राम विलास

पटेल, श्री अहमद मोहम्मद

पटेल, श्री सी० डी०

पटेल, श्री मोहन लाल

पटेल, श्री शान्तुभाई

पाठक, श्री आनन्द

पाटिल, श्री ए० टी०

पाटिल, श्री बालासाहिब विखे

पाटिल, श्री चन्द्रभान आठरे

पाटिल, श्रीमती शालिनी

पाटिल, श्री शंकरराव

पाटिल, श्री शिवराज

पाटिल, श्री उत्तमराव

पाटिल, श्री वीरेन्द्र

पाटिल, श्री विजय एन०

पटनायक, श्रीमती जयन्ती

पट्टाभिरामा राव, श्री

पत्तुस्वामी, श्री डी०

पवार, श्री बालासाहिब

पेंचालैया, श्री पसाला

फुलवारिया, श्री विरदा राम

पाइलट, श्री राजेश

पुजारी, श्री जनार्दन

प्रधानी, श्री के०

प्रसन्न कुमार, श्री एस० एन०

पुनठ्या, श्री दारूर

कादरी, श्री एस० टी०

राजेश कुमार सिंह, श्री

राजू, श्री पी० वी० जी०

राम, श्री राम स्वरूप

राम किंकर, श्री

राममूर्ति श्री के०

रामुलु, श्री एच० जी०

रणवीर सिंह,

रंगा, प्रो० एन० जी०

रणजीत सिंह, श्री

राव, श्रीमती बी० राधाबाई आनन्द

राव, श्री जलगाम कोन्डाला

राव, श्री एम० नागेश्वर

राव, श्री एम० एस० संजीवी

राव, श्री एम० सत्यनारायण

राव, श्री पी० वी० नरसिंह

रथ, श्री रामचन्द्र

राठवा, श्री अमर सिंह

राठौर, श्री उत्तम

राउत, श्री भोला

रवाणी, श्री नवीन

रावत, श्री हरीश

रेड्डी, श्री जी० एस०

रेड्डी, श्री जी० नरसिम्हा

रेड्डी, श्री के० ब्रह्मानन्द

रेड्डी, श्री के० ओबुल

रेड्डी, श्री के० विजय भास्कर

रेड्डी, श्री एम० राम गोपाल

रेड्डी, श्री पी० वेंकट

रेड्डी, श्री टी० दामोदर

रियान, श्री बानू बन

रिजक राम, श्री

रौत, श्री जय नारायण

राय, श्री ए० के०

राय प्रधान, श्री अमर

साहा, श्री अजित कुमार

साही, श्रीमती कृष्णा

साहू, श्री नारायण

साहू, श्री शिव प्रसाद

सज्जन कुमार, श्री

समीनुद्दीन, श्री

संगमा, श्री पी० ए०

संखवार, श्री आशकरन

साठे, श्री बसन्त

सतीश प्रसाद सिंह, श्री

सत्यदेव सिंह, प्रो०

सावन्त, श्री टी० एम०

सेबस्तियन, श्री एस० ए० दोराई

सेन, श्री सुबोध

सेठी, श्री अर्जुन

शैलानी, श्री चन्द्रपाल

शक्तावत, प्रो० निर्मला कुमारी

शक्यवार, श्री नाथूराम

शंकरानन्द, श्री बी०

शनमुगम, श्री पी०

शर्मा, श्री चिरंजी लाल

शर्मा, श्री काली चरण

शर्मा, श्री नन्द किशोर

शर्मा, श्री नवल किशोर

शर्मा, श्री प्रताप भानु

शर्मा, डा० शंकर दयाल

शास्त्री, श्री धर्मदास

शास्त्री, श्री हरि कृष्ण

शेजवलकर, श्री एन० के०

शिगडा, श्री डी० बी०

शिव शंकर, श्री पी०

शिवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री

शुक्ल, श्री विद्या चरण

सिदनाल, श्री एस० बी० .

सिंगारावाडीवेल, श्री एस०

सिंह, श्री बी० डी०

सिंह, डा० बी० एन०

सिंह, श्री सी० पी० एन०

सिंह, श्री धर्मंजय

सिंह, कुमारी पुष्पा देवी

सिंह देव, श्री के० पी०

सिन्हा, श्री निर्मल

सिन्हा, श्रीमती रामदुलारी

सिंह, श्री पीताम्बर

सोलंकी, श्री बाबू लाल

सोरन, श्री हरिहर

सुन्दरराजन, श्री एन०

सोज, प्रो० सैफुद्दीन

स्पैरो, श्री आर० एस०

श्री निवास प्रसाद, श्री वी०

सुब्बुरमण, श्री ए० जी०

सुखबन्स कौर, श्रीमती

सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त

सुन्दर सिंह, श्री

सूर्यवन्शी, श्री नरसिंह

स्वामी, श्री के० ए०

स्वामीनाथन, श्री आर० बी०

तपेश्वर सिंह, श्री

तेइयेंग, श्री सोबेंग

तिवारी श्री कृष्ण प्रकाश

तिवारी, प्रो० के० के०

थोरट, श्री माउसाहिब

थुगोन, श्री पी० के०

तिरकी, श्री पीयूष

तिवारी, श्री चन्द्रभाल मणि

तिवारी, श्री राम गोपाल

त्रिपाठी, श्री कमलापति

टुडु, श्री मनमोहन

टाईटलर, श्री जगदीश

उइके, श्री छोटे लाल

उन्नीकृष्ण, श्री के० पी०

बैराले, श्री मधुसूदन

वर्मा, श्री जय राम

वर्मा, श्री रवीन्द्र

वेलू, श्री ए० एम०

वेंकटसुब्बया, श्री पी०

वर्मा, श्री दीनबन्धु

वर्मा, श्री रघुनाथ सिंह

वर्मा, श्रीमती ऊषा

विजयराघवन, श्री वी० एस०

व्यास, श्री गिरधारी लाल

बाघ, डा० प्रताप

वासनिक, श्री बालकृष्ण रामचन्द्र

यादव, श्री डी० पी०

यादव, श्री आर० एन०

यादव, श्री राम सिंह

यादव, श्री सुभाष चन्द्र

याजदानी, डा० गोलम

जायनल अबेदिन, श्री

जैनल बशर, श्री

विपक्ष में : शून्य

अध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन, मत-विभाजन का परिणाम* इस प्रकार है :

पक्ष में : 365

विपक्ष में : शून्य

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ। यथा संशोधित विधेयक संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबन्धों के अनुसार अपेक्षित बहुमत द्वारा पारित किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

7.14 म० प०

संविधान (52वां संशोधन) विधेयक

अध्यक्ष महोदय : अब सदन कार्यसूची की मद संख्या 22 को लेगा।

गृह मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदय, अनुच्छेद 33 में संसद को यह अधिकार दिया गया है कि संविधान के भाग 3 द्वारा दिए गए अधिकारों में से किसी को सशस्त्र बलों अथवा सार्वजनिक व्यवस्था-भार वाले बलों के सदस्यों के लिए प्रयोग होने की अवस्था में किस मात्रा तक निर्बन्धित या निराकृत किया जाए ताकि उनके कर्तव्यों का उचित पालन तथा उनमें अनुशासन बना रहना सुनिश्चित रहे।

कुछ ऐसे अन्य संगठन भी हैं जिनकी कर्तव्य सूची सार्वजनिक व्यवस्था-भार वाले बलों के सदृश है या उनके अनुपूरक है। इन संगठनों का कार्य आसूचना एकत्रित करना तथा कानून और व्यवस्था से सम्बन्धित सन्देशों को अनुप्रेषण करना तथा उन्हें प्राप्त करना है। इन संगठनों में कार्यरत कार्मिकों में अनुशासन बनाए रखना राष्ट्रीय हित में उतना ही महत्वपूर्ण है जितना सशस्त्र बलों या पुलिस बलों में

---

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी पक्ष में अपना मतदान किया :—

सर्व श्री चित्तूरी सुब्बा राव चौधरी, शान्ताराम पोटदुखे, रामायण राव, हीरालाल आर० परमार और एन० कुदन्तई रामलिंगम।

अनुशासन सुनिश्चित करना। अतएव, उपरोक्त वर्गों के संगठनों में कार्यरत कार्मिकों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 33 की परिधि में लाने के उद्देश्य से इसमें संशोधन करने का प्रस्ताव है।

श्रीमन्, मैं इस समय यह और कहना चाहूंगा कि इस आशा से कि मेरे तर्क का विपक्ष समर्थन करेगा, मैंने (ग) का लोप करने के लिए, जो कि वस्तुतः सुरक्षा से सम्बन्धित नहीं है, एक संशोधन रखा है। यह स्वयं में महत्वपूर्ण है लेकिन हमने विचार किया है कि इसका लोप करना उचित होगा। इस प्रकार, अन्य सभी मद प्रत्यक्षतः सुरक्षा से संबंधित हैं और इसीलिए मैं आशा करता हूं कि विपक्ष भी उतना ही औचित्य दिखाएगा और इस संशोधन को स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं होगी।

7.15 म० प० **(डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी पीठासीन हुईं)**

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : महोदया, इससे पूर्व कि मैं सीधे बावनवें संशोधन विधेयक की ओर आऊं, मैं माननीय मन्त्री का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि ऐसे बहुत से सांवैधानिक संशोधन हैं जिनका हम समर्थन करते आए हैं, जैसाकि उन्होंने देखा है अभी-अभी हमने एक विधेयक पारित किया है। हमने छठी अनुसूची के उपबन्धों को पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग के पहाड़ी क्षेत्रों में लागू करने वाले ऐसे ही संशोधन विधेयक का स्वागत किया होता। पश्चिम बंगाल की राज्य विधान सभा ने सर्वसम्मति से—जिसमें कांग्रेस (इ०) सहित विधान सभा की सभा पार्टियां शामिल थीं—एक प्रस्ताव पारित किया है जिसमें केन्द्र सरकार से अनुरोध किया गया है कि छठी अनुसूची के उपबन्धों को बढ़ाकर दार्जिलिंग के पहाड़ी क्षेत्रों पर लागू किया जाए। मैं आशा करता हूं कि वह उस प्रस्ताव पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे।

महोदय, हमें बताया गया है कि प्रस्तावित संशोधनों में से खंड-ग का लोप करने के प्रस्ताव की जो तथाकथित बड़ी रियायत उन्होंने दी है, उससे हमें यथोचित होना चाहिए और यथोचित का वह यह अर्थ समझते हैं, यह अर्थ लेते हैं कि हमें इस विधेयक का समर्थन करना चाहिए। महोदया, मुझे डर है कि हम अपने परम माननीय सदस्य को अनुगृहीत नहीं कर सकते। महोदया, एक तरह से मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं क्योंकि इससे इस जन-विरोधी सरकार के अन्तिम तिरोभव की प्रक्रिया तेज होगी। इस विधेयक से इस सरकार के अधिनायकवादी स्वरूप की इन अन्तिम दिनों में एक बार फिर पोल खुल गई है, जब यह आपने दल के विघटन को रोकने लिए जूझ रही है और उत्तरजीविता के लिए हांफ कर सांस ले रही है। महोदया, मैं महसूस करता हूं कि संविधान का संशोधन करके अधिकाधिक शक्तियां ग्रहण करना राजनीतिक अभद्रता तथा नैतिक विकृति है। निःसन्देह, हमें इस बात का कोई अचम्भा नहीं हुआ कि यह सरकार इस सदन में ऐसे जन-विरोधी कानून लेकर आई है, क्योंकि जनता के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को चाहे वे बहुत कम हों—जैसेकि ये हमारे संविधान में हैं—यह सरकार सदैव शक्तियों का दुरुपयोग मानती है। यही कारण है कि मौलिक अधिकारों के प्रयोग में हम कार्यपालिका का अधिकाधिक अवरोध, अधिकाधिक नियन्त्रण देख रहे हैं। महोदया, आप जानती ही हैं कि मौलिक अधिकारों में, जोकि संविधान के अनुच्छेद 19 में उल्लिखित हैं, उचित निर्बन्धनों के आधार पर अपवाद रखे गए हैं, संविधान के अनुच्छेद में यथाप्रदत्त लगभग सभी मौलिक अधिकार नियन्त्रण के अधीन हैं, निर्बन्धनों के अधीन हैं तथा उन पर रोक लगाई जा सकती है और इस निर्बन्धनकारी खंड का अधिकाधिक सहारा इस देश की जनता सांवैधानिक तथा मौलिक अधिकारों की परिधि को कम करने के उद्देश्य से लिया गया है। हम मानते हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने इस देश की जनता में विश्वास व्यक्त नहीं किया, जिन्होंने अंग्रेजों के विदेशी शासन, विदेशी अधिपत्य से देश की मुक्ति के लिए

लड़ाई लड़ीं, और कुछ पहलुओं में समूचे संविधान में यह कल्पना की गई है कि इस देश की जनता संविधान के अन्तर्गत उन्हें दी गई बहुत सीमित शक्ति का भी दुरुपयोग करेगी। दुर्भाग्यवश, पिछले 34 वर्षों के दौरान, जब से संविधान लागू हुआ है, क्या किया गया है ? हम देखते हैं कि जनता के अधिकारों में कोई संवर्धन नहीं किया गया है। यह सरकार या इससे पहली सरकार जनता अधिकारों में सम्वर्धन के लिए कोई संशोधन नहीं लाई है। श्रमिकों के अधिकारों को प्रतिबन्धित कर दिया गया है, आम आदमी के अधिकार परिसीमित कर दिए गए हैं, निवारक नजरबन्दी कानून अब इस देश का स्थायी औजार बन गया है। मैं चाहूंगा कि गृह मन्त्री हमें उनके द्वारा किया गया कोई ऐसा संशोधन दिखाएं, चाहे कानून में हो चाहे संविधान में, जिसमें उन्होंने जनता को अधिक अधिकार प्रदान किए हों।

हमारे संविधान-निर्माताओं ने जो पर्याप्त समझा, हम अनुभव करते हैं कि यह उस समय भी दुर्भाग्यपूर्ण था कि अपनी विधायी शक्तियों के प्रयोग में संसद मौलिक अधिकारों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा सकती है—किस द्वारा—सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा या सार्वजनिक व्यवस्था-भार वाले बलों द्वारा जिसमें पुलिस भी शामिल है। यह पर्याप्त समझा गया और, नि:संदेह मैं इसे दुर्भायग्पूर्ण मानता हूं।

यह कुछ ऐसे उपबन्ध हैं जो हमारे संविधान पर काले धब्बे हैं, जैसेकि अनुच्छेद 22 (4) जिसमें निवारक नजरबन्दी का प्रावधान है। ये काले धब्बे हैं जिन्हें हमें बदल देना चाहिए था, उसी प्रकार जैसे हमने संविधान के कई अन्य उपबन्धों को बदला है। हमने संविधान के उन उपबन्धों को संशोधित कर दिया जिससे इस देश में प्रिवी पर्स तथा रजवाड़ों की प्रणालीबनी हुई थी, क्योंकि यह अनुभव किया गया कि यह लोकतांत्रिक समाज, समतावादी समाज के मूलभूत सिद्धांत के ही विरुद्ध थे ; इससे निहित स्वार्थ पनपते थे। यही कारण था कि इस संसद ने अपनी संविधान-शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन उपबन्धों को बदल दिया है, इन्हें हटा दिया है। हमने अनुच्छेद 31 (ख) जैसे उपबन्धों को हटा दिया जिसमें एक तरह से जमींदारी को बनाए रखा गया था। अनुभव के आधार पर जनता ने संविधान के उन उपबंधों को बदल दिया है, जो देश की प्रगति में बाधा बने हुए थे, यद्यपि बहुत से अन्य उपबंध अब भी बने हुए हैं। सरकार की जनता के अधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता होनी चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि किसी न किसी तरह का उनका रवैया यह है कि जनता के अधिकार कम से कम होने चाहिएं और उनके अधिकार जहां तक सम्भव हो अल्पतम होने चाहिएं। यही कारण है कि एक ऐसा कानून पारित किया गया है जो जनता के अधिकारों को छीनता है। आवश्यक सेवाएं अनुरक्षण अधिनियम क्या है ? यह और कुछ नहीं, जो बहुत ही कम अधिकार इस देश के श्रमजीवी वर्ग के पास थे, उन्हें छीनने वाला अधिनियम है। अनुच्छेद 19 अपने विभिन्न उप अनुच्छेदों के साथ मौलिक अधिकारों का प्रयोग बहुत व्यापक रूप में नहीं बल्कि एक प्रतिबन्धित रूप में सम्भव बनाता है। अब देश की सुरक्षा के नाम पर—देश की सुरक्षा का नाम लेना सदैव आसान है – जो कुछ किए जाने का प्रस्ताव है, वह संसद को ऐसे कानून बनाने का अधिकार देना है, जिससे इस देश के तथाकथित किसी तथा प्रत्येक सुरक्षा बल के अधिकारों को छीना जा सके। क्यों ? क्या देश की सुरक्षा सेवाओं के सभी लोग राष्ट्र-विरोधी हैं ? क्या उनमें राष्ट्र-भक्ति की कोई भावना नहीं है ? अपनी सेवा-शर्तों के लिए, अपनी सेवा-शर्तों में सुधार करने के लिए, या कुछ शिकायतों को दूर करने के लिए, क्या उन्हें संघ बनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती या वे अपनी शिकायतों को अधिकारियों के सामने नहीं रख सकते ? क्या उनसे यह आशा नहीं की जा सकती कि वे उत्तरदायित्व की भावना से काम करेंगे ? आपका उन पर अविश्वास क्यों है ? आप उनके तथा सरकार के बीच दरार पैदा कर रहे हैं। आप उनमें देश तथा जनता के प्रति सेवा की भावना जागृत करने में कैसे सहायता कर रहे हैं। आप उनके अल्पतम अधिकारों को अधिकाधिक बाधाएं डालकर उन्हें सरकार से दूर कर रहे हैं।

सिद्धांत रूप में इस विधेयक के प्रति हमारा यह विरोध है। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य जानना चाहता हूं : माननीय मंत्री ने यह नहीं बताया है कि वह इस शक्ति का किस ढंग से प्रयोग करना चाहते हैं। इससे कौन-कौन से अधिकार प्रभावित होंगे। कृपया संविधान को देखें, और यह भी देखें कि क्या किए जाने का प्रस्ताव है।

यहां इसमें कहा गया है कि'''सही ढंग से उनके कर्त्तव्य निष्पादन तथा उनमें अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए मौलिक अधिकारों को निर्बन्धित या रद्द किया जा सकता है।" यही आप कहते हैं। यदि ऐसा है, तो आपको कानून बनाना होगा। यह केवल संशोधन द्वारा नहीं किया जा सकता। यह सत्र इस मास की 27 तारीख को समाप्त हो रहा है ; और हम यह समझते हैं कि उसी दिन यह सभा समाप्त हो रही है। तदुपरान्त, संसद किसी कानून को पारित करने के लिए नहीं बैठेगी।

यह स्पष्ट है कि इसके पश्चात सभी प्रकार के अध्यादेश जारी किए जायेंगे, जिनकी विधायी संवीक्षा नहीं होगी। इस पर कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं कहेगा। उन्हें सदन के समक्ष नहीं लाया जाएगा। माननीय मन्त्री यह वचन नहीं देते कि जिस किसी भी विधान के बारे में वह सोच रहे हैं वह इस महीने की 27 तारीख को पहले प्रस्तुत किया जाएगा। ताकि सदस्यगण अपने विचार व्यक्त कर सकें।

आप अध्यादेश जारी करना चाहते हैं। आप अधिकारों को छीन रहे हैं वे कौन से अधिकार हैं जिन्हें आप छीनेंगे ? सैनिक कार्यवाही एक उदाहरण है। संविधान के अनुच्छेद 33 के अन्तर्गत उनके श्रमिक संघ अधिकारों को छीनकर नियम बना दिए गए हैं। यहां तक कि रक्षा सेवाओं में कार्यरत गैर-सैनिक कर्मचारी भी संगठन नहीं बना सकते हैं। तो किस प्रकार से वे अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं ? क्या आप उन्हें गूंगा और बहरा बनाना चाहते हैं और उनकी मांगें उचित होने पर भी उनके विचारों को दबाना चाहते हैं।

मैं माननीय मन्त्री जी को यह बताना चाहूंगा : इस देश के एक भाग में अर्थात् पश्चिम बंगाल में पुलिस को सभी श्रमिक संघ अधिकार दिये हुये हैं। क्या इससे पुलिस की कार्य क्षमता पर प्रभाव पड़ा है ?

श्री संतोष मोहन देव (सिलचर) : निश्चित रूप में।

श्री सोमनाथ चटर्जी : गम्भीर चर्चा होने दीजिये। हल्कापन मत दिखाइए।

श्री संतोष मोहन देव : ऐसा आपके मंत्री द्वारा कहा गया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : अगर किसी विशेष मामले में आपकी पुलिस असक्षम रही है तो हमारे मंत्री जी इसे स्वीकार करने के लिये तैयार हैं। आप की तरह नहीं। मैं एक ऐसा मामला बता सकता हूं जिसमें उच्च न्यायालय ने कांग्रेस (आई) सरकार द्वारा शासित राज्यों में पुलिस की कटु आलोचना की है। अत: सर्वप्रथम आप को स्वयं को सीखना चाहिये।

अत: मुझे यह कहते हुये गर्व है कि पश्चिम बंगाल में जोकि इस देश का हिस्सा है हमने पुलिस द्वारा श्रमिक संघ बनाने के न्यूनतम अधिकार को स्वीकार किया है वे जिम्मेदार भारतीय नागरिक की भांति तथा पुलिस बल के जिम्मेदार सदस्यों की भांति विचार-विमर्श प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। इससे कोई भी दिक्कत नहीं उत्पन्न हुई है। अत: मैं कहना चाहता हूं कि भारत सरकार अधिनायकवादी के सहारे

जी रही है। यह सरकार लोगों के अधिकार छीनने में आगे है। मुझे खेद है कि मैं इस विधेयक का समर्थन नहीं कर सकता। माननीय मन्त्री जी के इस प्रस्तावित संशोधन के बावजूद हम इसका विरोध करेंगे। हम समझते हैं कि यह एक और कठोर विधान है। और इस प्रकार का कानून कुछ नहीं करेगा, अपितु लोगों के अधिकारों को खत्म कर देगा, जिसका अर्थ है यह जन विरोधी कानून है। मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री राजेश कुमार सिंह फिरोजाबाद) : माननीय सभापति महोदय, जहां तक अनुशासन की बात सेना में या आर्म्ड फोर्सेज में होने की बात है, तो इसमें दो राय नहीं हो सकती है कि यह होना चाहिए। इसलिए संविधान निर्माताओं ने आर्टीकिल 33 में यह लिखा था :—

> "संसद् विधि द्वारा अवधारण कर सकेगी कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी को, सशस्त्र बलों या लोक व्यवस्था बनाए रखने का भारसाधन करने वाले बलों के सदस्यों को लागू होने में, किस परिमाण तक निर्बन्धित या निराकृत किया जाए ताकि उनके कर्तव्यों का उचित पालन और उनके अनुशासन बना रहना सुनिश्चित रहे।"

यह अपने में काफी था और संविधान के संशोधन की कोई खास आवश्यकता नहीं थी लेकिन आपने इस संशोधन विधेयक के ओवजेक्ट्स एण्ड रीजन्स में यह लिखा है :—

> "अनुभव से यह प्रतीत हुआ है कि राष्ट्र के हित में उनके कर्तव्यों का उचित पालन और उनमें अनुशासन बना रहना अति महत्व का विषय है।"

आर्म्ड फोर्सेज में पीछे कुछ घटनाएं देश के अन्दर देखने को मिली हैं और उसकी जिम्मेवारी इसलिए नहीं कि सेना का कोई नियम नहीं है, कोई रूल नहीं है, कानून नहीं है, आर्टीकिल 33 में अधिकार प्रदत्त नहीं है। सरकार की लापरवाही की वजह से अनुशासनहीनता कहीं-कहीं देखने को मिली है और मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहूंगा। मेरे ख्याल में माननीय मन्त्री जी के दिमाग में एक बात आई होगी। क्योंकि पंजाब की घटना के बाद सेना में कुछ प्रतिक्रिया कुछ लोगों में देखने को मिली और इस कारण यह आवश्यक हो गया कि कानून का संशोधन किया जाए लेकिन जिस तरह से बार बार आप कानून ला रहे हैं और कभी टेरोरिस्ट्स इफेक्टेड एरियाज के लिए स्पेशल कोर्ट्स का कानून और कभी नेशनल सेक्यूरिटी एक्ट में संशोधन, तो इससे लगता है कि सरकार की नीयत कहीं साफ नहीं है। क्या वजह है कि बार-बार जो मौलिक अधिकार प्रदत्त हैं संविधान में संविधान निर्माताओं के द्वारा, उन मौलिक अधिकारों पर चोट पहुंचाई जा रही है, कुठाराघात किया जा रहा है। मन्त्री जी ने कहा कि वे इसमें कुछ संशोधन करना चाहेंगे, तो यह अच्छी बात है, स्वागत की बात है लेकिन इसे आपने इतना व्यापक बना दिया कि इसमें शंका पैदा होने लगती है कि इसका दुरुपयोग किसी जगह किया जा सकता है।

मैं ग्रिवान्सेज के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। इन सर्विसेज में जो लोग हैं, जिनका उल्लेख आप ने इस बिल के अन्दर किया है, उन लोगों की कुछ शिकायतें हैं, उनकी कुछ ग्रिवान्सेज हैं, उनके बारे में आप थोड़ा सा इस बिल में साफ कर देते कि उनकी उचित सुनवाई के लिए कोई रास्ता निकलेगा, कोई रेमेडी मिलेगी और अगर रेमेडी मिलेगी, तो कैसे मिलेगी। क्या उनकी एसोसियेशन के द्वारा, उनके संघों के द्वारा कहीं इसको मान्यता मिलेगी। आपने एक कौंसिल की बात की है और जिस दिन आप इस बिल को इन्ट्रोडयूस कर रहे थे, उस दिन आपने इसके बारे में कहा था। क्या सही माइने में इन लोगों की सुनवाई हो सकेगी। एक बात मैं यह साफ करना चाहता हूं कि लोकशाही के अन्दर सेना या सैनिक

बल के जो लोग होते हैं, उनकी आस्था भी होती है क्योंकि अगर ऐसा न हो, तो प्रवृत्ति दूसरी बन जाती है। इसलिए मेरा कहना यह है कि कानून को इतना सख्त नहीं बनाना चाहिए कि वे अपनी न्यायसंगत बात को भी सरकार के सामने न रख सकें। माननीय मन्त्री जी जब उत्तर दें, तो मैं उनसे यह जानना चाहूंगा कि क्या आपने उनकी ग्रिवान्सेज के मामले में कोई रास्ता अख्तियार किया है, जिसके माध्यम से वे अपनी बात आप तक पहुंचा सके क्योंकि उनको अपनी बात को पहुंचाना और आपका सुनना दोनों सम्बन्ध रखते हैं। इसलिए यह बात साफ होनी चाहिए।

एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि एक प्रवृत्ति मौलिक अधिकारों पर चोट करने की बनती जा रही है और इन दिनों जबकि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, पता नहीं किस मंशा से आप यह सब काम कर रहे हैं। इसलिए इस बिल का समर्थन करने में मुझे बहुत दुःख होता है। मैंने पहले कहा है कि मेरी पार्टी के नेता आर्म्ड फोर्सेज में अनुशासन चाहते हैं लेकिन आपकी मंशा पर शक करते हैं।

इतना कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री रवीन्द्र वर्मा (उत्तर बम्बई) : माननीय गृह मन्त्री जी का मैं अत्यन्त सम्मान करता हूं। वस्तुतः उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में मानव अधिकारों के हित की जो कारगर और प्रभावी तरीके से वकालत की उससे देश में उनकी प्रतिष्ठा और भी बढ़ी है। यह परिस्थितियों की विडम्बना ही है कि माननीय मन्त्री जी को इस सभा में लगातार चार विधेयक प्रस्तुत करने पड़े हैं जिनका उद्देश्य इस देश के नागरिकों के मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करना है। संविधान के अनुच्छेद 33 में संसद को नागरिकों के कतिपय वर्गों के मूल अधिकारों को कम करने या प्रतिबन्धित करने के लिए कानून बनाने का अधिकार नहीं दिया गया है। जादवपुर से आए मेरे मित्र ने इस तथ्य का संकेत किया है कि एक बार इस संशोधन को पास कर लेने के बाद सरकार को इस सभा के समक्ष विधेयक लाने और अधिकार का सदुपयोग अथवा दुरुपयोग करने और इस विषय में प्रस्ताव पेश करने आदि का अधिकार मिल जायेगा क्योंकि इसे साधारण बहुमत से पास किया जा सकता है और इसके लिए संवैधानिक उपबन्ध में संशोधन के लिए अपेक्षित बहुमत की आवश्यकता नहीं रहेगी। यद्यपि भाग 3 में कई मूल अधिकारों का वर्णन है तथापि अनुच्छेद 33 का उद्देश्य अनुच्छेद 19 में उल्लेखित वाक-स्वातन्त्र्य, संघ बनाने की स्वतन्त्रता, इत्यादि मूल अधिकारों को सुरक्षित रखना है। अनुच्छेद 33 का उपयोग करके किसी भी धर्म को मानने की स्वतन्त्रता, सम्पति रखने की स्वतन्त्रता, भारत में कहीं भी बसने की स्वतन्त्रता, मनचाहा व्यवसाय करने की स्वतन्त्रता आदि पर प्रहार करने के लिए किया जा रहा है। अनुच्छेद 19 में उल्लेखित मूल अधिकार यानि संघ बनाने की स्वतन्त्रता और वाक-स्वातंत्र्य के उद्देश्य को कुचला जा रहा है। किसी नागरिक के मूल अधिकार पर लगाए गए किसी प्रतिबन्ध का औचित्य तभी सिद्ध किया जा सकता है जब यह प्रमाणित हो जाये कि यह समाज और समष्टि के हित में है और देश के हित में है तथा प्रतिबन्ध नगण्य है। इसका प्रभाव कम से कम लोगों पर पड़े और अधिकार को कम किये जाने की मात्रा भी कम से कम हो। दुर्भाग्यवश, मैं आपके विचारार्थ यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे माननीय मित्र इस सभा में जो संशोधन लाये हैं उसका प्रभाव एक व्यापक क्षेत्र पर पड़ेगा कई वर्ग इससे प्रभावित होंगे। इसके अतिरिक्त सभा के समक्ष जिस रूप में विधेयक इस समय है उस रूप में इसका औचित्य अस्पष्ट रह जाता है। इसकी व्याप्ति नगण्य नहीं है मेरे माननीय मित्र अच्छी तरह जानते हैं कि अनुच्छेद 33(क) और (ख) जिस रूप में आज हैं उसी रूप में इसका प्रभाव 30 लाख लोगों पर पड़ता है मेरे पास यह सब पढ़कर सुनाने के लिए समय नहीं है। किन्तु मेरे माननीय मित्र इस बात से अवगत हैं कि सेना, नौ-सेना और वायुसेना पर 33 (क) लागू होता है और इनकी संख्या लगभग 12 लाख है। केन्द्रीय रिजर्व

पुलिस बल की संख्या 90,000, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की 54,000, सीमा सुरक्षा बल की एक लाख, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस की 50,000 से लेकर 60,000, प्रादेशिक सेना की 50,000, होम गार्ड की 30,000। मुझे नहीं मालूम कि मेरे मित्र के वक्तव्य के सन्दर्भ में रेलवे सुरक्षा बल पर भी यह लागू होगा या नहीं। मैं यह भी नहीं जानता कि इस विधेयक में शामिल प्रस्तावों का प्रभाव उनके कामकाज में पड़ेगा या नहीं और यदि प्रभाव पड़ेगा तो इससे 4.39 लाख नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक और आसूचना विभाग तथा अनुसन्धान और विश्लेषण विंग (रॉ) के 3.90 लाख कर्मचारी प्रभावित होंगे। अनुसन्धान और विश्लेषण विंग के कर्मचारियों की वास्तविक संख्या गोपनीय है किन्तु जो संख्या उपलब्ध है उसके अनुसार यह 10,000 से कम नहीं होगी। इस तरह करीब तीस लाख लोग प्रभावित होंगे और इस समय जिस रूप में विधेयक सदन के समक्ष है उससे इस देश के तीस लाख नागरिकों के मूल अधिकारों पर असर पड़ेगा। यह संख्या कम नहीं है। मैं केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की सही संख्या उद्धृत नहीं कर सकता पर यह संख्या करीब 40 लाख है। अतः आनुपातिक अथवा गैर आनुपातिक तरीके से हुई वृद्धि को मेरे द्वारा दिए गए आंकड़ों से जाना जा सकता है। इसके अतिरिक्त··· **(व्यवधान)**

श्री पी० वी० नरसिंह राव : क्या आप कृपया हमारी बात मानेंगे ?

श्री रवीन्द्र वर्मा : महोदया, मैं बैठ जाऊंगा लेकिन उससे मेरा समय कम नहीं होना चाहिए।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : आपको अतिरिक्त समय दिया जाएगा।

सशस्त्र सेना तथा सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार बल वहां पहले से ही हैं। आपके विचार से इसके अतिरिक्त और क्या हो सकता है ?

श्री रवीन्द्र वर्मा : मैं पहले ही बता चुका हूं। मेरे विचार से मेरे माननीय मित्र ने मेरी बात ध्यानपूर्वक नहीं सुनी जो कि उनकी आदत है। मैंने कहा कि इस विधेयक का पूरा प्रभाव, जैसाकि यह वर्तमान में है, मैंने नहीं कहा कि इस अतिरिक्त खण्ड द्वारा 30 लाख और जोड़ दिए जाएंगे··· **(व्यवधान)**

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मैं आपको यह बताने के लिए कह रहा हूं कि अतिरिक्त···क्या है **(व्यवधान)**

श्री रवीन्द्र वर्मा : यदि मेरे पास आंकड़े होते, जैसाकि मेरे मित्र के पास है, तो मैंने विस्तारपूर्वक इसके आंकड़े प्रस्तुत कर दिए होते। लेकिन दुर्भाग्य उस पद उनकी जगह मैं नहीं हूं।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : लेकिन आप पहले ही से कुछ आंकड़े दे चुके हैं।

श्री रवीन्द्र वर्मा : वे आंकड़े वही हैं जो सरकार द्वारा सदन के समक्ष रखे गए थे। क्या आपकी कही बात उद्धृत करना अपराध है अथवा आपका इन आंकड़ों के बारे में भिन्न विचार है ? आप इस तथ्य से ईर्ष्या क्यों करते हैं कि मैं आपके आंकड़े उद्धृत कर रहा हूं ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मैं केवल इतना कह रहा हूं कि यदि आपको उन अतिरिक्त लोगों की संख्या की जानकारी है तो कृपया हमें भी बताइए।

श्री रवीन्द्र वर्मा : मेरा उत्तर यह है कि मैं कुल संख्या बताने की स्थिति में नहीं हूं। मैं तो कहूंगा कि जब वह हमसे समझौता करना चाहते थे, उस समय तो धैर्य की मूर्ति बने हुए थे लेकिन परिस्थितियों में परिवर्तन हो जाने के बाद उन्होंने समझौते की बात ही समाप्त कर दी है और अब तो उनके पास बहुत अधिकार आ गए हैं जिससे उनका धैर्य समाप्त हो रहा है।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : बिलकुल भी नहीं।

सभापति महोदया : कृपया अपनी बात जारी रखिए, वह आपको उत्तर देंगे।

श्री रवीन्द्र वर्मा : जी, हां, वह उत्तर देंगे, लेकिन वह व्यवधान डालना चाहते हैं। इसीलिए मैंने कहा अधिकारों के कारण।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मैं पहले भी व्यवधान डालता रहा हूं। कृपया इसे आरम्भ मत कीजिए।

श्री रवीन्द्र वर्मा : मैं इसे आरम्भ नहीं कर रहा हूं। यदि आपकी बाधा डालने की पुरानी आदत है तो अध्यक्षपीठ को आपसे सावधान रहना चाहिए।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मैं हमेशा ही व्यवधान डालने वालों में से नहीं हूं, मैं अवसर देखकर व्यवधान डालता हूं।

श्री रवीन्द्र वर्मा : ठीक है, वह अवसर कम ही रहने दीजिए विशेषकर उस समय जब भाषण दे रहे सदस्य के पास समय उतना असीमित नहीं है जितना मेरे माननीय मित्र के पास है।

समय-सीमा लगाने के तर्क अनुच्छेद में ही दिए गए हैं। इसके दो उद्देश्यों का जिक्र किया गया है, एक—उनके कर्तव्यों का उचित पालन किया जाना और दूसरा अनुशासन को बनाए रखना। ये दोनों उद्देश्य बढ़िया हैं और बात समझ में आती है, लेकिन हम उन पर आपत्ति नहीं करते। चूंकि विशेषकर ये सेवाएं विशेष तरह की हैं, हम सुरक्षा तथा सार्वजनिक व्यवस्था के प्रति उतने ही वचनबद्ध हैं जितना कि माननीय मन्त्री जी। अपने से बड़ों के आदेशों का पूरी तरह और ईमानदारी से तत्काल पालन करना जरूरी है चाहे उससे अपने जीवन को ही खतरा क्यों न हो। सेना के बल तथा कुछ अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों की ओर, जिनकी संविधान के निर्माताओं ने सूची दे रखी है, विशेष ध्यान दिया ही जाना चाहिए।

लेकिन क्या ये अतिरिक्त प्रतिबन्ध आवश्यक हैं? कौन कौन से प्रतिबन्ध लगाने आवश्यक हैं? मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे परम माननीय मित्र इस पर विचार करें कि यह विधेयक अपने आप में अनावश्यक है। क्यों? क्योंकि थल-सेना, वायु-सेना और नौ-सेना आर्मी अधिनियम की धारा 20 और 21 के अन्तर्गत शामिल हैं, जिसका जादवपुर से निर्वाचित मेरे माननीय मित्र ने जिक्र किया है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि :—

केन्द्र द्वारा इस अधिनियम के अध्यधीन किसी व्यक्ति के उस अधिकार को जो उसका—

(क) किसी व्यवसाय संघ या श्रमिक संघ के अथवा व्यवसाय या श्रमिक संघों के

किसी वर्ग के अथवा किसी सोसाइटियों, संस्थाओं या संगमों के किसी वर्ग के, सदस्य होने या उससे किसी भी रूप में सहयुक्त होने का है ;

(ख) व्यक्तियों के किसी निकाय द्वारा किन्हीं राजनैतिक या अन्य प्रयोजनों के लिए संगठित किसी सभा में हाजिर होने या उसे सम्बोधित करने अथवा संगठित किसी प्रदर्शन में भाग लेने का है ;

(ग) प्रेस से कोई संपर्क करने या कोई पुस्तक, पत्र या अन्य दस्तावेज़ प्रकाशित करने या प्रकाशित करवाने का है।

यह थल सेना, नौ सेना और वायु सेना पर लागू होता है।

मैं हनामकोंडा के अपने माननीय मित्र को यह बताना चाहता हूं कि इसके अतिरिक्त इस सभा द्वारा एक कानून पारित किया गया है जिसे पुलिस बल (अधिकारों पर प्रतिबन्ध) अधिनियम, 1966 जो बात मैं कहने का प्रयत्न कर रहा हूं यह उससे सम्बद्ध है और मैं चाहता हूं कि गृह मंत्री भी मेरी बात गौर से सुनें। वह क्या है? महोदया, यह पुलिस बल (अधिकारों पर प्रतिबन्ध) अधिनियम की धारा 3 में भी एकदम वही प्रतिबन्ध लगाए गए हैं।

सभापति महोदया : उन्हें अपनी बात शीघ्र समाप्त करनी चाहिए। मैं पहली घंटी बजा रही हूं।

श्री रवीन्द्र वर्मा : इस अधिनियम की धारा 3 में लगाए गए प्रतिबन्ध, आर्मी अधिनियम की धारा 20 में लगाए गए प्रतिबंधों के समान है। पुलिस बल (अधिकारों पर प्रतिबन्ध) अधिनियम, 1966 में लम्बी अनुसूची है जिसमें 23 अधिनियम हैं, जिनमें कुछ राज्यों के सम्बन्ध में हैं और कुछ केन्द्र के सम्बन्ध में। महोदया, यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं उस अधिनियम की धारा 3 पढ़कर सुनाऊंगा जिसमें कहा गया है.....

सभापति महोदया : विस्तार में नहीं जाइए।

श्री रवीन्द्र वर्मा : यह विस्तृत वृत्तांत नहीं है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। मै कहना चाहता हूं कि वह सदन से जो अधिकार मांग रहे हैं वह पहले ही उनके पास हैं। वह यहां या तो निद्रावस्था में आए हैं या फिर उनकी स्मरण शक्ति कमजोर है, आपको मुझे इसकी अनुमति देनी चाहिए। इसमें कहा गया है :—

"पुलिस बल का कोई भी सदस्य केन्द्रीय सरकार अथवा निर्दिष्ट प्राधिकारी की स्पष्ट अनुमति के बिना :

(क) किसी कार्मिक संघ, श्रमिक संघ, राजनैतिक संगठनों या किसी भी वर्ग के कार्मिक संघ का सदस्य नहीं होगा अथवा उससे किसी भी रूप में सम्बद्ध नहीं होगा।

(ख) किसी समिति, संस्था, संघ या संगठन का जो उस बल का अंग नहीं माना जाता। जिसका वह सदस्य है, अथवा जिसका स्वरूप विशुद्ध रूप से सामा-

जिक, मनोविनोदात्मक, या धार्मिक नहीं है, सदस्य नहीं होगा या किसी भी प्रकार से उससे सम्बद्ध नहीं होगा ; या

(ग) प्रैस को भेजे अथवा प्रकाशित करे....."

उससे क्या प्रश्न उठता है ? किसी संग ठन या संस्था की प्रकृति के प्रश्न, चाहे उस पर प्रतिबंध लगा हो या उसे अनुमति न दी गई हो, का निर्णय केन्द्र सरकार करती है।

धारा 3 के बाद, धारा 5 है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कहा गया है...(**व्यवधान**) भीलवाड़ा से निर्वाचित सदस्य उस जगह भी पहुंच जाते हैं जहां देवता भी जाने से डरते हैं। धारा 5 में कहा गया है :—

"केन्द्रीय सरकार, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अनुसूची में संशोधन करके सार्वजनिक व्यवस्था बनाये रखने के लिए उत्तरदायी बल से सम्बन्धित किसी अन्य अधिनियम को शामिल कर सकती है या पहले से ही विनिर्दिष्ट किसी अधिनियम का लोप कर सकती है।"

इसका अर्थ है कि इस खंड में शामिल कोई भी बल अधिसूचना द्वारा अनुसूची में शामिल किया जा सकता है। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल 1949 में इस सभा में बनाए गए अधिनियम के अन्तर्गत बनाया गया, बार्डर सिक्यूरिटी फोर्स 1968 में बनाया गया और प्रादेशिक सेना 1948 में बनायी गयी थी। प्रादेशिक सेना अधिनियम की धारा 3 में कहा गया है कि आर्मी अधिनियम प्रादेशिक सेना का सदस्यों पर लागू होता है। रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम द्वारा 1957 में बनाया गया। और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल 1968 में बनाया गया। अत: यह देखा जा सकता है कि ये सभी बल इस सभा द्वारा पारित अधिनियमों के अन्तर्गत बनाए गए और इस अधिनियम के अन्तर्गत सरकार के पास इस बात की शक्ति है जिसका मैंने उल्लेख किया, कि वह मात्र अधिसूचना द्वारा इन बलों पर वे प्रतिबन्ध लगा सकती है, जिनका मैंने उल्लेख किया है।

अब मुख्य प्रश्न उठता है। यदि मेरे मित्र, जो कहीं और फुसफुसा रहे हैं, के दिमाग में ये प्रतिबंध हैं...

श्री सोमनाथ चटर्जी : या कानों में फुसफुसा कर कहा है।

सभापति महोदया : वह इसका उत्तर देंगे।

श्री रवीन्द्र वर्मा : मैं नहीं चाहता कि वह कल मेरा भाषण पढ़े। वह मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। यह इस सभा का अपमान है...(**व्यवधान**)

सभापति महोदया : अन्य लोग आपकी बात सुन रहे हैं।

श्री रवीन्द्र वर्मा : महोदया, मैं जो कुछ कह रहा हूं, ठीक कह रहा हूं अन्यथा आप मुझे बात जारी रखने की अनुमति नहीं देते। अत: यदि हमारे दिमाग में यही सब प्रतिबंध हैं तो उन्हें पहले से ही अधिकार प्राप्त है। अत: हमारे दिमाग में एक आशंका पैदा होती है कि सम्भवत: वे प्रतिबंध नहीं

लगाना चाहते। महोदया, नियोजक होने के नाते आपके ध्यान में राज्य तथा सरकार की आवश्यकताओं के बीच कुछ भिन्नता होनी चाहिए। नियोजक क्यों? हम प्रान्तीय सशस्त्र पुलिस में कई बार हुए विद्रोह के साक्षी हैं। वाराणसी से निर्वाचित मेरे माननीय विद्वान मंत्री इस बात को याद रखेंगे कि 1973 या 1977 अथवा 1979 में दिल्ली, केरल और आंध्र में क्या हुआ था? इस विद्रोह का क्या कारण था? जांच समितियां नियुक्त की गईं। उन्होंने किन कारणों का पता लगाया? वे कारण राजनैतिक नहीं थे। वे राजनैतिक संस्थाओं को समर्थन करने के परिणाम नहीं थे बल्कि वे कारण सेवा शर्तों, पारिश्रमिक उन्नति की मांगों से सम्बन्धित थें। इसलिए पुलिस तथा इन बलों के लोग आंदोलन कर रहे हैं। अतः मेरा कहना है कि इस बात में भेद किया जाना चाहिए कि क्या राज्य को राष्ट्र की सार्वभौमिकता की रक्षा के लिए ऐसी शक्ति की आवश्यकता है या सरकार को एक नियोजक के रूप में ऐसी शक्ति की आवश्यकता है। यदि वह इस कानून का इस्तेमाल नियोजक के रूप में अपने कर्त्तव्यों से बचने के लिए करना चाहते हैं तो इस मामले पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए कि क्या यह विधेयक स्वीकार किया जाना चाहिए।

जहां तक शिकायतों का सम्बन्ध है, ये व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों तरह की हो सकती हैं।

सामूहिक शिकायतों के सम्बन्ध में सूत्रीकरण, सन्धियोजन, प्रतिनिधित्व की आवश्यकता होती है और कुछ मामलों में आन्दोलन की समस्या भी उपस्थित हो सकती है। मैं यह अच्छी प्रकार से समझ सकता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए जिससे असामंजस्य, तनाव या प्रतिद्वन्द्विता पैदा हो या जिससे अनुशासन और सखापन की भावना जो कि इस प्रकार के बलों के लिए आवश्यक है, पर कुप्रभाव पड़े। अगर उनका यही उद्देश्य है, तो माननीय मंत्री से सहमत हूं। लेकिन इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, यह आवश्यक नहीं है कि एक अस्पष्ट स्थिति पैदा की जाए, जहां आप नैतिक और अनैतिक के बीच मंडराते रहे; जहां आपको पता ही न हो कि यह अधिकार विद्यमान भी हैं या नहीं और इस बात का फैसला मेरे माननीय मित्र की इच्छा पर छोड़ दिया जाए।

अब पुलिस आयोग ने इस प्रश्न पर विचार किया है। महोदया, में एक और बात कहना चाहता हूं। उन्होंने सुझाव दिया है कि वह (ग) को हटा देंगे। यहां तक तो ठीक है। लेकिन अगर लगभग सभी आवश्यक बल पहले ही वर्तमान कानूनों के अन्तर्गत आ जाते हैं तो क्या यह विधेयक केवल गुप्तचर ब्यूरो और 'रा' को इसके अन्तर्गत जाने के लिए ही लाया गया है? क्या ऐसा है? वह एक तत्व ऐसे हो सकते हैं जो कि आपको कुछ समय तक तंग करते रहें और मैं यह भी समझ सकता हूं कि इनसे निपटने के लिए आपको कठोर कार्यवाही करनी पड़े। लेकिन इसके लिए क्या यह आवश्यक है कि कुछ एक लोगों से निपटने के लिए इस प्रकार का विधेयक लाया जाए जिससे लाखों लोगों के मूलभूत अधिकारों पर प्रभाव पड़े, यदि ऐसा है तो आप इसे विनिर्दिष्ट क्यों नहीं करते?

इसके अलावा मैं केवल एक बात और कहना चाहता हूं। अजमेर से निर्वाचित माननीय सदस्य अपनी विशेष व्यग्रता दिखा रहे हैं। राजापुर से निर्वाचित माननीय सदस्य ने विधेयक पुरःस्थापित किए जाने के समय जो आपत्तियां उठाई थीं, उनका उत्तर देते हुए मेरे माननीय मित्र ने कहा है कि शिकायतों को हल करने के लिए पहले ही तंत्र मौजूद है। मैंने उनका भाषण पढ़ा है। दुर्भाग्यवश, मैं उस अवसर पर मौजूद नहीं था। लेकिन, महोदया मैं राष्ट्रीय पुलिस आयोग की रिपोर्ट से उद्धृत करना चाहता हूं और उसके पश्चात अपना भाषण समाप्त करुंगा।

"हमने पुलिस में पुलिसकर्मियों की शिकायतों का पता लगाने और उन्हें दूर करने के

लिए मौजूदा सुविधाओं की ध्यान से जांच की है। इस समय विभिन्न पुलिस एककों आदि में अर्दली कक्ष, मासिक सम्मेलन। दरबार आलोचना सभा आयोजित किए जाने की पद्धति है···। मासिक सम्मेलन और दरबारों में कुछ सामूहिक समस्याओं को उठाया जाता है और उच्च अधिकारियों को उनको जानने का अवसर मिलता है और वे इस बारे आवश्यक सामुहिक उपाय आदि करते हैं।"

मैं पूरा पैराग्राफ नहीं दोहराना चाहता। मैं केवल पृष्ठ का ही हवाला दूंगा।

(व्यवधान)

इससे मेरे लिए सारी बातें पढ़ना अनावश्यक होगा।

"इसके अलावा, कई वर्षों से अर्दल-कक्ष को एक दण्डात्मक स्वरूप से देखा जाता है और इसका प्रयोग मुख्यत: विचौलिए अधिकारियों द्वारा घोषित कर्त्तव्यच्युति के लिए दी जानी वाली सजा के लिए किया जाता है। यह अधिकारी उस कर्मचारी को अर्दली-कक्ष तक ले जाता है। एक सन्तोषजनक प्रथा को बनाने की आवश्यकता है, जिसके माध्यम से शिकायतों को प्रभावकारी रूप से रखा जा सके...।"

राष्ट्रीय पुलिस आयोग की रिपोर्ट के पृष्ठ 44 में - चूंकि आप मुझे बोलने की अनुमति नहीं दे रही हैं—चूंकि यह आयोग दुर्भाग्य से जनता शासन काल में गठित किया गया इसलिए आप इसकी रिपोर्ट पर ध्यान नहीं दे रहे हैं—पृष्ठ 44 में पुलिस आयोग ने शिकायतों को हल करने के लिए कौन सा तन्त्र होना चाहिए उसके बारे में मार्गदर्शी सिद्धान्त दिए गए हैं। इससे पता चलता है कि वर्तमान तंत्र अपर्याप्त है और मुझे डर है कि इस सीमा के लगाये जाने से अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-संगठन द्वारा निर्धारित इस सिद्धान्त के अनुसार कि ट्रेड-यूनियन बनाने की स्वतन्त्रता पर तब तक कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, जब तक कि कर्मचारियों की कठिनाइयों को वार्ता या समझौते द्वारा शीघ्र निपटाने की कोई व्यवस्था नहीं की जाती है। महोदया इसलिए मैंने इस विधेयक में संशोधन पेश किया है। इस लिए, वर्तमान दशा में विधेयक का मैं विरोध करता हूं और मैं आशा करता हूं कि सभा इसको अस्वीकृत करेगी।

श्री एन० के० शेजवलकर (ग्वालियर) : सभापति महोदया, मैं भी इस संशोधन का विरोध करने के लिए खड़ा हूं।

महोदया, पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूं कि वे क्या परिस्थितियां या मामले हैं, जिनकी वजह से यह संशोधन लाना पड़ा है। विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के कथन में इस बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है। केवल अन्तिम पैराग्राफ में कहा गया है कि :

"अनुभव से यह मालूम हुआ है कि राष्ट्र के हित में उनके कर्त्तव्यों का उचित पालन और उनमें अनुशासन बनाये रहना अत्यन्त महत्व का विषय है।"

इसमें मात्र पहले अनुच्छेद 33 को ही दोहराया गया है। वे कौन सी ऐसी परिस्थितियां थी या वह कोई भी एक उदाहरण दे सकते हैं? वे यह कह सकते थे कि यह परिस्थितियां हैं और यह मामले हुए है, जिनकी वजह से उस संशोधन की आवश्यकता है। ऐसा नहीं किया गया।

महोदया, जैसा कि पूर्व माननीय वक्ताओं ने कहा है, कि इस अधिवेशन के अन्तिम दिनों में इस संशोधन की क्या आवश्यकता थी ? मगर कोई अन्य अधिकार दिया जाता तो मैं समझ सकता हूं, जैसे कि संशोधन द्वारा संविधान में कार्य करने के अधिकार को मूलभूत अधिकारों में शामिल किया जाता। अगर भोजन के लिए अधिकार, एक भारतीय नागरिक को न्यूनतम आवासीय स्थान का अधिकार आदि को मूलभूत अधिकारों में शामिल किया जाता; तो मैं समझ सकता था कि यह नागरिकों के हितों में कुछ बात है। किन्तु आजादी के 37 वर्षों के पश्चात भी हम प्रत्येक व्यक्ति का भोजन नहीं उपलब्ध करा सके हैं, मकान की तो बात ही अलग रही। दूसरी ओर यह कानून लाया जा रहा है। हम दल-बदल के कई एक मामलों को देखते हैं लेकिन आज तक दल-बदल पर रोक के लिए कोई कानून नहीं लाया गया। (**व्यवधान**) यह संगत नहीं है, यह आवश्यक नहीं है।

इसी प्रकार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन किया गया है। यह काफी देर तक सरकार के विचाराधीन रहा, लेकिन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में कोई संशोधन किया नहीं गया। उसकी बजाय यह विधेयक पेश किया गया है। हमारे माननीय मंत्री महोदय ने कृपा कर कहा है कि (ग) को हटा दिया जाए। इसका परिणाम क्या होगा ? अगर अनुच्छेद 33 के (क) और (ख) को एक साथ लें और (ग) (घ) को छोड़ दिया जाए, तो यह बिल्कुल अनुच्छेद 33 की तरह जैसा कि अब है, हो जायेगा। केवल (ग) और (घ) में उल्लिखित व्यक्तियों के वर्गों का ही उल्लेख किया गया है। इन व्यक्तियों को क्यों शामिल किया गया है। इन कार्मिकों को शामिल करने का कारण स्पष्ट नहीं है। मैं वर्ग (घ) में वर्णित लोगों को नहीं समझ पाया हूं जिसमें कहा गया है कि :

> "आसूचना या प्रति-आसूचना के प्रयोजनों के लिए राज्य द्वारा स्थापित किसी ब्यूरो या अन्य संगठन में नियोजित व्यक्तियों को।"

8.00 म० प०

सरकार के सामने क्या कठिनाई है ? यह स्पष्ट नहीं है। इसी प्रकार दूर-संचार व्यवस्था का मामला है। इस संशोधन से सरकार क्या हासिल करना चाहती है, यह स्पष्ट नहीं है। वास्तव में, मैं तो (क) और (ख) और यहां तक कि अनुच्छेद 33 में मूलभूत सिद्धान्तों में भेदभाव करने के ही विरुद्ध हूं। हालांकि इसकी वहां व्यवस्था है, लेकिन मैं इसके पक्ष में नहीं हूं।

श्री रवीन्द्र वर्मा और अन्य सदस्यों द्वारा जैसा कि कहा गया है शरारत केवल अनुच्छेद 19 तक ही सीमित नहीं है - यानि कि संगठन बनाने आदि के बारे में। मैं समझता हूं कि सरकार की यह मंशा नहीं है कि वे संविधान के भाग III में दिए गए सभी मूलभूत अधिकारों को वापस ले या समाप्त करे, लेकिन इससे उनको यह शक्तियां मिल जाती है। इसलिए में इसका 100 प्रति० विरोध करता हूं। इस संशोधन द्वारा सभी मूलभूत अधिकारों को समाप्त किया जा सकता है। सरकार को संसद का सामने आने की आवश्यकता नहीं है। हम देख रहे हैं कि जब संसद का अधिवेशन नहीं होता है तो अध्यादेश जारी किए जा रहे हैं। अध्यादेशों द्वारा वे नागरिकों के अधिकारों को कम कर रहे हैं। कोई रोक नहीं है। इस प्रकार की शक्तियां दिये जाने का मैं पूरी तरह विरोध करता हूं।

कई एक कानून है जिनका कि श्री रवीन्द्र वर्मा ने जिक्र किया है जिनसे कि पुलिस और सशस्त्र सेनाओं के आचरण पर नियंत्रण रखा जा सकता है। इसके लिए पर्याप्त उपबन्ध हैं। आखिरकार सभी

उपबन्ध, अनुच्छेद 33 के अधीन है। अनुच्छेद 33 में जो अधिकार दिए गए हैं या जिनका कि जिक्र है उससे अधिक अधिकार वापस लिए गए हैं। मेरा सुझाव यह है कि बिना किसी कारण अपार शक्तियां देने वाला कानून न्यायसंगत नहीं है। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। बम्बई उत्तर से निर्वाचित मेरे सहयोगी ने इस विधेयक का जो काफी गहराई से और इसके विभिन्न पहलुओं का और उन विभिन्न कानूनी उपायों का जो कि पहले विद्यमान है और इस विधेयक पर उनका क्या असर पड़ेगा, इस बारे में जो अध्ययन किया है उसके लिए मैं उनका आभारी हूं।

माननीय मंत्री महोदय ने खण्ड (ग) को हटाने के लिए संशोधन पेश किया है। खण्ड (क) और (ख) पहले ही संविधान के अनुच्छेद 33 के अन्तर्गत आ जाते हैं। इस प्रकार केवल (घ) और (ङ) ही बाकी रह जाते हैं। यह सारी मेहनत उन्हीं श्रेणियों के लिए की जा रही है, जो कि पहले ही (घ) और (ङ) के अन्तर्गत आते हैं अर्थात उन विभिन्न आसूचना संगठनों और खण्ड (क) से (घ) में उल्लेखित किसी सेना ब्यूरो या संगठन के उद्देश्य से स्थापित की गई। दूर संचार तंत्रों में नियोजित कार्मिकों के सम्बन्ध में की गई है।

मैं सभा को बताना चाहता हूं कि यदि ठीक न सही किन्तु अन्दाज इन दो श्रेणियों में—अर्थात आसूचना संगठन और सशस्त्र सेनाओं से सम्बन्धित दूर संचार सेवाओं में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं। आप जो यह संविधान संशोधन ला रहे हैं, वह कितने कर्मचारियों के सम्बन्ध में हैं? यह सशस्त्र सेनाएं नहीं है। यह अर्ध-सैन्य सेनाएं नहीं हैं। यह अन्य लोग नहीं हैं जो कि कानून और व्यवस्था से सम्बन्धित हैं क्योंकि वे तो पहले ही इसके अन्तर्गत हैं। जहां तक अनुच्छेद 19 का सम्बन्ध है, उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं हैं। सिवाय भय और आतंक का वातावरण पैदा करने के सरकार का क्या उद्देश्य है? मैं समझ नहीं पाया हूं। यहां हमें रोजाना के सरकार के रवैये और व्यवहार को भी ध्यान में रखना है। मुझे 1979 की बात याद आती हैं, जिसका कि संक्षेप में बम्बई उत्तर से निर्वाचित सदस्य ने भी जिक्र किया है। 1979 में संक्षेप आपको याद होगा कि देश के विभिन्न भागों में, विशेषकर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और कुछ हद तक सी०आर०पी० के जवानों में असंतोष और उत्तेजना की भावना थी। और बोकारो इस्पात संयंत्र में यह यहां तक फैल गई थी कि, सशस्त्र सेनाओं और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में गोलियां भी चली थी। आपको इन सब घटनाओं की याद होगी। मैं भूला नहीं हूं, उन्होंनें मजदूर संघ बनाने की मांग रखी थी। यह मांग किसी भी तरह राजनैतिक मांग नहीं थी।

8.06 म० प० **(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)**

आप उन मांगों से सहमत न हों। इन मांगों में उनकी सेवा शर्तों में सुधार, पदोन्नति के अवसर, वेतन में असमानता, अधिकारियों का जवानों के प्रति व्यवहार अर्थात् केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवानों के प्रति अधिकारियों का दुर्व्यवहार जो प्रथा कि अब भी कई स्थानों पर कायम है, जहां कि अवैध रूप से जवानों को अधिकारियों के घरों में कार्य करने पर मजबूर किया जाता है, सुबह कुत्तों को घुमाने के लिए कहा जाता है तथा प्रत्येक सुबह मेम साहिब के साथ बाजार आदि स्थानों पर साथ जाने के आदि से सम्बन्धित थी।

यह वे कार्य नहीं हैं जिनके लिए जवानों की भर्त्ती की जाती है। किन्तु उनसे जबरदस्ती यह कार्य करवाए जाते हैं। वे इस प्रकार की बातों पर अपना विरोध प्रकट कर रहे थे। और मुझे स्मरण है उन

दिनों में जब कांग्रेस दल सत्ता में नहीं था और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कुछ लोग अपनी शिकायतों को दूर करने के सम्बन्ध में अनेक लोगों से मिले थे। वे श्रीमती इन्दिरा गांधी से भी मिले थे। वे उस समय सत्ता में नहीं थीं। मैं कुछ लोगों से मिला था। उसके बाद वे श्रीमती इन्दिरा गांधी से मिले थे और उन्होंने मुझे बताया, "जब हम उनसे मिले तो उन्होंने बताया, मैं क्या कर सकती हूं क्योंकि मैं सत्ता में नहीं हूं। यदि मैं सत्ता में होती, मैं आपकी उचित शिकायतें दूर करने के लिए कदम उठाती।" यह बहुत अच्छी बात है। उसके बाद वे पुन: सत्ता में आ गई हैं और आप उसी के परिणामस्वरूप यहां बैठे हैं। अब, आप क्या काम करते है? जैसा कि श्री रवीन्द्र वर्मा ने प्रस्तुत किए हुए अपने संशोधन में कहने का प्रयास किया है, पहले अपने दिमाग से सोचने की बजाय आपने यह किया है, पहले यह कार्य नहीं किया जाना चाहिए था। पहला काम यह नहीं होना चाहिए कि उनके अधिकार छीन लिए जाएं अथवा दबा दिए जाए। सर्वप्रथम, उन्हें अपनी मांगें और शिकायतें प्रस्तुत करने तथा उन्हें दूर करने के लिए समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए थी और शेष कार्य तो स्वत: हो जाएगा। इसके बिना आपको कोई अधिकार नहीं है। सरकार को इन लोगों को दबाने का कोई अधिकार नहीं है। और मेरी समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कार्मिकों को महा निदेशक ने 1979 में यह आश्वासन दिया था कि स्थानीय एकक स्वरों अथवा ऐसे एकक जो स्थानीय एकक स्वर से ऊंचे नहीं हैं, को संघ, कल्याण संघ अथवा इस प्रकार की संस्थाएं बनाने की अनुमति दी जाएगी, इन संस्थाओं को कार्मिक संघ नहीं कहा जाएगा। अपने संघों के माध्यम से एकक स्वर पर वे अपनी मांगों एवं शिकायतों के बारे में अभ्यावेदन दे सकते हैं और उन पर विचार किया जाएगा और उन्हे शीघ्र ही दूर किया जाएगा। और तत्पश्चात कोई कार्यवाही नहीं की गई। संघों की स्थापना की अनुमति नहीं दी गई, मान्यता नहीं दी गई। यदि आप इस प्रकार लोगों के कष्टों को दूर नहीं करेंगे और उन्हें दबाते रहेंगे तो बाद में कभी न कभी कोई गड़बड़ी अवश्य होगी। तब या तो किसी प्रकार का आंदोलन भड़केगा अथवा ऐसा ही कुछ होगा और तब सरकार घबड़ा जाती है। अत: यह बुद्धिमानी होगी कि आप अभी दूसरी बात पर जिसकी आपने बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं की, विचार करें। मेरे विचार से उसे एक पृथक विधेयक के रूप में लाना होगा। उसे संविधान (संशोधन) विधेयक के रूप में नहीं लाया जाएगा। किन्तु जिस प्रकार आपने इस समस्या को सुलझाने का प्रयास किया है आपने उसके बारे में कुछ नहीं बताया है। अब इस प्रकार की स्थिति में अनेक प्रकार की विसंगतियां विद्यमान हैं। आपने कहा है कि जिन लोगों का कार्य देश की सुरक्षा से सम्बद्ध है उनके लिए आप कुछ करेंगे।

नए रक्षा मन्त्री महोदय यहां उपस्थित हैं, रक्षा प्रतिष्ठानों के असैनिक कर्मचारियों के बारे में यद्यपि वे जानते है फिर भी मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि उन्हें कार्मिक संघ स्थापित करने का अधिकार प्राप्त है। उनके प्रत्येक स्तर पर कार्मिक संघ बने हुए है। इनके अखिल भारतीय स्वर पर महासंघ हैं रक्षा कारखानों में कार्यरत असैनिक कर्मचारियों के जो कि सशस्त्र सेनाओं के लिए गोला-बारुद और हथियारों का निर्माण करते हैं, कार्मिक संघ बने हुए हैं इर्शापुर में रायफल बनाने वाले कारखाने के कर्मचारी, कोसीपुर में बन्दूकों के खोल बनाने वाले कारखाने के कर्मचारी, और रक्षा मन्त्रालय के अन्तर्गत अन्य अनेक प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को जो सशस्त्र सेनाओं के लिए महत्वपूर्ण गोला बारुद, हथियार तथा अन्य वस्तुओं के निर्माण में लगे हैं, कार्मिक संघ बनाने की अनुमति दी गई। उनके सम्बन्ध में उन्होंने बड़ी बुद्धिमानी से कार्य लिया है। क्या कार्मिक संघ बनाने की अनुमती देने से उनके अनुशासन पर किसी प्रकार का प्रभाव पड़ा है? हर वर्ष प्रस्तुत किए जाने वाले रक्षा मन्त्रालय के प्रतिवेदन में रक्षा प्रतिष्ठानों के असैनिक कर्मचारियों के कार्य की भूरि-भूरि प्रशंसा की जाती है और उनके कार्य को सराहा जाता है और उस प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया जाता है कि उनका कार्य का रिकार्ड बहुत अच्छा

है उनके कार्य की किस्म बढ़िया है तथा उत्पादन में वृद्धि हो रही है। जब केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की ही भांति उन्हें कार्मिक संघ बनाने के अधिकार प्राप्त हैं, क्या इससे उनके अनुशासन पर प्रभाव पड़ा है ?क्या वे अच्छा कार्य नहीं कर रहे हैं ? क्या वे रक्षा दलों के लिए हथियारों का निर्माण नहीं कर रहे हैं ? यह देश की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण बात है।

मैं इस असंगत स्थिति को समझ नहीं सका हूं। आप जनरल रिजर्व इन्जीनियरिंग फोर्स जिसे सीमा सड़क संगठन भी कहा जाता है, को ही लीजिए। उसमें अनेक लोग नियोजित हैं ; वे सीमा मार्गों के निर्माण कार्य में लगे हुए हैं। यह तो असंगत स्थिति हुई कि जी० इ० आर० एफ० परिवहन मन्त्रालय के अन्तर्गत आता है किन्तु सभी उद्देश्यों के लिए रक्षा मन्त्रालय इसके सम्बन्ध में कार्यवाही करता है। कोई भी अब तक इस कानूनी असंगति को दूर नहीं कर सका। वे किस मन्त्रालय के अन्तर्गत आते हैं।

श्री सुनील मैत्रा (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : उन पर सेना का अनुशासन भी लागू किया जाता है।

इन्द्रजीत गुप्त : उन्हें परिवहन के अन्तर्गत रखा गया है किन्तु उनके सम्बन्ध में कार्यवाही रक्षा मन्त्रालय करता है और उन पर सेना नियम तथा सैनिक नियम भी लागू हैं। आप उन्हें अपने नियन्त्रण में लेकर उन्हें अर्द्ध-सैनिक बल क्यों नहीं बना देते ? वे बड़ी विकट परिस्थितियों में सीमा मार्गों का निर्माण एवं रख रखाव कर रहे हैं। उन्हें अपनी शिकायतों के बारे में अभ्यावेदन का बिल्कुल अधिकार प्राप्त नहीं है। इनकी एक ही मांग थी कि उनके लिए अपनी मांगें एवं कठिनाइयों को अभिव्यक्त करने के लिए किसी तन्त्र की व्यवस्था की जानी चाहिए। हमने रक्षा मन्त्रालय की सलाहकार समिति में यह मामला उठाया था। हमें बताया गया, "यह आवश्यक नहीं है।" हमने इसका कारण पूछा। उन्होंने बताया कि क्योंकि अधिकारी लोग दरबार लगाते हैं, ऐसे दरबार वे अंग्रेजी शासन काल में लगाया करते थे, सीमा मार्ग संगठन के कर्मचारी इन दरबारों में आ सकते हैं···

उपाध्यक्ष महोदय : क्या वे संयुक्त सलाहकार तन्त्र में भाग ले सकते हैं अथवा नहीं ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : नहीं। उन्हें इस प्रकार का कोई अधिकार नहीं दिया गया है। वे संयुक्त सलाहकार तन्त्र के अन्तर्गत नहीं आते है।

वे ऐसा कार्य कर रहे हैं जो देश की सुरक्षा के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। वे इन क्षेत्रों में सीमावर्ती मार्गों का निर्माण एवं रख-रखाव कर रहे हैं। किन्तु अब तक बेचारे यह भी नहीं जानते कि क्या वे श्री विजय भास्कर रेड्डी के मन्त्रालय के अधीन आते हैं अथवा श्री एस० वी० चव्हाण के।

कुछ वर्ष पहले की बात है और मुझे आशा है कि आपको वह घटना याद होगी—इसे कुछ समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किया गया था—और मेरे विचार से यह असम की घटना है। एक बार उन्होंने अपनी शिकायतों के बारे में एक उच्च सैनिक अधिकारी के समक्ष प्रदर्शन किया तो मेरे विचार से मूर्खतापूर्ण बात है कि उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया और सैनिक कार्मिकों की तरह ही उनका कोई मार्शल किया गया। ऐसा क्यों किया गया था ? उनका कोई मार्शल नहीं होना चाहिए था। वे सैनिक बलों के कर्मचारी नहीं थे।

क्या ये लोग इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं जो देश के लिए रक्षा कारखानों में कार्यरत असैनिक कर्मचारियों के कार्य से अधिक महत्वपूर्ण है ? मैं इस बात को समझ नहीं सका हूं। इस सम्बन्ध में पूरी तरह गड़बड़ी है—कहीं कुछ स्पष्ट नहीं है। किसी को भी यह स्पष्ट नहीं कि उन्हें क्या करना है।

अध्यक्ष महोदय के विचारार्थ जो ज्ञापन परिचालित किया गया है उसमें मैं यही बात समझ सका हूं :

"हाल ही में यह देखने में आ रहा है कि कतिपय संगठनों के कर्मचारियों में सरकार से व्यवहार में आन्दोलनकारी तरीका अपनाने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। इससे उनकी कार्य कुशलता गम्भीर रूप से प्रभावित हुई है और इसका राज्य की सुरक्षा पर विपरीत असर पड़ा है।"

8.15 म० प० (अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

खैर, हाल ही के दो उदाहरण हैं जिससे मेरे विचार से सरकार घबरा गई है। एक रामगढ़ में सिख रेजीमेंट के जवानों द्वारा किया गया विद्रोह है। यह घटना हाल में हुई है। यह सभी को स्मरण होगी ? मुझे नहीं मालूम कि सरकार इस घटना से किस प्रकार निपटी है इस सम्बन्ध में बात हो चुकी है। वे सैनिक बलों के सदस्य हैं। उन्हें पकड़ा जा सकता है उनका कोई मार्शल किया जा सकता है और मेरा विश्वास है कि इस प्रकार की कार्यवाही की जा रही है। रामगढ़ घटना में क्या हो रहा है, हम नहीं जानते। निसन्देह, यह एक गम्भीर घटना है हो सकता है। उससे सरकार कुछ घबरा गई हो क्योंकि मेरे विचार से हजारों सिख अब भी सेना में हैं। अनेक लोगों में और सरकार के मन में एक डर की भावना भर गई क्योंकि सेना में हजारों सिख हैं। हर बार यह लोग, जब भी हम पर आक्रमण हुआ है, हमारे देश की रक्षा में अग्रणीय रहे हैं।

दूसरा आन्दोलन अनुसंधान एवं विश्लेषण स्कन्ध (रॉ) के कर्मचारियों द्वारा किया गया। उनकी कुछ मांगें हैं। उनकी मांगें उचित हो सकती हैं अथवा नहीं भी सो सकती किन्तु वे आम मांगों की तरह हैं जो कर्मचारियों की हर जगह मांगें होती हैं जैसे उनकी भर्ती पदोन्दति के अवसर आदि के बारे में मांगें हैं और उन्होंने अपनी मांगें रखी हैं। उनका एक संघ है और वे एक ज्ञापन आदि देकर शान्तिपूर्ण ढंग से आन्दोलन कर रहे हैं।

अत: अब इस गुप्तचर एजेन्सी के कर्मचारियों को इस विधेयक के अन्तर्गत लाया जा रहा है।

यह न केवल अनावश्यक विधान है अपितु यह एक अस्पष्ट, असंगत एवं अव्यवस्थित विधान है जिसे बिना सोचे समझे एकदम लाया जा रहा है और इससे एक प्रकार धमकाने वाला-सा वातावरण पैदा होगा क्योंकि इसमें यह कहा गया है कि आपको यह करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, आपको वह करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

मैं इस विधेयक का पूरी तरह विरोध करता हूं। मेरे बिचार से इसकी बिलकुल आवश्यकता नहीं है। आपके पास पहले भी पर्याप्त कानून हैं जिसके अन्तर्गत इन लोगों को दिए गये अधिकारों को आप नियन्त्रित अथवा कम कर सकते हैं।

आप यह विधान क्यों ला रहे हैं ? मैं यह बात समझ नहीं सका हूं विशेष रूप से जबकि आप इसे केवल दो प्रकार की श्रेणियों पर ही लागू कर रहे हैं। उन्होंने पांच श्रेणियों से आरम्भ किया था। अब उन्होंने कम कर दो ही श्रेणियों तक सीमित किया है उन्होंने हमें नहीं बताया कि इस सम्बन्ध में लोगों की कितनी संख्या है। मेरे विचार से यह बहुत ही कम है। केवल उनके लिए संविधान में परिवर्तन करना निश्चय ही कोई अच्छी बात नहीं है।

मैं इस विधेयक का पूर्णतया विरोध करता हूं।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : महोदय, संविधान का अनुच्छेद 33, आज जिस रूप में है, के अन्तर्गत संसद को सैनिक बलों तथा पुलिस बलों के बारे में मौलिक अधिकारों को प्रतिबन्धित करने अथवा उनका उत्पादन करने के लिए कानून बनाने का अधिकार है।

अनुच्छेद 33 के अन्तर्गत, सैनिक बलों तथा पुलिस बलों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबन्धित करने के लिए हमने अनेक कानून पारित किए हैं। 34 वर्षों की अवधि, जिसमें संविधान प्रवर्तन में हो रहा है, के बाद आज सरकार ने अनुच्छेद 33 को और व्यापक बनाने तथा कुछ अन्य संगठनों को उनके मौलिक अधिकारों को प्रतिबन्धित करने अथवा उत्सादन के लिए उसमें सम्मिलित करने के लिए यह विधेयक प्रस्तुत किया है। अनुच्छेद 33 को और व्यापक बनाने के प्रयास से प्रतीत होता है कि स्थिति सही नहीं है और यह एक गम्भीर बात है।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्रत्येक विवेकशील व्यक्ति निश्चय ही सेना, पुलिस, गुप्तचर तन्त्र आदि में अनुशासन बनाए रखने का इच्छुक एवं चिन्तित होगा। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि हम इस प्रकार का वातावरण पैदा करें और ऐसा प्रोत्साहन दें जिससे निराशा पैदा हो और जिससे अनुशासन बनाये रखने का उद्देश्य ही कमजोर हो जाए। घुटन का वातावरण उस उद्देश्य को ही समाप्त कर देगा जिसके लिए यह विधेयक लाया गया है।

मैं यह अवश्य कहूंगा कि इस विधेयक में उल्लिखित विभिन्न बलों में व्याप्त असन्तोष के पर्याप्त उदाहरण हैं। मैं इनके विस्तार में नहीं जाना चाहता लेकिन उनका गहन अध्ययन करना जरूरी है। उदाहरण के लिए उच्चत्तम न्यायालय ने भी पिछले दिनों सैनिक कर्मचारियों के सम्बन्ध में न्याय प्रणाली की आलोचना की थी। न्याय मूर्ति चन्द्रचूड, न्यायमूर्ति डी० ए० देसाई और न्यायमूर्ति ए० एन० सेन ने जोरदार तर्क दिए थे कि भारतीय थल सेना अधिनियम, वायु सेना अधिनियम आदि विभिन्न अधिनियमों की व्यापक समीक्षा की जाए ताकि अनुशासित तथा निष्ठावान भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना के कर्मचारियों को यह शिकायत न रहे कि उनके साथ न्याय नहीं हो रहा। इन बातों पर गम्भीरता से विचार होना चाहिए। जैसा मैंने कहा हमें न केवल ऐसा वातावरण तैयार करने से बचना चाहिए जिसमें सेना में काम करने वालों को घुटन महसूस हो बल्कि यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्हें पर्याप्त न्याय मिले। मैं कह ही चुका हूं कि सैनिक न्याय के मामले में अनेक विसंगतियों के कारण असन्तोष बढ़ रहा है। इस विशेष विषय पर विस्तार से कहने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत ही अल्प शब्दों में कहूंगा कि व्यक्तिगत रूप से बदला लेने के लिए भी कोर्ट मार्शल की प्रक्रिया अपनाई जाती है। महोदय, यह देखा गया है कि कोर्ट मार्शल में भी लिखित रूप में चाहे संक्षिप्त में ही हो, कोई उचित कारण नहीं दिया जाता है। यहां तक कि मृत्यु दंड के मामले में भी ऐसा नहीं किया जाता। इन सभी बातों पर विचार होना चाहिए। न्याय प्रदान करने के लिए अनुच्छेद 33 के अन्तर्गत बनाये गए सभी अधिनियमों की विशेष रूप से समीक्षा की जरूरत है। किन्तु ऐसा करने की बजाय इस समय हमारे सामने एक विधेयक लाया गया है जो उनके कार्यक्षेत्र का और विस्तार करेगा और ऐसा वातावरण तैयार करेगा जिसमें इन कर्मचारियों को घुटन महसूस हो। इस विषय में गम्भीरता पूर्वक विचार होना चाहिए।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : अध्यक्ष महोदय, जब मैंने कहा था कि विपक्ष से मुझे उचित रवैये

की आशा है तो मेरा विचार था कि मेरा विचार सही सिद्ध होगा लेकिन अब मैं देखता हूं कि मैंने जो उचित रवैया अपनाया, उसका अच्छा प्रत्युत्तर नहीं···

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : क्या आप अपना संशोधन वापस ले रहे हैं ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मैं यही बात कहने जा रहा था कि दूसरे पक्ष की ओर से मुझे कोई प्रत्युत्तर न मिलने पर भी मैं अपने संशोधन पर अडिग हूं। लेकिन जैसा मैंने कहा है कि संशोधन के दूसरे और तीसरे वाचन के बाद मैंने देखा है कि खण्ड (ग) को हटाया जा सकता है क्योंकि यह संवैधानिक संशोधन की योजना में सही नहीं बैठता। अत: मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि सरकार को अपने ही बल पर आगे बढ़ना होगा। जैसा कहा गया है खण्ड (क) और (ख) पहले से ही हैं। यह संशोधन पूरे अनुच्छेद के रूप में यथा संशोधित शामिल किया जाना है न कि मूल उपबन्ध में जो निहित है, उसके अतिरिक्त या उसका लोप करने वाले संशोधन के रूप में रखा गया है। खण्ड (क) और (ख) को पहले ही ले लिया गया है। वास्तव में हमने यह शामिल किया है कि, "आसूचना अथवा प्रति आसूचना के प्रयोजनों के लिए राज्य द्वारा स्थापित किसी ब्यूरो अथवा संगठन में नियोजित व्यक्तियों को और खण्ड (क) से (घ) में निर्दिष्ट किसी बल, ब्यूरो या संगठन के प्रयोजनों के लिए स्थापित दूर संचार प्रणाली में या उसके सम्बन्ध में नियोजकों को।" मेरा निवेदन है कि ये वस्तुत: वही उपबन्ध हैं जो मूल उपबन्धों से उत्पन्न हुए हैं। वास्तव में आसूचना या प्रति आसूचना के प्रयोजनार्थ स्थापित सेना या पुलिस के ब्यूरो या संगठन के लिए दूर संचार प्रणाली नितान्त आवश्यक है। इस प्रणाली के बिना आसूचना का कोई कार्य नहीं हो सकता। अत: (घ) और (ङ) जो संशोधन के बाद अब (ग) और (घ) बन गए हैं एक-साथ चलते हैं क्योंकि (ङ) के बिना (घ) नहीं चल सकता और (क) भी नहीं चल सकता। जब इसमें दूर-संचार का उल्लेख आता है तो मैं उसे ठोस बात जोड़ा जाना नहीं समझता। यह तो उसके परिणाम स्वरूप है और परिचालनात्मक है, स्थायी नहीं है। अत: मैं नहीं समझता कि इस पर कोई आपत्ति हो सकती है यद्यपि सिद्धान्त के रूप में आपत्तियां की गई हैं···

प्रो० मधु दण्डवते : जहां तक अन्य बलों के साथ दूर संचार का प्रश्न है, मेरे विचार से उसके बिना भी वह उसके अन्तर्गत आ जायेगा।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : पता नहीं उस तरह वह उसके अन्तर्गत आ जायेगा कि नहीं। लेकिन शब्दावली बिल्कुल स्पष्ट है—खंड (क) से (घ) में निर्दिष्ट किसी बल, ब्यूरो या संगठन के प्रयोजनों के लिए स्थापित दूर संचार प्रणाली में अथवा उसके सम्बन्ध में नियोजित व्यक्ति को। मुझे विश्वास नहीं है कि यह इसके अन्तर्गत आता है या नहीं। इसे पुन: यहां रखा गया है और आपको कोई आपत्ति नहीं हो सकती।

संवैधानिक संशोधन की यह योजना है। मानवाधिकारों के बारे में भी काफी कहा गया है। मेरा निवेदन है कि सरकार भी इन अधिकारों के प्रति उतनी ही बचनबद्ध है जितना कि कोई और व्यक्ति। ये जो विधियां बनाई गई हैं जैसे थल सेना अधिनियम आदि वे देश की सुरक्षा को ध्यान में रखकर ही बनाये गए हैं और जो भी नियम बनाए गए हैं, उन्हें उच्चतम न्यायालय ने वैध माना है और जो बातें मुख्य रूप से देश की सुरक्षा से सम्बन्धित नहीं हैं, उनके सम्बन्ध में लोगों के अधिकारों में कमी करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। विधि की यही योजना है और मेरे विचार से इस पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती।

कई अनुभव सुनाये गए हैं। श्री इन्द्रजीत गुप्त ने उनमें से कुछ का उल्लेख किया है। मुझे विस्तार में जाने की जरूरत नहीं लेकिन मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि इन्हीं अनुभवों के आधार पर यह संशोधन लाया गया है।

विधेयक पुर:स्थापित करते समय एक अन्य महत्वपूर्ण बात शिकायतें दूर करने की कही गई है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि इस सम्बन्ध में तन्त्र पहले ही बनाया हुआ है। पर यदि इसे दृढ़ करने या सुचारु रूप से चलाने और प्रभावी बनाने के लिए सूचांक दिए जाते हैं तो उन पर मैं विचार करने के तैयार हूं। मैंने विद्यमान तन्त्र के बारे में विस्तार से जांच नहीं की है। सम्बन्धित अधिकारियों से मुझे जो लिखित जानकारी मिली है, वह मैं पढ़कर सुनाने को तैयार हूं। लेकिन फिर भी मैं उस तन्त्र के बारे में और गहन जानकारी प्राप्त करना चाहूंगा और मैं फिर कहना चाहता हूं कि मैं शिकायतें दूर करने में विश्वास करता हूं। मैं चाहता हूं कि ये बल सन्तुष्ट रहें। मैं नहीं चाहता कि उन्हें दबाया जाये या वे असन्तोष में घुटते रहें। जिन माननीय सदस्यों ने ये बातें उठाई हैं, मैं उनसे सहमत हूं। इसके बाद मुख्य बात यह देखनी है कि अनुशासन बना रहे। यह बहुत जरूरी चीज है।

जैसा कि श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कहा है, यह कार्य विधि द्वारा, नियमों द्वारा तथा इन संगठनों को उपयोगी, तथा सुदृढ़ बनाकर किया जा सकता है। यह एक बिल्कुल भिन्न प्रक्रिया है और मैं यह कहना चाहूंगा कि मेरा उस प्रक्रिया में पूर्ण विश्वास है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि उस प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाया जाए।

बम्बई उत्तर के मेरे मित्र श्री रवीन्द्र वर्मा का संशोधन यहां प्रासंगिक नहीं है। मैं उनसे सम्मान-पूर्वक अनुरोध करना चाहूंगा कि यह सांवैधानिक संशोधन है। अनुच्छेद 33 के अन्तर्गत, सांवैधानिक संशोधन की कुछ सीमाएं होती हैं। इस प्रकार का संशोधन यहां ठीक नहीं बैठता। यह कालान्तर में विधि द्वारा या सरकार में अन्तर्निहित शक्तियों के उपयोग द्वारा किया जा सकता है। उसका ध्यान रखा जाएगा। मैं उनसे सम्मानपूर्वक अनुरोध करता हूं कि वह अपना संशोधन वापस ले लें, जो कि इस संदर्भ में बिलकुल नहीं बैठता है।

अतएव, महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि यदि सम्भव हो तो इसे सभा सर्वसम्मति से स्वीकार करे।

अध्यक्ष महोदय : इससे पूर्व कि मैं प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिए रखूं, चूंकि यह संविधान संशोधन विधेयक है अत: इस पर मत विभाजन होगा।

दीर्घाएं खाली कर दी जायें—

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।'

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ : 309
42

8.37 म० प०

पक्ष में : 309

मत-विभाजन संख्या : 19

अब्बासी, श्री काजी जलील

अहमद, श्री मोहम्मद असरार

अहमद, बेगम आबिदा

अहमद श्री गुलशेर

अहमद, श्री कमालुद्दीन

अजीत प्रताप सिंह

अल्लूरी, श्री सुभाष चन्द्र बोस

आनन्द सिंह, श्री

अंकिनीडू, श्री एम०

अंकिनीडू प्रसाद राव, श्री० पी०

अन्सारी, श्री जियाउर्रहमान

अनुरागी, श्री गोदिल प्रसाद

अनवार अहमद, श्री

अप्पालानायडू, श्री० एस० आर० ए० एस०

अराकल, श्री जेवियर

अरुणाचलम, श्री एम०

अशफाक हुसैन, श्री

आजाद, श्री भागवत झा

आजाद, श्री गुलाम नबी

आजमी, डा० ए० यू०

बेरवा, श्री बनवारी लाल

बैठा, श्री डूमर लाल

वाजपेयी, डा० राजेन्द्र कुमारी

वाल्मिश्वर राम, श्री

बन्सी लाल, श्री

बहेरा, श्री रास बिहारी

भगत, श्री बी० आर०

भगत, श्री एच० के० एल०

भगवान देव, आचार्य

भक्त, श्री मनोरंजन

भारद्वाज, श्री परसराम

भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल

भोई, डा० कृपासिन्धु

भोले, श्री आर० आर०

भोये, श्री रेशमा मोतीराम

भूरिया, श्री दिलीप सिंह

भूयन, श्री भुवनेश्वर

बीरबल, श्री

बीरेन्द्र सिंह, राव

विष्णु प्रसाद, श्री

बोड्डेपल्ली, श्री राजगोपाल राव

ब्रार, श्रीमती गुरबिन्दर कौर

बूटा सिंह, श्री

चक्रधारी सिंह, श्री

चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल

चन्द्रशेखरप्पा, श्री टी० वी०

चरणजीत सिंह, श्री

चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती

चौधरी, श्री मनफूल सिंह

चौधरी, श्री ए० बी० ए० गनीखान

चव्हाण, श्री एस० बी०

चव्हाण, श्री यशवन्त राव

चेन्नुपति, श्रीमती विद्या

चिंगवांग कोनयक, श्री

चौधरी, श्री चित्तुरी सुब्बा राव

चौधरी, श्रीमती ऊषा प्रकाश

चौहान, श्री फतेहभान सिंह

दाभी, श्री अजीत सिंह

डागा, श्री मूलचन्द

दलवीर सिंह, श्री

दलवीर सिंह, श्री

डामोर, श्री सोमजीभाई

दास, श्री अनादिचरण

डेनिस श्री एन०

देसाई, श्री बी० वी०

देव, श्री संतोष मोहन

देवराजन, श्री वी०

घोटे, श्री जाम्बुवन्त

डोगरा, श्री गिरिधारी लाल

डूँगर सिंह, श्री

दुबे, श्री विन्देश्वरी

दुबे, श्री रामनाथ

एक्का, श्री क्रिस्टोफर

ऐंगटी, श्री बीरेन सिंह

ईरा अनाबारासु, श्री

फैलीरो, श्री एडुआर्डो

फर्नान्डीस, श्री ओस्कर

गाडगिल, श्री वी० एन०

गधावी, श्री भेरावदन के०

गायकवाड़, श्री आर० पी०

गायकवाड़, श्री उदय सिंह राव

गामित, श्री छीतूभाई

गांधी, श्रीमती इन्दिरा

गांधी, श्री राजीव

गहलोत, श्री अशोक

घारपाड़े, श्री आर० वाई०

गुफरान आजम, श्री

गोगोई, श्री तरुण

गोहिल, श्री जी० बी०

गोमांगो, श्री गिरिधर

गौंडर, श्री ए० सेनापति

गौजगिन, श्री एन०

गौडा, श्री डी० एम० पुत्ते

गौडा, श्री एच० एन० नन्जे

हाकम सिंह, श्री

हेमब्रम, श्री सेत

जदेदा, श्री दौलत सिंह जी

जाफर शरीफ, श्री सी० के०

जैन, श्री भीकू राम

जैन, श्री बुद्धि चन्द

जक्कायन, श्री एस० टी० के०

जमीलुर्रहमान, श्री

जेना, श्री चिन्तामणि

जितेन्द्र प्रसाद, श्री

काहनडोल, श्री जैड० एम०

कैलाशपति, श्रीमती

कमल नाथ, श्री

कमला कुमारी, कुमारी

कर्मा, श्री लक्ष्मण

कौल, श्रीमती शीला

केन, श्री लालाराम

केयर भूषण, श्री

खां, श्री आरिफ मोहम्मद

खां, श्री मलिक एम० एम० ए०

खां, श्री जल्फिकार अली

खारखुली, श्री बाजूबन आर०

किदवई, श्रीमती मोहसिना

कोसल राम, श्री के० टी०

कृष्ण, श्री एस० एम०

कृष्ण प्रताप सिंह, श्री

कृष्णन्, श्री जी० वाई०

क्षीरसागर, श्रीमती केशरबाई

कुचन, श्री गंगाधर एस०

कुन्हम्बु, श्री के०

कुवंर राम, श्री

कुरियन, प्रो० पी० जे०

लकप्पा, श्री के०

लक्ष्मनन्, श्री जी०

लास्कर, श्री निहार रंजन

माधुरी सिंह, श्रीमती

महावीर प्रसाद, श्री

महाजन, श्री विक्रम

महाजन, श्री वाई० एस०

महाला, श्री आर० पी०

महेन्द्र प्रसाद, श्री

मकवाना, श्री नरसिंह

मालन्ना, श्री के०

मलिक, श्री लक्ष्मण

मल्लिकार्जुन, श्री

मल्लु, श्री अनन्त रामुलु

मक्ने, श्री आर० एस०

मणि, श्री के० बी० एस०

मन्नी लाल, श्री

मावणि, श्री रामजीभाई

मिर्धा, श्री नाथूराम

मिश्र, श्री गार्गी शंकर

मिश्र, श्री रामलगीना

मिश्र, श्री उमा कान्त

मिश्र, श्री हरिनाथ

मिश्र, श्री नित्या नन्द

महन्ती, श्री बृजमोहन

मोहिते, श्री यशवन्तराव

मोहसिन, श्री एफ० एच०

मोरे, श्री रामकृष्ण

मोती लाल सिंह, श्री

मुखोपाध्याय, श्री आनन्द गोपाल

मूर्ति, श्री कुसुम कृष्ण

मूर्ति, श्री एम० राजशेखर

मूर्ति, श्री एम० वी० चन्द्रशेखर

मुत्तेमवार, श्री विलास

मुजफ्फर हुसैन, श्री सैयद

नगीना राय, श्री

नायडू, श्री पी० राजगोपाल

नायक, श्री जी० देवराय

नायकर, श्री डी० के०

नायर, श्री बी० के०

नामग्याल, श्री पी०

नन्दी येल्लैया, श्री

नारायण, श्री के० एस०

नायक, श्री मृत्युंजय

नेहरू, श्री अरुण कुमार

नेताम, श्री अरविन्द

निहालसिंहवाला, श्री जी० एस०

नीखरा, श्री रामेश्वर

नूरूल इस्लाम, श्री

उरांव, श्रीमती सुमति

पांडे, श्री कृष्णचन्द्र

पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि

पनिका, श्री राम प्यारे

पराशर, प्रो० नारायण चन्द

पारधी, श्री केशवराव

परमार, श्री हीरालाल आर०

पार्थसारथी, श्री पी०

पटेल, श्री अहमद मोहम्मद

पटेल, श्री सी० डी०

पटेल, श्री मोहन लाल

पटेल, श्री शान्तुभाई

पाटिल, श्री ए० टी०

पाटिल, श्री बालासाहिब विखे

पाटिल, श्री चन्द्रभान आठरे

पाटिल, श्रीमती शालिनी

पाटिल, श्री शंकरराव

पाटिल, श्री शिवराज वी०

पाटिल, श्री उत्तमराव

पाटिल, श्री वीरेन्द्र

पाटिल, श्री विजय एन०

पटनायक, श्रीमती जयन्ती

पट्टाभिरामा राव, श्री

पत्तुस्वामी, श्री डी०

फुलवारिया, श्री विरदा राम

पाइलट, श्री राजेश

पुजारी, श्री जनार्दन

पोटदुखे, श्री शान्ताराम

प्रधानी, श्री के०

प्रसन्न कुमार, श्री एस० एन०

फुलय्या, श्री दारूर

कादरी, श्री एस० टी०

राजू, श्री पी० वी० जी०

राम, श्री राम स्वरूप

रामलिंगम, श्री एन० कुदन्तई

राममूर्ति श्री, के०

रामुलु, श्री एच० जी०

रंगा, प्रो० एन० जी०

रणजीत सिंह, श्री

राव, श्रीमती बी० राधाबाई आनन्द

राव, श्री जलगाम कोन्डाला

राव, श्री एम० एस० संजीवी

राव, श्री एम० सत्यनारायण

राव, श्री पी० वी० नरसिंह

रथ, श्री रामचन्द्र

राठवा, श्री अमर सिंह

राठौर, श्री उत्तम

राउत, श्री भोला

रवाणी, श्री नवीन

रावत, श्री हरीश

रेड्डी, श्री जी० एस०

रेड्डी, श्री जी० नरसिम्हा

रेड्डी, श्री के० ब्रह्मानन्द

रेड्डी, श्री के० ओबुल

रेड्डी, श्री के० विजय भास्कर

रेड्डी, श्री एम० राम गोपाल

रेड्डी, श्री पी० वेंकट

रेड्डी, श्री टी० दामोदर

रौत, श्री जयनारायण

साही, श्रीमती कृष्णा

साहू, श्री नारायण

साहू, श्री शिव प्रसाद

सज्जन कुमार, श्री

समीनुद्दीन, श्री

संगमा, श्री पी० ए०

संखवार, श्री आशकरन

साठे, श्री वसन्त

सतीश प्रसाद सिंह, श्री

सत्यदेव सिंह प्रो०

सावन्त, श्री टी० एम०

सेबस्तियन, श्री एस० ए० दोराई

सेठी, श्री अर्जुन

शेलानी, श्री चन्द्रपाल

शक्तावत, प्रो० निर्मला कुमारी

शक्यवार, श्री नाथूराम

शंकरानन्द, श्री बी०

शनमुगम, श्री पी०

शर्मा, श्री चिरंजी लाल

शर्मा, श्री काली चरण

शर्मा, श्री नन्द किशोर

शर्मा, श्री नवल किशोर

शर्मा, श्री प्रताप भानु

शर्मा, डा० शंकर दयाल

शास्त्री, श्री धर्मदास

शास्त्री, श्री हरि कृष्ण

शिगडा, श्री डी० बी०

शिव शंकर, श्री पी०

शिवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री

शुक्ल, श्री विद्या चरण

सिदनाल, श्री एस० बी०

सिंगारावाडीवेल, श्री एस०

सिंह, श्री सी० पी० एन०

सिंह, कुमारी पुष्पा देवी

सिंह, देव, श्री के० पी०

सिन्हा, श्रीमती, रामदुलारी

सोलंकी, श्री बाबू लाल

सोरन, श्री हरिहर

सुन्दर राजन, श्री एन०

स्पैरो, श्री आर० एस०

श्रीनिवास प्रसाद, श्री वी०

सुब्बुरमण, श्री ए० जी०

सुखबन्स कौर, श्रीमती

सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त

सुन्दर सिंह, श्री

सूर्यबन्शी, श्री नरसिंह

स्वामी, श्री के० ए०

स्वामीनाथन, श्री आर० वी०

तपेश्वर, सिंह, श्री

तेइयेंग, श्री सोबेंग

तिवारी, श्री कृष्ण प्रकाश

तिवारी, प्रो० के० के०

थोरट, श्री भाउसाहिब

थुगोन, श्री पी० के०

तिवारी, श्री चन्द्रभाल मणि

तिवारी, श्री रामगोपाल

त्रिपाठी, श्री कमलापति

टुडु, श्री मनमोहन

टाईटलर, श्री जगदीश

उइके, श्री छोटे लाल

उन्नीकृष्ण, श्री के० पी०

वैराले, श्री मधुसूदन

वेलू, श्री ए० एम०

वेंकटसुब्बया, श्री पी०

वर्मा, श्री दीनबन्धु

वर्मा, श्रीमती ऊषा

विजयराघवन, श्री वी० एस०

व्यास, श्री गिरधारी लाल

बाघ, डा० प्रताप

वासनिक, श्री बालकृष्ण रामचन्द्र

यादव, श्री डी० पी०

यादव, श्री आर० एन०

यादव, श्री राम सिंह

यादव, श्री सुभाष चन्द्र

याजदानी, डा० गोलम

जैनल बशर, श्री

विपक्ष में

मत-विभाजन संख्या : 19

अग्रवाल, श्री सतीश

बर्मन, श्री पलाश

बसु, श्री चित्त

भीम सिंह, श्री

विश्वास, श्री अजय

चक्रवर्ती, श्री सत्यसाधन

चटर्जी, श्री सोमनाथ

चौबे, श्री नारायण

चौधरी, श्री सैफुद्दीन

दंडवते, प्रो० मधु

दंडवते, श्रीमती प्रमिला

दत्त, श्री अमल

दण्डपाणि, श्री सी० टी०

घोष, गोस्वामी, श्रीमती विभा

गोपालन, श्रीमती सुशीला

गुप्त, श्री इन्द्रजीत

हाल्दर, श्री कृष्ण चन्द्र

हन्नान मोल्लाह, श्री

होरो, श्री एन० ई०

कोडियन, श्री पी० के०

कुलनदईवेलु, डा० वी०

महाटा, श्री चित्त

मैत्रा, श्री सुनील

मण्डल, श्री सनत कुमार

मसुदल हुसैन, श्री सैयद

मेहता, प्रो० अजित कुमार

मुखर्जी, श्री समर

नगनगोम मोहेन्द्रा, श्री

पासवान, श्री राम विलास

पाठक, श्री आनन्द

रियान, श्री बाजू बन

राय, श्री ए० के०

राय प्रधान, श्री अमर

साहा, श्री अजित कुमार

सेन, श्री सुबोध

शेलवलकर, श्री एन० के०

सिन्हा, श्री निर्मल

तिरकी, श्री पीयूष

उन्नीकृष्ण, श्री के० पी०

वर्मा, श्री रवीन्द्र

वर्मा, श्री रघुनाथ सिंह

जायनल अबेदिन, श्री

अध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन, मत-विभाजन का परिणाम* इस प्रकार है :—

पक्ष में : 309

विपक्ष में : 42

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी मतदान किया :—

पक्ष में : सर्वश्री प्रकाश चन्द्र सेठी, बागुन सुम्बरुई, रामायण राय, गिरिराज सिंह और पसाला पैंचालय्या।

विपक्ष में : श्री पीताम्बर सिंह।

खण्ड 2

श्री रवीन्द्र वर्मा (बम्बई उत्तर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"पृष्ठ 1,—

पंक्ति 22 के **पश्चात्** निम्नलिखित अन्त: **स्थापित किया जाए**—

"परन्तु खण्ड (ख), (ग), (घ) और (ङ) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को लागू होने वाली ऐसी कोई विधि, ऐसी सेवाओं में, जो विधि द्वारा प्रभावित हों, नियोजित व्यक्तियों की व्यक्तिगत तथा सामूहिक शिकायतों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रभावी तन्त्र की भी व्यवस्था करेगी और प्रतिनिधि संस्थाओं के माध्यम से सामूहिक शिकायतों का उपचार हासिल करने के अधिकार को निराकृत नहीं करेगी।" (2)

गृह मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"पृष्ठ 1,—

(i) पंक्ति 12 से 14 तक का **लोप किया जाए।**

(ii) पंक्ति 15 में "(घ)" **के स्थान पर** "(ग)" **प्रतिस्थापित किया जाए।**

(iii) पंक्ति 18 में "(ङ)" **के स्थान पर** "(घ)" **प्रतिस्थापित किया जाए।**

(iv) पंक्ति 18 में "(घ)" **के स्थान पर** "(ग)" **प्रतिस्थापित किया जाए।**" (3)

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री रवीन्द्र वर्मा द्वारा पेश किए गए संशोधन संख्या 2 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 2 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"पृष्ठ 1,—

(i) पंक्ति 12 से 14 तक का **लोप किया जाए।**

(ii) पंक्ति 15 में "(घ)" **के स्थान पर** "(ग)" **प्रतिस्थापित किया जाए।**

(iii) पंक्ति 18 में "(ङ)" **के स्थान पर** "(घ)" **प्रतिस्थापित किया जाए।**

(iv) पंक्ति 18 में "(घ)" **के स्थान पर** "(ग)" **प्रतिस्थापित किया जाए।**"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : इससे पहले कि मैं, खण्ड 2 यथासंशोधित सभा में मतदान के लिए रखूं ; क्यों कि यह संविधान संशोधन विधेयक है, इस लिए इस पर मतदान मतविभाजन द्वारा होगा, दीर्घायें खाली कर दी जायें ।

अब दीर्घायें खाली कर दी गई हैं । प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ :

8.44 म० प०

पक्ष में 315
42

मत-विभाजन संख्या : 20

अब्बासी, श्री काजी जलील

अहमद, श्री मोहम्मद असरार

अहमद बेगम आबिदा

अहमद, श्री गुलशेर

अहमद, श्री कमालुद्दीन

अजीत प्रताप सिंह

अल्लूरी, श्री सुभाष चन्द्र बोस

आनन्द सिंह, श्री

अंकिनीडू प्रसाद राव, श्री पी०

अन्सारी, श्री जियाउर्रहमान

अनुरागी, श्री गोदिल प्रसाद

अनवार अहमद, श्री

अप्पालानायडू, श्री एस० आर० ए० एस०

अराकल, श्री जेवियर

अरुणाचलम, श्री एम०

अशफाक हुसैन, श्री

आजाद, श्री भागवत झा

आजाद, श्री गुलाम नबी

आजमी, डा० ए० यू०

बागुन सुम्बरुई, श्री

बेरवा, श्री बनवारी लाल

बैठा, श्री डूमर लाल

वाजपेयी, डा० राजेन्द्र कुमारी

बालेश्वर राम, श्री

बन्सी लाल, श्री

बहेरा, श्री रास बिहारी

भगत, श्री बी० आर०

भगत, श्री एच० के० एल०

भगवान देव, आचार्य

भक्त, श्री मनोरंजन

भारद्वाज, श्री परसराम

भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल

भोई, डा० कृपासिन्धु

भोले, श्री आर० आर०

भोये, श्री रेशमा मोतीराम

भूरिया, श्री दलीप सिंह

भूयन, श्री भुवनेश्वर

बीरबल, श्री

बीरेन्द्र सिंह राव

विष्णु प्रसाद, श्री

वोड्डेपल्ली, श्री राजगोपाल राव

ब्रार श्रीमती गुरबिन्दर कौर

बृजेन्द्रपाल सिंह, श्री

बूटा सिंह, श्री

चक्रधारी सिंह, श्री

चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल

चन्द्रशेखरप्पा, श्री टी० बी०

चरणजीत सिंह, श्री

चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती

चौधरी, श्री मनफूल सिंह

चौधरी, श्री ए० बी० ए० गनी खान

चव्हाण, श्री एस० बी०

चव्हाण, श्री यशवन्तराव

चेन्नुपति, श्रीमती विद्या

चिंगवांग कोनयक, श्री

चौधरी, श्री चित्तुरी सुब्बा राव

चौधरी, श्रीमती ऊषा प्रकाश

चौहान, श्री फतेहभान सिंह

दाभी, श्री अजीत सिंह

डागा, श्री मूलचन्द

दलवीर सिंह, श्री

दलवीर सिंह, श्री

डामोर, श्री सोमजीभाई

दास, श्री अनादि चरण

डेनिस, श्री एन०

देसाई, श्री बी० वी०

देव, श्री संतोष मोहन

देवराजन, श्री वी०

धोटे, श्री जाम्बुवंत

डोगरा, श्री गिरधारी लाल

डूंगर सिंह, श्री

दुबे, श्री बिन्देश्वरी

दुबे, श्री रामनाथ

एक्का, श्री क्रिस्टोफर

ऐंगटी, श्री बीरेन सिंह

ईरा अनावारासु, श्री

फैलीरो, श्री एडुआर्डो

फर्नान्डीस, श्री ओस्कर

गाडगिल, श्री बी० एन०

गधावी, श्री भेरावदन के०

गायकवाड़, श्री आर० पी०

गायकवाड़, श्री उदयसिंह राव

गामित, श्री छीतूभाई

गांधी, श्रीमती इन्दिरा

गांधी, श्री राजीव

गावित, श्री मानिकराव होडल्या

गहलोत, श्री अशोक

गुफरान आजम, श्री

गिरिराज सिंह

गोगोई, श्री तरुण

गोहिल, श्री जी० बी०

गामांगो, श्री गिरिधर

गौडर, श्री ए० सेनापति

गौजगिन, श्री एन०

गौडा, श्री डी० एम० पुत्ते

गौडा, श्री एच० एन० नन्जे

हेम्ब्रम, श्री सेत

जदेदा, श्री दौलतसिंहजी

जाफर शरीफ, श्री सी० के०

जैन, श्री भीकू राम

जैन, श्री निहाल सिंह

जैन, श्री बृद्धि चन्द

जक्कायन, श्री एस० टी० के०

जमीलुर्रहमान, श्री

जेना, श्री चिन्तामणि

जितेन्द्र प्रसाद, श्री

काहनडोल, श्री जैड०एम०

कैलाशपति, श्रीमती

कमल नाथ, श्री

कमला कुमारी, कुमारी

कर्मा, श्री लक्ष्मण

कौल, श्रीमती शीला

केन, श्री लालाराम

कैयर भूषण, श्री

खां, श्री आरिफ मोहम्मद

खां, श्री मलिक एम० एम० ए०

खां, श्री जल्फिकार अली

खारखुली, श्री बजूबन आर०

किदवई, श्रीमती मोहसिना

कोसल राम, श्री के० टी०

कृष्ण, श्री एस० एम०

कृष्ण प्रताप सिंह, श्री

कृष्णन्, श्री जी० वाई०

क्षीरसागर, श्रीमती केशरबाई

कुचन, श्री गंगाधर एस०

कुन्हम्बु, श्री के०

कुवंर राम, श्री

कुरियन, प्रो० पी० जे०

लकप्पा, श्री के०

लक्ष्मनन्, श्री जी०

लास्कर, श्री निहार रंजन

माधुरी सिंह, श्रीमती

महाबीर प्रसाद, श्री

महाजन, श्री विक्रम

महाजन, श्री वाई० एस०

महाला, श्री आर० पी०

महेन्द्र प्रसाद, श्री

मकवाना, श्री नरसिंह

मालन्ना, श्री के०

मलिक, श्री लक्ष्मण

मल्लिकार्जुन, श्री

मल्लु, श्री अनन्त रामुलु

माने, श्री आर० एस०

मणि, श्री के० बी० एस०

मन्नी लाल, श्री

मावणि, श्री रामजीभाई

मिश्र, श्री गार्गी शंकर

मिश्र, श्री रामनगीना

मिश्र, श्री उमाकान्त

मिश्र, श्री हरिनाथ

मिश्र, श्री नित्यानन्द

महन्ती, श्री बृजमोहन

मोहिते, श्री यशवन्तराव

मोहसिन, श्री एफ० एच०

मोरे, श्री रामकृष्ण

मोतीलाल सिंह, श्री

मुखोपाध्याय, श्री आनन्द गोपाल

मूर्ति, श्री कुसुम कृष्ण

मूर्ति, श्री एम० राजशेखर

मूर्ति, श्री एम० वी० चन्द्रशेखर

मुत्तेमवार, श्री विलास

मुजफ्फर हुसैन, श्री सैयद

नगीना राय, श्री

नायडू, श्री पी० राजगोपाल

नायक, श्री जी० देवराय

नायकर, श्री डी० के०

नायर, श्री बी० के०

नामग्याल, श्री पी०

नन्दी येल्लैया, श्री

नारायण, श्री के० एस०

नायक, श्री मृत्युंजय

नेहरू, श्री अरुण कुमार

नेताम, श्री अरविन्द

निहालसिंहवाला, श्री जी० एस०

नोखरा, श्री रामेश्वर

नूरुल इस्लाम, श्री

उरांव, श्रीमती सुमति

पांडे, श्री कृष्णचन्द्र

पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि

पनिका, श्री राम प्यारे

पराशर, प्रो० नारायण चन्द

पारधी, श्री केशवराव

परमार, श्री हीरालाल आर०

पार्थसारथी, श्री पी०

पटेल, श्री अहमद मोहम्मद

पटेल, श्री सी० डी०

पटेल, श्री मोहन लाल

पटेल, श्री शान्तुभाई

पाटिल, श्री ए० टी०

पाटिल, श्री बालासाहिब विखे

पाटिल, श्री चन्द्रभान आठरे

पाटिल, श्रीमती शालिनी

पाटिल, श्री शंकरराव

पाटिल, श्री शिवराज वी०

पाटिल, श्री उत्तमराव

पाटिल, श्री वीरेन्द्र

पाटिल, श्री विजय एन०

पटनायक, श्रीमती जयन्ती

पट्टाभिरामा राव, श्री

पत्तुस्वामी, श्री डी०

पेंचलैया, श्री वसाला

फुलवारिया, श्री विरदा राम

पाइलट, श्री राजेश

पुजारी, श्री जनार्दन

पोटदुखे, श्री शान्ताराम

प्रधानी, श्री के०

प्रसन्न कुमार, श्री एस० एन०

पुलय्या, श्री दारूर

कादरी, श्री एस० टी०

राजू, श्री पी० वी० जी०

राम, श्री राम स्वरूप

रामलिंगम, श्री एन० कुदन्तई

राममूर्ति, श्री के०

रामुलु, श्री एच० जी०

रणवीर सिंह, श्री

रंगा, प्रो० एन० जी०

रणजीत सिंह, श्री

राव, श्रीमती वी० राधाबाई आनन्द

राव श्री जलगाम कोण्डला

राव, श्री एम० नागेश्वर

राव, श्री एम० एस० संजीवी

राव, श्री एम० सत्यनारायण

राव, श्री पी० वी० नरसिंह

रथ, श्री रामचन्द्र

राठवा, श्री अमर सिंह

राठौर, श्री उत्तम

राउत, श्री भोला

रवाणी, श्री नवीन

रावत, श्री हरीश

रेड्डी, श्री जी० एस०

रेड्डी, श्री जी० नरसिम्हा

रेड्डी, श्री के० ब्रह्मानन्द

रेड्डी, श्री० के ओबुल

रेड्डी, श्री के० विजय भास्कर

रेड्डी, श्री एम० राम गोपाल

रेड्डी, श्री पी० वेंकट

रेड्डी, श्री० टी० दामोदर

रौत, श्री जय नारायण

साही, श्रीमती कृष्णा

साहू, श्री नारायण

साहू, श्री शिवप्रसाद

सज्जन कुमार, श्री

समीनुद्दीन, श्री

संगमा, श्री पी० ए०

संखवार, श्री आशकरन

साठे, श्री वसन्त

सतीश प्रसाद सिंह, श्री

सत्यदेव सिंह, प्रो०

सावन्त, श्री टी० एम०

सेबस्तियन, श्री एस० ए० डोराई

सेठी, श्री अर्जुन

सेठी, श्री० पी० सी०

सैलानी, श्री चन्द्रपाल

शक्तावत, प्रो० निर्मला कुमारी

शक्यवार, श्री नाथूराम

शंकरानन्द, श्री बी०

शनमुगम, श्री पी०

शर्मा, श्री चिरंजी लाल

शर्मा, श्री काली चरण

शर्मा, श्री नन्द किशोर

शर्मा, श्री नवल किशोर

शर्मा, श्री प्रताप भानु

शर्मा, डा० शंकर दयाल

शास्त्री, श्री धर्मदास

शास्त्री, श्री हरि कृष्ण

शिगडा, श्री डी० बी०

शिव शंकर, श्री पी०

शिवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री

शुक्ल, श्री विद्या चरण

सिदनाल, श्री एस० बी०

सिंगारावाडीवेल, श्री एस०

सिंह, श्री सी० पी० एन०

सिंह, कुमारी पुष्पा देवी

सिंह, देव, श्री के० पी०

सिन्हा, श्रीमती रामदुलारी

सोलंकी, श्री बाबूलाल

सोरन, श्री हरिहर

सुन्दर राजन, श्री एन०

स्पीरो, श्री आर० एस०

श्रीनिवास प्रसाद, श्री बी०

सुब्बुरमण श्री ए० जी०

सुखबन्स कौर, श्रीमती

सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त

सुन्दर सिंह, श्री

सूर्यवन्शी, श्री नरसिंह

स्वामी, श्री के० ए०

स्वामीनाथन, श्री आर० वी०

तपेश्वर सिंह, श्री

तेइयेंग, श्री सोबेंग

तिवारी, श्री कृष्ण प्रकाश

तिवारी, प्रो० के० के०

थोरट, श्री माउसाहिब

थुगोन, श्री पी० के०

तिवारी, श्री चन्द्रभाल मणि

तिवारी, श्री राम गोपाल

त्रिपाठी, श्री कमलापति

टुडु, श्री मनमोहन

टाईटलर, श्री जगदीश

उइके, श्री छोटे लाल

वैराले, श्री मधुसूदन

वर्मा, श्री जय राम

वेलू, श्री ए० एम०

वेंकटसुब्बया, श्री पी०

वर्मा, श्री दीनबन्धु

वर्मा, श्रीमती ऊषा

विजयराघवन, श्री बी० एस०

व्यास, श्री गिरधारी लाल

बाघ, डा० प्रताप

वासनिक, श्री बालकृष्ण रामचन्द्र

यादव, श्री डी० पी०

यादव, श्री आर० एन०

यादव, श्री राम सिंह

यादव, श्री सुभाष चन्द्र

याजदानी, डा० गोलम

जैनल बशर, श्री

विपक्ष में

मत-विभाजन संख्या : 20

अग्रवाल, श्री सतीश

बर्मन, श्री पलाश

बसु, श्री चित्त

भीम सिंह, श्री

विश्वास, श्री अजय

चक्रवर्ती, श्री सत्यसाधन

चटर्जी, श्री सोमनाथ

चौबे, श्री नारायण

चौधरी, श्री सैफुद्दीन

दंडवते, प्रो० मधु

दंडवते, श्रीमती प्रमिला

दत्त, श्री अमल

दंडपाणि, श्री सी० टी०

घोष, गोस्वामी, श्रीमती बिभा

गोपालन, श्रीमती सुशीला

गुप्त, श्री इन्द्रजीत

हाल्दर, श्री कृष्ण चन्द्र

हन्नान मोल्लाह, श्री

होरो, श्री एन० ई०

कोडियन, श्री पी० के०

कुलनदईवेलु, डा० वी०

महाटा, श्री चित्त

मैत्रा, श्री सुनील

मसूदल हुसैन, श्री सैयद

मेहता, प्रो० अजित कुमार

मुखर्जी, श्री समर

नेताम, श्री अरविन्द

नगनगोम मोहेन्द्रा, श्री

पासवान, श्री राम विलास

पाठक, श्री आनन्द

रियान, श्री बाजू बन

राय, श्री ए० के०

राय प्रधान, श्री अमर

साहा, श्री अजित कुमार

सेन, श्री सुबोध

शेखवलकर, श्री एन० के०

सिन्हा, श्री निर्मल

तिरकी, श्री पीयूष

उन्नीकृष्ण, श्री के० पी०

वर्मा, श्री रवीन्द्र

वर्मा, श्री रघुनाथ सिंह

जायनल अबेदिन, श्री

अध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अभ्यधीन, मत-विभाजन का परिणाम* इस प्रकार है :—

पक्ष में : 315

विपक्ष में : 42

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 2, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड 1

संशोधन किया गया ।

पृष्ठ 1, पंक्ति 3,—

"बावनवां" के स्थान पर "पचासवां" प्रतिस्थापित किया जाए (1)

(श्री पी० वी० नरसिंह राव)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 1 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव किया गया है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए ।"

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी मतदान किया :—

पक्ष में : सर्वश्री एम० अंकिनीडु, आर० बाई० घोरपडे, रामायण राय और हाकम सिंह ।

विपक्ष में : श्री पीताम्बर सिंह ।

श्री सुनील मैत्रा (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : महोदय, मुझे केवल एक निवेदन करना है। पिछले महीने मैं एक पहाड़ी क्षेत्र में गया था। वहां पर सीमा सड़क संगठन के मजदूर 12000 फुट की ऊंचाई पर प्रति दिन आठ घण्टा काम कर रहे हैं। उनकी सबसे बड़ी शिकायत यह है कि उन्हें उसी प्रकार राशन नहीं दिया जाता जैसे कि जवानों को दिया जा रहा है। माननीय मन्त्री कृपया इस मामले की जांच करें।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : महोदय, यह व्यक्तिगत मामलों की जांच करने का समय नहीं है। मैंने कहा है कि सरकार ने इन प्रश्नों पर हमेशा ही सहानुभूतिपूर्वक विचार किया है और भविष्य में भी सहानुभूति से ही विचार करेगी।

प्रो० मधु दण्डवते : वह व्यक्तिगत मामला नहीं है।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : व्यक्तिगत मामले का अर्थ केवल यह नहीं कि वह एक व्यक्ति से सम्बद्ध हो। यह भी अपने आप में एक किस्म का व्यक्तिगत मामला है। यह एक विशेष वर्ग से सम्बद्ध है।

अध्यक्ष महोदय : इससे पहले कि मैं यह प्रस्ताव सभा में मतदान के लिए रखूं कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित कर दिया जाए ; क्यों कि यह संविधान संशोधन विधेयक है, इसलिए इस पर मतदान मत विभाजन द्वारा होगा। **घंटियां खाली कर दी जायें।**

घंटियां खाली कर दी गई हैं। प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ।

8.52 म० प०

316
412

पक्ष में

मत-विभाजन संख्या : 21

अब्बासी, श्री काजी जलील

अहमद, श्री मोहम्मद असरार

अहमद, बेगम आबिदा

अहमद, श्री गुलशेर

अहमद, श्री कमालुद्दीन

अजीत प्रताप सिंह

अल्लूरी, श्री सुभाष चन्द्र बोस

आनन्द सिंह, श्री

अंकिनीडू, श्री एम०

अंकिनीडू प्रसाद राव, श्री पी०

अन्सारी, श्री जियाउर्रहमान

अनुरागी, श्री गोदिल प्रसाद

अनवार अहमद, श्री

अप्पालानायडू, श्री एस० आर० ए० एन०

अराकल, श्री जेवियर

अरुणाचलम, श्री एम०

अशफाक हुसैन, श्री

आजाद, श्री भागवत झा

आजाद, श्री गुलाम नबी

आजमी, डा० ए० यू०

बागुन सुम्बरुई, श्री

बेरवा, श्री बनवारी लाल

बैठा, श्री डूमर लाल

वाजपेयी, डा० राजेन्द्र कुमारी

बालेश्वर राम, श्री

बन्सी लाल, श्री

बहेरा, श्री रास बिहारी

भगत, श्री बी० आर०

भगत, श्री एच० के० एल०

भगवान देव, आचार्य

भक्त, श्री मनोरंजन

भारद्वाज, श्री परसराम

भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल

भोई, डा० कृपासिन्धु

भोले, श्री आर० आर०

भोये, श्री रेशमा मोतीराम

भूरिया, श्री दिलीप सिंह

भूयन, श्री भुवनेश्वर

बीरबल, श्री

बीरेन्द्र सिंह, राव

विष्णु प्रसाद, श्री

बोड्डेपल्ली, श्री राजगोपाल राव

ब्रार, श्रीमती गुरविन्दर कौर

बृजेन्द्रपाल सिंह, श्री

बूटा सिंह, श्री

चक्रधारी सिंह, श्री

चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल

चन्द्रशेखरप्पा, श्री टी० बी०

चरणजीत सिंह, श्री

चतुर्वेदी श्रीमती विद्यावती

चौधरी, श्री मनफूल सिंह

चौधरी, श्री ए० बी० ए० गनी खान

चव्हाण, श्री एस० बी०

चव्हाण, श्री यशवन्तराव

चेन्नुपति, श्रीमती विद्या

चिंगवांग कोनयक, श्री

चौधरी, श्री चित्तुरी सुब्बा राव

चौधरी, श्रीमती ऊषा प्रकाश

चौहान, श्री फतेहभान सिंह

दाभी, श्री अजीत सिंह

डागा, श्री मूलचन्द

दलबीर सिंह, श्री

दलबीर सिंह, श्री

डामोर, श्री सोमजीभाई

दास, श्री अनादि चरण

डेनिस, श्री एन०

देसाई, श्री बी० बी०

देव, श्री संतोष मोहन

देवराजन, श्री वी०

धोटे, श्री जाम्बुवंत

डोगरा, श्री गिरधारी लाल

डूंगर सिंह श्री

दुबे, श्री बिन्देश्वरी

दुबे, श्री रामनाथ

एक्का, श्री क्रिस्टोफर

ऐंगटी, श्री वीरेन सिंह

ईरा अनावारासु, श्री

फैलीरो, श्री एडुआर्डो

फर्नान्डीस, श्री ओस्कर

गाडगिल, श्री बी० एन०

गधावी, श्री भेरावदन के०

गायकवाड़, श्री आर० पी०

गायकवाड़, श्री उदयसिंह राव

गामित, श्री छीतूभाई

गांधी, श्रीमती इन्दिरा

गांधी, श्री राजीव

गावित, श्री मानिक राव होडल्य

गहलोत, श्री अशोक

घारपाड़े, श्री आर० बाई

गुफरान आजम, श्री

गिरिराज सिंह

गोगोई, श्री तरुण

गोहिल, श्री जी० बी०

गामांगो, श्री गिरिधर

गौडर, श्री ए० सेनापति

गौजगिन, श्री एन०

गौडा, श्री डी० एम० पुत्ते

गौडा, श्री एच० एन० नन्जे

हेमब्रम, श्री सेत

जदेदा, श्री दौलतसिंहजी

जाफर शरीफ, श्री सी० के०

जैन, श्री भीकू राम

जैन, श्री निहाल सिंह

जैन, श्री वृद्धि चन्द

जक्कायन, श्री एस० टी० के०

जमीलुर्रहमान, श्री

जेना, श्री चिन्तामणि

जितेन्द्र प्रसाद, श्री

काहनडोल, श्री जैड० एम०

कैलाशपति, श्रीमती

कमल नाथ, श्री

कमला कुमारी, कुमारी

कर्मा, श्री लक्ष्मण

कौल, श्रीमती शीला

केन, श्री लालाराम

कैयूर भूषण, श्री

खां, श्री आरिफ मोहम्मद

खां, श्री मलिक एम० एम०ए०

खां, श्री जल्फिकार अली

खारखुली, श्री बाजूबन आर०

किदवई, श्रीमती मोहसिना

कोसलराम, श्री के० टी०

कृष्ण, श्री एस० एम०

कृष्ण प्रताप सिंह, श्री

कृष्णन्, श्री जी० वाई०

क्षीरसागर, श्रीमती केशरबाई

कुचन, श्री गंगाधर एस०

कुन्हम्बु, श्री के०

कुवंर राम, श्री

कुरियन, प्रो० पी० जे०

लकप्पा, श्री के०

लक्ष्मनन्, श्री जी०

लास्कर, श्री निहार रंजन

माधुरी सिंह, श्रीमती

महाबीर प्रसाद, श्री

महाजन, श्री विक्रम

महाजन, श्री वाई० एस०

महाला, श्री आर० पी०

महेन्द्र प्रसाद, श्री

मकवाना, श्री नरसिंह

मालन्ना, श्री के०

मलिक, श्री लक्ष्मण

मल्लिकार्जुन, श्री

मल्लु, श्री अनन्त रामुलु

माने, श्री आर० एस०

मणि, श्री के० बी० एस०

मन्नी लाल, श्री

मावणि, श्री रामजीभाई

मिश्र, श्री गार्गी शंकर

मिश्र, श्री रामनगीना

मिश्र, श्री उमा कान्त

मिश्र, श्री हरिनाथ

मिश्र श्री नित्यानन्द

महन्ती, श्री बृजमोहन

मोहिते, श्री यशवन्तराव

मोहसिन, श्री एफ० एच०

मोरे, श्री रामकृष्ण

मोतीलाल सिंह, श्री

मुखोपाध्याय, श्री आनन्द गोपाल

मूर्ति, श्री कुसुम कृष्ण

मूर्ति, श्री एम० राजशेखर

मूर्ति, श्री एम० वी० चन्द्रशेखर

मुस्तेमवार, श्री विलास

मुजफ्फर हुसैन, श्री सैयद

नगीना राय, श्री

नायडू, श्री पी० राजगोपाल

नायक, श्री जी० वेंकराय

नायकर, श्री डी० के०

नायर, श्री बी० के०

नामग्याल, श्री पी०

नन्दी येल्लैया, श्री

नारायण, श्री के० एस०

नेहरू, श्री अरुण कुमार

नेताम, श्री अरविन्द

निहालसिंहवाल, श्री जी० एस०

नीखरा, श्री रामेश्वर

नूरुल इस्लाम, श्री

उरांव, श्रीमती सुमति

पांडे, श्री कृष्णचन्द

पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि

पनिका, श्री राम प्यारे

पराशर, प्रो० नारायण चन्द्र

पारधी, श्री केशवराव

परमार, श्री हीरालाल आर०

पार्थसारथी, श्री पी०

पटेल, श्री अहमद मोहम्मद

पटेल, श्री सी० डी०

पटेल, श्री मोहन लाल

पटेल, श्री शान्तुभाई

पाटिल, श्री ए० टी०

पाटिल, श्री बालासाहिब विखे

पाटिल, श्री चन्द्रभान आठरे

पाटिल, श्रीमती शालिनी

पाटिल, श्री शंकरराव

पाटिल, श्री शिवराज वी०

पाटिल, श्री उत्तमराव

पाटिल, श्री वीरेन्द्र

पाटिल, श्री विजय एन०

पटनायक, श्रीमती जयन्ती

पट्टाभिरामा राव, श्री

पत्तुस्वामी, श्री डी०

पेंचालैया, श्री पसाला

फुलवारिया, श्री विरदा राम

पाइलट, श्री राजेश

पुजारी, श्री जनार्दन

पोटदुखे, श्री शान्ताराम

प्रधानी, श्री के०

प्रसन्न कुमार, श्री एस० एन०

पुलय्या, श्री दारूर

कादरी, श्री एस० टी०

राजु, श्री पी० बी० जी०

राम, श्री रामस्वरूप

रामलिंगम, श्री एन० कुदन्तई

राममूर्ति, श्री के०

रामुलु, श्री एच० जी०

रणवीर सिंह, श्री

रंगा, प्रो० एन० जी०

रणजीत सिंह, श्री

राव, श्रीमती बी० राधाबाई आनन्द

राव, श्री जलगाम कोन्डाला

राव, श्री एम० नागेश्वर

राव, श्री एम० एस० संजीवी

राव, श्री एम० सत्यनारायण

राव, श्री पी० वी० नरसिंह

रथ, श्री रामचन्द्र

राठवा, श्री अमर सिंह

राठौर, श्री उत्तम

रावत, श्री भोला

रवाणी, श्री नवीन

रावत, श्री हरीश

रेड्डी, श्री जी० एस०

रेड्डी, श्री जी० नरसिम्हा

रेड्डी, श्री के० ब्रह्मानन्द

रेड्डी, श्री के० ओबुल

रेड्डी, श्री के० विजय भास्कर

रेड्डी, श्री एम० राम गोपाल

रेड्डी, श्री पी० वेंकट

रेड्डी, श्री टी० दामोदर

रौत, श्री जय नारायण

साही, श्रीमती कृष्णा

साहू, श्री नारायण

साहू, श्री शिव प्रसाद

सज्जन कुमार, श्री

समीनुद्दीन, श्री

संगमा, श्री पी० ए०

संखवार, श्री आशकरन

साठे, श्री वसन्त

सतीश प्रसाद सिंह, श्री

सत्यदेव सिंह, प्रो०

सावन्त, श्री टी० एम०

सेबस्तियन, श्री एस० ए० दोराई

सेठी, श्री अर्जुन

सेठी, श्री पी० सी०

शैलानी, श्री चन्द्रपाल

शक्तावत, प्रो० निर्मला कुमारी

शक्यवार, श्री नाथूराम

शंकरानन्द, श्री बी०

शनमुगम, श्री पी०

शर्मा, श्री चिरंजी लाल

शर्मा, श्री काली चरण

शर्मा, श्री नन्द किशोर

शर्मा, श्री नवल किशोर

शर्मा, श्री प्रताप भानु

शर्मा, डा० शंकर दयाल

शास्त्री, श्री धर्मदास

शास्त्री, श्री हरि कृष्ण

शिगडा, श्री डी० बी०

शिव शंकर, श्री पी०

शिवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री

शुक्ल, श्री विद्या चरण

सिदनाल, श्री० एस० बी०

सिंगारावाडीवेल, श्री एस०

सिंह, श्री सी० पी० एन०

सिंह, कुमारी पुष्पा देवी

सिंह, देव श्री के० पी०

सिन्हा, श्रीमती रामदुलारी

सोलंकी, श्री बाबू लाल

सोरन, श्री हरिहर

सुन्दरराजन श्री एन०

स्पैरो, श्री आर० एस०

श्री निवास प्रसाद, श्री वी०

सुखबन्स कौर, श्रीमती

सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त

सुन्दर सिंह, श्री

सूर्यबन्शी, श्री नरसिंह

स्वामी, श्री के० ए०

स्वामीनाथन, श्री आर० बी०

तपेश्वर, सिंह, श्री

तेइयेंग, श्री सोबेंग

तिवारी, श्री कृष्ण प्रकाश

तिवारी, प्रो के० के०

थोरट, श्री भाउसाहिब

थुगोन, श्री पी० के०

तिवारी, श्री चन्द्रभाल मणि

तिवारी, श्री राम गोपाल

त्रिपाठी, श्री कमलापति

टुडु, श्री मनमोहन

टाईटलर, श्री जगदीश

उइके, श्री छोटे लाल

वैराले, श्री मधुसूदन

वर्मा, श्री जय राम

वेलू, श्री ए० एम०

वेंकटसुब्बया, श्री पी०

वर्मा, श्री दीनबन्धु

वर्मा, श्रीमती ऊषा

विजयराघवन, श्री वी० एस०

व्यास, श्री गिरिधारी लाल

वाघ, डा० प्रताप

वासनिक, श्री बालकृष्ण रामचन्द्र

यादव, श्री डी० पी०

यादव, श्री आर० एन०

यादव, श्री रामसिंह

यादव, श्री सुभाषचन्द्र

याजदानी, डा० गोलम

जैनल बशर, श्री

विपक्ष में

मत-विभाजन संख्या : 21

अग्रवाल, श्री सतीश

बर्मन, श्री पलाश

बसु, श्री चित्त

भीम सिंह, श्री

विश्वास, श्री अजय

चक्रवर्ती, श्री सत्यसाधन

चटर्जी, श्री सोमनाथ

चौबे, श्री नारायण

चौधरी, श्री सैफुद्दीन

दण्डवते, प्रो० मधु

दण्डवते, श्रीमती प्रमिला

दत्त, श्री अमल

दण्डपाणि, श्री सी० टी०

घोष, गोस्वामी, श्रीमती बिभा

गोपालन, श्रीमती सुशीला

गुप्त, श्री इन्द्रजीत

हाल्दर, श्री कृष्ण चन्द्र

हन्नान मोल्लाह, श्री

होरो, श्री एन० ई०

कोडियन, श्री पी० के०

कुलनदईवेलु, डा० वी०

महाटा, श्री चित्त

मैत्रा, श्री सुनील

मण्डल, श्री सनत कुमार

मसुदल हुसैन, श्री सैयद

मुखर्जी, श्री समर

नगनगोम मोहेन्द्रा, श्री

पासवान, श्री राम विलास

पाठक, श्री आनन्द

रियान, श्री बाजूबन

राय, श्री ए० के०

राय प्रधान, श्री अमर

साहा, श्री अजित कुमार

सेन, श्री सुबोध

शेजवलकर, श्री एन० के०

सिन्हा, श्री निर्मल

सिंह, श्री पीताम्बर

तिरकी, श्री पीयूष

उन्नीकृष्ण, श्री के० पी०

वर्मा, श्री रवीन्द्र

वर्मा, श्री रघुनाथ सिंह

जायनल अबेदिन, श्री

अध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन, मत-विभाजन का परिणाम* इस प्रकार है :

पक्ष में : 316

विपक्ष में : 42

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नियम 338 का निलम्बन

अध्यक्ष महोदय : अब श्री पी० वी० नरसिंह राव मद 23।

गृह मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा संविधान (53वां संशोधन) विधेयक 1984 को पुर:स्थापित करने की अनुमति के प्रस्ताव के सम्बन्ध में लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के 338 को निलंबित करती है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

---

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी मतदान किया :

पक्ष में : सर्वश्री रामायण राय, हाकम सिंह और मत्युञ्जय नायक

विपक्ष में : प्रो० अजित कुमार मेहता।

"कि यह सभा संविधान (53वां संशोधन) विधेयक 1984 को पुर:स्थापित करने की अनुमति के प्रस्ताव के सम्बन्ध में लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 338 को निलंबित करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

संविधान (53वां संशोधन) विधेयक

अध्यक्ष महोदय : अब श्री पी० वी० नरसिंह राव

गृह मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : इससे पहले कि विचार हेतु प्रस्ताव को मैं सभा में मतदान के लिए रखूं ; क्योंकि यह संवैधानिक संशोधन है, इसलिए इस पर मतदान मत-विभाजन द्वारा होगा।

दीर्घाएं खाली कर दी जाएं।

अध्यक्ष महोदय : दीर्घाएं खाली कर दी गई हैं। प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ :

9.00 म० प०

पक्ष में

मत—विभाजन संख्या : 22

अब्बासी, श्री काजी जलील

अग्रवाल, श्री सतीश

अहमद, श्री मोहम्मद असरार

अहमद, बेगम आबिदा

अहमद, श्री गुलशेर

अहमद, श्री कमलालुद्दीन

अजीत प्रताप सिंह

अल्लूरी, श्री सुभाष चन्द्र बोस

आनन्द सिंह, श्री

अंकिनीडू, श्री एम०

अंकिनीडू प्रसाद राव, श्री पी०

अन्सारी, श्री जियाउर्रहमान

अनुरागी, श्री गोदिल प्रसाद

अनवार अहमद, श्री

अप्पालानायडू, श्री एस० आर० ए० एस०

अराकल, श्री जेबियर

अरुणाचलम, श्री एम०

अशफाक हुसैन, श्री

आजाद, श्री भागवत झा

आजाद, श्री गुलाम नबी

आजमी, डा० ए० यू०

बागुन सुम्बरुई, श्री

बेरवा, श्री बनवारी लाल

बैठा, श्री डूमर लाल

वाजपेयी, डा० राजेन्द्र कुमारी

बालेश्वर राम, श्री

बनातवाला, श्री जी० एस०

बन्सी लाल, श्री

बर्मन, श्री पलाश

बसु, श्री चित्त

बहेरा, श्री रास बिहारी

भगत, श्री बी० आर०

भगत, श्री एच० के० एल०

भगवान देव, आचार्य

भक्त, श्री मनोरंजन

भारद्वाज, श्री परसराम

भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल

भीम सिंह, श्री

भोई, डा० कृपासिन्धु

भोले, श्री आर० आर०

भोये, श्री रेशमा मोतीराम

भूरिया, श्री दिलीप सिंह

भूयन, श्री भुवनेश्वर

बीरबल, श्री

बीरेन्द्र सिंह, राव

विष्णु प्रसाद, श्री

विश्वास, श्री अजय

वोड्डेपल्ली, श्री राजगोपाल राव

व्रार, श्रीमती गुरबिन्दर कौर

बृजेन्द्रपाल सिंह, श्री

बूटा सिंह, श्री

चक्रवर्ती, श्री सत्यसाधन

चक्रधारी सिंह, श्री

चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल

चन्द्रशेखरप्पा, श्री टी० वी०

चरणजीत सिंह, श्री

चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती

चौधरी, श्री मनफूल सिंह

चौधरी, श्री ए० बी० ए० गनी खान

चव्हाण, श्री यशवन्तराव

चव्हाण, श्री एस० बी०

चेन्नुपति, श्रीमती विद्या

चिंगवांग कोनयक, श्री

चौबे, श्री नारायण

चौधरी, श्रीमती ऊषा प्रकाश

चौधरी, श्री सैफुद्दीन

चौहान, फतेहभान सिंह

चौधरी, श्री चित्तूरी सुब्बाराव

दाभी, श्री अजीत सिंह

डागा, श्री मूलचन्द

दलबीर सिंह, श्री

दलबीर सिंह, श्री

डामोर, श्री सोमजीभाई

दंडवते, प्रो० मधु

दण्डवते, श्रीमती प्रमिला

दास, श्री अनादि चरण

दत्त, श्री अमल

डेनिस, श्री एन॰

देसाई, श्री बी॰ वी॰

देव, श्री सन्तोष मोहन

देवराजन, श्री बी॰

दंडपाणि, श्री सी॰ टी॰

धोटे, श्री जाम्बुवन्त

दिग्विजय सिंह, श्री

डोगरा, श्री गिरधारी लाल

डूंगर सिंह, श्री

दुबे, श्री बिन्देश्वरी

दुबे, श्री रामनाथ

एक्का, श्री क्रिस्टोफर

ऐंगटी, श्री बीरेन सिंह

ईरा अनाबारासु, श्री

फैलीरो, श्री एडुआर्डो

फर्नान्डीस, श्री ओस्कर

गाडगिल, श्री बी॰ एन॰

गधावी, श्री मेरावदन के॰

गायकवाड़, श्री आर॰ पी॰

गायकवाड़, श्री उदयसिंह राव

गामित, श्री छीतूभाई

गांधी, श्रीमती इन्दिरा

गाधी, श्री राजीव

गावित, श्री मानिकराव होडल्य

गहलोत, श्री अशोक

घारपाड़े, श्री आर० बाई

घोष, गोस्वामी, श्रीमती बिभा

गुफरान आजम, श्री

गिरिराज सिंह

गोगोई, श्री तरुण

गोहिल, श्री जी० बी०

गोमांगो, श्री गिरिधर

गोपालन, श्रीमती सुशीला

गौंडर, श्री ए० सेनापति

गौजगिन, श्री एन०

गौडा, श्री डी० एम० पुत्ते

गौडा, श्री एच० एन० नन्जे

गुप्त, श्री इन्द्रजीत

हाकम सिंह, श्री

हाल्दर, श्री कृष्ण चन्द्र

होरो, श्री एन० ई०

जदेदा, श्री दौलतसिंह जी

जाफर शरीफ, श्री सी० के०

जैन, श्री भीकूराम

जैन, श्री निहाल सिंह

जैन, श्री वृद्धि चन्द

जक्कायन, श्री एस० टी० के०

जमीरलुर्रहमान, श्री

जेना, श्री चिन्तामणि

जितेन्द्र प्रसाद, श्री

काहनडोल, श्री जैड० एम०

कैलाशपति, श्रीमती

कमल नाथ, श्री

कमला कुमारी, कुमारी

कर्मा, श्री लक्ष्मण

कौल, श्रीमती शीला

केन, श्री लाला राम

कैमर भूषण, श्री

खां, श्री आरिफ मोहम्मद

खां, श्री मलिक एम० एम० ए०

खां, श्री जल्फिकार अली

खारलुखी, श्री बजू बन आर०

किदवई, श्रीमती मोहसिना

कोडियन, श्री पी० के०

कोसलराम, श्री के० टी०

कृष्ण, श्री एस० एम०

कृष्ण प्रताप सिंह, श्री

कृष्णन्, श्री जी० वाई०

क्षीरसागर, श्रीमती केशरबाई

कुचन, श्री गंगाधर एस०

कुलनदईवेलु, डा० वी०

कुन्हम्बु, श्री के०

कुवंर राम, श्री

कुरियन, प्रो० पी० जे०

लकप्पा, श्री के०

लक्ष्मनन्, श्री जी०

लास्कर, श्री निहार रंजन

लारेंस, श्री एम० एम०

माधुरी सिंह, श्रीमती

महाबीर प्रसाद, श्री

महाजन, श्री विक्रम

महाजन, श्री वाई० एस०

महाला, श्री आर० पी०

महाटा, श्री चित्त

महेन्द्र प्रसाद, श्री

मैत्रा, श्री सुनील

मकवाना, श्री नरसिंह

मालन्ना, श्री के०

मलिक, श्री लक्ष्मण

मल्लिकार्जुन, श्री

मल्लु, श्री अनन्त रामुलु

माने, श्री आर० एस०

मणि, श्री के० बी० एस०

मन्नी लाल, श्री

मसुदल हुसैन, श्री सैयद

मावणि, श्री रामजीभाई

मेहता, प्रो० अजित कुमार

मिश्र, श्री गार्गी शंकर

मिश्र, श्री रामनगीना

मिश्र, श्री उमा कान्त

मिश्र, श्री हरिनाथ

मिश्र, श्री नित्यानन्द

महन्ती, श्री बृजमोहन

मोहिते, श्री यशवन्त राव

मोहसिन, श्री एफ० एच०

मोरे, श्री रामकृष्ण

मोतीलाल सिंह, श्री

मुखर्जी, श्री समर

मुखोपाध्याय, श्री आनन्द गोपाल

मूर्ति, श्री कुसुम कृष्ण

मूर्ति, श्री एम० राजशेखर

मूर्ति, श्री एम० वी० चन्द्रशेखर

मुत्तेमवार, श्री विलास

मुजफ्फर हुसैन, श्री सैयद

नगीना राय, श्री

नहाटा, श्री बी० आर०

नायडू, श्री पी० राजगोपाल

नायक, श्री जी० देवराय

नायकर, श्री डी० के०

नायर, श्री बी के०

नामग्याल, श्री पी०

नन्दी येल्लैया, श्री

नारायण, श्री के० एस०

नायक, श्री मृत्युंजय

नेहरू, श्री अरुण कुमार

नेताम, श्री अरविन्द

नंगनगोम मोहेन्द्रा, श्री

निहालसिंहवाला, श्री जी० एस०

नीखरा, श्री रामेश्वर

नूरुल इस्लाम, श्री

उराव, श्रीममी सुमति

पांडे, श्री कृष्णचन्द्र

पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि

पनिका, श्री राम प्यारे

पराशर, प्रो० नारायण चन्द

पारधी, श्री केशवराव

परमार, श्री हीरालाल आर०

पार्थसारथी, श्री पी०

पासवान, श्री राम बिलास

पटेल, श्री अहमद मोहम्मद

पटेल, श्री सी० डी०

पटेल, श्री मोहन लाल

पटेल, श्री शान्तुभाई

पाठक, श्री आनन्द

पाटिल, श्री ए० टी०

पाटिल, श्री बालासाहिब विखें

पाटिल, श्री चन्द्रभान आठरे

पाटिल, श्रीमती शालिनी

पाटिल, श्री शंकरराव

पाटिल, श्री शिवराज वी०

पाटिल, श्री उत्तम राव

पाटिल, श्री वीरेन्द्र

पाटिल, श्री विजय एन०

पटनायक, श्रीमती जयन्ती

पट्टाभिरामा राव, श्री एस० बी० पी०

पत्तुस्वामी, श्री डी०

पेंचालैया, श्री पसाला

फुलवारिया, श्री विरदा राम

पाइलट, श्री राजेश

पुजारी, श्री जनार्दन

पोटदुखे, श्री शान्ताराम

प्रधानी, श्री के०

प्रसन्न कुमार, श्री एस० एन०

पुलय्या, श्री दारूर

कादरी, श्री एस० टी०

राजू, श्री पी० वी० जी०

राम, श्री राम स्वरूप

रामालिंगम, श्री एन० कुदन्तई

राममूर्ति श्री, के०

रामुलू, श्री एच० जी०

रणवीर सिंह, श्री

रंगा, प्रो० एन० जी०

रणजीत सिंह, श्री

राव, श्रीमती बी० राजाबाई आनन्द

राव, श्री जलगाम कोन्डाला

राव, श्री एम० नागेश्वर

राव, श्री एम० एस० संजीवी

राव, श्री एम० सत्यनारायण

राव, श्री पी० वी० नरसिंह

रथ, श्री रामचन्द्र

राठवा, श्री अमर सिंह

राठौर, श्री उत्तम

राउत, श्री भोला

रवाणी, श्री नवीन

रावत, श्री हरीश चन्द्र सिंह

रेड्डी, श्री जी० एस०

रेड्डी, श्री जी० नरसिम्हा

रेड्डी, श्री के० ब्रह्मानन्द

रेड्डी, श्री के० ओबुल

रेड्डी, श्री के० विजय भास्कर

रेड्डी, श्री एम० राम गोपाल

रेड्डी, श्री पी० वेंकट

रेड्डी, श्री टी० दामोदर

रियाम, श्री बाजू बन

रौत, श्री जय नारायण

राय, श्री ए० के०

राय प्रधान, श्री अमर

साहा, श्री अजित कुमार

साही, श्रीमती कृष्णा

साहू, श्री नारायण

साहू, श्री शिव प्रसाद

सज्जन कुमार श्री

समीनुद्दीन, श्री

संगमा, श्री पी० ए०

सखवार, श्री आशकरन

साठे, श्री वसन्त

सतीश प्रसाद सिंह, श्री

सत्यदेव सिंह, प्रो०

सांवन्त, श्री टी० एम०

सेबस्तियन, श्री एस० ए० दोराई

सेन, श्री सुबोध

सेठी, श्री अर्जुन

सेठी, श्री पी० सी०

शैलानी, श्री चन्द्रपाल

शक्तावत, प्रो० निर्मला कुमारी

शक्यवार, श्री नाथूराम

शंकरानन्द, श्री बी०

शनमुगम, श्री पी०

शर्मा, श्री चिरंजी लाल

शर्मा, श्री काली चरण

शर्मा, श्री नन्द किशोर

शर्मा, श्री नवल किशोर

शर्मा, श्री प्रताप भानु

शर्मा, डा० शंकर दयाल

शास्त्री, श्री धर्मदास

शास्त्री, श्री हरि कृष्ण

शेजवलकर, श्री एन० के०

शिगडा, श्री डी० बी०

शिव शंकर, श्री पी०

शिवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री

शुक्ल, श्री विद्या चरण

सिदनाल, श्री एस० बी०

सिंगारावाडीवेल, श्री एस०

सिंह, श्री सी० पी० एन०

सिंह, कुमारी पुष्पा देवी

सिंह, देव, श्री के० पी०

सिन्हा, श्रीमती किशोरी

सिन्हा, श्री निर्मल

सिन्हा, श्रीमती रामदुलारी

सोलंकी, श्री बाबू लाल

सोरन, श्री हरिहर

सुन्दरराजन, श्री एन०

स्पैरो, श्री आर० एस०

श्रीनिवास प्रसाद, श्री वी०

सुब्बुरमण, श्री ए० जी०

सुखबन्स कौर, श्रीमती

सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त

सुन्दर सिंह, श्री

सूर्यवंशी, श्री नरसिंह

स्वामी, श्री के० ए०

स्वामीनाथन, श्री आर० बी०

तपेश्वर सिंह, श्री

तेइयेंग, श्री सोबेंग

तिवारी, श्री कृष्ण प्रकाश

तिवारी, प्रो० के० के०

थोरट, श्री भाउसाहिब

थुगोन, श्री पी० के०

तिरकी, श्री पीयूष

तिवारी, श्री चन्द्रभाल मणि

तिवारी, श्री राम गोपाल

त्रिपाठी, श्री कमलापति

टुडु, श्री मनमोहन

टाईटलर, श्री जगदीश

उइके, श्री छोटे लाल

उन्नीकृष्ण, श्री के० पी०

वैराले, श्री मधुसूदन

वर्मा, श्री जय राम

वर्मा, श्री रवीन्द्र

वेलू, श्री ए० एम०

वेंकटसुब्बया, श्री पी०

वर्मा, श्री दीन बन्धु

वर्मा, श्री रघुनाथ सिंह

वर्मा, श्रीमती उषा

विजयराघवन, श्री वी० एस०

व्यास, श्री गिरधारी लाल

वाघ, डा० प्रताप

वासनिक, श्री बालकृष्ण रामचन्द्र

यादव, श्री डी० पी

यादव, श्री आर० एन०

यादव, श्री राम सिंह

यादव, श्री सुभाष चन्द्र

याजदानी, डा० गोलम

जायनल अबेदिन, श्री

जैदल बशर, श्री

विपक्ष में

*हन्नान मोल्लाह, श्री

*मण्डल, श्री सनत कुमार

*सिंह, श्री पीताम्बर

अध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन, मत-विभाजन का परिणाम** इस प्रकार है :

पक्ष में : 359

विपक्ष में : 3

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य-संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*गलती से विपक्ष में मतदान किया।

**निम्नलिखित सदस्यों ने भी पक्ष में मतदान किया :—

सर्वश्री सेत हेमब्रम, रामायण राय, हन्नान मोल्लाह, सनत कुमार मण्डल और पीताम्बर सिंह।

खण्ड 2 और 3

अध्यक्ष महोदय : इससे पहले मैं खण्ड 2 और 3 सभा में मतदान के लिए रखूं, क्योंकि यह संविधान (संशोधन) विधेयक है, इसलिए मतदान मतविभाजन द्वारा होगा। दीर्घायें पहले से ही खाली हैं।

अध्यक्ष महोदय : दीर्घायें पहले से ही खाली कर दी गई हैं।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बने"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ :

9.02 म० प०

पक्ष में

मत—विभाजन संख्या : 23

अब्बासी, श्री काजी जलील

अग्रवाल, श्री सतीश

अहमद, श्री मोहम्मद असरार

अहमद, बेगम आबिदा

अहमद, श्री गुलशेर

अहमद, श्री कमालुद्दीन

अजीत प्रताप सिंह

अल्लूरी, श्री सुभाष चन्द्र बोस

आनन्द सिंह, श्री

अंकिनीडू, श्री एम०

अंकिनीडू प्रसाद राव, श्री पी०

अन्सारी, श्री जियाउर्रहमान

अनुरागी, श्री गोदिल प्रसाद

अनबार अहमद, श्री

अप्पालानायडू, श्री एस० आर० ए० एस०

अराकल, श्री जेवियर

अरुणाचलम, श्री एम०

अशफाक हुसैन, श्री

आजाद, श्री भागवत झा

आजाद, श्री गुलाम नबी

आजमी, डा० ए० यू०

आगुन, सुम्बरुई, श्री

बेरवा, श्री बनवारी लाल

बैठा, श्री डूमर लाल

बाजपेयी, डा० राजेन्द्र कुमारी

बालेश्वर राम, श्री

बनातवाला, श्री जी० एम०

बन्सी लाल, श्री

बर्मन, श्री पलाश

बसु, श्री चित्त

बहेरा, श्री रास बिहारी

भगत, श्री बी० आर०

भगत, श्री एच० के० एल०

भगवान देव, आचार्य

भक्त, श्री मनोरंजन

भारद्वाज, श्री परसराम

भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल

भीम सिंह, श्री

भोई, डा० कृपासिन्धु

भोले, श्री आर० आर०

भोये, श्री रेशमा मोतीराम

भूरिया, श्री दिलीप सिंह

भूयन, श्री भुवनेश्वर

बीरबल, श्री

वीरेन्द्र सिंह, राव

विष्णु प्रसाद, श्री

विश्वास, श्री अजय

वीड्डेपल्ली, श्री राजगोपाल राव

ग्रार, श्रीमती गुरबिन्दर कौर

बृजेन्द्रपाल सिंह, श्री

बूटा सिंह, श्री

चक्रवर्ती, श्री सत्यसाधन

चक्रधारी सिंह, श्री

चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल

चन्द्रशेखरप्पा, श्री टी० बी०

चरणजीत सिंह, श्री

चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती

चौधरी, श्री मनफूल सिंह

चौधरी, श्री ए० बी० ए० गनी खान

चव्हाण, श्री एस• बी०

चव्हाण, श्री यशवन्तराव

चेन्नुपति, श्रीमती विद्या

चिंगबांग कोनयक, श्री

चौबे, श्री नारायण

चौधरी, श्रीमती ऊषा प्रकाश

चौधरी श्री सैफुद्दीन

चौहान, श्री फतेहभान सिंह

चौधरी, श्री चित्तूरी सुब्बा राव

दाभी, श्री अजीत सिंह

डागा, श्री मूलचन्द

दलबीर सिंह, श्री

दलबीर सिंह, श्री

डामोर, श्री सोमजीभाई

दण्डवते, प्रो० मधु

दण्डवते, श्रीमती प्रमिला

दास, श्री अनादि चरण

दत्त, श्री अमल

डेनिस, श्री एन•

देसाई, श्री बी० वी•

देव, श्री संतोष मोहन

देवराजन, श्री बी•

दण्डपाणि, श्री सी० टी•

घोटे, श्री जाम्बुवंत

दिग्विजय सिंह, श्री

डोगरा, श्री गिरधारी लाल

डूंगर सिंह, श्री

दुबे, श्री विन्देश्वरी

दुबे, श्री रामनाथ

एक्का, श्री क्रिस्टोफर

ऐंगटी, श्री बीरेन सिंह

ईरा अनाबारासु, श्री

फैलीरो, श्री एडुआर्डो

फर्नान्डीस, श्री ओस्कर

गाडगिल, श्री बी० एन०

गधावी, श्री भेरावदन के०

गायकवाड़, श्री आर० पी०

गायकवाड़, श्री उदयसिंह राव

गामित, श्री छोटूभाई

गांधी, श्रीमती इन्दिरा

गांधी, श्री राजीव

गावित, श्री मानिक राव होडल्य

गहलोत, श्री अशोक

घोरपाड़े, श्री आर० वाई०

घोष, गोस्वामी, श्रीमती बिभा

गुफरान आजम श्री

गिरिराज सिंह

गोगोई, श्री तरुण

गोहिल, श्री जी० बी०

गोमांगो, श्री गिरिधर

गोपालन, श्रीमती सुशीला

गौंडर, श्री ए० सेनापति

गौजगिन, श्री एन०

गौडा, श्री डी० एम० पुत्ते

गौडा, श्री एच० एन० नन्जें

गुप्त, श्री इन्द्रजीत

हाकम सिंह, श्री

हाल्दर, श्री कृष्ण चन्द्र

हन्नान मोल्लाह, श्री

हेमब्रम, श्री सेत

होरो, श्री एन० ई०

जदेदा, श्री दौलतसिंहजी

जाफर शरीफ, श्री सी० के०

जैन, श्री भीकू राम

जैन, श्री निहाल सिंह

जैन, श्री वृद्धि चन्द

जक्कायन, श्री एस० टी० के०

जमीलुर्रहमान, श्री

जेना, श्री चिन्तामणि

जितेन्द्र प्रसाद, श्री

काहनडोल, श्री जैड० एम०

कैलाशपति, श्रीमती

कमल नाथ, श्री

कमला कुमारी, कुमारी

कर्मा, श्री लक्ष्मण

कौल, श्रीमती शीला

केन, श्री लाला राम

कैंयर भूषण, श्री

खां, श्री आरिफ मोहम्मद

खां, श्री मलिक एम० एम० ए०

खां, श्री जुल्फिकार अली

खारखुली, श्री बाजूबन आर०

किदवई, श्रीमती मोहसिना

कोडियन, श्री पी० के०

कोसलराम, श्री के० टी०

कृष्ण, श्री एस० एम०

कृष्ण प्रताप सिंह, श्री

कृष्णन, श्री जी० वाई०

क्षीरसागर, श्रीमती केशरबाई

कुचन, श्री गंगाधर एस०

कुलनदईवेलु, डा० वी०

कुन्हम्बु, श्री के०

कुवंर राम, श्री

कुरियन, प्रो० पी० जे०

लकप्पा, श्री के०

लक्ष्मनन्, श्री जी०

लास्कर, श्री निहार रंजन

लारेंस, श्री एम० एम०

माधुरी सिंह, श्रीमती

महाबीर प्रसाद, श्री

महाजन, श्री विक्रम

महाजन, श्री वाई० एस०

महाला, श्री आर० पी०

महाटा, श्री चित्त

महेन्द्र प्रसाद, श्री

मैत्रा, श्री सुनील

मकवाना, श्री नरसिंह

मालन्ना, श्री के०

मलिक, श्री लक्ष्मण

मल्लिकार्जुन, श्री

मल्लु, श्री अनन्त रामुलु

मण्डल, श्री सनत कुमार

माने, श्री आर० एस०

मणि, श्री के० बी० एस०

मन्नी लाल, श्री

मसुदल हुसैन, श्री सैयद

मावणि, श्री रामजीभाई

मेहता, प्रो० अजित कुमार

मिश्र, श्री गार्गी शंकर

मिश्र, श्री रामनगीना

मिश्र, श्री उमा कान्त

मिश्र, श्री हरिनाथ

मिश्र, श्री नित्यानन्द

महन्ती, श्री बृजमोहन

मोहिते, श्री यशवन्तराव

मोहसिन, श्री एफ० एच०

मोरे, श्री रामकृष्ण

मोतीलाल सिंह, श्री

मुखर्जी, श्री समर

मुखोपाध्याय, श्री आनन्द गोपाल

मूर्ति, श्री कुसुम कृष्ण

मूर्ति, श्री एम० राजशेखर

मूर्ति, श्री एम० वी० चन्द्रशेखर

मुत्तेमवार, श्री विलास

मुजफ्फर हुसैन, श्री सैयद

नगीना राय, श्री

नायडू, श्री पी० राजगोपाल

नायक, श्री जी० देवराय

नायकर, श्री डी० के०

नायर, श्री बी० के०

नामग्याल, श्री पी०

नन्दी येल्लैया, श्री

नारायण, श्री के० एस०

नायक, श्री मृत्युंजय

नेहरू, श्री अरुण कुमार

नेताम, श्री अरविन्द

नगनगोम मोहेन्द्रा, श्री

निहालसिंहवाला, श्री जी० एस०

नीखरा, श्री रामेश्वर

नूरुल इस्लाम, श्री

उरांव, श्रीमती सुमति

पांडे, श्री कृष्णचन्द्र

पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि

पनिका, श्री राम प्यारे

पराशर, प्रो० नारायण चन्द

पारघी, श्री केशवराव

परमार, श्री हीरालाल आर०

पार्थसारथी, श्री पी०

पासवान, श्री राम विलास

पटेल, श्री अहमद मोहम्मद

पटेल, श्री सी० डी०

पटेल, श्री मोहन लाल

पटेल, श्री शान्तुभाई

पाठक, श्री आनन्द

पाटिल, श्री ए० टी०

पाटिल, श्री बालासाहिब विखे

पाटिल, श्री चन्द्रभान आठरे

पाटिल, श्री शंकरराव

पाटिल, श्रीमती शालिनी

पाटिल, श्री शिवराज वी०

पाटिल, श्री उत्तम राव

पाटिल, श्री वीरेन्द्र

पाटिल, श्री विजय एन०

पटनायक, श्रीमती जयन्ती

पट्टाभिरामा राव, श्री एस० बी० पी०

पत्तुस्वामी, श्री डी०

पेंचालैया, श्री पसाला

फुलवारिया, श्री बिरदा राम

पाइलट, श्री राजेश

पुजारी, श्री जनार्दन

पोटुदुरै, श्री शान्ताराम

प्रधानी, श्री के०

प्रसन्न कुमार, श्री एस० एन०

पुलय्या, श्री दारूर

कादरी, श्री एस० टी०

राजू, श्री पी० वी० जी०

राम, श्री राम स्वरूप

रामलिंगम, श्री एन० कुदन्तई

राममूर्ति श्री० के०

रामुलु, श्री एच० जी०

रणवीर सिंह, श्री

रंगा प्रो० एन० जी०

रणजीत सिंह, श्री

राव, श्रीमती बी० राधाबाई आनन्द

रावं, श्री जलगाम कोन्डाला

राव, श्री एम० नागेश्वर

राव, डा० एम० एस० संजीवी

राव, श्री सत्यनारायण

राव, श्री पी० वी० नरसिंह

रथ, श्री रामचन्द्र

राठवा, श्री अमर सिंह

राठौर, श्री उत्तम

राउत, श्री भोला

रवाणी, श्री नवीन

रावत, श्री हरीशचन्द्र सिंह

रेड्डी, श्री जी एस०

रेड्डी, श्री जी० नरसिम्हा

रेड्डी, श्री के० ब्रह्मानन्द

रेड्डी, श्री के० ओबुल

रेड्डी, श्री के० विजय भास्कर

रेड्डी, श्री एम० राम गोपाल

रेड्डी, श्री पी० वेंकट

रेड्डी, श्री टी० दामोदर

रियान, श्री बाजूबन

रौत, श्री जय नारायण

राय, श्री ए० के०

राय, प्रधान, श्री अमर

साहा, श्री अजित कुमार

साही, श्रीमती कृष्णा

साहू, श्री नारायण

सज्जन कुमार, श्री

समीनुद्दीन, श्री

संगमा, श्री पी० ए०

संखवार, श्री आशकरन

साठे, श्री वसन्त

सतीश प्रसाद सिंह, श्री

सत्यदेव सिंह, प्रो०

सावन्त, श्री टी० एम०

सेबस्तियन, श्री एस० ए० दोराई

सेन, श्री सुबोध

सेठी, श्री अर्जुन

सेठी, श्री पी० सी०

शैलानी, श्री चन्द्रपाल

शक्तावत, प्रो० निर्मला कुमारी

शक्यवार, श्री नाथूराम

शंकरानन्द, श्री० बी०

शनमुगन, श्री पी०

शर्मा, श्री चिरंजी लाल

शर्मा, श्री काली चरण

शर्मा, श्री नन्द किशोर

शर्मा, श्री नवल किशोर

शर्मा, श्री प्रताप भानु

शर्मा, डा० शंकर दयाल

शास्त्री, श्री धर्मदास

शास्त्री, श्री हरि कृष्ण

शेजवलकर, श्री एन० के०

शिगडा, श्री डी० बी०

शिव शंकर, श्री पी०

शिवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री

शुक्ल, श्री विद्या चरण

सिदनाल, श्री एस० बी०

सिंगारावाडीवेल, श्री एस०

सिंह, श्री सी० पी० एन०

सिंह, कुमारी पुष्पा देवी

सिंह, देव, श्री के० पी०

सिन्हा, श्री निर्मल

सिन्हा, श्रीमती राम दुलारी

सोलंकी, श्री बाबू लाल

सोरन, श्री हरिहर

सुन्दरराजन, श्री एन०

स्पैरो, श्री आर० एस०

श्रीनिवास प्रसाद, श्री वी०

सुब्बुरमण, श्री ए० जी०

सुखबन्स कौर, श्रीमती

सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त

सुन्दर सिंह, श्री

सूर्यवन्शी, श्री नरसिंह

स्वामी, श्री के० ए०

स्वामीनाथन, श्री आर० बी०

तपेश्वर, सिंह, श्री

तेइयेंग, श्री सोबेंग

तिवारी, श्री कृष्ण प्रकाश

तिवारी, प्रो० के० के०

थोरट, श्री भाउसाहिब

थुगोन, श्री पी० के०

तिरकी, श्री पीयूष

तिवारी, श्री चन्द्रभाल मणि

तिवारी, श्री राम गोपाल

त्रिपाठी, श्री कमलापति

टुडु, श्री मनमोहन

टाईटलर, श्री जगदीश

उइके, श्री छोटे लाल

वैराले, श्री मधुसूदन

बर्मा, श्री जय राम

वर्मा, श्री रवीन्द्र

वेलू, श्री ए० एम०

वेंकटसुब्बया, श्री पी०

वर्मा, श्री दीनबन्धु

वर्मा, श्री रघुनाथ सिंह

वर्मा, श्रीमती ऊषा

विजयराघवन, श्री वी० एस०

व्यास, श्री गिरधारी लाल

वाघ, डा० प्रताप

वासनिक, श्री बालकृष्ण रामचन्द्र

यादव, श्री डी० पी०

यादव, श्री आर० एन०

यादव, श्री राम सिंह

यादव, श्री सुभाष चन्द्र

याजदानी, डा० गोलम

जायनल आबेदिन, श्री

जैनल बशर, श्री

विपक्ष में : शून्य

अध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन, मत-विभाजन का परिणाम* इस प्रकार है :—

पक्ष में : 360

विपक्ष में : शून्य

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

खण्ड 1

संशोधन किया गया

पृष्ठ 1, पंक्ति 3,—

"तरेपनवां" **के स्थान पर** "इक्यावनवां" **प्रतिस्थापित किया जाए ।"**

(श्री पी० वी० नरसिंह राव)

अध्यक्ष महोदय : चूंकि दीर्घाय पहले से ही खाली पड़ी हैं, मुझे खण्ड 1 यथा संशोधित सभा में मतदान के लिए रखना चाहिए । प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ :-

9.05 म० प०

पक्ष में

मत-विभाजन संख्या : 24

अब्बासी, श्री काजी जलील

अग्रवाल, श्री सतीश

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी **पक्ष में** अपना मतदान किया :—

सर्व श्री रामायण राय, शिव प्रसाद साहू, के० पी० उन्नीकृष्णन और पीताम्बर सिंह ।

अहमद, श्री मोहम्मद असरार

अहमद, बेगम आबिदा

अहमद, श्री गुलशेर

अहमद, श्री कमालुद्दीन

अजीत प्रताप सिंह

अल्लूरी, श्री सुभाष चन्द्र बोस

आनन्द सिंह, श्री

अंकिनीडू, श्री एम०

अंकिनीडू प्रसाद राव, श्री पी०

अन्सारी, श्री जियाउर्रहमान

अनुरागी, श्री गोदिल प्रसाद

अनवार अहमद श्री

अप्पालानायडू, श्री एस० आर० ए० एस०

अराकल, श्री जेवियर

अरुणाचलम, श्री एम०

अशफाक हुसैन, श्री

आजाद, श्री भागवत झा

आजाद, श्री गुलाम नवी

आजमी, डा० ए० यू०

बागुन सुम्बरुई, श्री

बेरवा, श्री बनवारी लाल

बैठा, श्री डूमर लाल

वाजपेयी, डा० राजेन्द्र कुमारी

बालेश्वर राम, श्री

बनातवाला, श्री जी० एम०

बन्सी लाल, श्री

बर्मन, श्री पलाश

बसु, श्री चित्त

बहेरा, श्री रास बिहारी

भगत, श्री बी० आर०

भगत, श्री एच० के० एल०

भगवान देव, आचार्य

भक्त, श्री मनोरंजन

भारद्वाज, श्री परसराम

भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल

भीम सिंह, श्री

भोई, डा० कृपासिन्धु

भोये, श्री रेशमा मोतीराम

भूरिया, श्री दिलीप सिंह

भूयन, श्री भुवनेश्वर

बीरबल, श्री

बीरेन्द्र सिंह, राव

विष्णु प्रसाद, श्री

विश्वास, श्री अजय

बोड्डेपल्ली, श्री राजगोपाल राव

ब्रार, श्रीमती गुरबिन्दर कौर

बृजेन्द्रपाल सिंह, श्री

बूटा सिंह, श्री

चक्रवर्ती, श्री सत्यसाधन

चक्रधारी सिंह, श्री

चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल

चन्द्रशेखरप्पा, श्री टी० वी०

चरणजीत सिंह, श्री

चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती

चौधरी, श्री मनफूल सिंह

चौधरी, श्री ए० बी० ए० गनीखान

चव्हाण, श्री एस० बी०

चव्हाण, श्री यशवन्तराव

चेन्नुपति, श्रीमती विद्या

चिंगवांग कोनयक, श्री

चौबे, श्री नारायण

चौधरी, श्रीमती ऊषा प्रकाश

चौधरी, श्री सैफुद्दीन

चौहान, श्री फतेहभान सिंह

दाभी, श्री अजीत सिंह

डागा, श्री मूलचन्द

दलवीर सिंह, श्री

दलबीर सिंह, श्री

डामोर, श्री सोमजीभाई

दण्डवते, प्रो० मधु *

दण्डवते, श्रीमती प्रमिला

दास, श्री अनादि चरण

दत्त, श्री अमल

डेनिल, श्री एन०

देसाई, श्री बी० बी०

देव, श्री संतोष मोहन

देवराजन, श्री वी०

दण्डपाणि, श्री सी० टी०

धोटे, श्री जाम्बुवन्त

दिग्विजय सिंह, श्री

डोगरा, श्री गिरधारी लाल

डूंगर सिंह श्री

दुबे श्री बिन्देश्वरी

दुबे, श्री रामनाथ

एक्का, श्री क्रिस्टोफर

ऐंगटी, श्री बीरेन सिंह

ईरा अनाबारासु, श्री

फैलीरो, श्री एडुआर्डो

फर्नान्डीस, श्री ओस्कर

गाडगिल, श्री बी० एन०

गधावी, श्री भेरावदन के०

गायकवाड़, श्री आर० पी०

गायकवाड़ श्री उदयसिंह राव

गामित, श्री छीतूभाई

गांधी, श्रीमती इंदिरा

गांधी, श्री राजीव

गावित, श्री मानिकराव होडल्य

गहलोत, श्री अशोक

घारपाड़े, श्री आर० वाई०

घोष, गोस्वामी, श्रीमती बिभा

गुफरान आजम, श्री

गिरिराज सिंह

गोगोई, श्री तरुण

गोहिल, श्री जी० बी०

गांमांगो, श्री गिरिधर

गोपालन, श्रीमती सुशीला

गौंडर, श्री ए० सेनापति

गौजगिन, श्री, एन०

गौडा, श्री डी० एम० पुत्ते

गौडा, श्री एच० एम० नन्जे

गुप्त, श्री इन्द्रजीत

हाकम सिंह

हाल्दर, श्री कृष्ण चन्द्र

हन्नान मोल्लाह, श्री

हेमब्रम, श्री सेत

होरो, श्री एन० ई०

जदेदा, श्री दौलत सिंह जी

जाफर शरीफ श्री सी० के०

जैन, श्री भीकूराम

जैन, श्री निहाल सिंह, श्री

जैन, श्री वृद्धि चन्द

जक्कायन, श्री एस० टी० के०

जमीलुर्रहमान, श्री

जैना, श्री चिन्तामणि

जितेन्द्र प्रसाद, श्री

काहनडोल, श्री जैड० एम०

कैलाशपति, श्रीमती

कमल नाथ, श्री

कमला कुमारी, कुमारी

कंडास्वामी, श्री एम०

कर्ण सिंह, डा०

कर्मा, श्री लक्ष्मण

कौल, श्रीमती शीला

केन, श्री लाला राम

कैयर भूषण, श्री

खां, श्री आरिफ मोहम्मद

खां, श्री मलिक एम० एम० ए०

खां, श्री जल्फिकार अली

खारलुखी, श्री बाजूबन आर०

कोडियन, श्री पी० के०

कोसलराम, श्री के० टी०

कृष्ण, श्री एस० एम०

कृष्ण प्रताप सिंह, श्री

कृष्णन्, श्री जी० वाई०

क्षीरसागर, श्रीमती केशरबाई

कुचन, श्री गंगाधर एस०

कुलनदईवेलु, डा० वी०

कुन्हम्बु, श्री के०

कुवंर राम, श्री

कुरियन, प्रो० पी० जे०

लकप्पा, श्री के०

लक्ष्मनन्, श्री जी०

लास्कर, श्री निहार रंजन

लारेंस, श्री एम० एम०

माधुरी सिंह, श्रीमती

महाबीर प्रसाद, श्री

महाजन, श्री विक्रम

महाजन, श्री वाई० एस०

महाला, श्री आर० पी०

महांटा, श्री चित्त

महेन्द्र प्रसाद, श्री

मैत्रा, श्री सुनील

मकवाना, श्री नरसिंह

मालन्ना, श्री के०

मलिक, श्री लक्ष्मण

मल्लिकार्जुन, श्री

मल्लु, श्री अनन्त रामुलु

मण्डल, श्री सनत कुमार

माने, श्री आर० एस०

मणि, श्री के० बी० एस०

मन्नी लाल, श्री

मसुदल हुसैन, श्री सैयद

मावणि, श्री रामजीभाई

मेहता, प्रो० अजित कुमार

मिश्र, श्री गार्गी शंकर

मिश्र, श्री रामनगीना

मिश्र, श्री उमा कान्त•

मिश्र, श्री नित्यानन्द

मिश्र,श्री सत्यगोपाल

महन्ती, श्री बृजमोहन

मोहिते, श्री यशवन्तराव

मोहसिन, श्री एफ० एच०

मोरे, श्री रामकृष्ण

मोतीलाल सिंह, श्री

मुखर्जी, श्री समर

मुखोपाध्याय, श्री आनन्द गोपाल

मूर्ति, श्री कुसुम कृष्ण

मूर्ति, श्री एम० राजशेखर

मूर्ति, श्री एम० वी० चन्द्रशेखर

मुत्तेमवार, श्री विलास

मुजफ्फर हुसैन, श्री सैयद

नगीना राय, श्री

नायडू, श्री पी० राजगोपाल

नायक, श्री जी० देवराय

नायकर, श्री डी० के०

नायर, श्री बी० के०

नामग्याल, श्री पी०

नन्दी येल्लैया, श्री

नारायण, श्री के० एस०

नायक, श्री मृत्युंजय

नेहरू, श्री अरुण कुमार

नेताम, श्री अरविन्द

नगनगोम मोहेन्द्रा, श्री

निहालसिंहवाला, श्री जी० एस०

नीखरा, श्री रामेश्वर

नूरुल इस्लाम, श्री

ओडेदरा, श्री मालदेवजी एम०

उरांव, श्रीमती सुमति

पांडे, श्री कृष्णचन्द्र

पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि

पनिका, श्री राम प्यारे

पराशर, प्रो० नारायण चन्द

पारधी, श्री केशव राव

परमार, श्री हीरालाल आर०

पार्थसारथी, श्री पी०

पासवान, श्री राम विलास

पटेल, श्री अहमद मोहम्मद

पटेल, श्री सी० डी०

पटेल, श्री मोहन लाल

पटेल, श्री शान्तुभाई

पाठक, श्री आनन्द

पाटिल, श्री ए० टी०

पाटिल, श्री बालासाहिब विखे

पाटिल, श्री चन्द्रभान आठरे

पाटिल, श्रीमती शालिनी

पाटिल, श्री शंकरराव

पाटिल, श्री शिवराज वी०

पाटिल, श्री उत्तमराव

पाटिल, श्री वीरेन्द्र

पाटिल, श्री विजय एन०

पटनायक, श्रीमती जयन्ती

पट्टाभिरामा राव, श्री

पत्तुस्वामी, श्री डी०

पेंचालैया, श्री पसाला

फुलवारिया, श्री बिरदा राम

पाइलट, श्री राजेश

पुजारी, श्री जनार्दन

पोटदुखे, श्री शान्ताराम

प्रधानी, श्री के०

प्रसन्न कुमार, श्री एस० एन०

पुलय्या, श्री दारूरी

कादरी, श्री एस० टी०

राजू, श्री पी० वी० जी०

राम, श्री राम स्वरूप

रामलिंगम, श्री एन० कुदन्तई

राममूर्ति, श्री के०

रामुलु, श्री एच० जी०

रणवीर सिंह, श्री

रंगा, प्रो० एन० जी०

रणजीत सिंह, श्री

राव, श्रीमती बी० राधाबाई आनन्द

राव, श्री जलगाम कोन्डाला

राव, श्री एम० नागेश्वर

राव, श्री एम० एस० संजीवी

राव, श्री एम० सत्यनारायण

राव, श्री पी० वी० नरसिंह

रथ, श्री रामचन्द्र

राठवा, श्री अमर सिंह

राठौर, श्री उत्तम

राउत, श्री भोला

रवाणी, श्री नवीन

रावत, श्री हरीश

रेड्डी, श्री जी० एस०

रेड्डी, श्री जी० नरसिम्हा

रेड्डी, के० श्री ब्रह्मानन्द

रेड्डी, श्री के० ओबुल

रेड्डी, श्री के० विजय भास्कर

रेड्डी, श्री एम० राम गोपाल

रेड्डी, श्री पी० वेंकट

रेड्डी, श्री टी० दामोदर

रियान, श्री बाजू बन

रौत, श्री जय नारायण

राय, श्री ए० के०

राय प्रधान, श्री अमर

साहा, श्री अजित कुमार

साही, श्रीमती कृष्णा

साहू, श्री नारायण

साहू, श्री शिव प्रसाद

सज्जन कुमार, श्री

समीनुद्दीन, श्री

संगमा, श्री पी० ए०

संखवार, श्री आशकरन

साठे, श्री वसन्त

सतीश प्रसाद सिंह श्री

सत्यदेव सिंह, प्रो०

सावन्त, श्री टी० एम०

सेबस्तियन, श्री एस० ए० दोराई

सेन, श्री सुबोध

सेठी, श्री अर्जुन

शैलानी, श्री चन्द्रपाल

शक्तावत, प्रो० निर्मला कुमारी

शक्यवार, श्री नाथूराम

शंकरानन्द, श्री बी०

शनमुगम, श्री पी०

शर्मा, श्री चिरंजी लाल

शर्मा, श्री काली चरण

शर्मा, श्री नन्द किशोर

शर्मा, श्री नवल किशोर

शर्मा, श्री प्रताप भानु

शर्मा, डा० शंकर दयाल

शास्त्री, श्री धर्मदास

शास्त्री, श्री हरि कृष्ण

शेजवलकर, श्री एन० के०

शिगडा, श्री डी० बी०

शिव शंकर, श्री पी०

शिवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री

शुक्ल, श्री विद्या चरण

सिदनाल, श्री एस० वी०

सिंगारावाडीवेल, श्री एस०

सिंह, श्री सी० पी० एन०

सिंह, कुमारी पुष्पा देवी

सिंह, देव, श्री के० पी०

सिन्हा, श्री निर्मल

सिंह, श्री पीताम्बर

सिन्हा, श्रीमती रामदुलारी

सोलंकी, श्री बाबू लाल

सोरन, श्री हरिहर

सुन्दरराजन, श्री एन०

स्पैरो, श्री आर० एस०

श्री निवास प्रसाद, श्री वी०

सुब्बुरमण, श्री ए० जी०

सुखबन्स कौर, श्रीमती

सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त

सुन्दर सिंह, श्री

सूर्यवन्शी, श्री नरसिंह

स्वामी, श्री के० ए०

स्वामीनाथन, श्री आर० बी०

तपेश्वर सिंह, श्री

तेइयेंग, श्री सोबेंग

तिवारी, श्री कृष्ण प्रकाश

तिवारी, प्रो० के० के०

थोरट, श्री भाउसाहिब

थूगोन, श्री पी० के०

तिरकी, श्री पीयूष

तिवारी, श्री चन्द्रभाल मणि

तिवारी, श्री राम गोपाल

त्रिपाठी, श्री कमलापति

टुडु, श्री मनमोहन

टाईटलर, श्री जगदीश

उइके, श्री छोटे लाल

उन्नीकृष्ण, श्री के० पी०

वैराले, श्री मधुसूदन

वर्मा, श्री जय राम

वर्मा, श्री रवीन्द्र

वेलू, श्री ए० एम०

वेंकटसुब्बया, श्री पी०

वर्मा, श्री दीनबन्धु

वर्मा, श्री रघुनाथ सिंह

वर्मा, श्रीमती ऊषा

विजयराघवन, श्री वी० एस०

व्यास, श्री गिरधारी लाल

वाघ, डा० प्रताप

वासनिक, श्री बालकृष्ण रामचन्द्र

यादव, श्री डी० पी०

यादव, श्री आर० एन०

यादव, श्री राम सिंह

यादव, श्री सुभाष चन्द्र

याजदानी, डा० गोलम

जायनल अबेदिन, श्री

जैनल बशर, श्री

विपक्ष में : शून्य

अध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्ययीन, मत-विभाजन का परिणाम* इस प्रकार है :

पक्ष में : 360

विपक्ष में : शून्य

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी पक्ष में अपना मतदान किया :—

सर्व श्री प्रकाश चन्द्र सेठी, रामायण राय और आर० आर० भोले।

खण्ड 1, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय अब प्रस्ताव करे कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाए।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : इससे पहले कि मैं यह प्रस्ताव सभा में मतदान के लिए रखूं कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित कर दिया जाए; क्योंकि यह संविधान संशोधन विधेयक है, इसलिए इस पर मतदान मत विभाजन द्वारा होगा।

दीर्घायें खाली कर दी जायें। दीर्घायें खाली कर दी गई हैं। प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाए।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ :

9.11 म० प०

पक्ष में

मत—विभाजन संख्या : 25

अब्बासी, श्री काजी जलील

अग्रवाल, श्री सतीश

अहमद, श्री मोहम्मद असरार

अहमद, बेगम आबिदा

अहमद, श्री गुलशेर

अहमद, श्री कमालुद्दीन

अजीत प्रताप सिंह

अल्लूरी, श्री सुभाष चन्द्र बोस

आनन्द सिंह, श्री

अंकिनीडू, श्री एम०

अंकिनीडू प्रसाद राव, श्री पी०

अन्सारी, श्री जियाउर्रहमान

अनुरागी, श्री गोदिल प्रसाद

अनवार अहमद, श्री

अप्पालानायडू, श्री एस० आर० ए० एस०

अराकल, श्री जेवियर

अरुणाचलम, श्री एम०

अशफाक हुसैन, श्री

आजाद, श्री भागवत झा

आजाद, श्री गुलाम नवी

आजमी, डा० ए० यू०

बागुन सुम्बरुई, श्री

बेरवा, श्री बनवारी लाल

बैठा, श्री डूमर लाल

वाजपेयी, डा० राजेन्द्र कुमारी

बालेश्वर राम, श्री

बनातवाला, श्री जी० एम०

बन्सी लाल, श्री

बर्मन, श्री पलाश

बसु, श्री चित्त

बहेरा, श्री रास बिहारी

भगत, श्री बी० आर०

भगत, श्री एच० के० एल०

भगवान देव, आचार्य

भक्त, श्री मनोरंजन

भारद्वाज, श्री परसराम

भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल

भीम सिंह, श्री

भोई, डा० कृपासिन्धु

भोले, श्री आर० आर०

भोये, श्री रेशमा मोतीराम

भूरिया, श्री दिलीप सिंह

भूयन, श्री भुवनेश्वर

बीरबल, श्री

बीरेन्द्र सिंह, राव

विष्णु प्रसाद, श्री

विश्वास, श्री अजय

वोड्डेपल्ली, श्री राजगोपाल राव

ग्रार, श्रीमती गुरबिन्दर कौर

बृजेन्द्रपाल सिंह, श्री

बूटा सिंह, श्री

चक्रवर्ती, श्री सत्यसाधन

चक्रधारी सिंह, श्री

चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल

चन्द्रशेखरप्पा, श्री टी० बी०

चरणजीत सिंह, श्री

चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती

चौधरी, श्री मनफूल सिंह

चौधरी, श्री ए० बी० ए० गनी खान

चव्हाण, श्री एस० बी०

चव्हाण, श्री यशवन्तराव

चेन्नुपति, श्रीमती विद्या

चिंगवांग कोनयक, श्री

चौबे, श्री नारायण

चौधरी, श्रीमती ऊषा प्रकाश

चौधरी, श्री चित्तूरी सुब्बा राव

चौधरी, श्री सैफुद्दीन

चौहान श्री फतेहभान सिंह

दाभी, श्री अजीत सिंह

डागा, श्री सूलचन्द

दलवीर सिंह श्री

दलबीर सिंह, श्री

डामोर, श्री सोमजीभाई

दण्डवते, प्रो० मधु

दण्डवते, श्रीमती प्रमिला

दास, श्री अनादि चरण

दत्त, श्री अमल

डेनिस, श्री एन०

देसाई, श्री बी० वी०

देव, श्री संतोष मोहन

देवराजन, श्री वी०

दण्डपाणि, श्री सी० टी

धोटे, श्री जाम्बुवंत

दिग्विजय सिंह, श्री

डोगरा, श्री गिरधारी लाल

डूंगर सिंह, श्री

दुबे, श्री बिन्देश्वरी

दुबे, श्री रामनाथ

एक्का, श्री क्रिस्टोफर

ऐंगटी, श्री बीरेन सिंह

ईरा अनबारासु, श्री

फैलीरो, श्री एडुआर्डो

फर्नान्डीस, श्री ओस्कर

गाडगिल, श्री बी० एन०

गधावी, श्री भेरावदन के०

गायकवाड़, श्री आर० पी०

गायकवाड़, श्री उदय सिंह राव

गामित श्री, छीतूभाई

गांधी, श्रीमती इन्दिरा

गांधी, श्री राजीव

गावित, श्री मानिकराव होडल्य

गहलोत, श्री अशोक

घोरपाडे, श्री आर० वाई०

घोष, गोस्वामी, श्रीमती बिभा

गुफरान आजम, श्री

गिरिराज सिंह,

गोगोई, श्री तरुण

गोहिल, श्री जी० बी०

गोमांगो, श्री गिरिधर

गोपालन, श्रीमती सुशीला

गौंडर, श्री ए० सेनापति

गौजगिन, श्री एन०

गौडा, श्री डी० एम० पुत्ते

गौडा, श्री एच० एन० नन्जे

गुप्त, श्री इन्द्रजीत

हाकम सिंह, श्री

हाल्दर, श्री कृष्ण चन्द्र

हन्नान मोल्लाह, श्री

हेमब्रम, श्री सेत

होरो, श्री एन० ई०

जदेदा, श्री दौलतसिंहजी

जाफर, शरीफ, श्री सी० के०

जैन, श्री भीकू राम

जैन, श्री निहाल सिंह

जैन, श्री वृद्धि चन्द

जक्कायन, श्री एस० टी० के०

जमीलुर्रहमान, श्री

जेना, श्री चिन्तामणि

जितेन्द्र प्रसाद, श्री

काहनडोल, श्री जैड० एम०

कैलाशपति, श्रीमती

कमलनाथ, श्री

कमला कुमारी, कुमारी

कर्मा, श्री लक्ष्मण

कौल श्रीमती शीला

केन, श्री लालाराम

कैयर, भूषण, श्री

खां, श्री आरिफ मोहम्मद

खां, श्री मलिक एम० एम० ए०

खां, श्री जुल्फिकार अली

खारखुली, श्री बाजूबन आर०

किदवई, श्रीमती मोहसिना

कोडियन, श्री पी० के०

कोसलराम, श्री के० टी०

कृष्ण, श्री एस० एम०

कृष्ण प्रताप सिंह, श्री

कृष्णन्, श्री जी० वाई०

क्षीरसागर, श्रीमती केशरबाई

कुचन, श्री गंगाधर एस•

कुलनदईवेलु, डा० वी•

कुन्हम्बु, श्री के०

कुंवर राम, श्री

कुरियन, प्रो० पी० जे•

लकप्पा, श्री के०

लक्ष्मनन्, श्री जी•

लास्कर, श्री निहार रंजन

लारेंस, श्री एम• एम०

माधुरी सिंह, श्रीमती

महाबीर प्रसाद, श्री

महाजन, श्री विक्रम

महाजन, श्री वाई० एस•

महाला, श्री चित्त

महेन्द्र प्रसाद, श्री

मैत्रा, श्री सुनील

मकवाना, श्री नरसिंह

मालन्ना, श्री के•

मलिक, श्री लक्ष्मण

मल्लिकार्जुन, श्री

मल्लु, श्री अनन्त रामुलु

मण्डल, श्री सनत कुमार

माने, श्री आर० एस०

मणि, श्री के० बी० एस०

मन्नी लाल, श्री

मसुदल, हुसैन, श्री सैयद

मावणि, श्री रामजीभाई

मेहता, प्रो० अजित कुमार

मिश्र, श्री गार्गी शंकर

मिश्र, श्री रामनगीना

मिश्र, श्री उमा कान्त

मिश्र, श्री हरिनाथ

मिश्र, श्री नित्यानन्द

महन्ती, श्री बृजमोहन

मोहिते, श्री यशवन्तराव

मोहसिन, श्री एफ० एच०

मोरे, श्री रामकृष्ण

मोतीलाल सिंह, श्री

मुखर्जी, श्री समर

मुखोपाध्याय, श्री आनन्द गोपाल

मूर्ति, श्री कुसुम कृष्ण

मूर्ति, श्री एम० राजशेखर

मूर्ति, श्री एम० वी० चन्द्रशेखर

मुत्तेमवार, श्री विलास

नगीना राय, श्री

नायडू, श्री पी० राजगोपाल

नायक, श्री जी० देवराय

नायकर, श्री डी० के०

नायर, श्री बी० के०

नामग्याल, श्री पी०

नन्दी येल्लैया, श्री

नारायण, श्री के० एस०

नायक, श्री मृत्युंजय

नेहरू, श्री अरुण कुमार

नेताम, श्री अरविन्द

नगनगोम मोहेन्द्रा, श्री

निहालसिंहवाला, श्री जी० एस०

नीखरा, श्री रामेश्वर

नूरूल इस्लाम, श्री

उरांव, श्रीमती सुमति

पांडे, श्री कृष्णचन्द्र

पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि

पनिका, श्री राम प्यारे

पराशर, प्रो० नारायणचन्द

पारधी, श्री केशवराव

परमार, श्री हीरालाल आर०

पार्थसारथी, श्री पी०

पासवान, श्री रामविलास

पटेल, श्री अहमद मोहम्मद

पटेल, श्री सी० डी०

पटेल, श्री मोहनलाल

पटेल, श्री शान्तुभाई

पाठक, श्री आनन्द

पाटिल, श्री ए० टी०

पाटिल, श्री बालासाहिब विखे

पाटिल, श्रीमती शालिनी

पाटिल, श्री शंकरराव

पाटिल, श्री शिवराज वी०

पाटिल, श्री उत्तमराव

पाटिल, श्री वीरेन्द्र

पाटिल, श्री विजय एन०

पटनायक, श्रीमती जयन्ती

पट्टाभिरामा राव, श्री

पत्तुस्वामी, श्री डी०

पेंचालैया, श्री पसाला

फुलवारिया, श्री विरदा राम

पाइलट, श्री राजेश

पुजारी, श्री जनार्दन

पोटदुखे, श्री शान्ताराम

प्रधानी, श्री के०

प्रसन्न कुमार, श्री एस० एन०

पुलय्या, श्री दारूर

कादरी, श्री एस० टी०

राजू, श्री पी० वी० जी०

राम, श्री रामस्वरूप

रामलिंगम, श्री एन० कुदन्तई

राममूर्ति, श्री के०

रामुलू, श्री एच० जी०

रणवीर सिंह, श्री

रंगा, प्रो० एन० जी०

रणजीत सिंह, श्री

राव, श्रीमती बी० राधाबाई आनन्द

राव, श्री जलगाम कोन्डाला

राव, श्री एम० नागेश्वर

राव, डा० एम० एस० संजीवी

राव, श्री एम० सत्यनारायण

राव, श्री पी० वी० नरसिंह

रथ, श्री रामचन्द्र

राठवा, श्री अमर सिंह

राठौर, श्री उत्तम

राउत, श्री भोला

रवाणी, श्री नवीन

रावत, श्री हरीश

रेड्डी, श्री जी० एस०

रेड्डी, श्री जी० नरसिम्हा

रेड्डी, श्री के० ब्रह्मानन्द

रेड्डी, श्री के० ओबुल

रेड्डी, श्री के० विजय भास्कर

रेड्डी, श्री एम० राम गोपाल

रेड्डी, श्री पी० वेंकट

रेड्डी, श्री टी० दामोदर

रियान, श्री बाजूबन

रौत, श्री जय नारायण

राय, श्री ए० के०

राय प्रधान, श्री अमर

साहा, श्री अजित कुमार

साही, श्रीमती कृष्णा

साहू, श्री नारायण

साहू, श्री शिव प्रसाद

सज्जन कुमार, श्री

समीनुद्दीन, श्री

संगमा, श्री पी० ए०

संखवार, श्री आशकरन

साठे, श्री वसन्त

सतीश प्रसाद सिंह, श्री

सत्यदेव सिंह, प्रो०

सावन्त, श्री टी० एम०

सेबस्तियन, श्री एस• ए• दोराई

सैन, श्री सुबोध

सेठी, श्री अर्जुन

सेठी, श्री पी• सी०

शैलानी, श्री चन्द्रपाल

शक्तावत, प्रो० निर्मला कुमारी

शक्यवार, श्री नाथूराम

शंकरानन्द, श्री बी•

शनमुगम, श्री पी•

शर्मा, श्री चिरंजी लाल

शर्मा, श्री कालीचरण

शर्मा, श्री नन्द किशोर

शर्मा, श्री नवल किशोर

शर्मा, श्री प्रताप भानु

शर्मा, डा० शंकर दयाल

शास्त्री, श्री धर्मदास

शास्त्री, श्री हरिकृष्ण

शेजवलकर, श्री एन० के०

शिगडा, श्री डी• बी०

शिवशंकर, श्री पी•

शिवेन्द्र बहादुर सिंह श्री

शुक्ल, श्री विद्या चरण

सिदनाल, श्री एस• बी०

सिंगारावाडीवेल, श्री एस०

सिंह, श्री सी० पी० एन०

सिंह, कुमारी पुष्पा देवी

सिंह देव, श्री के० पी०

सिन्हा, श्री निर्मल

सिंह, श्री पीताम्बर

सिन्हा, श्रीमती, रामदुलारी

सोलंकी, श्री बाबू लाल

सोरन, श्री हरिहर

सुन्दरराजन, श्री एन०

स्पैरो, श्री आर० एस०

श्रीनिवास प्रसाद, श्री वी०

सुब्बुरमण, श्री ए० जी०

सुखबन्स कौर, श्रीमती

सुल्तानपुरी, श्रीकृष्ण दत्त

सुन्दर सिंह, श्री

सूर्यवन्शी, श्री नरसिंह

स्वामी, श्री के० ए०

स्वामीनाथन, श्री आर० वी०

तपेश्वर, सिंह, श्री

तेह्येंग, श्री सोवेंग

तिवारी, श्री कृष्ण प्रकाश

तिवारी, प्रो० के० के०

थोरट, श्री भाऊसाहिब

थुगोन, श्री पी० के०

तिरकी, श्री पीयूष

तिवारी, श्री चन्द्रभाल मणि

तिवारी, श्री राम गोपाल

त्रिपाठी, श्री कमलापति

टुडु, श्री मनमोहन

टाईटलर, श्री जगदीश

उइके, श्री छोटे लाल

उन्नीकृष्ण, श्री के० पी०

वैराले, श्री मधुसूदन

वर्मा, श्री जय राम

वर्मा, श्री रवीन्द्र

वेलू, श्री ए० एम०

वेंकटसुब्बया, श्री पी०

वर्मा, श्री दीनबन्धु

वर्मा, श्री रघुनाथ सिंह

वर्मा, श्रीमती ऊषा

विजयराघवन, श्री वी० एस०

व्यास, श्री गिरधारी लाल

वाघ, डा० प्रताप

वासनिक, श्री बालकृष्ण रामचन्द्र

यादव, श्री डी० पी०

यादव, श्री आर० एन

यादव, श्री रामसिंह

यादव, श्री सुभाष चन्द्र

याजदानी, डा० गोलम

जायनल अबेदिन, श्री

जैनल बशर, श्री

विपक्ष में : शून्य

अध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन, मत-विभाजन का परिणाम* इस प्रकार है :—

पक्ष में : 361

विपक्ष में : शून्य

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ। यथा संशोधित विधेयक संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबन्धों के अपेक्षित बहुमत द्वारा पारित किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : सभा के सदस्यों द्वारा प्रशंसनीय सहयोग दिया गया।

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : महोदय, क्या मैं कुछ कह सकता हूं ? अपने दल की ओर से मैं चाहता हूं कि विपक्ष के माननीय सदस्यों ने जो इस विधान को पारित करने में सहयोग दिया है। इस हेतु उनके लिए हमारी प्रशंसा तथा धन्यवाद को कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित किया जाए। हालांकि इसके लिए हमें नियमों का विलम्ब करना पड़ा परन्तु फिर भी उन्होंने सहयोग दिया। इस खुशी की बात के साथ हम सभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : सभा अब कल 11 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित होती है।

9.12 म०प०

तत्पश्चात लोक सभा शुक्रवार, 24 अगस्त, 1984/भाद्र 2, 1906 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी पक्ष में अपना मतदान किया :—

सर्व श्री रामायण राय, चन्द्रभान आठरे पाटिल और सय्यद मुजफ्फर हुसैन।

प्रबन्धक, मित्तल प्रिण्टर्स, के-13, नवीन शाहदरा, दिल्ली द्वारा मुद्रित